राजा राम पाल

बनाम

द ऑनरेबल स्पीकर, लोक सभा और अन्य ।

10 जनवरी, 2007

[न्यायमूर्तिगण वाई. के. सभरवाल, सीजेआई, के. जी. बालाकृष्णन, सी. के. ठाकर, आर. वी. रवींद्रन और डी. के. जैन]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 101,102,105 और 122/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 7 और 10ए: प्रश्न के लिए नकद-संसद में प्रश्न उठाने के लिए मौद्रिक विचार-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-इसके कार्यान्वयन के संबंध में अनुचित आचरण-टी. वी. चैनलों द्वारा प्रस्तुत-सांसदों की समिति द्वारा जांच-सदन में पेश की गई रिपोर्ट और संबंधित सांसदों को सदन से निष्कासित-शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति की संवैधानिक वैधता-सदस्यों को सदन की सदस्यता से निष्कासित करने के लिए संसद के सदनों की क्षमता-क्या ऐसी शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है: संसद के सदन सदस्यों को निष्कासित करने के लिए सक्षम हैं-ऐसी शक्ति न्यायिक समीक्षा दायरे के अधीन है। समझाया गया।

संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया-प्रभावित नहीं होती है किसी भी अवैधता, तर्कहीनता, असंवैधानिकता, प्राकृतिक न्याय या विकृति के सिद्धांतों का उल्लंघन-इसलिए अनुच्छेद 14,20 या 21 का उल्लंघन नहीं करता है।लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा-चाहे दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित-आयोजित, नहीं, क्योंकि अध्यक्ष केवल इस विषय पर अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे-तथ्य यह है कि इसके बाद अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ एक जांच समिति का गठन किया था विपक्ष भी यह दिखाने के लिए जाएगा कि उस स्तर पर संकल्प सच्चाई का पता लगाना था।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 21-विज़-ए-विज़-अनुच्छेद 105 (3)-पर चर्चा की गई।

संसद सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति-स्थिति अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में-चर्चा की गई। शब्द और वाक्यांश:

' रिक्ति ',' अयोग्यता ',' निष्कासन ',' शक्ति ',' विशेषाधिकार ', ' प्रतिरक्षा '-का अर्थ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 की व्याख्या जारी है।

इन मामलों में। सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 105 में निहित शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का प्रयोग करते हुए संसद के सदन अपने-अपने सदस्यों को सदन की सदस्यता से निष्कासित करने के लिए सक्षम हैं। यदि ऐसी शक्ति मौजूद है, तो क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि ऐसा है, तो ऐसी न्यायिक समीक्षा का दायरा।

उपरोक्त सवाल आरोपों की पृष्ठभूमि में उठे हैं। कि संसद सदस्य (सांसद) सांसद के रूप में अपने कार्यों के संबंध में मौद्रिक विचार करने की अनैतिक और भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त थे। संसद के प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की अलग समितियों के माध्यम से। जाँच समिति की रिपोर्ट को मेज पर रखे जाने पर सदन, लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें समिति की रिपोर्ट में निहित निष्कर्ष को स्वीकार किया गया कि सदस्यों का आचरण संसद सदस्यों के लिए अनैतिक और अशोभनीय था और सांसद के रूप में उनका बने रहना असमर्थनीय है। उसी दिन यानी 23 दिसंबर, 2005 को लोकसभा सचिवालय ने उसी तारीख से उन सांसदों के निष्कासन को अधिसूचित करते हुए विवादित अधिसूचना जारी की। इसी तरह नैतिकता समिति की रिपोर्ट को राज्य द्वारा अपनाया गया। सदन निष्कासन की सिफारिश से सहमति जताते हुए और उसी तारीख यानी 23 दिसंबर, 2005 को तत्काल प्रभाव से सदस्य को राज्यसभा की सदस्यता से निष्कासित करने की अधिसूचना जारी की गई।

रिट याचिकाओं/स्थानांतरण मामलों में, निष्कासित सांसदों ने राजा राम पाल बनाम को चुनौती दी है।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा उनके संबंधित निष्कासन की संवैधानिक वैधता। याचिकाकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक घटना है और इस अवधारणा से प्रवाहित होती है कि

मौलिक और उच्चतर कानून राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमाओं की कसौटी हैं जो संविधान के तहत शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं, जिसके विपरीत न्यायिक शाखा दुभाषिया है। इंग्लैंड, जहाँ संसद संप्रभु है, भारत जैसे लिखित संविधान वाले संघीय राज्य में संविधान की सर्वोच्चता उसके अस्तित्व के लिए मौलिक है, जो सर्वोच्चता स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधिकार द्वारा संरक्षित है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से उसके दुभाषिया के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए विधानमंडल भी उत्तरदायी है और प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है, जहाँ से विधायी सर्वोच्चता विषय है।

संविधान के अनुसार, संसद अपने लिए अपनी शक्तियों की प्रकृति, दायरे और प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकती है, जो परिणामस्वरूप न्यायिक अंग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हैं।

इंग्लैंड में, भारत में विधानमंडल की स्थिति कभी भी किसी उच्च न्यायालय की रिकॉर्ड की स्थिति नहीं रही है और यह कि संसद के विशेषाधिकार भी उन सीमाओं के अधीन हैं जो आवश्यक रूप से पता लगाने योग्य होनी चाहिए और इसलिए, किसी भी अन्य अधिकार की तरह, न्यायालय द्वारा जांच के अधीन हैं; एक विधायी कक्ष के अंदर भी किसी भी कार्यवाही की वैधता पर न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है जब वह अवैधता और असंवैधानिकता से ग्रस्त हो और कोई अधिकार नहीं है।

संसद को न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा उपलब्ध है; विधानमंडल के पास अपने सदस्य को निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि संसद ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जो संविधान के अनुच्छेद 105 (3) में उपलब्ध विषय पर कानून बनाने की शक्ति को सक्षम करने के संदर्भ में किसी निर्दिष्ट परिस्थिति में किसी सदस्य को निष्कासित करने का प्रावधान करता है; निष्कासन अवैध, मनमाने और मनमाने हैं। असंवैधानिक, संविधान के अनुच्छेद 83,84 और 101 से 103,105 और 190 से 193 के प्रावधानों का उल्लंघन करना; भारत के संविधान में या संसद के सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में किसी सदस्य के निष्कासन के लिए कोई प्रावधान नहीं है

प्रस्ताव को स्वीकार करना और इस प्रकार विवादित कार्य संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे; याचिकाकर्ताओं को विधानमंडल से निष्कासित करना। साधारण बहुमत द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से एक खतरनाक मिसाल थी जो भविष्य में विधानमंडलों में सत्तारूढ़ बहुमत को तानाशाही शक्तियां देगी और इस प्रकार दुनिया भर में लोकतंत्रों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक कानून, यहां तक कि अन्य क्षेत्राधिकारों में भी, के दुरुपयोग की संभावना होगी।

लिखित संविधानों द्वारा शासित, निर्वाचित सदस्यों को विधायी कक्ष में बहिष्कृत करने की शक्ति की अनुमति नहीं देगा।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे:

1. क्या इस न्यायालय के पास, संवैधानिक योजना के भीतर, है विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं की विषय-वस्तु और दायरा तय करने का अधिकार क्षेत्र?

2. यदि पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है, तो क्या यह पाया जा सकता है? कि भारत में विधानमंडलों की शक्तियों और विशेषाधिकारों में, विशेष रूप से अनुच्छेद 105 के संदर्भ में, उनके सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति शामिल है?

3. निष्कासन की ऐसी शक्ति पाए जाने की स्थिति में, क्या यह न्यायालय संसद और उसके सदस्यों या समितियों को प्रदत्त उक्त शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है और यदि ऐसा है, तो क्या यह अधिकार क्षेत्र कुछ सीमाओं से घिरा हुआ है?

रिट याचिकाओं और स्थानांतरित मामलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: प्रति बहुमत (सभरवाल, सीजेआई, अपने लिए और के. जी. बालकृष्णन और डी. के. जैन, जे. जे.)

1. संवैधानिक पीठों द्वारा कानून के स्पष्ट प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के मामले-दर-मामले, इस बात में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि जब भी संसद, या उस मामले के लिए कोई राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 105 (3) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, या अनुच्छेद 194 (3), जैसा भी मामला हो, यह न्यायालय है जिसके पास यह जांचने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र है कि उसके समक्ष शिकायत लाए जाने पर, यह पता लगाने के लिए कि क्या विधायिका द्वारा दावा की गई या दावा की गई विशेष शक्ति या विशेषाधिकार वह है जो उक्त संवैधानिक प्रावधानों द्वारा विचार किया गया था या, सरल शब्दों में कहें तो, क्या यह ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार था जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित कहा जा सकता है।

भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को यूनाइटेड किंगडम की संसद ताकि भारतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध हो सके। [पैरा 62] [386-जी-एच, 387-ए-बी]

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी 225; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण, [1975] (पूरक) एस. सी. सी. 1; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, [1980] 3 एस. सी. सी. 625; उप-न्यायिक समिति उत्तरदायित्व v. भारत संघ, [1991] 4 एस. सी. सी. 699; आई. मणिलाल सिंह बनाम।

एच. बोरोबाबू सिंह (डॉ.), [1994] पूरक (1) एस. सी. सी. 718; भारत संघ बनाम। एसोसिएशन। लोकतांत्रिक सुधारों के लिए, [2002] 5 एस. सी. सी. 294; विशेष संदर्भ सं. 2002 का 1, पुनः (गुजरात विधानसभा चुनाव मामला), [2002] 8 एस. सी. सी. 237; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) बनाम। भारत संघ, [2003] 4 एस. सी. सी. 399; प्रताप सिंह बनाम। झारखंड राज्य, [2005] 3 एससीसी 551; रामेश्वर

प्रसाद (VI) v. भारत संघ, [2006] 2 एस. सी. सी. 1; कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ, [2006] 7 एससीसी 1; 1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एससीआर 413 (यूपी विधानसभा मामला); एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1959] पूरक (1) एससीआर 806; एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1961] 1 एससीआर 96 और कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ, [1977] 4 एस. सी. सी. 608, पर निर्भर था।

ब्रैडलॉफ वी. गोसेट, [1884] 12 क्यू. बी. डी. 271 और रिचर्ड विलियम प्रीबल वी. टेलीविजन न्यूजीलैंड लिमिटेड, (1994) (एस) डब्ल्यूएलआर 970, का उल्लेख किया गया है।

" लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ";" सर थॉमस एर्स्किन मे द्वारा राज्यों की परिषद में कार्य की प्रक्रिया और संचालन "और" मे की संसदीय प्रथा "का उल्लेख किया गया है।

2. विधायिका के विशेषाधिकारों के सिद्धांत की ऐतिहासिक उत्पत्तिइंग्लैंड में यह अपने न्यायिक कार्यों पर आधारित है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हमेशा खुद को रिकॉर्ड की अदालत होने का दावा किया और इस तरह अंतर्निहित अधिकार और शक्ति न केवल कैद करने के लिए बल्कि जुर्माना लगाने के लिए भी अवमानना के मामलों में। लेकिन फिर, लॉर्ड केन्यन के अनुसार, "विधायी क्षमता का प्रयोग करते समय", अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

मे की संसदीय प्रथा के अनुसार, एक पर हाउस ऑफ कॉमन्स इतिहास में समय के एक बिंदु ने भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का दावा किया था, लेकिन इस स्थिति को अंततः कभी निर्धारित नहीं किया गया है।

सर थॉमस एर्स्किन मे ": मे की संसदीय प्रथा "और रूटलेज: " हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया "[खंड I, पृष्ठ 46], संदर्भित।

3.1 . इंग्लैंड में संसद की मध्ययुगीन अवधारणा मुख्य रूप से एक न्याय की अदालत, 'संसद के उच्च न्यायालय' ने इस दृढ़ विश्वास को जन्म दिया कि अपमान के खिलाफ संसद की गरिमा की रक्षा करने के लिए और

इसके विपरीत, इसमें प्रतिबद्ध होने की शक्ति निहित होनी चाहिए, जिसके बिना संसद के विशेषाधिकार मौजूद नहीं होंगे। [पैरा 83] [394-डी] 3.2 . [2007] 1 एस. सी. आर. की शक्तियों और विशेषाधिकारों के आयात से संबंधित मामलों में।

भारत में विधानमंडल के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स, इस मुद्दे की जांच करते हुए, हालांकि राज्य विधानमंडल के लिए उपलब्धता की सीमित चिंता से

अवमानना के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति का अनुच्छेद 194 (3), यूपी विधानसभा मामले में इस अदालत ने सावधानी का एक नोट दिया था जो हाथ में उद्देश्यों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। [पैरा 86] [395-डी-ई]

3.3 . यूपी विधानसभा मामले में, इस अदालत द्वारा यह तय किया गया था कि एक व्यापक

यह दावा करते हुए कि भारत के संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त सभी शक्तियों को भारतीय विधानमंडल में निहित किया जा सकता है, पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया

जा सकता है क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जिनका स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया जा सकता है। [पैरा 87] [396-बी]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एस. सी. आर. 413 (उत्तर प्रदेश विधानसभा) मामला), पर भरोसा किया। एशबी वी। श्वेत एल. जे. (1701-05), 714, संदर्भित।
4. इस प्रकार संविधान ने अनुच्छेद 105 और 194 के माध्यम से अपनाया, क्योंकि क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों को समान शक्तियाँ,यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में संविधान के प्रारंभ में निहित विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, जब तक कि वे "कानून द्वारा परिभाषित" नहीं हो जाते। [पैरा 122] [413-डी-ई]

प्रीतितोश रॉयः " भारत में संसदीय विशेषाधिकार (1991), अध्याय-4, 'भारत में संसदीय विशेषाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1915-1950)' शीर्षक से। 53 और संविधान सभा बहस खंड 8 का 19.5.1949, पृष्ठ 143-149,578-584, संदर्भित।

5. हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकारों का संदर्भ उचित था स्व-दावे के आधार पर कि स्वतंत्र भारत और उसकी संसद ग्रेट ब्रिटेन की संसद जितनी महान है। प्रारूप समिति संसद को इंग्लैंड में संसद के सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यापक विशेषाधिकार देने के बारे में अधिक चिंतित थी, जिसमें सदन की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल थी। शक्तियों और विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध करने वाले पूर्ण प्रावधान संभव नहीं थे क्योंकि पर्याप्त समय या अवकाश नहीं था

उन सभी को एक समग्र रूप में तैयार करना, जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति द्वारा पाया गया था। यही कारण है कि भविष्य के लिए एक व्यापक गुंजाइश और अनियंत्रित विवेक छोड़ा जा रहा था

भारत की संसद राजा राम पाल बनाम को तैयार करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करेगी। विशेषाधिकार, जिनका विस्तार या कटौती की जा सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों और विशेषाधिकारों को अपनाना केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में था, जिसका पालन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कनाडा में किया गया था। भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता और हर मामले में विधायिका की सर्वशक्तिमानता को सुरक्षित करने के लिए लाभ के साथ अन्य अधिराज्य।

6. 1979 में लागू किया गया संशोधन समय को नहीं बदलता है। भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख तक यूनाइटेड किंगडम की शक्तियाँ और विशेषाधिकार संसद को पहले से उपलब्ध थे। संशोधन और वह पैकेज है जो संशोधन के बाद भी उपलब्ध है। 1947 में किसी विशेष शक्ति का उपयोग भारतीय संविधान के प्रारंभ की महत्वपूर्ण तिथि के समय के संदर्भ में इसे करीब बना देगा। बाद की अवधि में इसके दुरुपयोग का कोई परिणाम नहीं है। ¡ पैरा 125] [414-एफ-जी]

7. अनुच्छेद 105 (3) को देखते हुए इसकी शक्ति का पता लगाना अनिवार्य है - भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख, यानी 26 जनवरी 1950 को यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित होने के रूप में मान्यता प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के संदर्भ में निष्कासन। यदि ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार उक्त में निहित है विधायिका, यह सवाल उठेगा कि क्या यह अपने लिखित संविधान के प्रावधानों के बावजूद भारतीय विधानसभाओं के लिए विरासत का हिस्सा हो सकता है। [पैरा 135] [417-जी-एच]

8. यह तय किया जाता है कि विशेषाधिकारों और शक्तियों के पूरे गुलदस्ते से जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने कड़वे संघर्ष के समय दावा किया था 17 वीं से 19 वीं शताब्दी के दौरान मान्यता के लिए, सभी समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। कुछ को छोड़ दिया गया। कुछ अन्य निर्जलीकरण से गायब हो गए। [पैरा 136] [418-ए]

9. सभी शक्तियों और विशेषाधिकारों की उपलब्धता का तर्क है संसदीय प्रथा, लेकिन जिसका भारतीय दावा नहीं कर सकते हैं पहुंच की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार सहित विधायिकाएँ जिनका प्रयोग किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा एक निकाय के रूप में और अपने अध्यक्ष के माध्यम से "हर समय अपने संप्रभु के साथ याचिका, परामर्श या विरोध करने का अधिकार होना।

अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से और एक अनुकूल निर्माण [2007] 1 एस. सी. आर.

उनके शब्दों पर रखे जाने को कॉमन्स द्वारा मौलिक विशेषाधिकार के रूप में उचित रूप से माना जाता था; प्राप्तकर्ता और महाभियोग के कार्यों को पारित करने का विशेषाधिकार; और अपने स्वयं के संविधान के संबंध में विशेषाधिकार जो तीन तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पहला संसद के दौरान कॉमन्स में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए नए रिट के क्रम द्वारा; दूसरा, विवादित चुनावों के मुकदमे द्वारा; और तीसरा, संदेह के मामलों में अपने सदस्यों की योग्यता निर्धारित करके। [पैरा 137] [418-ई-जी]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1 (1965) 1 एस. सी. आर. 413 (यू. पी. विधानसभा)

मामला), पर भरोसा किया।

सर थॉमस एर्स्किन मे ": मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस "16 वीं संस्करण।

पीपी। 86 , 175 , संदर्भित किया गया।

10.1 . शब्दों के सटीक महत्व को समझना आवश्यक है।

' रिक्ति ',' अयोग्यता 'और' निष्कासन '। इन शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं और वे ओवरलैप नहीं करते हैं। अयोग्यता उम्मीदवार की योग्यता की जड़ पर हमला करती है और उसे सदस्य की सीट पर कब्जा करने में असमर्थ बनाती है। दूसरी ओर, निष्कासन एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अन्यथा योग्य है, लेकिन विधायिका के सदन की राय में, सदस्यता के योग्य नहीं है। जबकि अयोग्यता एक को रोकने के लिए काम करती है पुनर्निर्वाचन से उम्मीदवार का निष्कासन सदस्य के निर्वाचन के बाद होता है और पुनर्निर्वाचन पर कोई रोक नहीं होती है। जहाँ तक 'रिक्ति' शब्द का संबंध है

संबंधित रूप से, यह इस तथ्य का परिणाम है कि कोई सदस्य सदस्यता जारी नहीं रख सकता है। इसका कारण कई संभावित कारणों में से कोई एक हो सकता है। कारण जो सदस्य को सदस्यता जारी रखने से रोकते हैं, उदाहरण के लिए अयोग्यता, मृत्यु या निष्कासन। [पारस 142 और 143] [420-बी-डी]

10.2 . उपरोक्त को देखते हुए, प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करना संभव नहीं है।

कि सदस्यता की समाप्ति केवल अनुच्छेद 101 और 102 में निर्धारित तरीके से ही की जा सकती है। जबकि ये लेख योग्यता की बात करते हैं। सदस्यता के लिए और जारी रखने के लिए, वे अनुच्छेद 105 (3) से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अनुच्छेद 105 (3) भी एक संवैधानिक प्रावधान है और यह किसी भी अन्य प्रावधान के समान महत्व की मांग करता है, और न ही

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, एक को दूसरे पर श्रेष्ठता देना असंभव है। यह निवेदन नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधानों में अनुच्छेद 101 या 102 किसी भी तरह से अनुच्छेद 194 (3) के दायरे को प्रतिबंधित करता है। वहाँ

उनके ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि अयोग्यता और निष्कासन दोनों के परिणामस्वरूप एक सीट खाली हो जाती है, लेकिन एक तरह से एक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 325

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा

जो दूसरे के दायरे को सीमित करता है। सदन के भीतर काम करने के लिए अयोग्य पाए जाने पर निष्कासन किसी भी तरह से उन योग्यताओं को प्रभावित नहीं करता है जिन्हें एक सदस्य को पूरा

करना चाहिए, और बाद वाले के निष्कासन को प्रभावित करने का कोई कारण नहीं है। दोनों प्रावधान काफी सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं। वहाँ

दोनों के बीच कोई विसंगति नहीं है। न ही इस दावे का समर्थन करने का कोई कारण है कि अनुच्छेद 101 और 102 के तहत प्रावधान संपूर्ण हैं और इस कारण से, अनुच्छेद 105 (3) को निष्कासन की शक्ति को शामिल नहीं करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, एक सीट की रिक्ति के कारण के रूप में मृत्यु का भी उल्लेख नहीं किया गया है

प्रासंगिक प्रावधान। इसी तरह, निष्कासन का होना आवश्यक नहीं है उल्लिखित है, यदि कोई अन्य संवैधानिक प्रावधान मौजूद है जो प्रदान करता है

ऐसी शक्ति। यह स्पष्ट है कि निष्कासन के बाद सदस्य की सीट खाली हो जाती है और इसलिए इस प्रावधान की कोई विशिष्ट मान्यता आवश्यक नहीं है।

रिक्ति से संबंधित प्रावधान के भीतर। अतः निष्कासन की शक्ति को इन प्रावधानों के साथ असंगत नहीं माना जा सकता है।

[पैरा 144] [420-ई-एच, 421-ए]

10.3 . याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि

अनुच्छेद 101 और 102 की समाप्ति के संबंध में संपूर्ण हैं -

सदस्यता लें। इसलिए निष्कासन की शक्ति को असंगत नहीं कहा जा सकता है।

इन प्रावधानों के साथ। [पैरा 146] [421-ई]

10.4 . अयोग्यता और निष्कासन दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।

पूरी तरह से, और इसके तहत निष्कासित करने की संसद की शक्ति को मान्यता देना

अनुच्छेद 105 (3) किसी भी तरह से एक नया आधार जोड़ने के बराबर नहीं है

अयोग्यता। [पैरा 147] [421-जी]

10.5 . अनुच्छेद 105 (3) स्वयं एक परिभाषित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

शक्तियाँ और विशेषाधिकार और इस स्थिति को आगे बढ़ाते हुए कि सभी विशेषाधिकार जब तक ऐसा कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक हाउस ऑफ कॉमन्स संसद में निहित रहता है।

अनुच्छेद 327 चुनाव के रूप में सदन के संविधान से संबंधित है।

मामले आदि संबंधित हैं। यह विशेषाधिकारों का उल्लेख नहीं करता है कि संसद

आनंद लेते हैं। इस प्रकार, निष्कासन की शक्ति को उपरोक्त में से किसी द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है।

संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान। [पैरा 148 और 149] [422-बी-सी]

यशवंत राव मेघवाले बनाम। मध्य प्रदेश विधानसभा,

आकाशवाणी (1967) एम. पी. 95; हरद्वारी लाल आई. एल. आर. (1977) 2 पी. एंड एच. 269 (एफ. बी.); के.

अनबाझगन बनाम। टी. एन. विधान सभा, ए. आई. आर. (1988) मैड। 275 और श्रीकांत

वी. वसंतराव, [2006] 2 एस. सी. सी. 682 का उल्लेख किया गया है।

आर्मस्ट्रांग बनाम। बड, (1969) 71 एस. आर. 386 (एन. एस. डब्ल्यू.), संदर्भित।

[2007] 1 एस सी आर।

11.1 . वर्तमान मामले में, जहां एक वैध निष्कासन है,

सदस्य यह दावा नहीं कर सकते कि सदन के वेतन और अवधि से संबंधित प्रावधान सदस्यों के लिए ऐसे अधिकार पैदा करते हैं जो सदन के निष्कासन की शक्ति पर सर्वोच्च होंगे। पैरा 154] [423-एफ]

11.2 . जहाँ तक सदन की अवधि के लिए प्रावधान है

संबंधित, एक सदन की सामान्य अवधि पाँच वर्ष होनी चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि यह सदस्यों को पांच साल के कार्यकाल की गारंटी देता है। उत्तरदाताओं ने सही ढंग से बताया है कि एक सदस्य विभिन्न परिस्थितियों में पूरे पांच साल के कार्यकाल का आनंद नहीं लेता है; उदाहरण के लिए-जब वह मध्य कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जब सदन का

कार्यकाल भंग हो जाता है, जब सदस्य अयोग्य हो जाता है या सीट खाली हो जाती है। के. अनन्दन नाम्बियार में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, के. अनबाझगन में इस संबंध में एक सही दृष्टिकोण लिया गया है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित प्रावधान वास्तव में सदस्यों के संबंध में अधिकार पैदा करने के लिए थे, तो उपरोक्त स्थितियों में से प्रत्येक को उनके उल्लंघन के लिए चुनौती दी जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से संविधान का उद्देश्य नहीं है। निष्कासन किसी सदस्य के कार्यकाल को छोटा करने का केवल एक अतिरिक्त कारण है। [पैरा 156] [424-ए-सीजे

11.3 . इसके अलावा, जहां तक वेतन से संबंधित प्रावधान का संबंध है

सदस्य चिंतित हैं, यह दावा करना काफी बेतुका है कि क्योंकि संविधान में वेतन का प्रावधान है, इसलिए सदन को निष्कासित करने की शक्ति है इसे अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि परिणाम यह होगा कि सदस्य को अब भुगतान नहीं किया जाएगा। वेतन स्पष्ट रूप से सदस्यता पर निर्भर है, और सदस्यता की निरंतरता पूरी तरह से एक स्वतंत्र मामला है। सदस्यता की समाप्ति कई कारणों से हो सकती है और यह किसी भी बिंदु पर इस तथ्य से नियंत्रित नहीं है कि किसी सदस्य को वेतन का भुगतान करने की आवश्यकता है। [पैरा 157] [424-डी-ई]

11.4 . इस प्रकार, प्रावधान निष्कासन की शक्ति को नकारते नहीं हैं

सदन, और सदन की निष्कासन की शक्ति और उक्त प्रावधानों के बीच कोई विसंगति नहीं है। [पैरा 158] [424-एफ]

11.5 . जबकि यह सच है कि मतदान करने और प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है

हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग, यह याद रखना चाहिए कि यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। मतदान करने और प्रतिनिधित्व पाने के अधिकार की कुछ सीमाएँ हैं। उदाहरण के लिए, एक नागरिक वोट देने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जिसे कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है या राजा राम पाल बनाम होने का अधिकार है।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 327

एक उम्मीदवार द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जिसे वह वोट देता है, भले ही वह चुनाव जीतने में विफल रहे। इसी तरह, निष्कासन एक और ऐसा प्रावधान है। निष्कासन सदस्य के उस आचरण से संबंधित है जो सदन की गरिमा को कम करता है, जो चुनाव के समय आवश्यक रूप से ज्ञात नहीं था। यह सदन की एक मनमौजी कवायद नहीं है, बल्कि देश के लोगों के सामने अपनी

गरिमा की रक्षा करने के लिए एक कार्रवाई है। यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का भी एक अभिन्न पहलू है। निष्कासन की शक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत नहीं है। बल्कि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गारंटी का हिस्सा है। इसके अलावा, निष्कासन किसी एक व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है। यह निर्णय लिया गया है

देश के बाकी हिस्सों के प्रतिनिधि। अंत में, की शक्ति

निष्कासन किसी सदस्य को फिर से चुनाव लड़ने या निर्वाचन क्षेत्र को उस सदस्य को फिर से चुनने से नहीं रोकता है। इस प्रकार, निष्कासन की शक्ति निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार या किसी अन्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है। [पैरा 161 और 162] [425-बी-एफ]

11.6 . अनुच्छेद 105 (3) अपने आप में एक संवैधानिक प्रावधान है और प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाना आवश्यक है कि अन्य प्रावधानों के साथ टकराव से बचा जा सके। जहां कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान है जो लागू पाए जाने पर इन मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रभाव डाल सकता है, वहां अनुच्छेद 19 (6) के संदर्भ में कानून पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद 102 में प्रावधान है कि जो सदस्य अस्वस्थ दिमाग के हैं या जो सक्षम अदालतों द्वारा घोषित किए गए दिवालिया हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। इन आधारों का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में नहीं किया गया है। हालांकि यह प्रावधान होगा

अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत अधिकारों में कटौती के प्रभाव से, इस बात में संदेह है कि यह कभी भी तर्क दिया जा सकता है कि सार्वजनिक हित में बनाई गई एक विशिष्ट कानून

आवश्यकता है। इसी तरह, यदि अनुच्छेद 105 (3) निष्कासन की शक्ति प्रदान करता है (हालांकि इतना स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है), तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वजनिक हित में एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता है। सिर्फ इसलिए कि संसद को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, यह कहने का कोई कारण नहीं है कि एक कानून को अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए, जबकि संविधान स्वयं यह प्रावधान करता है कि सभी

हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ तब तक निहित रहती हैं जब तक कि ऐसा कानून नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 19 (1) (जी) अनुच्छेद 105 (3) के तहत निष्कासन की शक्ति को पढ़ने से नहीं रोक सकता है। [पैरा 165] [426-बी-ई]

11.7 . जहां तक अनुच्छेद 21 का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' में विशेषाधिकार समिति आदि से संबंधित नियम शामिल हैं, जिनका पालन नहीं किया गया और इस प्रकार अधिकार का उल्लंघन किया गया।

यह अनुच्छेद 105 (3) में निष्कासित करने की शक्ति को पढ़ने से नहीं रोकता है।

328 यह कहना संभव नहीं है कि क्योंकि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की आवश्यकता है, यह निष्कासन की शक्ति को पूरी तरह से रोक देगा और निष्कासन का प्रत्येक कार्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत होगा। क्या ऐसा दावा प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर बनाए रखने योग्य है

कुछ ऐसा जिस पर न्यायिक समीक्षा का प्रश्न उठाए जाने पर विचार करना होगा। इस स्तर पर, हालांकि, की शक्ति पर एक पूर्ण प्रतिबंध अनुच्छेद 21 के आधार पर निष्कासन को संवैधानिक प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका आदेश की वैधता पर असर पड़ सकता है। लेकिन, यह निष्कासन की शक्ति को नकार नहीं सकता है। [पैरा 166] [426-एफ-एच]

11.8 . निष्कासन की शक्ति किसी के साथ संघर्ष में नहीं आती है

इस आधार पर संवैधानिक प्रावधानों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

[पैरा 167] [427-ए]

श्रीकांत वी. वसंतराव, [2006] 2 एस. सी. सी. 682 और कुलदिप नायर बनाम। संघ

भारत का, [2006] 7 एस. सी. सी. 1, पर निर्भर था।

के. अनबाझगन बनाम। टी. एन. विधान सभा, ए. आई. आर. (1988) मैड। 275 और

के. आनंदन नांबियार बनाम मुख्य सचिव, मद्रास राज्य, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 657 का उल्लेख किया गया है।

12.1 . भारत में न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल दावा कर सकते हैं।

यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किए गए तरीके से अपने स्वयं के संविधान को प्रदान करने या विनियमित करने की शक्ति। संविधान में कहीं और किए गए विस्तृत

प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह शक्ति नहीं हो सकती है अनुच्छेद 105 (3) या 294 (3) के माध्यम से समान या कम से कम सभी का दावा किया जाए। [पैरा 188] [431-जी-एच]

12.2 . हालांकि मैटलैंड दूसरे के साथ निष्कासन पर भी चर्चा करता है।

सदन की अपनी संरचना निर्धारित करने के विशेषाधिकार के घटक तत्व, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि प्रोफेसर मैटलैंड द्वारा इस व्याख्या से पता चलता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा निष्कासन की शक्ति का दावा किया गया था, यह अपनी संरचना को नियंत्रित करने के लिए अपने मूल विशेषाधिकार का केवल एक हिस्सा और अंश था। [पैरा 217] [441-बी-सी]

12.3 . वेड और फिलिप्स ने निष्कासन के विषय का इलाज किया है

अलग-अलग कोण, आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि यह शक्ति हमेशा अकेले आत्म रचना की शक्ति के लिए पता लगाने योग्य होगी। दुराचार के लिए दोषसिद्धि के कारण निष्कासन अनुशासनात्मक नियंत्रण आर. ए. जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. बनाम को संदर्भित करता है।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा 329

और इसलिए दंडात्मक अधिकारिता का हिस्सा जो निस्संदेह अपने स्वयं के संविधान का प्रावधान करने की सदन की शक्ति से अलग है।

[पैरा 220] [442-सी]

12.4 . याचिकाकर्ता यह इंगित करना चाहते हैं कि एक सदस्य का निष्कासन है

हाउस ऑफ कॉमन्स की दंडात्मक शक्तियों में शामिल नहीं है। लेखक द्वारा इस संबंध में चूक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि निष्कासन सदन में किसी सदस्य के खिलाफ उपलब्ध प्रतिबंधों में से एक नहीं था, जो इस विषय पर अन्य अधिकारियों की तरह इसके अनुशासनात्मक नियंत्रण के हिस्से के रूप में था।

इसे ऐसा होने के लिए प्रदर्शित करें। [पैरा 222] [442-एफ-जी]

12.5 . यह स्पष्ट है कि ई. डब्ल्यू. रिज, हालांकि की शक्ति का उल्लेख करते हुए

"अपनी उचित संरचना के लिए प्रावधान करने का अधिकार" शीर्षक के तहत निष्कासन, इसे अपनी संरचना के लिए प्रावधान करने के अधिकार से प्राप्त शक्ति के रूप में प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन विस्तार से उन मामलों को संदर्भित करता है जहां हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा निष्कासन की शक्ति का उपयोग आपराधिक आचरण, घोर दुराचार और यहां तक कि अवमानना के मामलों में किया गया था। इस निष्कर्ष की सदस्यता लेना मुश्किल है कि कटकों के अनुसार निष्कासन की शक्ति है

केवल आत्म रचना के विशेषाधिकार के लिए पता लगाया जा सकता है। [पैरा 224] [442-डी-ई]

12.6 . यह नहीं कहा जा सकता है कि निष्कासन की शक्ति का स्रोत

इंग्लैंड को अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने का विशेषाधिकार था या कि शक्ति का स्रोत एकल और अविभाज्य है और स्वतंत्र या अंतर्निहित दंडात्मक शक्ति जैसे किसी अन्य स्रोत से इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। अपने विशेषाधिकारों को लागू करने का अधिकार या तो जुर्माना लगाकर या जेल की प्रतिबद्धता से (दोनों के लिए सजा दी जा सकती है)

सदन के सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों के खिलाफ) या निष्कासन द्वारा

(केवल सदस्यों के मामले में संभव) किसी अन्य विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग और स्वतंत्र शक्ति या विशेषाधिकार है। ऐसे विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करके उसके खिलाफ विशेषाधिकार लागू करना।

हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति को व्यक्त करने का एक तरीका नहीं है

विशेषाधिकार हनन या सदन से निष्कासित करके अवमानना के लिए सदस्य। निष्कासन स्वयं सदन से संबंधित है क्योंकि निष्कासन की सजा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है जो सदन का सदस्य नहीं है। एक आवश्यक और प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, किसी सदस्य के निष्कासन से सदन की संरचना प्रभावित हो सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका मतलब है कि निष्कासन की शक्ति का प्रयोग केवल एक दृष्टिकोण के साथ किया जाता है, या [2007] 1 एस. सी. आर. के लिए।

सदन की संरचना को विनियमित करने का उद्देश्य। जैसा कि मई (20 वें संस्करण में) में उल्लेख किया गया है, कॉमन्स के विशेषाधिकार का प्रयोग करने के तीन तरीकों में से एक निस्संदेह, कुछ परिस्थितियों में, सदन के किसी सदस्य को निष्कासित करके व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सदन के कदाचार या अवमानना के लिए सजा के माध्यम से किसी सदस्य को निष्कासित करने के विशेषाधिकार का अस्तित्व और प्रयोग शासित है।

बाहर निकलें। हाउस ऑफ कॉमन्स की स्व-संरचना की शक्ति भौतिक रूप से अलग है और उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए है जिनके लिए सदन को उच्च दुराचार के कार्यों के लिए अपने सदस्यों को निष्कासित करने का सहारा लेने की क्षमता है। पूर्व शक्ति का अस्तित्व जिस पर हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा निष्कासन का आदेश दिया जा सकता है, स्वयं किसी सदस्य को निष्कासित करके दंडित करने की सदन की स्वतंत्र शक्ति को बाहर या निरस्त नहीं कर सकता है, एक ऐसी सजा जो किसी गैर-सदस्य को नहीं दी जा सकती है। [पैरा 233,234 और 235] [447-सी-एच, 448-ए-बी]

12.7 . निष्कासन को न्यायसंगत रूप से एक उदाहरण के रूप में माना जा रहा है

मई तक अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार का मतलब यह नहीं है कि निष्कासित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने के विशेषाधिकार से प्राप्त है या कि अपने स्वयं के संविधान के लिए प्रावधान करने के विशेषाधिकार के बिना, सदन किसी सदस्य को निष्कासित नहीं कर सकता है। बाद वाला दृष्टिकोण इस स्थापित स्थिति के विपरीत होगा कि सदन को अपने विशेषाधिकार के हिस्से के रूप में पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार है।

इसकी कार्यवाहियों में किसी सदस्य को निष्कासन द्वारा दंडित करने का अधिकार शामिल है जो अपने आचरण से संसद के कामकाज के उचित संचालन में हस्तक्षेप करता है। [पैरा 236] [447-सी-डी]

अंसन: ' संविधान का कानून और प्रथा '[पाँचवाँ संस्करण]

(1922) , खंड I, अध्याय IV]; इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून का पैरा 1019; प्रोफेसर एफ. डब्ल्यू. मैटलैंड: "इंग्लैंड का संवैधानिक इतिहास" (पहला

संस्करण 1908, पुनर्मुद्रित 1941); प्रोफेसर वेड और फिलिप्स: " संवैधानिक कानून "(सातवां संस्करण); प्रोफेसर कीर और लॉसन:" संवैधानिक कानून (पाँचवाँ संस्करण) और ई. डब्ल्यू. रिज में मामले:

" संवैधानिक कानून "(आठवां संस्करण, पी। 65), संदर्भित।

13.1 . उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में न्यायालय की राय में, विधानसभाएँ

भारत में अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। यह समान रूप से स्पष्ट है कि जबकि तथ्य यह है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को जारी करने की शक्ति प्राप्त थी

अभिलेख न्यायालय की अपनी क्षमता में गैर-बोलने वाले वारंट एक चिंता का विषय था,

जिस बात ने वास्तव में न्यायालय को चिंतित किया वह स्वयं शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि राजा राम पाल बनाम।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 331

जहां तक यह सीधे तौर पर संविधान की उस योजना के साथ टकराव में था जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति की गारंटी दी गई थी, वहां तक कि बिना बोले वारंट जारी करने की शक्ति की 'न्यायिक' प्रकृति अधिकार न्यायालयों में निहित है। यह अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं थी जिसके बारे में न्यायालय को आपत्ति थी। बल्कि, उपरोक्त उद्धृत अंश

यह दर्शाता है कि ऐसी शक्ति को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह मुद्दा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में विधायिका द्वारा जारी वारंट की गैर-समीक्षा से संबंधित था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले और वर्तमान विधानसभा के मामले में कई अंतर हैं। पूर्व मामले में पूरा विवाद एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में सदन के विशेषाधिकारों के इर्द-गिर्द घूमता था, जो सदन के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय आंतरिक कार्यवाही से नहीं निपट रहा था, न ही सदन के सदस्यों के संबंध में कानून निर्धारित कर रहा था।

[पारस 266 और 267] [459-एच 460-ए-डी]

13.2 . यूपी विधानसभा के मामले का अनुपात, जिसके तहत निर्णय लिया गया था

महत्वपूर्ण रूप से अलग परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियां भारतीय संसद के लिए अनुपलब्ध हैं, जिसमें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। [पैरा 268] [461-ए-बी]

13.3 . यह न्यायालय इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि

भारतीय विधानसभाओं को अवमानना के लिए दंड देने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि वे अभिलेख न्यायालय नहीं हैं। हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक बहुत व्यापक शक्ति है, जिसमें शामिल हैं -

कई अन्य शक्तियाँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में उस शक्ति के केवल एक पहलू की जांच की गई-बिना बोले वारंट जारी करना-और यह माना गया कि हमारे संविधान के तहत ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं है। यह न्यायालय वर्तमान में जिन मामलों की जांच कर रहा है, वह इस व्यापक अवमानना शक्ति का एक और पहलू है-एक मौजूदा सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति। जबकि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को पूरी तरह से यूपी विधानसभा में निर्णय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, यह न्यायालय समग्र रूप से अवमानना के लिए दंडित करने की व्यापक शक्ति की वैधता पर फैसला देने का इरादा नहीं रखता है। इसके विभिन्न तत्व

व्यापक अवमानना शक्ति का निर्णय उचित मामले में वैधता की स्वतंत्र जांच पर करना होगा। यह न्यायालय किसी सदस्य द्वारा की गई अवमानना के लिए उसे निष्कासित करने की शक्ति तक ही सीमित रहेगा। लेकिन पता चला है कि

अनुच्छेद 105 (3) में अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, उसी प्रावधान के माध्यम से निष्कासन की शक्ति प्राप्त करना संभव है। [पैरा 272] [463-बी-ई] [2007] 1 एस. सी. आर.

13.4 . इस दलील का कोई विरोध नहीं है कि सदन

वास्तव में संविधान के प्रारंभ में कॉमन्स को निष्कासन की शक्ति प्राप्त थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा भी कई उदाहरण उद्धृत किए गए हैं, जिनमें संविधान के प्रारंभ के समय के आसपास की घटनाएँ भी शामिल हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करने के लिए, होरेशियो बॉटमली नामक सदस्य के मामले पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसे 1922 में निष्कासित कर दिया गया था।

संपत्ति के धोखाधड़ी से रूपांतरण के लिए दोषी ठहराया गया; गैरी अलिघन का मामला,

1947 में सदन के सदस्यों पर असंवेदनशीलता और सूचना के लिए शुल्क या रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले एक लेख के प्रकाशन के बाद सदन की घोर अवमानना के लिए निष्कासित कर

दिया गया; और, पीटर बेकर के मामले को 1954 में दोषी ठहराए जाने और जालसाजी के लिए सजा सुनाए जाने के बाद सदन से निष्कासित कर दिया गया। यद्यपि इसके उदाहरण इस शताब्दी में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा निष्कासन कम हैं, हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक समय संविधान के प्रारंभ की तारीख है। 1947 और 1954 में होने वाले अंतिम दो मामले स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि निष्कासित करने की शक्ति वास्तव में हमारे संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स का एक विशेषाधिकार था। इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से, शक्ति

निष्कासन को अनुच्छेद 105 (3) के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है। जैसा कि पहले से ही माना जाता है कि यह शक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है।

[पैरा 273 और 274] [463-एफ-एच, 464-ए-बी]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एस. सी. आर. 413 (उत्तर प्रदेश विधानसभा)

मामला; एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1959] पूरक 1 एससीआर 806; एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1961] 1 एस. सी. आर. 96; यशवंत राव बनाम। एम. पी. विधान सभा ए. आई. आर. (1967) एम. पी. 95; हरद्वारी लाल बनाम। भारत निर्वाचन आयोग आदि। आई. एल. आर. (1977) पी एंड एच 269; के. अनबाझगन बनाम। तमिलनाडु विधान सभा, ए. आई. आर. (1988) मद 275 और कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ, [1977] 4 एस. सी. सी. 608, संदर्भित।

डिल वी. मर्फी, 1864 (15) ई. आर. 784; फील्डिंग बनाम। थॉमस, [1896] एसी

600 ; केली वी। कार्सन, [1842] 4 मू। पी. सी. 63; फेंटन बनाम। हैम्पटन (1858) 11 एमओओ पीसीसी 347; डॉयल बनाम। फाल्कनर, [1865-67] LR 1 PC 328; बार्टन v. टेलर, [1886] 11 ऐप मामले 197 और मार्शल बनाम। गॉर्डन, 243 यू. एस. 521,541 [1917], संदर्भित।

14. यह कहना स्वयंसिद्ध है कि निष्कासन हमेशा एक के संबंध में होता है

सदस्य। साथ ही, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एक सदस्य सदन का हिस्सा है जिसके कारण उसके आचरण का हमेशा सदन की धारणा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी भी विधायी निकाय को इसके माध्यम से कार्य करना चाहिए

सदस्यों और सदस्यों के आचरण और राजा राम पाल बनाम के बीच संबंध।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा

333

सदन की धारणा मजबूत है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भले ही

संसद के पास अवमानना के लिए दंडित करने की केवल सीमित उपचारात्मक शक्ति थी, निष्कासित करने की शक्ति ऐसी उपचारात्मक अवमानना शक्ति की सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से होगी। भारत में विधानमंडलों की स्थापना का कोई कारण नहीं है

संविधान, अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद सहित, होना चाहिए

अवमानना की उपचारात्मक शक्ति से उत्पन्न निष्कासन की शक्ति के दावे को अस्वीकार कर दिया। [पैरा 290 और 291] [469-एच, 470-ए-बी]

हार्टनेट वी. क्रिक, [1908] एसी 470, का उल्लेख किया गया है।

15. संविधान के अनुच्छेद 105 (3) की व्याख्या को देखते हुए,

इस प्रश्न का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है कि किसी सदस्य के निष्कासन द्वारा अवमानना के लिए दंडित करने की सदन की शक्ति के अलावा, शक्ति के एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में 'आवश्यकता' उपलब्ध है या नहीं।

[पैरा 293] [470-ई]

16. ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से संसद के लिए है।

यदि सलाह दी जाए तो विचार और जांच करना। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, चूंकि भारत में संसद के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने वाला कोई कानून नहीं है,

ऑस्ट्रेलियाई कानून के आधार पर कुछ भी नहीं होता है।

[पैरा 297] [472-ए]

ओजर के "ऑस्ट्रेलियाई सीनेट अभ्यास" का उल्लेख किया गया है।

17. मई में संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई राय

1981 , या दिसंबर 1978 में उस मामले के लिए, जैसा कि वास्तव में जून 1951 में था, केवल विशेषाधिकारों के कानून के बारे में उनकी संबंधित समझ का प्रतिनिधित्व करता है। ये विचार अनुच्छेद 105 (3) के दूसरे भाग के तहत अपनी सक्षम शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा इस विषय पर कानून नहीं हैं। यह नहीं हो सकता।

यह कहा जा सकता है कि 1951 में मुद्गल के निष्कासन के मामले को देखते हुए कि भारत में संसदीय प्रथा अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए निष्कासन की मंजूरी के पूरी तरह से खिलाफ है। इस सवाल पर कि निष्कासन की शक्ति मौजूद है या नहीं, संसद में सदस्यों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। ये विचार होने लायक हैं लेकिन इस सवाल पर कि क्या निष्कासन की शक्ति मौजूद है, यह संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या का विषय है, विशेष रूप से अनुच्छेद 105 (3) और अनुच्छेद 194 (3), जिस पर अंतिम मध्यस्थ यह न्यायालय है, न कि संसद। [पैरा 313 और 314] [481-सी-ई]

हरद्वारी लाल, आई. एल. आर. (1977) 2 पी एंड एच 269, का उल्लेख किया गया है।

सुभाष सी. कश्यपः ' संसदीय प्रक्रिया '(खण्ड। 2, पृ. 1657) और

' कौल और शकदर द्वारा लिखित 'संसद का अभ्यास और प्रक्रिया' (5 वीं संस्करण) पृष्ठ 262, संदर्भित।

18. यूपी विधानसभा के मामले में इस अदालत की टिप्पणी,

मई के संसदीय अभ्यास के अधिकार पर इंग्लैंड में कानून और व्यवहार की स्थिति की व्याख्या करना, विशेषाधिकारों के विधायिका द्वारा प्रवर्तन को संदर्भित करता है जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता दी गई थी। इन मामलों में विचाराधीन प्रश्न पर अवलोकन की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि इंग्लैंड में अनन्य संज्ञान का कानून भारत में लागू नहीं होता है जो भारत के संविधान द्वारा शासित और बाध्य है। [पैरा 330] [486-ई-एफ]

एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1959] पूरक (1) एससीआर 806;

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, [1975] सप एस. सी. सी. 1 और पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम। राज्य, (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) [1998] 4 एस. सी. सी. 626, संदर्भित।

शाफ्ट्सबरी के अर्ल (86 ई. आर. 792); एशबी वी। सफेद, [1703-04] 92 ई. आर. 129 ; आर. वी. पैटी (1704) 92 ई. आर. 232; मर्रे का मामला (95 ई. आर. 629); पीतल क्रॉस्बी का मामला (95 ई. आर. 1005); सर फ्रांसिस बर्डेट का मामला (104 ई. आर. 501) ; स्टॉकडेल के मामले (1836-37), हावर्ड बनाम। सर विलियम गोसेट (116 ई. आर. 139) और ब्रैडलॉफ बनाम। गोसेट, (1884) एल. आर. 12 क्यू. बी. डी. 271, संदर्भित को।

19. इस अदालत ने यूपी के मामले में क्या करने के लिए "जानबूझकर छोड़ दिया" विधानसभा विधानमंडल की अवमानना क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं पर विचार कर रही थी। विधानसभा की शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के तरीके के संदर्भ में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की प्रयोज्यता के बारे में व्यक्त किए गए विचार सामान्य महत्व के हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे न केवल एक गैर-सदस्य के खिलाफ अच्छा मानेंगे जैसा कि उस संदर्भ में मामला था, बल्कि विधानमंडल के एक सदस्य के खिलाफ भी जो इस देश का नागरिक भी है और समान मौलिक अधिकारों के संरक्षण का हकदार है, विशेष रूप से जब विवादित कार्रवाई के नागरिक परिणाम होते हैं। [पैरा 349] [495-सी-एफ]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एससीआर 413 (यूपी विधानसभा) मामला) और एम. एस. एम. शर्मा बनाम। श्री कृष्ण सिन्हा, [1959] पूरक 1 एससीआर 806, का उल्लेख किया गया है।

न्यू ब्रंसविक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बनाम। नोवा स्कोटिया स्पीकर, राजा राम पाल बनाम।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 335

[1993] 1 एससीआर 391; हार्वे बनाम। न्यू ब्रंसविक, [1996] 2 एससीआर 876 और हाउस ऑफ कॉमन्स v. वैद, (2005) 1 एस. सी. आर. 667, संदर्भित।

20. पंडित शर्मा के दो मामलों और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में, यह माना जाता है कि भारत संघ की ओर से व्यापक तर्क कि संसदीय विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ निर्णय लेना सही नहीं है। पंडित शर्मा के मामले में बिहार विधान सभा द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार के प्रयोग के तरीके को "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के खिलाफ और इस प्रकार अनुच्छेद 21 की कसौटी पर परखा गया था। यह एक अलग बात है कि अनुच्छेद 21 की आवश्यकताएं, जैसा कि उस समय इसके प्रतिबंधात्मक अर्थ में समझी जाती थीं, पूरी की गई थीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 21 लागू पाया गया था और विधायिका की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया था। इस दृष्टिकोण का पालन यूपी विधानसभा के मामले में किया गया था जिसने अनुच्छेद 20 की प्रवर्तनीयता को मैदान में डाल दिया था। [पैरा 350] [495-एफ-एच]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1,] 1965] 1 एससीआर 413 (यूपी विधानसभा मामला); एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1959] पूरक 1 एससीआर 806 और एम. एस. एम. शर्मा बनाम। श्री कृष्ण सिन्हा, [1961] 1 एस. सी. आर. 96, संदर्भित।

21.1 . संसदीय विशेषाधिकार के प्रयोग के तरीके के संबंध में अनुच्छेद 21 की प्रवर्तनीयता, जैसा कि पंडित शर्मा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामलों में पुष्टि की गई है, को उक्त मौलिक अधिकार के विस्तारित दायरे के आलोक में समझना होगा। [पैरा 352] [497-एच, 498-ए]

21.2 . यह याद रखना चाहिए कि शक्तियों की प्रचुरता

लिखित संविधान के तहत संसद के पास विधायी क्षमता और मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध हैं।

21.3 . यदि ऐसा था, तो किसी भी कारण को समझना मुश्किल है कि सामान्य प्रस्ताव कि मौलिक अधिकारों को संबंधित मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। संसदीय विशेषाधिकारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि सदस्य, या वास्तव में एक गैर-सदस्य, का हकदार नहीं होना चाहिए

अनुच्छेद 21 या उस मामले के लिए अनुच्छेद 20 का संरक्षण, यदि संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग [2007] 1 एस. सी. आर. के अलावा किसी अन्य मंजूरी पर विचार करता है।

336

प्रतिबद्ध। [पैरा 354] [498-सी]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एस. सी. आर. 413 (उत्तर प्रदेश विधानसभा)

मामला); एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1959] पूरक 1 एससीआर 806; एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1961] 1 एससीआर 96; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, [1950] एस. सी. आर. 88; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ, [1970] 1 एस. सी. सी. 248 और अशोक कुमार गुप्ता बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [1997] 5 एस. सी. सी. 201, संदर्भित।

22. अंतिमता खंडों के अस्तित्व के बावजूद, यह न्यायालय

जब भी और जहां भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, उसने न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 (3) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के प्रश्न का निर्धारण करते समय, या भारत के राष्ट्रपति (या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो) अनुच्छेद 311 (3) के तहत निर्णय लेते समय सामान्य रूप से अनिवार्य को समाप्त करने के लिए

किसी लोक सेवक को बर्खास्त करने या हटाने से पहले की जांच, या उस मामले के लिए अध्यक्ष (या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत अयोग्यता के सवाल का फैसला करना संवैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसी अधिकारिता के लिए सौंपे गए अधिकारियों के रूप में कार्य कर सकता है। फिर भी, जिस तरह से उन्होंने उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, वह पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे नहीं है। दसवीं अनुसूची के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष के मामले में, उनके समक्ष कार्यवाही को दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (2) द्वारा अनुच्छेद 122 के अर्थ के भीतर संसद में कार्यवाही घोषित किया जाता है। फिर भी, उक्त अधिकार क्षेत्र को गैर-न्यायसंगत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इस दृष्टिकोण से, इस प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं है कि अनुच्छेद 105 (3) से संबंधित संसदीय कार्यवाही के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा उपलब्ध है। यह एक अलग मामला है कि ऐसी कार्यवाही की न्यायिक जांच को कौन से मापदंडों, यदि कोई हों, को विनियमित या नियंत्रित करना चाहिए। [पैरा 374] [510-बी-डी]

उप-न्यायिक जवाबदेही समिति v. भारत संघ, [1991]

4 एस. सी. सी. 699; भारत संघ बनाम। ज्योति प्रकाश मित्तर, [1971] 1 एस. सी. सी. 396; भारत संघ बनाम। तुलसीराम पटेल, [1985] 3 एस. सी. सी. 398; किहोतो होलोहन

बनाम। ज़चिल्लू, [1992] सप 2 एस. सी. सी. 651 और एक्सप्रेस न्यूजपेपर (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. (1958) एस. सी. 578 का उल्लेख किया गया है।

ऑस्ट्रेलियन बूट ट्रेड एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाम व्हायब्रो एंड कंपनी,

(1910) 10 सी. एल. आर. 266, संदर्भित।

राजा राम पाल बनाम। सम्मानित वक्ता, लोक सभा 337

23. इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में अदालत के समक्ष प्रश्न

अनिवार्य रूप से संसद के सत्र की वैधता से संबंधित था जो

संविधान संशोधन उपाय पारित किया। न्यायालय की चिंता में विधायी निकाय के अधिनियम की वैधता शामिल नहीं थी। जहाँ तक पंडित शर्मा के मामले में धारणा के आधार पर विचारों का संबंध है, यह पहले से ही है

यह देखा गया कि न्यायालय के लिए इस बात पर विचार करना जल्दबाजी होगी कि क्या किसी अवैधता ने विधान सभा की प्रक्रिया को दूषित किया है। [पैरा 381] [513-सी]

तेज किरण जैन बनाम। एन. संजीव रेड्डी, [1970] 2 एससीसी 272 और इंदिरा

नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण, [1975] पूरक। एस. सी. सी. 1, संदर्भित।

24. अनुच्छेद 122 (1) को वैधता के दोहरे परीक्षण पर विचार करने के लिए पाया जाना चाहिए।

और संसद की चारदीवारी के भीतर किसी भी कार्यवाही के लिए संवैधानिकता। यह तथ्य कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मामला अपनी चार दीवारों से परे सदन की शक्ति के प्रयोग से संबंधित है, इस दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करता है जो स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करता है जो विशेष रूप से विधायी निकाय की आंतरिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा की सीमा से संबंधित है। इस दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 122 (1) सदन की आंतरिक कार्यवाही के अनन्य संज्ञान के अंग्रेजी सिद्धांत को हटा देता है जो उस अधिकार क्षेत्र में अदालतों से उत्पन्न मामले की कानून को अप्रासंगिक बनाता है। अनुच्छेद 122 में किसी सीमा को पढ़ने का कोई भी प्रयास ताकि असंवैधानिकता के मामले में संसद की प्रक्रिया की जांच के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जा सके, इसके विपरीत

अवैधता संवैधानिक पाठ के साथ हिंसा करने के बराबर होगी। "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" के सिद्धांत को लागू करते हुए (जो कुछ भी शामिल नहीं किया गया है उसे निहितार्थ से बाहर रखा गया है), यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि निषेध

"प्रक्रिया की अनियमितता" की कसौटी पर जांच के खिलाफ अवैधता या असंवैधानिकता के निष्कर्षों पर वर्जित न्यायिक समीक्षा नहीं है।

[पैरा 384]

[514-सी-एफजे

श्रीमती. एस. रामास्वामी बनाम भारत संघ, [1992] पूरक। 1 एससीआर 108,

संदर्भित किया गया।

25. यह हमेशा अपेक्षित है, बल्कि यह एक मामला होना चाहिए

यह धारणा कि संसद हमेशा अपने कार्यों का पालन करेगी और अपनी शक्तियों का उचित तरीके से प्रयोग करेगी। लेकिन साथ ही वहाँ

एक सामान्य नियम के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि विधायिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह न तो पत्र है और न ही हमारे संविधान की भावना है। इस न्यायालय को यह स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं मिलता है कि दायरा [2007] 1 एस. सी. आर.

संसदीय कार्यवाहियों से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा के लिए सीमित और प्रतिबंधित है। वास्तव में यह एक्सप्रेस द्वारा किया गया है

अनुच्छेद 122 (1) में निहित प्रावधान सहित संवैधानिक प्रावधानों में प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन जांच बंद नहीं हो सकती, केवल विशेषाधिकार पर विशेष रूप से जब अन्य संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो। { पैरा 387] [515-एफ-एच]

26. न्यायिक समीक्षा के मानकों का अस्तित्व न होना कोई कारण नहीं है

निष्कर्ष निकालें कि न्यायिक जांच को हटा दिया गया है। यदि न्यायिक समीक्षा के लिए मानक ऐसे मामलों में से जो अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, अब ऐसा करने का समय है। संसद वास्तव में एक समन्वित निकाय है और इसके विचार सम्मान के योग्य हैं, जबकि इसके कार्य न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि इसके कार्यों, विशेष रूप से यहां शामिल प्रकृति का परीक्षण उसी तरह से नहीं किया जाना चाहिए जैसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण किया जाएगा, इस दलील का कोई आधार नहीं है कि एक विधायी निकाय को अधिकार क्षेत्र की त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 389] [516-सी-डी]

27. जबकि यह सहमति है कि संसद के अधिकार की अवमानना कर सकती है

अवमानना या विशेषाधिकार की शक्ति के प्रयोग के तरीके की न्यायिक समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि उक्त अधिकार क्षेत्र को न्यायपालिका द्वारा हड़पा जा रहा है। जैसा कि देखा गया है, अनुच्छेद 122 (1) के संदर्भ में, प्रक्रिया की केवल अनियमितता संसद की कार्यवाही या उसके प्रभाव के लिए चुनौती का आधार नहीं हो सकती है, और जबकि "तर्कहीनता" के तत्व के बारे में वही दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, लेकिन हमारी संवैधानिक योजना में, अवैधता या असंवैधानिकता संसदीय कार्यवाही को नहीं बचाएगी। [पैरा 391] [516-जी-एच, 517-ए]

28. भारत संघ की ओर से यह निवेदन है कि

विचाराधीन कार्यवाहियाँ ऐसी कार्यवाहियाँ थीं जो अनुच्छेद 105 (2) के तहत संरक्षण की हकदार थीं। दूसरे शब्दों में, कार्यवाही के संबंध में, यदि किसी सदस्य को छूट दी जाती है, तो संसद को भी छूट दी जाती है। की क्रियाएँ

संसद, सिवाय इसके कि जब उनका कानून में अनुवाद किया जाता है, अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता है। यह तर्क अनुच्छेद 105 (2) को उसके संदर्भ से परे पढ़ने पर आधारित पाया गया है। उक्त खंड द्वारा किससे प्रतिरक्षित घोषित किया गया है "किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए दायित्व" विधायी निकाय या उसके सदस्यों का कोई या प्रत्येक कार्य नहीं है, बल्कि संसद या किसी समिति में "सदस्यों द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट" के संबंध में केवल मामले हैं।

वहाँ से "। यदि अनुच्छेद 105 (2) को इतने व्यापक रूप से समझा जाता है, तो यह विधायी अधिनियमों को भी न्यायिक दृष्टि से बचाने की प्रवृत्ति रखता है, जो राजा राम पाल बनाम के खिलाफ विद्रोह करेगा।

संवैधानिक प्रावधान। [अनुच्छेद 392 और 393] [517-बी-डी]

29. संसद द्वारा शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग का तरीका केवल अनुच्छेद में इंगित सीमा तक न्यायिक जांच से मुक्त है।

122 (1) , इसका अर्थ यह है कि न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा यदि उसके समक्ष लाई गई शिकायत "प्रक्रिया की अनियमितता" के आरोपों तक ही सीमित है। लेकिन घोर अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में

यह दिखाया गया है कि न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 122 या उस मामले के लिए अनुच्छेद 105 द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं होगी। यदि किसी को 7 वीं लोकसभा द्वारा निष्कासन के प्रस्ताव को रद्द करते समय जो आरोप लगाया गया था उसे स्वीकार करना था

यह निष्कर्ष निकालना कि यह "संसदीय विशेषाधिकार के कानून के स्वीकृत सिद्धांतों और संविधान में निहित सभी लोगों को आश्वासन दिए गए बुनियादी सुरक्षा उपायों के साथ असंगत और उल्लंघनकारी था", यह विशेषाधिकार के प्रयोग के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगी। इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन घटना को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। [पैरा 396] [518-ए-सी]

30. विधायिका में निहित अनन्य संज्ञान की याचिका के समर्थन में उद्धृत कुछ मामलों पर निर्भरता और विशेषाधिकार प्राप्त करने की सीमा तक न्यायिक समीक्षा के प्रतिबंध को अस्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामले को संवैधानिक प्रावधानों और बहसों से समर्थन मिलता है जो दर्शाते हैं कि शक्ति के प्रयोग की वैधता की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है। [पैरा 410] [523-ए-बी]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एस. सी. आर. 413 (यू. पी. विधानसभा मामला) एम. एस. एम. शर्मा बनाम। श्री कृष्ण सिन्हा, [1959] पूरक 1 एससीआर 806;

एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, [1961] 1 एस. सी. आर. 96 बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, [1982] 3 एस. सी. सी. 24; जतिश चंद्र घोष बनाम। हरि साधन मुखर्जी, [1961] 3 एस. सी. आर. 486; के. नागराज बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [1985] 1 एस. सी. सी. 523 और टी. वेंकट रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य, [1985] 3 एस. सी. सी. 198, संदर्भित।

हार्वे वी। न्यू ब्रंसविक, [1996] 2 एससीआर 876, का उल्लेख किया गया है।

31. राजस्थान के मामले में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नौ राज्यों को भेजे गए पत्र से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के दौरान

उन्हें अपने संबंधित राज्यपालों को विधानसभाओं का पालन करने और लोगों से नए सिरे से जनादेश लेने की सलाह देने के लिए कहते हुए, इस अदालत ने कहा कि:

" इस न्यायालय ने अपने संवैधानिक कार्य को कभी नहीं छोड़ा है

संविधान के अधिकार के तहत किए जाने वाले सभी कृत्यों की संवैधानिकता का अंतिम न्यायाधीश।

उक्त संकल्प की पुष्टि की गई है और तथ्यों में इसका कोई कारण नहीं है

और वर्तमान परिस्थितियों में इस न्यायालय को एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि

संवैधानिकता के अंतिम न्यायाधीश के रूप में अपने संवैधानिक कार्यों को त्याग दें

संविधान के अधिकार के तहत किए जाने वाले सभी कृत्यों में से,

हालांकि एक ही समय में उस क्षेत्र में अतिक्रमण करने से बचना जो

यह उचित रूप से संसद का अधिकार क्षेत्र है।

[पैरा 412 और 413] [523-डी-ई, 524-सी]

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, [1977] 3 एस. सी. सी. 592, संदर्भित।

32. जबकि यह सच है कि नियमों के लिए कोई चुनौती नहीं है

लोकसभा में कार्य की प्रक्रिया और संचालन और प्रक्रिया के नियम और राज्यों की परिषद में कार्य संचालन, जैसा कि दोनों द्वारा किया गया है

संसद के सदन अनुच्छेद 118 (1) के तहत सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

कि केवल नियमों की उपलब्धता कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वे विधिवत किए गए हैं पीछा किया। [पैरा 415] [524-एफ]

33. एस. आर. बोम्मई के मामले के समान एक विवाद उत्पन्न हुआ।

रामेश्वर प्रसाद में इस न्यायालय के समक्ष। एक बार फिर उठे सवाल

राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि की वैधता से संबंधित

उद्घोषणा जारी करने के लिए अनुच्छेद 356। निर्णय की भावना का पालन करना

एस. आर. बोम्मई के असाधारण चरित्र के प्रति उचित सम्मान के साथ

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक प्रशासनिक कार्रवाई के बराबर माना जाता है और इसलिए इसकी वैधता

चुनौती के लिए उपलब्ध आधारों को लागू करके जांच नहीं की जा सकती है प्रशासनिक कार्रवाई, इस न्यायालय ने माना कि शक्ति निरपेक्ष नहीं है लेकिन

नियंत्रण और संतुलन और न्यायिक समीक्षा के अधीन। [पैरा 429] [530-सी-डी]

बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम। कंपनी लॉ बोर्ड, एआईआर (1967) एससी 295;

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एस. डी. अग्रवाल, [1969] 1 एससीसी 325; एस. आर. बोम्मई वी. भारत संघ, [1994] 3 एस. सी. सी. 1 और रामेश्वर प्रसाद बनाम। भारत संघ, [2006] 2 एस. सी. सी. 1, संदर्भित।

34. विधायिका पर आम तौर पर कार्रवाई करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

एक बाहरी उद्देश्य या मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित होना। न्यायालय इस तरह के राजा राम पाल बनाम द्वारा अधिकार के दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगा।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 341

निकायों को भी नियुक्त करें क्योंकि भत्ता हमेशा इस तथ्य को दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में विधायिका सबसे अच्छी न्यायाधीश है। [पैरा 434] [534-बी-सी]

35.1 . बयानों को संदर्भ से बाहर पढ़कर इस तरह से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संसद के सदनों के उद्देश्य का श्रेय दिया जाए। द.

12 दिसंबर 2005 को सदन में दिए गए माननीय अध्यक्ष के भाषण का प्रासंगिक हिस्सा भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में निकाला गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह कहने से पहले कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, अध्यक्ष ने सदन के सदस्यों को इस अवसर पर खड़े होने और यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया था कि भविष्य में ऐसी घटना कभी न हो और सराहना की कि "यदि कोई दोषी है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए"। यह स्पष्ट है कि जब उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा तो वह तुरंत यह निर्णय नहीं दे रहे थे कि याचिकाकर्ता दोषी थे। वह केवल प्रसारण में पेश किए गए तथ्यों की पुष्टि करने वाली जांच की स्थिति में उचित कार्रवाई के विषय पर अपनी भावना को व्यक्त कर रहे थे। अपराध का पता बाद में चलेगा। तथ्य यह है कि उसके पास

एक जांच समिति का गठन किया गया जिसमें विपक्ष के दलों के सदस्य भी शामिल होते हैं, बल्कि यह दिखाने के लिए जाता है कि उस स्तर पर संकल्प सच्चाई का पता लगाना था। [पैरा 435] [534-डी-एफ]

35.2 . इन परिस्थितियों में दुर्भावनापूर्ण आरोप को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निष्कासन का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है

उन्हें। अन्यथा भी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दोनों सदनों की संबंधित समितियों के भीतर असहमति अनिवार्य रूप से अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित थी। कुछ कम भी नहीं और कुछ ज्यादा भी नहीं। इसके अलावा, समितियों की रिपोर्टों को संसद के संबंधित सदनों द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, समिति के निर्णय को विधायी कक्ष में विलय कर दिया गया, जो कि सामूहिक निकाय होने के नाते, विशेष रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि विचाराधीन प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मत थे क्योंकि किसी भी स्तर पर कोई मांग नहीं थी, इसके उद्देश्य को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। मत विभाजन के लिए किसी भी भाग से। [पैरा 436] [534-जी-एच, 535-ए]

36. यह न्यायालय यहाँ इस बात से संबंधित नहीं है कि किस प्रकार के वित्तीय या अन्य लाभ, उन व्यक्तियों ने स्टिंग ऑपरेशन की कल्पना की थी या इंजीनियर किया था जिससे सामग्री को सार्वजनिक किया जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डोमेन। यह संसद के सदनों के लिए भी चिंता का विषय नहीं था जब वे मामले की जांच करने लगे जिसके परिणामस्वरूप

अंततः निष्कासन में। एकमात्र प्रश्न जिसकी आवश्यकता थी जांच समितियों और विधायी कक्षों द्वारा संबोधित [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

342

व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा सदन को बदनाम करने के लिए जिम्मेदार कदाचार के मुद्दे के आसपास। [पैरा 438] [535-सी-ई]

37. इस न्यायालय ने पहले ही पाया है कि प्रक्रिया के उद्देश्य

संविधान के उक्त दोनों प्रावधानों में निर्धारित प्रावधान पूरी तरह से अलग हैं। जबकि अनुच्छेद 103 में निर्धारित अयोग्यताओं से संबंधित है अनुच्छेद 102, दसवीं अनुसूची दलबदल के कारण अयोग्यता से संबंधित है। इन प्रावधानों का अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद के सदनों को उपलब्ध विशेषाधिकार के रूप में दावा की गई निष्कासन की शक्ति के प्रयोग के साथ कोई संबंध नहीं है। [पैरा 440] [535-जी-एच]

38. राज्यसभा के दो सदस्यों से संबंधित मामले थे -

नैतिकता समिति को संदर्भित किया गया जो उक्त सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों द्वारा प्रदान किया गया एक तंत्र भी है। हालांकि यह सही है कि लोकसभा के सदस्यों से संबंधित मामलों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित समिति को भेजा गया था, लेकिन इस तथ्य पर कुछ भी नहीं होता है। यह देखा जा सकता है कि विचाराधीन परिस्थितियों में समिति की संरचना स्वयं यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह एक पक्षपातपूर्ण समिति नहीं थी। समिति के लिए संदर्भ की शर्तों के अनुसार उसे आरोपों की जांच करने की आवश्यकता थी। जांच समिति द्वारा लिए गए निष्कर्षों और की गई सिफारिशों को दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके स्वीकार कर लिया गया है जिन्होंने संबंधित समितियों की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। [पारस 442 और 443] [536-डी-एफ]

39. अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को नियम बनाने का अधिकार देता है।

इसकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए। दोनों सदनों की प्रक्रिया के नियम समितियों के गठन की अनुमति देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विशेष समिति के गठन के साथ कोई अवैधता नहीं जुड़ी है। उक्त सदस्यों के खिलाफ आरोपों की जांच के उद्देश्य

घर। [पैरा 444] [536-एफ-जी]

40. द्वारा लिए गए समय की मात्रा से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है

समितियाँ जो मामलों की जांच करती हैं क्योंकि कोई विशिष्ट समय निर्धारित नहीं किया गया है या निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे मामलों से अधिकतम निपटना आवश्यक है।

अभियान उचित अवसर के अनुदान के अधीन है, जो याचिकाकर्ताओं को दिया गया था। वीडियो रिकॉर्डिंग के पूर्ण फुटेज की आपूर्ति के लिए अनुरोध और

ऑडियो टेप या समय का विस्तार या ऐसे उद्देश्यों के लिए वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व को जांच समिति का समर्थन नहीं मिला क्योंकि मुख्य रूप से

समिति ने लोकसभा के संबंधित सदस्यों को एक अवसर राजा राम पाल बनाम की पेशकश की थी।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 343

समिति के पास उपलब्ध प्रासंगिक वीडियो-फुटेज को देखने और उसमें विसंगतियों को इंगित करने के लिए। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने स्वयं उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। [पैरा 446 और 447] [537-ई-जीजे

जगजीत सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य।, [2004 का डब्ल्यूपी (सी) संख्या 287

एस. सी. द्वारा 11.12.2006] पर निर्णय लिया गया, जिसे संदर्भित किया गया है।

41.2 . लोकसभा की जांच समिति और राज्यसभा की नैतिकता समिति की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उक्त दोनों समितियों ने प्रत्येक सदस्य से स्पष्टीकरण माँगा था

प्रश्न किया और उस पर उचित विचार किया। भारत संघ के वकील की इस दलील का खंडन नहीं किया जा सकता कि संबंधित समितियों की कार्यवाही सभी के लिए खुली थी, जिसमें वे याचिकाकर्ता भी शामिल थे जिन्होंने वास्तव में कार्यवाही में भाग लिया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को यह तर्क देने की अनुमति नहीं है कि सबूत उनकी पीठ पीछे ले लिए गए थे। रिपोर्टों से आगे पता चलता है कि समितियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग के संपादित संस्करणों पर आगे न बढ़ने का ध्यान रखा था। उनमें से प्रत्येक ने जोर देकर विभिन्न स्टिंग ऑपरेशनों का कच्चा वीडियो-फुटेज प्राप्त किया और उसे देखने के बाद निष्कर्ष निकाला। वीडियो रिकॉर्डिंग में निहित साक्षय जो मांग या स्वीकृति का संकेत देते हैं

राज्यसभा के दो सदस्यों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से दो मामलों में धन की पुष्टि हुई। डॉ. छत्रपाल सिंह लोढ़ा ने धन की प्राप्ति का श्रेय किसी संगठन से जुड़े एक अलग लेन-देन को

दिया था जिसका वह नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस स्पष्टीकरण पर नैतिकता समिति द्वारा विश्वास नहीं किया गया था जिसने सर्वसम्मति से प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए धन की स्वीकृति के कारण अनैतिक व्यवहार में उनकी संलिप्तता पाई।

42. आनुपातिकता की याचिका पर इस न्यायालय के समक्ष लोकसभा और राज्यसभा के विवादित प्रस्तावों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह न्यायालय [2007] 1 एस. सी. आर. के साथ विधान सभाओं के निर्णय पर अपील में नहीं बैठा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

344 इस प्रकार के मामलों में दी जाने वाली सजा की सीमा को ध्यान में रखते हुए। यह एक ऐसा मामला है जिसे विधायी निकाय के विशेषाधिकार और एकमात्र विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह और भी अधिक इसलिए कि बाद वाला ही अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में सबसे अच्छा न्यायाधीश है जिसका उद्देश्य आत्मरक्षा है। जब तक निष्कासन के आदेश अवैध या असंवैधानिक नहीं हैं, यह न्यायालय इसके परिणामों से संबंधित नहीं है

इन निष्कासनों के कारण याचिकाकर्ता। [पैरा 451] [538-एच, 539-ए-बी]

43. इन कार्यवाहियों में, यह न्यायालय सच्चाई की अनुमति नहीं दे सकता है या

पूछताछ की जाने वाली सामग्री की शुद्धता या याचिकाकर्ताओं को जाने की अनुमति

सामग्री की पर्याप्तता में या विधानमंडल की राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करें। यह मानते हुए कि कुछ सामग्री जिस पर कार्रवाई की गई है, अप्रासंगिक पाई जाती है, यह न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री है। यह पाया गया है कि यह सामग्री वीडियो रिकॉर्डिंग के कच्चे फुटेज के रूप में उपलब्ध थी, सामग्री की प्रकृति जिसकी जांच रिपोर्ट में झलकती है और किस विषय पर याचिकाकर्ताओं ने तथ्य का कोई मुद्दा नहीं उठाया है। [पैरा 452] [539-सी-डी]

44. जाँच रिपोर्ट के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि कोई नहीं है

सामान्य रूप से किसी भी मौलिक अधिकार और विशेष रूप से अनुच्छेद 14,20 या 21 का उल्लंघन। समझाने और बचाव करने का उचित अवसर

प्रत्येक याचिकाकर्ता को देखते हुए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को किसी भी अवैधता, तर्कहीनता से पीड़ित नहीं माना जा सकता है।

असंवैधानिकता, प्राकृतिक न्याय या विकृति के नियमों का उल्लंघन। यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को उचित सौदा नहीं दिया गया था।

[पैरा 453] [539-ई]

सी. के. ठाकर, जेः (पूरक):

1.1 . यद्यपि तीनों अभिव्यक्तियाँ, अर्थात। शक्तियाँ, विशेषाधिकार और

विश्व के लगभग सभी संविधानों में प्रतिरक्षणों का उपयोग हमेशा किया जाता है, वे अपने अर्थों और विषय-वस्तु में भी भिन्न होते हैं। [पैरा 8] [541-बी]

1.2 . ' 'शक्ति' का अर्थ है 'कुछ करने या किसी कार्य में कार्य करने की क्षमता'।

विशेष तरीके से '। यह कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उस उद्देश्य के लिए निर्देशित अपनी वसीयत; अपने या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों, देनदारियों या अन्य कानूनी संबंधों को बदलने का अधिकार है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रक्रियात्मक और मूल अधिकार शामिल हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। [पैरा 9] [541-बी-सी] राजा राम पाल बनाम।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 345

1.3 . ' विशेषाधिकार एक विशेष अधिकार, लाभ या लाभ है जो उन्हें प्रदान किया जाता है।

एक विशेष व्यक्ति। यह एक विशिष्ट लाभ या अनुग्रह है जो एक व्यक्ति को दूसरे के विरुद्ध कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस शब्द में अंतर्निहित कुछ का विचार है, जो एक सामान्य अधिकार से अलग और अलग है जो सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है और संप्रभु द्वारा किसी प्रकार के विशेष अनुदान को दर्शाता है।

[पैरा 10] [541-डी]

1.4 . ' प्रतिरक्षा 'सामान्य दायित्व से छूट या स्वतंत्रता है,

कर्तव्य, बोझ या दंड। कानून की अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थिति से छूट, अभियोजन से स्वतंत्रता, सजा से सुरक्षा, आदि कुछ व्यक्तियों या पदाधिकारियों को दी गई उन्मुक्ति हैं।

[पैरा 11] [541-ई]

1.5 . हालांकि, निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानून से ऊपर नहीं रखा जाता है।

संसदीय विशेषाधिकारों का तरीका; उन्हें केवल कुछ लाभ और कानूनी प्रक्रिया से बुनियादी छूट दी जाती है ताकि सदन स्वतंत्र रूप से, कुशलता से और निडरता से काम कर सके। यह समग्र राष्ट्र के हित में है। [पैरा 17] [543-ई]

राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अनुच्छेद 143,

भारत का संविधान, पुनः, [1965] 1 एससीआर 413: आकाशवाणी (1965) एस. सी. 745, निर्दिष्ट

को।

सर एर्स्किन मे - कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और

संसद का उपयोग (23 वां संस्करण) पी। 75 ; हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, (चौथा संस्करण। ; रीइश्यू, वॉल्यूम। 34 ; पी। 553 ; पैरा 1002) और संसदीय विशेषाधिकार, प्रथम रिपोर्ट (लॉर्ड निकोलस रिपोर्ट), संदर्भित।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका में, सदन के पास पालन करने की शक्ति है

इसके सदस्यों द्वारा अनुशासन और उचित मामलों में, ऐसी शक्ति निष्कासन तक फैली हुई है। यह भी स्पष्ट है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग वास्तव में सदन में और सदन के बाहर भी अव्यवस्थित व्यवहार के लिए किया गया है, जहां सदन संतुष्ट था कि सदस्य शारीरिक, मानसिक या शारीरिक रूप से 'अयोग्य' था।

नैतिक रूप से भले ही ऐसा आचरण एक 'वैधानिक अपराध' नहीं हो सकता है या उसके द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में या सत्र में सदन के दौरान या सरकार के आसन पर नहीं किया गया था। [पैरा 32] [548-बी-सी]

चैपमैन, रे, 166 यूएस 661 (1891): 41 एल एड दूसरा 1154; जूलियन बॉन्ड

वी. जेम्स स्लोपी फ्लॉयड, 385 यू. एस. 116 (1966): 17 एल एड 2nd 235; पॉवेल बनाम।

मैककॉर्मैक, 395 यूएस 486 (1969): 23 एल एड 2nd 491; एच. स्नोडेन मार्शल

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

346 वी. रॉबर्ट बी. गॉर्डन, 243 यू. एस. 521 (1917); कीले बनाम। कार्सन, (1842) 4 एमओओ पीसी 63: 13 ईआर 225 और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। डेनियल ब्रूस्टर, 408 यू. एस. 501:

(1972) 33 एल एड 2nd 507, संदर्भित।

कूली: संवैधानिक सीमाओं पर ग्रंथ ', (1972 एडन।, पी।

133) ; विलोबी: संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक कानून (दूसरा संस्करण।; पी। 256) ; प्रिटचेट: अमेरिकी संविधान (तीसरा संस्करण, पृ. 146); अमेरिकी न्यायशास्त्र (द्वितीय संस्करण, खंड। 77, पृ. 21) और एनिड कैम्पबेल:

ऑस्ट्रेलिया में 'निष्कासन' से संबंधित संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है।

3. ऑस्ट्रेलिया में, हाल ही में, एक सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति

सदन को एक विशिष्ट कानून द्वारा छीन लिया गया है। [पैरा 40] [550-सी]

एनिड कैम्पबेल: ऑस्ट्रेलिया में संसदीय विशेषाधिकार

' निष्कासन 1; अड़चन: ऑस्ट्रेलियाई सीनेट प्रैक्टिस, (11 वां संस्करण।; पी। 57) और लम्ब और रयान: ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल का संविधान, 1974 एडन।, संदर्भित किया गया।

4. भारत के विपरीत, कनाडा में, विधानमंडल अपना विस्तार नहीं कर सका।

ब्रिटिश संसद द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों को इसमें निवेश करते हुए एक कानून बनाकर विशेषाधिकार। ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 49 के तहत या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (3) या अनुच्छेद 194 (3) के तहत ऐसी कोई सीमा नहीं है। संविधान में उपरोक्त

प्रावधान के बावजूद, किसी सदस्य को निष्कासित करने के सदन के अधिकार को कभी चुनौती नहीं दी गई है। [पारस 42 और 43] [550-जी-एच, 551-ए]

विधानसभा के अध्यक्ष v. कनाडाई प्रसारण

निगम, [1993] 1 एससीआर 319; स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड, [1839] 9 एड एंड ई 1: 112 ई. आर. 1112 (क्यू. बी.); कीलेव। कार्सन, [1842], 4 एमओओ पीसी 63: 13 ई. आर. 225; फ्रेड हार्वे बनाम। न्यू ब्रंसविक के लिए महान्यायवादी, [1996] 2 एससीआर 876 और हाउस ऑफ कॉमन्स बनाम। सतनाम वैद, (2005) 1 एससीआर 667, संदर्भित को।

सर जॉन जॉर्ज बोरिनॉट: संसदीय प्रक्रिया और व्यवहार

कनाडा का अधिराज्य, (चौथा संस्करण, पृ. 64), संदर्भित।

5.1 . अपने रचनात्मक अर्थों में, इंग्लैंड में सदन नहीं बैठता था

संसद की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की अपनी इमारत का निर्माण करना। इस प्रकार अंग्रेजी संसदीय संस्थान के विकास में ऐतिहासिक राजा रामपाल बनाम है।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 347

विकास। यह क्राउन के पूर्ण विशेषाधिकारों और शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के लिए कॉमन्स के आग्रह के बीच संघर्ष की कहानी है; सम्राटों के उच्च हाथों के कार्यों और लोकतांत्रिक साधनों और तरीकों के लोगों के दावे के बीच संघर्ष। संसदीय विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो संसद के सदनों और सदस्यों के पास हैं ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा कर सकें। इस प्रकार कुछ संसदीय विशेषाधिकार संसद से पहले ही थे। इसलिए, सर एर्स्किन मे द्वारा उन्हें क्राउन के विशेषाधिकारों, सामान्य न्यायालयों के अधिकार और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेष अधिकारों के खिलाफ सदन के मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। [पैरा 62] [557-सी-ई]

5.2 . शुरू में, सदन ने केवल विशेषाधिकार का दावा किया। उन्होंने न तो क्राउन से उनकी मान्यता के लिए अनुरोध किया और न ही अदालतों से उनके लिए अनुरोध किया।

प्रवर्तन। इस मायने में संसदीय विशेषाधिकार कानून या अपने लिए कानून से बाहर हैं। उदाहरण के लिए, सदन अवैध रूप से हिरासत में लिए गए अपने सदस्य की रिहाई के लिए क्राउन या अदालत में नहीं जाएगा। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए भी प्रार्थना नहीं

करेगा। यह केवल सार्जेंट को औपचारिक गदा के साथ जेल जाने का आदेश देगा और सदस्य को अपने अधिकार पर रिहा कराएगा। [पैरा 63] [557-ई-एफ]

एन ल्योनः ' यूनाइटेड किंगडम का संवैधानिक इतिहास, [2003] पी। 39 ; होल्डस्वर्थः ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ, दूसरा संस्करण, पीपी। 92-93 और इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून, (चौथा संस्करण। ; पुनः जारी करनाः खण्ड. 34 ; पी। 569 ; पैरा 1026, संदर्भित।

6. दो चीजें, अर्थात् (i) निष्कासन; और (ii) अयोग्यता अलग और विशिष्ट हैं। किसी सदस्य को विधानमंडल द्वारा निष्कासित किया जा सकता है यदि उसका

आचरण उसे जारी रखने के लिए 'अयोग्य' बनाता है। हालाँकि, यह इप्सो नहीं है

वास्तव में उसे फिर से चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दें। निष्कासित सदस्य को फिर से चुना जा सकता है और उसके पुनर्निर्वाचन के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है, जैसा कि 1769 में जॉन विल्क्स के मामले में हुआ था। [पैरा 68] [558-एच, 559-ए]

ओ. हुड फिलिप्सः ' संवैधानिक और प्रशासनिक कानून ', चौथा संस्करण; पी। 180 ; वेड और फिलिप्सः ' संवैधानिक कानून ', 7 वाँ संस्करण; p.793; सर विलियम एनसनः " संविधान का कानून और प्रथा ", पाँचवाँ संस्करण; खंड। आई; पीपी। 187-88 ; ग्रिफ़िथ और राइलः " संसद, कार्य, व्यवहार और प्रक्रियाएँ ", (1989), पी। 85 और सर एर्स्किन मेयः ' कानून पर निबंध,

संसद के विशेषाधिकार, कार्यवाही और उपयोग '।

7. केली का कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह प्रकाश में तय किया गया था

वास्तविक, राजनीतिक और कानूनी पृष्ठभूमि जो पूरी तरह से अलग थी। एक से अधिक कारणों से, केली में अनुपात को सेवा में नहीं दबाया जा सकता है हाथ में मामला। सबसे पहले, 1950 के बाद भारत को 'औपनिवेशिक देश' नहीं कहा जा सकता है और न ही इसकी विधायिका को औपनिवेशिक या अधीनस्थ कहा जा सकता है। दूसरा, यह स्पष्ट रूप से या निहित रूप से

क्राउन से शक्तियां, विशेषाधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं था। तीसरा, 26 जनवरी, 1950 के बाद यह लिखित संविधान है जिसने संसद को शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की है।

विधायिकाओं और उनके सदस्यों पर। चौथा, संविधान के प्रावधानों ने स्वयं स्पष्ट रूप से कुछ शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं (कला) को प्रदान किया। 105 (1) , (2) ; 194 (1) , (2)] . इसने संसद को एक उपयुक्त कानून बनाकर उन्हें परिभाषित करने की भी अनुमति दी और घोषणा की कि जब तक ऐसा कानून लागू नहीं किया जाता है, तब तक वे

26 जनवरी, 1950 (कला) को ब्रिटिश संसद द्वारा प्रयोग किया जाएगा। 105 (3) , 194 (3)] . पाँचवाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न यह तथ्य नहीं है कि न्यूज़ाउथलैंड की सभा को किसी व्यक्ति की अवमानना करने का कोई अधिकार नहीं था

लेकिन क्या ब्रिटिश संसद के पास ऐसी शक्ति थी या नहीं

26 जनवरी, 1950। छठा, केली विधानसभा के सदस्य नहीं थे और इस तरह उस मामले में फैसले का इस अदालत के समक्ष उठाए गए मुद्दे पर कोई सीधा असर नहीं है। अंत में, केली एक व्यक्ति के समर्पण का मामला था

जेल और तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रिवी काउंसिल ने उस मामले का फैसला किया जो यहां अनुपस्थित है। इन सभी कारणों से, केली पर निर्भरता याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं है। [पैरा 109] [569-एच, 570-ए-डी]

ब्रैडलो वी। गोसेट, [1884] 12 क्यूबीडी 275; स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड,

(1839) 9 विज्ञापन और ई 1: 112 ईआर 1112 (क्यूबी); एडवर्ड केली बनाम। विलियम कार्सन, (1842): 4 एम. ओ. 0 पी. सी. 63: 13 ई. आर. 225 और ब्यूमोंट वी. बैरेट, (1836) 1 एमओओ पीसी 80, का उल्लेख किया गया है।

8. कानून का एक दिलचस्प मुद्दा, जिसे इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है

आर्मस्ट्रांग बनाम में न्यू साउथ वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था। बड, [1969] 71 एसआर 386 (एनएसडब्ल्यू)। संविधान अधिनियम, 1902 की धारा 19 में निर्धारित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में, विधान परिषद में एक सीट

स्वचालित रूप से खाली हो जाएगा। ए विधान परिषद के सदस्य थे जिनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमेबाजी के दौरान उन्होंने सबूत दिए। न्यायालय द्वारा साक्षय पर अविश्वास किया गया था और निर्णय में, विचारण न्यायाधीश द्वारा कुछ सख्तियां पारित की गईं। विधान परिषद ने टिप्पणियों और प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर एक प्रस्ताव

पारित किया और ए को परिषद से निष्कासित कर दिया और उनकी सीट खाली घोषित कर दी। ए ने यह घोषणा करने की मांग की कि प्रस्ताव अधिकार से बाहर है। ए द्वारा यह तर्क दिया गया था कि राजा राम पाल बनाम।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा 349

चूँकि उसका मामला किसी भी घटना में शामिल नहीं था

धारा 19, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। [पारस 114 और 115] [571-एच, 572-ए-सी]

थॉमस विलियम डॉयल बनाम। जॉर्ज चार्ल्स फाल्कनर, [1866] एलआर 1 पीसी

328 ; बार्टन वी। टेलर, [1886] 11 एसी 197 और आर्मस्ट्रांग बनाम। बड, [1969] 71 एस. आर. 386 (एन. एस. डब्ल्यू.), संदर्भित।

ब्रूम के कानूनी अधिकतम, 10 वीं संस्करण; पी। 314 , संदर्भित किया गया।

9.1 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद से संबंधित मौजूदा कानून

भारत में विशेषाधिकार अनिवार्य रूप से अंग्रेजी मूल के हैं। लेकिन संसदीय विशेषाधिकारों की अवधारणा प्राचीन भारत के लिए अज्ञात नहीं थी। प्रीतितोश रॉय उनकी पुस्तक 'भारत में संसदीय विशेषाधिकार' (1991) में कहा गया है कि वैदिक काल में भी दो विधानसभाएँ थीं; सभा और समिति जो राजा के सभी कार्यों पर नजर रख रही थीं। सभा और समिति का संदर्भ सभी वेदों में पाया जाता है। बौद्ध भारत में एक विकसित संसदीय प्रणाली थी। सदस्यों को विधानसभाओं के निर्देशों की अवज्ञा करने की अनुमति नहीं थी। अपराधी विधानसभाओं के प्रति जवाबदेह होते थे और उन्हें मौका देने के बाद गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती थी। इस प्रकार इसमें संसदीय विशेषाधिकार की 'प्राथमिक विशेषताएं' हैं -

आज। [पैरा 119] [583-सी-ई]

9.2 . 1915-50 के दौरान, उल्लेखनीय वृद्धि और विकास हुआ

भारत में संसदीय विशेषाधिकार। पहली बार, भारत सरकार अधिनियम, 1919 (धारा 67) द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता का सीमित अधिकार प्रदान किया गया था। विधायी सदस्यों द्वारा

छूट अधिनियम, 1925, सदस्यों को दो संसदीय विशेषाधिकारों की अनुमति दी गई थी; (i) जूरी सेवा से छूट; और (ii) गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। द. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रदत्त विशेषाधिकारों का विस्तार किया और

प्रतिरक्षा प्रदान की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने भारतीय अधिराज्य को संप्रभु विधायी शक्ति प्रदान की।

[पारस 121 और 122] [583-जी-एच, 584-ए]

10. कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें भारतीय संसद ने

अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति का प्रयोग किया। [पैरा 126] [587-जी)

कौल और शाखदर: ' संसद की प्रथा और प्रक्रिया ', (5 वीं)

एडन।, पी। 262) , संदर्भित किया गया।

[2007] 1 एस सी आर।

350

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. किसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार अलग, अलग और स्वतंत्र है।

सदन के उचित गठन या संरचना के लिए प्रावधान करने का अधिकार और ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार के अभाव में भी, निष्कासन का अधिकार है - एक विधानमंडल (यहां तक कि एक औपनिवेशिक विधानमंडल) के पास है, जिसका उपयोग उचित मामलों में किया जा सकता है। [पैरा 165] [602-एफ-जी]

एम एस एम शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य।, [1959] पूरक 1 एस. सी. आर.

806 : आकाशवाणी (1959) एससी 395; पुन:: राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, संविधान का अनुच्छेद 143, [1965] 1 एससीआर 413 एआईआर

(1965) एससी 745; राज नारायण बनाम। आत्माराम गोविंद और अन्र। , आकाशवाणी (1954) सभी 319; यशवंत राव मेघवाले बनाम। मध्य प्रदेश विधान सभा और अन्य। , आकाशवाणी (1967) एम. पी. 95; हरद्वारी लाल बनाम। भारत निर्वाचन आयोग, आई. एल. आर. (1977) 2 पी. एंड एच. 269 (एफ. बी.) और के. अनबाझगन और अन्य। वी. सचिव, तमिलनाडु विधान सभा, मद्रास और अन्य। , ए. आई. आर. (1988) मैड 275, संदर्भित।

12. जब अनुच्छेद 85 (वर्तमान अनुच्छेद 105) के मसौदे पर विचार किया गया,

सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, सुझाव दिए और मांग की संशोधन और अंत में, अनुच्छेद 85 के मसौदे को संशोधित रूप में मंजूरी दी गई।

[पैरा 169]

[605-सी-डी]

13.1 . इसी तरह, जब अनुच्छेद 169 (वर्तमान अनुच्छेद 194) का मसौदा सामने आया

3 जून, 1949 को सदन के समक्ष फिर से इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। [पैरा 170] [605-ई]

13.2 . संविधान सभा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से बहस करती है

यह इंगित करता है कि संविधान के सदस्य चाहते थे कि संसद (और राज्य विधानमंडल) उचित अधिकार लेने के लिए शक्ति और विशेषाधिकार बनाए रखे किसी भी व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ 'उसके द्वारा की गई किसी भी चीज़' के लिए कार्रवाई जो संसद या विधान सभा को 'अपमान' में ला सकती है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के संस्थापकों को सदस्यों के व्यक्तिगत कुकर्मों से निपटने की जानकारी नहीं थी या उनका इरादा कभी नहीं था और संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत विधानमंडल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। [पैरा 173] 607-एच, 608-ए]

14. हमारे पास एक लिखित संविधान है जो न्यायिक शक्ति प्रदान करता है

इस न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की समीक्षा। शक्ति का प्रयोग करने में और राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा

351

संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, इस न्यायालय को खेलना है

'विवेक पर प्रहरी' की भूमिका और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इस न्यायालय का गंभीर कर्तव्य है

जोश और सतर्कता से। [पैरा 182] [611-ई-एफ]

एशबी वी। व्हाइट, (1704) 14 सेंट ट्र 695; स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड, [1839]

9 विज्ञापन और ई 1: 112 ई. आर. 1112 और ब्रैडलॉफ बनाम. गोसेट, [1884] 12 क्यूबीडी 271: 53 एल. जे. क्यू. बी. 200, संदर्भित।

अंसन: ' संविधान का कानून और प्रथा ', 5 वीं संस्करण। ; खण्ड. आई; पीपी।

190-99 ; हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, (चौथा संस्करण। , रीइश्यू, वॉल्यूम। 34 ; पीपी। 553 54 ; पैरा 1004-05 और होल्ड्सवर्थ: ' ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ '(वॉल्यूम। आई; पीपी। 393-94) , संदर्भित किया गया।

15. यह न्यायालय इस तथ्य से अनजान या अनजान नहीं हो सकता है कि

विधानमंडल राज्य के तीन अंगों में से एक है और उसी संविधान के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है जिसके तहत यह न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है

न्यायिक समीक्षा। इसलिए, यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य है कि एक अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विचार को नजरअंदाज किए बिना विधानमंडल द्वारा शक्ति का कोई दुरुपयोग या दुरुपयोग न हो कि न्यायालय अन्य संवैधानिक पदाधिकारी पर एक श्रेष्ठ अंग या अपीलीय मंच नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय को अत्यधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। [पैरा 184] [612-बी-सी]

आर. वी. महामहिम का खजाना, पूर्व पक्ष स्मेडली, 1985 क्यू. बी. 657,666,

संदर्भित किया गया।

16. सर्चलाइट के साथ-साथ केशव सिंह में भी यह देखा गया है।

कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद/राज्य विधानमंडल के पास शक्ति है

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को राज्य-प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता या अन्यथा निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है और यह शक्ति निम्नानुसार नहीं हो सकती - न्यायपालिका से छीन लिया गया। यही अंग्रेजों के बीच अंतर है।

संसद और भारतीय संसद। चूँकि ब्रिटिश संसद भी 'है

संसद का उच्च न्यायालय 'द्वारा की गई कार्रवाई या निर्णय [2007] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

352

किसी भी अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार नहीं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि दो समानांतर अदालतें, यानी क्राउन कोर्ट और न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाला संसद का न्यायालय ('संसद का उच्च न्यायालय') भी नहीं हो सकते हैं।

एक ही अधिकारिता के संबंध में। भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य है जिसका एक लिखित संविधान है जो सर्वोच्च है और कोई नहीं है।

राज्य का अंग (विधानमंडल, कार्यपालिका या न्यायपालिका) दूसरे पर संप्रभुता या सर्वोच्चता का दावा कर सकता है। उक्त संविधान के तहत, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) को प्रदान की गई है। उक्त शक्ति को संविधान की 'बुनियादी विशेषताओं' में से एक माना जाता है और इस तरह, इसे संसद द्वारा संविधान में संशोधन द्वारा भी नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 187] [612-जी-एच, 613-ए-डी]

एम एस एम शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य। , [1959] पूरक 1 एस. सी. आर.

806 : आकाशवाणी (1959) एससी 395; पुनः: राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, संविधान का अनुच्छेद 143, [1965] 1 एससीआर 413 एआईआर (1965) एससी 745; कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ, [1977] 4 एस. सी. सी. 608; पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम। राज्य, [1998] 4 एस. सी. सी. 626; संबमूर्ति बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, [1987] 1 एस. सी. सी. 362: आकाशवाणी (1987) एससी 663; केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी 225:

आकाशवाणी (1973) एससी 1461; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण, [1975] एस. सी. सी. 1: आकाशवाणी (1975) एससी 2299; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, [1980] 3 एस. सी. सी. 625: ए. आई. आर. (1980) एस. सी. 1789; एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, [1987] 1 एस. सी. सी. 124: [1987] 1 एससीसी

124 : [1987] 1 एस. सी. आर. 435 और किहोटो होलोहोन बनाम। ज़चिल्हू, [1992] पूरक 2 एस. सी. सी. 651: ए. आई. आर. (1993) एस. सी. 412, संदर्भित।

17. कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद/राज्य की कार्रवाई

विधायिका न्यायिक समीक्षा से 'पूर्ण प्रतिरक्षा' का दावा नहीं कर सकती है। वास्तव में, यह तर्क केशव सिंह में सामने रखा गया था जिसे नकार दिया गया था।

जिसने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को एक ही कलम और स्याही से न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की, बशर्ते कि संसद में कार्यवाही की वैधता पर 'प्रक्रिया में अनियमितता' के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अत: यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उक्त प्रावधान और सीमा को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करें। [पैरा 188] [613-एफ-एच, 614-ए] राजा रामपाल बनाम।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 353

री: राज्य विधानमंडलों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अनुच्छेद

143 संविधान, [1965] 1 एस. सी. आर. 413: आकाशवाणी (1965) एस. सी. 745, निर्दिष्ट

को।

18. तत्काल मामलों में, न्यायालय को एक सीमित जवाब देने के लिए कहा जाता है

सीमित विशेषाधिकार रखने वाले विधानमंडल के पास किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति होती है यदि उसका आचरण विधानमंडल के सदस्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा है, तो यह बिना कहे चला जाता है कि भारतीय संसद ने निस्संदेह एक औपनिवेशिक विधानमंडल की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां ऐसी कार्रवाई कर सकती हैं और यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संसद के पास किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति नहीं है। [पैरा 189] [614-बी-सी]

19. प्रत्येक विधायी निकाय-औपनिवेशिक या सर्वोच्च-के पास शक्ति है

इसकी कार्यवाहियों, आत्मरक्षा की शक्ति, आत्म-संरक्षण और अनुशासन के रखरखाव को विनियमित करता है। यह संविधान या संरचना प्रदान करने की शक्ति से पूरी तरह से अलग और अलग है जो निस्संदेह भारतीय संसद के पास नहीं है। लेकिन प्रत्येक विधायी निकाय को अपनी कार्यवाही को विनियमित करने और अपने सदस्यों द्वारा अनुशासन का पालन करने की शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है और उसे निष्कासित भी कर सकता है, यदि परिस्थितियाँ ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता या आह्वान करती हैं। इसका अयोग्यता और/या सीट की छुट्टी से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, निष्कासन का सवाल तब उठता है जब कोई सदस्य अयोग्य नहीं होता है, उसकी सीट खाली नहीं होती है और लेकिन इस तरह के निष्कासन के लिए, वह संसद के सदस्य के रूप में कार्य करने का हकदार है।

[पैरा 191]

[614-एफ-एच]

20. राज्य के अन्य अंगों की तरह संसद भी इसके अधीन है -

संविधान के प्रावधान और अपेक्षा की जाती है, नहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।

यह माना जाए कि किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति प्रकृति में एक कार्टे ब्लैंच है और संसद को किसी भी सदस्य को निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद गलती करने वाले सदस्यों के खिलाफ उचित दंड या दंड देकर उचित कार्रवाई कर सकती है और निष्कासन उनमें से एक है। हमारे अधीन

संविधान, प्रत्येक प्राधिकारी की प्रत्येक कार्रवाई कानून के अधीन है क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संसद इस 'सार्वभौमिक' नियम का अपवाद नहीं है। इसलिए, यह एक व्यथित पक्ष के लिए खुला है कि वह संसद की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत उठाते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और यदि न्यायालय संतुष्ट है

न्यायिक समीक्षा के सीमित मापदंडों के भीतर कि कार्रवाई अनुचित, गैरकानूनी या असंवैधानिक है, यह कार्रवाई को दरकिनार कर सकता है।

ऐसा इसलिए नहीं है कि संसद के पास किसी सदस्य को निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं पाई गई। [पैरा 192] [615-सी-ई]

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी एंड एन. आर. वी. गुजरात राज्य और

एन. आर. , [1975] 1 एस. सी. आर. 173 [1974] 1 एस. सी. सी. 717: ए. आई. आर. (1974) एस. सी. 1389, संदर्भित।

21.1 . कुछ के खिलाफ गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए

सदन के सदस्यों, संसद ने एक 'जांच समिति' का गठन करके आरोपों की शुद्धता या अन्यथा की जांच करने का निर्णय लिया। सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया और अभिलेख पर साक्षय और सामग्री पर विचार करते हुए, संसद द्वारा नियुक्त समिति ने मामले का फैसला किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला अनुच्छेद 122 के खंड (1) के असाधारण भाग के अंतर्गत आता है। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह न्यायालय 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जो अपनी प्रकृति से सीमित है

कानून की गंभीर दुर्बलताएँ या पेटेंट अवैधताएँ। इसलिए यह प्राधिकरण के समक्ष सामग्री की पर्याप्तता में प्रवेश नहीं कर सकता है और न ही इसका स्थान ले सकता है।

ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त राय/निष्कर्ष/निर्णय के लिए उसकी अपनी राय/खोज/निर्णय। इसलिए, भले ही प्रक्रिया को अपनाने या समिति द्वारा साक्षय की सराहना करने या संसद द्वारा निर्णय को मंजूरी देने में कोई अनियमितता हो, यह पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 122 (1) के 'सुरक्षात्मक छत्र' के तहत आता है और यह न्यायालय उक्त द्वारा दिए गए संवैधानिक संरक्षण को देखते हुए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

प्रावधान। [पैरा 199] [617-ई-एच]

21.2 . न ही संसद द्वारा नियुक्त समिति को कहा जा सकता है

एक 'न्यायालय' होना चाहिए, न ही यह साक्षय या प्रक्रिया के तकनीकी नियमों से बाध्य है। यह 'तथ्य-खोज' जांच की प्रकृति में अधिक है। चूंकि संसद की गरिमा, गरिमा और विश्वसनीयता दांव पर थी, इसलिए समिति की नियुक्ति की गई थी, जो इस प्रतिष्ठित निकाय में जनता के विश्वास, विश्वास और सम्मान को बहाल करने के लिए आवश्यक थी।

प्रक्रियात्मक बाधाएँ। [पैरा 200] [618-ए-बी]

पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य। (पंडित शर्मा

II); [1961] 1 एससीआर 96: ए. आई. आर. (1960) एस. सी. 1186 और किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस। , [1992] मान लीजिए कि 2 एस. सी. सी. 651,711 का उल्लेख किया गया है।

संविधान सभा की बहस: Vol.VIII; पीपी। 199-201) , संदर्भित किया गया।

22. जहाँ तक कानून के सिद्धांत का संबंध है, यह अच्छी तरह से स्थापित है और राजा राम पाल बनाम नहीं हो सकता है।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 355

विवादित हो और उसे चुनौती नहीं दी जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों में, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि समिति द्वारा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन या गैर-पालन किया गया है। रिपोर्टों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त अवसर दिया गया था और उसके बाद कार्रवाई की गई थी। सदस्यों को नोटिस जारी किए गए, उन्हें सीडी प्रदान की गई, गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए, बचाव पक्ष के बयान पर विचार किया गया और 'निष्कर्षों और निष्कर्षों' पर पहुंचा गया। [पैरा 203] [619-बी-सी]

किहोटो होलोहोन बनाम। ज़चिल्हू, [1992] पूरक 2 एस. सी. सी. 651: आकाशवाणी (1993) एस. सी. 412 और मेनका गांधी बनाम। भारत संघ, [1978] 1 एस. सी. सी. 248: एयर

(1978) एस. सी. 597, संदर्भित।

23. माननीय अध्यक्ष ने जो कहा वह यह था कि "यदि कोई है तो

दोषी, उसे दंडित किया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा "। दूसरे शब्दों में, माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिष्ठित निकाय के सदस्यों को आश्वासन दिया गया था कि किसी व्यक्तिगत सदस्य की स्थिति या स्थिति पर विचार किए बिना उचित कार्रवाई की जाएगी और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो वह दोषी नहीं होगा।

बचा लिया। बयान एक जिम्मेदार बयान है, जो सबसे बड़े लोकतंत्र के एक प्रतिष्ठित निकाय के माननीय अध्यक्ष से अपेक्षित है। उपरोक्त कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि समिति के गठन से पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय ले लिया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। [पैरा 212] [625-एच, 626-ए-बी]

24. यह अच्छी तरह से तय है कि जहां तक विशेषाधिकारों का संबंध है, संसद के पास इस मामले को उठाने की शक्ति है और वह कानून के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकती है। यदि यह महसूस होता है कि 'पूछताछ के लिए नकद' का मामला बनाया गया था

और इससे सदन की ईमानदारी, अखंडता और गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह सदन के लिए खुला है कि वह लोकतांत्रिक राजनीति के स्तंभों में से एक में विश्वास की बहाली सुनिश्चित करने का प्रयास करे। [पैरा 222] [627-ई-एफ]

सर एर्स्किन मे ':' भ्रष्टाचार या अनुचित 'और हिलेयर बर्नेट:' संवैधानिक और प्रशासनिक कानून ', चौथा संस्करण। ; पीपी। 571-72 , संदर्भित

को।

25. यह नहीं कहा जा सकता कि किसी सदस्य का निष्कासन एक गंभीर बात है।

माप और सामान्य रूप से, इसे नहीं लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुझाए गए सुझाव के अनुसार संसद एक उदार दृष्टिकोण अपना सकती थी। लेकिन इसे कानून के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप वंचितता होती है।

सदन में प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य को कभी भी निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यदि निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को एकमात्र (2007) एस. सी. आर. माना जाता है।

विचार करने पर, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप सदन में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न हो। इस तरह की व्याख्या सांविधिक प्रावधानों (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) के साथ-साथ संवैधानिक योजना (अनुच्छेद 84,102,190,191,192, दसवीं अनुसूची, आदि) को गैर-व्यवहार्य, निरर्थक और अनुचित बना देगी। यदि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है या किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसे जाना होगा और कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक कि नया सदस्य

नहीं चुना जाता है, तब तक सदन में निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यह अपरिहार्य है और

मदद नहीं की जा सकती। एक पहलू और भी है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि किसी सदस्य के निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है (और इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था), तो कोई कारण नहीं है कि सिद्धांत रूप में, निष्कासन की कार्रवाई असंभव या अवैध है। किसी दिए गए मामले में, ऐसी कार्रवाई वैध हो सकती है या नहीं भी हो सकती है या इसके लिए कहा जा सकता है, लेकिन सिद्धांत रूप में, यह मानना संभव नहीं है कि जबकि पहला अनुमत है, दूसरा नहीं है। यदि इसे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए संदर्भित किया जाता है, तो जैसा कि राज नारायण में देखा गया है, किसी सदस्य का संक्षिप्त अवधि के लिए भी सदन से हटना सदस्य और उसके निर्वाचन क्षेत्र दोनों के लिए एक गंभीर मामला है। उनकी अनुपस्थिति के दौरान महत्वपूर्ण बहस और वोट हो सकते हैं, भले ही अवधि संक्षिप्त हो और हो सकता है कि वह अपने दृष्टिकोण या समूह या संविधान का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम न हो। हालाँकि, यह एक विशिष्ट संसदीय अपराध, अर्थात् अव्यवस्थित व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की प्रकृति में है। इसके अलावा, यदि सदन को किसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार है, तो निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होना केवल एक परिणाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

[पारस 225 और 226] [628-ई-एच, 629-ए-सी]

26.1 . यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी, जहाँ संसद संप्रभु और सर्वोच्च है

और सब कुछ कर सकते हैं लेकिन 'महिला को पुरुष और पुरुष को महिला', संसद के किसी भी सदस्य को कभी भी 'बदसूरत चेहरे' के आधार पर निष्कासित नहीं किया गया है। और इस न्यायालय के समक्ष एक भी घटना नहीं रखी गई है

चरम तर्क की पुष्टि करें। यहाँ तक कि स्वयं मैटलैंड ने भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा है। इसके विपरीत, उन्होंने स्वीकार किया था कि आम तौर पर, निष्कासन की शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति की अवैधता या कदाचार के लिए किया जा सकता है।

गंभीर प्रकृति। [पैरा 228] [629-एफ-जी]

26.2 . यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि केवल संभावना

या सत्ता के दुरुपयोग की संभावना प्रावधान को अधिकार से बाहर या कानून में बुरा नहीं बनाती है। शक्ति के अस्तित्व (या उपलब्धता) और उसके प्रयोग के बीच अंतर है। शक्ति की वैधता या

अन्यथा शक्ति की प्रकृति, उसके विस्तार, निकाय या प्राधिकरण को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए।

माननीय वक्ता, लोक सभा

357

जिसे यह प्रदान किया गया है, वे परिस्थितियाँ जिनके तहत यह हो सकता है

प्रयोग किए गए और अन्य सभी विचार जो ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हैं। कानून के किसी प्रावधान पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। [पैरा 229] [629-एच, 630-ए-बी]

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, [1977] 3 एस. सी. सी. 592,658: एयर

(1977) एससी 1361 और अजीत कुमार नाग बनाम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, [2005] 7 एस. सी. सी. 764, संदर्भित।

प्रोविडेंस बैंक बनाम। अल्फेंस बिलिंग्स, 29 यू. एस. 504 (1830): 7 लॉ एड

939 , संदर्भित किया गया।

27. कुल मिलाकर, इस देश में संवैधानिक अधिकारियों के पास है

सराहनीय रूप से अपने कार्यों का पालन किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से, कुशलता और ईमानदारी से निर्वहन किया और इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि आने वाले वर्षों में भी वे उनसे अपेक्षित जिम्मेदार तरीके से कार्य करते रहेंगे। न केवल राज्य के सभी घटक

विश्वास, विश्वास और विश्वास को बनाए रखना, संरक्षित करना और बनाए रखना उनमें संविधान के संस्थापकों और लोगों द्वारा

यह महान देश एक-दूसरे के प्रति आपसी सम्मान, सम्मान और गरिमा से है। कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक है और ऐसा होने का कोई कारण नहीं है।

भविष्य के लिए निराश। [पैरा 234] [631-जी-एच, 632-ए-बी]

जे. रवींद्रन (असहमति):

1.1 . संसद में निष्कासन की कोई शक्ति नहीं है, या तो अंतर्निहित है।

या अनुच्छेद 105 (3) से पता लगाया जा सकता है। सदन द्वारा निष्कासन तभी संभव होगा जब अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 101 में उपयुक्त संशोधन किया जाए या इसके तहत कोई कानून बनाया जाए।

अनुच्छेद 102 (1) (ई) सदन को सदस्य के रूप में बने रहने के अयोग्य या अयोग्य पाए जाने वाले सदस्य को निष्कासित करने में सक्षम बनाता है। [पैरा 36] [659-एच, 660-ए]

1.2 . संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, निष्कासन

याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 101 से 103 का उल्लंघन करते हैं और इसलिए अमान्य हैं। इसलिए याचिकाकर्ता इसके सदस्य बने रहते हैं।

संसद (उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए किसी भी कार्रवाई के अधीन)।

[पैरा 37]

[660-बी-सी] [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

358

राजस्थान राज्य बनाम। भारत संघ, आकाशवाणी (1977) एससी 1361;

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी. 225; न्यायिक जवाबदेही पर उप समिति v. भारत संघ, [1991] 4 एस. सी. सी. 699; पुनः। सीपी। और बेरार सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट एंड लुब्रिकेंट्स टैक्सेशन एक्ट, 1938-सेंट्रल प्रोविंस केस, ए. आई. आर. (1939) एफ. सी. 1; अतिबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड v. असम राज्य, एआईआर (1961) एससी 232; एम. पी. वी. सुंदरमियर एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1958) एस. सी. 468 और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. (1962) एस. सी. 1406, पर निर्भर था।

री: कला. 143 , भारत का संविधान और दिल्ली कानून अधिनियम, आकाशवाणी (1951)

एससी 332; विशेष संदर्भ सं। 1964 का 1, यूपी विधानसभा मामला, [1965] 1 एससीआर 413; मैरी रॉय बनाम। केरल राज्य, [1986] 2 एस. सी. सी. 209; छबीलदास मेहता बनाम। विधानसभा, गुजरात राज्य, [1970 Guj.LR 729] और हरद्वारी लाल बनाम। भारत का चुनाव आयोग, [1977 (2) पुंज। & हर. 269] , संदर्भित किया गया।

क्लार्क बनाम। ब्रैडलॉफ, [1881] 8 क्यू. बी. डी. 63, का उल्लेख किया गया है।

2. संविधान निर्माताओं ने विस्तृत और विशिष्ट बनाया है

जिस तरह से कोई व्यक्ति संसद सदस्य (निर्वाचित/मनोनीत) बनता है, वह अवधि जिसके लिए वह सदस्य के रूप में बना रहता है और जिस तरह से वह सदस्य नहीं रह जाता है और उसकी सीट खाली हो जाती है, उसके बारे में प्रावधान। इसलिए न तो चुनाव या नामांकन का प्रश्न, न ही कार्यकाल, न ही संविधान में व्यक्त प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली सदन की सदस्यता की समाप्ति/समाप्ति, अनुच्छेद 105 (3) में उल्लिखित सदन की 'अन्य शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति' के अंतर्गत आ सकती है।

[पैरा 31]

[658-सी-डी]

3. संविधान चुनाव/नियुक्ति के लिए स्पष्ट प्रावधान करता है।

और कार्यपालिका (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति), न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों) की सेवा को हटाना/बंद करना।

न्यायालय) और अन्य सभी संवैधानिक पदाधिकारी (महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि)। यह है।

इसलिए यह अकल्पनीय है कि संविधान निर्माताओं ने सदस्यता की समाप्ति या परिणामी रिक्ति के तरीकों में से एक के रूप में 'निष्कासन' का प्रावधान करना छोड़ दिया होगा, अगर उनका इरादा ऐसी शक्ति को सौंपना है

संसद। [पैरा 32] [658-ई-एफ]

4. संविधान में व्यक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जब

व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है (और राजा राम पाल बनाम।

सम्मानित वक्ता, लोक सभा 359

इस प्रकार सदस्य होना समाप्त हो जाता है) और जब कोई परिणामी रिक्ति उत्पन्न होती है, तो अनुच्छेद 105 में निर्दिष्ट आकस्मिक शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का सहारा लेकर निष्कासन और परिणामी रिक्ति के माध्यम से सदस्यता की समाप्ति की एक नई श्रेणी को पढ़ने की अनुमति नहीं है।

[पैरा 33] [658-जी]

5. अनुच्छेद 105 का खंड (3) 'अन्य मामलों में' शब्दों के साथ शुरू होता है।

खंड (3) में 'शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति' का प्रावधान अनुच्छेद 105 के खंड (1) में संसद में बोलने की स्वतंत्रता के मुख्य विशेषाधिकार और अनुच्छेद 105 के खंड (2) में अदालती कार्यवाही के खिलाफ मुख्य उन्मुक्ति का उल्लेख करने के बाद होता है। इसलिए, खंड (3) का उद्देश्य 'गैर-मुख्य' या 'आनुषंगिक' या विविध शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का प्रावधान करना है जो उल्लेख करने के लिए कई हैं। खंड (3) से दो बातें स्पष्ट हैं। इसका उद्देश्य नामांकन/चुनाव, पद की अवधि, योग्यता, अयोग्यता/समाप्ति से संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना नहीं है, जिनके लिए अनुच्छेद 80,81,83,84,101 और 102 में पहले से ही स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। न ही इसका उद्देश्य अनुच्छेद 105 के खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट अदालती कार्यवाही से बोलने की स्वतंत्रता या महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रदान करना है। कल्पना के किसी भी विस्तार से, किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति को एक 'आकस्मिक' मामला नहीं माना जा सकता है। यदि ऐसी शक्ति दी जानी होती तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता।

[पैरा 34] [658-एच, 659-ए-सी, ई]

1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, यूपी विधानसभा मामला, [1965] 1 एससीआर 413 , पर भरोसा किया।

6. भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में उचित मार्ग

संसद सदस्य के खिलाफ, कानून के अनुसार सदस्य पर मुकदमा चलाना है। अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है

उपलब्ध, P.V.Narasimha राव बनाम में निर्णय के रूप में। राज्य एक ऐसे सदस्य के लिए प्रतिरक्षा को मान्यता देता है जो रिश्वत लेने वाला है, केवल तभी जब संसद में उसके द्वारा दिए

गए 'वोट' के संबंध में 'रिश्वत' ली जाती है और अन्यथा नहीं। ऐसे मामलों का तेजी से पता लगाया जा सकता है। इस तरह की आपराधिक कार्यवाही लंबित होने पर, सदस्य को यदि आवश्यक हो तो अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, ताकि उसे सदनों के विचार-विमर्श में भाग लेने से रोका जा सके। मुकदमा चलाए जाने पर, यदि सदस्य दोषी ठहराया जाता है, तो वह सदस्य के रूप में बने रहने या बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है।

अनुच्छेद 102 (1) (ई) के तहत। यदि वह बरी हो जाता है, तो वह सदस्य के रूप में बने रहने का हकदार है। हालाँकि यह बोझिल लग सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर संविधान का यही इरादा है। [पैरा 35] [659-एफ-जी]

पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य, [1998] 4 एस. सी. सी. 626, पर निर्भर था।

[2007] 1 एस सी आर।

360

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: 2006 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

टी. सी. (सी) संख्या। 82/2006 , 83/2006 , 84/2006 , 85/2006 , 86/2006 , 87/2006 , 88 /

2006 , 89/2006 , 90/2006 और डब्ल्यूपी (सी) सं. 129/2006।

गोपाल सुब्रमण्यन, ए. एस. जी., दयान कृष्ण, गौतम नारायण, सत्यकाम,

भारत के लिए अटॉर्नी जनरल के लिए टी. एस. मूर्ति, राघेंत बसंत, अमन अहलूवालिया, अरुणव पटनायक, अभिषेक तिवारी और डी. एस. माहरा।

राम जेठमलानी, पी. एन. लेखी, टी. आर. अंधारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता। डॉ. कृष्ण

सिंह चौहान, डॉ. इंद्र प्रताप सिंह, ज्ञान मित्रा, चांद किरण, पी. के. जयकृष्णन, के. सी. लांबा, सुधा पाल, वी. के. शुक्ला, निश्चल कुमार नीरज, आशीष त्रिपाठी, के. के. मोहन, नवल

किशोर झा, एम. पी. झा, हर्षवर्धन झा, राम एकबल रॉय, रानी जेतमलानी, हरीश पांडे, समर बंसल, अभिक कुमार, पी. आर. माला, राजीव कुमार तिवारी, राजेश कुमार, संजय कुमार पाठक, देवव्रत, हरीश पांडे, राजीव कुमार तिवारी, लता कृष्णमूर्ति, सचिन जैन, मुकेश कुमार त्रिपाठी, लोकेश कुमार, संजय कुमार, जसप्रित एस. राय, राकेश कुमार, एम. के. गर्ग, मीन

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे
माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा माननीय श्री के साथ बहुमत निर्णय।

न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन, माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. के. ठक्कर और माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. के. जैन।

वाई. के. सभरवाल, सीजेआई। :
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 की व्याख्या जारी है।

इन मामलों में। सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 105 में निहित शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का प्रयोग करते हुए संसद के सदन अपने-अपने सदस्यों को संसद की सदस्यता से निष्कासित करने के लिए सक्षम हैं।

घर को। यदि ऐसी शक्ति मौजूद है, तो क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि ऐसा है, तो ऐसी न्यायिक समीक्षा का दायरा।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 361

2. जिस दुर्भाग्यपूर्ण पृष्ठभूमि में उपरोक्त प्रश्न उठे हैं, वह यह आरोप है कि संसद सदस्य (सांसद) संबंध में मौद्रिक विचार करने की अनैतिक और भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त थे

सांसद के रूप में उनके कार्यों के लिए।

3. एक निजी चैनल ने 12 दिसंबर, 2005 को एक कार्यक्रम प्रसारित किया था जिसमें लोक सभा (लोकसभा) के 10 सांसद और लोक सभा परिषद के एक सांसद को दिखाया गया था।

राज्य (राज्य सभा) सदन में कुछ प्रश्न उठाने के लिए या अन्यथा कुछ कारणों का समर्थन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या बिचौलिये के माध्यम से धन स्वीकार करते हैं। इससे मीडिया में व्यापक प्रचार हुआ। संसद के प्रत्येक सदन के पीठासीन अधिकारियों ने अलग-अलग समितियों के

माध्यम से जांच शुरू की। एक अन्य निजी चैनल ने 19 दिसंबर, 2005 को अनुचित आचरण का आरोप लगाते हुए एक कार्यक्रम प्रसारित किया।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (संक्षेप में 'एम. पी. लैड' योजना) के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यसभा के एक अन्य सांसद। इस घटना को एक समिति को भी भेजा गया था।

4. जाँच की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अन्य बातों के साथ-साथ, लोकसभा के 10 सदस्यों के खिलाफ साक्षय दोषपूर्ण थे; यह दलील कि वीडियो फुटेज के साथ छेड़छाड़/छेड़छाड़/संपादन किया गया था, कोई योग्यता नहीं थी; कोई वैध नहीं था। समिति द्वारा वीडियो फुटेज की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कारण; उक्त 10 सदस्यों द्वारा धन स्वीकार करने के आरोप लगाए गए थे

यह स्थापित किया कि धन की स्वीकृति के किन कार्यों का संसद के काम से सीधा संबंध था और उनकी ओर से ऐसा आचरण था जो था

संसद सदस्यों का अशोभनीय और अनैतिक भी और सख्त कार्रवाई का आह्वान। बहुमत की रिपोर्ट में यह विचार भी दर्ज किया गया कि अपने सदस्यों द्वारा किए गए कदाचार या अवमानना के मामले में, सदन चेतावनी, फटकार, सदन से वापस लेने की प्रकृति में सजा दे सकता है।

सदन, सदन की सेवा से निलंबन, कारावास और सदन से निष्कासन। बहुमत की रिपोर्ट में सदन में सवाल उठाने के लिए सांसदों द्वारा धन की स्वीकृति पर अपनी गहरी पीड़ा दर्ज की गई और पाया गया कि इसने एक संस्था और लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में संसद की विश्वसनीयता को कम कर दिया है

इस देश में और 10 सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए पाया कि सदन के सदस्यों के रूप में उनका बने रहना असमर्थनीय होगा। हालाँकि, एक सदस्य ने इन कारणों से असहमति का एक नोट दर्ज किया कि प्रक्रिया की उनकी समझ में

कानून द्वारा स्थापित, किसी भी सदस्य को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के अलावा निष्कासित नहीं किया जा सकता है और इसलिए इस मामले से निपटा जाना चाहिए।

विशेषाधिकार समिति के नियमों के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. जाँच समिति की रिपोर्ट को मेज पर रखे जाने पर

सदन, लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें समिति की रिपोर्ट में निहित निष्कर्ष को स्वीकार किया गया था कि सदस्यों का आचरण संसद सदस्यों के लिए अनैतिक और अशोभनीय था और सांसद के रूप में उनका बने रहना असमर्थनीय है। उसी दिन यानी 23 दिसंबर, 2005 को लोकसभा सचिवालय ने विवादित अधिसूचना जारी की, जिसमें उसी तारीख से उन सांसदों के निष्कासन को अधिसूचित किया गया। रिट याचिकाओं/स्थानांतरण मामलों में, निष्कासित सांसदों ने अपने-अपने निष्कासन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

6. लगभग इसी तरह की प्रक्रिया राज्यसभा द्वारा शुरू की गई थी।

अपने सदस्य का सम्मान करें। यह मामला राज्यसभा की आचार समिति को भेजा गया था। बहुमत की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने पाया कि सदस्य ने राज्यसभा में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए धन स्वीकार किया था और बचाव में उनके द्वारा की गई याचिका उसके समक्ष साक्ष्य के आलोक में असमर्थनीय थी। तथापि, एक सदस्य ने तथ्यात्मक निष्कर्ष के बारे में समिति के अन्य सदस्यों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए राय व्यक्त की कि अन्य बातों के अलावा, इस विषय पर कानून के संबंध में अलग-अलग राय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय, जिनमें प्रक्रिया के नियमों द्वारा भ्रम जोड़ा गया था, जैसे कि नियम 297 (डी) में निष्कासन को एक दंड के रूप में प्रदान नहीं किया गया था, त्रुटि के किसी भी अंतर को खारिज करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता थी और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता थी।

नैतिकता समिति की रिपोर्ट को राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया

निष्कासन की सिफारिश के साथ सहमति व्यक्त करते हुए और उसी तारीख यानी 23 दिसंबर, 2005 को तत्काल प्रभाव से सदस्य को राज्यसभा की सदस्यता से निष्कासित करने की अधिसूचना जारी की गई थी।

8. रिट याचिका (सी) No.129/2006 में याचिकाकर्ता का मामला इस प्रकार है -

अलग, हालांकि परिस्थितियों का समान समूह। इस मामले में कार्यक्रम के प्रसारण ने एम. पी. लैड के कार्यान्वयन में अनुचित आचरण का आरोप लगाया। योजना। यह कार्यक्रम 19 दिसंबर, 2005 को प्रसारित किया गया था। नैतिकता समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि असंपादित फुटेज को देखने के बाद, समिति का विचार था कि यह एक खुला और बंद मामला था क्योंकि सदस्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के और पेशेवर तरीके से तथाकथित एनजीओ को अपने

गृह राज्य/जिले में परियोजनाएं स्थापित करने और एमपीलैड योजना के तहत कार्यों की सिफारिश करने में मदद करने के लिए आयोग की मांग की थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सदस्य का आचरण संहिता आर. ए. जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. बनाम का उल्लंघन है।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 363 राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचरण और यह मायने नहीं रखता कि कोई पैसा हाथ बदला या नहीं या क्या वास्तव में किसी कमीशन का भुगतान किया गया था या नहीं। यह पाया गया कि सदस्य ने न केवल घोर दुराचार किया है, बल्कि अपने आचरण से उन्होंने सदन की गरिमा को भी कम किया है।

सदस्य और इस तरह से कार्य किया जो उन मानकों के साथ असंगत है जो सदन अपने सदस्यों से उम्मीद करने का हकदार है। चूंकि सदस्य के आचरण ने सदन और उसके सदस्यों को बदनाम किया है, इसलिए समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि सदस्य ने सदस्य के रूप में बने रहने का अपना अधिकार खो दिया है और इसलिए, उसे सदन की सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की है। राज्यसभा ने नैतिकता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सिफारिश से सहमत प्रस्ताव को 21 मार्च, 2006 को अपनाया गया, जिससे सदस्य को सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। उसी दिन राज्यसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी।

9. राज्यसभा के दोनों सदस्यों ने भी चुनौती दी है

उनके निष्कासन की संवैधानिक वैधता। अनुच्छेद 105 इस प्रकार है:

" 105. संसद के सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि और

इसके सदस्य और समितियाँ। - (1) विषय के अधीन
इस संविधान के प्रावधान और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियम और स्थायी आदेश,

(2) संसद का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई भी न्यायालय और कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में ऐसा उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

प्रत्येक सदन, ऐसा होगा जो समय-समय पर संसद द्वारा विधि द्वारा परिभाषित किया जाए, और इस प्रकार परिभाषित होने तक, संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यों और समितियों का होगा।

(4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान [2007] 1 एस. सी. आर. के संबंध में लागू होंगे।

364

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद या उसकी कोई समिति जो उनके संबंध में लागू होती है - संसद के सदस्य "।

10. अनुच्छेद 194 में निहित समान प्रावधान है -

राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। अनुच्छेद 194 इस प्रकार है - इसके अंतर्गत:

मेड

{

" 194. विधान सभा की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि और

इसके सदस्य और समितियाँ। - (1) विषय के अधीन

इस संविधान के प्रावधान और नियमों और स्थायी आदेशों के लिए विधान-मंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने की स्वतंत्रता होगी।

प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में भाषण।

(2) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य किसी भी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा।

उसके द्वारा विधानमंडल या उसकी किसी समिति में दिया गया, और नहीं व्यक्ति द्वारा या उसके तहत प्रकाशन के संबंध में इतना उत्तरदायी होगा

ऐसे विधानमंडल के किसी सदन का किसी प्रतिवेदन, पत्र का प्राधिकार, वोट या कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, एक की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

किसी राज्य के विधानमंडल का सदन, और सदस्यों और

ऐसे विधानमंडल के किसी सदन की समितियाँ ऐसी होंगी जो

समय-समय पर विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा परिभाषित किया जाएगा, और, जब तक

इस प्रकार परिभाषित, वे होंगे जो उस सदन और उसके सदस्यों के होंगे और

धारा 26 के लागू होने से तुरंत पहले समितियाँ

संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978।
(4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।

जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर अधिकार है

किसी सदन की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने के लिए

किसी राज्य के विधान-मंडल या उसकी किसी समिति का, जैसा वे लागू करते हैं, उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में "।

11. अनुच्छेद 105 (3) में धारा 15 के संदर्भ में परिवर्तन किया गया

संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978। अनुच्छेद 105 (3) में, "शब्द संयुक्त राजा राम पाल बनाम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के होंगे।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 365

इस संविधान के प्रारंभ में राज्य और उसके सदस्यों और समितियों के स्थान पर "संविधान (चालीस-चौथा संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले उस सदन और उसके सदस्यों और समितियों के शब्द" प्रतिस्थापित किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद

194 (3) में भी इसी तरह के बदलाव किए गए थे। इन संशोधनों की अनुच्छेद 105 (3) की व्याख्या निर्धारित करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि संशोधन स्पष्ट रूप से इन अनुच्छेदों में हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटाने के उद्देश्य से केवल कॉस्मेटिक प्रतीत होते हैं।

12. 1978 में संशोधन से पहले, अनुच्छेद 105 का खंड (3) इस प्रकार पढ़ा जाता था:

इसके अंतर्गत:

" (3) . अन्य मामलों में, की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ संसद का प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्य और समितियाँ ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकें, और इस प्रकार परिभाषित होने तक, इस संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और इसके सदस्यों और समितियों की होंगी। 33

विवादात्मक बातें

13. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को निहित सभी शक्तियां, विशेषाधिकार या उन्मुक्ति,

यूनाइटेड किंगडम की संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं था संविधान के अनुच्छेद 105 (3) के तहत भारत में विधानसभाओं को विरासत में मिला।

14. मुख्य तर्क यह है कि निष्कासन की शक्ति और विशेषाधिकार

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा स्व-रचना की अपनी शक्ति के एक पहलू के रूप में प्रयोग किया गया था और चूंकि इस तरह की स्व-रचना की ऐसी शक्ति संविधान द्वारा भारतीय विधानमंडल को नहीं दी गई है, इसलिए उसे अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति विरासत में नहीं मिली है। तर्क यह है कि निष्कासन आवश्यक है

उपचारात्मक के बजाय प्रकृति में दंडात्मक और ऐसी शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित है जो अपनी क्षमता में अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के परिणामस्वरूप है

संसद का एक उच्च न्यायालय और चूंकि यह दर्जा भारतीय विधानमंडल को नहीं दिया गया था, इसलिए संसद के सदनों द्वारा निष्कासन की शक्ति का दावा नहीं किया जा सकता था।

अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद। यह भी उनका तर्क है कि अनुच्छेद 105 (3) के माध्यम से निष्कासित करने की शक्ति का दावा इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि ऐसी व्याख्या अन्य

संवैधानिक प्रावधानों के साथ टकराव में आएगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अस्वीकार करने के बारे में भी शिकायत की गई है।

जाँच कार्यवाही में और यह तर्क दिया जाता है कि सकल और [2007] 1 एस. सी. आर. हैं।

366

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेटेंट अवैधताएँ जो प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के अनुरोध पर अनुच्छेद 122 द्वारा न्यायिक समीक्षा से संरक्षित नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क आगे यह है कि विधायिका की पूर्ण शक्तियां भी संविधान की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और इसलिए, इसे संविधान के भीतर कार्य करना पड़ता है।

सीमित सीमाएँ। निवेदन यह है कि यह न्यायालय संवैधानिक मुद्दों और ऐसे मामलों में न्यायिक शक्ति के अस्तित्व पर अंतिम मध्यस्थ है।

मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए और संवैधानिक प्रावधानों और योजनाओं के उचित पालन के लिए नागरिक में न्यायालय जाने के अधिकार के अस्तित्व को अनिवार्य रूप से और अनिवार्य रूप से स्वीकार करना चाहिए, जिसके अभाव में न्यायिक अंग को प्रदान की गई शक्ति को अर्थहीन कर दिया जाएगा। तर्क यह भी है कि राज्य की प्रत्येक शाखा को प्रदत्त शक्ति की सीमा और दायरा, संविधान के तहत ऐसी शक्ति के प्रयोग और किसी भी शाखा की किसी भी कार्रवाई पर सीमित है जो इस तरह का उल्लंघन करती है।

संविधान के अंतिम दुभाषिये के रूप में निर्धारित करने की सीमा न्यायपालिका के लिए है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें संवैधानिक और कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है

नागरिक भ्रमित हो जाएँगे यदि इसे विचाराधीन अंग पर छोड़ दिया जाए

अपनी कार्रवाई की वैधता का निर्धारण करें। वे आगे कहते हैं कि यह संविधान के प्रत्येक प्रावधान में व्याप्त कानून के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत भी है, न कि इसका मूल और सार है, कि कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल इस शर्त पर नहीं किया जाना चाहिए कि -

संविधान लेकिन यह भी कानून के अनुसार होना चाहिए कि किस संदर्भ में यह मुख्य रूप से न्यायपालिका का कार्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कानून का पालन किया जाए और संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता का पालन किया जाए जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के रूप में उपयोग किए जाने वाले पेटेंट हथियार के माध्यम से किया जाता है।

15. इस दलील पर कि इस न्यायालय के पास शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र है

इस प्रकार के मामले में न्यायिक समीक्षा जहां राज्य के एक अन्य समन्वय अंग ने बल पर शक्ति और विशेषाधिकार का दावा किया है

ऐसा प्रतीत होता है कि "अनन्य संज्ञान" का दावा करने वाले संवैधानिक प्रावधान के बारे में, जिसका अर्थ है न्यायिक हस्तक्षेप से प्रतिरक्षा, याचिकाकर्ताओं की दलीलों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

" (i) न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक घटना है और इससे प्रवाहित होती है -

अवधारणा है कि मौलिक और उच्च कानून की कसौटी हैं

राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों की सीमाएँ जो प्राप्त होती हैं

संविधान के अधीन शक्ति और प्राधिकार, जिसकी न्यायिक शाखा

दुभाषिया है, राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 367

(i) इंग्लैंड के विपरीत जहां संसद संप्रभु है, भारत जैसे लिखित संविधान वाले संघीय राज्य में, संविधान की सर्वोच्चता इसके अस्तित्व के लिए मौलिक है, जिसे सर्वोच्चता स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधिकार द्वारा संरक्षित किया जाता है जो दुभाषिया के रूप में कार्य करता है।

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से जिसके लिए

विधायिका उत्तरदायी है और जहां से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकती है;

((iii) विधायी सर्वोच्चता संविधान, संसद के अधीन है।

अपनी शक्तियों की प्रकृति, दायरा और प्रभाव को अपने लिए निर्धारित नहीं कर सकते हैं जो, परिणामस्वरूप, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हैं

न्यायिक अंग;

(iv) याचिकाकर्ता यह भी इंगित करेंगे कि इंग्लैंड की संसद के विपरीत, भारत में विधानमंडल का दर्जा कभी भी उच्च न्यायालय का नहीं रहा है और यहां तक कि संसद के विशेषाधिकार भी हैं।

उन सीमाओं के अधीन जो अनिवार्य रूप से पता लगाने योग्य होनी चाहिए और इसलिए,

किसी भी अन्य अधिकार की तरह, न्यायालय द्वारा जांच के अधीन;

(v) विधायी कक्ष के भीतर भी किसी भी कार्यवाही की वैधता पर न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है जब वह अवैधता और असंवैधानिकता से ग्रस्त हो और संसद के लिए कोई प्रतिरक्षा उपलब्ध न हो।

न्यायिक समीक्षा से "।

16. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संसद के सदनों के पास किसी मौजूदा सदस्य को निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं थी। वे दलील देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को सदन की सदस्यता से या उसके तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है मीडिया रिपोर्टों के परिणामस्वरूप कार्यवाही के अनुसार आक्षेपित अधिसूचनाएँ जैसे कि मूल और विशेषण कानून की अवहेलना की गई थी

और प्रतिबंध की शक्ति के प्रयोग पर लगाए गए संवैधानिक प्रतिबंध को पराजित कर दिया गया था। इस मामले में कि भारतीय विधानमंडल अपने सदस्यों के निष्कासन की शक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं, तर्क इस प्रकार दिए गए हैं:

" (i) संसद के बाद से विधानमंडल के पास अपने सदस्य को निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं है।

किसी भी कानून को अधिनियमित नहीं किया है जो एक निर्दिष्ट परिस्थिति में किसी सदस्य के निष्कासन का प्रावधान करता है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति को सक्षम करने के संदर्भ में

संविधान के अनुच्छेद 105 (3) में उपलब्ध विषय;

ओ.

निष्कासन अवैध, मनमाना और असंवैधानिक हैं, जो उल्लंघनकारी हैं।

अनुच्छेद 83,84 और 101 से 103,105 और 190 से 193 [2007] 1 एस. सी. आर.

..368

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान का;

एल.

((ii) भारत के संविधान या नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

संसद के सदनों की प्रक्रिया और संचालन के लिए
प्रस्ताव को स्वीकार करके किसी सदस्य का निष्कासन और इस प्रकार विवादित

अधिनियम संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे;

((iv) एक प्रस्ताव के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को विधानमंडल से निष्कासित करना।

विधानमंडलों में सत्तारूढ़ बहुमत को तानाशाही शक्तियाँ दें
भविष्य और इस प्रकार आगे दुरुपयोग के लिए प्रवण हो;

(v) दुनिया भर के लोकतंत्रों को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक कानून,

निर्वाचित सदस्यों को बहिष्कृत करने की शक्ति की अनुमति न दें
विधायी कक्ष "।

17. यह दावा करते हुए कि वे निर्दोष थे और तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन के पीछे के व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया था, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं को बदनाम करने के लिए सस्ते प्रचार और गलत लाभ के लिए दुर्भावनापूर्ण और लालची इरादे से काम किया था, याचिकाकर्ताओं ने संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह न्यायिक हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए घोर अवैधता (प्रक्रियात्मक अनियमितता के खिलाफ) से पीड़ित है। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दोनों सदनों द्वारा की गई पूछताछ अनावश्यक रूप से जल्दबाजी में की गई थी; न तो निष्पक्ष थी और

न ही निष्पक्ष थी और इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है जिसका पालन करने की आवश्यकता थी क्योंकि जिस कार्रवाई पर विचार किया गया था, उसके नागरिक परिणाम होंगे; याचिकाकर्ताओं को कानून के सामान्य अपराधियों के रूप में भी नहीं माना गया था और उन्हें कानूनी परामर्श और व्याख्या करने के अवसर के माध्यम से अपना बचाव करने के बुनियादी अवसर से वंचित किया गया था; वीडियोग्राफी आदि के रूप में साक्षय। इस तरह के साक्षय की सत्यता का परीक्षण करने के लिए उन्हें अवसर दिए बिना उन पर भरोसा किया गया था, विशेष रूप से उनके बचाव के सामने कि वीडियो क्लिपिंग के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी याचिका की ठीक से जांच या जांच नहीं की गई थी और इस तरह के साक्षय पर भरोसा किया गया था।

असंवैधानिक होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन; याचिकाकर्ताओं का दावा है कि विवादित निर्णयों के परिणामस्वरूप उन्हें अपूरणीय क्षति हुई थी और उनकी छवि और प्रतिष्ठा में राजा राम पाल बनाम था।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.) 369 मतदाताओं की नजरों में कम किया गया।

18. संसद के दोनों सदनों ने अपने-अपने सचिवालयों के माध्यम से इस मामले में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है। विवादित निर्णय हैं,

हालाँकि, भारत संघ द्वारा उनका बचाव करने की मांग की गई। विवाद

भारत संघ की ओर से आग्रह किया गया है कि सदन में प्रश्न प्रस्तुत करने और मामले उठाने के लिए धन स्वीकार करने के आचरण को संसद के संबंधित सदनों द्वारा सदन के सदस्यों के लिए अशोभनीय माना जाता है, जिससे वे संबंधित सदनों के सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। निष्कासन की कार्रवाई संसद के सदनों की अंतर्निहित शक्ति और विशेषाधिकारों के भीतर के मामले हैं। प्रत्येक सदन का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक उपाय लागू करने के अधिकार सहित हस्तक्षेप से मुक्त होकर सदन की दीवारों के भीतर अपनी आंतरिक कार्यवाही का संचालन करे। विशेषाधिकार और अवमानना के मामले में बाहरी व्यक्ति पर सदन की कार्रवाई की जांच करने की न्यायालय की शक्ति सदन की दीवारों के भीतर अपने सदस्यों पर मामलों तक नहीं फैली हुई है। जब किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, तो यह सदन से संबंधित मामला होता है और निष्कासन की शिकायत संसद की दीवारों के भीतर की कार्यवाही के संबंध में होती है और सदन की दीवारों के भीतर प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों के संबंध में, सदन स्वयं अंतिम न्यायाधीश होता है।

संविधान के अनुच्छेद 105 (3) के तहत अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए संबंधित सदनों द्वारा इन सदस्यों का निष्कासन उचित रूप से किया गया है, जिसकी शक्ति और निष्कासन के विशेषाधिकार का प्रयोग अतीत में भी संसद के सदनों द्वारा किया गया है। निष्कासन सदन के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने के लिए कोई अक्षमता पैदा नहीं करता है।

19. हमने सुना है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी, श्री राम जेठमलानी, श्री राम जेठमलानी,

के अलावा, गणराज्य और लोकतांत्रिक रूप शामिल हैं। सरकार का, और विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती के बाद एक के बाद एक मामलों में दोहराया गया है, जिसमें उनमें से कुछ का नाम, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण, [1975] पूरक एस. सी. सी. 1, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, [1980] 3 एस. सी. सी. 625, न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति v. भारत संघ,

[1991] 4 एस. सी. सी. 699, आई. मणिलाल सिंह बनाम। एच. बोरोबाबू सिंह (डॉ.), [1994] पूरक 1 एस. सी. सी. 718, भारत संघ बनाम। एस. एन. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए, [2002] 5 एस. सी. सी. 294,2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1, पुनः (गुजरात विधानसभा चुनाव मामला) [2002] 8 एस. सी. सी. 237, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) v. भारत संघ, [2003] 4 एस. सी. सी. 399, प्रताप सिंह बनाम। झारखंड राज्य,

[2005] 3 एस. सी. सी. 551, रामेश्वर प्रसाद (6) बनाम। भारत संघ, [2006] 2 एस. सी. सी. 1, कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ, [2006] 7 एससीसी 1.

22. कि भारत में संसदीय लोकतंत्र गुणात्मक रूप से अलग है

इंग्लैंड में जहाँ से हमने वेस्टमिंस्टर को उधार लिया है

सरकार का मॉडल भी अच्छी तरह से स्थापित है। इस संदर्भ में, इस आधार पर आगे बढ़ने से पहले, हम 1964 के विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एस. सी. आर. 413 (यू. पी. विधानसभा मामला) में पृष्ठ 444 पर उपस्थित संविधान पीठ (7 न्यायाधीश) की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत कर सकते हैं:

" इस प्रश्न से निपटने के लिए एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषताएँ ये हैं कि
संसद को कोई भी कानून बनाने या उसे हटाने का अधिकार है।

इंग्लैंड के कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय को मान्यता नहीं दी गई है

संसद के विधान को ओवरराइड या अलग करने का अधिकार, और वह

संसद का अधिकार या शक्ति संसद के प्रत्येक भाग तक फैली हुई है।
रानी के प्रभुत्व [Dicey, संविधान का कानून 10 वां संस्करण।

Pp.xxxiv, XXXV)। दूसरी ओर, की आवश्यक विशेषताएँ

संघवाद "सीमित कार्यपालिका, विधायी और

ऐसे निकायों के बीच न्यायिक प्राधिकरण जो राजा राम पाल बनाम के साथ समन्वय करते हैं।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 371

एक-दूसरे से स्वतंत्र "। संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक है ताकि संघीय इकाई या सदस्य के विधानमंडल को रोका जा सके।
राज्य शक्ति के उस नाजुक संतुलन को नष्ट या बाधित करने से बचते हैं जो उन राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है जो संघ के इच्छुक हैं, लेकिन अपनी व्यक्तित्व को एकता में विलय करने के लिए तैयार नहीं हैं। संविधान की यह सर्वोच्चता शक्तियों के वितरण की योजना के दुभाषिया के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधिकार द्वारा संरक्षित है। न ही कोई बदलाव संभव है।

विधान [आई. बी. आई. डी. पी. आइएक्सवीआई]। इस प्रकार की प्रमुख विशेषता ब्रिटिश संविधान पर हमारे जैसे संघीय संविधान द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है।

23. भारत में अपनाई गई संवैधानिक योजना में, विधायिकाएं पहले निर्धारित लक्षयों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्र और भव्यता और महिमा की स्थिति का आदेश दें। नि:संदिग्ध रूप से विधानमंडलों के पास पूर्ण शक्तियाँ होती हैं लेकिन ऐसी शक्तियों का नियंत्रण

लिखित संविधान की बुनियादी अवधारणाओं का उपयोग सातवीं अनुसूची के तहत उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र को आवंटित विधायी क्षेत्रों के भीतर किया जा सकता है। उनके पास पूर्ण विधायी अधिकार है और उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन करते हैं

संविधान के प्रासंगिक प्रावधान। लेकिन, उस शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। इस संदर्भ में, उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले में पूर्व-उल्लिखित निर्णय के पृष्ठ 445 पर दिखाई देने वाली निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी ध्यान देना उपयोगी होगा:

" ..... इसके अलावा, हमारी विधानसभाओं की विधायी सर्वोच्चता सहित

संसद आम तौर पर संविधान के भाग III में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। यदि विधायिकाएँ इससे आगे बढ़ जाती हैं

उन्हें सौंपे गए विधायी क्षेत्र, या उनके संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्य करते हुए, वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इस तरह से उल्लंघन करते हैं जो उक्त मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रासंगिक अनुच्छेदों द्वारा उचित नहीं है, उनके विधायी कार्यों को भारत में अदालतों द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसलिए, यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारी विधानसभाओं के पास पूर्ण शक्तियां हैं, वे संविधान के सामग्री और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं।

संविधान। "[2007] 1 एस. सी. आर.

372

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. राज्य के न्यायिक अंग को अंतिम मध्यस्थ बनाया गया है

संवैधानिक मुद्दे और इस संबंध में इसका अधिकार और अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। उठाए गए जटिल संवैधानिक प्रश्नों को समझने से पहले, हम सभी की तुलना में खुद को अधिक याद दिलाएँगे। अन्यथा, पृष्ठ 447 पर की गई निम्नलिखित टिप्पणियों में से:

" ..... इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि स्थिति,

इन दोनों संबंधित संस्थानों की गरिमा और महत्व,

विधायिका और न्यायपालिका, मुख्य रूप से से व्युत्पन्न हैं

निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका जो एक अन्य महत्वपूर्ण है
एक लोकतांत्रिक राज्य का घटक, विरोधी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए

न ही शत्रुता की भावना में, लेकिन तर्कसंगत रूप से, सामंजस्यपूर्ण रूप से और एक

उनके संबंधित क्षेत्रों के भीतर समझ की भावना, इस तरह के लिए

लोकतांत्रिक के तीन घटकों का सामंजस्यपूर्ण कार्य

अकेले राज्य शांतिपूर्ण विकास, विकास और विकास में मदद करेगा।

इस देश में जीवन के लोकतांत्रिक तरीके का स्थिरीकरण।

25. इसमें शामिल मुद्दों की जांच को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रकाश में हमारी संवैधानिक योजना के मूल लोकाचार।

26. भारत का संविधान भाग 5 के अध्याय 2 के माध्यम से प्रदान करता है -

संघ विधानमंडल, जिसे "संसद" कहा जाता है। संसद में राष्ट्रपति के अलावा दो सदन होते हैं जिन्हें क्रमशः राज्य परिषद के रूप में जाना जाता है।

(राज्यसभा) और लोक सभा। अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना के मामले से संबंधित है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 83 के संदर्भ में, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, जो विघटन के अधीन नहीं है, इसकी निरंतरता हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के प्रतिस्थापन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। दूसरी ओर, लोकसभा को पांच साल का एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है, जब तक कि जल्दी भंग न हो या जब तक कि इसका कार्यकाल समाप्त न हो जाए।

अनुच्छेद 83 के उप-नियम (2) के परंतुक में दिए गए आपातकाल की स्थिति में विस्तारित।

27. भारत ने अपने लिए जिस ढीले संघीय ढांचे को अपनाया है,

जहाँ भारत विनाशकारी इकाइयों का एक अविनाशी संघ है, वहाँ राज्यों को नियंत्रित करने वाले भाग VI के अध्याय III में राज्य विधानमंडल के लिए एक प्रावधान है, राजा राम पाल v.

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 373

लगभग केंद्र में स्थापित व्यवस्था के समान।

28. संघ और राज्यों के बीच संबंध संविधान के भाग 11 में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

29 संविधान, अनुच्छेद 118 और अनुच्छेद 208 के माध्यम से, केंद्र और राज्यों में क्रमशः विधानमंडल को अधिकार देता है -

"इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" अपनी संबंधित प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाएँ।

30. चूँकि हम इन कार्यवाहियों में मुख्य रूप से संसद के सदनों से संबंधित हैं, इसलिए यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रत्येक सदन अपने

अनुच्छेद 118 के तहत शक्तियों ने प्रक्रिया के विस्तृत नियम बनाए हैं जिन्हें "लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम" और राज्य परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम कहा जाता है।

31. इन निकायों के उच्च दर्जे को ध्यान में रखते हुए, संविधान ने संसद और राज्य विधानमंडलों और उनके संबंधित सदस्यों को कुछ शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की। इस उद्देश्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 105 में विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए थे।

32. वर्तमान में, यह केवल ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 का उप-अनुच्छेद (1) क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को विधानमंडल में "बोलने की स्वतंत्रता" प्रदान करता है, हालांकि संविधान के "प्रावधानों के अधीन" और संसद या विधानमंडलों की "प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और आदेशों के अधीन", जैसा भी मामला हो।

33. उप-उक्त दोनों अनुच्छेदों का अनुच्छेद (2) अन्य बातों के साथ-साथ, विधानमंडलों के सदस्यों को किसी भी मामले में किसी भी कार्यवाही से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में न्यायालय विधायिकाएँ या उनकी कोई समिति। अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (3) में घोषणा की गई है कि विधानमंडलों के प्रत्येक सदन और उसके सदस्यों और समितियों की "शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति", अन्य मामलों में, "ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा," कानून द्वारा "और" इस तरह परिभाषित होने तक ", वे होंगी जो उक्त सदनों या सदस्यों को प्राप्त थीं।

1978 में संशोधन के लागू होने से ठीक पहले उनकी समितियों की।

374

34. अनुच्छेद 122 अन्य बातों के साथ-साथ बहुत महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 105, क्योंकि यह "संसद की कार्यवाही" के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता को प्रतिबंधित करता प्रतीत होता है। यह नीचे लिखा है:

" 122. न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे। - (1)

संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें शक्तियाँ निहित हों।

प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत या

संसद में कार्य संचालन या व्यवस्था बनाए रखने के लिए -
द्वारा अभ्यास के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन

उन शक्तियों में से "।

35. राज्य विधानमंडल के संबंध में भी ऐसा ही प्रावधान है।

36. असंख्य मुद्दों पर अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कि

विभाजन के दोनों ओर उठाए गए हैं, हमने पाया है कि न्यायालय द्वारा संबोधित किए जाने वाले प्रारंभिक प्रश्नों को निम्नानुसार तैयार किया जा सकता है:

1 . क्या संवैधानिक योजना के अंतर्गत इस न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है?

शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति की विषय-वस्तु और दायरा तय करना।

विधानमंडलों और उनके सदस्यों का?

यदि पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाए, तो क्या यह पाया जा सकता है कि

2 .

भारत में विधानमंडलों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार, विशेष रूप से

अनुच्छेद 105 के संदर्भ में, उनके निष्कासन की शक्ति शामिल है
सदस्य?

निष्कासन की ऐसी शक्ति पाए जाने की स्थिति में, क्या यह न्यायालय

3 .

उक्त शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है या

संसद और उसके सदस्यों या समितियों को प्रदत्त विशेषाधिकार

और; यदि ऐसा है, तो क्या यह अधिकार क्षेत्र कुछ सीमाओं से घिरा हुआ है?

37. बहुत महत्वपूर्ण इन मुद्दों पर हमारे दृष्टिकोण में, हमारे पास है

थॉमस हक्सले की सलाह का निम्नलिखित शब्दों में पालन किया -

" यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सही है, बल्कि जो सही है, वह महत्वपूर्ण है "राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 375

38. हमारी खोज में, फिर से थॉमस हक्सले के शब्दों को उधार लेते हुए, हम

होना चाहिए:

" जो सही है उसे करने के लिए सीखें कि क्या सच है।

39. विचार के लिए लेने की आवश्यकता, यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों के अभ्यास के तरीके के संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने-अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति और विशेषाधिकार पहले उल्लिखित दो प्रमुख प्रश्नों पर निर्णय के आलोक में उत्पन्न होंगे।

अनुच्छेद 105 (3) के दायरे पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

यह पता लगाने के लिए कि अनुच्छेद 105 (3) के तहत वास्तव में निष्कासन की शक्ति उपलब्ध है या नहीं, शक्ति और विशेषाधिकारों की सीमा निर्धारित करें। 41. भारत के संविधान द्वारा राज्य के तीन मुख्य अंगों के बीच वितरित शक्ति के नाजुक संतुलन को ध्यान में रखते हुए और

विशेष रूप से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा के संबंध में किए गए जोरदार दावे, हमने अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में विद्वान वकील की केवल रियायत पर निर्भर नहीं रहने का फैसला

किया। हमने अनुच्छेद 105 के तहत घोषित और दावा की गई किसी विशेष शक्ति या विशेषाधिकार के अस्तित्व के सवाल में जाने के लिए न्यायिक प्राधिकरण के बारे में प्राथमिक प्रश्न के संदर्भ में भी इसकी पूरी तरह से जांच करना विवेकपूर्ण समझा, ताकि हम खुद को आश्वस्त कर सकें कि हम किसी भी तरह से उस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर रहे थे जो हमारे लिए सीमा से बाहर है।

42. सौभाग्य से, हाथ में विषय एक कुंवारी क्षेत्र नहीं है। अतीत में इस अदालत के लिए इन मुद्दों पर जाने के अवसर आए हैं, हालांकि

कुछ अलग तथ्य स्थितियों में। इसी तरह, हमें लाभ है

कम से कम तीन उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए इन प्रश्नों पर राय, हालांकि यह एक विभाजित राय है। 43. जैसा कि अनुच्छेद 105 में प्रयुक्त भाषा से देखा जा सकता है, संसद को कानून द्वारा शक्तियों, विशेषाधिकारों और अधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार है।

संवैधानिक प्रावधानों में निर्दिष्ट लोगों के अलावा अन्य मामलों में प्रत्येक सदन और उनके सदस्यों और समितियों की उन्मुक्ति। यद्यपि याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों के कुछ भाग ने कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करने का प्रयास किया, उदाहरण के लिए, धारा [2007] 1 एस. सी. आर. में निहित प्रावधान।

376 8 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11, जैसा कि अनुच्छेद 105 (3) के पहले भाग में संसद को दी गई सक्षम करने की शक्ति के लिए संदर्भित है, लेकिन वर्तमान उद्देश्यों के लिए, हम मान लेंगे कि संसद ने अभी तक उक्त सक्षम करने की शक्ति का उतना प्रयोग नहीं किया है जितना कि आज तक कोई कानून नहीं बनाया गया है।

संसद के प्रत्येक सदन और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को सूचीबद्ध करने के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह परिणाम

अनुच्छेद 105 (3) के दूसरे भाग के जीवन की निरंतरता की ओर ले जाता है-जितना कि प्रावधान के उस हिस्से को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

संसद कानून द्वारा अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को परिभाषित करती है। इसलिए, शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, सवाल यह है कि वे कौन सी शक्तियां हैं जो सदन द्वारा प्राप्त की गई थीं। हमारे संविधान के प्रारंभ में कॉमन्स भारतीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करेगा।

44. संसदीय विशेषाधिकारों के विषय का इतिहास इंगित करता है

कई उदाहरणों में जहां अदालतों की क्षमता और विधायिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के बीच विभाजन रेखा का पता लगाने के प्रयास ने जटिल संवैधानिक प्रश्नों को जन्म दिया, यहां तक कि इंग्लैंड में भी अलग-अलग राय और निर्णयों को जन्म दिया, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, हाउस ऑफ कॉमन्स के संबंध में। इन प्रश्नों में अमूर्त प्रश्न शामिल था कि क्या इस संबंध में संसद का कानून अपने व्यापक और विस्तारित अर्थों में एक "विशेष कानून" या "सामान्य कानून का हिस्सा" था और व्यावहारिक प्रश्न कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स को विशेषाधिकार के मामले का एकमात्र न्यायाधीश होना था, भले ही तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल थे या क्या ऐसे मामलों में मुद्दों का निर्णय अदालतों में किया जा सकता था। अंतिम उल्लिखित मुद्दे से उत्पन्न होने वाला अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से न्यायाधीशों की शक्ति की सीमा से संबंधित था, अर्थात, क्या वे कानून की संसदीय व्याख्या को स्वीकार करने और लागू करने के लिए बाध्य थे या गठन करने के लिए स्वतंत्र थे। इस संबंध में उनका अपना दृष्टिकोण।

45. तब से धूल इंग्लैंड में भी बस गई है जो तब से अधिकार क्षेत्र में है।

विधायी कक्ष के अनन्य अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर, विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है।

अपनी आंतरिक कार्यवाही पर।

46. अंग्रेजी और राष्ट्रमंडल लेखकों की कृतियाँ हमेशा से रही हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग किए गए विशेषाधिकार या शक्ति के स्रोत को निर्धारित करने के लिए सबसे आधिकारिक संदर्भों के रूप में माना जाता है। इनमें हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, मैटलैंड, वेड एंड फिलिप्स, कीर एंड लॉसन, सर बार्नेट कॉक्स, रिजेज़ ऑन कॉन्स्टीटचूशनल लॉ और सर विलियम एनसन के राजा राम पाल बनाम शामिल हैं।

" संविधान का कानून और प्रथा "। सर थॉमस एर्स्किन मे हाउस ऑफ कॉमन्स (1871-1886) के क्लर्क थे। उनका काम "संसदीय

47. अध्याय 11 में पृष्ठ 183 से निम्नलिखित उद्धरण "विशेषाधिकार के मामलों में कानून के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार" जैसा कि एर्स्किन मे में दिखाई देता है। संसदीय अभ्यास, 20 वां संस्करण यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित कानून को दर्शाता है:

" इस प्रकार समस्या सामान्य कानून के साथ विशेषाधिकार के कानून का मिलान करने की बन गई। अदालतों द्वारा धीरे-धीरे चिह्नित समाधान यह है कि संसदीय अधिकार क्षेत्र के पक्ष में कुछ बड़े अपवादों के साथ, उनके समक्ष मुकदमेबाजी में उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के सिद्धांत रूप में उनके अधिकार पर जोर दिया जाए। इनमें से दो, जो अधिकार के भारी भार से समर्थित हैं, प्रत्येक सदन की अपनी आंतरिक कार्यवाही पर अनन्य अधिकार क्षेत्र हैं, और किसी भी सदन को अवमानना करने और दंडित करने का अधिकार है। जबकि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि किसी भी सदन को

अदालतों द्वारा अधिकार क्षेत्र की इस धारणा में प्रतिबद्ध या औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, एक सदी से अधिक समय से किसी भी संघर्ष का अभाव हो सकता है

मौन स्वीकृति के एक निश्चित माप को इंगित करें।

48. सभी पक्षों के विद्वान वकील ने ब्रैडलॉफ बनाम का उल्लेख किया है।

गोसेट, [1884] 12 क्यू. बी. डी. 271। चार्ल्स ब्रैडलॉ, क्वीन्स बेंच डिवीजन के समक्ष उस मामले में वादी को सेवा करने के लिए बर्गेस चुना गया था हाउस ऑफ कॉमन्स और विधानमंडल के उक्त कक्ष के सदस्यों द्वारा निर्धारित कानून द्वारा शपथ लेने और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सदन में बैठने और मतदान करने का हकदार था। इस संकल्प में समझाया गया था

अध्यक्ष द्वारा नियत समय का अर्थ यह है कि ब्रैडलॉफ का सदन से बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन्हें लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

अब लागू सदन के प्रस्ताव की अवहेलना में शपथ "। इन मुद्दों पर

अदालत के समक्ष जो सवाल उठाए गए थे, उनमें यह सवाल भी शामिल था कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स को सदन की दीवारों के भीतर सदन के सदस्य को कुछ करने से मना करने वाला ऐसा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है

जिसे देश के कानून द्वारा उसे ऐसा करने का अधिकार था और क्या न्यायालय उक्त अधिकार की जांच कर सकता है और एक द्वारा कार्रवाई बनाए रखने की अनुमति दे सकता है

सदन के सदस्य। उक्त तथ्य स्थिति में दिए गए निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया है।

पृष्ठ

[2007] 1 एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

378

275 , लॉर्ड कॉलरिज, सी. जे. ने निम्नलिखित रूप में देखा:

" हालाँकि, इन प्रस्तावों के साथ, की दृढ़ता के लिए
जिसे मुझे लड़ने के लिए सबसे अधिक ईमानदारी से तैयार रहना चाहिए,

एक और प्रस्ताव समान रूप से सच, समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित, जो

संसद की दीवारों के भीतर अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती है
कानून। इस बिंदु पर दो महान मामलों में सभी न्यायाधीश जो

विषय पर सीखने को समाप्त करें-बर्डेट बनाम। एबॉट [14 पूर्व,

1 , 148] और स्टॉकडेल वी। हंसार्ड [9 एड। & ई. 1.] ; - सहमत हैं, और

प्रबल होते हैं। अपने स्वयं के ऊपर सदन की अधिकारिता
सदस्यों को अपनी दीवारों के भीतर अनुशासन लागू करने का अधिकार है

निरपेक्ष और अनन्य। लॉर्ड एलेनबरो के शब्दों का उपयोग करने के लिए,

" वे इसके बिना पूरी तरह से अवमानना और अक्षमता में डूब जाएंगे।

[14 पूर्व में, पी। 152] ”

49. विद्वान वकील ने तब प्रिवी काउंसिल के फैसले का उल्लेख किया

रिचर्ड विलियम प्रेबल बनाम। टेलीविजन न्यूजीलैंड लिमिटेड, [1994] (एस) डब्ल्यूएलआर 970। यह एक पूर्व मंत्री द्वारा मानहानि की कार्रवाई से उत्पन्न हुआ

न्यूजीलैंड सरकार जहाँ संसद की कार्यवाही पर सवाल उठाए गए थे। संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा अधिकार विधेयक, 1689 के अनुच्छेद 9 के संदर्भ में उठाया गया था, जिसमें

घोषणा की गई थी कि संसद में भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता पर "संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए"। प्रिवी काउंसिल ने पृष्ठ 976 पर कहा:

" अनुच्छेद 9 के अलावा, प्राधिकरण की एक लंबी रेखा है जो

एक व्यापक सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसमें से अनुच्छेद 9 केवल एक है।

अभिव्यक्ति, अर्थात। कि अदालतें और संसद दोनों ही चतुर हैं
उनकी संबंधित संवैधानिक भूमिकाओं को मान्यता दें। जहाँ तक अदालतों की बात है

चिंतित हैं कि वे किसी भी चुनौती को क्या नहीं होने देंगे

इसके निष्पादन में संसद की दीवारों के भीतर कहा या किया जाता है

विधायी कार्य और इसके स्थापित विशेषाधिकारों में से एक की रक्षा करना।

बर्डेट वी। एबॉट, (1811) 14 पूर्व 1; स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड, (1839)
9 विज्ञापन. & एल। 1 ; ब्रैडलॉफ वी. गोसेट, [1884] 12 क्यू. बी. डी. 271; पिकिन बनाम।

ब्रिटिश रेलवे बोर्ड, [1974] एसी 765; काली मिर्च बनाम। हार्ट, [1993] एसी

593. जैसा कि ब्लैकस्टोन ने कानूनों पर अपनी टिप्पणियों में कहा था

इंग्लैंड, 17 वां संस्करण। (1830) , वॉल्यूम। 1 , पी। 163 :

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 379

" संसद के पूरे कानून और प्रथा का मूल इस एक उक्ति से है, कि जो भी मामला उत्पन्न होता है

संसद के किसी भी सदन के संबंध में, उस सदन में परीक्षण, चर्चा और निर्णय लिया जाना चाहिए

जो इससे संबंधित है, और कहीं और नहीं।

50. इसके अलावा, प्रेबल v में तैयार किए गए विचार। टेलीविजन न्यूजीलैंड

लिमिटेड को पृष्ठ 980 पर इस प्रकार व्यक्त किया गया था:

" मुकदमेबाजी के पक्षकार, जिनके द्वारा भी शुरू किया गया हो, सुझाव देकर सदन में कही गई या की गई किसी भी बात पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।

(चाहे प्रत्यक्ष साक्षय, प्रतिपरीक्षा, अनुमान या

प्रस्तुत करना) कि कार्य या शब्द उचित उद्देश्यों से प्रेरित थे या असत्य या भ्रामक थे। इस तरह के मामले पूरी तरह से झूठ हैं।
सदन की अधिकारिता के भीतर, किसी भी वैधानिक के अधीन

अपवाद जैसे कि न्यूजीलैंड में झूठी गवाही के संबंध में मौजूद है
अपराध अधिनियम 1961 की धारा 108 "।

51. विद्वान वकील तब उस कानून का उल्लेख करेगा जो

भारत में विकसित, एम. एस. एम. शर्मा बनाम का मामला। श्री कृष्ण सिंह, [1959] पूरक 1 एस. सी. आर. 806, जिसे इसके बाद पंडित शर्मा (1) के मामले के रूप में संदर्भित किया गया है, शायद इस विषय पर ऐसे मामलों की एक श्रृंखला में पहला है।

52. उस मामले में याचिकाकर्ता पंडित शर्मा पटना के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "सर्चलाइट" के संपादक थे। उन्होंने क्रोध को आमंत्रित किया बिहार विधानसभा ने विधानसभा की कार्यवाही से कुछ उद्धरण प्रकाशित किए जिनमें कुछ भाग शामिल थे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा हटाने का आदेश दिया गया था। इस संदर्भ में, अध्यक्ष ने उल्लेख किया था कि

यह मामला विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के पास गया, जिसने बदले में उन्हें कारणदर्शक नोटिस जारी किया। पंडित शर्मा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत में रिट याचिका दायर की और आरोप लगाया कि

विधान सभा द्वारा शुरू किए गए उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया था

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति के साथ-साथ अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का मौलिक अधिकार भी है। इस मामले का फैसला एक संविधान पीठ (पांच न्यायाधीशों) द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रधान न्यायाधीशों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

बिन्दु; अर्थात्, भारत में विधानमंडल के सदन को संविधान के अनुच्छेद 194 (3) के तहत विशेषाधिकार की उपलब्धता पूरी तरह से निषेध करने के लिए

सार्वजनिक रूप से देखी और सुनी गई कार्यवाही का प्रकाशन

सदन या कार्यवाही के ऐसे हिस्से के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

380 जैसा कि हटाने का निर्देश दिया गया था और क्या अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक नागरिक के मौलिक अधिकार पर अनुच्छेद 194 (3) के तहत विधायी कक्ष का विशेषाधिकार प्रबल था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अस्तित्व के मुद्दे की जांच करने में न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं है और

विशेष विशेषाधिकार की उपलब्धता किसी भी स्तर पर बढ़ाई गई थी।

53. यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि पंडित शर्मा की रिट याचिका

बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर खारिज कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, यह मानते हुए कि भारत में विधानसभाओं के पास सदन में होने वाली बहसों या कार्यवाही के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने की शक्ति या विशेषाधिकार निहित था, यहां तक कि एक सच्ची और विश्वसनीय रिपोर्ट, वास्तव में एक गलत या विकृत संस्करण के रूप में। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) के संदर्भ में उपलब्ध शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति एक ही सर्वोच्च स्थिति में हैं।

संविधान के भाग III के प्रावधानों के रूप में स्थिति और नहीं हो सकता है

अनुच्छेद 13 द्वारा प्रभावित और इसलिए, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रकृति में सामान्य होने के कारण अनुच्छेद 194 (1) और अनुच्छेद 194 (3) के बाद के भाग को स्वीकार करना चाहिए जो विशेष प्रावधान हैं। अनुच्छेद 21 के आधार पर अनुच्छेद 194 (3) के तहत कार्यवाही को दी गई चुनौती को भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह "

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार-जितना-अनुच्छेद 208 के तहत विधान सभा द्वारा बनाए गए नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

54. पंडित शर्मा (उपरोक्त) का मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद,

बिहार की विधानसभा का कई बार सत्रावसान किया गया और विशेषाधिकार समिति का भी पुनर्गठन किया गया। इसके कारण पंडित शर्मा को एक नया नोटिस जारी किया गया जिसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें काफी हद तक वही सवाल और दलीलें उठाई गईं जो इस अदालत के समक्ष पहले की कार्यवाही में उनके द्वारा उठाए गए थे। इस रिट याचिका को संविधान पीठ (आठ न्यायाधीशों) ने खारिज कर दिया था। फैसला एम. एस. एम. शर्मा बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है। श्री कृष्ण सिन्हा, [1961] 1 एस. सी. आर. 96, जिसे इसके बाद पंडित शर्मा (द्वितीय) (ऊपर) का मामला कहा गया है।

55. निर्णय के पैरा 10 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 10 ..... यह तर्क दिया गया कि सदन के भीतर अपनाई गई प्रक्रिया

विधानमंडल का नियम नियमित नहीं था और सख्ती से उसके अनुसार नहीं था कानून के साथ। इस तर्क के दो उत्तर हैं, पहला, कि राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 381

इस न्यायालय के पिछले निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता के पास वह मौलिक अधिकार नहीं है जिसका उसने दावा किया है। इसलिए वह अदालत से बाहर है। दूसरा, के भीतर कार्यवाही की वैधता

आरोप पर किसी राज्य के विधानमंडल को प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है

कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 212 इसका पूर्ण उत्तर है -

याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद का यह हिस्सा। कोई भी न्यायालय उन प्रश्नों में नहीं जा सकता है जो स्वयं विधानमंडल के विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं, जिनके पास अपना कार्य करने की शक्ति है। संभवतः, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद के इस भाग का तीसरा उत्तर यह है कि यह अभी तक नहीं है।

प्रक्रिया के प्रश्न पर समिति के रूप में विचार करना जल्दबाजी होगी अभी तक अपनी कार्यवाही पूरी नहीं की है। यह भी देखा जाना चाहिए कि एक बार यह अभिनिर्धारित किए जाने के बाद कि विधायिका के पास अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को नियंत्रित करने और इस प्रश्न पर जाने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या उसके विशेषाधिकारों का कोई उल्लंघन हुआ है, विधायिका को अपने कार्य नियमों के अनुसार अपनी कार्यवाही जारी रखने

का पूरा अधिकार क्षेत्र निहित है। भले ही इसने अपने व्यवसाय के संचालन के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक कानून की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन नहीं किया हो, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालयों ने हमेशा अधिकार क्षेत्र की पूर्ण कमी और अधिकार क्षेत्र के अनुचित या अनियमित प्रयोग के बीच बुनियादी अंतर को मान्यता दी है। प्रक्रिया के नियमों का केवल गैर-अनुपालन अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का आधार नहीं हो सकता है।

संविधान-जनार्दन रेड्डी बनाम। हैदराबाद राज्य, [1951]

एससीआर 344 "।

56. अब तक, एक संविधान पीठ द्वारा दी गई सलाहकार राय

उत्तर प्रदेश विधानसभा (सुप्रा) मामले में इस अदालत के सात न्यायाधीशों को शामिल करना भारत के संविधान के तहत विधानसभाओं की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के विषय पर सबसे विस्तृत चर्चा है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुछ मुद्दों पर इस अदालत की राय मांगने के संदर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से संबंधित कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हुई थी। उत्तर प्रदेश की विधान सभा

इसकी अवमानना के लिए एक केशव सिंह को, जो इसके सदस्यों में से एक नहीं था, जेल भेज दिया था। समर्पण के वारंट में तथ्य नहीं थे 382

कथित अवमानना का गठन करना। केशव सिंह ने अपने वकील के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उनके समर्पण को उनके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई। लखनऊ में बैठे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने सरकारी वकील को नोटिस दिया और नियत दिन जमानत के लिए आवेदन पर सुनवाई के लिए आगे बढ़े। उस समय सरकारी वकील पेश नहीं हुए थे। डिवीजन बेंच ने आवेदन पर सुनवाई की और केशव सिंह को उनकी रिट याचिका पर फैसला आने तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। विधानसभा ने पाया कि केशव सिंह और उनके वकील ने याचिका पर विचार करने और जमानत देने

के लिए उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों का रुख करके विधानसभा की अवमानना की थी। विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों सहित उन सभी को हिरासत में उसके समक्ष पेश किया जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उस पर विचाराधीन अधिवक्ता ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ विधानसभा के प्रस्ताव के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बाद, विधानसभा ने अपने पहले के रुख को संशोधित करते हुए एक स्पष्टीकरण प्रस्ताव पारित किया और न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को सदन के समक्ष उपस्थित होने और अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत मुख्य रूप से राय मांगी थी।

उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल के बीच उच्च न्यायालय की शक्तियों और विशेषाधिकारों के मामलों में संवैधानिक संबंध के बारे में। मुख्य विवाद की रूपरेखा को इस अदालत द्वारा रिपोर्ट में पृष्ठ 439 पर निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था:

" 27 ..... क्या सदन इस मुद्दे का एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश है

क्या इसकी अवमानना की गई है जहां कथित अवमानना की गई है

क्या यह सदन की चार दीवारों के बाहर हुआ है? यह घर है

सजा का एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश जो होना चाहिए
उस पक्ष पर थोपा गया जिसे उसने इसके लिए दोषी पाया है

अवमानना? और, यदि अपने निर्णय के प्रवर्तन में सदन जारी करता है
एक सामान्य या अनकही वारंट, उच्च न्यायालय का हकदार है

की वैधता को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करें
सदन द्वारा सजा सुनाए गए व्यक्ति को हिरासत में लेना? .....

57. यूपी विधानसभा (सुप्रा) मामले में दी गई राय से यह स्पष्ट है।

कि राज्य विधानमंडल ने सुनवाई में भाग लेने के बावजूद, इस न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में किसी भी तरह से आपत्ति व्यक्त की

प्रश्नों द्वारा कवर किए गए विवाद का क्षेत्र, इस बात पर जोर देते हुए कि "राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 383

सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अस्तित्व और विस्तार के बारे में प्रश्न, साथ ही शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के बारे में प्रश्न पूरी तरह से और विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र के भीतर थे।

सदन का; और यह न्यायालय जो कुछ भी कहे, वह सदन को इस संदर्भ के तहत हमें संदर्भित बिंदुओं को अपने लिए तय करने से नहीं रोकेगा, इस संदर्भ में, इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सूत्र नहीं था जो इसलिए अनुच्छेद 143 (1) के तहत एक संदर्भ से निपटने के दौरान "अपने न्यायिक कार्य" का प्रयोग नहीं कर रहा था।

58. विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में और मई की संसदीय प्रथा की सहायता से इंग्लैंड में इस विषय पर कानून के विकास का पता लगाने के बाद, अदालत में चुनौती से ऐसे मामलों में सदन की कार्यवाही की पूर्ण प्रतिरक्षा के मुद्दे की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने पृष्ठ 467 पर यूनाइटेड किंगडम में प्राप्त करने के रूप में कानूनी स्थिति का सारांश दिया, जो नीचे दिया गया है:

व्यवहार में समझौते का क्षेत्र विकसित हुआ है। सैद्धांतिक रूप से, हाउस ऑफ कॉमन्स का दावा है कि विशेषाधिकार के उल्लंघन पर निर्णय लेने के उसके स्वीकृत अधिकार का तात्पर्य सिद्धांत रूप में विशेषाधिकारों के अस्तित्व और विस्तार को स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है। इसने कभी भी इस दावे को स्पष्ट रूप से नहीं छोड़ा है। दूसरी ओर, अदालतें संसद के विशेषाधिकारों को देश के कानून का हिस्सा मानती हैं, जिसका वे न्यायिक नोटिस लेने के लिए बाध्य हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेना अपना कर्तव्य मानते हैं या
अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे मामले में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और कानून की उनकी अपनी व्याख्या के अनुसार इसका फैसला करना [मई की संसदीय प्रथा, पी। 172] .
स्वाभाविक रूप से, इस द्वैतवाद के परिणामस्वरूप अदालतों के निर्णयों को बाध्यकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है

विशेषाधिकार के मामलों में सदन, और न ही अदालतों द्वारा सदन के निर्णय; और जैसा कि मई बताते हैं, सैद्धांतिक स्तर पर, पुराना द्वैतवाद अनसुलझा रहता है। व्यवहार में, हालांकि, "वहाँ है

अधिकार क्षेत्र के सवाल पर गतिरोध की तुलना में विशेषाधिकार की प्रकृति और सिद्धांतों पर बहुत अधिक सहमति किसी को उम्मीद करने के लिए प्रेरित करेगी "और मई में इन सामान्य निष्कर्षों का वर्णन करता है
निम्नलिखित शब्द:

आर.

(1) ऐसा प्रतीत होता है कि, [2007] आई. एस. सी. आर. के उद्देश्य के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेषाधिकार के प्रश्नों पर निर्णय लेते हुए, कोई भी सदन नहीं है अपने आप में साधारण पर श्रेष्ठता का दावा करने का हकदार है

न्याय की अदालतें जो अविभाजित लोगों द्वारा उपभोग की जाती थीं

राजा और दो सदनों से मिलकर, एक विधायी है सर्वोच्चता जिसका विशेषाधिकार से कोई लेना-देना नहीं है

एकल रूप से कार्य करने वाले किसी भी सदन की अधिकारिता।

(2) यह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि, क्योंकि दोनों में से कोई भी सदन

स्वयं कानून में जोड़ सकते हैं, न तो सदन इसके द्वारा कर सकता है

स्वयं की घोषणा एक नया विशेषाधिकार पैदा करती है। इसका तात्पर्य यह है कि विशेषाधिकार उद्देश्यपूर्ण है और इसकी सीमा का पता लगाया जा सकता है, और

यह इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि यह अदालतों द्वारा जाना जाता है।

दूसरी ओर, अदालतें स्वीकार करती हैं:

(3) कि प्रत्येक सदन का अपने आंतरिक सदन पर नियंत्रण

कार्यवाही पूर्ण है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है अदालतें।

(4) कि किसी भी सदन द्वारा अवमानना के लिए एक प्रतिबद्धता में है

अपने अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर अभ्यास, क्योंकि तथ्य

कथित अवमानना का गठन करने पर कहा जाना आवश्यक नहीं है

कमिटल का वारंट [मई का संसदीय अभ्यास,
पी। 173] . "

84. यह उन समस्याओं के व्यावहारिक तदर्थ समाधान खोजने के लिए उल्लेखनीय अंग्रेजी प्रतिभा के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देने और लेने की पारंपरिक विधि को अपनाकर अपरिवर्तनीय प्रतीत होती हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम, मई के शब्दों में, यह रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने सौ वर्षों से इनकार नहीं किया है

अपने विशेषाधिकारों को अदालतों के निर्णय के समक्ष प्रस्तुत करें, और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि इसने अपने विशेषाधिकारों के अस्तित्व और विस्तार पर अदालतों के अधिकार क्षेत्र को व्यावहारिक मान्यता दी है। दूसरी ओर, अदालतों ने हमेशा, किसी भी तरह से अंतिम उपाय में, सदन द्वारा उसके किसी भी मान्यता प्राप्त विशेषाधिकार के आवेदन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। 173-74] . जो व्यापक रूप से कहा गया है, द्वारा दावा की गई शक्तियों और विशेषाधिकारों की स्थिति है

हाउस ऑफ कॉमन्स "। राम पाल वी.

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 385

59. जे. सरकार ने इसी मामले में अपने अलग फैसले में कहा था कि

इस संदर्भ में बहुमत की राय। दलीलों के आधार पर खारिज करना

ब्रैडलॉफ में उन्होंने पृष्ठ 508 पर निम्नलिखित टिप्पणी की:

" यह परिच्छेद विवाद की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होगा, और वास्तव में मुझे लगता है कि यह होगा

' शरारती ', उस विवाद की चर्चा में प्रवेश करने के लिए इसके लिए होगा केवल अशुद्धियों को ऊपर उठाकर इसे गन्दा बनाने के लिए काम करते हैं

इसके अलावा यह विवाद इस देश में कभी पैदा नहीं हो सकता है। निस्संदेह यह न्यायालयों के लिए है कि वे संविधान की व्याख्या करें और

इसलिए, अनुच्छेद 194 (3)। यह इस प्रकार है कि जब कोई प्रश्न उत्पन्न होता है इस देश को उस अनुच्छेद के तहत कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स

प्रारम्भ में एक विशेष विशेषाधिकार प्राप्त था

संविधान, उस प्रश्न को हल किया जाना चाहिए, और केवल द्वारा हल किया जाना चाहिए

कानून की अदालतें। भयावह "द्वैतवाद" की कोई गुंजाइश नहीं है।

यहाँ उपस्थित होना, अर्थात, अदालतें एक के साथ विवाद में प्रवेश कर रही हैं
विधायिका का सदन कि उसके विशेषाधिकार क्या हैं। मुझे क्या लगता है

कहा है कि विशेषाधिकारों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए

वर्तमान संदर्भ के उद्देश्य और मैं अब आगे बढ़ूंगा

विधानसभा के उन विशेषाधिकारों पर चर्चा करें जो इस में प्रश्नगत हैं।

मामला, मुख्य के सहायक अधिकारों के अर्थ में उस शब्द का उपयोग करना
विधायिका का कार्य "।

(जोर दिया गया)

60. उपरोक्त प्रभाव के लिए उनके निष्कर्ष कानूनी को देखते हुए तय किए गए थे

इंग्लैंड में स्थिति, जैसा कि उनके लेख के पृष्ठ 522 पर दिए गए अवलोकनों से स्पष्ट है।

जीमेंट, जो नीचे के रूप में पढ़ता है: - "

" हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकार कानून पर आधारित हैं। कि

कानून को लेक्स पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसलिए विशेषाधिकार मामले हैं।

जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास अधिकार के रूप में है। स्टॉकडेल में
वी. हंसार्ड, [112 ई. आर. 1112] सभी न्यायाधीशों ने माना कि

हाउस ऑफ कॉमन्स लेक्स पार्लियामेंट और उस कानून पर आधारित है

किसी भी अन्य कानून की तरह, यह देश का एक कानून है जिसके न्यायालय हकदार हैं।

प्रशासन करने के लिए "।

61. कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ, [1977] 4 एस. सी. सी. 608 [2007] 1 एस. सी. आर.

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ (सात न्यायाधीशों) द्वारा तय किए गए निर्णय ने अंततः इस मुद्दे को किसी भी संदेह से परे कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की पृष्ठभूमि में यह मामला सामने आया था

कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच आयोग। द. कर्नाटक राज्य ने इस अदालत में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि आयोग की नियुक्ति अवैध थी, क्योंकि जांच आयोग के संदर्भ की शर्तों में विशेष रूप से राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्ति के दायरे में आने वाले मामले शामिल थे, जिसके आधार पर, अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया था कि संघीय संरचना को निहित और संविधान की एक अलंघनीय बुनियादी विशेषता के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। इस विवाद के संदर्भ में कुछ तर्क संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत राज्य के विधानमंडल की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर आधारित थे। इन तर्कों की जांच करते हुए, बेग सी. जे.। अपने फैसले में

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 63. अब, वादी के वकील ने क्या सुझाव दिया।

यह था कि एक विधानमंडल के प्रति जवाबदेह मंत्री द्वारा शासित होते थे

एक अलग कानून जो उन्हें देनदारियों से छूट देता है

सामान्य कानून। इंग्लैंड में यह कभी भी कानून नहीं था। और ऐसा नहीं है।

तो यहाँ। हमारा संविधान इस तरह के तर्कों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

की "शक्तियों" और "विशेषाधिकारों" के बारे में भ्रम के आधार पर

अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) में उल्लिखित हाउस ऑफ कॉमन्स।

विधायिका किसी भी व्यक्ति या किसी भी मामले को सीधे न्यायालय के रूप में नहीं चला सकती है।
न्याय कर सकता है, लेकिन यह अर्ध-न्यायिक रूप से आगे बढ़ सकता है

इसके अधिकार की अवमानना और इसके बारे में प्रस्ताव लेना

“ विशेषाधिकार "और" उन्मुक्ति "क्योंकि, ऐसा करने में, यह केवल मांग करता है

इसके विधायी कार्य के उचित निष्पादन में बाधाओं को हटाना।

कार्य। लेकिन, अगर अधिकार क्षेत्र का कोई सवाल उठता है कि क्या

कोई बात यहाँ आती है या नहीं, यह आम लोगों द्वारा तय किया जाना है

उचित कार्यवाहियों में अदालतें।

(जोर दिया गया)

62. इस न्यायालय की संवैधानिक पीठों द्वारा मामले-दर-मामले कानून के उपरोक्त स्पष्ट प्रतिपादन को देखते हुए, इस बात में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि जब भी संसद, या उस मामले के लिए कोई राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 105 (3), या राजा राम पाल v में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 387 अनुच्छेद 194 (3), जैसा भी मामला हो, यह न्यायालय है जिसके पास यह पता लगाने के लिए कि क्या विशेष शक्ति या विशेषाधिकार का दावा किया गया है या दावा किया गया है, उसके समक्ष लाई जा रही शिकायत की जांच करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र है।

विधायिका वह है जिस पर उक्त संवैधानिक प्रावधानों द्वारा विचार किया गया था या, सरल शब्दों में कहें तो, यदि यह ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार था जिसे यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित कहा जा सकता है।

भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख तक ताकि -

भारतीय विधानमंडलों के लिए उपलब्ध होना।

इंग्लैंड से ऐतिहासिक परिप्रेक्षय

63. अधिकार रखने वाले हाउस ऑफ कॉमन्स के आधार का पता लगाने के लिए

इसके सदस्यों के निष्कासन के लिए, ऐतिहासिक की जांच करना आवश्यक है

प्रारंभिक शक्तियों और विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का परिप्रेक्षय। के लिए

सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति की जड़ों का पता लगाना।

कॉमन्स, संवैधानिक लेखकों के विचारों को संदर्भित करना आवश्यक है

यहाँ पहले उल्लेख किया गया है।

64. 'कानून में विशेषाधिकार' शब्द को प्रतिरक्षा या विशेष अनुदान द्वारा प्रदत्त किसी कर्तव्य, बोझ, उपस्थिति या दायित्व से छूट के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य अधिकार का हनन। यह शब्द एक अभिव्यक्ति 'विशेषाधिकार' से लिया गया है जिसका अर्थ है एक कानून जो विशेष रूप से किसी के पक्ष या विपक्ष में पारित किया गया है।

विशेष व्यक्ति।

65. मे ने अपने "संसदीय अभ्यास" में संसदीय को परिभाषित किया है।

प्रत्येक सदन द्वारा प्राप्त विशिष्ट अधिकारों के योग के रूप में विशेषाधिकार

सामूहिक रूप से संसद के उच्च न्यायालय के एक घटक भाग के रूप में, और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, जिसके बिना वे कार्य नहीं कर सकते थे

. उनके कार्य, और जो व्यक्तियों के अन्य निकायों के अधिकार से अधिक हैं। इस प्रकार, विशेषाधिकार, हालांकि देश के कानून का हिस्सा नहीं है, कुछ हद तक सामान्य कानून से छूट है।

66. रूटलेज ने अपने "हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया" [खंड I, पृष्ठ 46] में विशेषाधिकारों को "लोगों के मौलिक अधिकारों के योग" के रूप में परिभाषित किया है।

सदन और उसके व्यक्तिगत सदस्यों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध क्राउन, कानून की अदालतों का अधिकार, और सदन के विशेष अधिकार

प्रभुओं का "।

67. संसदीय विशेषाधिकारों की उत्पत्ति अटूट रूप से आपस में जुड़ी हुई सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

इंग्लैंड में संसद की संस्था के विशिष्ट इतिहास के साथ, और विशेष रूप से 17 वीं शताब्दी में राजनीतिक नियंत्रण के लिए संसद और अंग्रेजी सम्राट के बीच लड़ाई के साथ। इसलिए, संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा के विकसित होने के तरीके को समझने के लिए यूनाइटेड किंगडम में संसद के संस्थागत इतिहास की अच्छी समझ की आवश्यकता है।

68. यूनाइटेड किंगडम में संसद तेरहवीं शताब्दी में उभरी।

शताब्दी। 14 वीं शताब्दी तक, संसद ने न्यायिक शक्ति का एक छोटे पैमाने पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसने राजद्रोह और संबंधित मामलों के संबंध में एक अदालत की भूमिका निभाई। 1376 में संसद, विशेष रूप से कॉमन्स ने राजा के सेवकों के खिलाफ महाभियोग की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। इस प्रकार, लॉर्ड्स राजद्रोह और बिल ऑफ एटेन्डर की अपीलों को सुन सकते थे जहां आरोप लगाने वाला राजा था। एक संसदीय लोकतंत्र लाने के लिए ब्रिटिश प्रजा के लंबे संघर्ष में शाही रियायतें, लोगों का प्रतिरोध, क्राउन विशेषाधिकारों के खिलाफ दावे, राजाओं का निष्पादन और संसद की बहाली, संघर्ष, प्रगति और पीछे हटना शामिल थे, और इन अशांत समय के माध्यम से ही हाउस ऑफ कॉमन्स सरकार के एक प्रतिनिधि रूप के रूप में उभरा।

69. कुछ संसदीय विशेषाधिकारों की उत्पत्ति पहले हुई थी

संसद स्वयं राजा की शांति का हिस्सा थी, जो उनकी सभी प्रजाओं के लिए समान थी, लेकिन विशेष रूप से उनके सेवकों द्वारा साझा की जाती थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार को अंततः अधिकार विधेयक अधिनियम, 1688 के अनुच्छेद 9 द्वारा वैधानिक रूप से मान्यता दी गई।

70. मई [23 वीं संस्करण।, पीपी। 78 , 79 , 83 , 89 , 90] ऐतिहासिक का वर्णन करें

विशेषाधिकारों का निम्नलिखित रूप में विकासः

(63) ' प्रत्येक संसद के प्रारंभ में अध्यक्ष के लिए, कॉमन्स के नाम से और उनकी ओर से, उनके प्राचीन और निस्संदेह अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए विनम्र याचिका द्वारा दावा करने की प्रथा रही है; विशेष रूप से बहस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, जब भी अवसर की आवश्यकता हो महामहिम तक पहुँच की स्वतंत्रता; और यह कि उनकी सभी कार्यवाही पर सबसे अनुकूल निर्माण किया जाना चाहिए।

बोलने की स्वतंत्रता अध्यक्ष की याचिका में पहला दावा है -
बहस में बोलने की स्वतंत्रता के लिए। पंद्रहवें एम. पी. ए. एल. वी. के अंतिम भाग तक।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 389

शताब्दी, इंग्लैंड के कॉमन्स ने एक आनंद लिया है भाषण की स्वतंत्रता का अनिर्धारित अधिकार, एक मामले या परंपरा के रूप में, न कि किसी विशेषाधिकार के आधार पर।

संसद की शुरुआत में कॉमन्स की ओर से प्रथागत याचिकाएं गिरफ्तारी से स्वतंत्रता के लिए होती हैं। इस का विकास विशेषाधिकार कुछ मायनों में अन्य विशेषाधिकारों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, गिरफ्तारी अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के असफल दावे का परिणाम थी।

पहुँच की स्वतंत्रता अध्यक्ष की याचिकाओं में से तीसरी है -

महामहिम तक पहुँच की स्वतंत्रता के लिए जब भी अवसर आएगा

आवश्यकता है। यह दावा मूल रूप से मध्ययुगीन (संभवत: चौदहवीं शताब्दी) है, और इससे पहले के रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं अध्यक्ष के संबंध में इसकी मांग की गई थी और इसमें विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंच भी शामिल थी।

ऊपरी सदन।

पसंदीदा निर्माण-अंतिम याचिका जो

अध्यक्ष का कहना है कि सदन की सभी कार्यवाही पर सबसे अनुकूल निर्माण किया जाना चाहिए।

संविधान के प्रति सम्मान के साथ गोपनीयता

हाउस-कानून द्वारा स्थापित अपने स्वयं के उचित संविधान का प्रावधान करना हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार है। इनकी उत्पत्ति

यह विशेषाधिकार सोलहवीं शताब्दी में पाया जाता है।

. उत्तर प्रदेश विधानसभा (उपरोक्त) मामले में, राज्य विधानमंडलों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते समय, यह निम्नानुसार था:

" 69 ..... मई के अनुसार, संसदीय विशेषाधिकार प्रत्येक सदन द्वारा एक घटक के रूप में सामूहिक रूप से प्राप्त विशिष्ट अधिकारों का योग है। संसद के उच्च न्यायालय का भाग, और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, जिसके बिना वे अपने कार्यों का

निर्वहन नहीं कर सकते थे, और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के अधिकार से अधिक है। इस प्रकार विशेषाधिकार, हालांकि देश के कानून का हिस्सा है,

कुछ हद तक सामान्य कानून से छूट। हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेष विशेषाधिकारों को "[2007] 1 एस. सी. आर". के रूप में परिभाषित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

390

क्राउन के विशेषाधिकारों के विरुद्ध सदस्य, प्राधिकरण
कानून के सामान्य न्यायालयों और सदन के विशेष अधिकारों का

प्रभुओं का "। विशेषाधिकार और कार्य के बीच अंतर है,
हालाँकि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। कुल मिलाकर, हालांकि, यह अधिक है

"विशेषाधिकार" शब्द को कुछ बुनियादी बातों के लिए सुरक्षित रखना सुविधाजनक है। प्रत्येक सदन
के अधिकार जिन्हें आम तौर पर आवश्यक माना जाता है

अपने संवैधानिक कार्यों का प्रयोग करना। विशिष्ट चिह्न

एक विशेषाधिकार इसका सहायक चरित्र है। संसद के विशेषाधिकार हैं -

अधिकार जो इसके उचित निष्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं
शक्तियाँ "। वे अलग-अलग सदस्यों द्वारा आनंदित होते हैं, क्योंकि

सदन निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्य नहीं कर सकता है
अपने सदस्यों की सेवाएँ; और प्रत्येक सदन द्वारा

इसके सदस्य और अपने स्वयं के अधिकार और गरिमा का समर्थन
[मे 'ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पीपी। 42-43] . "

72. मई के अनुसार, इंग्लैंड में आधुनिक संसद की उत्पत्ति

यह अपने न्यायिक कार्यों में शामिल था। यह मैटलैंड ही थे जिन्होंने 1305 की संसद सूची के परिचय में सबसे पहले यह बताया था कि उस समय संसद राजा का "महान न्यायालय" था और

इस प्रकार, अन्य बातों के साथ-साथ, शाही न्याय का सर्वोच्च न्यायालय था। अब यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि प्रारंभिक संसद के चरित्र में एक मजबूत न्यायिक लकीर पहले के दौरान ध्यान देने योग्य थी। अंग्रेजी इतिहास की अवधि, इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवसाय के अलावा न्याय का वितरण क्षेत्र के विषयों की नजर में इसके मुख्य कार्यों में से एक था।

73. यूनाइटेड किंगडम की संसद के दो सदनों में से,

हाउस ऑफ लॉर्ड्स वर्तमान समय तक न्यायिक न्यायालय के रूप में जारी रहा है, जिसके कार्य के हिस्से के रूप में इसे सत्रावसान और विघटन के दौरान न्यायालय के रूप में बैठने की शक्ति है। अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार में निहित है

लार्ड्स और महाभियोग के मामलों में, लार्ड्स उन कार्यवाहियों में अपराध के एकमात्र न्यायाधीश होते हैं जिनमें दूसरे कक्ष, हाउस ऑफ कॉमन्स, अभियुक्तों या अधिवक्ताओं के रूप में शामिल होते हैं।

'74 . जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का दावा करेगा

उत्तराधिकार के सिद्धांत और राजाओं के दिव्य अधिकार के आधार पर, हाउस ऑफ कॉमन्स के खिलाफ एक भयंकर संघर्ष करने के लिए विवश था अपने उचित स्थान का दावा करने और दावा करने के लिए क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेषाधिकार। यह लगभग अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई थी जिसमें हाउस राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 391 हाउस ऑफ कॉमन्स को न केवल क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के खिलाफ खड़ा किया गया था, बल्कि उस न्यायपालिका के खिलाफ भी खड़ा किया गया था जिसे राजा का एक प्राणी माना जाता था और कौन सा विंग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधीनस्थ था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का मुख्य विरोधी था।

75. हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अपने विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए किए गए कड़वे संघर्ष से उत्पन्न धूल अंततः तब शांत हो गई जब संतुलन था 19 वीं शताब्दी में संसद, क्राउन और इंग्लैंड में अदालतों द्वारा विशेषाधिकारों की सीमाओं को निर्धारित और स्वीकार किया गया था। इस पृष्ठभूमि में जो स्थिति सामने आई है, उस पर इस अदालत ने गौर किया है

यूपी विधानसभा (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित शब्दः

" इस प्रकार दोनों सदनों को प्रशासन में समान अधिकार प्राप्त हैं।

विशेषाधिकारों का एक सामान्य निकाय। प्रत्येक सदन, संसद के एक घटक भाग के रूप में, दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। हालाँकि, वे प्रत्येक के लिए विशिष्ट किसी भी अलग अधिकार से नहीं, बल्कि केवल संसद के कानून और रीति-रिवाजों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य तौर पर, सभी विशेषाधिकार जो उचित रूप से तथाकथित हैं, दोनों सदनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। उन्हें प्रत्येक सदन द्वारा घोषित और स्पष्ट किया जाता है; और विशेषाधिकार के उल्लंघन का निर्णय लिया जाता है और

प्रत्येक द्वारा निंदा की गई; लेकिन अनिवार्य रूप से, यह अभी भी संसद का कानून है जो इस प्रकार प्रशासित है। यह महत्वपूर्ण है कि हालांकि दोनों

सदन संसद के कानून की व्याख्या कर सकता है और अपने विशेषाधिकारों को सही साबित कर सकता है, इस बात पर सहमति है कि कोई नया विशेषाधिकार नहीं बनाया जा सकता है। यह स्थिति 1704 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित ऐतिहासिक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप उभरी। इस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि "संसद के किसी भी सदन के पास, किसी भी वोट या घोषणा द्वारा, अपने लिए नए विशेषाधिकार बनाने की शक्ति नहीं है, जो संसद के ज्ञात कानूनों और रीति-रिवाजों द्वारा आवश्यक नहीं हैं"। इस प्रस्ताव को सूचित किया गया था

हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कॉमन्स को और उनके द्वारा सहमति दी गई

[मे की संसदीय प्रथा, पी. 47]। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अपने प्रस्तावों द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स इसमें जोड़ नहीं सकता है

इसके विशेषाधिकारों और शक्तियों की सूची।

76. 1704 का संकल्प, जिसका उल्लेख ऊपर निकाले गए अंश में किया गया है,

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित पहले के एक प्रस्ताव के जवाब में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अपनाया गया था, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव द्वारा उल्लिखित मामलों में राहत के लिए अदालत का रुख करने में किसी भी व्यक्ति के आचरण को उसकी अवमानना के बराबर मानने के अपने इरादे की घोषणा की गई थी।

77. मुख्य विशेषाधिकार जिनका दावा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया जाता है

उत्तर प्रदेश विधानसभा (उपरोक्त) मामले में फैसले के पृष्ठ 462 पर विस्तार से देखा गया, जो इस प्रकार है:

" 72 ..... बोलने की स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार है जो हर स्वतंत्र व्यक्ति के लिए आवश्यक है

परिषद या विधानमंडल, और जिसका दावा दोनों सदनों द्वारा किया जाता है एक बुनियादी विशेषाधिकार। यह विशेषाधिकार 1541 से शामिल किया गया था

राजा को कॉमन्स की याचिका में स्थापित अभ्यास

इस विशेषाधिकार की बार-बार मान्यता के बावजूद, क्राउन और कॉमन्स हमेशा इसकी सीमाओं पर सहमत नहीं थे।

इस विशेषाधिकार को अंतिम वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई

1688 की क्रांति। अधिकार विधेयक के 9 वें अनुच्छेद के अनुसार, यह घोषित किया गया था कि "बोलने की स्वतंत्रता, और बहस या

संसद की कार्यवाही पर महाभियोग या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए

संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर [मई की संसद] अभ्यास, पृ. 52] " .

73. अन्य विशेषाधिकारों में शामिल हैं: अजनबियों को बाहर करने का अधिकार,

बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को नियंत्रित करने का अधिकार,

संसद में कार्यवाही के अनन्य संज्ञान का अधिकार, अधिकार प्रत्येक सदन की अपनी वैधता का एकमात्र न्यायाधीश होना

गिरफ्तारी या छेड़छाड़ से मुक्ति का विशेषाधिकार रखने वाला, और आरोपित होने से, जिस पर कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था

प्रिस्क्रिप्शन का आधार "।

78. विधेयक के अनुच्छेद 9 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार

अधिकारों में सदस्य की यह कहने की स्वतंत्रता शामिल है कि वह बहस में जो कुछ भी उचित समझता है, वह व्यक्तियों की भावनाओं के लिए कितना भी अपमानजनक या चरित्र के लिए

हानिकारक हो सकता है। उन्हें मानहानि के लिए किसी भी कार्रवाई के साथ-साथ किसी भी प्रश्न या छेड़छाड़ से उनके विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। अभ्यास, 23 वीं संस्करण। , पीपी। 96-97] . गिरफ्तारी से स्वतंत्रता के विशेषाधिकार को कभी भी आपराधिक न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई है या

आपातकालीन कानून।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 393

79. अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स अपने और अपने सदस्यों के लिए सभी प्रकार के विशेषाधिकारों का दावा करता था, लेकिन समय के साथ ऐसे कई विशेषाधिकार या तो उपयोग में नहीं आए या समाप्त हो गए।

अस्तित्व में आया या कानून द्वारा नियंत्रित किया गया। इस संदर्भ में दंडनीय होने से स्वतंत्रता के विशेषाधिकार, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता पर संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1770 द्वारा रखी गई सीमा और जूरी सेवा से छूट का विशेषाधिकार। हाथ में उद्देश्यों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि सदन के कुशल संचालन के लिए आवश्यक विशेषाधिकारों के रूप में वर्णित प्रमुख विशेषाधिकार अभी भी लागू हैं।

80. मई के संसदीय अभ्यास [23 वें संस्करण के अनुसार। , पीपी। 128] अवमानना को "किसी भी कार्य या चूक के रूप में परिभाषित किया गया जो बाधा डालता है या बाधा डालता है संसद का कोई भी सदन अपने कार्यों के निष्पादन में या जो ऐसे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है या बाधित करता है, या जिसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम देने की प्रवृत्ति है, भले ही अपराध का कोई पूर्व उदाहरण न हो।

81. अवमानना के लिए दंडित करने और करने की शक्ति यूनाइटेड किंगडम में संसद के दोनों सदनों द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों में से एक है। संदर्भ में

अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा (उपर्युक्त) मामले में (पृष्ठ 461 पर) निम्नानुसार पाया है:

" ..... कीले बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बाद से। कार्सन, [4 मूर पी. सी. 63] यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह शक्ति हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित है, विधायी कार्यों के साथ एक निकाय के रूप में नहीं, बल्कि संसद के उच्च न्यायालय के वंशज के रूप में और लेक्स एट कॉन्सूएटुडो पार्लियामेंट के आधार पर।

[मे '़ज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, पी। 44] . ऐतिहासिक रूप से, मूल रूप से कमजोर निकाय के रूप में, कॉमन्स एक उग्र और अधिक लंबा था।

अपने विशेषाधिकारों के दावे के लिए संघर्ष करना, न केवल क्राउन और अदालतों के खिलाफ, बल्कि लॉर्ड्स के खिलाफ भी। इस प्रकार राजा के खिलाफ विशेष संरक्षण में उत्पन्न विशेषाधिकार की अवधारणा को कॉमन्स द्वारा प्रथागत अधिकारों के रूप में दावा किया जाने लगा, और इनमें से कुछ दावों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त "विशेषाधिकारों" में कठोर होने का दावा करने के लिए बार-बार प्रयास किए गए।

82. जैसा कि पहले देखा गया है, के सिद्धांत की ऐतिहासिक उत्पत्ति

इंग्लैंड में विधायिका के विशेषाधिकार इसके न्यायिक कार्यों पर आधारित हैं।

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हमेशा खुद को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और [2007] 1 एस. सी. आर. होने का दावा किया है।

394

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसे कि अंतर्निहित अधिकार और शक्ति न केवल कैद करने के लिए बल्कि

अवमानना के मामलों में जुर्माना लगाने के लिए भी। लेकिन फिर, लॉर्ड केन्यन के अनुसार, "विधायी क्षमता का प्रयोग करते समय", अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। मई की संसदीय प्रथा के अनुसार, इतिहास में एक समय हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का दावा किया था, लेकिन इस स्थिति को अंततः कभी निर्धारित नहीं किया गया है। जो भी हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा (उपर्युक्त) मामले में देखा गया है। 465 466), मे के संसदीय अभ्यास के अधिकार पर, प्रतिबद्धता की शक्ति की उत्पत्ति, "संसदीय विशेषाधिकारों का प्रमुख पत्थर", जैसा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, "कुछ अर्थों में न्याय की अदालत के अलावा एक संवैधानिक प्राधिकरण की कल्पना करने में मध्ययुगीन अक्षमता" से उत्पन्न होता है।

83. इंग्लैंड में संसद की मध्ययुगीन अवधारणा मुख्य रूप से एक अदालत के रूप में

न्याय के मामले में, 'संसद के उच्च न्यायालय' ने इस दृढ़ विश्वास को जन्म दिया कि अनादर और अपमान के खिलाफ संसद की गरिमा की रक्षा करने के लिए, इसमें प्रतिबद्ध होने की शक्ति निहित होनी चाहिए, जिसके बिना संसद के विशेषाधिकार मौजूद नहीं होंगे। इससे उत्पन्न होने वाले सदन के दंडात्मक अधिकार क्षेत्र पर, मई ने अपने "संसदीय अभ्यास" [23 वें संस्करण में। पीपी। 91-92] निम्नलिखित रूप में अवलोकन करेंगे:

" प्रभुओं ने उन्हें दंडित करने के लिए एक स्वतंत्र शक्ति प्राप्त की

क्यूरिया रेगिस की मूल सदस्यता। अनादिकालीन संवैधानिक
प्राचीनता कॉमन्स के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थी, और वास्तव में

दंडात्मक अधिकार क्षेत्र पर इसके अधिकार को इस आधार पर चुनौती दी गई थी

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक, और द्वारा संरक्षित किया गया है

तर्क जो न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ विधायी को भ्रमित करते हैं। द.

अभिलेख न्यायालय (पृ. देखें। 161)-- एक ऐसा मुद्दा जो कानून द्वारा कभी निर्धारित नहीं किया गया--
इन समस्याओं से जुड़े थे। फिर भी जो भी कानूनी या

संवैधानिक सुविधाएँ, व्यवहार में सदन में कई अवसरों पर
सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया

जुर्माना लगाएँ (पृ. देखें। 161) और अपराधियों को कैद करें। ये अपराधी

इसमें स्वयं सदन के सदस्य या गैर-सदस्य शामिल हो सकते हैं,

उत्तरार्द्ध में शेरिफ, मजिस्ट्रेट और यहां तक कि न्यायाधीश भी शामिल हैं

उच्च न्यायालय "।

84. लगभग यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई संदेह न हो

आर. ए. जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. बनाम पर अपराधियों को करने के अपने अधिकार का दावा करते हुए, किसी भी हिस्से की ओर से।

हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समान ही 1593 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा गया था:

" इस न्यायालय को अपनी गरिमा और महानता के लिए अन्य सभी न्यायालयों की तरह विशेषाधिकार प्राप्त है। और, जैसा कि यह अन्य सभी न्यायालयों से ऊपर है, इसलिए इसे अन्य सभी न्यायालयों से ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त है; और जैसा कि इसके पास विशेषाधिकार और अधिकार क्षेत्र भी है,
इसलिए इसमें जबरदस्ती और दबाव भी है; अन्यथा न्यायालय में अधिकार क्षेत्र कुछ भी नहीं है, अगर इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है।

85. हाउस ऑफ लॉर्ड्स अंतत: दोनों सदनों के बीच सम्मेलन में हाउस ऑफ कॉमन्स के पक्ष में इस शक्ति को स्वीकार करेगा जैसा कि एशबी बनाम के मामले में देखा गया है। सफेद, [एल. जे. (1701-05), 714]। इसके बाद से इंग्लैंड की अदालतों द्वारा भी इसे लगातार मान्यता दी गई है। उत्पत्ति.

अवमानना के लिए प्रतिबद्धता की इस शक्ति का, अपनी प्रकृति में न्यायिक, इस प्रकार संसद की अवधारणा के लिए मुख्य रूप से न्याय की अदालत-"संसद का उच्च न्यायालय" के रूप में पता लगाया जा सकता है।

86. भारत में विधानमंडल को हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों और विशेषाधिकारों के आयात से संबंधित मामलों में, इस मुद्दे की जांच करते हुए, हालांकि अवमानना के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति के अनुच्छेद 194 (3) के तहत राज्य विधानमंडल की उपलब्धता की सीमित चिंता से, इस अदालत ने उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले (उपरोक्त) में एक सावधानी का नोट दिया था जो वर्तमान उद्देश्यों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। फैसले के पृष्ठ 591 पर, यह इस प्रकार देखा गया था:

" 121. इस संबंध में, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय का दर्जा, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया गया था, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। यह अंग्रेजी इतिहास का एक तथ्य है कि संसद अपने प्रारंभिक कार्यकाल में न्यायिक कार्यों का निर्वहन कर रही थी। यह इंग्लैंड में ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों इतिहास का एक तथ्य है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी देश का सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है। यह आज भी संवैधानिक इतिहास का एक तथ्य है।

कि दोनों सदनों के पास महाभियोग और प्राप्तकर्ता की शक्तियाँ हैं। हम सोचते हैं कि यह स्पष्ट है कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं माना जा सकता है।
भारत में किसी भी कानूनी कल्पना द्वारा पेश किया गया। उचित विधायी

प्रावधान कभी-कभी कानूनी कल्पनाओं को पेश करते हैं, लेकिन ऐसी कल्पनाओं को पेश करने के लिए कानून की शक्ति की एक सीमा है। कानून ऐसा कर सकता है

कानूनी अधिकारों और दायित्वों के बारे में और के रूप में कल्पनाओं का परिचय दें

उस ओर से किए गए प्रावधानों का पूर्वव्यापी संचालन, लेकिन कानूनी [2007] 1 एस. सी. आर.

396

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कल्पना शायद ही किसी एक देश से दूसरे देश में ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत कर सकती है।

एक और "।

(जोर दिया गया)

87. यूपी विधानसभा (उपरोक्त) मामले में, इस अदालत द्वारा यह तय किया गया था कि

एक व्यापक दावा कि भारत के संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त सभी शक्तियों को भारतीय विधानमंडल में निहित किया जा सकता है, पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जिनका स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, निर्णय के पृष्ठ 448 पर दिखाई देने वाली निम्नलिखित टिप्पणियां पर्याप्त होनी चाहिए:

" ..... पहुँच की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार लें जिसका उपयोग किया जाता है

हाउस ऑफ कॉमन्स को एक निकाय के रूप में और अपने अध्यक्ष के माध्यम से

संसदीय अभ्यास (16 वाँ संस्करण) पी। 86] . यह शायद ही आवश्यक है कि यह इंगित करें कि सदन इस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसी तरह,

प्राप्तकर्ता और महाभियोग के कार्यों को पारित करने का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है

सदन द्वारा दावा किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स भी दावा करता है कि अपने स्वयं के संविधान के संबंध में विशेषाधिकार। यह विशेषाधिकार व्यक्त किया जाता है

तीन तरीकों से, पहले रिक्तियों को भरने के लिए नए रिटों के क्रम से

संसद के दौरान कॉमन्स में उत्पन्न होता है; दूसरा, द्वारा

विवादित चुनावों का परीक्षण; और तीसरा, निर्धारित करके

संदेह के मामलों में इसके सदस्यों की योग्यताएँ [आई. बी. आई. डी., पी. 175] . यह

मान लीजिए, सदन द्वारा फिर से विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि सभी शक्तियाँ और

विशेषाधिकार जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थे

सदन द्वारा प्रासंगिक समय का दावा किया जा सकता है।

88. भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है -

इंग्लैंड के इतिहास और भारत के संविधान के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में समझा जाए।

भारतीय संविधान का इतिहास

ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, 1784 ने भारतीय कंपनी अधिनियम का आधार बनाया।

1858 तक संविधान। इसने भारत के मामलों के लिए राजा राम पाल बनाम के लिए आयुक्त बनाए।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 397 राजा द्वारा घर पर नियुक्त किया जाए। इसके बाद चार्टर अधिनियम, 1833 आया जिसमें एक विधायी प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। इस व्यवस्था में, गवर्नर-जनरल की कानून बनाने की परिषद की बैठकों को अन्य, यानी कार्यपालिका के निर्वहन के लिए परिषद की बैठकों से अलग किया गया था।

गवर्नर जनरल की परिषद ने कहा कि कानूनों के सभी मसौदों को अंतिम रूप से पारित करने के लिए विधान परिषद के समक्ष रखने से पहले कार्यकारी परिषद द्वारा उन पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए, 13 जून, 1835 के अपने भाषण में विचारशील कक्ष को "सर्वोच्च विधान परिषद" के रूप में वर्णित किया और कहा कि "जब संसद ने हमें कानून बनाने की शक्ति दी तो उसने हमें दिया। साथ ही, आवश्यक निहितार्थ से, वे सभी शक्तियाँ जिनके बिना अच्छी तरह से कानून बनाना असंभव है ", इस संदर्भ में विशेष रूप से" अधीनस्थ सरकारों के साथ सीधे पत्राचार करने की शक्ति "का उल्लेख करते हुए;" सीधे किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी से जानकारी के लिए कॉल करें "; और" सैन्य या वित्तीय सचिव की उपस्थिति की आवश्यकता है "। भारतीय विधान परिषद का विस्तार 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, जिसके बाद 1854 और 1861 के अधिनियमों द्वारा कुछ और परिवर्धन किए गए।

90. यह अवधि वास्तव में भारत में संसदीय विशेषाधिकार के विकास के इतिहास में एक निश्चित प्रगति का प्रतीक है। सरकार द्वारा

भारत अधिनियम, 1915, संसदीय विशेषाधिकार की पूरी स्थिति जो

उस समय से पहले प्राप्त को समेकित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 63 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय विधानमंडल में गवर्नर-जनरल और "दो कक्ष, अर्थात् राज्य परिषद और विधान सभा" शामिल होंगे।

91. कार्य और कार्यवाहियों से संबंधित अधिनियम की धारा 67

भारतीय विधानमंडल। उप-धारा (1) ने नियमों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, "भारतीय विधानमंडल के कक्षों में कार्य के क्रम को विनियमित करने और व्यवस्था के संरक्षण के लिए" प्रावधान करने में सक्षम बनाया;

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में विधान सभा की बैठकें; कोरम के लिए; और माँग को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए। नियमों में निर्दिष्ट किसी भी विषय पर प्रश्न और चर्चा। उप-धारा (6) ने भारतीय विधानमंडल के किसी भी सदन में कार्य के संचालन और प्रक्रिया का पालन करने के लिए "स्थायी आदेश" देने की अनुमति दी, क्योंकि इन मामलों के लिए इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रावधान नहीं किया गया है। उप-धारा (7) ने "कक्ष को प्रभावित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन" घोषित किया कि "दोनों [2007] 1 एस. सी. आर. में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

भारतीय विधानमंडल के कक्ष "और यह कि कोई भी व्यक्ति" किसी भी सदन में अपने भाषण या मतदान के कारण या किसी भी सदन की कार्यवाही की किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट में निहित किसी भी चीज़ के कारण किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा "।

92. भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने भौतिक परिवर्तन लाए।

भारत सरकार अधिनियम, 1915 में। विधायिका अब कार्यपालिका का हिस्सा नहीं रह गई और अपने दम पर खड़ी हो गई। यह अब एक विस्तारित नहीं था गवर्नर-अतिरिक्त सदस्यों के साथ जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल और कार्यकारी पार्षद विधान परिषद के पदेन सदस्य नहीं रह गए। द्विसदनीय भारतीय विधानमंडल में नामित और निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होंगे।

93. भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 65, जिसमें संशोधन किया गया है।

1919 , भारतीय विधानमंडल की शक्तियों के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके अधीन

विशिष्ट निषेध है कि उसके पास कानून बनाने की शक्तियां, अन्य बातों के साथ-साथ, "जब तक कि संसद के अधिनियम (यूनाइटेड किंगडम के) द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है", अन्य बातों के अलावा, "संसद के अधिकार को प्रभावित करने वाले, या ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के अलिखित कानूनों या संविधान के किसी भी हिस्से को, जिस पर किसी भी हद तक यूनाइटेड किंगडम के क्राउन के प्रति किसी भी व्यक्ति की निष्ठा निर्भर हो सकती है, या ब्रिटिश भारत के किसी भी हिस्से पर क्राउन की संप्रभुता या प्रभुत्व को प्रभावित कर सकती है"। की शक्तियाँ

स्थानीय विधानसभाओं के विधान को धारा 80 ए में कमोबेश इसी तरह परिभाषित किया गया था।

94. ' भारत में संसदीय विशेषाधिकार 'प्रीतितोश रॉय द्वारा (1991), अध्याय में

4 , 'भारत में संसदीय विशेषाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1915-1950)' शीर्षक से पृष्ठ 53 पर सर अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में सुधार जांच समिति की 3 दिसंबर, 1924 की रिपोर्ट का उल्लेख है।

मुद्दीमन (गृह सदस्य), जिसमें सदस्य सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जिन्ना शामिल थे, जिन्होंने भारतीय विधानमंडल की शक्तियों के मुद्दे की जांच की थी और भारत में विधानमंडलों को

"हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर" लाने की आशा और आकांक्षा को बढ़ावा दिया था और "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंततः ब्रिटिश भारत के संविधान में इसी तरह का प्रावधान किया जाएगा"। रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय विधानमंडल ने विधायी सदस्य छूट अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम XXIII) पारित किया, जिसने दो नए संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए। जूरी सेवा से विधायक की छूट का विशेषाधिकार और गिरफ्तारी से स्वतंत्रता का विशेषाधिकार। ये नए विशेषाधिकार धारा राजा राम पाल v में शामिल करके दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में परिलक्षित होंगे।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 399 323 और क्रमशः धारा 135 क का समावेशन।

95. प्रीतितोश रॉय ने "भारत में संसदीय विशेषाधिकार" [पी-55] में उल्लेख किया है, भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत बनाई गई विधान सभा

ऐसे कई उदाहरण देखे गए जिनमें एक विधायी निकाय के विशेषाधिकारों का दावा किया गया था। इनमें 21 तारीख को लाया गया स्थगन प्रस्ताव भी शामिल है।

जनवरी, 1927 पं. मोतीलाल नेहरू सदन के निर्वाचित सदस्य श्री सत्येंद्र चंद्र मित्रा को हिरासत में लेने में सरकार के आचरण पर इस आधार पर चर्चा करेंगे कि यह सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के समान है और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक द्वारा सदन के अध्यक्ष पर हमला करने के खिलाफ 4 सितंबर, 1928 को श्री गया प्रसाद सिंह द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था, हालांकि इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा था कि बाहरी हमलों के खिलाफ अपना बचाव करना किसी भी विधानसभा का अंतर्निहित अधिकार है और यह किसी भी उचित स्थिति में पूरी तरह से खुला है।

सदन के लिए एक ठोस प्रस्ताव पेश करने और हमलावर पर निंदा या निंदा का वोट पारित करने का कारण बनता है।

96. प्रीतितोश रॉय ने पेज 56 पर एक दिलचस्प प्रकरण का भी उल्लेख किया है।

भारतीय प्रेस अधिनियम, 1931 को शामिल करते हुए जिसे 13 फरवरी, 1932 को अधिनियमित किया गया था। इसके संदर्भ में, एक सदस्य द्वारा प्रेस में दिए गए प्रस्ताव के नोटिस पर विशेषाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत विधान सभा के समक्ष एक सवाल उठा। यह स्वीकार करते हुए कि एक सदस्य द्वारा अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावों को स्वीकार करने से पहले प्रस्तावों के लिए प्रकाशन प्रश्नों के लिए प्रेस को जारी

करने के खिलाफ हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सम्मेलन था और इसके उल्लंघन को हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन माना गया था, जिसके पास प्रश्न में सदस्य के साथ व्यवहार करने के लिए पर्याप्त शक्तियां थीं, भारतीय विधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि "दुर्भाग्य से न तो इस सदन और न ही प्रवक्ताओं के पास ऐसी शक्तियां हैं" और सराहना की कि "इस अच्छी तरह से स्थापित सम्मेलन, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में मनाया जाता है, को भी इस सदन के सम्मेलनों में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए"। 97. प्रीतितोश रॉय भारतीय विधान सभा की बहस (22 जनवरी, 1935, पी। 81 एफ. एफ.], जो एक और घटना को उद्धृत करता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री एन. सी. बरदालोई ने सदन के निर्वाचित सदस्य श्री शरत चंद्र बोस को सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों में भाग लेने से रोकने में सरकार के आचरण के बारे में एक मुद्दा उठाया था और

जिससे सदन के विशेषाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है। भारत सरकार के तत्कालीन विधि सदस्य सर एन. एन. सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सदन [2007] 1 एस. सी. आर.

उसके पास विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित करने की कोई शक्ति नहीं थी।

98. भारत सरकार अधिनियम, 1935 1 अप्रैल को लागू हुआ।

1937 और 14 अगस्त, 1947 तक चालू रहा। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 28 और 71 क्रमशः संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार आदि के विषय से संबंधित थी।

99. धारा 71 की उप-धारा (1) में प्रावधान ने विस्तार किया

भाषण की स्वतंत्रता और विधानमंडल की समितियों में भी बोलने या मतदान करने की प्रतिरक्षा और सदन के विधानमंडल के एक कक्ष के अधिकार के तहत प्रकाशन को भी शामिल करना। धारा 71 की उप-धारा (1) ने अन्य बातों के साथ घोषणा की कि "इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अधीन और विधान-मंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले स्थायी आदेश प्रत्येक प्रांतीय विधान-मंडल में बोलने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक सदस्य इस संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही से प्रतिरक्षा का हकदार होगा।

विधान-मंडल या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत का।

100. उप-भारत सरकार अधिनियम की धारा 71 की धारा (2),

1935 , पहली बार, प्रांतीय विधानमंडल को सदस्यों के अन्य विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक अधिनियम पारित करने का अधिकार दिया गया और इस तरह के कानून के लंबित रहने तक, पहले से मौजूद विशेषाधिकारों की पुष्टि की गई। कुछ प्रान्तीय

विधायिकाओं ने इस विषय पर कानून बनाया या कानून बनाने का प्रयास किया। धारा 71 की उप-धारा (2) वर्तमान अनुच्छेद 194 (3) के अनुरूप थी। वह इस प्रकार है:

" 71. (2) अन्य मामलों में सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार

प्रांतीय विधानमंडल के अधिनियम द्वारा परिभाषित, और जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं किया जाता है,
ऐसा होगा जो इस के प्रारंभ से ठीक पहले था।

विधान परिषद के सदस्यों द्वारा आनंदित इस अधिनियम का हिस्सा

प्रांत "।

101. धारा 71 की उप-धारा (3) ने शक्तियों को कम किया और

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत भारतीय विधानमंडलों के विशेषाधिकार। यह इस प्रकार चला:

" 71. (3) किसी भी मौजूदा भारतीय कानून में कुछ भी नहीं, और इसके बावजूद

इस अधिनियम को किसी को प्रदान करने या सशक्त बनाने के रूप में माना जाएगा।
विधानमंडल को अपने किसी सदन या दोनों सदनों को राजा राम पाल बनाम प्रदान करना।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 401

एक साथ बैठना या विधानमंडल की कोई समिति या अधिकारी, अदालत की स्थिति, या नियमों या स्थायी आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को हटाने या बाहर करने

की शक्ति के अलावा कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक शक्तियां, या अन्यथा अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करना।

102. स्पष्ट रूप से, इरादा भारतीय विधानमंडलों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को निर्बाध कामकाज के लिए उपचारात्मक कार्रवाई तक सीमित करना था। विधानमंडल के किसी सदन द्वारा दंडात्मक शक्तियों के प्रयोग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित या बल्कि निषिद्ध करना।

103. इसी तरह के प्रावधान, उत्परिवर्तन, केंद्रीय विधानमंडल के लिए किए गए थे, जिन्हें संघीय विधानमंडल कहा जाता है, धारा 28 के तहत, जो, हालांकि, 1935 के अधिनियम के भाग II के बाद से कभी भी लागू नहीं हुए।

भारतीय संघ कभी सक्रिय नहीं हुआ। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 28 की उप-धारा (1) ने अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की कि संघीय विधानमंडल में "इस अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन" "बोलने की स्वतंत्रता" होगी और "विधानमंडल का कोई भी सदस्य इस अधिनियम में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विधान-मंडल या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई न्यायालय।

104. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 28 की उप-धारा (2) ने पहली बार संघीय विधानमंडल को सदस्यों के अन्य विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक अधिनियम पारित करने का अधिकार दिया।

कानून, पूर्व-मौजूदा विशेषाधिकारों की पुष्टि की गई थी। इसकी भाषा वर्तमान अनुच्छेद 105 (3) में प्रयुक्त भाषा की प्रतिध्वनि है। इसमें इस प्रकार कहा गया है:

" 28. (2) . अन्य मामलों में, सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार ऐसे होंगे जो समय-समय पर अधिनियम द्वारा परिभाषित किए जा सकते हैं -

संघीय विधानमंडल, और, इस प्रकार परिभाषित होने तक, ऐसा होगा जो संघ की स्थापना से तुरंत पहले था

भारतीय विधानमंडल के सदस्य "।

10. उप-धारा 28 की धारा (3) को शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था।

और निर्बाध कामकाज के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भारतीय संघीय विधानमंडल के विशेषाधिकार। विधायिका को शक्तियों का प्रयोग करने से रोकते हुए

न्यायालय ने किसी भी दंडात्मक या अनुशासनात्मक शक्तियों के लिए, यह सीमित की अनुमति दी नियमों या स्थिति का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को हटाने या बाहर करने का अधिकार क्षेत्र [2007] 1 एस. सी. आर.

आदेश देना या अन्यथा अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करना। वह इस प्रकार है:

" 28. (3) . किसी भी मौजूदा भारतीय अधिनियम में कुछ भी नहीं, और इसके बावजूद

इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी, इसमें कुछ भी नहीं

किसी भी सदन या दोनों सदनों को प्रदान करने के लिए विधानमंडल एक साथ बैठना, या विधानमंडल की किसी समिति या अधिकारी पर,

न्यायालय की स्थिति, या कोई अन्य दंडात्मक या अनुशासनात्मक शक्तियाँ

नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को हटाने या बाहर करने की शक्ति या

स्थायी आदेश, या अन्यथा अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करना।

106. धारा 28 की उप-धारा (4) पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि कुछ मामलों में दंडात्मक कार्रवाई के लिए विधानमंडल को अदालत के समक्ष जाना होगा। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:

" 28. (4) . संघीय विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा प्रावधान किया जा सकता है।

सजा के लिए, अदालत के समक्ष दोषी ठहराए जाने पर, उन व्यक्तियों के लिए जो

समिति के समक्ष साक्षय देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करना।

समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत आवश्यकता पड़ने पर एक कक्ष का गठन

ऐसा करने के लिए।

बशर्ते कि ऐसा कोई अधिनियम ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा।

व्यक्तियों की ऐसी समितियों के समक्ष उपस्थिति को विनियमित करने के लिए

जो भारत में क्राउन की सेवा में हैं या रहे हैं, और
गोपनीय मामले को प्रकटीकरण से बचाना जो किया जा सकता है

गवर्नर जनरल द्वारा अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना।

107. पृष्ठ 71 पर प्रीतितोश रॉय ने उल्लेख किया है कि उपरोक्त

भारत में विधायिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने और सदस्यों और अधिकारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए विधानमंडलों द्वारा प्रावधानों को अप्रभावी और अपर्याप्त पाया गया। यह

भारतीय विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा सुधार आयुक्त को एक ज्ञापन में दी गई शिकायत का विषय बन गया

29 जनवरी, 1938 को भारत सरकार ने यह मांग की कि भारत में केंद्रीय और साथ ही प्रांतीय विधानमंडल को अन्य विशेषाधिकारों के साथ-साथ उच्च न्यायालय की तरह अवमानना में आगे बढ़ने और सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होनी चाहिए।

और उसके सदस्यों में से, या सदन या राष्ट्रपति या राजा राम पाल को लाने का प्रयास करता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 403

अध्यक्ष अवमानना में "और सरकार से अनुरोध करने के लिए

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 28 और 71 में संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी ताकि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों और उनके अधिकारियों और सदस्यों के लिए

वे सभी शक्तियां और विशेषाधिकार सुरक्षित किए जा सकें जो अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा धारण और प्राप्त किए जाते हैं।

ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स "।

राष्ट्रों। इस अधिनियम ने भारतीय अधिराज्य को धारा 6 (2) के माध्यम से संप्रभु विधायी शक्ति प्रदान की, जो भारत के शाही सिद्धांत को निरस्त करती है। निम्नलिखित शब्दों में अस्वीकृति:

" नए उपनिवेशों (भारत और पाकिस्तान) में से किसी के भी विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि का कोई भी कानून और कोई भी प्रावधान इस आधार पर अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि यह भारत के विधान के प्रतिकूल है।

इंग्लैंड, या यूनाइटेड किंगडम की संसद के इस या किसी मौजूदा या भविष्य के अधिनियम के प्रावधानों के लिए, या किसी आदेश, नियम या
ऐसे किसी अधिनियम के तहत बनाया गया विनियम।

109. भारत के गवर्नर जनरल ने एक अनुकूलन आदेश जारी किया जिसके द्वारा, अन्य बातों के अलावा, उप-धारा (3) और (4) को छोड़कर, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 28 के प्रावधानों को पहली बार अधिराज्य विधानमंडल के उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप,

"विधायिका में बोलने की स्वतंत्रता" के अलावा, कानून ने प्रावधान किया कि

" अन्य मामलों में क्षेत्र विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार ऐसे होंगे जिन्हें समय-समय पर अधिराज्य विधानमंडल द्वारा परिभाषित किया जा सके और जब तक इस तरह परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक वे ऐसे होने चाहिए जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों से ठीक पहले थे।

भारतीय सदस्यों द्वारा आनंदित अधिराज्य की स्थापना

विधायिका। धारा 28 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) को हटाने से संकेत मिलता है कि विधायिका द्वारा दंडात्मक और अनुशासनात्मक शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध हटा दिए जा रहे हैं। 110. आदेश द्वारा धारा 28 की उप-धारा (3) और (4) को हटाए जाने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय विधानमंडल किसी भी अधिनियम को पारित करने का हकदार बन गया।

उप-धारा (2) के तहत विशेषाधिकारों का विषय बिना किसी प्रतिबंध के और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में निवेशित दंडात्मक और अनुशासनात्मक शक्तियों को ग्रहण करता है। लेकिन तब केंद्रीय विधानमंडल ने ऐसा नहीं किया

धारा [2007] 1 एस. सी. आर. के तहत सक्षम करने वाली शक्तियों के प्रयोग में विशेषाधिकारों पर कोई कानून पारित करना।

28 (2) भारत सरकार अधिनियम, 1935, जैसा कि स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया था।

111. डॉ. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष

संविधान ने, इंग्लैंड में प्राप्त संसदीय प्रणाली के समान संसदीय प्रणाली के लिए विचार करते हुए, संविधान सभा में बहस के दौरान उल्लेख किया कि बाद के अधिकार क्षेत्र में, संसदीय प्रणाली संसद के सदस्यों द्वारा कार्यपालिका की जिम्मेदारी के दैनिक मूल्यांकन पर निर्भर करती है, प्रश्नों, प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्तावों और बहसों के माध्यम से और चुनाव के समय मतदाताओं द्वारा किए गए आवधिक मूल्यांकन के माध्यम से; संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रणाली के विपरीत आवधिक मूल्यांकन की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और एक देश में कहीं अधिक आवश्यक है।

भारत की तरह। इस प्रकार भारत ने संसदीय संवैधानिक परंपराओं को अपनाया।

112. भारत में अपने आधुनिक रूप में संसदीय विशेषाधिकारों की अवधारणा

यह वास्तव में इंग्लैंड से आयातित ग्राफ्ट में से एक है। हाउस ऑफ कॉमन्स को संविधान सभा द्वारा विधायिका के मॉडल के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद, उस सदन के विशेषाधिकारों को अनुच्छेद 105 और 194 के माध्यम से संविधान के मसौदे में प्रतिस्थापित किया गया था।

113. प्रारूप संविधान का अनुच्छेद 85, जो वर्तमान से मेल खाता है

अनुच्छेद 105 में संसद के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान थे:

विशेषाधिकार:

" 85. (1) विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन

संसद की प्रक्रिया में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

संसद।

संसद के किसी भी सदन की किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, सदस्य के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

सदन ऐसे होंगे जिन्हें समय-समय पर परिभाषित किया जा सके -

कानून द्वारा संसद, और जब तक इस तरह से परिभाषित नहीं किया जाता है,

इसकी शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम की संसद

संविधान।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 405

(4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे जिन्हें इस संविधान के आधार पर अधिकार है -

जैसे वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं, वैसे ही वे संसद के किसी सदन में बोलते हैं और अन्यथा उसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं।

114. यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ ने टिप्पणी और गहन बहस को उकसाया। जैसा कि संविधान सभा की बहसों (19.5.1949 पृष्ठ 143-149 का खंड 8) से देखा जाता है, श्री एच. वी. कामत ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 85 का मसौदा वास्तव में हमारे अपने संविधान पर निर्भर होना चाहिए।

पूर्ववर्ती, हमारी अपनी परंपराओं और किसी भी आयात का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय विशेषाधिकारों के लिए संदर्भ दिए जाने की सराहना करते हुए "जैसा कि भारत के डोमिनियन विधानमंडल के सदस्यों द्वारा तुरंत पहले प्राप्त किया गया था

संविधान के प्रारंभ में उन्होंने इस प्रकार कहा:

" महोदय, विभिन्न संविधानों के बारे में मेरा ज्ञान डॉ. अम्बेडकर जितना विशाल या गहरा नहीं है, लेकिन इन संविधानों के बारे में मेरे अल्प ज्ञान पर भरोसा करते हुए, मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह अपनी तरह का पहला उदाहरण है जहां एक स्वतंत्र देश के संविधान में दूसरे राज्य के संविधान में प्राप्त कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मुझे ऐसा करने का कोई वैध कारण नहीं दिखता है।

यह हो सकता है कि जिन अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए हम जा रहे हैं स्वतंत्र भारत की संसद के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा

हम अपना खुद का संविधान बना रहे हैं जिसे हमें निर्धारित करना चाहिए। स्पष्ट रूप से एक अनुच्छेद में कि इस मामले के संबंध में प्रावधान करेंगे

इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह होना?

इस प्रस्ताव के समर्थन में यह तर्क दिया जा सकता है कि

हमारे संविधान या हमारे संविधान की गरिमा के लिए अपमानजनक कुछ भी नहीं

यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में राज्य। यह इस तर्क से और मजबूत हो सकता है कि अब हमने भारत को राष्ट्रमंडल का पूर्ण सदस्य घोषित कर दिया है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए

इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स को संदर्भित करने में आपत्ति, या किसी भी प्रकार की शिकायत। लेकिन क्या मैं गंभीर सुझाव दे सकता हूँ?

सदन का विचार कि क्या यह जोड़ता है-यह नहीं हो सकता है अपमानजनक, या संविधान की गरिमा को कम करता है-लेकिन क्या यह संविधान की गरिमा को बढ़ाता है? हम कहते हैं कि

और ऐसी चीज वही होनी चाहिए जो यूनाइटेड किंगडम में या 06 में है

अमेरिका। क्या इस पर भरोसा करना हमारे लिए कहीं बेहतर, कहीं अधिक खुशी की बात नहीं होगी? हमारे अपने उदाहरण, या हमारी अपनी परंपराएँ यहाँ भारत में

कहीं और से कुछ आयात करें और इसे संदर्भ में शामिल करें।

संविधान? क्या यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अधिकार और

सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ ऐसी होंगी जो की गई हैं।
संविधान सभा या डोमिनियन के सदस्यों द्वारा आनंदित

इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले विधानमंडल?

व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है, महोदय, यह कहीं बेहतर होगा। मैं आशा करने का साहस करता हूँ

कि इस सदन में मेरे माननीय मित्रों का झुकाव होगा

एक ही दृष्टिकोण है कि उदाहरण उद्धृत या उद्धृत करने के बजाय
यूनाइटेड किंगडम हमारे लिए इस पर भरोसा करना कहीं बेहतर होगा

हमने यहाँ परंपरा का निर्माण किया है। निश्चित रूप से कोई भी इस तथ्य पर विवाद नहीं करेगा

कि आज यहाँ हम जिन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का आनंद ले रहे हैं, वे यहाँ हैं

सदस्यों द्वारा आनंदित लोगों से कम या उससे भी बदतर कोई तरीका नहीं

यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स।

वास्तव में, मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश नहीं जानते कि क्या हैं

हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार। हम.
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान में हमारे विशेषाधिकार क्या हैं। इसलिए, श्रीमान,

निर्भर रहने के बजाय अपनी ठोस जमीन पर निर्माण करना कहीं बेहतर है।
अन्य देशों में प्राप्त होने वाली प्रथाओं पर। .....

115. बहस के दौरान इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थे,

श्री जसपत रॉय कपूर, प्रो. के. टी. शाह, प्रो. शिबबन लालअक्सेना, श्री नजीरुद्दीन अहमद, डॉ. पी. एस. देशमुख। प्रो. के. टी. शाह ने अनुच्छेद 85 के मसौदे में खंड (5) को निम्नलिखित रूप में शामिल किया था:

" संसद के सदन या के विशेषाधिकारों के सभी मामलों में

उस सदन द्वारा विधिवत पारित कोई आदेश, डिक्री या सजा
अधिकारियों द्वारा या उनके प्राधिकरण के तहत लागू किया गया।

116. सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, आलोचना का जवाब देते हुए,

इस प्रकार कहा गया:

" महोदय, अनुच्छेद के संबंध में दो आपत्तियां हैं -

उठाया गया, एक भावना पर आधारित और दूसरा सलाह पर आधारित

किसी अन्य राज्य में किसी सदन के विशेषाधिकारों का उल्लेख करना

जिसके साथ यहाँ का औसत नागरिक या संसद सदस्य पी. ए. एल. बनाम हैं।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 407

हो सकता है कि वह परिचित न हो। सबसे पहले, जहाँ तक भावना के सवाल का सवाल है, मैं इसे कुछ हद तक साझा कर सकता हूं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसकी सराहना करना भी आवश्यक है

देखें। यह सामान्य ज्ञान है कि सबसे व्यापक विशेषाधिकार हैं इंग्लैंड में संसद सदस्यों द्वारा प्रयोग किया गया। अगर विशेषाधिकार

भारत में वर्तमान में गठित विधानसभाओं के मौजूदा विशेषाधिकारों तक ही सीमित हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि किसी व्यक्ति को सदन की अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। कलकत्ता में वास्तविक प्रश्न उठा कि क्या किसी व्यक्ति को इस देश में प्रांतीय विधानमंडल या अन्य विधानमंडलों की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है जो प्रांतीय या यहां तक कि अवमानना का दोषी है।

केंद्रीय विधानमंडल, जबकि इंग्लैंड में संसद को अवमानना के लिए दंडित करने का अंतर्निहित अधिकार है। यह प्रश्न उपनिवेशों और उपनिवेशों में उत्पन्न हुआ और यह माना गया है कि ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल अधिनियम के साथ-साथ कनाडाई अधिनियम में व्यापक शब्दों के कारण, दोनों स्थानों पर संसद के पास इंग्लैंड में संसद के पास मौजूद शक्तियों के समान शक्तियां हैं और इसलिए उसे अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। क्या आप जा रहे हैं?

अपने आप को उस शक्ति से इनकार करते हैं? यही सवाल है।

मैं दूसरी आपत्ति से निपटूंगा। अगर आपके पास समय है और

यदि आपके पास सभी विशेषाधिकारों को तैयार करने का अवसर है

शानदार रूप, यह अच्छा और अच्छा होगा। मेरा मानना है कि विधायी पक्ष से अध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति को सभी विशेषाधिकारों को तैयार करना बहुत मुश्किल लगा, जब तक कि वे इंग्लैंड में संसदीय संस्थानों के पूरे कामकाज में विस्तार से नहीं जाते और उस उद्देश्य के लिए विधायिका के समक्ष पर्याप्त समय नहीं था।

बाद के चरण में। इन परिस्थितियों में मेरा कहना है कि बुनियादी ढांचे में खुदाई का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे पास अंग्रेजी भाषा है। हमारा संविधान अभी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी है। केवल आपत्ति ही क्यों? इंग्लैंड में विशेषाधिकारों का संदर्भ?

दूसरी बात यह है कि इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करने से संसद

[2007] 1 एस सी आर।

विशेषाधिकार। लेख इसके लिए व्यापक गुंजाइश छोड़ता है। अन्य मामलों में, सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति - जैसे कि समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित किया जा सकता है और जब तक इस तरह से परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक वे ऐसे होंगे जो यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

इस संविधान के प्रारंभ में "। लेख में बस इतना ही कहा गया है। यह किसी भी तरह से आपके विवेक को बाधित नहीं करता है। आप विशेषाधिकारों का विस्तार कर सकते हैं, आप विशेषाधिकारों में कटौती कर सकते हैं, आपके पास एक अलग तरह के विशेषाधिकार हो सकते हैं। आप अपनी यात्रा स्वयं शुरू कर सकते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन की संसद के संदर्भ के बिना। वहाँ है।

भारत की भावी संसद के विवेक को बाधित करने के लिए कुछ भी नहीं। केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में, के सदन के विशेषाधिकार

इस सदन में कॉमन्स लागू किए जाते हैं। यह बुनियादी ढांचे से परे है, यह इंग्लैंड में संसद के सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के संदर्भ को उन विशेषाधिकारों के अधीन करता है जो इस संसद द्वारा अपने स्वयं के अधिनियमों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। अत: खंड (3) के शब्दों में

कोई अवसंरचना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य उपनिवेशों में इस प्रथा का पालन किया गया है।

लाभ के साथ और इसने बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की है

और हर मामले में सदन की सर्वशक्तिमानता भी। इसलिए, जब हम अंग्रेजी भाषा उधार ले रहे हैं और जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमें इस हद तक उधार लेने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है

यह कहते हुए कि यह गुलामी का एक बैज होगा, गुलामी का एक बैज, अगर हम कहते हैं कि विशेषाधिकार वही होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यह उससे बहुत दूर है। आज यूनाइटेड किंगडम की संसद ग्रेट पर हावी हो रही है। ब्रिटेन, डोमिनियन और अन्य पर। कहने के लिए कि आप जैसे हैं

ग्रेट ब्रिटेन के रूप में अच्छा हीनता का निशान नहीं है, बल्कि आपके अपने आत्म-सम्मान और आपकी संसद की सर्वशक्तिमानता का भी दावा है। इसलिए, महोदय, अंग्रेजों के संदर्भ में की गई आपत्ति में कोई बल नहीं है।

संसद। इन परिस्थितियों में, इस लेख से बहुत दूर है

दासता या गुलामी या ब्रिटेन के प्रति अधीनता की भावना से निर्मित, यह आत्म-प्रतिपादन और इस दावे की भावना से तैयार किया गया है कि हमारा देश और हमारी संसद ग्रेट ब्रिटेन की संसद जितनी महान हैं।

(जोर दिया गया)

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 409

117. राष्ट्रपति द्वारा बोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर डॉ. अम्बेडकर ने व्यक्त किया

श्री अल्लादी द्वारा पहले ही दिए गए जवाब से यह कहते हुए संतुष्टि हुई कि "श्री अल्लादी और अन्य लोग पहले ही जवाब दे चुके हैं, और मैं ज्यादातर एक ही बात कहूंगा, शायद एक अलग तरीके से"।

118. यह संशोधन प्रो. शाह ने नकार दिया था

19 मई, 1948 को संविधान सभा। संसद के सदनों की समितियों को शामिल करने के लिए एक मामूली संशोधन को स्वीकार करने के बाद, मसौदा अनुच्छेद 85 (वर्तमान अनुच्छेद 105) को अपनाया गया और संविधान में जोड़ा गया।

119. प्रारूप संविधान का अनुच्छेद 169, जो इसके अनुरूप है -

वर्तमान अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों के संबंध में समान प्रावधान था और यह 3 जून, 1949 को संविधान सभा के समक्ष चर्चा के लिए आया था। इस अवसर पर दिए गए भाषण संविधान सभा की बहस (खंड 8) के पृष्ठों पर उपलब्ध हैं।

श्री एच. वी. कामत ने निम्नलिखित शब्दों में आपत्ति जताई:

" अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस संबंध में कुछ शब्द कहूंगा।

केन्द्रीय संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित खंड।
लेकिन मैं डॉ. अम्बेडकर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और

लोगों के बीच प्रतिक्रिया के साथ-साथ सदन में

उस खंड को दबाएँ जिसे हमने उस अवसर पर अपनाया था। मेरे पास नहीं है।
मुझे अपने मन में संदेह है कि डॉ. अम्बेडकर अपनी आंखें और कान रखते हैं।

खुलता है, और कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को रोजाना या समय पर पढ़ने की परवाह करता है

कम से कम उन्हें रोज पढ़ा है। संबंधित इस खंड के तुरंत बाद

संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों को इस सदन में अपनाया गया था,

अधिकांश प्रेस ने जिस तरह से हमने निपटा था, उसकी आलोचना की थी

बात है। .....

ब्रिटेन, जैसा कि सदन जानता है,
एक है

अलिखित संविधान हालांकि यह विशेष उपाय हो सकता है

किसी दस्तावेज़ में लिखा हुआ।

कई सदस्य

यहाँ जिन्होंने उस अवसर पर बात की थी टिप्पणी की कि वे नहीं जानते थे

हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के क्या विशेषाधिकार हैं

वे कम से कम एक अनुसूची का मसौदा तैयार कर सकते थे और

थे,

इसे संविधान के अंत में यह दिखाने के लिए शामिल किया गया कि क्या

हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के विशेषाधिकार थे। कि

ऐसा नहीं किया गया था, और केवल एक खंड जोड़ा गया था कि विशेषाधिकार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री मावलंकर की अध्यक्षता में संसद ने कुछ बातों को अपनाया है व्यवसाय और प्रक्रिया के नियम अस्थायी रूप से, और नियुक्त भी किए गए हैं

केंद्रीय संसद के सदस्यों के रूप में आनंद लिया जाएगा राज्यों में विधानमंडल के सदस्य। अगर कोई ज़रूरत थी

किसी अन्य संविधान के संदर्भ के लिए। मुझे लगता है कि यह बहुत नासमझी थी।

अमेरिका का लिखित संविधान, और हम में से कुछ को इस पर गर्व है तथ्य यह है कि हमने अमेरिकी से बहुत कुछ उधार लिया है

संविधान। क्या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूँ कि क्या उनके विशेषाधिकार यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं

किसी भी तरह से सदस्यों के विशेषाधिकारों से बेहतर या बेहतर

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा? अगर वे हैं,

मैं उस बिंदु पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। अगर वे नहीं हैं, मुझे लगता है कि एक अलिखित संविधान का संदर्भ बिल्कुल नहीं है।

वांछनीय। यदि आवश्यक हो तो आइए हम अपनी एक अनुसूची बनाएँ संविधान, और यहाँ इस अनुच्छेद में कहें कि विशेषाधिकार और

अधिकार अंत में अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। मैं किसी भी

दिन संविधान में एक निश्चित अनुसूची पसंद करता है जो दिखाता है कि क्या

विधायिकाओं के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और संसद। मेरे विचार से इस विशेष खंड को फिर से बनाया जाना चाहिए। हम.

पहले के ओक्सैकन पर एक खंड पारित किया है, लेकिन वह नहीं है

यही कारण है कि हमें एक ही गलती बार-बार करनी चाहिए

एक बार फिर। इसलिए मैं डॉ. अम्बेडकर और उनकी बुद्धिमान टीम से प्रार्थना करूँगा। इस खंड को संशोधित करने के लिए प्रारूपण समिति और सदन की, और

यदि आवश्यक हो तो दूसरे खंड पर वापस जाने के लिए, यदि वे आश्वस्त हैं

इस पाठ्यक्रम के ज्ञान का, और उसे भी तदनुसार संशोधित करें, और

समझदारी और समझदारी से आगे बढ़ें। "

20. प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इस आलोचना का जवाब निम्नलिखित तरीके से दिया:

" महोदय, कुछ समय पहले ही इस विषय पर इस सदन में बहस हुई थी।

जब हम संसद के विशेषाधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और मैंने सोचा कि एम पी ए एल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 411

कि सदन ने उस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया था जो

संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर आगे कोई बहस नहीं होगी। जब हम वास्तव में उसी प्रावधान को पुनः प्रस्तुत कर रहे थे।

राज्य विधानमंडल के संबंध में। लेकिन जैसा कि बहस हो चुकी है

उठाया और जैसा कि मेरे दोस्त श्री कामत ने कहा कि यहाँ तक कि प्रेस भी उत्तेजित, मुझे लगता है कि यह वांछनीय है कि मुझे यह बताना चाहिए कि वास्तव में क्या है

प्रारूपण समिति द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम का कारण,

विशेष रूप से जब पिछली बार बहस हुई थी तो मैंने नहीं किया था

स्थिति स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप करें।

मुझे नहीं पता कि वास्तव में कितने सदस्यों की अवधारणा है।

विशेषाधिकार का क्या अर्थ है। अब वह विशेषाधिकार जिसके बारे में हम सोचते हैं दो अलग-अलग वर्गों में आते हैं। सबसे पहले, विशेषाधिकार हैं

व्यक्तिगत सदस्यों से संबंधित, जैसे कि उदाहरण के लिए स्वतंत्रता

भाषण, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा। लेकिन यह

यह सब कुछ विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता है।

जैसा कि मैंने कहा, यह परिभाषित करना आसान नहीं है कि वे कौन से कार्य और कार्य हैं जो संसद को बदनाम करने वाले माने जा सकते हैं। ऐसा होगा। काफी मात्रा में चर्चा और परीक्षण की आवश्यकता होती है। कि

यह एक कारण है कि हमने इन विशेषाधिकारों की गणना करने के बारे में नहीं सोचा

और प्रतिरक्षण।

लेकिन मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है और मुझे यकीन है।

मसौदा समिति के दिमाग में भी कि संसद को कुछ विशेषाधिकार हैं, जब वह संसद इतनी अधिक होगी

अपशब्दों के सामने, अनुचित आलोचना के लिए कि संसद

इस देश में संस्था को पूरी तरह से अवमानना के लिए नीचे लाया जा सकता है

और सभी सम्मान खो सकते हैं जो संसदीय संस्थान उन नागरिकों से होना चाहिए जिनके लाभ के लिए वे काम करते हैं।

मैंने एक कठिनाई का उल्लेख किया है कि यह क्यों संभव नहीं हुआ है।

वर्गीकरण करना। अब मुझे कुछ अन्य कठिनाइयों का उल्लेख करना चाहिए जो हमने महसूस किया है।

मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता कि अधिनियम में ही संसद के विशेषाधिकारों की गणना की जानी चाहिए, तो हमारे पास [2007] 1 एस. सी. आर. होता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तीन पाठ्यक्रमों का पालन करना। एक है उन्हें संविधान में अपनाना, अर्थात् संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को विस्तार से निर्धारित करना। मैं बहुत सावधानी से मई के ऊपर गया हूँ

संसदीय अभ्यास जो संसद की उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के संबंध में ज्ञान की स्रोत पुस्तक है। मैं मे के संसदीय अभ्यास के सूचकांक पर गया हूँ और मैंने देखा है कि सूचकांक के व्यावहारिक रूप से 8 या 9 स्तंभ संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के लिए समर्पित हैं। ताकि यदि आप संसद के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की एक पूरी संहिता लागू करें इस विषय पर मई का जो कहना है, उसके आधार पर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमें संसद की उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित कम से कम बीस या पच्चीस पृष्ठों को जोड़ना होगा। मुझे नहीं पता कि क्या इस सदन के सदस्य चाहते हैं कि संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का इतना बड़ा स्पष्ट बयान बीस या पच्चीस से अधिक हो।

पृष्ठ। मुझे लगता है कि यह एक कारण है कि हमने उस पाठ्यक्रम को क्यों नहीं अपनाया।

दूसरा तरीका यह कहना है, जैसा कि कई जगहों पर कहा गया है।

संविधान में, कि संसद इस संबंध में प्रावधान कर सकती है

किसी विशेष मामले में और जब तक संसद वह प्रावधान नहीं करती, तब तक मौजूदा स्थिति बनी रहेगी। यह दूसरा मार्ग है जिसे हम अपना सकते थे। हमने कहा होगा कि संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित कर सकती है और

स्वयं निकाय, और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक संविधान के अस्तित्व में आने की तारीख को मौजूद विशेषाधिकार संचालित होते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लिए, जैसा कि माननीय सदस्य करेंगे। जानते हैं, 1935 के अधिनियम ने संसद और उसके सदस्यों को कोई

विशेषाधिकार और कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की। इसके लिए जो कुछ भी प्रदान किया गया था वह एक था

प्रावधान है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी और संसद के भीतर बहस में कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। नतीजतन वह मार्ग खुला नहीं था, क्योंकि मौजूदा संसद या विधान सभा के पास कोई विशेषाधिकार और कोई प्रतिरक्षा नहीं है। इसलिए हम उस मार्ग का सहारा नहीं ले सके।

हमारे लिए तीसरा रास्ता खुला था जो हमारे पास है।

इसका पालन किया गया, अर्थात्, संसद के विशेषाधिकार होंगे -

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार। मुझे ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में भावनात्मक आपत्ति को छोड़कर राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 413

मैं नहीं देख सकता कि तर्क में कोई सार है जो है

प्रारूपण द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम के विरुद्ध उन्नत किया गया समिति। इसलिए मेरा सुझाव है कि लेख ने केवल

इसे करने का संभावित तरीका और कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है

हमारे लिए। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस लेख को अपनाया जाए

जिस तरह से हमने इसका मसौदा तैयार किया है।

(जोर दिया गया)

121. डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रकार श्री अल्लादी द्वारा पहले दिए गए औचित्य को दोहराते हुए कहा कि सभी शक्तियों और विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध करने से संविधान की मात्रा और भारत सरकार के तहत मौजूदा विधायिका की शक्तियों और विशेषाधिकारों को अपनाने की प्रक्रिया में वृद्धि हुई होगी।

अधिनियम, 1935 अस्वीकार्य था क्योंकि उस निकाय के पास शायद ही कोई अधिकार उपलब्ध थे। अनुच्छेद 169 (वर्तमान अनुच्छेद 194 के अनुरूप) के मसौदे को उपरोक्त स्पष्टीकरण के बाद अपनाया गया और इसे संविधान का हिस्सा बनाया गया।

. 122. इस प्रकार संविधान ने अनुच्छेद 105 और 194 के माध्यम से क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए समान शक्तियों को अपनाया।

यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में संविधान के प्रारंभ में निहित विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, जब तक कि वे "कानून द्वारा परिभाषित" नहीं हो जाते। इस दृष्टिकोण से, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गलत नहीं हैं जब वे कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में मौजूद विशेषाधिकारों के बराबर भारत में विशेषाधिकारों की स्थापना एक औपनिवेशिक विरासत को प्रतिबिंबित नहीं करती थी, बल्कि यह भारतीय संसद की वास्तविक संप्रभु प्रकृति का दावा था।

123. उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि विशेषाधिकारों का संदर्भ

हाउस ऑफ कॉमन्स के स्व-दावे के आधार पर उचित ठहराया गया था कि

स्वतंत्र भारत और उसकी संसद ग्रेट ब्रिटेन की संसद जितनी महान है। ऊपर उद्धृत उत्तरों से यह भी पता चलता है कि मसौदा समिति संसद को इंग्लैंड में संसद के सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले व्यापक विशेषाधिकार देने के बारे में अधिक चिंतित थी, जिसमें इसके लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल थी। सदन की अवमानना। शक्तियों और विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध करने वाले पूर्ण प्रावधान संभव नहीं थे क्योंकि उन सभी को एक समग्र रूप में तैयार करने के लिए पर्याप्त समय या अवकाश नहीं था, जैसा कि एक द्वारा पाया गया था

विधायी पक्ष में अध्यक्ष द्वारा गठित समिति। यही कारण है कि

भविष्य [2007] 1 एस. सी. आर. के लिए एक व्यापक दायरा और अनियंत्रित विवेक छोड़ा जा रहा था।

विशेषाधिकारों को तैयार करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करने के लिए भारत की संसद, जिसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों और विशेषाधिकारों को अपनाना केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य उपनिवेशों में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता और हर मामले में विधायिका की सर्वशक्तिमानता को सुरक्षित करने के लिए लाभ के साथ पालन की जाने वाली प्रथा का पालन करना।

124. हम यहाँ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा रखे गए एक छोटे से तर्क का निपटारा करना चाहेंगे। तर्क यह है कि तथ्य यह है कि अनुच्छेद 105 के प्रावधानों को संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित किया गया था, जिससे हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया था।

20 जून, 1979 से, शक्तियों और विशेषाधिकारों के विषय का अर्थ लगाया जाना है और उस तारीख को निर्धारित किया जाना है और आगे यह कि चूंकि हाउस ऑफ कॉमन्स ने 1947 के बाद निष्कासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए ऐसी शक्ति,

भले ही यह 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में मौजूद था, लेकिन यह अप्रचलित और अप्रचलित हो गया है। यह तर्क देते हुए कि ऐसी शक्ति भारतीय संसद को विरासत में नहीं मिली है, वकील हाल के कुछ घटनाक्रमों का भी उल्लेख करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में, विशेष रूप से संसदीय विशेषाधिकार-प्रथम रिपोर्ट, जो 30.03.1999 पर प्रकाशित हुई है, जिसके मद्देनजर एक सिफारिश की गई है कि "संसद की अवमानना करने वाले व्यक्ति, चाहे वह सदस्य हो या नहीं, को कैद करने की संसद की शक्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए" और आगे यह कि, "अपने सदस्यों को निलंबित करने की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति को स्पष्ट किया जाना चाहिए और

125. हम इनमें से किसी भी तर्क से प्रभावित नहीं हैं। 1979 में लागू किया गया संशोधन घड़ी को आगे नहीं बढ़ाता है। शक्तियाँ और भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार संशोधन से पहले संसद को उपलब्ध शक्तियां और विशेषाधिकार थे।

और यही वह पैकेज है जो संशोधन के बाद भी उपलब्ध है। 1947 में किसी विशेष शक्ति का उपयोग भारतीय संविधान के प्रारंभ की महत्वपूर्ण तिथि के समय के संदर्भ में इसे करीब बना देगा। बाद की अवधि में इसके दुरुपयोग का कोई परिणाम नहीं है। इस दृष्टि से हम भी चिंतित नहीं हैं।

बाद के विकास के साथ।

126. इस प्रकार, हम भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों और विशेषाधिकारों के मुद्दे पर वापस आ गए हैं।

ए. एम. पाल वी. माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 415

, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा-आम तौर पर

27. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अनुच्छेद 105 और 194 में लगभग एक जैसे प्रावधान हैं।

जी. अनुच्छेद 194 यूपी विधानसभा में विवाद के मूल में था

मामला.

28. अनुच्छेद 194 के खंड (1) में निहित प्रावधानों से निपटना,

ऑर्ट ने इस प्रकार देखा:

खंड (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता

प्रत्येक राज्य का विधानमंडल जो वह निर्धारित करता है, संविधान के प्रावधानों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। इस खंड की व्याख्या करते समय इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि संविधान के जिन प्रावधानों को विधायकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वे संविधान के सामान्य प्रावधान नहीं हैं, लेकिन

केवल उनमें से जो विधानमंडल की प्रक्रिया के विनियमन से संबंधित हैं। नियम और स्थायी आदेश विधायिका की प्रक्रिया और इसके कुछ प्रावधानों को विनियमित कर सकते हैं।

संविधान का उद्देश्य इसे विनियमित करना भी हो सकता है; उदाहरण के लिए, ये अनुच्छेद 208 और 211 हैं। विशेषण खंड "प्रक्रिया को विनियमित करता है

विधायिका "संविधान के प्रावधानों" और "नियमों और स्थिति" से संबंधित दोनों पूर्ववर्ती खंडों को नियंत्रित करती है।

आदेश "। इसलिए, खंड (1) विशेष रूप से विधायकों को अपने पहले भाग द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि इस खंड को केवल संविधान के निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन करके, संविधान निर्माता यह

स्पष्ट करना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा सोचा था विधायक को अलग से और एक अर्थ में अनुच्छेद 19 (1) (ए) से स्वतंत्र रूप से बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। यदि विधायक केवल बोलने की स्वतंत्रता का दावा करने के हकदार थे और

अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित अभिव्यक्ति, विशेष रूप से अनुच्छेद 194 (1) द्वारा अपनाए गए तरीके से समान अधिकार प्रदान करना अनावश्यक होता; और इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) संविधान के प्रावधानों में से एक नहीं है जो अनुच्छेद के खंड (1) के पहले भाग को नियंत्रित करता है।

194. "

(जोर दिया गया)

29. पंडित शर्मा (आई) को ध्यान में रखते हुए, इसे यूपी [2007] आई. एस. सी. आर. में दोहराया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

416 विधानसभा (उपर्युक्त) मामला कि अनुच्छेद 194 का खंड (1) निस्संदेह संविधान के प्रावधानों के अधीन उक्त खंड का एक ठोस प्रावधान करता है; लेकिन इस संदर्भ में, उन प्रावधानों को अनुच्छेद 19 (1) (ए) में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बाद वाला अनुच्छेद विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है और यह केवल संविधान के ऐसे प्रावधान हैं जो

अनुच्छेद 194 (1) के पहले भाग में शामिल विधायिका की प्रक्रिया को विनियमित करना।

130. अनुच्छेद 194 के खंड (2) के प्रावधानों पर, यह है

अदालत ने पाया कि:

विधायी कक्ष जिन्हें उन्होंने प्रदान करना आवश्यक समझा
किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई से विधायकों को पूर्ण छूट

व्यापक रूप से विधान कक्षों में उनके भाषणों के संबंध में

खंड (2) द्वारा विहित शर्तें। इस प्रकार, खंड (1) स्वतंत्रता प्रदान करता है

विधायी सदन के भीतर विधायकों पर भाषण और

खंड (2) यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता शाब्दिक रूप से निरपेक्ष है और

निरंकुश "।

(जोर दिया गया)

131. अनुच्छेद 194 के सभी महत्वपूर्ण खंड (3) के संदर्भ में,

न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

46 ..... संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि विधायिकाओं को उनके संबंध में कानून बनाने में कुछ समय लगेगा

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। अंतराल के दौरान, यह था उन्हें आवश्यक शक्तियाँ, विशेषाधिकार प्रदान करना स्पष्ट रूप से आवश्यक है।

और प्रतिरक्षण। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और खंड (3) द्वारा अनुध्यात उन्मुक्ति आनुषंगिक हैं।

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति जो प्रत्येक विधानमंडल को होनी चाहिए ताकि यह प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके, और वह

खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग के उद्देश्य की व्याख्या करता है।"

(जोर दिया गया)

132. उपरोक्त उद्धृत अवलोकन स्पष्ट रूप से लागू होते हैं -

संविधान के अनुच्छेद 105 के संबंधित खंड।

133. अन्य खंडों में ध्यान देने योग्य चूक के संदर्भ में, राजा राम पाल v.

अनुच्छेद 194 के खंड (1) में उपयोग की गई "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति के खंड (3) को शामिल करते हुए, इस न्यायालय ने महसूस किया:

..... अनुच्छेद 194 के सभी चार खंड बनाए गए शब्दों में नहीं हैं।

भाग III में निहित प्रावधानों के अधीन। वस्तुत: खंड (2) है -
इतने व्यापक शब्दों में कि प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने में

कुछ प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर नहीं किया जा सकता है
संविधान के अनुसार, यह सुझाव देना उचित नहीं होगा कि

उन प्रावधानों को केवल इसलिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त खंड ऐसा करता है।

के अन्य प्रावधानों के अधीन शब्दों के साथ नहीं खुला

संविधान "। निहित प्रावधानों के प्रभाव से निपटने में

सामंजस्यपूर्ण नियम को अपनाकर उक्त संघर्ष
निर्माण "

(जोर दिया गया)

134. यह तर्क कि हालांकि अनुच्छेद 194 (3) नहीं बनाया गया था

संविधान के प्रावधानों के अधीन, इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है

कि यह ऐसा विषय नहीं है, और कि अनुच्छेद 194 के कई खंडों को विशिष्ट और अलग-अलग प्रावधानों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार पढ़ें, सभी खंडों को निम्नलिखित के अधीन लिया जाना चाहिए:

संविधान के प्रावधान जिसमें, निश्चित रूप से, भाग III शामिल होगा

संविधान को पहले इस न्यायालय द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण से खारिज कर दिया गया था

पंडित शर्मा (1) में इस विषय पर।

135. अनुच्छेद 105 (3) को देखते हुए इसकी शक्ति का पता लगाना अनिवार्य है -

भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख, यानी 26 जनवरी 1950 को यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित होने के रूप में मान्यता प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों

और उन्मुक्ति के संदर्भ में निष्कासन। यदि ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार उक्त में निहित है
विधायिका, सवाल उठेगा कि क्या यह इसका हिस्सा हो सकता है

भारतीय विधानमंडलों के लिए इसके लिखित प्रावधानों के बावजूद विरासत

संविधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

136. यह तय किया जाता है कि विशेषाधिकारों और शक्तियों के पूरे गुलदस्ते से

जिसके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने कड़वे संघर्ष के समय दावा किया था

17 वीं से 19 वीं शताब्दी के दौरान मान्यता, सभी समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। कुछ को छोड़ दिया गया। कुछ अन्य निर्जलीकरण से गायब हो गए। इस संदर्भ में, यूपी विधानसभा मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:

" ..... प्रत्येक मामले में जहां एक शक्ति का दावा किया जाता है, यह आवश्यक है कि

पता लगाएँ कि क्या यह प्रासंगिक समय पर एक मौजूदा शक्ति थी। यह.

यह भी प्रकट होना चाहिए कि उक्त शक्ति का दावा केवल द्वारा नहीं किया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। यह.

स्पष्ट रूप से यह तर्क देना बेकार होगा कि यदि कोई विशेष शक्ति जो

सदन द्वारा दावा किया गया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था लेकिन अंग्रेजी अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था, फिर भी यह होगा

खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग के तहत केवल इस आधार पर बरकरार रखा गया कि वास्तव में यह हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था। दूसरे शब्दों में,

इस खंड द्वारा निर्धारित जांच इस प्रकार है: में शक्ति है

सदन में दिखाया गया या साबित किया गया प्रश्न
प्रासंगिक समय पर कॉमन्स? "

(जोर दिया
गया)

137. सभी शक्तियों और विशेषाधिकारों की उपलब्धता का तर्क है

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा की गई कुछ शक्तियों के चित्रण के संदर्भ में यूपी विधानसभा मामले में खारिज कर दिया गया, जैसा कि मई के दशक में उल्लेख किया गया है।

संसदीय अभ्यास (16 वीं संस्करण में पृष्ठ 86 और 175) , लेकिन जिसका भारतीय विधानमंडलों द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है, जिसमें प्रवेश की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार भी शामिल है जिसका उपयोग हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा एक निकाय के रूप में और अपने अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है "हर समय अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से अपने संप्रभु के साथ याचिका, परामर्श या विरोध करने का अधिकार है और

उनके शब्दों पर रखे गए अनुकूल निर्माण को न्यायसंगत माना गया था

कॉमन्स को मौलिक विशेषाधिकार के रूप में "; प्राप्तकर्ता और महाभियोग के कार्यों को पारित करने का विशेषाधिकार; और अपने स्वयं के संविधान के संबंध में विशेषाधिकार जो तीन तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पहला संसद के दौरान कॉमन्स में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए नए रिट के क्रम द्वारा; दूसरा, विवादित चुनावों के परीक्षण द्वारा; और तीसरा, संदेह के मामलों में अपने सदस्यों की योग्यता निर्धारित करके।

अन्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निषेध की याचिका

138. इससे पहले कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या निष्कासन की शक्ति राजा राम पाल v.

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 419 अनुच्छेद 105 (3) के भीतर पढ़ा जा सकता है या नहीं, पहले प्रश्न का निर्णय लेना आवश्यक है: अनुच्छेद 105 (3) के तहत ऐसी शक्ति को पढ़ने से किसी अन्य का उल्लंघन होगा।

संविधान के प्रावधान। दूसरे शब्दों में, क्या निष्कासन की शक्ति भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ असंगत होगी। 139. याचिकाकर्ताओं के अनुसार निष्कासन की शक्ति संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों के साथ असंगत है:

रिक्तियों और अयोग्यताओं से संबंधित प्रावधान [अनुच्छेद

(

101 - 103] ;

((ii) सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान।

और कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहने का उनका अधिकार [अनुच्छेद 106]

और अनुच्छेद 82 (3)];

((iii) नागरिकों का मतदान करने का अधिकार और उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार।

संसद में निर्वाचन क्षेत्र; और

((iv) सांसदों के मौलिक अधिकार।

(i) रिक्ति और अयोग्यता से संबंधित प्रावधान:

140. याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 101,102 और 103 पर भरोसा किया है। निवेदन यह है कि ये

संसद की सदस्यता की समाप्ति के संबंध में अनुच्छेद (रिक्ति और अयोग्यता से संबंधित) संपूर्ण हैं और कोई अतिरिक्त नहीं

ऐसा आधार हो सकता है जिसके आधार पर संसद के किसी मौजूदा सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 101,102 और 103 संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में "सदस्यों की अयोग्यता" उप-शीर्षक के तहत आते हैं। 141. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि चूंकि संसद कानून द्वारा एक अतिरिक्त अयोग्यता पैदा कर सकती है, इसलिए यह पारित करने के लिए खुला था

ऐसे सदस्यों की सदस्यता जारी रखने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली कानून जो किसी सदस्य के अयोग्य आचरण के दोषी हैं। ऐसा कोई कानून नहीं था पारित होने पर, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सदस्यता की समाप्ति अनुच्छेद 105 (3) के तहत कार्य करने

वाले सदन के प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 190 और 191 जो सीटों की छुट्टी से संबंधित हैं और [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

420

राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं अनुच्छेद 101 और 102 के अनुरूप हैं और समान शर्तों पर हैं।

142. शब्दों के सटीक महत्व को समझना आवश्यक है।

' रिक्ति ',' अयोग्यता 'और' निष्कासन '।

143. इन शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं और वे ओवरलैप नहीं करते हैं।

अयोग्यता उम्मीदवार की योग्यता की जड़ पर हमला करती है और उसे सदस्य की सीट पर कब्जा करने में असमर्थ बनाती है। दूसरी ओर, निष्कासन एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अन्यथा योग्य है, लेकिन विधायिका के सदन की राय में, सदस्यता के योग्य नहीं है। जबकि अयोग्यता एक उम्मीदवार को फिर से चुनाव से रोकने के लिए काम करती है, सदस्य के चुनाव के बाद निष्कासन होता है और फिर से चुनाव पर कोई रोक नहीं है। जहाँ तक 'रिक्ति' शब्द का संबंध है, यह इस तथ्य का परिणाम है कि कोई सदस्य सदस्यता जारी नहीं रख सकता है। कारण कोई भी हो सकता है

कई संभावित कारणों में से एक जो सदस्य को सदस्यता जारी रखने से रोकता है, उदाहरण के लिए अयोग्यता, मृत्यु या निष्कासन।

144. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि

सदस्यता की समाप्ति केवल अनुच्छेद 101 और 102 में निर्धारित तरीके से ही की जा सकती है। जबकि ये अनुच्छेद सदस्यता के लिए योग्यता और निरंतरता की बात करते हैं, हमारे विचार में वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं

अनुच्छेद 105 (3)। अनुच्छेद 105 (3) भी एक संवैधानिक प्रावधान है और यह किसी भी अन्य प्रावधान के समान महत्व की मांग करता है, और न ही

एक सीट की रिक्ति, एक को इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो दूसरे के दायरे को सीमित करे। सदन के भीतर काम करने के लिए अयोग्य पाए जाने पर निष्कासन किसी भी तरह से उन योग्यताओं को प्रभावित नहीं करता है जिन्हें एक सदस्य को पूरा करना चाहिए, और बाद वाले के निष्कासन को प्रभावित करने का कोई कारण नहीं है। दोनों प्रावधान काफी सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम कर सकते हैं। हम दोनों के बीच कोई विसंगति नहीं देखते हैं। न ही हमें इस दावे का समर्थन करने का कोई कारण मिलता है कि अनुच्छेद 101 और 102 के तहत प्रावधान संपूर्ण हैं और इस कारण से, अनुच्छेद 105 (3) को निष्कासन की शक्ति को शामिल नहीं करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, एक सीट की रिक्ति के कारण के रूप में मृत्यु का भी संबंधित प्रावधानों में उल्लेख नहीं किया गया है। इसी तरह, निष्कासन का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, यदि एक अन्य संवैधानिक प्रावधान मौजूद है जो ऐसी शक्ति प्रदान करता है।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 421

यह स्पष्ट है कि निष्कासन पर, सदस्य की सीट खाली हो जाती है और इसलिए इस प्रावधान के भीतर इस प्रावधान की कोई विशिष्ट मान्यता आवश्यक नहीं है।

रिक्ति से संबंधित प्रावधान। अतः निष्कासन की शक्ति को इन प्रावधानों के साथ असंगत नहीं माना जा सकता है।

145. अनुच्छेद 194 की व्याख्या करते हुए, तीन उच्च न्यायालयों ने इसी तरह की दलीलों को सही ढंग से खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश विधान सभा, ए. आई. आर. (1967) एम. पी. 95, हरद्वारी लाल, आई. एल. आर. (1977) 2 पी. एंड एच. 269 (एफ. बी.)], के. अनबाझगन बनाम। टी. एन. विधान सभा, ए. आई. आर. (1988) मैड। 275 . आर्मस्ट्रॉन्ग के ऑस्ट्रेलियाई मामले में लगभग एक समान सवाल उठाया गया था।

वी. बड, [1969] 71 एसआर 386 (एनएसडब्ल्यू)। उस मामले में सवाल यह था कि क्या संविधान अधिनियम की धारा 19 जो परिस्थितियों के लिए प्रावधान करती है

विधान पार्षदों की सीटों की छुट्टी पूरी थी ताकि निष्कासन की शक्ति को रोका जा सके। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 19 संपूर्ण थी।

" ..... लेकिन यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एस। 19 एक सीट की छुट्टी के लिए एक पूर्ण कोड का गठन करता है या केवल मानदंड शामिल करता है जिस पर

एक रिक्ति हो सकती है।

146. इस प्रकार, हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि सदस्यता की समाप्ति के संबंध में अनुच्छेद 101 और 102 संपूर्ण हैं। इसलिए निष्कासन की शक्ति को इन प्रावधानों के साथ असंगत नहीं कहा जा सकता है। 147. इस मुद्दे के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने दो अन्य प्रावधानों पर भी भरोसा किया है। सबसे पहले, वे प्रस्तुत करेंगे कि धारा 7-10 A

जन अधिनियम, 1951 की प्रस्तुति अयोग्यता पर विस्तृत प्रावधानों को निर्धारित करती है, जिसका अर्थ है कि सभी अयोग्यताएं कानून द्वारा की जानी चाहिए। वास्तव में, इस स्थिति के साथ कोई झगड़ा नहीं है। वास्तव में, यह इस न्यायालय द्वारा श्रीकांत बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। वसंतराव, [2006] 2 एस. सी. सी. 682 ने कहा कि "अयोग्यताओं में जोड़ना या घटाना संभव नहीं है, या तो आधार पर सुविधा, या समानता या तर्क या कथित विधायी इरादे के आधार पर। हालाँकि, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अयोग्यता और निष्कासन पूरी तरह से दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, और अनुच्छेद 105 (3) के तहत निष्कासित करने की संसद की शक्ति को मान्यता देना किसी भी तरह से अयोग्यता के लिए एक नया आधार जोड़ने के बराबर नहीं है।

148. याचिकाकर्ताओं ने जिस अन्य प्रावधान पर जोर दिया है, वह है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट।

327 संविधान से। यह अनुच्छेद संसद को सक्षम बनाता है, बशर्ते कि

संविधान के अन्य प्रावधान, "सदन के उचित गठन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों" के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने के लिए वे सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 74 का भी उल्लेख करेंगे जो संसद को संसद के सदनों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर कानून बनाने की क्षमता प्रदान करता है। तर्क यह है कि संसद

केवल कानून बनाकर अतिरिक्त शक्तियों का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अनुच्छेद 105 (3) स्वयं शक्तियों और विशेषाधिकारों को

परिभाषित करने वाला कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है और इस स्थिति को आगे बढ़ाता है कि जब तक ऐसा कानून पारित नहीं हो जाता, तब तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी विशेषाधिकार संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 327 जहां तक चुनाव आदि मामलों का संबंध है, सदन के गठन से संबंधित है। यह उन विशेषाधिकारों का उल्लेख नहीं करता है जो संसद को प्राप्त हैं।

149 इस प्रकार, हम पाते हैं कि निष्कासन की शक्ति को किसी ने नकार नहीं दिया है।

उपरोक्त संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान। ((ii) वेतन आदि और एक निश्चित अवधि के अधिकार से संबंधित प्रावधान:

150. याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि

वेतन से संबंधित संविधान और जिस अवधि के लिए वे सदन में सेवा करते हैं, वे सदस्यों के संवैधानिक अधिकार हैं और उनकी सदस्यता को समाप्त करके निष्कासन की शक्ति इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

151. संविधान में प्रासंगिक प्रावधान अनुच्छेद 106 पर हैं -

वेतन का विषय और संसद के सदनों की अवधि के संबंध में अनुच्छेद 83 (2)।

152. याचिकाकर्ताओं ने इन उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों पर भरोसा किया है

और प्रस्तुत किया कि संसद सदस्य के निष्कासन के परिणामस्वरूप उसे दिए गए उपरोक्त अधिकारों का उल्लंघन होगा। दूसरे पक्ष का दावा है कि निष्कासित करने का निर्णय इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। सबसे पहले, यह तर्क दिया गया है कि सदन की अवधि निर्धारित करने वाला अनुच्छेद सदस्य के लिए कार्यकाल की गारंटी नहीं देता है। विभिन्न परिस्थितियों को इंगित किया गया है जिनके तहत एक सदस्य का कार्यकाल पांच साल से बहुत कम हो सकता है, चाहे अनुच्छेद 83 (2) में कुछ भी कहा गया हो। दूसरा, यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 106, जो सदस्य के वेतन के लिए प्रावधान करता है, व्यक्ति की सदस्यता पर निर्भर करता है। जब तक व्यक्ति सदस्य बना रहता है, तभी तक वह वेतन प्राप्त कर सकता है। जब सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो अनुच्छेद 106 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 423

153. के. आनंदन नांबियार के मामले में भी इसी तरह की दलीलें दी गईं।

उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए। इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 79,85,86 और 100 सहित संसद के सदस्यों और कार्यवाही से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर भरोसा किया। उन्होंने दावा किया कि जब तक सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाता, तब तक वे सदस्यता से प्राप्त सभी 'संवैधानिक अधिकारों' का प्रयोग करना जारी रखते हैं। विवाद यह था कि "यदि कोई सदस्य संसद अयोग्यता का कारण बनती है, वह ऐसा सदस्य नहीं रह सकता है, लेकिन अगर वह सदस्य बने रहने के योग्य बना रहता है, तो उसके संवैधानिक अधिकारों को किसी भी कानून या व्यवस्था द्वारा नहीं खोया जा सकता है। इस न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि:

..... वे सख्त अर्थों में संवैधानिक अधिकार नहीं हैं, और काफी

स्पष्ट रूप से, वे मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं हैं ':

(जोर दिया गया)

154. हालाँकि इस मामले में हिरासत और गिरफ्तारी शामिल थी

संसद के सदस्य, जो वर्तमान मामलों में दावा किए गए अधिकारों से अलग क्षेत्र से संबंधित मामले हैं, हमारा विचार है कि मामले में तर्क वर्तमान स्थिति पर समान रूप से लागू होता है। इस मामले में निश्चित रूप से

संसद के भीतर सदस्यों और उनके कामकाज से संबंधित प्रावधान

स्वतंत्र अधिकार बनाने के लिए नहीं आयोजित किए गए थे जिन्हें सर्वोच्चता दी जा सकती थी

एक कानूनी हिरासत पर। इसी तरह, वर्तमान मामले में, जहां एक विधिसम्मत है

निष्कासन, सदस्य यह दावा नहीं कर सकते हैं कि सदन के वेतन और अवधि से संबंधित प्रावधान सदस्यों के लिए ऐसे अधिकार पैदा करते हैं जो

सदन के निष्कासन की शक्ति पर सर्वोच्चता है।

155. निष्कासन की शक्ति के विशिष्ट संदर्भ में, एक समान

किसी राज्य की विधानसभा की अवधि के संबंध में तर्क को मद्रास उच्च न्यायालय ने के. अनबाझगन (उपरोक्त) में खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि इस तरह का प्रावधान निष्कासन की शक्ति को नकार नहीं सकता है। इसमें कहा गया है:

" इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल अनुच्छेद 172 के कारण

पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रावधान करता है
प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य रूप से विधान सभा में बने रहना चाहिए

अन्य प्रावधानों की परवाह किए बिना पांच साल के लिए एक सदस्य
संविधान "।

156. जहाँ तक सदन की अवधि के प्रावधान का संबंध है,

यह केवल यह बताता है कि एक सदन की सामान्य अवधि पाँच वर्ष होनी चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि यह सदस्यों को पांच साल के कार्यकाल की गारंटी देता है। उत्तरदाताओं ने सही ढंग से बताया है कि एक सदस्य विभिन्न परिस्थितियों में पूरे पांच साल के कार्यकाल का आनंद नहीं लेता है; उदाहरण के लिए, जब वह मध्य-कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जब सदन का कार्यकाल भंग हो जाता है, जब सदस्य अयोग्य हो जाता है या सीट खाली हो जाती है। हम पाते हैं कि के. अनबाझगन में इस संबंध में एक सही दृष्टिकोण लिया गया है, जो के. आनंदन नाम्बियार में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित प्रावधान वास्तव में थे

सदस्यों के संबंध में अधिकार बनाएँ, फिर उपरोक्त स्थितियों में से प्रत्येक को उनके उल्लंघन के लिए चुनौती दी जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से संविधान का उद्देश्य नहीं है। निष्कासन किसी सदस्य के कार्यकाल को छोटा करने का केवल एक अतिरिक्त कारण है।

157. इसके अलावा, जहां तक सदस्य के वेतन से संबंधित प्रावधान की बात है

संबंधित है, यह दावा करना काफी बेतुका है कि क्योंकि संविधान वेतन के लिए एक प्रावधान करता है, सदन की निष्कासन करने की शक्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि परिणाम यह होगा कि सदस्य को अब भुगतान नहीं किया जाएगा। वेतन स्पष्ट रूप से सदस्यता पर निर्भर है, और सदस्यता की निरंतरता पूरी तरह से एक स्वतंत्र मामला है। सदस्यता की समाप्ति कई कारणों से हो सकती है और यह किसी भी बिंदु पर इस तथ्य से नियंत्रित नहीं है कि किसी सदस्य को वेतन का भुगतान करने की आवश्यकता है।

158. इस प्रकार, हमारे विचार में, उपरोक्त प्रावधान शक्ति को नकारते नहीं हैं।

सदन के निष्कासन की, और सदन की निष्कासन की शक्ति और उक्त प्रावधानों के बीच कोई विसंगति नहीं है। ((ग) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार और मतदान का अधिकार:

159. याचिकाकर्ताओं की ओर से अगला तर्क यह रहा है कि

भारत द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को मतदान करने और विधिवत प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार है। यह तर्क दिया गया था कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य को निष्कासित करने से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और

निर्वाचन क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उनका कहना है कि मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए और निष्कासन की शक्ति विभिन्न लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। दूसरी तरफ साथ में, भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिनिधित्व करने का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, और यह निष्कासन एक

पुनर्निर्वाचन के लिए प्रतिबंध।

160. हम याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में, यह ध्यान रखना सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि मतदान का अधिकार दिया गया है

केवल एक वैधानिक अधिकार होना चाहिए, न कि एक संवैधानिक या मौलिक अधिकार (श्रीकांत बनाम देखें। वसंतराव, [2006] 2 एस. सी. सी. 682 और कुलदिप नायर बनाम। भारत संघ, [2006] 7 एससीसी 1.

सही है। मतदान करने और प्रतिनिधित्व पाने के अधिकार की कुछ सीमाएँ हैं। उदाहरण के लिए, एक नागरिक वोट देने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जिसे कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है या उस उम्मीदवार द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है जिसे वह वोट देता है, भले ही वह चुनाव जीतने में विफल रहे। इसी तरह, निष्कासन एक और ऐसा प्रावधान है। निष्कासन के आचरण से संबंधित है वह सदस्य जो सदन की गरिमा को कम करता है, जो चुनाव के समय आवश्यक रूप से ज्ञात नहीं था। यह सदन की एक मनमौजी कवायद नहीं है, बल्कि देश के लोगों के सामने

अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए एक कार्रवाई है। यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का भी एक अभिन्न पहलू है। हमारे विचार में निष्कासन की शक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत नहीं है। बल्कि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गारंटी का हिस्सा है। इसके अलावा, निष्कासन किसी एक व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है। यह देश के बाकी हिस्सों के प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया निर्णय है। अंत में, निष्कासन की शक्ति किसी सदस्य को फिर से चुनाव लड़ने या निर्वाचन क्षेत्र को एक बार फिर उस सदस्य को चुनने से नहीं रोकती है।

162. इस प्रकार, हमारा मानना है कि निष्कासन की शक्ति निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार या किसी अन्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है।

((iv) सदस्य के मौलिक अधिकार:

163. अंत में, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि शक्ति

निष्कासन सदस्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह तर्क दिया गया था कि निष्कासन की शक्ति अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करती है, जो गारंटी देता है

किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय के व्यापार को जारी रखने का अधिकार

व्यवसाय '। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस अधिकार को केवल आम जनता के हित में एक कानून द्वारा कम किया जा सकता है और जो एक ही परिणाम उत्पन्न करता है

सदन का संकल्प निहित रूप से वर्जित है। यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 21, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है, का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि यह कर सकता है

केवल 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा।

164. हम इनमें से किसी भी विवाद से प्रभावित नहीं हैं

याचिकाकर्ता। भले ही यह माना जाए कि ये अधिकार लागू होते हैं, हम यह नहीं मानते कि वे अनुच्छेद 105 (3) के भीतर निष्कासन की शक्ति को पढ़ने से रोक सकते हैं।

165. सबसे पहले, यह याद रखना चाहिए कि 105 (3) अपने आप में एक संवैधानिक है।

प्रावधान और यह आवश्यक है कि हमें प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाना चाहिए कि अन्य प्रावधानों के साथ टकराव से बचा जा सके। हमारा विचार है कि जहां कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान है जो लागू पाए जाने पर इन मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रभाव डाल सकता है, वहां अनुच्छेद 19 (6) के संदर्भ में कानून पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद 102 में प्रावधान है कि जो सदस्य अस्वस्थ दिमाग के हैं या जो सक्षम न्यायालयों द्वारा घोषित अविमुक्त दिवालिया हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। इन आधारों का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में नहीं किया गया है। हालाँकि इस प्रावधान का अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकारों को कम करने का प्रभाव होगा, लेकिन हमें संदेह है कि यह कभी भी तर्क दिया जा सकता है कि जनहित में बनाए गए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता है। इसी तरह, यदि अनुच्छेद 105 (3) निष्कासन की शक्ति प्रदान करता है (हालांकि इतना स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है), तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वजनिक हित में एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता है। सिर्फ इसलिए कि संसद को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है

यह कहने का कारण है कि एक कानून को अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए, जब संविधान स्वयं प्रदान करता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियां तब तक निहित हैं जब तक कि

एक कानून बनाया गया है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) अनुच्छेद 105 (3) के तहत निष्कासन की शक्ति को पढ़ने से नहीं रोक सकता है।

166. अंत में, जहां तक अनुच्छेद 21 का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि

' कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विशेषाधिकारों से संबंधित नियम शामिल हैं।

समिति, आदि, जिनका पालन नहीं किया गया और इस प्रकार अधिकार का उल्लंघन किया गया। हमारे विचार में, यह बहिष्कृत करने की शक्ति को पढ़ने से नहीं रोकता है

अनुच्छेद 105 (3)। यह कहना संभव नहीं है कि क्योंकि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की आवश्यकता है, यह निष्कासन की शक्ति को पूरी तरह से रोक देगा और निष्कासन का प्रत्येक कार्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत होगा। क्या ऐसा दावा प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर बनाए रखने योग्य है, इस पर न्यायिक समीक्षा के प्रश्न पर विचार करना होगा। हालाँकि, इस स्तर पर, अनुच्छेद 21 के आधार पर निष्कासन की शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध को

संवैधानिक प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका आदेश की वैधता पर असर पड़ सकता है। लेकिन,

यह निष्कासन की शक्ति को नकार नहीं सकता है।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 427

167. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा मानना है कि निष्कासन की शक्ति किसी भी संवैधानिक प्रावधान के साथ टकराव में नहीं आती है।

इस आधार पर प्रावधानों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 168. आइए अब हम हाउस ऑफ कॉमन्स की स्व-संरचना की शक्ति के संबंध में तर्क पर विचार करें।

आत्म-रचना की शक्ति

169. इंग्लैंड का इतिहास कई उदाहरणों से भरा हुआ है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा निष्कासन की शक्ति का प्रयोग किया गया था। यह हो चुका है

श्री जेठमलानी और श्री लेखी ने जोरदार तर्क दिया कि हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार विरासत में नहीं मिले हैं।

भारत के संविधान के तहत विधायी अंग और निष्कासन की शक्ति ऐसी ही एक शक्ति है। इस विवाद पर विचार करने के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा की गई निष्कासन की शक्ति की वास्तविक प्रकृति और चरित्र का पता लगाना आवश्यक है।

170. यह सच है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ विशेषाधिकार भारत में किसी भी विधायी निकाय के लिए उपलब्ध नहीं हैं, चाहे वह संघ स्तर पर हो या भारत में।

राज्य, संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के खंड (3) के तहत भी। 171. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को अपने सदस्यों को विनियमित करने के अपने विशेषाधिकार से पूरी तरह से निष्कासित करने की शक्ति प्राप्त है।

अपने स्वयं के संविधान का प्रावधान और विनियमन करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का मूल विशेषाधिकार। हाउस ऑफ कॉमन्स ने हमेशा ऐतिहासिक कारणों से और अपनी रचना निर्धारित करने के प्राचीन और विशिष्ट विशेषाधिकार के एक सहायक के रूप में अपने किसी भी सदस्य को निष्कासित करने की एक अप्रतिबंधित और अप्रचलित शक्ति का दावा किया है। इसने कई क्षेत्रों में निष्कासन की इस शक्ति का सहारा लिया है। ऐसे मामले जिनकी या तो

विशेषाधिकार हनन या अवमानना या साधारण अपराधों के लिए सजा के उपाय के रूप में सुदूर प्रासंगिकता नहीं है।

172. तर्क यह है कि चूंकि भारत की संसद के पास नहीं है

अपने स्वयं के संविधान को प्रदान करने या विनियमित करने की शक्ति, निष्कासन की शक्ति [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

428 संसद के सदनों पर अनुच्छेद 105 द्वारा प्रदत्त नहीं पाया जा सकता है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता मई के संसदीय अभ्यास [16 वें संस्करण] के संदर्भ में किए गए निष्कर्ष पर भरोसा करेंगे। , p.175], उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले में (पृष्ठ 448 पर) इस प्रभाव के लिए कि भारत में विधायिका "अपने स्वयं के संविधान के संबंध में" हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकती है, जिसे "तीन तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पहले भरने के लिए नए रिट के आदेश से।

संसद के दौरान कॉमन्स में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां; दूसरा,

विवादित चुनावों के परीक्षण द्वारा और तीसरा, संदेह के मामलों में अपने सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करके।

173. कि भारत के संविधान के तहत स्थापित विधायिकाएँ

आत्म-रचना की शक्ति न होना विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से यूपी विधानसभा मामले में देखा गया था।

174. भारत में विधायी अंग, संसद और राज्य दोनों

विधायिकाएँ, सदस्यता की संरचना और विनियमन के संबंध में भारत के संविधान के लिखित प्रावधानों के पूरी तरह से अधीन हैं और उनके द्वारा नियंत्रित हैं और अपने स्वयं के संविधान के लिए प्रावधान या विनियमन के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर एक सरसरी नज़र से भी प्रदर्शित किया जा सकता है जो हम वर्तमान में कर सकते हैं।

175. भारत विनाशकारी इकाइयों का एक अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 3 और

संविधान का अनुच्छेद 4 संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, और ऐसा करते हुए किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या कम करना और इसकी सीमाओं में बदलाव करना और आगे इन उपायों के माध्यम से प्रभाव डालना -

ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के लिए संरचना, उसकी संख्यात्मक शक्ति में परिवर्तन करके या राज्य विधानमंडल के अस्तित्व को प्रभावित करके भी प्रावधान करें।

176. अनुच्छेद 79 संसद के संविधान का प्रावधान करता है अर्थात

संघ विधानमंडल जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं जिन्हें क्रमशः राज्य परिषद और लोक सभा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 81 लोक सभा की संरचना से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम संख्यात्मक संख्या (राज्यों से पाँच सौ तीस से अधिक सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीस से अधिक सदस्य नहीं), चुनाव का तरीका (प्रत्यक्ष) और राजा राम पाल v.

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 429 राज्यों (क्षेत्रीय) में निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकृति, राज्यों की सीटों की संख्या और राज्य की आबादी के बीच अनुपात के आधार पर विभिन्न राज्यों को उनका आवंटन, अनुच्छेद 82 के साथ सीटों के आवंटन के पुनः समायोजन और प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का ध्यान रखना। अनुच्छेद 83 प्रत्येक सदन की अवधि के लिए प्रावधान करता है

संसद, राज्य परिषद को एक स्थायी निकाय बनाती है जिसमें उसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे उनमें से प्रत्येक को छह साल का कार्यकाल मिलता है। यह लोक सभा के कार्यकाल को पांच साल घोषित करता है, जब तक कि जल्द ही भंग नहीं किया जाता है, घोषणा की स्थिति में एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है

आपात स्थिति।

177. अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं को निर्धारित करता है, जिसमें दो मुख्य योग्यताओं को निर्दिष्ट किया गया है।

कानून द्वारा संसद को अन्य। के अनुसार आवश्यक योग्यताएँ

संवैधानिक प्रावधानों में भारत की नागरिकता और न्यूनतम आयु शामिल है।

178. अनुच्छेद 102 कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित करता है जो चुनाव के समय अयोग्यता के रूप में कार्य करते हैं या पर्यवेक्षित हो सकते हैं।

राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की राय के आधार पर, अनुच्छेद 103 द्वारा निहित शक्ति के संदर्भ में निर्णय लिया गया। अनुच्छेद 102 (2) दलबदल के कारण दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अयोग्यता का भी उल्लेख करता है। 179. अनुच्छेद 101 संसद के सदनों में सीटों को खाली करने के विषय पर प्रावधान करता है। एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि दोनों सदनों के सदस्य के रूप में चुना जाता है तो उसे किसी न किसी सदन में अपनी सीट खाली करनी होती है। इसी तरह कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल की संसद और सदन दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है।

यदि वे उक्त दोनों निकायों के लिए चुने जाते हैं, तो उन्हें एक सीट और [2007] 1 एस. सी. आर. से इस्तीफा देना होगा।

राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर चूक के मामले में, संसद में सीट खाली हो जाती है। अनुच्छेद 101 (4) सदन को किसी सदस्य की सीट खाली घोषित करने का अधिकार देता है यदि ऐसा सदस्य साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है।

सदन की अनुमति के बिना। अनुच्छेद 101 (3) घोषणा करता है कि किसी सदस्य को अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य पाए जाने पर, संसद में उसकी सीट

खाली हो जाता है। सीटों को खाली करने के इन विभिन्न तरीकों के अलावा, सदस्य के हाथ में लिख कर सीट के इस्तीफे के परिणामस्वरूप इस्तीफे की स्वीकृति पर सीट खाली हो जाती है।

180. अनुच्छेद 99 संसद के प्रत्येक सदस्य को बनाने की आवश्यकता है और

सीट लेने से पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित शपथ या प्रतिज्ञान की सदस्यता लें। अनुच्छेद 104 शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले या जब योग्य नहीं हो या अयोग्य ठहराए जाने की स्थिति में संसद में बैठने और मतदान करने के लिए दंड निर्धारित करता है।

181. अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 331 आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोक सभा में सीटों की संख्या। 182. अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को आवधिक सत्रों के लिए बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, जो दो बैठकों के बीच की अवधि है।

जिसकी अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती है। उक्त अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी सदन को स्थगित करने या लोक सभा को भंग करने का अधिकार भी देता है।

183. उपर्युक्त संविधान के कुछ प्रावधान हैं जो सामूहिक रूप से दर्शाते हैं कि अपनी रचना को विनियमित करने का विशेषाधिकार है

संसद के लिए उपलब्ध नहीं है।

184. भारत के संविधान के भाग XV में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं -

संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का विषय। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार को इन चुनावों के लिए मानक बनाता है। अनुच्छेद 324 का अधिदेश यह है कि यह चुनाव आयोग है जो चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को नियंत्रित करता है। किसी भी विधानमंडल में कोई शक्ति नहीं है अपने रिक्त पदों को भरने या उपचुनाव आदि के आयोजन के लिए रिट जारी करने के लिए।

185. अनुच्छेद 168 और 169 राज्य विधानमंडलों के गठन के लिए प्रावधान करते हैं, जिसमें संसद को राजा राम पाल v में काफी बदलाव करने की शक्ति निहित है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 431 प्रक्रिया का प्रावधान करके राज्य विधानमंडलों की संरचना जिसके बाद किसी राज्य के द्विसदनीय विधानमंडल को एकसदनीय में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसके विपरीत। अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171 राज्यों में क्रमशः विधानसभाओं और विधान परिषदों की संरचना से संबंधित हैं। अधिकतम और न्यूनतम संख्या

सदस्य कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और राज्य के भीतर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी के बीच का अनुपात और उसे आवंटित सीटों की संख्या भी संवैधानिक प्रावधानों द्वारा

विनियमित की जाती है, यहां तक कि ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का मामला भी।

(परिसीमन आयोग) और इस तरह से संसद को कानून द्वारा निर्धारित करना है। राज्य विधानसभा के लिए पाँच साल का सामान्य कार्यकाल अनुच्छेद 172 द्वारा निर्धारित किया गया है। राज्य विधानसभा की अवधि और इसके विघटन का तरीका और तरीका संवैधानिक अनुदेशों द्वारा नियंत्रित मामले हैं। अनुच्छेद 173 और 191 योग्यताओं को निर्धारित करते हैं और

राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता; अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडलों पर छह महीने के अंतराल के भीतर कम से कम एक बार बैठक करने का संवैधानिक दायित्व बनाता है, राज्य विधानमंडल को बुलाने की शक्ति सदनों को नहीं बल्कि राज्यपाल को दी गई है।
186. अनुच्छेद 327 और 328 संसद और राज्य विधानमंडलों को, उस क्रम में, मतदाता सूची तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और राज्य विधानमंडलों के उचित गठन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 333 से 334 राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अन्य समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है जो फिर से इस विषय से संबंधित हैं।

संरचना और उसकी सदस्यता का स्वरूप।

187. अनुच्छेद 329 न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है, लेकिन केवल निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या उन्हें सीटों के आवंटन और आरक्षित क्षेत्रों के मामलों में।

विधि द्वारा विहित प्राधिकारी के पक्ष में निर्वाचन विवादों से निपटने की अधिकारिता, जो संयोग से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार उच्च न्यायालय है।

188. इसलिए, यह सभी संदेहों के दायरे से परे माना जाना चाहिए कि न तो संसद और न ही भारत में राज्य विधानमंडल प्रदान करने की शक्ति का दावा कर सकते हैं।

यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किए गए तरीके से अपने स्वयं के संविधान के लिए या विनियमित करें। संविधान में कहीं और किए गए विस्तृत प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इस शक्ति का दावा भी नहीं किया जा सकता है, या

कम से कम, अनुच्छेद 105 (3) या 294 (3) के माध्यम से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

432

189. सवाल जो तुरंत उठता है वह यह है कि क्या सत्ता

निष्कासन विशेष रूप से, या पूरी तरह से, हाउस ऑफ कॉमन्स की अपनी संरचना निर्धारित करने की शक्ति के लिए संदर्भित है, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की सदस्य बने रहने की योग्यता भी शामिल है।

190. भारत संघ ने तर्क दिया है कि इसके लिए कोई अधिकार नहीं है

यह प्रस्ताव कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने किसी सदस्य को केवल अपने संविधान या संरचना का प्रावधान करने के अपने विशेषाधिकार से निष्कासित करने की अपनी शक्ति प्राप्त की। यह विद्वान वकील द्वारा लिया गया रुख है कि उच्चतम स्तर पर यह हो सकता है उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किसी सदस्य का निष्कासन अपनी संरचना को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति भी हो सकती है, इसके अलावा अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने का विशेषाधिकार भी हो सकता है, जिसमें किसी उपयुक्त मामले में किसी सदस्य को उसके निष्कासन द्वारा अनुशासित करना शामिल है।

191. दूसरी ओर, टिप्पणियों से समर्थन मांगना

इंग्लैंड के संवैधानिक कानून, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निष्कासन के विषय को सभी अधिकारियों द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए कानूनी योग्यताओं या अयोग्यताओं के निर्धारण के साथ अटूट रूप से जोड़ा जाता है, जो कि एक विधायक के रूप में बने रहने के लिए इसके किसी भी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता पर निर्णय लेने का विशिष्ट अधिकार है। यह

शक्ति, वे प्रस्तुत करते हैं, अनिवार्य रूप से प्रदान करने के विशेषाधिकार से प्राप्त होती है

इसका अपना संविधान है और कोई अन्य स्रोत नहीं है।

192. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके कार्यों का समग्र अध्ययन

अंग्रेजी और राष्ट्रमंडल लेखकों से पता चलता है कि वे सभी निष्कासन को केवल 'सदन की उचित संरचना को विनियमित करने के विशेषाधिकार' की अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं, न कि अपनी कार्यवाही को विनियमित करने के विशेषाधिकार के हिस्से के रूप में या अवमानना को दंडित करने के लिए एक स्वतंत्र दंडात्मक शक्ति के रूप में। वास्तव में, वे प्रस्तुत करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स का अपनी कार्यवाही को विनियमित करने का अधिकार था न्यायालयों की अधिकारिता के अपवर्जन के लिए सदन से संबंधित मामलों के अनन्य संज्ञान के

अधिकार से अधिक कुछ नहीं। यह केवल एक अधिकार क्षेत्र का प्रतिबंध था, और इसका शक्ति के स्रोत से कोई लेना-देना नहीं था जो हो सकता था

संसद में वैध रूप से प्रयोग किया गया। तर्क यह है कि यदि निष्कासन की शक्ति स्वयं को गठित करने की शक्ति से स्वतंत्र हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं रहती है, तो यह स्वाभाविक रूप से भारतीय विधानमंडलों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

193. श्री अंध्यारुजिना और श्री सुब्रमण्यन ने हालांकि कहा कि

हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार "अपने स्वयं के उचित राजा राम पाल का प्रावधान करने के लिए।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 433 संविधान का चुनाव के मामले में अपने विशेषाधिकारों के संबंध में एक अर्थ है, जैसा कि मई द्वारा तीन तरीकों से समझाया गया है जैसा कि इस न्यायालय ने यूपी विधानसभा मामले में देखा है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और जिसमें "संदेह के मामलों में अपने सदस्यों की योग्यता का निर्धारण" शामिल है। मई के 20 वें संस्करण का उल्लेख करते हुए। चुनाव पर अध्याय 2 पी। 34 और योग्यताओं पर अध्याय 3 पी। 520 , यह तर्क दिया जाता है कि यह विशेषाधिकार अनिवार्य रूप से चुनावी मामलों से संबंधित है

निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता सहित। उल्लिखित "अर्हताएँ" निर्वाचित सदस्य की योग्यताएँ हैं, लेकिन जिन्हें सदन नहीं मानता है।

चुनाव के लिए खड़े होने और संसद में बैठने के लिए योग्य जैसे दिवालिया, नाबालिग, पागल, विदेशी, देशद्रोह के आरोप में, सहकर्मी आदि। सदन को "संदेह के मामले में" योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस कथन का मतलब आचरण द्वारा सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं है।

194. इस विषय पर बहस विद्वान वकील को संसद के कानून की व्याख्या और व्याख्या की ओर ले गई, जैसा कि संसद के सिद्धांत में पाया गया है, क्योंकि संसदीय विशेषाधिकार का अस्तित्व ही संसदीय कानून का एक मूल मुद्दा है, न कि केवल प्रक्रिया और व्यवहार का सवाल।

195. याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों से बल प्राप्त करना चाहते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अपने संविधान के संबंध में विशेषाधिकार का उल्लेख करते हैं जो "तीन तरीकों से व्यक्त किया गया है" जिसका भारतीय विधानमंडल द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इस संदर्भ में सवाल उठाए गए हैं कि क्या अपने स्वयं के

संविधान के संबंध में विशेषाधिकार को कॉमन्स द्वारा केवल ऊपर उल्लिखित तीन तरीकों से व्यक्त किया गया है या गणना किए गए तीन तरीके केवल उन विभिन्न अन्य तरीकों का उदाहरण हैं जिनमें हाउस ऑफ कॉमन्स ने उक्त विशेषाधिकार को व्यक्त किया, दावा किया या प्राप्त किया हो सकता है। एन्सन द्वारा उल्लिखित अभिव्यक्ति के एक विशिष्ट चौथे तरीके का संदर्भ दिया गया है ("कानून और प्रथा" में)।

) इसके विपरीत तर्क के साथ कि उक्त चौथा तरीका केवल तीन तरीकों का विस्तार है और वास्तव में इसका एक हिस्सा है और स्वतंत्र नहीं है। उसी से।

196. 'द लॉ एंड कस्टम ऑफ द कांस्टीटच्यूशन' (पाँचवाँ संस्करण (1922), खंड I, अध्याय IV) में उत्तर में सदन के विशेषाधिकारों से संबंधित है।

कॉमन्स, उन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित करता है; अर्थात् (i) ऐसे विशेषाधिकार जो विशेष रूप से क्राउन से मांग किए जाते हैं। प्रत्येक संसद का प्रारंभ और (ii) प्रत्येक संसद के निस्संदेह विशेषाधिकार

हाउस ऑफ कॉमन्स जिसके बारे में कोई औपचारिक मांग या अनुरोध नहीं किया गया है

क्राउन को अध्यक्ष द्वारा और जो फिर भी नियमित रूप से सदन द्वारा दावा और लागू किए जाते हैं। पहली श्रेणी के उदाहरणों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्राउन तक पहुंच और उनकी सभी कार्यवाहियों पर सबसे अनुकूल निर्माण के विशेषाधिकार शामिल हैं। दूसरी श्रेणी के उदाहरणों में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अपने स्वयं के संविधान को प्रदान करने और विनियमित करने के लिए दावा किया गया मौलिक विशेषाधिकार शामिल है।

197. पृष्ठ 154 पर, एनसन निम्नलिखित टिप्पणियां करते हैं:

" लेकिन अन्य विशेषाधिकार हैं जिनका इस पर विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

ये अपने स्वयं के उचित संविधान के लिए प्रावधान करने का अधिकार है।
निकाय, अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने का अधिकार, और

जुर्माने या कारावास द्वारा या इसके मामले में अपने विशेषाधिकार को लागू करें

निष्कासन द्वारा अपने सदस्य "।

198. हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार से निपटने के दौरान

अपने स्वयं के संविधान का प्रावधान और विनियमन करते हुए, एनसन अपने अभ्यास के तरीके और तरीके को चार भागों में विभाजित करता है, जिनमें से पहले तीन मई (20 वें संस्करण) द्वारा बताए गए विवरण के अनुरूप हैं। वह बहुत विस्तार से बताते हैं (5 वां संस्करण, पी। 182) 'अपने उचित संविधान के लिए प्रावधान करने का अधिकार' के मुख्य शीर्षक के तहत चौथे उप-शीर्षक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्यता के कारण निष्कासन के साथ निम्नानुसार कहा गया है:

" सेवा करने के लिए अयोग्य, निष्कासन का कारण, मामला उत्पन्न हो सकता है जिसमें

सदन का कोई सदस्य, बिना किसी अयोग्यता के

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, इस तरह से खुद को एक अयोग्य होने के रूप में संचालित किया है
विधान सभा के सदस्य। उदाहरण के लिए, दुराचार है

कानून द्वारा अयोग्यता नहीं, हालांकि यह एक अयोग्यता हो सकती है

वास्तव में, और हाउस ऑफ कॉमन्स तब खुद से छुटकारा पाने के लिए मजबूर है

निष्कासन की प्रक्रिया द्वारा ऐसा सदस्य। लेकिन निष्कासन, हालांकि

यह निष्कासित सदस्य की सीट खाली करता है, एक नहीं बनाता है

अयोग्यता; और यदि निर्वाचन क्षेत्र सहमत नहीं है
सदन सदस्य की अयोग्यता के बारे में निष्कासित, वे फिर से चुन सकते हैं

उसे। यदि सदन और निर्वाचन क्षेत्र में अपरिवर्तनीय रूप से मतभेद है -

निष्कासित व्यक्ति की योग्यता, निष्कासन और पुनः निर्वाचन हो सकता है

संसद की निरंतरता के दौरान वैकल्पिक "।

(जोर दिया गया)

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 435

199. उसी उपशीर्षक के तहत एनसन ने जॉन विल्क्स (1769) और वालपोल (1712) के निष्कासन के मामलों के बारे में भी विस्तार से बताया है। विल्क्स के मामले को इस तथ्य को सामने लाने के लिए उद्धृत किया गया है कि निष्कासन का अयोग्यता पैदा करने का प्रभाव नहीं पड़ा। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा बार-बार निष्कासन के बावजूद, जो उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे इस निकाय का सदस्य होने के लिए उनकी अयोग्यता के बारे में अपनी राय के आधार पर मनमाने ढंग से एक नई विकलांगता पैदा करने की कोशिश की गई, विल्क्स को सेवा करने के लिए चुना गया था।

नई संसद में और "बिना किसी सवाल के अपनी सीट ले ली"।

200. ऊपर निकाले गए अंश से, याचिकाकर्ता यह निष्कर्ष निकालना चाहता है कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा खुद को मुक्त करने के लिए निष्कासन का सहारा लिया जाता है

एक सदस्य जो पूरी तरह से योग्य हो सकता है लेकिन सदन के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य पाया जाता है, ऐसा कॉमन्स के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए किया जाता है। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा है कि इस तरह की कार्रवाई केवल उस सदस्य पर की जा सकती है जिसे दुराचार के लिए दोषी ठहराया गया हो।

201. लेकिन फिर, कोई भी "उदाहरण के लिए" शब्दों की दृष्टि नहीं खो सकता है जो निष्कासन की शक्ति के प्रयोग के विशेष चित्रण से पहले हैं

एनसन में हाउस ऑफ कॉमन्स। स्पष्ट रूप से, एंसन केवल यही बताना चाहते हैं

कि यह हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति के भीतर है कि वह ऐसे सदस्य से छुटकारा पाए जो दुराचार के लिए दोषसिद्धि के अलावा किसी भी आधार पर इसके सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य माना जाता है। 202. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि एनसन निष्कासन को विशेष रूप से सदन के अपने स्वयं के निर्धारण के विशेषाधिकार के एक पहलू के रूप में मानते हैं।

रचना, और किसी अन्य शीर्ष के तहत नहीं। एन्सन बताते हैं (5 वां संस्करण, पी। 188) 'विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए सजा देने की शक्ति' शीर्षक के तहत इस शक्ति की प्रकृति और चरित्र निम्नलिखित शब्दों में है:

" लेकिन निष्कासन एक ऐसा मामला है जो स्वयं सदन और उसकी संरचना से संबंधित है, और इसकी अभिव्यक्ति से अधिक कुछ नहीं है -
राय है कि निष्कासित व्यक्ति, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होने के लिए अयोग्य है। जुर्माना लगाना बेकार होगा।

प्रक्रिया जब तक कि प्रतिबद्धता की शक्ति द्वारा समर्थित न हो। यह, तब प्रतिबद्धता का अधिकार है जो 'सर ई. मे' के शब्दों में, 'संसदीय विशेषाधिकार की आधारशिला' बन जाता है। यह विचार करने के लिए है

इसका प्रयोग कैसे और किस अधिकार से किया जाता है।

203. एनसन यहाँ जो संकेत देता प्रतीत होता है वह यह है कि निष्कासन एक प्रतिबंध है 436

यह चूक के मामले में प्रतिबद्धता की शक्ति द्वारा समर्थित जुर्माने के केवल अधिरोपण से परे है और यह भी कि निष्कासन निस्संदेह सदन की संरचना को प्रभावित करता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि निष्कासन केवल रचना से संबंधित है। घर से। वह सदस्यों के खिलाफ घोर दुराचार के लिए संभावित प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं न कि सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं की। इसके अलावा, एनसन ने खुद को गठित करने के अधिकार के विशेषाधिकार के विवरण का उल्लेख किया है (5 वां संस्करण, पी। 177)। वे एक अलग शीर्षक "अपने उचित संविधान के लिए प्रावधान करने का अधिकार" के तहत इस प्रकार कहते हैं:

" इन विशेषाधिकारों में से एक उचित प्रावधान करने का अधिकार है

उस निकाय का गठन जिसमें वह रिट जारी करके शामिल होता है जब

संसद के अस्तित्व के दौरान रिक्तियां होती हैं, लागू करके

संसद में बैठने के लिए अयोग्यता, और 1868 तक
विवादित चुनावों का निर्धारण करना "।

204. ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस संदर्भ में, एनसन ने निष्कासन का उल्लेख नहीं किया

स्वयं को गठित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति के पहलुओं में से एक के रूप में।

205. साथ ही, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि शक्ति

विशेषाधिकार हनन के लिए सजा देने के बारे में एनसन द्वारा भी अलग से निपटा गया है (5 वां संस्करण, पी। 177 से आगे)। सदस्यों या गैर-सदस्यों को जो दंड दिए जाते हैं, उनसे एनसन द्वारा निपटा जाता है -

अलग-अलग शीर्षक जैसे "चेतावनी", "फटकार", "प्रतिबद्धता", "ठीक" और "निष्कासन"। एनसन में अंतिम उल्लिखित विषय के तहत चर्चा

निम्नलिखित परिच्छेद से शुरू होता है (5 वां संस्करण, पी। 187): -

" अपने स्वयं के सदस्यों के मामले में सदन के पास एक मजबूत मोड है अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए। यह प्रस्ताव द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है।

206. असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में निष्कासन का संकल्प लेता है

यह स्व-संविधान की शक्ति के दायरे से परे है। ये परिच्छेद यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एनसन द्वारा निष्कासन को विशेष रूप से अपने स्वयं के संविधान का प्रावधान करने के लिए सदन के विशेषाधिकार से उत्पन्न नहीं माना जाता है।

207. हैल्सबरी ने अपने "लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड" में इस विषय पर चर्चा की है -

" हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए विशिष्ट विशेषाधिकार "। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि निष्कासन की शक्ति को सीधे हैल्सबरी द्वारा सदन की उचित संरचना निर्धारित करने के विशेषाधिकार के एक पहलू के रूप में भी देखा जाता है।

यह राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 437 निष्कर्ष, वे प्रस्तुत करते हैं, इस तथ्य से मजबूत होता है कि हैल्सबरी पैराग्राफ 909-913 में स्पष्ट रूप से 'सदन के दंडात्मक क्षेत्राधिकार' से संबंधित है। जबकि स्पष्ट संदर्भ फटकार, चेतावनी, समर्पण आदि के लिए किया जाता है, निष्कासन इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। यह तर्क देते हुए कि अपने स्वयं के संविधान का प्रावधान करने का हाउस ऑफ कॉमन्स का

विशेषाधिकार अपने सदस्यों को दंडित करने सहित अपनी कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण रखने के अलावा है, दूसरी ओर, विद्वान वकील श्री अंधारुजिना द्वारा निर्भरता रखी गई है।

हैल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड (चौथा संस्करण, खंड) में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भारत संघ के लिए। 34, पैरा 1019):

" 1019. अपने संविधान के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार। अपनी कार्यवाही के विनियमन और अपने सदस्यों के आचरण पर पूर्ण नियंत्रण रखने के अलावा, हाउस ऑफ कॉमन्स अपने उचित संविधान के लिए, जो वह उचित समझे, प्रदान करने के अनन्य अधिकार का दावा करता है।

208. याचिकाकर्ताओं ने जवाब में कहा कि "अतिरिक्त" शब्दों के साथ ऐसा कोई महत्व नहीं जोड़ा जा सकता है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद, जब अध्याय 2 के तहत अन्य अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा जाता है, अर्थात्

' विशेषाधिकार आदि का दावा किया जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि शुरुआती शब्द 'इसके अलावा' प्रत्यर्थी के मामले में कोई जोड़ नहीं करते हैं। पैराग्राफ 1007 हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार से संबंधित है कि वह अपनी कार्यवाही को 'कार्यवाही के विशेष संज्ञान' के रूप में विनियमित करे। ब्रैडलॉफ ने इस तर्क के हिस्से के रूप में भारत संघ पर भी भरोसा किया, इस भाग में उद्धृत किया गया है। इस विशेषाधिकार के दायरे को इन शब्दों में समझाया गया है, "इस दावे में किसी भी अदालत या अन्य बाहरी निकाय द्वारा किसी भी सदन की प्रक्रिया और व्यवहार को उसके समक्ष व्यवसाय में लागू करने की समीक्षा का बहिष्कार शामिल है।"

209. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सदन का अपनी कार्यवाही को विनियमित करने का अधिकार, जिसमें से निष्कासन का दावा एक घटना के रूप में किया जा रहा है, एक अधिकार क्षेत्र प्रतिबंध से ज्यादा कुछ नहीं है, और किसी भी शक्ति का एक सकारात्मक स्रोत नहीं है। यह है।

इस संदर्भ में कि पैरा 1019 इन शब्दों के साथ शुरू होता है, "इसकी कार्यवाही के विनियमन और इसके सदस्यों के आचरण पर पूर्ण नियंत्रण रखने के अलावा"। यह केवल न्यायालयों के बहिष्करण के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनन्य अधिकारिता को संदर्भित करता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये शब्द किसी भी तरह से अपने आंतरिक मामलों को विनियमित करने के विशेषाधिकार में निष्कासन शक्ति के नए स्रोत का पता नहीं लगाते हैं। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क है कि निष्कासन पर पैराग्राफ 1026 में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है।

निष्कासन को विशेष रूप से सदन की उचित संरचना निर्धारित करने के विशेषाधिकार का एक पहलू बताया गया है।

210. ऊपर उद्धृत इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून के पैरा 1019 से मेल खाता है

खंड 28 (भाग 7, धारा 2) के अपने तीसरे संस्करण में अनुच्छेद 905 के लिए, "हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए विशिष्ट विशेषाधिकार" शीर्षक के तहत भी। जैसा कि उस संस्करण में देखा गया है, हाउस ऑफ कॉमन्स के "अपने स्वयं के उचित संविधान के लिए" प्रदान करने के अनन्य अधिकार के दावे का विशेष संदर्भ देने के बाद, हैल्सबरी ने बाद के पैरा में "निष्कासन की शक्ति" का उल्लेख किया, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण में ध्यान देने योग्य है:

" 906. निष्कासन की शक्ति। हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स ने

विवादित चुनावों में न्यायाधीश बनने का अपना अधिकार सौंप दिया, यह अपने किसी भी योग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार रखता है

संसद में बैठने और मतदान करने के लिए सदस्य।

यदि सदन की राय में, इसलिए, एक सदस्य ने संचालन किया है

स्वयं को इस तरह से जो उसे सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य बनाता है

संसद से, उसे सदन से निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन, जब तक कि

सदन द्वारा उनके निष्कासन का कारण अपने आप में एक

हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्यता; यह खुला है

एक प्रस्ताव के माध्यम से, एक के माध्यम से सदन को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव जिस पर अध्यक्ष से प्रश्न प्रस्तावित किया जाता है

सामान्य तरीके से "।

211. याचिकाकर्ता यह तर्क देना चाहते हैं कि हैल्सबरी, इसके बाद के भाग में

खण्ड 28 (भाग 7, धारा 3) के तीसरे संस्करण में, "विशेषाधिकारों के उल्लंघन और अवमानना" के मामलों में "दोनों सदनों के दंडात्मक अधिकार क्षेत्र" से संबंधित, उन प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिनमें फटकार, चेतावनी और अवमानना के लिए कारावास की शक्ति शामिल है, लेकिन

निष्कासन की शक्ति के संदर्भ को छोड़ दिया गया। प्रस्तुत किया गया निवेदन यह है कि यह चूक सदन से निष्कासन की याचिका को संदिग्ध बनाती है। कॉमन्स भी इसके दंडात्मक अधिकार क्षेत्र में है और अवमानना के लिए सजा के उपाय के रूप में लगाया जाता है।

212. लेकिन फिर, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि तीसरे का पैरा 906

चौथे संस्करण में संस्करण को हटा दिया गया है। "विशेषाधिकार" का विषय अपने संविधान के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद "खाली सीट को भरने की शक्ति" विषय पर अलग पैरा (1020) में वर्णन किया गया है।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 439

जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक हो रही है और फिर "सत्रावसान या स्थगन के दौरान खाली सीट को भरने की शक्ति" के विषय पर एक अन्य पैरा (1021) द्वारा, जो पहले के संस्करण में पैरा संख्या 907 और 908 के रूप में दिखाई दिया था।

213. हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा की गई निष्कासन की शक्ति का विषय चौथे संस्करण में "संसद की अधिकारिता" शीर्षक के तहत बाद के उप-भाग (3) में स्थानांतरित कर दिया गया है जो मुख्य रूप से दंड से संबंधित है। अधिकारिता, और आम तौर पर "अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही" के विषय पर स्थिति का वर्णन करने और फिर "करने की शक्ति" का उल्लेख करने के बाद,

" कारावास की अवधि और दो अन्य प्रतिबंध अर्थात् "निंदा और चेतावनी", विशेष रूप से पैरा 1026 में हाउस ऑफ कॉमन्स के निष्कासन की शक्ति के विषय से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:

" 1026. हाउस ऑफ कॉमन्स की निष्कासन की शक्ति। यद्यपि हाउस ऑफ कॉमन्स ने विवादित चुनावों में न्यायाधीश होने का अपना अधिकार प्रत्यायोजित किया है (पैरा 1019 नोट 2 पूर्व देखें), यह अपने किसी भी सदस्य की बैठने और बैठने की योग्यता पर निर्णय लेने का अपना अधिकार बरकरार रखता है।

संसद में मतदान करें।

यदि सदन की राय में किसी सदस्य ने अपना आचरण इस तरह से किया है जो उसे सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य बनाता है

संसद से उसे निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन जब तक सदन द्वारा उसके निष्कासन का कारण अपने आप में सदन में बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्यता का गठन नहीं करता है, वह फिर से चुनाव करने में सक्षम रहता है।

उक्त विधायिका द्वारा अपने दंडात्मक अधिकार क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा किए गए प्रतिबंध। पैरा 1026 के फुटनोट के माध्यम से किए गए विस्तार से उधार लिया गया है।

पूर्व में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा विवादित चुनावों में प्रयोग किया गया है 1868 से कानून के न्यायालयों में स्थानांतरित किया गया था और आगे कि, के रूप में

मई के संसदीय अभ्यास में उल्लिखित, सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स से विभिन्न आधारों पर, जैसे कि विद्रोही होना,

†

एफ

[2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

440

या जालसाजी, झूठी गवाही, धोखाधड़ी और न्यासों के उल्लंघन, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, न्याय के प्रशासन में या सार्वजनिक कार्यालयों में या सदन के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भ्रष्टाचार, या स्वयं सदन के खिलाफ अवमानना और अन्य अपराधों का दोषी रहा हो।

215. निस्संदेह, "इन एडिशन" शब्द जिनके साथ पैरा 1019 खुलता है

वे हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित हैं जो "अपनी कार्यवाही के विनियमन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है" लेकिन यह मामले का अंत नहीं है। शब्द उक्त पैरा के प्रारंभिक खंड के दूसरे अंग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, जिसका अर्थ है "और इसके सदस्यों का आचरण"। इसलिए हम याचिकाकर्ताओं

के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि हैल्सबरी एक शक्ति के रूप में निष्कासन की शक्ति का वर्णन करता है।

केवल अपनी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति से उत्पन्न होता है। बल्कि, चौथे संस्करण में नई व्यवस्था से पता चलता है कि हैल्सबरी निष्कासन की शक्ति को आत्म-रचना की शक्ति के बजाय दंडात्मक अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली शक्ति के रूप में अधिक मानता है।

216. प्रोफेसर एफ. डब्ल्यू. द्वारा "इंग्लैंड का संवैधानिक इतिहास"।

मैटलैंड (पहला संस्करण 1908 का पुनर्मुद्रण 1941), उनके व्याख्यानों के आधार पर, कालानुक्रमिक रूप से विभाजित है। अंतिम और सबसे समकालीन 'पीरियड V' शीर्षक 'स्केच ऑफ पब्लिक लॉ एट द प्रेजेंट डे (1887-8)' में, वह भाग III में हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित हैं। उनके द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि 14 वीं से 18 वीं शताब्दी तक विशेषाधिकारों का पूर्व अभ्यास पूरी तरह से अनुचित हो सकता है और वास्तव में एक मनमाने तरीके का केवल एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

कभी-कभी सदन द्वारा असंबद्ध शक्ति का दमनकारी प्रयोग। मतदाताओं की सदस्यता और योग्यता के साथ-साथ सिद्धांतों और एन का उल्लेख करने के बाद: चुनाव और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा विवादित चुनावों को निर्धारित करने की शक्ति से निपटने के लिए, के पहलुओं में से एक

अयोग्यताओं को जन्म देकर सदन में सीटों को खाली करने के संदर्भ में, अपने स्वयं के संविधान के लिए प्रावधान करने और विनियमित करने का हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार, वह उप-पैरा (6) में निष्कासन की शक्ति का उल्लेख करता है। उनके शब्दों को निकाला जा सकता है:

" सदन के पास किसी सदस्य को निष्कासित करने की निस्संदेह शक्ति है, और

कानून उन मामलों को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है जिनमें यह हो सकता है

उपयोग किया जाता है। यदि सदन ए. बी. के निष्कासन के लिए इस आधार पर मतदान करता है कि

वह बदसूरत था, कोई भी अदालत ए. बी. को कोई राहत नहीं दे सकती थी। घर का अपना

विवेक ही इस शक्ति की एकमात्र सीमा है। शायद ऐसा नहीं होगा।

इसका प्रयोग अभी-एक-दिन किया जाता है, जब तक कि सदस्य पर अपराध का आरोप नहीं लगाया गया हो राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 441

या अपराध से कम होने वाले कुछ बहुत ही घोर गलत व्यवहार के साथ, और आम तौर पर सदन तब तक इंतजार करता जब तक कि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया। 1856 में एक सदस्य जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था और जो आरोप से भाग गया था

निष्कासित कर दिया "।

217. हालांकि मैटलैंड ने सदन के विशेषाधिकार के अन्य घटक तत्वों के साथ निष्कासन पर भी चर्चा की

रचना, हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रोफेसर मैटलैंड द्वारा यह व्याख्या दर्शाती है कि निष्कासन की शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था कि यह अपनी संरचना को नियंत्रित करने के लिए अपने मूल विशेषाधिकार का केवल एक हिस्सा है। व्याख्यानों के दौरान, जो यहाँ उपयोग किया जाने वाला प्रारूप है, मैटलैंड ने अपनी रचना को नियंत्रित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार के साथ निष्कासन का उल्लेख किया। लेकिन उनका वर्णन दर्शाता है कि यह दंडात्मक अधिकार क्षेत्र था जो

कदाचार के लिए सदस्यों के निष्कासन की मंजूरी के संदर्भ में उजागर किया जा रहा था।
218. प्रोफेसर वेड और फिलिप्स द्वारा "संवैधानिक कानून" (सातवां संस्करण) का भी संदर्भ दिया गया है। विशेषाधिकारों के विषय में

हाउस ऑफ कॉमन्स (अध्याय 10), अपनी कार्यवाही को नियंत्रित करने और अपने स्वयं के अधिकार के लिए प्रावधान करने के लिए निस्संदेह विशेषाधिकार का विस्तार करते हुए

संविधान, विवादित चुनावों को निर्धारित करने के लिए सदन की शक्ति का संदर्भ दिया गया है, यह भी संकेत देता है कि यह शक्ति के समावेशी होने के लिए है निष्कासन। लेखक इस प्रकार लिखते हैं:

" निष्कासन: - हाउस ऑफ कॉमन्स के पास अभी भी सदस्यता के लिए कानूनी योग्यताओं पर निर्णय लेने और घोषणा करने का अधिकार है।
ऐसी जमीन पर एक सीट खाली है। तथापि, सदन मिचेल [(1875), आई. आर. 9 सी. एल.

217] के मामले में इस तरह के प्रश्न को न्यायालयों को भेज सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स, निश्चित रूप से, नहीं बना सकता है।

अयोग्यता कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है जो खुद को सदस्यता के लिए अयोग्य तरीके से आचरण करता है। ए.

निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निष्कासित सदस्य को फिर से चुन सकता है, और वहाँ, जैसा कि जॉन विल्क्स के मामले में हुआ था, निष्कासन की एक श्रृंखला हो सकती है और पुनः चुनाव। निष्कासन सदन के लिए दुराचार के दोषी सदस्य से निपटने का एकमात्र तरीका है।

219. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रोफेसर वेड और [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

442 फिलिप्स स्पष्ट रूप से निष्कासन को अपनी संरचना निर्धारित करने के विशेषाधिकार के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ या एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में मानते हैं, जहां सदन का विचार है कि एक सदस्य ने खुद को इस तरह से संचालित किया है कि वह विधायिका की सदस्यता के योग्य नहीं है, एक ऐसा कार्य जो दंड के उपाय के माध्यम से निष्कासन के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है।

अवमानना।

220. हम सहमत नहीं हो सकते। वेड और फिलिप्स ने इस विषय का इलाज किया है।

विभिन्न कोणों से निष्कासन, आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि यह शक्ति हमेशा केवल आत्म रचना की शक्ति के लिए पता लगाने योग्य होगी। दुराचार के लिए दोषसिद्धि के कारण निष्कासन अनुशासनात्मक नियंत्रण को संदर्भित करता है और इसलिए दंडात्मक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है जो निस्संदेह अपने स्वयं के संविधान के लिए सदन की शक्ति से अलग है।

221. प्रोफेसर कीर और लॉसन अपने काम में "संवैधानिक मामलों में

कानून "(पाँचवाँ संस्करण), संसदीय विशेषाधिकारों के मामलों से निपटने के दौरान (पृष्ठ 263) पहले उन सभी प्रश्नों पर अनन्य अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करता है जो सदन की दीवारों के भीतर उठते हैं, शायद अपराध के मामलों को छोड़कर।

इस संदर्भ में ब्रैडलॉफ के मामले में, और फिर व्यक्तिगत विशेषाधिकारों (बहस की स्वतंत्रता, नागरिक गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा, आदि) के लिए जो संसद के सदस्यों से जुड़े हैं, और अंत में अवमानना के लिए दंडात्मक शक्ति पृष्ठ 268 पर निम्नलिखित शब्दों में इंगित की गई है:

सदन की अवमानना के लिए कारावास। इसका उदाहरण दिया गया है
मिडिलसेक्स के शेरिफ का मामला "।

222. याचिकाकर्ता यह इंगित करना चाहते हैं कि किसी सदस्य का निष्कासन नहीं है

हाउस ऑफ कॉमन्स की दंडात्मक शक्तियों में शामिल। हमारे विचार से, लेखक द्वारा इस संबंध में चूक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि निष्कासन सदन के किसी सदस्य के खिलाफ उसके अनुशासनात्मक नियंत्रण के हिस्से के रूप में उपलब्ध प्रतिबंधों में से एक नहीं था, जितना कि अन्य प्राधिकरणों ने किया था।

विषय इसे इस तरह से प्रदर्शित करता है।

223. " ई. डब्ल्यू. रिज द्वारा "संवैधानिक कानून" (आठवां संस्करण, पृष्ठ 65), भाग के रूप में

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों पर प्रवचन के रूप में इसकी उचित संरचना प्रदान करने के अपने मूल विशेषाधिकार से प्रवाहित होता है

निम्नानुसार वर्गीकरण:

" इसकी उचित संरचना के लिए प्रावधान करने का अधिकार।

इसमें शामिल हैं:

(क) संसद के अस्तित्व के दौरान किसी अयोग्यता के संचालन या किसी सदस्य के निर्णय पर होने वाली रिक्ति पर नए रिट के मुद्दे को सुरक्षित करने का अध्यक्ष का अधिकार।

एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचित होकर वह किस सीट को स्वीकार करेंगे। यदि सत्र में, रिट सदन के आदेश के अनुसार जारी की जाती है। यदि सत्र में नहीं है, तो प्रक्रिया को कुछ नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है।

क़ानून।; (ख) अपने स्वयं के सदस्यों की कानूनी योग्यता के बारे में प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार, जैसे कि स्मिथ ओ ब्रायन का मामला (1849), ओ 'डोनोवन रोसा का मामला (1870), मिशेल का मामला (1875), माइकल डेविट का मामला (1882) और ए. ए. लिंच का मामला (1903), इन व्यक्तियों को अपराध या अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप सजा से गुजरने के रूप में अयोग्य घोषित किया जा रहा है।

राजद्रोह।

मिचेल के मामले में सदन ने सीट को खाली घोषित कर दिया, लेकिन उनके दूसरी बार चुने जाने पर उन्होंने अदालतों को प्रश्न निर्धारित करने की अनुमति दी, और यह माना गया कि मिचेल को दिए गए वोट थे

चुनाव में फेंक दिया गया और उसके प्रतिद्वंद्वी को विधिवत चुना गया

परिणाम। माइकल डेविट के मामले में सदन ने फैसला किया कि

चुनाव अमान्य था, और तदनुसार एक नया रिट जारी किया गया था। (ग) किसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार, हालांकि वह किसी कानूनी अयोग्यता के अधीन नहीं है। इसलिए, 1621 में, सर आर. फ़्लॉइड को केवल इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वह विल बनाने के एकाधिकार के धारक थे। इस प्रकार दुराचार का दोषी सदस्य अपनी सीट नहीं खोता है, लेकिन उसे निष्कासित किया जा सकता है, इस प्रकार वह अपनी सीट खाली कर सकता है। या सदन स्वयं यह निर्णय ले सकता है कि किसी सदस्य के कार्य निष्कासन के योग्य हैं, जैसा कि 1714 में सर आर. स्टील की पुस्तिका, द क्राइसिस और 1763 में विल्क्स के उत्तरी ब्रिटेन (संख्या 45) के मामले में हुआ था। विल्क्स के मामले (1769) में, विल्क्स को निष्कासित और फिर से निर्वाचित किए जाने के बाद, सदन ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, और मतदान पर अगले सदस्य ने विधिवत वापसी की। 1782 में सदन ने इस प्रस्ताव को निर्वाचकों के अधिकारों और संबंधित कार्यवाही के प्रतिकूल होने के रूप में अमान्य घोषित कर दिया। चुनाव के साथ पत्रिकाओं से हटा दिया गया था।

अत: ऐसे मामले में सदन को निष्कासित करना होगा।

सदस्य दूसरी बार, यदि ऐसा है तो निपटाया जाता है। ऊपरी कनाडा में श्री.

इस प्रकार मैकेंजी को संसद में चार बार सदन से निष्कासित किया गया।

1832 से। अक्टूबर, 1947 में सदन ने श्री गैरी अलिघन को निष्कासित कर दिया।

अन्य सदस्यों के खिलाफ निंदनीय आरोप प्रकाशित करना, ऐसे आरोप उनके ज्ञान के अनुसार, निराधार और असत्य होना। साथ ही

सदन ने सदस्य श्री इवेनलीन वॉकडेन को भी फटकार लगाई

डोनकास्टर, जिनके आचरण पर विशेषाधिकारों की एक समिति ने रिपोर्ट दी थी

प्रतिकूल। सदन ने उन्हें अपमानजनक आचरण का दोषी घोषित किया एक समाचार पत्र को जानकारी का खुलासा करने में जो आया था

एक निजी और गोपनीय पार्टी बैठक में। और

(घ) पूर्व में एलिजाबेथ के शासनकाल से घर का दावा किया जाता था

और विवादित प्रश्नों को निर्धारित करने के अधिकार का प्रयोग किया चुनाव,. 33

224. उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि ई. डब्ल्यू. रिज, हालांकि संदर्भित करते हैं।

"अपनी नियत संरचना के लिए प्रावधान करने का अधिकार" शीर्षक के तहत निष्कासन की शक्ति के लिए, इसे अपनी संरचना के लिए प्रदान करने के अधिकार से प्राप्त शक्ति के रूप में प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन विस्तार से उन मामलों को संदर्भित करता है जहां निष्कासन की शक्ति का उपयोग हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा आपराधिक मामलों में किया गया था।

आचरण, घोर दुराचार और यहाँ तक कि अवमानना के मामलों में भी। इसलिए हम इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कटकों के अनुसार निष्कासन की शक्ति का पता केवल आत्म-रचना के विशेषाधिकार से लगाया जा सकता है।

225. वास्तव में, जैसा कि संपादक सर बार्नेट कॉक्स ने बताया है (

हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व क्लर्क) ने संसदीय अभ्यास में मई के 18 वें संस्करण (1971) की प्रस्तावना में, यह कार्य इस विषय से संबंधित होगा -

'चुनाव', 'किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता' आदि सहित विभिन्न शीर्षकों के तहत विषय जो अतिव्यापी हो जाते हैं। चाहे जो भी हो, अध्याय III में हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए अयोग्यता के विषय पर चर्चा करते समय, यह उल्लेख किया गया है कि किसी दुराचार के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को चुनाव के लिए या बैठने और मतदान करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, लेकिन जब कोई सदस्य इस तरह से दोषी ठहराया जाता है, तो सदन उसे निष्कासित करने का निर्णय ले सकता है, लेकिन ऐसा निष्कासन अपने आप में अक्षमता पैदा नहीं करता है या किसी निर्वाचन क्षेत्र को निष्कासित सदस्य को फिर से चुनने से नहीं रोकता है। निष्कासन के इस पहलू का उल्लेख करने के बाद, संपादक एक क्रॉस राजा राम पाल बनाम बनाएगा।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सफारवाल, सी. जे.)। 445 संसद के सदन की दंडात्मक अधिकारिता और अवमानना के लिए दंड देने की उनकी शक्तियों से संबंधित कार्य के अध्याय IX में शामिल पृष्ठ 130 पर विषय पर आगे की चर्चा के लिए संदर्भ।

226. भारत संघ के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मई तक कानून की व्याख्या से पता चलता है कि निष्कासन की शक्ति नहीं थी

यह केवल हाउस ऑफ कॉमन्स की अपनी संरचना के लिए प्रावधान करने की शक्ति से प्राप्त होता है, लेकिन विशेषाधिकारों और अवमानना के उल्लंघन से निपटने के लिए इसके दंडात्मक अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। वह इस संदर्भ में पृष्ठ 127 पर टिप्पणियों का उल्लेख करेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई अवमानना के मामलों में इसके सदस्यों द्वारा, सदन से निलंबन और निष्कासन के दंड भी उपलब्ध थे और कुछ मामलों में उन्हें संचयी रूप से लगाया गया था।

227. "अन्य विशेषाधिकार" शीर्षक से अध्याय 8 में मई द्वारा व्याख्या

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, "अपने स्वयं के संविधान के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार" शीर्षक के तहत कॉमन्स के लिए दावा किया गया (20 वीं संस्करण), निष्कासन को अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति के उदाहरण के रूप में माना जाता है, जो सदस्यता के लिए अयोग्यता के मामलों से संबंधित है। यद्यपि वे निष्कासन के विषय को सदन की अन्य दंडात्मक शक्तियों के साथ विस्तार से देखेंगे,

लेकिन परिणाम एक मौजूदा सदस्य के लिए समान रूप से गंभीर और प्रतिकूल हैं, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मई स्पष्ट रूप से बताएगा कि निष्कासन न तो है।

अनुशासनात्मक और न ही दंडात्मक, लेकिन विशुद्ध रूप से एक उपचारात्मक उपाय जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के सदन से छुटकारा पाना है जो उसकी राय में इसकी सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।

228. याचिकाकर्ता हाउस ऑफ कॉमन्स की एक समिति के समक्ष जांच के दौरान सर बार्नेट कॉक्स द्वारा दी गई गवाही का उल्लेख करते हैं। आर. टी. के मामले में उन्हें विशेष रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स की विशेषाधिकार समिति द्वारा बुलाया गया था। माननीय। क्विंटिन हॉग, परिषद के लॉर्ड अध्यक्ष और शिक्षा और विज्ञान राज्य सचिव ने इस संसदीय विशेषाधिकार के सार और वास्तविक प्रकृति के बारे में जांच की। समिति की 16 जून 1964 की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जब समिति द्वारा सवाल किया गया तो

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति के बारे में अटॉर्नी जनरल ने असगिल के व्यवहार को या तो सदन की अवमानना माना

या विशेषाधिकार का उल्लंघन वह इस बात पर सहमत हुए कि हाउस ऑफ कॉमन्स का अपनी सदस्यता पर पूर्ण नियंत्रण होना केवल अपनी उक्त शक्ति का प्रयोग कर रहा था। उन्होंने एर्स्किन मे का उल्लेख किया जिसमें इसे एक के रूप में चित्रित किया गया है

अपनी सदस्यता को नियंत्रित करने और सदस्यता के अयोग्य सदस्यों को निष्कासित करने, अपनी संरचना को नियंत्रित करने के लिए सदन के विशेषाधिकार।

[2007] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

229. जब अध्यक्ष श्री साल्विन लॉयड ने गैरी के मामले का उल्लेख किया

अलिग्नन और स्पष्टता के लिए कहा कि क्या केवल अपमानजनक आचरण के लिए निष्कासन की स्थिति हो सकती है जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। विशेषाधिकार या अवमानना लेकिन क्योंकि सदन ने अपने सदस्यों में से एक को इसमें बैठने के लिए अयोग्य माना, सर बार्नेट

कॉक्स ने कहा, "मुझे लगता है कि एक सदस्य को ऐसे आचरण के लिए निष्कासित किया जा सकता है जो तीन या चार में से एक से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है।

मौजूदा विशेषाधिकार ", यह सर हैरोल्ड विल्सन के प्रश्न के उत्तर में है जिसमें उन्होंने अन्य विशेषाधिकारों का उल्लेख किया था, जिनमें से एक अपनी सदस्यता निर्धारित करने की शक्ति थी।

230. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त राय

हाउस ऑफ कॉमन्स में सर बार्नेट कॉक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया यह भी दर्शाता है कि वह निष्कासन की शक्ति को अनिवार्य रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के मूल संसदीय विशेषाधिकार के एक अन्य पहलू के रूप में भी देखेंगे, जिसका उपयोग उस विधायिका द्वारा अपने विशेषाधिकार या अवमानना के किसी भी उल्लंघन से पूरी तरह से और पूरी तरह से असंबंधित अनिर्धारित और अनिर्दिष्ट कारणों से सदस्यों को निष्कासित करने के लिए किया गया था और इस प्रकार सदन की अवमानना के लिए व्यक्त दंड के दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं।

231. मई, 20 वें संस्करण में "दंडात्मक क्षेत्राधिकार" के बारे में चर्चा की गई।

संसद के सदन "अलग अध्याय (अध्याय 9) में, और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति से निपटने के बाद और विभिन्न विषयों का उल्लेख करने के बाद।

प्रतिबद्धता, जुर्माना, फटकार और चेतावनी सहित प्रतिबंधों ने पृष्ठ 139 पर "कॉमन्स द्वारा निष्कासन" की शक्ति के बारे में बात की, जहां वे इस प्रकार कहेंगे:

> जो सदस्यता के लिए अयोग्य हैं। यह उचित रूप से माना जा सकता है अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने की सदन की शक्ति का उदाहरण। लेकिन
>
> सजा के तरीकों के बीच इसका इलाज करना अधिक सुविधाजनक है।
>
> सदन के निपटान में "।

232. मई के संसदीय अभ्यास के 23 वें संस्करण में, प्रवचन

"अपने स्वयं के संविधान के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार" के विषय पर "संसद का विशेषाधिकार" शीर्षक वाले अध्याय 5 में स्थानांतरित कर दिया गया है और पृष्ठ 90 पर दिखाई देता है। जैसा कि पहले देखा गया है, 20 वें संस्करण में दिखाई देने वाला अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राजा राम पाल का विशेषाधिकार v.

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 447

इसके उचित संविधान के प्रावधान को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तीन तरीकों से व्यक्त किया गया था जिसे हटा दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि निष्कासन की शक्ति का उल्लेख 23 वें संस्करण में भी किया गया है, अध्याय 9 में विस्तार से उल्लेख किया गया है जो "दोनों सदनों की दंडात्मक अधिकारिता" से संबंधित है, साथ ही दंड की ऐसी अन्य शक्तियों जिसमें दंड, जुर्माना, फटकार और चेतावनी शामिल हैं।

यह अवलोकन कि निष्कासन का उद्देश्य "उतना अनुशासनात्मक नहीं है जितना कि उपचारात्मक, सदस्यों को दंडित करने के लिए इतना नहीं है जितना कि सदन को उन व्यक्तियों से मुक्त करने के लिए जो सदस्यता के लिए अयोग्य हैं" भी गायब है।

233. हम याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इंग्लैंड में निष्कासन की शक्ति का स्रोत सदन का विशेषाधिकार था

अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने के लिए या कि शक्ति का स्रोत एकल और अविभाज्य है और स्वतंत्र या अंतर्निहित दंडात्मक शक्ति जैसे किसी अन्य स्रोत से इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

234. अपने विशेषाधिकारों को लागू करने का अधिकार या तो जुर्माना लगाकर या जेल की प्रतिबद्धता से (दोनों के लिए सजा दी जा सकती है) सदन के सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों के खिलाफ) या निष्कासन (केवल सदस्यों के मामले में संभव) किसी अन्य विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक अलग और स्वतंत्र शक्ति या विशेषाधिकार है। इस तरह के विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करके उसके खिलाफ विशेषाधिकार लागू करना हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति को व्यक्त करने का एक तरीका नहीं है।

स्वयं।

235. हालांकि निष्कासन का सहारा हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अपने संविधान को संरक्षित करने या बदलने की दृष्टि से लिया जा सकता है, और हो सकता है

एक को दंडित करने के अपने स्वतंत्र विशेषाधिकार को बाहर नहीं करेगा या बाधित नहीं करेगा सदस्य को विशेषाधिकार हनन या अवमानना के लिए निष्कासित करने के लिए

घर। निष्कासन स्वयं सदन से संबंधित है क्योंकि निष्कासन की सजा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है जो सदन का सदस्य नहीं है। एक आवश्यक और प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, सदन की संरचना निम्नानुसार हो सकती है:

किसी सदस्य के निष्कासन से प्रभावित होना। तथापि, इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं होगा कि निष्कासन की शक्ति का प्रयोग केवल एक दृष्टिकोण से या सदन की संरचना को विनियमित करने के उद्देश्य से किया जाता है। तीन तरीकों में से एक

जैसा कि उल्लेख किया गया है, अपना गठन करने के लिए कॉमन्स के विशेषाधिकार का प्रयोग करना।

मई तक (20 वें संस्करण में) निस्संदेह, कुछ परिस्थितियों में, सदन के किसी सदस्य को निष्कासित करके व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि

सदन के दुराचार या अवमानना के लिए सजा के रूप में किसी सदस्य को निष्कासित करने के विशेषाधिकार के अस्तित्व और प्रयोग को खारिज कर दिया गया है।

हाउस ऑफ कॉमन्स की स्व-संरचना की शक्ति भौतिक रूप से अलग है और उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए है जिनके लिए सदन को उच्च दुराचार के कार्यों के लिए अपने सदस्यों को निष्कासित करने का सहारा लेने की क्षमता है। पूर्व शक्ति का अस्तित्व जिस पर निष्कासन हो सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा आदेश दिया जाना किसी सदस्य को निष्कासित करके दंडित करने की सदन की स्वतंत्र शक्ति को स्वयं बाहर या निरस्त नहीं कर सकता है, एक ऐसा दंड जो किसी गैर-सदस्य को नहीं दिया जा सकता है।

236. निष्कासन को "न्यायसंगत रूप से विशेषाधिकार का एक उदाहरण" माना जा रहा है

हाउस ऑफ कॉमन्स के मई तक अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने का मतलब यह नहीं है कि निष्कासित करने की शक्ति पूरी तरह से विशेषाधिकार से प्राप्त होती है

अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करता है या कि अपने स्वयं के संविधान का प्रावधान करने के विशेषाधिकार के बिना, सदन किसी सदस्य को निष्कासित नहीं कर सकता है। बाद वाला विचार इस स्थापित स्थिति के विपरीत होगा कि सदन को अपनी कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण रखने

का अधिकार है, जिसमें एक सदस्य को निष्कासन द्वारा दंडित करने का अधिकार भी शामिल है जो अपने आचरण से संसद के कामकाज के उचित संचालन में हस्तक्षेप करता है।

अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति

237. अगला सवाल जो हमें तय करने की जरूरत है वह यह है कि क्या भारतीय

संसद के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के संबंध में निष्कासन की शक्ति है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संसद अवमानना के लिए दंडित करने के लिए बड़ी दंडात्मक शक्ति का दावा नहीं कर सकती है।

238. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि

अवमानना के लिए दंड एक न्यायिक शक्ति है जिसका लाभ हाउस ऑफ कॉमन्स को मिलता है।

उच्च न्यायालय के रूप में अपनी क्षमता में और इसलिए, वही शक्ति भारत में विधानसभाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यूपी विधानसभा के मामले में यह स्थिति पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। इसके अलावा, वे अन्य क्षेत्राधिकारों के विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा करेंगे जो अनिवार्य रूप से दंडात्मक अवमानना शक्तियों के बीच अंतर करते हैं। न्यायिक प्रकृति और आत्म-सुरक्षा के लिए शक्तियाँ-प्रत्येक विधायी निकाय के लिए आकस्मिक। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हाउस ऑफ कॉमन्स की पूर्ण, दंडात्मक शक्ति उपलब्ध नहीं है; बल्कि भारत में विधानसभाएं अवमानना के लिए दंडित करने के लिए केवल सीमित उपचारात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं।

239. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि शक्ति राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 449 अवमानना के लिए सजा देना भारत में संसद के लिए उपलब्ध है क्योंकि वे आवश्यक शक्तियां हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक शक्ति के समान है और यह संसद के लिए उपलब्ध है

बिना उच्च अभिलेख न्यायालय के। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि संसद के पास ऐसी सभी शक्तियां हैं जो रक्षात्मक या सुरक्षात्मक के लिए हैं

उद्देश्य।

240. इस प्रकार, जिन प्रश्नों को संबोधित करने की आवश्यकता है, वे हैं कि क्या

भारत में विधानमंडलों के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है और यदि ऐसा है, तो क्या ऐसी शक्ति पर कोई सीमाएँ हैं।

241 - ए. इसलिए, पहला सवाल यह है कि क्या इस स्रोत में स्वयं कोई प्रतिबंध शामिल हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 105 (3) स्पष्ट और असंदिग्ध प्रतीत होता है। खंड को पढ़ने पर, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि लेख स्वयं उन शक्तियों के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स से आयात किया जा सकता है। इसमें केवल यह कहा गया है कि भारतीय संसद की शक्तियां यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स की हैं, बिना शक्ति की प्रकृति या इसके स्रोत के बारे में कोई भेद किए। इसलिए उत्तरदाताओं की ओर से तर्क है कि यह होगा

इस अनुच्छेद में योग्य शब्दों को पढ़ने के लिए संविधान के लिए विदेशी जो पहले स्थान पर मौजूद नहीं हैं और जिन्हें शामिल करने का इरादा नहीं है। 242. उत्तरदाताओं ने अन्य क्षेत्राधिकारों में इस विषय पर न्यायशास्त्र के विकास का उल्लेख किया है, विशेष रूप से जहां

औपनिवेशिक विधानमंडलों के संबंध में विधायी प्रावधान, किस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे विधायी निकायों को सदन की सभी शक्तियां प्राप्त हैं

कॉमन्स के, उन सहित जो उक्त सदन ने अपनी क्षमता में आनंद लिया था

अभिलेख न्यायालय।

243. औपनिवेशिक संविधान की स्थापना करने वाले एक अधिनियम के माध्यम से, विक्टोरिया कॉलोनी की संसद को उन विशेषाधिकारों और शक्तियों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था जो उसके पास होने चाहिए, जिन्हें उन विशेषाधिकारों से अधिक नहीं घोषित किया गया था।

ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अधिनियमन की तारीख पर कब्जा कर लिया।

डिल बनाम का मामला। मर्फी, [1864] 15 ई. आर. 784 विक्टोरिया की विधान सभा की शक्तियों के इर्द-गिर्द घूमता था। ऐसी शक्तियों को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था और अधिनियम के प्रकाश में एक विधायी निकाय के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों और उच्च न्यायालय के रूप में 'न्यायिक शक्तियों' को समाप्त करने के लिए लागू नहीं किया गया था, इस स्थिति को प्रिवी काउंसिल को एक अपील में बरकरार रखा गया था। विलियम्स जे. ने कहा:

" सभी अधिकारियों की गहन जांच पर और विचार करने पर

35 वीं धारा की व्यापक प्रकृति, कोई प्रतिबंध नहीं

हाउस ऑफ कॉमन्स एक विचारशील सभा के रूप में, लेकिन सदन की

आम तौर पर, मुझे इस निष्कर्ष पर ले जाया जाता है कि

संसद के कॉमन्स हाउस की शक्तियाँ और विशेषाधिकार

संसद द्वारा प्राप्त किया गया या नहीं, चाहे
एक विचारशील सभा या सर्वोच्च के एक घटक भाग के रूप में

क्षेत्र में न्यायालय विधान सभा द्वारा दावा करने योग्य हैं

यह कॉलोनी "।

(जोर दिया गया)

244. नोवा स्कोटिया हाउस की स्थापना करने वाले कानून की धारा 20

विधानसभा ने इसे हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियों के साथ प्रदान किया और धारा 30 ने प्रावधान किया कि इसके पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की समान शक्तियां होंगी। फील्डिंग बनाम का मामला। थॉमस, [1896 ए. सी. 600] ने उक्त विधायिका की शक्तियों से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जो इसे वैधानिक के माध्यम से प्रदान की गई थी।

प्रावधान। इस मामले में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विधानसभा की कार्रवाई केवल धारा 20 के आधार पर वैध थी, यह अभिनिर्धारित किया गया:

" यदि यह अधिनियम बनाने के लिए नोवा स्कोटिया विधानमंडल की शक्तियों के भीतर था

एस में निहित प्रावधान। 20 , और नोवा के विशेषाधिकार

स्कोटिया विधानमंडल हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है।

यूनाइटेड किंगडम के रूप में वे पारित होने की तारीख पर मौजूद थे
ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

विधानसभा के पास यह निर्णय लेने की पूरी शक्ति थी कि

प्रतिवादी विशेषाधिकार हनन और अवमानना का दोषी था

की शिकायत एक वैध आदेश के लिए एक जानबूझकर अवज्ञा थी
उपस्थित होने के लिए घर "।

(जोर दिया
गया)

245. ऊपर उल्लिखित मामलों में जिस सिद्धांत का पालन किया गया है, वह है राजा राम पाल v.

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 451

यह है कि जहां विधायिका के पास एक अधिनियम बनाने की शक्ति है और वह हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों को चुनती है, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियां, चाहे वे किसी भी क्षमता में हों, विधायिका को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। यह कहना है कि एक बार एक एक्सप्रेस है

ऐसी शक्तियों को प्रदान करने के लिए, कुछ शक्तियों को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

246. इस मामले में निहित शक्तियों की सीमा

संविधान का विस्तार व्यापक है, पंडित शर्मा (1) के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है:

" ऐसा कहा जाता है कि काले दिनों में जो स्थितियाँ बनी रहती थीं

ब्रिटिश इतिहास, जिसके कारण संसद के सदनों ने अपना दावा किया

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अब दोनों में प्रबल नहीं हैं
यूनाइटेड किंगडम या हमारे देश में और इसलिए, कोई नहीं है

इन लोकतांत्रिक दिनों में हमें उन्हें क्यों अपनाना चाहिए। हमारा

संविधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि जब तक संसद या राज्य

विधायिका, जैसा भी मामला हो, शक्तियों को परिभाषित करने वाला कानून बनाती है,

सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति और

समितियाँ, उनके पास सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और

की तारीख को हाउस ऑफ कॉमन्स की उन्मुक्ति

हमारे संविधान का प्रारंभ और फिर भी उन्हें अस्वीकार करना

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, यह पता लगाने के बाद कि

कॉमन्स ने उन्हें प्रासंगिक समय पर किया था, व्याख्या करने के लिए नहीं होगा

संविधान लेकिन इसे फिर से बनाने के लिए। न ही हम इस विचार से सहमत हैं कि

हमारे सदनों को ये शक्तियाँ सौंपना सही नहीं होगा,

विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, क्योंकि हम अच्छी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे

हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह सदन भी इसके लाभ की सराहना करेंगे।

प्रचार करेंगे और शक्तियों, विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे और

सकल मामलों को छोड़कर प्रतिरक्षाएँ "।

(जोर दिया गया)

247. इस फैसले और संवैधानिक प्रावधानों को पढ़कर यह पता चलता है कि

ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में अनुच्छेद 105 (3) में एक स्पष्ट अनुदान है कि संसद की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सभी शक्तियों की उपलब्धता का तर्क और

इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले में विशेषाधिकारों को पहले ही आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया गया है और निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है:

" श्री सीरवई का तर्क है कि कला का अंतिम भाग। 194 (3)

स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सभी शक्तियाँ जो सदन में निहित हैं
प्रासंगिक समय पर कॉमन्स का, सदन में निहित। यह व्यापक

हालाँकि, दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि

कुछ शक्तियाँ हैं जिन पर स्पष्ट रूप से दावा नहीं किया जा सकता है

घर। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सभी शक्तियां

और विशेषाधिकार जो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थे

सदन द्वारा प्रासंगिक समय का दावा किया जा सकता है।

(जोर दिया
गया)

248. यह व्यापक दावों को अस्वीकार करने और यह अभिनिर्धारित करने के बाद नहीं आता है कि

हाउस ऑफ कॉमन्स की कुछ शक्तियाँ हैं जिन पर दावा नहीं किया जा सकता है

भारतीय विधायिकाएँ, कि निष्कासन की शक्ति उस श्रेणी में आती है। थोड़ी देर बाद हम उन परिस्थितियों को दिखाएंगे जिनके कारण यूपी विधानसभा मामला और मुद्दे पर इसका अनुपात हुआ।

249. अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के विशिष्ट मुद्दे पर, सीखा

वकीलों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में उपरोक्त मामले में की गई विभिन्न टिप्पणियों पर भरोसा किया है कि भारत में विधानसभाएं अभिलेख न्यायालय नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले के तर्क के आधार पर, कोई भी विशेषाधिकार जो 'लेक्स एट

कॉन्सूएटुडो पार्लियामेंट' का हिस्सा पाया जाता है, भारतीय विधानसभाओं के लिए अनुपलब्ध होगा, क्योंकि भारतीय विधानसभाएं रिकॉर्ड की अदालत होने का दावा नहीं कर सकती हैं। इसी तर्क के अनुरूप, यह तर्क दिया गया है कि भारतीय विधानमंडल केवल अवमानना के लिए दंडित करने की सीमित शक्ति का दावा कर सकते हैं।

250. रिलायंस को कई अंग्रेजी मामलों में रखा गया है, जिनके नाम कीली हैं।

वी. कार्सन, [1842 4 मू। पी. सी. 63], फेंटन बनाम। हैम्पटन, [1858 11 एमओओ पीसीसी 347], डॉयल बनाम। फाल्कनर, [1865-67) LR 1 PC 328], और बार्टन v. टेलर, [1886 11 ऐप मामले 197]। ये मामले के बीच अंतर को संदर्भित करते हैं

अवमानना की दंडात्मक शक्तियाँ और आत्मरक्षा शक्तियाँ। उल्लेखनीय है कि जहां पहले दो मामले बाहरी लोगों के आचरण से संबंधित थे, वहीं बाद के दो मामले मौजूदा सदस्यों के आचरण से संबंधित थे। इन चार मामलों में कहा गया है कि अन्य विधानसभाएं, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के अलावा अन्य निकाय, केवल सदन की सुरक्षात्मक शक्तियों का दावा कर सकते हैं। डॉयल में इस अंतर को इस प्रकार समझाया गया है:

" राजा राम पाल v के लिए दंड देने की शक्ति के बीच अंतर करना आवश्यक है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 453

अवमानना, जो एक न्यायिक शक्ति है, और विचार-विमर्श या उचित कार्रवाई के लिए दी गई किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति है
अपनी बैठक के दौरान विधायी निकाय, कौन सी अंतिम शक्ति आवश्यक है

आत्म-संरक्षण के लिए "।

251. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि संसद केवल अवमानना के लिए दंडित करने की सुरक्षात्मक, सीमित शक्ति का दावा कर सकती है, वह भी अगर प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो। यह तर्क दिया गया है कि इस सीमित आत्मरक्षा शक्ति में कभी भी निष्कासन की शक्ति शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि सदन की सुरक्षा के लिए निष्कासन आवश्यक नहीं है। निष्कासन और बहिष्करण के बीच एक अंतर यह तर्क देने के लिए सामने लाने की कोशिश की जाती है कि बहिष्करण का उपाय सदन की गरिमा की रक्षा के लिए पर्याप्त होगा।

252. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि ऊपर निर्दिष्ट प्रिवी काउंसिल के मामले उतने ही अप्रासंगिक हैं जितना कि वे अधीनस्थ या औपनिवेशिक

विधानसभाओं की शक्तियों को निर्धारित करते हैं, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है और ऐसी सीमाएं जो ऐसे अधीनस्थ निकायों को बांधती हैं जैसे कि पहली श्रेणी बाद वाले को बाध्य नहीं कर सकती है।

253. याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त तर्क के जवाब में मार्शल बनाम के मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है। गॉर्डन, [243 यू. एस. 521,541 1917] अमेरिका की अवमानना शक्तियों से संबंधित मामला

कांग्रेस। कांग्रेस ने एक जिला वकील पर अवमानना का आरोप लगाया था। अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या कांग्रेस के पास ऐसा करने की शक्ति है

इसलिए बिना किसी मुकदमे और अन्य कानूनी आवश्यकताओं के। अदालत ने माना कि अमेरिकी कांग्रेस के पास अवमानना की 'दंडात्मक' शक्ति नहीं है। पृष्ठ 887 पर, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:

विधायी प्राधिकरण से अलग और फिर भी उससे बहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विधायी निकायों से संबंधित अंग्रेजी शासन आम तौर पर सटीक होने लगा।
एंडरसन बनाम में जो मान्यता दी गई थी, उसके अनुसार। डन, ऊपर,

कांग्रेस से संबंधित होने के नाते, अर्थात, के अनुदान के आधार पर

विधायी प्राधिकरण अवमानना से निपटने के लिए निहित एक शक्ति होगी जहां तक उस प्राधिकरण को संरक्षित करने के लिए आवश्यक था और

दिए गए विधायी अधिकार का पालन करें। "[2007] 1 एस. सी. आर.

" निहित शक्ति में शामिल विषयों का समग्र रूप से उल्लेख करने का वचन दिए बिना, हम उस शक्ति की प्रकृति से ही सोचते हैं कि यह स्पष्ट है कि इसमें अवमानना के लिए सजा शामिल नहीं है।
सजा, क्योंकि यह केवल आत्म-संरक्षण के अधिकार पर निर्भर करता है, यानी उन कार्यों को रोकने

का अधिकार जो स्वयं में और स्वयं में हैं। स्वाभाविक रूप से विधायी कर्तव्य के निर्वहन या ऐसा करने से इनकार करने में बाधा डालना या रोकना जो एक अंतर्निहित विधायी शक्ति है।

विधायी कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करना।

254. उपरोक्त मामले पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि जब तक भारत "बहुत अहंकारी" नहीं होता, तब तक कोई भी भारतीय संसद को संयुक्त राज्य की कांग्रेस की तुलना में उच्च स्तर पर नहीं रख सकता है। हमारे विचार में, यहाँ भावनाओं के तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। यह औपनिवेशिक विधानमंडलों या अमेरिकी कांग्रेस के संबंध में भारतीय संसद की तुलनात्मक श्रेष्ठता नहीं है जो इसकी शक्तियों की सीमा निर्धारित करती है। बल्कि हम अपने संवैधानिक प्रावधानों और प्रासंगिक मामले कानून द्वारा निर्देशित होंगे।

255. प्रत्यर्थियों ने यशवंत राव बनाम के मामले का उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश विधान सभा, ए. आई. आर. (1967) एम. पी. 95, मध्य प्रदेश द्वारा तय किया गया

उच्च न्यायालय। इस मामले में सदन के कामकाज में बाधा डालने और अध्यक्ष की अवज्ञा करने के लिए राज्य विधानसभा के दो सदस्यों का निष्कासन शामिल था। इस निष्कासन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया था कि सदन के पास निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि इंग्लैंड में निष्कासित करने की शक्ति अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने की शक्ति का हिस्सा थी, जो उपलब्ध नहीं थी।

भारत में सदन। उस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि उन्हें निष्कासित करने वाले प्रस्ताव उन्हें आरोपों की व्याख्या करने का अवसर दिए बिना पारित किए गए थे। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास निष्कासित करने की शक्ति के अस्तित्व की जांच करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है और पाया कि सदन के पास वास्तव में यह शक्ति है।

255 - ए. ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति पर गौर नहीं किया। इसके पास विधान सभा की शक्ति थी

इसके सदस्य को "इसकी सुरक्षा, आत्म-सुरक्षा और आत्म-संरक्षण और इसके व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन के लिए" एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में निष्कासित करना। उच्च न्यायालय का विचार था कि:

" हाउस ऑफ कॉमन्स किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं करता है कि उसके पास अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने की शक्ति है, बल्कि इसलिए करता है कि वह अपने उचित कामकाज, संरक्षण और आत्म-संरक्षण के लिए किसी ऐसे सदस्य को निष्कासित करना आवश्यक समझता है जिसने अपनी अव्यवस्थित बैठक के दौरान सदन के विचार-विमर्श में बाधा डालने की पेशकश की हो।

जिसने अपना आचरण इस तरह से किया है कि वह संसद के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य है।

256. हरद्वारी लाल बनाम का मामला। भारतीय चुनाव आयोग आदि, [आई. एल. आर. (1977) पी. एंड एच. 269] ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय लिया जो एक मौजूदा सदस्य को विधानमंडल से निष्कासित करने से संबंधित है।

हरियाणा राज्य की विधानसभा। उस मामले में बहुमत के फैसले में कहा गया था कि विधानसभा के पास निष्कासन करने की शक्ति नहीं है। उस मामले में अनुपात वर्तमान मामले में हमारे सामने याचिकाकर्ताओं की दलीलों के समान था। हालाँकि, मामले में अल्पमत का विचार था कि

विधान सभा के पास निष्कासन की शक्ति के साथ-साथ अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी थी। इस दृष्टिकोण की हमारे लिए उत्तरदाताओं द्वारा कानून के सही निर्माण के रूप में सराहना की गई है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के संबंध में, अल्पमत के दृष्टिकोण ने यूपी विधानसभा के मामले को इस आधार पर अलग किया है कि यह केवल गैर-सदस्यों के साथ व्यवहार करता है और यह माना है कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक से प्राप्त की गई थी।

हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्य पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। अल्पमत का दृष्टिकोण कहते हैं:

" वास्तव में जिस स्रोत से संसद के सदन को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त होती है, वह भले ही विवाद में न हो, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि "संसद के सदन" और "हाउस ऑफ कॉमन्स" पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि संसद के सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राजा सम्राट (या रानी, जैसा भी मामला हो) शामिल हैं। जो भी हो, अगर हम उस स्रोत पर जाते हैं जिससे कॉमन्स को कोई विशेष शक्ति या विशेषाधिकार प्राप्त होता है और फिर निर्णय लेते हैं

चाहे वह विशेष स्रोत उस विशेषाधिकार के संबंध में भारतीय विधानमंडलों के लिए उपलब्ध हो या न हो, यह एक ऐसा पाठ्यक्रम अपनाना होगा जो अनुच्छेद 194 (3) की भाषा के लिए पूरी तरह से विदेशी है। इस तरह की जांच तभी प्रासंगिक होगी जब हम अनुच्छेद

194 (3) को "इस संविधान के प्रारंभ में" शब्दों के बाद पढ़ें, जो "उन शब्दों के अलावा अन्य हैं जिनका प्रयोग किया जाता है -

संसद के उच्च न्यायालय के वंशज के रूप में कॉमन्स "।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 194 (3) को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है।

संविधान सभा ने इसे रखने का विकल्प नहीं चुना। अपनाना

ऐसा पाठ्यक्रम, मेरी राय में, खंड (3) की व्याख्या नहीं करेगा।

अनुच्छेद 194 का, लेकिन इसे फिर से लिखना।

(जोर दिया गया)

257. के. अन्बशगन बनाम का मामला। तमिलनाडु विधान सभा,

ए. आई. आर. (1988) मद 275 में तमिलनाडु में राज्य विधानसभा की शक्तियों के संबंध में इसी तरह का विवाद था। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए यशवंत राव में और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए हरद्वारी लाल में अल्पमत के दृष्टिकोण के समान है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निष्कासन की शक्ति सदस्यों को अनुशासित करने की एक विधि के रूप में उपलब्ध है। हालाँकि, किसी भी समय न्यायालय ने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति की जांच नहीं की। न्यायालय ने अवमानना अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से निष्कासन की शक्ति को बरकरार रखा।

258. याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से यूपी विधानसभा के मामले का उल्लेख किया

इसके बाद उद्धृत अंश:

" आम तौर पर इन विशेषाधिकारों की प्रकृति और विशेष रूप से अवमानना के लिए दंडित करने के लिए सदन द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार की प्रकृति पर विचार करते हुए, ऐतिहासिक रूप से यह याद रखना आवश्यक है कि

विशेषाधिकारों के इस सिद्धांत की उत्पत्ति। इस संबंध में, मे ने इस बात पर जोर दिया है कि आधुनिक संसद की उत्पत्ति इसके न्यायिक कार्यों में शामिल है।

" इस संबंध में, इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया गया था, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। यह अंग्रेजी इतिहास का एक तथ्य है कि संसद अपने प्रारंभिक कार्यकाल में न्यायिक कार्यों का निर्वहन कर रही थी। यह इंग्लैंड में ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों इतिहास का एक तथ्य है कि सदन
लॉर्ड्स का न्यायालय अभी भी देश का सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है। यह आज भी संवैधानिक इतिहास का एक तथ्य है कि दोनों सदनों के पास महाभियोग चलाने और उसे लागू करने की शक्तियां हैं। यह है।

जाहिर है, हम सोचते हैं, कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को राजा राम पाल बनाम से परिचित नहीं कराया जा सकता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 457

भारत में किसी भी कानूनी कल्पना द्वारा। उपयुक्त विधायी प्रावधान कभी-कभी कानूनी कल्पना पेश करते हैं, लेकिन इस तरह की कल्पनाओं को पेश करने के लिए कानून की शक्ति की एक सीमा है। कानून कानूनी अधिकारों और दायित्वों के बारे में और उस ओर से किए गए प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के बारे में कल्पनाओं को पेश कर सकता है; लेकिन कानूनी कल्पना शायद ही हो सकती है।

एक देश से दूसरे देश में ऐतिहासिक तथ्यों का परिचय कराना।

" सदन और वास्तव में भारत की सभी विधानसभाएँ

कभी भी किसी न्यायिक कार्य और संवैधानिक कार्य का निर्वहन नहीं किया

पृष्ठभूमि इस दावे का समर्थन नहीं करती है कि उन्हें माना जा सकता है

किसी भी अर्थ में अभिलेख न्यायालय के रूप में। यदि ऐसा है, तो उसी आधार पर जिसे अंग्रेजी अदालतें जारी किए गए सामान्य वारंट को मानने के लिए सहमत हुईं।

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इस आधार पर कि यह एक वारंट था

अभिलेख न्यायालय द्वारा जारी किया गया, वर्तमान मामले में अनुपस्थित है,

और इसलिए, यह तर्क देना अनुचित होगा कि प्रासंगिक

सामान्य वारंट के लिए एक निर्णायक चरित्र का दावा करने की शक्ति जो

हाउस ऑफ कॉमन्स, समझौते द्वारा, अधिकार में माना जाता है, है

सदन में निहित। मामले के इस दृष्टिकोण पर, द्वारा किया गया दावा

सदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

1

259. यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त-उद्धृत दृष्टिकोण के सामने यह

न्यायालय, यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की सभी शक्तियां जो अपनी विशिष्ट न्यायिक क्षमता में प्राप्त की गई थीं

भारत में विधायिकाओं द्वारा आनंद लिया जाए। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इतना व्यापक प्रस्ताव न तो इच्छित व्याख्या थी, न ही निर्णय इस तरह के दावे का समर्थन करता है।

260. उपरोक्त संदर्भ में, विशेष को पहचानना आवश्यक है

जिन परिस्थितियों में यूपी विधानसभा का मामला उत्पन्न हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रस्तावों को शामिल किया गया जिसमें पाया गया कि नहीं केवल केशव सिंह ने सदन की अवमानना की थी, लेकिन यहां तक कि उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश, केशव सिंह की रिट याचिका को स्वीकार करके, और वास्तव में उनके वकील, उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके, अवमानना के दोषी थे।

विधायिका से। प्रस्ताव ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आगे आदेश दिया

न्यायालय को अभिरक्षा में सदन के समक्ष लाया जाना।

इस सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के जवाब में

[2007] 1 एस सी आर।

458

न्यायाधीशों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्ताव, याचिकाएं दायर की गई थीं। राज्य के दो अंगों से जुड़े इन अप्रिय घटनाक्रमों के मद्देनजर, भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 (1) के तहत कुछ प्रश्नों को तैयार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ देने का फैसला किया, जिन पर वे सलाह चाहते थे।

261. महत्वपूर्ण रूप से, मामले का दायरा बेहद संकीर्ण था और

न्यायालय के समक्ष रखे गए प्रश्नों तक सीमित। न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में मामले की संकीर्ण सीमाओं पर ध्यान दिया:

" बहस के दौरान, कई प्रस्ताव थे -

ढका हुआ। इसलिए, हमें शुरुआत में यह स्पष्ट करना चाहिए कि
राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के हमारे उत्तर तैयार करना

वर्तमान संदर्भ में, हम केवल ऐसे बिंदुओं पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

जैसा कि, हमारी राय में, एक प्रत्यक्ष और भौतिक असर है

उक्त प्रश्नों से उत्पन्न समस्याएं। यह शायद ही आवश्यक है कि

इस बात पर जोर दें कि संवैधानिक मामलों से निपटने में, न्यायालय

उन प्रश्नों से निपटने में धीमी गति से काम लेना चाहिए जो सख्ती से नहीं उठते हैं।

किसी संदर्भ से निपटने में यह सावधानी और भी अधिक आवश्यक है।

कला के तहत इस न्यायालय में किया गया। 143 (1) . ”

(जोर दिया गया)

262. अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का सवाल कभी भी नहीं था

अदालत के समक्ष गंभीरता से लड़ा गया। बल्कि, न्यायालय ने अपने समक्ष उठाए गए विभिन्न तर्कों पर चर्चा करते हुए कहा:

" श्री सीतलवाड़ इस बात पर गंभीर रूप से विवादित नहीं हैं कि सदन ने यह जाँचने की शक्ति कि क्या इसकी अवमानना द्वारा की गई है

इसकी चार दीवारों के बाहर भी कोई हो और उसे थोपने की शक्ति हो।

इस तरह की अवमानना के लिए सजा; लेकिन उनका तर्क है कि

हमारे संविधान के भौतिक प्रावधानों के संबंध में, यह नहीं होगा

यह दावा करने के लिए सदन के लिए खुला रहें कि इसका सामान्य वारंट

इसे निर्णायक माना जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

263. इस प्रकार, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में न्यायालय मुख्य रूप से चिंतित था

सामान्य वारंट और निर्णायक राजा राम पाल v जारी करने के लिए विधायिका द्वारा दावा की गई शक्ति।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 459

ओकर चरित्र। उस मामले में अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के लिए कोई चुनौती नहीं थी, निष्कासन की शक्ति बहुत कम थी, ये मुद्दे अन्यथा किए गए संदर्भ के सख्त ढांचे में निहित नहीं थे

अदालत।

264. वास्तव में, निर्णय का जोर परीक्षा पर था

न्यायालयों की समीक्षा से अछूते वारंट जारी करने की शक्ति,

और स्वयं अवमानना से निपटने की शक्ति पर नहीं। मामले को बारीकी से पढ़ने से पता चलता है कि अदालत ने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को सदन के विशेषाधिकार के रूप में माना। भारत में विधानमंडलों की बात करते हुए कहा गया था:

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन के पास दंड देने की शक्ति है
इसके कक्ष के बाहर की गई अवमानना, और उस बिंदु से

विचार करें कि यह न्यायालय द्वारा प्राप्त अधिकारों में से एक का दावा कर सकता है

रिकॉर्ड करें "

(जोर दिया गया)

265. अवमानना के लिए सजा देने की न्यायाधीशों की शक्ति की बात करते हुए, न्यायालय ने

देखा गया:

" हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति

यह जितना बड़ा है, हमेशा सावधानी से, बुद्धिमानी से और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

परिवीक्षण। इस शक्ति का बार-बार या अंधाधुंध उपयोग

चिड़चिड़ापन का क्रोध सौंदर्य या स्थिति को बनाए रखने में मदद नहीं करेगा

न्यायालय, लेकिन कभी-कभी यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। बुद्धिमान न्यायाधीश

यह कभी न भूलें कि गरिमा और स्थिति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है

उनके कार्यालय को बड़े पैमाने पर जनता से सम्मान की आवश्यकता है

उनके निर्णयों की गुणवत्ता, निर्भीकता, निष्पक्षता और निष्पक्षता

उनके दृष्टिकोण से, और संयम, गरिमा और शिष्टाचार से जो
वे अपने न्यायिक आचरण का पालन करते हैं। हम यह सोचने का साहस करते हैं कि

न्यायपालिका के बारे में जो सच है वह विधानमंडलों के बारे में भी उतना ही सच है।

(जोर दिया गया)

266. अतः यह स्पष्ट है कि न्यायालय की राय में -

उत्तर प्रदेश विधानसभा, भारत में विधानसभाओं को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। यह समान रूप से स्पष्ट है कि जबकि तथ्य यह है कि हाउस ऑफ सुपर कोर्ट की रिपोर्ट

[2007] 1 एस सी आर।

460 कॉमन्स को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अपनी क्षमता में अनर्गल वारंट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, एक चिंता की बात थी, जो वास्तव में अदालत को चिंतित करती थी, वह शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि अनर्गल वारंट जारी करने की शक्ति की 'न्यायिक' प्रकृति थी, क्योंकि यह सीधे संविधान की योजना के साथ टकराव में था, जिसके तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी और मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति अदालतों में निहित है। यह अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं थी जिसके बारे में न्यायालय के पास था

आरक्षण। बल्कि, उपरोक्त उद्धृत अंश से पता चलता है कि इस तरह की शक्ति को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। तय किया गया मुद्दा गैर से संबंधित है

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में विधायिका द्वारा जारी वारंट की समीक्षा।

267. अंत में, लेकिन कम से कम, के बीच कई अंतर हैं

यूपी विधानसभा का मामला और एक हाथ में। पूर्व मामले में पूरा विवाद एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में सदन के विशेषाधिकारों के इर्द-गिर्द घूमता था, जो सदन के लिए एक बाहरी व्यक्ति था। निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय आंतरिक कार्यवाही से नहीं निपट रहा था, न ही सदन के सदस्यों के संबंध में कानून निर्धारित कर रहा था। के शब्दों में

न्यायालयः

इस तर्क का स्पष्ट उत्तर यह है कि हम सौदा नहीं कर रहे हैं।

सदन के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित किसी भी मामले के साथ

वर्तमान कार्यवाही में। हम शक्ति के साथ काम कर रहे हैं

कथित अवमानना के लिए नागरिकों को दंडित करने के लिए सदन

उनके द्वारा सदन की चार दीवारों के बाहर किया गया, और वह
अनिवार्य रूप से विभिन्न विचारों को उठाता है।

XXXXXX

" अंत में, हमें यह जोड़ना चाहिए कि हमारी पूरी चर्चा के दौरान हम

लगातार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मुख्य बिंदु

जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह सदन का यह दावा करने का अधिकार है कि

कथित अवमानना के संबंध में इसके द्वारा जारी सामान्य वारंट

एक नागरिक द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है जो सदस्य नहीं है
सदन की चार दीवारों के बाहर का सदन निर्णायक होता है, क्योंकि यह

उस दावे पर कि सदन ने यह विचार रखने के लिए चुना है कि
न्यायाधीशों, अधिवक्ता और पक्ष ने अवमानना की है

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आचरण का संदर्भ लंबित है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष "।

(जोर दिया
गया)

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 461 268.
उपरोक्त के आलोक में, हमारी राय है कि यूपी विधानसभा के मामले का अनुपात, जो काफी अलग
के तहत तय किया गया था

दंड देने की शक्ति सहित भारतीय संसद के लिए अनुपलब्ध अवमानना।

269. हम जो विचार ले रहे हैं, वह पंडित शर्मा के दो मामलों में इस अदालत के फैसलों के अनुरूप है। पंडित शर्मा (आई) मामले में, इस न्यायालय ने विधानसभा के विशेषाधिकार को बरकरार रखा

इसकी कार्यवाही का प्रकाशन और एक नागरिक के खिलाफ अवमानना के लिए कार्रवाई को बरकरार रखा। इस निर्णय को इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने पंडित मामले में दोहराया था।

शर्मा (द्वितीय), जब इसने पंडित शर्मा (1) में पहले दिए गए मुद्दों की फिर से जांच करने से इनकार कर दिया। इन मामलों में विधायिका द्वारा अपने मौलिक अधिकारों में कटौती करने वाले बाहरी व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शामिल थी, और फिर भी अदालत ने ऐसी कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया।

270. इस दृष्टिकोण को राज्य के मामले से और अधिक ताकत मिलती है

कर्नाटक बनाम. भारत संघ, [1977] 4 एस. सी. सी. 608। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ जांच आयोग की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। इस संदर्भ में, न्यायालय ने अनुच्छेद 194 (3) के संबंध में राज्य की 'शक्तियों' की जांच की गई। निर्णय के प्रासंगिक भागों को निकालना फलदायी होगा। वे इस प्रकार हैं:

लेकिन, एक महाभियोग के अलावा, जो अप्रचलित हो गया है, या एक सदन की अवमानना के लिए सजा, जो केवल एक

सीमित प्रकार के अपराध, संसद को दंडित नहीं करता है
अपराधी। उसके कानूनी दायित्व को स्थापित करने के लिए कानून की सामान्य अदालतों का सहारा लेना अनिवार्य है।

" यह उस अध्याय से स्पष्ट है जिसमें अनुच्छेद 194 भी आता है।
शीर्षक और इसके सीमांत नोट के रूप में कि यहाँ इंगित की जाने वाली "शक्तियाँ" स्वतंत्र नहीं हैं। वे ऐसी शक्तियाँ हैं जो व्यवसाय के संचालन के लिए निर्भर करती हैं और आवश्यक हैं।

हर घर। उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी विस्तारित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन ने

हाउस ऑफ कॉमन्स के समान विधायी शक्ति का हिस्सा, [2007] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पूरी तरह से संप्रभु विधानमंडल के एक घटक भाग के रूप में। के तहत

हमारा कानून यह संविधान है जो संप्रभु या सर्वोच्च है। द.

संसद के साथ-साथ भारत में किसी भी राज्य के प्रत्येक विधानमंडल को इसका लाभ मिलता है।

केवल ऐसी विधायी शक्तियाँ जो संविधान उसे प्रदान करता है। इसी तरह, संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के पास ऐसा है -

संविधान द्वारा दी गई विधायी शक्ति में हिस्सेदारी

स्वयं। राज्य विधानमंडल के एक सदन को प्रदत्त शक्तियाँ हैं -

संसद या किसी राज्य की विधायी शक्तियों से अलग

विधायिका जिसके लिए, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अलग हैं

हमारे संविधान में प्रावधान। हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है।

स्वयं अनुच्छेद 194 के शब्द, अन्य प्रावधानों के साथ पढ़े गए

संविधान, स्पष्ट रूप से इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए।

" अगर हम ऐसा कहें, तो इसमें अभी भी काफी भ्रम है

कुछ लोगों के मन में परिभाषित शक्तियों के दायरे के बारे में, राज्य विधानमंडल के किसी सदन के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

राज्य विधानमंडल के पास कुछ न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। इसके लिए सजा की अपनी मान्यता प्राप्त शक्तियों के अलावा

अवमानना या जाँच की शक्ति जो इसके द्वारा की जा सकती है

अपनी समितियों की नियुक्ति "।

..... संसद या राज्य विधानमंडल का सदन किसी पर मुकदमा नहीं चला सकता है।

या कोई भी मामला सीधे, जैसा कि न्याय न्यायालय कर सकता है, लेकिन यह आगे बढ़ सकता है

अर्ध-न्यायिक रूप से अपने अधिकार की अवमानना के मामलों में और इसके "विशेषाधिकारों" और "प्रतिरक्षाओं" के संबंध में प्रस्ताव क्योंकि,

ऐसा करते हुए, यह केवल देय के लिए बाधाओं को हटाने की मांग करता है

अपने विधायी कार्यों का निष्पादन। लेकिन, अगर कोई सवाल

अधिकारिता इस बारे में उत्पन्न होती है कि कोई मामला यहां आता है या नहीं, इसे

उचित कार्यवाहियों में सामान्य न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया जाए। के लिए उदाहरण के लिए, हत्या जैसे आपराधिक अपराध का मुकदमा चलाने की अधिकारिता,

सामान्य आपराधिक न्यायालयों में निहित एक सदन के भीतर भी प्रतिबद्ध

और संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में नहीं।"

(जोर दिया गया)

1. ऊपर उद्धृत अंश यह स्पष्ट करता है कि केवल

न्यायालय ने विधायिकाओं की दंड देने की शक्ति को मान्यता दी

पी. टी. यह है कि इस तरह की अवमानना शक्तियों का उपयोग करने के लिए नहीं किया जा सकता है

:

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 463 उनके अधिकार क्षेत्र के सामान्य न्यायालय। यह यूपी विधानसभा के मामले में लिए गए फैसले के अनुरूप है। इससे भी अधिक, जब न्यायालय ने सदन के कामकाज में बाधाओं को दूर करने के लिए अवमानना शक्ति के उपयोग की बात की, तो यह

अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति पर किसी भी सीमा को इसमें नहीं पढ़ा। बल्कि, इसके आह्वान के सामान्य उद्देश्य को मान्यता दी गई।

272. इस प्रकार, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि भारतीय विधानसभाओं को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति से वंचित किया जाता है क्योंकि वे नहीं हैं

अभिलेख न्यायालय। हालांकि, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक बहुत व्यापक शक्ति है, जिसमें कई अन्य शक्तियां शामिल हैं। यूपी विधानसभा के मामले में बिना बोले वारंट जारी करने की उस शक्ति के केवल एक पहलू की जांच की गई और कहा गया कि कि हमारे संविधान के तहत ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में हम जिन मामलों की जांच कर रहे हैं, वह इस व्यापक अवमानना शक्ति का एक और पहलू है-एक मौजूदा सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति। जबकि हमारा मानना है कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है

उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्णय द्वारा, हम समग्र रूप से अवमानना के लिए दंडित करने की व्यापक शक्ति की वैधता पर निर्णय लेने का इरादा नहीं रखते हैं। इस व्यापक अवमानना शक्ति के विभिन्न तत्वों को उचित मामले में वैधता की स्वतंत्र जांच पर तय करना होगा। हम स्वयं को किसी सदस्य द्वारा की गई अवमानना के लिए उसे निष्कासित करने की शक्ति तक सीमित रखेंगे। हालाँकि, यह पाए जाने के बाद कि अनुच्छेद 105 (3) में अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति को पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, इसके माध्यम से निष्कासन की शक्ति प्राप्त करना संभव है

273. इस दलील का कोई विरोध नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को वास्तव में संविधान के प्रारंभ में निष्कासन की शक्ति प्राप्त थी। कई उदाहरणों को उद्धृत किया गया है यहाँ तक कि याचिकाकर्ता, संविधान के प्रारंभ के समय के आसपास होने वाले याचिकाकर्ताओं सहित। उनमें से कुछ का उल्लेख करने के लिए, मामले का नोटिस लिया जा सकता है

होरेशियो बॉटमली नामक सदस्य को 1922 में संपत्ति के धोखाधड़ी से रूपांतरण के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद निष्कासित कर दिया गया था; गैरी अलिघन का मामला, 1922 में निष्कासित

1947 , सदन के सदस्यों पर असंयम का आरोप लगाने और सूचना के लिए शुल्क या रिश्वत लेने वाले लेख के प्रकाशन के बाद सदन की घोर अवमानना के लिए,

और, पीटर बेकर का मामला, 1954 में दोषी ठहराए जाने और जालसाजी के लिए सजा सुनाए जाने के बाद सदन से निष्कासित कर दिया गया।

274. हालाँकि इस शताब्दी में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा निष्कासन के उदाहरण कम हैं, लेकिन हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक समय [2007] 1 एस. सी. आर. की तारीख है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

464 संविधान का प्रारंभ। 1947 और 1954 में होने वाले अंतिम दो मामले स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि निष्कासित करने की शक्ति वास्तव में हमारे संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स का एक विशेषाधिकार था। इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से, निष्कासन की शक्ति को अनुच्छेद 105 (3) के भीतर पढ़ा जा सकता है। हम पहले ही मान चुके हैं कि यह शक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है।

275. हम अन्य संभावित स्रोतों के बारे में भी संक्षेप में बता सकते हैं।

निष्कासन की शक्ति। अवमानना की सीमित उपचारात्मक शक्ति की याचिका

276. अगली जांच इस चिंता से संबंधित है कि क्या संसद

अवमानना की केवल एक सीमित उपचारात्मक शक्ति है और, यदि ऐसा है, तो क्या यह उससे निष्कासन की शक्ति प्राप्त कर सकता है।

277. केली, फेंटन के मामलों को लेकर बहुत बहस हुई है।

डॉयल और बार्टन का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसलिए, हम उक्त मामलों में दिए गए निर्णयों के प्रासंगिक भागों पर ध्यान देंगे।

278. केली का मामला अपीलार्थी के कारावास से उत्पन्न हुआ,

जिन्होंने कथित तौर पर न्यूफाउंडलैंड की विधान सभा के एक सदस्य के खिलाफ धमकी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनका आचरण एक माना गया था विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार हनन और उनकी शक्तियां प्रिवी काउंसिल के समक्ष जांच के लिए सामने आईं। अदालत ने पाया कि न्यूफाउंडलैंड की विधान सभा के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं थी। निर्णय श्री बैरन पार्क द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा था:

" तब पूरा सवाल इस तक सीमित हो जाता है-क्या कानून द्वारा,

अवमानना के लिए प्रतिबद्ध होने की शक्ति, की उपस्थिति में नहीं

विधानसभा, प्रत्येक स्थानीय विधानमंडल के लिए घटना है। क़ानून कानून

इस विषय पर चुप रहने पर, सामान्य कानून इसे नियंत्रित करने के लिए है; और

सामान्य कानून क्या है, यह सिद्धांत और मिसाल पर निर्भर करता है।

उनके प्रभुत्त्वों को सोचने का कोई कारण नहीं दिखता है, कि सिद्धांत में

सामान्य कानून, उन्हें ऐसी शक्तियों के अलावा कोई अन्य शक्तियां दी जाती हैं जो इस तरह के निकाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, और उचित अभ्यास

जिन कार्यों को निष्पादित करने का इरादा है। ये शक्तियाँ इसकी स्थापना के कार्य द्वारा प्रदान की जाती हैं, एक ऐसा कार्य जो दोनों पर लागू होता है।

पक्ष, यह स्वीकार किया जाता है, यह क्राउन के लिए प्रदर्शन करने में सक्षम था।

एम पी ए एल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 465

यही वह सिद्धांत है जो सभी कानूनी घटनाओं को नियंत्रित करता है। कुनाडो लेक्स अलिकुइड स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और समझते हैं, जो कुछ भी हो सकता है वह नहीं है। इस सिद्धांत के अनुरूप हम इसमें कोई संदेह नहीं महसूस करते हैं कि

क्योंकि विधानसभा को अपनी कार्यवाही के नियत समय तक सभी बाधाओं से खुद को बचाने का अधिकार है। अपने विधायी कार्यों के स्वतंत्र अभ्यास को सुरक्षित करने के लिए, प्रत्येक उपाय की पूरी सीमा तक, जिसे अपनाना वास्तव में आवश्यक हो सकता है, वे सामान्य कानून के सिद्धांत द्वारा कार्य करने में उचित हैं। लेकिन शक्ति की

इसके अवमान के रूप में पिछले कदाचार के लिए किसी को दंडित करना

प्राधिकरण, और इस तरह की अवमानना के तथ्य पर निर्णय लेना, और न्यायिक निकाय के रूप में सजा का उपाय, अभियुक्त पक्ष के लिए गैर-जिम्मेदाराना, चाहे वास्तविक तथ्य कुछ भी हों, बहुत अलग है।

चरित्र, और किसी भी तरह से स्थानीय विधानमंडल द्वारा अपने कार्यों के प्रयोग के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, चाहे वह प्रतिनिधि हो या नहीं। (234-35)

लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के पास यह शक्ति इसलिए नहीं है कि यह विधायी कार्यों के साथ एक प्रतिनिधि निकाय है, बल्कि प्राचीन उपयोग और प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर है; लेक्स एट कॉन्सूटचूड पार्लियामेंट, जो देश के सामान्य कानून का एक हिस्सा है, और जिसके अनुसार संसद का उच्च न्यायालय, इसके पहले

विभाजन, और तब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन्स को कई विशिष्ट विशेषाधिकारों के साथ निवेश किया गया है, जो अवमानना के लिए दंडित करने के लिए है

एक. (235)

न ही शक्ति को अंग्रेजी अभिलेख न्यायालयों के अनुरूप विधान सभा के लिए आकस्मिक कहा जा सकता है जो

इसे अपने पास रखें। यह सभा न तो अभिलेख न्यायालय है और न ही इसकी कोई अदालत है।

न्यायिक कार्य जो भी हों और यह टिप्पणी की जानी चाहिए कि ये सभी निकाय जिनके पास अपने अधिकार की अवमानना करने के लिए निर्णय लेने और संक्षिप्त तरीके से दंडित करने की शक्ति है, उनके पास न्यायिक कार्य हैं, और इसका प्रयोग उन लोगों के लिए घटना के रूप में करते हैं जो उनके पास हैं।

केवल हाउस ऑफ कॉमन्स को छोड़कर, जिसका अधिकार, इस संबंध में, प्राचीन उपयोग पर निर्भर करता है। (235)

(जोर दिया गया)

[2007] 1 एस सी आर।

466

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

279. उपरोक्त मामले का पालन फेंटन में किया गया था। के खिलाफ यह कार्रवाई

वान डायमैन द्वीप की विधान सभा के अध्यक्ष कथित रूप से गैरकानूनी हमले, जब्ती और प्रतिवादी के कारावास से उत्पन्न हुए। यह निर्णय लॉर्ड चीफ बैरन पोलक द्वारा 17 फरवरी, 1858 को सुनाया गया था। केस ने केली का अनुसरण किया, यह देखते हुए कि उस मामले में:

" उनका मानना था कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति

'लेक्स एट कॉन्सूएटुडो पार्लियामेंट' का हिस्सा था; और अस्तित्व

ग्रेट ब्रिटेन के कॉमन्स में उस शक्ति का वारंट नहीं था
इसे प्रत्येक सर्वोच्च विधान परिषद या विधानसभा में निर्दिष्ट करना

उपनिवेशों। हम सोचते हैं कि हम मामले के फैसले से बंधे हैं।

केली वी। कार्सन "।

280. अगला मामला डॉयल का था। इस मामले में सत्ता शामिल थी

डोमिनिका की विधान सभा के अपने सदस्य को विधानसभा में उनके आचरण के लिए दंडित करने के लिए। इस मामले में केली और फेंटन ने कहा कि विधानसभा के पास अवमानना के लिए दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। फैसला सर जेम्स कोलविले ने सुनाया था। यह देखा गया:

" केली वी। कार्सन को यहाँ निर्णय लेने के लिए लिया जाना चाहिए।

निर्णायक रूप से कि ब्रिटिश उपनिवेशों में विधान सभाएँ

व्यक्त अनुदान के अभाव में, निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है,

या उनकी दीवारों से परे की गई अवमानना के लिए दंडित करें। (339)

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार, जिसके लिए दंडित करना

अवमानना एक होने के नाते, लेक्स एट कॉन्सूटचूड के आधार पर इससे संबंधित है

संसद, जो दो सदनों के लिए विशिष्ट और अंतर्निहित कानून है

यूनाइटेड किंगडम की संसद। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता।

के घर द्वारा कुछ शक्तियों के कब्जे से अनुमान लगाया गया

कॉमन्स, उस प्राचीन उपयोग और पर्चे के आधार पर, कि

समान शक्तियाँ तुलनात्मक रूप से विधान सभाओं से संबंधित हैं
क्राउन की निर्भरताओं में हाल ही में निर्माण। (339)

एक बार फिर, औपनिवेशिक विधानसभा के बीच कोई समानता नहीं है, एक निकाय होने के नाते जिसका कोई न्यायिक कार्य नहीं है, और एक न्यायालय, जो एक अभिलेख न्यायालय है। इसलिए, कोई नहीं है

यह कहने के लिए आधार कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 467

क्योंकि यह एक में निहित होने के लिए स्वीकार किया जाता है, द्वारा लिया जाना चाहिए

दूसरे में अंतर्निहित होने के लिए सादृश्य "। (339)
क्या इसकी उपस्थिति में की गई अवमानना के लिए दंडित करने और करने की शक्ति डोमिनिका की सभा जैसे निकाय के अस्तित्व और उन कार्यों के उचित अभ्यास के लिए आवश्यक है जिन्हें वह निष्पादित करना चाहता है? भेद करना आवश्यक है

अपनी बैठक के दौरान किसी विधायी निकाय का विचार-विमर्श या उचित कार्रवाई, जो आत्म-संरक्षण के लिए अंतिम शक्ति आवश्यक है। यदि औपनिवेशिक सभा का कोई सदस्य अव्यवस्थित रूप से दोषी है
सदन में बैठने के दौरान आचरण करते हुए, उसे हटाया जा सकता है, या कुछ समय के लिए बहिष्कृत किया जा सकता है, या निष्कासित भी किया जा सकता है; लेकिन ऐसी शक्तियों और दंडात्मक कार्रवाई करने की न्यायिक शक्ति के बीच बहुत अंतर है।

अपराध के लिए सजा। आत्म-सुरक्षा के लिए हटाने का अधिकार एक बात है और सजा देने का अधिकार दूसरी। (340)

281. अंत में, बार्टन में, इसमें न्यू साउथ वेल्स की विधान सभा से एक सदस्य का निलंबन शामिल था। निलंबन की शक्ति अनिश्चित काल के लिए विधान सभा के लिए अनुपलब्ध माना गया क्योंकि कहा जाता था कि उसने दंडात्मक क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। फैसला यह था कि

सेलबोर्न के अर्ल द्वारा वितरित। केली के मामलों का उल्लेख करते हुए और

डॉयल, अदालत ने टिप्पणी की:

" यह उन अधिकारियों के परिणामस्वरूप होता है कि इस तरह की कोई भी शक्तियां औपनिवेशिक विधान सभा में (इसके बिना) घटना या अंतर्निहित नहीं हैं।

व्यक्त अनुदान), सिवाय 'जो ऐसे निकाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, और उन कार्यों का उचित अभ्यास जिन्हें वह निष्पादित करने का इरादा रखता है'।

एक ऐसे सदस्य के चरम मामले को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा जिसका आचरण आदतन अवरोधक या अव्यवस्थित है। यह तर्क देने के लिए कि
निष्कासन अधिक शक्ति है, और निलंबन कम है, और यह कि जितना अधिक कम के सभी स्तरों को शामिल करना चाहिए, उनके प्रभुत्व को गलत लगता है। [2007] 1 एस. सी. आर. में घटकों के अधिकार नहीं होने चाहिए।

लंबे समय तक निलंबन और फिर निष्कासन, जिसके बाद एक नया चुनाव तुरंत आयोजित किया जाएगा "।

(जोर दिया गया)

282. न्यायालय ने जाँच की कि क्या आवश्यक है और पाया कि अनिश्चितकालीन निलंबन को कभी भी आवश्यक नहीं माना जा सकता है।

283. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया कि सीमित शक्ति निष्कासन की परिकल्पना नहीं करती है और इसका उपयोग केवल प्रत्यक्ष अवमानना के लिए किया जा सकता है।

284. हम अग्रिम प्रस्तावों की सदस्यता लेने के लिए राजी नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से। भले ही हम इस भेद को भारतीय संसद पर लागू होने के रूप में स्वीकार करें, हमारी राय में, निष्कासित करने की शक्ति उपलब्ध होगी।

285. सबसे पहले, बार्टन का मामला, जो केवल एक सीमित शक्ति की अनुमति देता है अवमानना के लिए दंड, यह पाता है कि भले ही विधान सभा के पास अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति में दंडात्मक था, विधानसभा के पास निष्कासन को एक गैर दंडात्मक शक्ति मानते हुए निष्कासित करने की शक्ति होगी। दूसरा, यह आपत्ति कि सीमित शक्ति केवल कर सकती है प्रत्यक्ष अवमानना से निपटना, मान्य नहीं है।

286. उपरोक्त संदर्भ में, मामले का संदर्भ दिया जा सकता है -

हार्टनेट वी. क्रिक, [(1908) एसी 470]। इस मामले में न्यू साउथ वेल्स की विधान सभा के एक सदस्य का निलंबन शामिल था जब तक कि सदस्य के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे में जूरी का फैसला नहीं हो जाता।

वितरित किया गया। निलंबन को चुनौती दी गई थी। जब मामला प्रिवी काउंसिल के सामने आया, तो उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि:

" विधान सभा के पास पारित करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं थी

[स्थायी आदेश]। इसकी अंतर्निहित शक्तियाँ सुरक्षात्मक तक सीमित थीं।

और उचित अभ्यास के लिए आवश्यक रक्षात्मक उपाय

इसके कार्य और इसके व्यवसाय का संचालन। उन्होंने विस्तार नहीं किया

व्यक्त वैधानिक शक्ति के अभाव में दंडात्मक उपायों के लिए
उस ओर से, लेकिन केवल सुरक्षात्मक उपायों के लिए। तथ्य यह है कि

प्रत्यर्थी के खिलाफ एक आपराधिक आरोप लंबित है, राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 469

चैंबर या संबंधित में व्यवसाय के पाठ्यक्रम को प्रभावित या बाधित करें

उसके सुव्यवस्थित आचरण के लिए।

287. इस तर्क को खारिज कर दिया गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अनुमति दी

अपील करें। निर्णय देते हुए लॉर्ड मैकनाघटेन ने शुरू में कहा था कि:

..... कोई भी शायद यह तर्क नहीं देगा कि का व्यवस्थित आचरण

विधानसभा केवल इस तथ्य से परेशान या प्रभावित होगी कि

सदन के एक सदस्य के खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है "(475)

288. लेकिन उन्होंने पाया कि मामले की कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ

वजन दिए जाने के योग्य। न्यायालय ने आगे कहा:

" यदि सदन ने स्वयं कम अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया है

वादी का रवैया [सदन के लिए अपमान और चुनौती], और है

फैसला किया कि इस अवसर ने अस्थायी निलंबन को उचित ठहराया, न कि द्वारा

सजा का तरीका, लेकिन आत्मरक्षा में, यह असंभव लगता है
न्यायालय यह घोषित करे कि सदन अपने निर्णय में इतना गलत था, और

स्थायी आदेश और उस पर स्थापित संकल्प इतना विदेशी है

अधिनियम द्वारा विचार किए गए उद्देश्य के लिए, कि कार्यवाहियों को

अमान्य घोषित किया जाए "। (476)

(जोर दिया
गया)

289. उपरोक्त मामला इस प्रकार यह स्थापित करता है कि भले ही सदन

विधायिका के पास सीमित शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्ति केवल प्रत्यक्ष रूप से ही सीमित नहीं है

अवमानना, लेकिन यहाँ तक कि सदन के बाहर किए गए कार्य भी। इसके लिए खुला है

"सुरक्षात्मक" उद्देश्यों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए सभा, और वे कार्य जो
यह कर सकता है

अधिनियम केवल वे नहीं हैं जो सदन में किए गए हैं, बल्कि उन पर भी हैं कुछ भी जो
सदन की गरिमा को कम करता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं '

प्रस्तुत करना कि सदन के पास केवल इस दौरान बाधाओं को दूर करने की शक्ति है

इसकी कार्यवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

290. यह कहना स्वयंसिद्ध है कि निष्कासन हमेशा एक के संबंध में होता है

सदस्य। साथ ही, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एक सदस्य है

सदन का वह भाग जिसके कारण उसका आचरण हमेशा प्रत्यक्ष होता है सदन की धारणा
पर असर डालना। किसी भी विधायी निकाय को कार्य करना चाहिए।

इसके सदस्यों के माध्यम से और के आचरण के बीच संबंध

सदस्यों और सदन की धारणा मजबूत है। इसलिए हम,

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि भले ही संसद के पास अदालत की रिपोर्ट को ऊपर रखने की केवल सीमित उपचारात्मक शक्ति थी

अवमानना के लिए दंड, निष्कासित करने की शक्ति। यह इस तरह की उपचारात्मक अवमानना शक्ति की सीमाओं के भीतर होगा।

291. हम कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि विधानमंडलों की स्थापना क्यों की गई

भारत में संविधान द्वारा, अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद सहित, उपचारात्मक प्रभाव से उत्पन्न निष्कासन की शक्ति के दावे से इनकार किया जाना चाहिए।

तिरस्कार की शक्ति।

आवश्यकता का सिद्धांत।

292. भारत संघ और विद्वान अतिरिक्त के लिए विद्वान वकील

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी प्रस्तुत किया कि बैठक के निष्कासन की शक्ति

आवश्यकता के आधार पर सदस्य प्रत्येक विधानमंडल का एक अंतर्निहित अधिकार है।

तर्क यह है कि निष्कासन की शक्ति के स्रोत के रूप में 'आवश्यकता', अपने सदस्यों में से एक के निष्कासन के लिए सदन के लिए भी उपलब्ध है, इस तरह की शक्ति के रूप में।

सदन के कामकाज के लिए 'आवश्यक' है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निष्कासन को कभी भी 'आवश्यक' या 'आत्मरक्षा' शक्ति नहीं माना जा सकता है और इसलिए, सदन द्वारा इसका दावा नहीं किया जा सकता है।

293. संविधान के अनुच्छेद 105 (3) की हमारी व्याख्या को देखते हुए,

यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि क्या 'आवश्यकता' एक के रूप में है

अवमानना के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करके दंडित करने की सदन की शक्ति के अलावा शक्ति का स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध है या नहीं। हम ध्यान दे सकते हैं कि संबंधित दृष्टिकोण बिंदुओं के समर्थन में कई निर्णयों का हवाला दिया गया था।

294. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य पर भी भरोसा किया है कि ऑस्ट्रेलिया

निष्कासन की शक्ति को छीनते हुए एक कानून पारित किया है। यह सच है कि संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 4 ने संसद से बाहर निकालने की शक्ति को हटा दिया है।

ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल संसद के सदन। यह अधिनियम संसदीय विशेषाधिकार पर संसद की संयुक्त चयन समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई संसदीय विशेषाधिकार पर प्रतिष्ठित अधिकारी एनिड कैंपबेल लिखते हैं, "समिति ने इसकी सिफारिश की। शक्ति के संभावित दुरुपयोग के कारण, सदस्यों की अयोग्यता पर संघीय संविधान में विशिष्ट प्रावधानों के कारण, और बुनियादी विचार पर कि संसद की संरचना पर निर्णय लेना सदस्यों के लिए नहीं, बल्कि मतदाताओं के लिए है।

295. ओजर का ऑस्ट्रेलियाई सीनेट अभ्यास आगे के आधार को स्पष्ट करता है

संयुक्त चयन समिति की सिफारिश:

ए. एम. पाल वी. माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.) 471

" संसदीय मामलों की संयुक्त चयन समिति की 1984 की रिपोर्ट

विशेषाधिकार ने सिफारिश की कि एक सदन की शक्ति को निष्कासित करने के लिए सदस्यों को निरस्त कर दिया जाए। इस सिफारिश का तर्क यह था कि सदस्यों की अयोग्यता संविधान और चुनावी कानून द्वारा कवर की जाती है, और यदि कोई सदस्य अयोग्य नहीं है

सवाल यह है कि क्या सदस्य अन्यथा इसके लिए अयोग्य है

सदन की सदस्यता मतदाताओं पर छोड़ दी जानी चाहिए। द. समिति राष्ट्रमंडल संसद से एक सदन के सदस्य के निष्कासन के एकमात्र उदाहरण से भी प्रभावित थी, जो कि 1920 में सदन के बाहर कथित रूप से राजद्रोही शब्दों के लिए प्रतिनिधि सभा के एक सदस्य का निष्कासन था। इस मामले को लंबे समय से शक्ति के अनुचित उपयोग का एक उदाहरण माना जाता रहा है (देखें,

उदाहरण के लिए, ई. कैम्पबेल, ऑस्ट्रेलिया में संसदीय विशेषाधिकार, एमयूपी, 1966, पीपी। 104-05 (ओजर का ऑस्ट्रेलियाई सीनेट अभ्यास 11 वां

संस्करण, 56-57)।

96. ऑस्ट्रेलियाई संयुक्त समिति की रिपोर्ट स्वयं निष्कासन की किसी भी संभावित आवश्यकता के खिलाफ निष्कासन के खतरों के उपयोग का वजन करती है और इसके उन्मूलन की सिफारिश करती है:

" इस खतरे [यानी बहुमत द्वारा दुरुपयोग] को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है और यह तथ्य कि संघीय इतिहास में एकमात्र मामला जब सत्ता निष्कासित करना एक ऐसा मामला है जब, हम सोचते हैं, शक्ति का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया गया था, इसके उन्मूलन के लिए एक सम्मोहक तर्क है। लेकिन निष्कासन की शक्ति के उन्मूलन का तर्क केवल दुरुपयोग की बड़ी क्षमता और इस तरह के नुकसान पर निर्भर नहीं करता है।

दुरुपयोग का अवसर मिल सकता है। अन्य विचार भी हैं। सबसे पहले, संविधान में विस्तृत प्रावधान हैं। संक्षेप में, हमारे पास पहले से ही अयोग्यता की एक वैधानिक संहिता है। दूसरा, यह किसी निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में निर्वाचक हैं जो प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेते हैं। सिद्धांत रूप में, हम इसे गलत समझते हैं कि जिस संस्थान के लिए व्यक्ति चुना गया है, उसे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के निर्णय को उलटने में सक्षम होना चाहिए। यदि निष्कासित किया जाता है तो वह फिर से चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा है, उनके निष्कासन से हुए नुकसान से उनकी फिर से चुनाव की संभावनाएं न के बराबर हो सकती हैं। तीसरा, सदनों के पास अभी भी सदस्यों को अनुशासित करने की व्यापक शक्तियां हैं।

विशेषाधिकार हनन या अन्य अवमानना के दोषी सदस्यों को किया जा सकता है या उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये प्रतिबंध काफी कठोर प्रतीत होते हैं। उन्हें उनके सदन द्वारा निलंबित या निंदा भी की जा सकती है। "1 एस. सी. आर.

297. ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया उपरोक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से इसके लिए है

यदि सलाह दी जाए तो संसद विचार करे और जांच करे। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, चूंकि भारत में संसद के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने वाला कोई कानून नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई कानून के आधार पर कुछ भी नहीं होता है।

संसदीय व्यवहार का तर्क

298. तर्कों के दौरान यह सामने आया कि चूंकि

भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख से तीन अवसर आए हैं जब संसद के सदनों ने वर्तमान सदस्य को निष्कासित करने का सहारा लिया है। इन तीन अवसरों में से दो लोकसभा सदस्यों से संबंधित थे।

299. इस तरह का पहला मामला 8 जून 1951 को आया जब पहली लोक सभा

सभा ने श्री एच. जी. मुद्गल को सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक और उस मानक के साथ असंगत आचरण करने के लिए निष्कासित करने का संकल्प लिया जो संसद अपने सदस्यों से उम्मीद करने की हकदार है। निष्कासन का दूसरा अवसर छठी लोकसभा में आया, जब 19 दिसंबर 1978 को पारित एक प्रस्ताव द्वारा, इसने विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों और निष्कर्षों से सहमत होने का संकल्प लिया और उसके आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ दो अन्य लोगों (श्री आर. के. धवन और श्री डी. सेन) को सदन की सदस्यता से निष्कासित करने का आदेश दिया, क्योंकि वे सदन के विशेषाधिकार हनन के दोषी पाए गए थे। तीसरा मामला राज्यसभा से संबंधित है जब श्री सुब्रमण्यम स्वामी को 15 नवंबर 1976 को निष्कासित करने का आदेश दिया गया था।

300. ऊपर उल्लिखित निष्कासन के तीन उदाहरण

संसद के सदनों को भारत संघ के विद्वान वकील द्वारा उनके इस तर्क के समर्थन में संदर्भित किया गया है कि संसद सदस्य के निष्कासन का आदेश पहली बार नहीं दिया गया है और यह अब संसदीय प्रथा का हिस्सा है कि संसद के सदन किसी सदस्य के अयोग्य और अयोग्य माने जाने वाले आचरण के लिए अपने-अपने सदस्यों को निष्कासित कर सकते हैं। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील संसद में बहस के दौरान कुछ टिप्पणियों को उद्धृत करने के लिए इन उदाहरणों का उल्लेख करेंगे ताकि उनकी याचिका को मजबूत किया जा सके कि भारत में संसदीय प्रथा उन प्रतिबंधों में से निष्कासन के अत्यधिक दंड का सहारा लेने के खिलाफ है जिनका उपयोग हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में किया जा सकता है।

301. श्री सुब्रमण्यम स्वामी राजा राम पाल के निष्कासन के मामले के तथ्य "।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 473

सुभाष सी. कश्यप ने अपनी 'संसदीय प्रक्रिया' (खंड। 2, पृ. 1657)। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सभा ने 2 सितंबर 1976 को आचरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया।

और देश के भीतर और बाहर उक्त सदस्य की गतिविधियाँ, जिसमें कथित भारत विरोधी प्रचार शामिल है, जो देश की संसद और अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए किया जाता है और आम तौर पर देश के भीतर और बाहर व्यवहार करता है।

एक सदस्य का अयोग्य तरीका। समिति ने 12 नवंबर 1976 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निष्कासन की सिफारिश की गई क्योंकि उनका आचरण सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक और मानकों के साथ असंगत पाया गया था।

जिसे वह अपने सदस्यों से उम्मीद करने का हकदार था। 15 नवंबर 1976 को राज्यसभा ने सदस्य को निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया।

302. लोकसभा से निष्कासन के मामलों की बात करें तो श्री एच. जी. मुद्गल के मामले के तथ्यों को पृष्ठ 262 पर 'प्रैक्टिस एंड

कौल और शकदर द्वारा संसद की प्रक्रिया (5 वीं संस्करण)। श्री एच. जी. मुद्गल पर बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के साथ कुछ लेन-देन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें विकल्प व्यापार, स्टाम्प शुल्क आदि जैसी समस्याओं पर संसद में प्रचार करना और प्रचार करना और बॉम्बे बुलियन से वित्तीय या व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना शामिल है।

संघ "संसद में अपने कर्तव्य के निर्वहन में। 8 जून, 1951 को, आचरण की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव और

सदस्य की गतिविधियों को लोकसभा द्वारा अपनाया गया था। जाँच के बाद समिति ने माना कि सदस्य का आचरण सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक था और उस मानक के साथ असंगत था जिसकी संसद अपने सदस्यों से अपेक्षा करने की हकदार थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में, श्री मुद्गल को सदन से निष्कासित करने के लिए 24 सितंबर, 1951 को सदन के समक्ष एक प्रस्ताव लाया गया था। सदस्य ने बहस में भाग लेने के बाद उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

303. जब समिति की रिपोर्ट पर बहस चल रही थी, पं. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इस विषय पर विस्तार से बात की।

24 सितंबर 1951 को संसद में दिए गए उनके भाषण में मामले के तथ्यों के साथ-साथ इस विषय पर कानून पर उनके विचार भी शामिल थे। यह देखने के बाद कि भारत के संविधान में ऐसे मामलों के संबंध में कोई विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 105 (3) ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्रथा को संदर्भित करता है, उन्हें यही कहना था:

एक संप्रभु संसद के रूप में इस सदन को स्वाभाविक रूप से अपनी समस्याओं से निपटने का अधिकार होना चाहिए और मैं [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कल्पना कीजिए कि कोई इस तथ्य पर संदेह कर रहा है। यह विशेष लेख आपको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अभ्यास के लिए मार्गदर्शन के लिए वापस ले जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन में क्या प्रथा है।

यू. के. में संसद के कॉमन्स रहे हैं और हैं। वहाँ समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जब हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक समिति नियुक्त की है और कार्रवाई की है

अत: इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सदन स्वाभाविक रूप से हकदार है और

घर से। सवाल यह उठता है कि वर्तमान मामले में ऐसा किया जाना चाहिए या कुछ और। मेरा कहना है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह मामला एक ऐसा मामला भी नहीं है जिसे मामूली मामला कहा जा सकता है, जहां लोगों की इसके बारे में दो राय हो सकती हैं, जहां किसी को संदेह हो सकता है कि क्या एक निश्चित पाठ्यक्रम का सुझाव बहुत अधिक गंभीर है। मामला, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो उतना ही बुरा है जितना हो सकता है। अगर हम भी विचार करें

एक मामूली मामले के रूप में या एक ऐसे मामले के रूप में जहां शायद एक निश्चित मात्रा में ढिलाई दिखाई जा सकती है, मुझे लगता है कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों से दुर्भाग्यपूर्ण होगा, विशेष रूप से क्योंकि, यह सदन के समक्ष आने वाला अपनी तरह का पहला मामला है, यदि सदन ऐसे मामलों में स्पष्ट, स्पष्ट और बलपूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता है, तो जनता के मन में संदेह पैदा हो सकता है कि क्या सदन ऐसे मामलों के बारे में बहुत निश्चित है या नहीं।

इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि यह हमारे लिए एक कर्तव्य और स्पष्ट, सटीक और निश्चित होने का दायित्व बन गया है। तथ्य स्पष्ट और सटीक हैं और निर्णय भी स्पष्ट और सटीक होना चाहिए।

असंदिग्ध। और मैं प्रस्तुत करता हूँ कि सदन का निर्णय इस रिपोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार करने के बाद होना चाहिए, यह संकल्प करने के लिए कि सदस्य को सदन से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि चलाएँ:

कि यह सदन, संसद सदस्य श्री एच. जी. मुद्गल के आचरण की जांच के लिए 8 जून, 1951 को नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद,

समिति के इस निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि श्री राजा राम पाल बनाम का आचरण।

माननीय वक्ता, लोक सभा सभरवाल, सी. जे.] 475

मुद्गल सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक है और

संसद अपने सदस्यों से जिस मानक की अपेक्षा करने की हकदार है, उससे असंगत है और यह संकल्प करता है कि श्री मुद्गल

सदन से निष्कासित '।

304. 25 सितंबर 1951 को सदन ने प्रस्ताव के प्रभाव को दरकिनार करने के सदस्य के प्रयास की निंदा की और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।

संशोधित प्रस्ताव जो इस प्रकार है:

" यह सदन, संसद सदस्य श्री एच. जी. मुद्गल के आचरण की जांच के लिए 8 जून, 1951 को नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करता है कि श्री मुद्गल का आचरण समिति के लिए अपमानजनक है।
सदन की गरिमा और उस मानक के साथ असंगत जो संसद अपने सदस्यों से उम्मीद करने का हकदार है, और यह संकल्प करता है कि श्री मुद्गल सदन से निष्कासन के हकदार हैं और आगे यह कि अपने बयान के समापन पर उपाध्यक्ष को दिए गए त्याग पत्र की शर्तें इस सदन की अवमानना का गठन करती हैं जो केवल उनके अपराध को बढ़ाती है।

305. श्रीमती इंदिरा गांधी और दो अन्य लोगों के निष्कासन की ओर ले जाने वाले मामले के तथ्यों का सारांश पृष्ठ 263 पर दिया गया है।

कौल और शकदर द्वारा संसद (5 वीं संस्करण)। 18 नवंबर 1977 को सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के सवाल का उल्लेख किया गया था।

306. विशेषाधिकार समिति का विचार था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन में एक निश्चित प्रश्न के उत्तर के लिए जानकारी एकत्र करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बाधा, धमकी, उत्पीड़न और झूठे मामले दर्ज करके सदन के विशेषाधिकार और अवमानना का उल्लंघन किया था। समिति ने सिफारिश की कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपने द्वारा किए गए विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन और सदन की अवमानना के लिए सजा की हकदार हैं, लेकिन यह सदन के सामूहिक विवेक पर छोड़ दिया कि वह ऐसी सजा दे जो उसे उचित लगे।

307. अपराध और निष्कासन की सजा देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव पर बहस के दौरान, श्री सी. एम. स्टीफन, नेता सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] 1 एस सी आर।

476

हरद्वारी लाल [आई. एल. आर. (1977) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की ओर ध्यान आकर्षित करना।

2 पी एंड एच 269] ने कहा कि निष्कासन का प्रस्ताव "संविधान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था" और सदन के पास निर्वाचित सदस्य को निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं थी। अध्यक्ष श्री के. एस. हेगड़े ने श्री सी. एम. स्टीफन द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक तर्कों के महत्व को स्वीकार किया। 19 दिसंबर 1978 को,

सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें संकल्प लिया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को सदन के सत्रावसान तक जेल में रखा जाए और विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के लिए उन्हें सदन की सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया जाए।

उसके द्वारा प्रतिबद्ध।

308. प्रस्ताव के माध्यम से छठी लोकसभा ने क्या किया

19 दिसंबर 1978 को स्वीकृत 7 वीं लोकसभा द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसमें पहले के निर्णय की औचित्य पर चर्चा की गई थी। बहस के दौरान दिए गए कुछ भाषणों पर विद्वान सलाहकार द्वारा विस्तार से भरोसा किया गया है और उन पर ध्यान दिया जा सकता है। श्री बी. आर. भगत ने इस प्रकार कहा:

" उन्होंने गलती की है। मैं नैतिकता में नहीं जा रहा हूँ

क्योंकि मैं एक मजबूत जमीन पर हूं। यह अवैध है क्योंकि वहाँ है

कोई अधिकार क्षेत्र नहीं।

तीसरे बिंदु पर आते हुए अपराध का निर्धारण और

न्यायनिर्णयन वे कई देशों में न्यायिक कार्य हैं और

इसलिए विशेषाधिकार हनन, सदन की अवमानना का सवाल,

इनमें सजा आदि का फैसला अदालतों में किया जाता है। केवल हम।

वेस्टमिंस्टर प्रकार की संसदीय प्रणाली का पालन किया है। में।

वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स स्वयं के उल्लंघन से संबंधित है

इसके विशेषाधिकार, और हमने उनसे इसे छीन लिया है। अत: यहाँ विशेषाधिकार हनन को सदन द्वारा दंडित किया जाता है। लेकिन कई अन्य में

देश लगभग सभी अन्य देश यदि मैं ऐसा कह सकता हूं, तो कोई भी उल्लंघन

सदन के विशेषाधिकार को अदालतों द्वारा दंडित किया जाता है और इसलिए, मेरा कहना है कि विशेषाधिकार में अपनाई गई प्रक्रिया

समिति बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषाधिकारों का कानून, जैसा कि मैंने कहा है

आपराधिक कानून का रूप और मैं इस बिंदु को बना रहा था कि को छोड़कर हाउस ऑफ कॉमन्स और यहाँ-हमने मिसालें ली हैं और

हाउस ऑफ कॉमन्स से सम्मेलन-अन्य सभी के संबंध में

संसद इस अपराध या सदन की अवमानना या उल्लंघन का प्रावधान करती है।

सदन के विशेषाधिकार को अदालतों द्वारा दंडित किया जाता है और इसलिए,

अनिवार्य रूप से विशेषाधिकार का कानून आपराधिक कानून का एक रूप है और अक्सर ए. एम. पी. ए. एल. बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 477

एक नागरिक और उसके मौलिक अधिकार सदन और विधानमंडलों, उनकी समितियों की गरिमा की अवधारणाओं से टकरा सकते हैं।

और सदस्य। आपराधिक कानून का सार यह है कि यह आसानी से

सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरी ओर विशेषाधिकारों का कानून अस्पष्ट और कुछ हद तक अनिश्चित रहने के लिए बाध्य है जब तक कि संहिताबद्ध नहीं किया जाता है। और यहाँ, इसे नियम 222 के अलावा संहिताबद्ध नहीं किया गया है। जबकि भारत में

ब्रिटिश प्रथाओं का पालन करते हुए सदन स्वयं इस मामले का निर्णय करता है

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सबसे सख्त न्यायिक मानक और

न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा

मुद्दा यह है कि विशेषाधिकार समिति में विचार-विमर्श किया गया था

न न्यायिक, न निष्पक्ष और न ही वस्तुनिष्ठ, और उन्होंने इसका पालन नहीं किया।

समता के सिद्धांतों के लिए भी प्रक्रिया के कोई स्थापित नियम

और प्राकृतिक न्याय। इन्हें इससे निपटने में लागू नहीं किया गया था।

श्रीमती गाँधी और दो अधिकारियों के मामले में और

सिद्धांत कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा भी प्रतीत होना चाहिए कि

जो किया गया है वह इस मामले में पूरी तरह से अभाव है। राजनीतिक प्रतिशोध की कोई भी बात किसी निर्णय पर संदेह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि राजनीतिक विचार या बहुमत पार्टी आदि के बल पर काम करने वाली सदन की विशेषाधिकार समिति का थोड़ा सा भी संदेह सदन की पवित्रता और मूल्य को नष्ट कर सकता है।

संसद के विशेषाधिकार।

अलग से। इसमें, राजनीतिक प्रतिशोध ने समिति के सदस्यों पर शासन किया। यदि आप इस संसद में, या हाउस ऑफ कॉमन्स में या अन्य संसदों में पिछले उदाहरणों को लेते हैं, तो आप पाएंगे कि विशेषाधिकार समिति के निर्णय सर्वसम्मत थे। वे पार्टी लाइन पर नहीं हैं। लेकिन इस विशेष मामले में, निर्णय न केवल पार्टी लाइन पर थे, बल्कि उतने ही थे 6 या 7 टिप्पणियों के रूप में उनमें से कई असहमति के वोट थे, हालांकि उन्हें इस तरह से नहीं बुलाया गया था क्योंकि यह एक और मामला है जिसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं: अध्यक्ष के निर्देशों के तहत "संसदीय समिति की रिपोर्ट में असहमति का कोई कार्यवृत्त नहीं होगा।

यह एक संसदीय समिति है-'चयन समिति को छोड़कर'।

एक चयन समिति या एक संयुक्त चयन समिति के कार्यवृत्त में

असहमति जोड़ी जाती है। अन्य संसदीय समितियों में - विशेषाधिकार समिति एक संसदीय समिति है-निर्देश 68 (3) के तहत, "रिपोर्ट पर असहमति का कोई मिनट नहीं होगा"।

विचार यह है कि इन समितियों में विचार-विमर्श होना चाहिए।

वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष होना चाहिए और पार्टी पर नहीं चलाया जाना चाहिए या

राजनीतिक रेखाएँ। इस मामले में छह नोट हैं जिन्हें 'नोट्स' कहा जाता है क्योंकि वे असहमति के कार्यवृत्त नहीं हो सकते हैं और उनमें से चार पूरी तरह से अलग हैं, जो समिति के निष्कर्षों से पूरी तरह से अलग हैं। सात सदस्य सत्तारूढ़ दल के थे। यह समिति की संरचना को दर्शाता है। उन्होंने एक पंक्ति ले ली है। मैं उस बिंदु पर बाद में आउंगा जब मैं इस मामले पर विचार करूंगा कि इस मामले को सदन में कैसे अपनाया गया था। इसे कैसे लिया गया और कैसे राजनीतिक और दलगत विचार प्रचलित थे। वह यह है कि संसदीय विशेषाधिकारों की भावना और कानून के खिलाफ। समिति में भी श्रीमती गांधी ने कहा कि पूरा माहौल राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण है, विशेषाधिकार समिति के सदस्य, सत्तारूढ़ दल के सदस्य, जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिशोधी रवैये, प्रतिशोध या प्रतिशोध या बदला लेने के रवैये से निर्देशित है।

XXXX

XXXX

XXXX

" प्रक्रिया नियमों का नियम 72 केवल है, जैसा कि मैंने पहले कहा था,

एक सक्षम प्रावधान जिसमें विशेषाधिकार समिति एक गवाह को शपथ या प्रतिज्ञान दे सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर गवाह शपथ लेने के लिए बाध्य है। किसी भी मामले में, यह अभियुक्त पर लागू नहीं होता है। प्रत्येक आरोपी को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए।

आत्मरक्षा का अवसर। उसे समिति के समक्ष नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साक्षय देना और गवाहों से जिरह करना और इसके अलावा संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। यही कानून है।

इससे पहले, मुद्गल मामले में, हमारे पास एक मिसाल है। द.

सदन की समिति ने अभियुक्त को एक मौका दिया। वह.

गवाहों से जिरह करने, अपने गवाहों को पेश करने और अपने वकील के माध्यम से अपने बचाव का नेतृत्व करने के लिए एक वकील की सेवाओं की अनुमति दी गई थी। मामले की जाँच के दौरान महान्यायवादी ने भी समिति पर हमला किया। यह श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं दिया गया था। यह विशेषाधिकार समिति की प्रेरणाओं को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

पुनः, हाल ही में एम. पी. ए. एल. बनाम में विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सजा।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 479

बार, यह अधिकतम सजा, की यह दोहरी सजा

निष्कासन और कारावास, अभूतपूर्व है। दुनिया भर में हाल की प्रवृत्ति यह है कि सदन यथासंभव कम से कम विशेषाधिकार के मामलों को लेता है। न्यूनतम सजा या तो फटकार या चेतावनी है। इस मामले में भी, विशेषाधिकार समिति के बहुमत के फैसले ने पक्षपात या बदले की भावना दिखाई।

9. श्री ए. के. सेन अपने भाषण में इस बारे में अधिक चिंतित थे कि

श्रीमती गाँधी और अन्य लोगों के निष्कासन का आदेश देने से पहले समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि

आर:

" मुझे याद है कि जब चार्ल्स प्रथम को अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसे क्रॉमवेल की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, मुकदमे के अंत में, उनसे पूछा गया था कि क्या उनके पास बचाव के माध्यम से अनुरोध करने के लिए कुछ है। उनके द्वारा कहे गए प्रसिद्ध शब्द ये थे। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें शब्द दर शब्द दोहरा सकता हूं, लेकिन मैं सार को दोहराऊंगा। उन्होंने कहा, "मैं किसके बचाव की गुहार लगाऊं? मुझे केवल आरोप लगाने वाले ही मिलते हैं।

और कोई न्यायाधीश नहीं "। तो यह तब हुआ जब श्रीमती गाँधी इस प्रतिष्ठित समिति के सामने पेश हुईं। कुछ लोगों को छोड़कर जिनमें अपनी असहमति के नोट दर्ज करने का साहस था, बाकी लोगों के मन पहले ही तैयार हो चुके थे। यह संसद के बाहर, चुनाव से पहले और बाद में उनके द्वारा दिए गए बयानों से और जिस तरह से वे चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे थे, उससे बहुत स्पष्ट है। पूरा मामला "।

XXXX

XXXX

XXXX

" महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने शर्मा के मामले से शुरू हुए निर्णयों की एक श्रृंखला में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि विशेषाधिकार एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिए, यदि एक नागरिक किसी पाप के खिलाफ गवाह नहीं होने या प्रतिपरीक्षा में धमकाया नहीं जाने का अधिकार है, तो उस अधिकार को अपराध में नहीं लिया जा सकता है।

विशेषाधिकार का नाम। आप उसे दोषी ठहरा सकते हैं या आप उसे केवल सबूत से फैसला सुना सकते हैं, लेकिन उसके अपने हाथ से नहीं। हमारा कानून किसी व्यक्ति को मना करता है।

एक कप जहर पीने के लिए मजबूर होना। प्लूटोनिक प्रयोग को हमारे कानूनों के तहत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी अभियुक्त को नहीं कहा जा सकता है: ' आप जहर का प्याला लेते हैं और उसे निगल जाते हैं। ' उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। "(2007) आई. एस. सी. आर.

310. श्री जगन नाथ कौशल ने हरद्वारी लाल के मामले का भी उल्लेख किया

और फिर कहा:

" जब श्रीमती गाँधी का मामला संसद के समक्ष था, तो वह निर्णय
मैदान में था। लेकिन किसी ने भी इसे देखने की परवाह नहीं की। इसका कारण।

स्पष्ट है, और कारण उन दोस्तों द्वारा दिया गया है जिनके पास है

बोले जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे पास एक पूर्व-निर्धारित न्यायाधीश था
जो नहीं था

तर्क की किसी भी आवाज को सुनने के मूड में और मैं कहता हूं कि यह बहुत अच्छा
है।

दुखद दिन जब हमें पूर्व निर्धारित न्यायाधीशों से निपटना पड़ता है। मैं कर सकता
हूँ।

एक न्यायाधीश को समझें जो कानून को नहीं जानता है, लेकिन यह सिर्फ
अकल्पनीय है

कि एक न्यायाधीश को पूर्व के साथ न्याय के स्थान पर आना चाहिए

उसके सामने खड़े व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए दृढ़ संकल्पित मन

एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियुक्त की क्षमता में। यह निषेध है

न्याय की धारणाएँ। इसलिए उस समय जो हुआ वह यह था कि

न केवल श्रीमती गाँधी को कारावास की सजा दी गई, बल्कि उन्हें

उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया था।

311. 19 दिसंबर, 1978 को छठे लोक सभा द्वारा पारित प्रस्ताव

7 मई 1981 को 7 वीं लोकसभा द्वारा सभा को रद्द कर दिया गया था जिसने निम्नलिखित
प्रस्ताव को अपनाया था:

(क) समिति और सदन की उक्त कार्यवाही नहीं होगी।

संसदीय विशेषाधिकारों के कानून में एक मिसाल का गठन करता है;
(ख) समिति के निष्कर्ष और सदन के निर्णय इस प्रकार हैं -

के स्वीकृत सिद्धांतों के साथ असंगत और उल्लंघनकारी

संसदीय विशेषाधिकार का कानून और बुनियादी सुरक्षा उपायों का आश्वासन

संविधान में निहित सभी लोगों के लिए; और

(ग) श्रीमती। इंदिरा गांधी, श्री आर. के. धवन और श्री डी. सेन

उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से निर्दोष।

और तदनुसार यह सदन:
छठी लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त करता है

19 दिसंबर, 1978 "।

312. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि

7 मई 1981 को लोकसभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सदन के एक निर्वाचित सदस्य का निष्कासन करना इसके खिलाफ था

संसदीय नियम, पूर्ववर्ती और परंपराएं और राजा राम पाल बनाम के विश्वासघात का कार्य।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 481

निर्वाचक मंडल और क्रूर बहुसंख्यकवादी ताकतों द्वारा दुर्व्यवहार। इस संदर्भ में, विद्वान वकील यह इंगित करेंगे कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहस के दौरान, हरद्वारी लाल के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बहुमत के दृष्टिकोण का बार-बार उल्लेख किया गया था। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि लोकसभा ने स्वयं यह संकल्प लिया था कि श्रीमती गांधी के निष्कासन के मामले में विशेषाधिकार समिति और सदन की कार्यवाही संसदीय विशेषाधिकारों के कानून में एक मिसाल नहीं होगी। उनका तर्क है कि इस तरह के संकल्प के दांतों में, यह नहीं था

संसद के लिए अनुमति है कि उसने दिसंबर 2005 में याचिकाकर्ताओं को दोनों सदनों की सदस्यता से निष्कासित करने के लिए फिर से संकल्प लिया हो।

313. हमारे सुविचारित विचार में, संसद सदस्यों द्वारा मई 1981 में या उस मामले के लिए दिसंबर 1978 में, जैसा कि वास्तव में जून 1951 में व्यक्त की गई राय केवल विशेषाधिकारों के कानून के बारे में उनकी संबंधित समझ का प्रतिनिधित्व करती है। ये विचार संसद द्वारा इस विषय पर कानून नहीं हैं।

अनुच्छेद 105 (3) के दूसरे भाग के तहत अपनी सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग। 1951 में मुद्गल के निष्कासन के मामले को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में संसदीय प्रथा अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए निष्कासन की मंजूरी के पूरी तरह खिलाफ है।

314. इस सवाल पर कि निष्कासन की शक्ति मौजूद है या नहीं, विद्वान सदस्यों द्वारा संसद में अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं।

इन विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इस सवाल पर कि क्या निष्कासन की शक्ति मौजूद है, यह संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 105 (3) और अनुच्छेद 194 (3) की व्याख्या का विषय है, जिस पर अंतिम मध्यस्थ यह न्यायालय है न कि संसद।

न्यायिक समीक्षा-इंग्लैंड में व्यायाम कानून का तरीका

315. यह मानते हुए कि निष्कासन की शक्ति का दावा भारतीय विधायिका द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स से विरासत में मिले विशेषाधिकारों में से एक के रूप में किया जा सकता है

अनुच्छेद 105 (3) के माध्यम से, अगला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या हमारे न्यायशास्त्र के तहत न्यायालय के लिए इसके प्रयोग के तरीके की जांच करने का अधिकार है।

संसद द्वारा उक्त शक्ति, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा माँगी गई है।

316. भारत संघ के विद्वान वकील, वास्तव में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में, यह प्रस्तुत करने के लिए दुखी थे कि मामला विधायिका के अनन्य संज्ञान के भीतर आता है, घुसपैठ जहां अपनाई गई प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमेशा [2007] 1 एस. सी. आर.

इंग्लैंड में न्यायपालिका द्वारा लगातार टाल दिया गया है जहां से निष्कासन की शक्ति प्राप्त की गई है और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा भी स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

317. भारत संघ की ओर से प्रमुख तर्क और

न्यायालय की अधिकारिता को हटाने की याचिका पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि संक्षेप में, संसदीय विशेषाधिकार के प्रयोग की न्यायसंगतता के संबंध में स्थिति भारत में बिल्कुल वैसी ही है जैसी इंग्लैंड में मौजूद है। जैसा कि ब्रैडलॉफ वी. में देखा गया है। तथापि, इंग्लैंड में न्यायालयों ने अपनी कार्यवाहियों पर अनन्य संज्ञान के संसदीय विशेषाधिकार को मान्यता दी है, जिसके तहत न्यायालय किसी विशेषाधिकार के अस्तित्व की जांच करेंगे लेकिन इसके प्रयोग के तरीके में हस्तक्षेप करने से इनकार कर देंगे।

318. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि

उसके प्रावधान। यह प्रस्तुत किया गया है कि ब्रैडलॉफ सहित अंग्रेजी निर्णयों को भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और अप्रासंगिक क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में संसद की स्थिति भारतीय संसद से पूरी तरह से अलग है जो इसके तहत काम कर रही है

संविधान और शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित हैं, जो सर्वोच्च है न कि संसद।

319. अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की पृष्ठभूमि के खिलाफ

अवमानना के लिए दंडित करने के अपने विशेषाधिकार और शक्ति से उत्पन्न मामले में विधायिका की कार्रवाई की जांच करने के लिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में इस अदालत ने इंग्लैंड में अपने विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए हाउस ऑफ द कॉमन्स के संघर्ष के अशांत वर्षों के दौरान सामने आए मामलों की एक श्रृंखला में निर्धारित कानून पर ध्यान दिया। { शाफ्ट्सबरी के अर्ल (86 ई. आर. 792), एशबी बनाम। सफेद [(1703-04) 92 ई. आर. 129], आर. वी. पैटी [(1704) 92 ई. आर. 232], मर्रे का मामला (95 ई. आर. 629), ब्रास क्रॉस्बी का मामला (95 ई. आर. 1005), सर फ्रांसिस बर्डेट का मामला

(104 ई. आर. 501), स्टॉकडेल के मामले (1836-37), हावर्ड बनाम। सर विलियम गोसेट (116 ई. आर. 139) और ब्रैडलॉफ बनाम। गोसेट, [1884] एल. आर. 12 क्यू. बी. डी. 271।

320. भारत संघ के विद्वान वकील ने व्यापक रूप से उद्धृत किया

ब्रैडलॉफ में निर्णय, मुख्य रूप से इसके बाद उल्लिखित अंश।

321. लार्ड कोलि्रज सी. जे. ने पृष्ठ 275 पर इस प्रकार टिप्पणी की:

.....एक और प्रस्ताव समान रूप से सही है, समान रूप से अच्छी तरह से AM PAL v।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 483

स्थापित, हमारे सामने मामले का निर्णायक प्रतीत होता है। संसद की दीवारों के भीतर क्या कहा या किया जाता है, इसकी जांच नहीं की जा सकती है।

किसी अदालत में। इस बिंदु पर दो महान मामलों में सभी न्यायाधीश जो इस विषय पर सीखने को समाप्त कर देते हैं,-बर्डेट बनाम। एबट (14) पूर्व, 1,148) और स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड (9 एड। & ई. आई.);-सहमत हैं,

और जोरदार हैं। अपने स्वयं के सदनों की अधिकारिता

सदस्यों को अपनी दीवारों के भीतर अनुशासन लागू करने का अधिकार है

निरपेक्ष और अनन्य। लॉर्ड एलेनबरो के शब्दों का उपयोग करने के लिए,

" वे इसके बिना पूरी तरह से अवमानना और अक्षमता में डूब जाएंगे।

(14 पूर्व, p.152 पर।) "

2. जे. स्टीफन, पृष्ठ 278 पर, अपने विचार में स्पष्ट थे कि "

कॉमन्स में महामहिम की अदालतों के नियंत्रण के अधीन नहीं है

कानून के उस भाग का समावेश-कानून जिसका संबंध इसके साथ है

"और इस संदर्भ में निम्नलिखित को संदर्भित किया गया:

जांच की गई, चर्चा की गई और उस सदन में निर्णय लिया गया जिस पर यह संबंधित है, और कहीं और नहीं। " इस सिद्धांत को स्टॉकडेल बनाम के मामले में प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा ब्लैकस्टोन के शब्दों में लगभग फिर से कहा गया है। हंसार्ड। (9 विज्ञापन. & ई. 1.) "

जब, पृष्ठ 279 पर, स्टीफन जे. ने स्टॉकडेल से प्रचुर मात्रा में उद्धृत किया

" लॉर्ड डेनमैन कहते हैं (9 एडी। & ई. पी. 114) " किसी भी सभा की दीवारों के भीतर जो कुछ भी किया जाता है, उसे बिना किसी सवाल के पारित होना चाहिए। दूसरी जगह "। लिटलडेल, जे. कहते हैं (p.162 पर): " ऐसा कहा जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स अपने विशेषाधिकारों का एकमात्र न्यायाधीश है और इसलिए मैं स्वीकार करता हूं।

यह आवश्यक है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही पूरी तरह से स्वतंत्र और बेजोड़ होना चाहिए कि किसी भी सदन में जो कुछ भी कहा या किया जाता है वह कहीं और जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। और कोल्ड्रिज, जे. ने कहा (p.233 पर): " कि सदन को होना चाहिए

अपनी कार्यवाही के पाठ्यक्रम को विनियमित करने के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र

और इसके नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी आचरण के प्रति सचेत रहें [2007] 1 एस. सी. आर.

अपनी गरिमा का अपमान, सबसे स्पष्ट आधार पर खड़ा है

आवश्यकता "।

इसके अलावा, पृष्ठ 285 पर जे. स्टीफन ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" मैं यह नहीं कहता कि सदन का संकल्प का निर्णय है

एक न्यायालय जो हमारे पुनरीक्षण के अधीन नहीं है; लेकिन इसके साथ बहुत कुछ समान है इस तरह का निर्णय। हाउस ऑफ कॉमन्स न्याय का न्यायालय नहीं है;

लेकिन अपनी आंतरिक चिंताओं को विनियमित करने के लिए इसके विशेषाधिकार का प्रभाव

व्यावहारिक रूप से इसे एक न्यायिक चरित्र के साथ निवेश करता है जब इसे लागू करना होता है

विशेष मामलों में संसद के अधिनियमों के प्रावधान। हमें करना चाहिए।

मान लीजिए कि यह इस कार्य को ठीक से और नियत समय के साथ निर्वहन करता है उन कानूनों के संबंध में, जिनके निर्माण में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है।

यदि इसका निर्धारण कानून के अनुसार नहीं है, तो यह समान है

एक न्यायाधीश द्वारा त्रुटि का मामला जिसका निर्णय इसके अधीन नहीं है
अपील करें "।

(जोर दिया
गया)

325. उपरोक्त श्रृंखला में कानून के मूल्यांकन के आधार पर

मामलों में, इस न्यायालय ने पृष्ठ 482 पर निम्नलिखित शब्दों में विधायिका की अवमानना क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मामलों में न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्न पर इंग्लैंड के कानून में स्थिति का सारांश दिया:

" 108. इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों की जांच करने के बाद,

हम सोचते हैं कि यह मानना गलत नहीं होगा कि अधिकार

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अपने सामान्य वारंट नहीं होने का दावा किया गया

बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में जांच अधिक आधारित रही है
विचार है कि हाउस ऑफ कॉमन्स स्थिति में है

एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय का और अन्य वरिष्ठों की तरह अधिकार रखता है

प्रतिबद्धता के लिए एक सामान्य वारंट जारी करने के लिए रिकॉर्ड की अदालतें या

अवमानना के दोषी पाए गए व्यक्ति। जारी किए गए सामान्य वारंट की तरह

ऐसी अवमानना के संबंध में अभिलेख के वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा,
समान रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंट

स्थितियों का भी इसी तरह से इलाज किया जाना चाहिए। इस आधार पर कि

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जारी सामान्य वारंटों का इलाज किया गया

बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाहियों में न्यायालयों की जांच से परे।

इस संबंध में, हमें यह जोड़ना चाहिए कि पहचानते हुए भी

ऐसे सामान्य वारंटों की वैधता, न्यायाधीशों ने अक्सर

यह देखा गया कि यदि वे लौटने पर संतुष्ट थे कि ऐसा राजा राम पाल v।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 485

सामान्य वारंट तुच्छ या असाधारण कारणों से जारी किए गए थे,

यह उनकी वैधता की जांच करने के लिए उनके लिए खुला होगा।

(जोर दिया गया)

326. प्रीबल के मामले का उल्लेख पहले किया जा चुका है। टिप्पणियाँ

इस निर्णय के पूर्व भाग में प्रिवी काउंसिल (निर्णय के पृष्ठ 976 और 980 पर) को निकाला गया है। उन्हें भारत संघ के विद्वान वकील द्वारा वर्तमान उद्देश्यों के लिए भी संदर्भित किया गया है। कानून और व्यवहार का सिद्धांत कि अदालतें संसद के विधायी कार्यों के निष्पादन और इसके स्थापित विशेषाधिकारों के संरक्षण में संसद की दीवारों के भीतर जो कहा या किया जाता है, उसे किसी भी तरह की चुनौती देने की अनुमति नहीं देंगी, इस मामले में अन्य बातों के अलावा, बर्डेट, स्टॉकडेल के मामलों के आधार पर दोहराया गया था।

और ब्रैडलॉफ।

327. भारत संघ के लिए विद्वान वकील और अतिरिक्त विद्वान

महान्यायवादी, प्रस्तुत करें कि यूपी विधानसभा के मामले में, यह अदालत थी

मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अदालतों की शक्तियों से निपटना।

मौलिक नियमों के उल्लंघन के आधार पर राज्य विधानमंडल की अवमानना के लिए प्रतिबद्ध होने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा भारत का संविधान गैर-सदस्यों के अधिकार। विद्वान वकील ने निर्णय के पृष्ठ 481-482 पर की गई कुछ टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो नीचे दी गई हैं:

" श्री सीरवई का तर्क था कि हालांकि प्रस्ताव सामने आया संसदीय शपथ अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए,

अदालत ने ब्रैडलॉ को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उन्होंने सुझाव दिया

हमारे सामने वर्तमान विवाद। इस तर्क का स्पष्ट जवाब
यह है कि हम आंतरिक से संबंधित किसी भी मामले से नहीं निपट रहे हैं

अवमानना के लिए नागरिकों को दंडित करने की सदन की शक्ति से निपटना
कथित तौर पर उनके द्वारा चार दीवारों के बाहर किया गया था

सदन, और जो अनिवार्य रूप से विभिन्न विचारों को उठाता है।

(जोर दिया
गया)

328. विद्वान वकील का निवेदन यह है कि इसमें दृष्टिकोण

ब्रैडलॉफ ने कहा कि आंतरिक प्रबंधन के मामले इसके दायरे से बाहर थे

न्यायिक जांच का पालन किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, [2007] 1 एस. सी. आर.

इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण रहा है, जैसा कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम के मामलों से देखा जा सकता है। राज नारायण [1975 एस. सी. सी. 1] और पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम। राज्य (सी. बी. आई./एस. पी. ई.) [(1998) 4 एस. सी. सी. 626] दोनों निर्णय ब्रैडलॉफ में कानून को संदर्भित करते हैं, पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में भी स्टॉकडेल की मंजूरी के साथ उद्धृत किया गया है। इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में, अदालत ने ब्रैडलॉफ में कानून के पैरा 70 में निम्नलिखित शब्दों में ध्यान दिया:

" ..... यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को रोकने की कोई शक्ति
नहीं थी

की आंतरिक कार्यवाहियों के प्रशासन में न्यायालयों के
घर "।

329. भारत संघ के विद्वान वकील ने भी शक्ति की मांग की

पृष्ठ 468 पर निम्नलिखित अवलोकन दिखाई देता है:

56 ..... दूसरी ओर, अदालतों ने हमेशा, किसी भी तरह से

अंतिम उपाय, के सदन द्वारा आवेदन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

इसके किसी भी मान्यता प्राप्त विशेषाधिकार (मई का संसदीय अभ्यास, पीपी।

173-74) .....

330. हमारे विचार में, यूपी के मामले में इस अदालत की उपरोक्त टिप्पणी

विधानसभा, मई के संसदीय अभ्यास के अधिकार पर इंग्लैंड में कानून और व्यवहार की स्थिति की व्याख्या करते हुए, विशेषाधिकारों के विधायिका द्वारा प्रवर्तन को संदर्भित करती है जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता दी गई थी। द. इन मामलों में विचाराधीन प्रश्न पर अवलोकन की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि इंग्लैंड में अनन्य संज्ञान का कानून भारत में लागू नहीं होता है जो भारत के संविधान द्वारा शासित और बाध्य है।

मौलिक अधिकारों के संबंध में संसदीय विशेषाधिकार

331. भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा पर विचार करने से पहले, यह उचित है।

सबसे पहले इस पहलू की जांच करें। प्रक्रिया में अवैधता और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तर्कों के बावजूद, भारत संघ की ओर से यह दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार

अन्य संवैधानिक प्रावधानों, सामान्य रूप से, और विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के खिलाफ निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

332. इस संदर्भ में, राजा राम पाल बनाम से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल)। सी. जे.] 487

पंडित शर्मा के दो मामलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में भी निर्णय, जिसमें लाठी के गलत छोर का सामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

333. पंडित शर्मा (1) के मामले में, अदालत के समक्ष प्रचार किए गए दो प्रमुख बिंदुओं में से एक इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या

अनुच्छेद 194 (3) के तहत विधानसभा का विशेषाधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत याचिकाकर्ता (उस मामले में गैर-सदस्य) के मौलिक अधिकारों पर हावी है। याचिकाकर्ता की ओर से विभिन्न तर्कों के माध्यम से इस तर्क का समर्थन करने की मांग की गई थी, जिसमें यह भी कहा गया था कि हालांकि अनुच्छेद 194 के खंड (3) को "संविधान के प्रावधान के अधीन" नहीं बनाया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह इतना विषय नहीं था और अनुच्छेद 194 या अनुच्छेद 105 के कई खंडों को अलग-अलग प्रावधानों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इन्हें समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और सभी खंडों को संविधान के प्रावधानों के अधीन लिया जाना चाहिए, जिसमें अनुच्छेद 19 (1) (ए) शामिल होगा। यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 105 (1) की तरह अनुच्छेद 194 (1) वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के संक्षिप्तकरण के रूप में कार्य करता है।

इस प्रकार परिभाषित विशेषाधिकार और उन्मुक्ति मौलिक के प्रतिकूल थे नागरिकों के अधिकार, ऐसा कानून, अनुच्छेद 13 के तहत, इस तरह की घृणा की सीमा तक शून्य होगा और यह संविधान निर्माताओं का इरादा है और उसी खंड के उत्तरार्ध में एक अलग इरादे का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां और विशेषाधिकार

खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा प्रदत्त को भी मौलिक अधिकारों के अधीन माना जाना चाहिए।

334. हालाँकि, उपरोक्त प्रभाव के लिए याचिकाकर्ता की दलीलों को अदालत का समर्थन नहीं मिला। अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विषय वस्तु

अनुच्छेद 194 के चार खंडों में से प्रत्येक (जो कमोबेश [2007] 1 एस. सी. आर. के अनुरूप है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

488 अनुच्छेद 105) अलग था। जबकि खंड (1) को स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों के अधीन बनाया गया था, शेष खंडों को ऐसा विषय नहीं कहा गया था, जो दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा खंड (2) से (4) को संविधान के प्रावधानों के अधीन करने का नहीं था। यह निर्णय दिया गया कि खंड (1) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग थी और इसे किसी भी तरह से किसी भी कानून द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19 (2) द्वारा। इस प्रस्ताव से सहमत होते हुए कि अनुच्छेद 105 (3) के पूर्व भाग के अनुसरण में संसद द्वारा बनाया गया कानून घटक शक्ति के प्रयोग में बनाया गया कानून नहीं होगा, बल्कि सातवीं अनुसूची की प्रासंगिक प्रविष्टियों के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत सामान्य विधायी शक्तियों के प्रयोग में बनाया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप यदि ऐसा कानून किसी भी मौलिक अधिकार को छीन लेता है या कम करता है, तो यह अनुच्छेद 13 (2) के आकस्मिक प्रावधानों का उल्लंघन करेगा और इस हद तक अमान्य होगा।

इस तरह के उल्लंघन के लिए, यह देखा गया कि यह नहीं हुआ यह निष्कर्ष निकालना कि यदि उक्त अनुच्छेद के उत्तरार्ध भाग द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, विशेषाधिकार या उन्मुक्ति मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हैं तो वे भी तिरस्कार की सीमा तक शून्य होनी चाहिए। यह इंगित किया गया कि "इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अनुच्छेद 105 (3) और अनुच्छेद 194 (3) के प्रावधान संवैधानिक कानून हैं और संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए सामान्य कानून नहीं हैं और इसलिए, वे भाग III के प्रावधानों के रूप में सर्वोच्च हैं"। दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 13 (2) के प्रावधानों के अनुच्छेद 105 (3) और अनुच्छेद 194 (3) के पहले भागों के अनुसरण में बनाए गए कानून की स्वीकार्यता के संदर्भ में यह भी देखा गया था कि "शायद यही कारण हो सकता है कि हमारी संसद और राज्य विधानसभाओं ने शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति को परिभाषित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया है।

335. इस प्रकार प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, इस न्यायालय ने

एक ओर अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और दूसरी ओर अनुच्छेद 194 (3) के तहत विधानसभा की शक्तियों और विशेषाधिकारों के बीच संघर्ष इस प्रकार है:

" सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए और इसलिए

इसका अर्थ यह है कि Art.19 (1) (a) के प्रावधान, जो सामान्य हैं, कला के अनुरूप होने चाहिए। 194 (1) और इसके सी. एल. का अंतिम भाग। (3) जो विशेष हैं "

336. पंडित शर्मा ने भी अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा था कि

विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही ने उन्हें राजा राम पाल बनाम के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की धमकी दी।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ। हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि विधान सभा ने अनुच्छेद 208 के तहत प्रक्रिया के नियम बनाए थे और इसलिए, यदि याचिकाकर्ता को अंततः विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था, तो ऐसा वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगा और इसलिए, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत होगी।

नहीं किया जा सका। इसके बाद न्यायालय इस तर्क का परीक्षण करने के लिए मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ा कि विधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अनुच्छेद 208 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कार्य के संचालन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के नियमों को निर्धारित करने वाले स्थायी आदेशों के अनुसार नहीं थी।

337. यूपी विधानसभा मामले सहित पंडित शर्मा के बाद कानून के विकास को नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

338. उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए, इस अदालत को अनुच्छेद 194 के खंड (3) के दोनों हिस्सों की जांच करने का अवसर मिला। अनुच्छेद 194 (1) विधानमंडल में "बोलने की स्वतंत्रता" प्रदान करता है, हालांकि यह संविधान के प्रावधान और नियमों और कानूनों के अधीन है।

विचाराधीन सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले स्थायी आदेश। अनुच्छेद 194 (2) विधायिका के सदस्यों के पक्ष में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए दायित्व के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिरक्षा बनाता है।

या विधायी निकाय या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा दिया गया कोई मत।

खंड (3) का पहला भाग विधायिका को सदन, उसके सदस्यों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को "कानून द्वारा" परिभाषित करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 194 के पूर्ववर्ती दो खंडों के अंतर्गत आने वाली समितियों के अलावा अन्य समितियां।

339. अभिव्यक्ति के प्रभाव का अर्थ लगाते हुए "के अधीन

इस संविधान के प्रावधानों और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 194 के खंड (1) में उपयोग किया गया है, जिसे उक्त अनुच्छेद के शेष खंडों में हटा दिया गया है, पृष्ठ 443 पर इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अनुच्छेद 194 के सभी 4 खंड भाग III में निहित प्रावधानों के अधीन नहीं हैं। वास्तव में, खंड (2) को इतने व्यापक शब्दों में जोड़ा गया है कि

सी. एल. द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकार। (1) , यदि विधायक अपने भाषणों द्वारा [2007] 1 एस. सी. आर. द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग III, वे किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

फिर भी, यदि अन्य वैध विचारों के लिए, यह प्रतीत होता है कि

सी. एल की सामग्री। (3) कुछ की प्रयोज्यता को बाहर नहीं किया जा सकता है संविधान के प्रासंगिक प्रावधान, यह उचित नहीं होगा

यह सुझाव देने के लिए कि उन प्रावधानों को केवल इसलिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि

कहा गया खंड "दूसरे के अधीन" शब्दों के साथ नहीं खुलता है

संविधान के प्रावधान "। के प्रभाव से निपटने में

सीएल में निहित प्रावधान। (3) कला की। 194 , जहाँ भी ऐसा प्रतीत होता है

उक्त प्रावधानों और प्रावधानों के बीच टकराव है।

मौलिक अधिकारों के संबंध में एक प्रयास करना होगा

सौहार्दपूर्ण नियम को अपनाकर उक्त संघर्ष को हल करने के लिए

निर्माण "

(जोर दिया गया)

0. पंडित शर्मा (आई) में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराते हुए, यह देखा गया

452 निम्नानुसार:

..... यह सच है कि ऐसा कानून बनाने की शक्ति दी गई है

अनुच्छेद 194 (3) के पहले भाग द्वारा विधानमंडलों को प्रदान किया गया; लेकिन

जब राज्य विधानमंडल इस शक्ति का प्रयोग करने का इरादा रखते हैं, तो वे निस्संदेह सूची की प्रविष्टि 39 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत कार्य कर रहे हैं।

एक घटक शक्ति का, और इसलिए, इस तरह के कानून को माना जाना चाहिए अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर एक कानून के रूप में। यही वह दृष्टिकोण है जो

पंडित शर्मा के मामले में व्यक्त बहुमत निर्णय [(1959) सप. 1 एस. सी. आर. 806], और हम इसके साथ सम्मानजनक समझौते में हैं

वह दृश्य "।

1. उक्त निर्णय के पृष्ठ 497 में इसे फिर से दोहराया गया था।

उचित शब्द:

यही एक कारण है कि संविधान निर्माता

सोचा कि यह आवश्यक है कि विधानसभाओं को उचित समय पर होना चाहिए

उनकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं के संबंध में कानून बनाना, क्योंकि वे जानते थे कि जब ऐसे कानून बनाए जाएंगे, तो वे होंगे

मौलिक अधिकारों के अधीन और परीक्षण के लिए खुला होगा

भारत में अदालतों द्वारा। ऐसे कानूनों, शक्तियों के निर्माण तक, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति राजा राम पाल v के उत्तरार्ध भाग द्वारा प्रदान की गई थी।

माननीय वक्ता, लोक सभा सभरवाल, सी. जे.] 491

अनुच्छेद 194 (3)। जैसा कि हम पहले ही जोर दे चुके हैं, के निर्माण

अनुच्छेद का यह भाग इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, और

इस भाग को समझने में, हमें अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखना होगा

और संविधान के भौतिक प्रावधान "।

(जोर दिया गया)

342. यूपी विधानसभा के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि जनरल

पंडित शर्मा के मामले में भाग III द्वारा गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों की प्रासंगिकता और प्रयोज्यता का मुद्दा नहीं उठाया गया था। चूंकि केवल अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का अनुरोध किया गया था, इसलिए इस बड़े मुद्दे पर विचार करना आवश्यक नहीं था कि क्या अनुच्छेद 194 (3) का उत्तरार्द्ध भाग सामान्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंडित शर्मा (आई) के मामले में बहुमत की राय को ध्यान में रखते हुए, "यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त दृष्टिकोण ने सभी मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को इस स्पष्ट और सरल कारण से बाहर रखा कि अनुच्छेद 21 को लागू माना गया था और उनके मामलों में इसके कथित उल्लंघन के बारे में याचिकाकर्ता के तर्क के गुण-दोष की जांच की गई और खारिज कर दिया गया।" पी पर दिखाई देने वाली निम्नलिखित टिप्पणियाँ। 451 उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में निर्देशात्मक हैं और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

" इसलिए हमें नहीं लगता कि बहुमत को पढ़ना सही होगा।

एक सामान्य प्रस्ताव रखने के रूप में निर्णय कि जब भी वहाँ

अनुच्छेद के बाद के भाग के प्रावधानों के बीच एक संघर्ष है

194 (3) और गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रावधान

भाग III के अनुसार, उत्तरार्द्ध को हमेशा पूर्व के अधीन होना चाहिए। बहुमत इसलिए, इस अनुच्छेद को तय करने के लिए निर्णय लिया जाना चाहिए

19 (1) (क) लागू नहीं होगा, और अनुच्छेद 21 लागू होगा।

(जोर दिया गया)

343. न्यायालय ने अनुच्छेद 20 की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़े

अनुच्छेद 194 (3) के तहत शक्ति और विशेषाधिकार का प्रयोग और अनुच्छेद 32 के तहत निवारण के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने का नागरिक का अधिकार। इसमें

संदर्भ में, पैरा 125 (पृष्ठ 492-93 पर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था:

" ..... यदि अनुच्छेद 21 लागू होता है, तो अनुच्छेद 20 संभवतः लागू हो सकता है, और

सवाल उठ सकता है, अगर कोई नागरिक शिकायत करता है कि उसका मौलिक

अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का उल्लंघन किया गया था,

क्या वह अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का रुख कर सकता है या नहीं?

[2007] 1 एस.

सी. आर. के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 21 की प्रयोज्यता ही पर्याप्त होगी। अगर एक नागरिक इस न्यायालय में जाता है और शिकायत करता है कि उसके मौलिक अधिकार के तहत

अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया था, यह स्पष्ट रूप से कर्तव्य होगा

यह न्यायालय उक्त विवाद के गुणागुण की जांच करेगा, और कि

अनिवार्य रूप से यह सवाल उठाता है कि क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता

प्रक्रिया के अनुसार नागरिक को ले जाया गया है

कानून द्वारा स्थापित। वास्तव में इस प्रश्न पर विचार किया गया था

इस न्यायालय द्वारा पंडित शर्मा [1959] सप के मामले में। आई एससीआर

806. यह सच है कि जवाब विधायिका के पक्ष में दिया गया था:

लेकिन यह वर्तमान के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से महत्वहीन है। चर्चा करें। यदि किसी मामले में, नागरिक द्वारा लगाया गया आरोप है

कि उसे कानून के अनुसार अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया गया है,

लेकिन मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण कारणों से, इस न्यायालय को

उक्त विवाद की वैधता की जांच करें, और यह नहीं होगा

नागरिक एक सामान्य वारंट है और एक सामान्य वारंट को सभी को रोकना चाहिए।
आगे की न्यायिक जांच और जांच। हमारी राय में,

भारत को प्रदत्त मौलिक संवैधानिक अधिकार का प्रभाव

के बाद के भाग के निर्माण पर अनुच्छेद 32 द्वारा नागरिक

अनुच्छेद 194 (3) निर्णायक रूप से इस दृष्टिकोण के खिलाफ है कि एक शक्ति या

सदन द्वारा विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है, हालांकि यह हो सकता है

अनुच्छेद 21 के साथ असंगत। इस संबंध में, यह प्रासंगिक हो सकता है

यह याद रखने के लिए कि वे नियम जो सदन को विनियमित करने के लिए बनाने हैं

इसकी प्रक्रिया और इसके व्यवसाय का संचालन विषय होना चाहिए।

अनुच्छेद 208 (1) के तहत संविधान के प्रावधानों के लिए।"

(जोर दिया गया)

14. ऐसे मामलों में कार्य विधायिकाओं की पूर्ण प्रतिरक्षा के प्रस्ताव के खोखलेपन को निम्नलिखित में स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है:

" ..... यह वास्तव में अजीब होगा कि न्यायपालिका को हमारी विधानसभाओं के विधायी अधिनियमों की वैधता पर विचार करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए, लेकिन नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधानसभाओं की कार्रवाई की वैधता की जांच करने से रोका जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 493

345. उपरोक्त टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि यह अवलोकन सीमित संदर्भ में अनुच्छेद 21 के लिए प्रासंगिक हो सकता है लेकिन सभी मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह भारत संघ और विद्वानों के विद्वान वकील का तर्क है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मामला सदन की अवमानना के संबंध में उसके द्वारा जारी सामान्य वारंट का दावा करने के विधान सभा के अधिकार की विशिष्टता पर विचार करने तक सीमित था, जो कथित रूप से एक नागरिक द्वारा किया गया था, जो सदन की चार दीवारों के बाहर सदन का सदस्य नहीं था और उक्त नागरिक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। विद्वान वकील यह इंगित करेगा कि बहुमत का निर्णय इसकी स्थापना के दौरान

निष्कर्ष ने अपने जवाब से पहले इस अवलोकन के साथ सामना किया कि "जवाब अवमानना के संबंध में मामलों तक सीमित है जो कथित रूप से एक नागरिक द्वारा किया गया है जो विधायी कक्ष की चार दीवारों के बाहर सदन का सदस्य नहीं है"। विद्वान वकील का निवेदन यह है कि

उक्त मामले में न्यायालय ने जानबूझकर विधानमंडल के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उल्लंघन के संदर्भ को छोड़ दिया था, सिवाय उन विशेषाधिकारों के जिनके साथ वह उक्त मामले में संबंधित था और इसलिए, इस संबंध में लिए गए विचारों को हटा दिया था।

अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 की प्रयोज्यता को कानून द्वारा तय नहीं किया जा सका।

346. भारत संघ के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपनी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए सदन के विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए

किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति सहित, इसमें अनुच्छेद 14 शामिल नहीं है या

अनुच्छेद 19. उन्होंने न्यू में कनाडा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया।

ब्रंसविक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बनाम नोवा स्कोटिया स्पीकर, [1993] 1 एससीआर 391, विशेष रूप से, निम्नलिखित प्रभाव के लिए टिप्पणियाँ (पृष्ठ 373):

संविधान: विधेयक 30 का संदर्भ, संशोधन के लिए एक अधिनियम
शिक्षा अधिनियम (ओंटारियो), [1987] 1 एस. सी. आर. 1148। इसलिए अगर निष्कासित करने का विशेषाधिकार है

विधान सभा के अजनबी संवैधानिक हैं, इसे चार्टर द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है, भले ही चार्टर अन्यथा निर्णय लेने वाले निकाय पर लागू हो। यह महत्वपूर्ण सवाल उठाता है: अजनबियों को बाहर करने का विधान सभा का विशेषाधिकार है

इसका सदन एक संवैधानिक शक्ति है?

347. उन्होंने [2007] 1 एस. सी. आर. में कनाडा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया।

494

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हार्वे बनाम का मामला। न्यू ब्रंसविक, [1996] 2 एस. सी. आर. 876 और विशेष रूप से पृष्ठ 159 और 162 पर टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

" इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतों की इसमें कोई भूमिका नहीं है

बहस जो वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों पर संघर्ष का आरोप लगाया जाता है

संसदीय विशेषाधिकार के साथ। ब्रिटिश प्रणाली के तहत

संसदीय सर्वोच्चता, अदालतें यकीनन इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती हैं

संसदीय विशेषाधिकार के प्रयोग की निगरानी करना। कनाडा में, यह चार्टर के मूल्यों के उच्चारण द्वारा परिवर्तित किया गया है जो हो सकता है

विशेष मामलों में इस तरह के विशेषाधिकार के प्रयोग के साथ टकराव होता है। को।

विशेषाधिकार की आड़ में किए गए दुर्व्यवहारों को ठट्ठा करने से रोकें

वैध चार्टर हितों, अदालतों को जांच करनी चाहिए

संसदीय विशेषाधिकार के दावे की वैधता। इस न्यायालय के रूप में

न्यू ब्रंसविक ब्रॉडकास्टिंग में स्पष्ट किया गया है, अदालतें ठीक से कर सकती हैं

सवाल यह है कि क्या कोई दावा किया गया विशेषाधिकार मौजूद है। यह प्रदर्शन भूमिका

इसका अर्थ है कि जहां यह आरोप लगाया गया है कि किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया है या

यह अधिनियम संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में आता है। अगर अदालत यह निष्कर्ष निकालता है कि यह करता है, आगे कोई समीक्षा झूठ नहीं है।

XXXX

XXXX

XXXX

" अधिकारी स्थापित करते हैं कि विधायिका से निष्कासन

ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में, एर्स्किन मे, ऊपर, लिखा है कि, "कॉमन्स द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग अधिक निर्विवाद है।

एक सदस्य को सदन से निष्कासित करने की तुलना में, एक सजा के रूप में गंभीर अपराधों के लिए "(पृ. 58)। कनाडा में, जे. जी. बोरिनॉट,

कनाडा के डोमिनियन में संसदीय प्रक्रिया और अभ्यास

(2 एन डी एड। 1892), पीपी में। 193-94 , उसी नियम की पुष्टि की। "

(जोर दिया गया)

348. हम ध्यान दे सकते हैं कि कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ

हाउस ऑफ कॉमन्स v. वैद, [2005] 1 एस. सी. आर. 667, दर्शाता है कि कनाडा में भी, दृष्टिकोण बदल रहा है। वैद में, यह देखा गया है कि "वर्षों से, संसदीय विशेषाधिकार का दावा अपने दायरे और विषय-वस्तु में भिन्न रहा है"। इसके अलावा, अदालत टिप्पणी करती है कि हाल ही में कनाडा में अध्यक्ष ने कहा, "मेरे विचार में, संसदीय विशेषाधिकार राजा राम पाल बनाम से बहुत आगे नहीं जाता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 495

हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वतंत्र भाषण का अधिकार और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक सदस्य का अधिकार "(पृष्ठ 682)। जो भी हो, हमारी सुविचारित राय में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का अर्थ उस अधिकार

क्षेत्र में प्रचलित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के आलोक में लगाया जाना चाहिए और इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है

यद्यपि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में यह पहले ही तय किया जा चुका है कि विधायिका द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन के तरीके के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 20 या 21 के स्पर्श पर न्यायिक जांच हो सकती है।

अन्य संवैधानिक प्रावधान में निहित प्रतिबंधों के अधीन, उदाहरण के लिए राज्य की विधान सभा के मामले में अनुच्छेद 212 (1) (संसद के मामले में अनुच्छेद 122 के अनुरूप)।

349. हम भारत संघ के विद्वान वकील के तर्क को इस सरल कारण से स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह न्यायालय जानबूझकर क्या कर रहा है।

यू. पी. विधानसभा के मामले में ऐसा करना हटा दिया गया था जो अवमानना के अधिकार क्षेत्र के अलावा अन्य शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं पर विचार करना था।

विधायिका। शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग के तरीके के संदर्भ में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की प्रयोज्यता के बारे में व्यक्त किए गए विचार विधान सभा के सदस्य सामान्य महत्व के होते हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे न केवल एक गैर-सदस्य के खिलाफ अच्छा मानेंगे जैसा कि उस संदर्भ में मामला था, बल्कि विधानमंडल के एक सदस्य के खिलाफ भी जो इस देश का नागरिक भी है और समान मौलिक अधिकारों के संरक्षण का हकदार है, विशेष रूप से जब विवादित कार्रवाई में नागरिक अधिकार शामिल हैं।

परिणाम।

मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ निर्णय लेना सही नहीं है। पंडित शर्मा के मामले में बिहार विधान सभा द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार के प्रयोग का तरीका था "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के खिलाफ परीक्षण किया गया और इस प्रकार अनुच्छेद 21 की कसौटी पर। यह एक अलग मामला है कि अनुच्छेद 21 की आवश्यकताएँ, जैसा कि उस समय इसके प्रतिबंधात्मक अर्थ में समझा गया था, संतुष्ट पाई गईं। द.

विधायिका की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया था। इस दृश्य का पालन किया गया था उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में जिसने अनुच्छेद 20 की प्रवर्तनीयता को मैदान में जोड़ा।

351. जब पंडित शर्मा और यूपी विधानसभा के मामले थे

निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 21 का अर्थ सीमित अर्थों में किया गया था, मुख्य रूप से ए. के. गोपालन बनाम में निर्धारित कानून के बल पर। मद्रास राज्य, [1950] एस. सी. आर. 88, जिसमें इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद के संचालन और मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर इसके प्रभाव को स्वतंत्र रूप से मापा जाना आवश्यक है। जब एक संविधान पीठ (11 न्यायाधीश) ने रुस्तम कावासजी कूपर बनाम मामले में कानून में पूर्ण परिवर्तन किया। भारत संघ, [1970] 1 एस. सी. सी. 248 ने माना कि सभी

संविधान के प्रावधानों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रभाव और संचालन के रूप में संयुक्त रूप से पढ़ने की आवश्यकता है जब राज्य की कार्रवाई व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस विषय पर न्यायशास्त्र का सारांश इस न्यायालय द्वारा अशोक कुमार गुप्ता बनाम मामले के फैसले के पैरा 27 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य, [1997] 5 एस. सी. सी. 201, निम्नलिखित शब्दों में:

बहुमत से, संविधान पीठ ने माना था कि
संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद और इसके संरक्षण पर इसका प्रभाव

मौलिक अधिकारों को स्वतंत्र रूप से मापा जाना आवश्यक है और

सभी सुसंगत प्रावधानों पर संयुक्त रूप से विचार नहीं करना। द.

रुस्तम में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने उपरोक्त अनुपात को खारिज कर दिया था। कैवासजी कूपर बनाम। भारत संघ, [1970] 1 एस. सी. सी. 248। यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया था कि संविधान के सभी प्रावधान संयुक्त रूप से

नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रभाव और संचालन पर पढ़ें

जब राज्य की कार्रवाई व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करती है। डीटीसी में।

मामला [1991 सप (1) एस. सी. सी. 600] (पीपी पर एस. सी. सी.। 750-51 , पैरा 297 और 298)

यह माना गया था कि:

" यह अच्छी तरह से स्थापित संवैधानिक कानून है जिसमें अलग-अलग अनुच्छेद हैं।

मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय

संविधान के भाग IV को एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और
विषय के साथ संभावित अतिव्यापी के साथ अवास्तविक संपूर्ण

इसके विभिन्न प्रावधानों द्वारा क्या संरक्षित किया जाना है

विशेष रूप से मौलिक अधिकार।

संरक्षण की प्रकृति और सामग्री

मौलिक अधिकारों को संचालन द्वारा नहीं मापा जाता है

व्यक्ति के अधिकारों पर राज्य की कार्रवाई लेकिन इसके द्वारा

वस्तुएँ। राज्य की कार्रवाई की वैधता का निर्णय एल वी में किया जाना चाहिए।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 497

व्यक्तियों के अधिकारों पर इसके संचालन का प्रकाश

या अपने सभी आयामों में व्यक्तियों के समूह। ऐसा नहीं है कि अधिकार को बाधित करने वाला कानून बनाने वाले प्राधिकरण का उद्देश्य

नागरिक और न ही की गई कार्रवाई का रूप जो निर्धारित करता है वह संरक्षण का दावा कर सकता है; यह कानून का प्रभाव है और

अधिकार पर कार्रवाई जो अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करती है।

राहत देने के लिए अदालत। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ,

मेनका गांधी मामला [1978 1 एस. सी. सी. 248] यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मौलिक अधिकारों के अध्याय में विभिन्न अनुच्छेद

संविधान को एक अभिन्न समग्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें संभव हो विषय का अतिव्यापी होना-इस बात का विषय कि क्या होने की कोशिश की जाती है

विशेष रूप से लेखों द्वारा इसके विभिन्न प्रावधानों द्वारा संरक्षित

भाग III में निहित मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान पूरी तरह से अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है

अधिकार जो कई बिंदुओं पर नहीं मिलते हैं। वे सभी भाग हैं।

संविधान में एक एकीकृत योजना। उनका पानी

निर्बाध के उस भव्य प्रवाह का गठन करने के लिए मिश्रण करना चाहिए और निष्पक्ष न्याय; सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और समानता का

या व्यक्तियों या समूहों के बीच अनुचित भेदभाव या कक्षाएँ। भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार

विधायी कार्रवाई जब ये कार्रवाई न्यायिक के अधीन होती हैं जाँच करें। मौलिक अधिकार विकास के लिए आवश्यक साधन हैं।

अपने स्वयं के व्यक्तित्व और अपने स्वयं के जीवन को बनाने के लिए

जिस तरह से सबसे अच्छा लगता है, वह उचित प्रतिबंधों के अधीन है

समाज के सर्वोपरि हित में और न्याय के लिए थोपा गया,

निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया। प्रतिबंध का प्रभाव या

अधिकार से वंचित करना और अधिकार से वंचित करने के लिए अपनाए गए रूप का नहीं

यह निर्णायक परीक्षा है "।

(जोर दिया गया)

के तरीके के संबंध में अनुच्छेद 21 की प्रवर्तनीयतासंसदीय विशेषाधिकार, जैसा कि पंडित के मामलों में पुष्टि की गई थी

यूपी विधानसभा को विस्तारित [2007] 1 एस. सी. आर. के आलोक में समझना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

498

उपरोक्त रूप में व्याख्या किए गए उक्त मौलिक अधिकार का दायरा।

353. यह याद रखना चाहिए कि शक्तियों की प्रचुरता

लिखित संविधान के तहत संसद विधायी के अधीन है।

मौलिक अधिकारों की क्षमता और प्रतिबंध और यदि किसी सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संसदीय विशेषाधिकार के निष्पादन में समर्पण के कारावास से खतरा होता है, तो अनुच्छेद 21 को आकर्षित किया जाएगा।

354. यदि ऐसा था, तो हम किसी भी कारण को समझने में असमर्थ हैं कि जनरल क्यों

इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों में मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि सदस्य, या वास्तव में एक गैर-सदस्य, अनुच्छेद 21 के संरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए, या उस मामले के लिए अनुच्छेद 20, यदि संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग प्रतिबद्धता के अलावा किसी अन्य मंजूरी पर विचार करता है।

न्यायिक समीक्षा-अनुच्छेद 122 का प्रभाव

355. यह भारत संघ के विद्वान वकील का तर्क है कि

यह निर्णय करना विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि किस अवसर पर और किस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाना है, विशेष रूप से क्योंकि संविधान उसे अपने नियमों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की स्वतंत्रता देता है।

प्रक्रिया और उसके व्यवसाय का संचालन। वह यह तर्क देने के लिए अनुच्छेद 122 (1) का उल्लेख करेंगे कि संसद में कार्यवाही की वैधता एक ऐसा मामला है जो स्पष्ट रूप से न्यायपालिका की नजरों या जांच से परे है। यह हुआ है

भारत संघ की ओर से यह तर्क कि अनुच्छेद 105 के तहत अपने विशेषाधिकारों के संबंध में संसद के अनन्य संज्ञान का सिद्धांत न्यायालय की अधिकारिता पर एक बाधा का गठन करता है जो भाग III में निहित प्रावधानों सहित संविधान के अन्य प्रावधानों के समान महत्व का है और इसलिए, विशेषाधिकार के प्रवर्तन के तरीके को अनुच्छेद 122 में निहित निषेध को देखते हुए ऐसे अन्य संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता है।

356. अधिकारिता का मुद्दा इसकी प्रमुख चिंताओं में से एक था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में अदालत, जिसके आवरण में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने केशव को प्रतिबद्ध करने के अपने अधिकार पर जोर दिया था सिंह ने अवमानना के लिए और बाद में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका के मनोरंजन के खिलाफ नाराजगी जताई थी। उस मामले में मुख्य विवाद स्पष्ट रूप से इस सवाल में निहित था कि क्या

अवमानना के मुद्दे पर विधायिका "एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश" थी और राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 499 उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट को स्वीकार करने के लिए दावा की गई अधिकारिता के विरुद्ध, अवमानक के खिलाफ दी जाने वाली सजा का

अभियुक्त अवमानक के निरोध की वैधता को चुनौती देना।

357. पंडित शर्मा (द्वितीय) के मामले में, प्रश्नों से निपटने के दौरान

विधानमंडल के सदन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की नियमितता के बारे में उठाए जाने पर, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ पृष्ठ 105 पर कहा:

" ..... किसी राज्य के विधानमंडल के भीतर कार्यवाही की वैधता

इस आरोप पर प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है कि प्रक्रिया

कानून द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। अनुच्छेद 212

संविधान का इस भाग का पूर्ण उत्तर है

याचिकाकर्ता की ओर से विवाद उठाया गया। कोई अदालत नहीं जा सकती

वे प्रश्न जो विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं
स्वयं विधानमंडल, जिसके पास अपना संचालन करने की शक्ति है

व्यापार "।

(जोर दिया गया)

संसदीय मामलों की न्यायिक समीक्षा की सीमा का सवाल है

अनुच्छेद 122 (1) में निहित प्रावधान के संदर्भ में हल किया जाना

जो पंडित शर्मा (द्वितीय) में निर्दिष्ट अनुच्छेद 212 से मेल खाता है। एक मैदान पर

अनुच्छेद 122 (1) में किसी भी कार्यवाही की वैधता को प्रतिबंधित किया गया है। संसद को केवल जमीन पर अदालत में "प्रश्न में बुलाया" जाने से

"प्रक्रिया की अनियमितता"। दूसरे शब्दों में, प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ

अदालत द्वारा चार के भीतर जो होता है उसे पूर्ववत या दूषित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

विधायिका की दीवारें। लेकिन फिर, 'प्रक्रियात्मक अनियमितता' पूरी तरह से स्पष्ट है

'मूल अवैधता' के विपरीत जो इसमें शामिल नहीं पाया जा सकता है पूर्व में। हमारा विचार है कि इस विशिष्ट प्रावधान के साथ

न्यायिक अंग की भूमिका और कार्यवाहियों की जांच के संबंध में संसद ऐसी भाषा का उपयोग करती है जो न तो अस्पष्ट है और न ही अस्पष्ट है और,

इसलिए, इस विषय पर संवैधानिक जनादेश के रूप में माना जाना चाहिए,

कहीं और उत्तर के लिए अनावश्यक खोज करना या का आह्वान करना

सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत।

359. अनुच्छेद 122 अनुच्छेद 101 के मसौदे से मेल खाता है जिस पर संविधान सभा ने 23 मई 1949 को विचार किया था। हालांकि सीमांत नोट

श्री एच. वी. कामत [2007] 1 एस. सी. आर. के अनुच्छेद "संसद की कार्यवाहियों की जांच न करने के लिए न्यायालय" स्पष्ट रूप से उसमें निहित प्रावधान के महत्व को इंगित करता है।

500

एक संशोधन प्रस्तुत किया गया कि खंड I में "प्रश्न में बुलाए गए" शब्दों के बाद "किसी भी अदालत में" शब्द जोड़े जाएं। इसके बाद हुई बहस का जवाब देते हुए, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने हस्तक्षेप किया और निम्नानुसार स्पष्ट किया:

" माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर महोदय,

श्री कामथ का संशोधन, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है, क्योंकि

संसद की कार्यवाही पर कानूनी रूप से कहाँ सवाल उठाया जा सकता है?

अदालत को छोड़कर? इसलिए एकमात्र स्थान जहाँ

संसद की कार्यवाही पर कानूनी तरीके से सवाल उठाए जा सकते हैं।

अंत में प्राप्त कानूनी मंजूरी अदालत है। इसलिए यह
श्री कामत जो शब्द चाहते हैं, उनका उल्लेख करना अनावश्यक है।

संशोधन।

इस कारण से मैंने समझाया है, एकमात्र मंच जहां

कार्यवाही पर कानूनी तरीके से सवाल उठाया जा सकता है और कानूनी राहत दी जा सकती है।

या तो राष्ट्रपति या अध्यक्ष या किसी के विरुद्ध प्राप्त किया गया

अधिकारी या सदस्य, न्यायालय होने के नाते, यह निर्दिष्ट करना अनावश्यक है कि

फोरम। श्री कामत देखेंगे कि सीमांत नोट इसे स्पष्ट करता है।

(जोर दिया गया)

360. उपरोक्त वास्तव में एक स्पष्ट स्पष्टीकरण था कि अनुच्छेद 122

संसदीय कार्यवाहियों की वैधता पर न्यायालयों द्वारा नियंत्रण पर विचार करता है। इस प्रकार जिस प्रावधान को रोकने का इरादा था, वह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर आंतरिक संसदीय कार्यवाही में हस्तक्षेप के मामले थे।

361. कि अंग्रेजी मामले अनन्य के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं

संसद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत, भारत में शासन प्रणाली संविधान की सर्वोच्चता के मानदंड पर आधारित है जो है - संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक। उन निकायों के बीच सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण के वितरण पर स्थापित एक लिखित संघीय संविधान के बीच अंतर का उल्लेख करते हुए जो एक तरफ एक दूसरे के साथ समन्वय और स्वतंत्र हैं और इंग्लैंड में एक संप्रभु संसद द्वारा नियंत्रित शासन प्रणाली है।

जिसे कोई भी कानून बनाने या बनाने का अधिकार है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में इस न्यायालय ने पैरा 39 और 40 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

ए. एम. पाल वी. माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 501

" 39. हमारी विधानसभाओं के पास निस्संदेह पूर्ण शक्तियाँ हैं, लेकिन ये

शक्तियों को लिखित की बुनियादी अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है

संविधान स्वयं और विधायी के भीतर प्रयोग किया जा सकता है

तीन सूचियों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र को आवंटित क्षेत्र

सातवीं अनुसूची; लेकिन सूचियों से परे, विधानसभाएँ यात्रा नहीं कर सकती हैं। वे निस्संदेह अपने पूर्ण विधायी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर अपने विधायी कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं; लेकिन शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। इसके अलावा, संसद सहित हमारी विधानसभाओं की विधायी सर्वोच्चता

आम तौर पर भाग III में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है

संविधान। यदि विधायिकाएं विधायिका से परे कदम उठाती हैं

उन्हें सौंपे गए क्षेत्र, या उनके संबंधित क्षेत्रों के भीतर कार्य करते हुए, वे एक तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं

उक्त से संबंधित प्रासंगिक लेखों द्वारा उचित नहीं ठहराया गया है

मौलिक अधिकार, उनके विधायी कार्य उत्तरदायी हैं

भारत में अदालतों द्वारा निरस्त। इसलिए, यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारी विधानसभाओं के पास पूर्ण शक्तियां हैं, वे

सामग्री और प्रासंगिक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना

संविधान के प्रावधान। 40. लिखित संविधान द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में, यह संविधान है जो सर्वोच्च और संप्रभु है। यह नहीं है।

संदेह सही है कि संविधान को स्वयं द्वारा संशोधित किया जा सकता है

संसद, लेकिन यह संभव है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 368

संविधान स्वयं इस संबंध में एक प्रावधान करता है, और संविधान का संशोधन केवल वैध रूप से किया जा सकता है

उक्त लेख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना। इससे पता चलता है कि जब संसद संविधान में संशोधन करने का इरादा रखती है, तब भी इसे स्वयं संविधान के प्रासंगिक अधिदेश का पालन करना होगा। विधायक, मंत्री और न्यायाधीश सभी निष्ठा की शपथ लेते हैं

संविधान के लिए, क्योंकि यह संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा है कि वे अपना अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं और यह

संविधान के प्रावधानों के प्रति उनकी निष्ठा है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इंग्लैंड में संसद द्वारा जिस संप्रभुता का दावा किया जा सकता है, उस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है। शाब्दिक पूर्ण अर्थों में भारत में विधायिका "।

(जोर दिया गया)

362. भारत संघ और के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हमसे अनुरोध करते हैं कि जहां तक संसदीय कार्यवाही का संबंध है, अनुच्छेद 122 (1) के प्रावधानों में एक अंतिमता खंड पढ़ें। अंतिमता खंडों और उनकी शक्ति पर उनके प्रभाव के विषय पर

न्यायिक समीक्षा, कई मामले संदर्भित किए गए हैं जिन पर इस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है।

363. न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति का मामला v. संघ

भारत सरकार, [1991] 4 एस. सी. सी. 699, संविधान के अनुच्छेद 121 और 124 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की व्याख्या से संबंधित है। इनमें से एक

उस मामले में उठाए गए विवाद इस मुद्दे से संबंधित थे कि क्या यह प्रश्न कि क्या कोई प्रस्ताव समाप्त हो गया था या नहीं, संसद के उस सदन के संचालन से संबंधित मामला था जिसके एकमात्र और अनन्य स्वामी के रूप में सदन को लिया गया था। यह तर्क दिया गया था कि मामले का कोई भी पहलू न्यायालय के समक्ष न्यायोचित नहीं था क्योंकि संसद के सदनों को अपनी कार्यवाही की वैधता के लिए अनन्य मध्यस्थ होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में, ब्रैडलॉफ में निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी, जो, यह नोट किया गया था, एक अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न होता है जहां

संसदीय नियंत्रण एक क़ानून द्वारा कवर किया गया था। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में बहुमत का विचार व्यक्त किया गया था:

एक लिखित संविधान जो मौलिक और
जो एक "उच्च कानून" को समझता है और उस पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है

विधायिका और राज्य के अन्य अंग अनुदान प्राप्तकर्ताओं के रूप में
संविधान, संसदीय संप्रभुता की सामान्य घटनाएं होती हैं।

प्राप्त नहीं करते हैं और अवधारणा 'सीमित सरकार' में से एक है। न्यायिक

समीक्षा, वास्तव में, एक घटना है और इस अवधारणा से प्रवाहित होती है

मौलिक और उच्च कानून सीमाओं की कसौटी है

राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ जो प्राप्त होती हैं

शक्तियाँ असीमित हैं और न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति
नहीं है कानून।

63. लेकिन यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधान की व्याख्या करे

जिसका अर्थ है कि यह न्यायालय अंतिम मध्यस्थ है।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल। सी. जे.] 503

65. ब्रैडलॉफ बनाम में नियम। गोसेट, [1884] 12 क्यू. बी. डी. 271: 50 एल. टी. 620 को औपनिवेशिक विधानमंडल की कार्यवाही पर लागू नहीं माना गया था लिखित संविधानों द्वारा शासित बार्टन बनाम। टेलर [(1886) 11 एसी 197: 2 टी. एल. आर. 382] और रिडिफ्यूजन (हांगकांग) लिमिटेड बनाम। हांगकांग के महान्यायवादी, [1970] एसी 1136: [1970] 2 डब्ल्यूएलआर 1264।

66. ब्रैडलॉफ के सिद्धांत, [1884] 12 क्यू. बी. डी. 271: 50 एलटी 620] है

कि एक वैधानिक अधिकार भी यदि यह उस क्षेत्र से संबंधित है जहाँ संसद की अपनी चिंता का विषय होगा, न कि अदालतों के पास अनन्य अधिकार क्षेत्र। लेकिन उस सिद्धांत का विस्तार नहीं किया जा सकता है जहां मामला केवल प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि संसदीय प्रक्रिया से परे के मामलों से संबंधित मूल कानून का है।

प्रक्रिया। प्रक्रिया के मामलों में भी संवैधानिक

प्रावधान बाध्यकारी हैं क्योंकि कानून लागू करने योग्य हैं। संविधान की व्याख्या और इस बारे में कि न्यायालय कौन से कानून हैं। यह कहना संवैधानिक कर्तव्य है कि कानून क्या है। यह प्रश्न कि क्या प्रस्ताव समाप्त हो गया है, संविधान के प्रावधानों और प्रासंगिक कानूनों के आधार पर सुनाया जाना है। वास्तव में, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि यह प्रश्न कि क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं और कानूनों की व्याख्या के रूप में, ऐसा प्रस्ताव समाप्त हो जाता है या नहीं, विशेष रूप से अदालतों के लिए है।

तय करने के लिए "।

मूल कानून के रूप में। वे कार्यवाहियाँ जो इसके कारण दूषित हो सकती हैं - पीड़ित लोगों के विपरीत मूल अवैधता या असंवैधानिकता

इस प्रकार केवल अनियमितता से न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 122 (1) द्वारा ब्रैडलॉ में निर्धारित व्यापक सिद्धांत के रूप में

इंग्लैंड में विधानमंडल के विशेष संज्ञान को स्वीकार करने के लिए कोई नहीं है

हमारे संविधान द्वारा प्रदान की गई शासन प्रणाली में अनुप्रयोग

जिसमें कोई भी अंग संप्रभु नहीं है और प्रत्येक अंग संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है। जाँच और नियंत्रण, किस योजना में, इस न्यायालय को संविधान का संरक्षक और गारंटर होने का कर्तव्य सौंपा गया है।

365. अनुच्छेद 217 (3) भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और घोषित करता है कि उक्त

राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। इस अंतिमता खंड [2007] 1 एस. सी. आर. की व्याख्या करते हुए।

राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, यह न्यायालय भारत संघ के मामले में v. ज्योति प्रकाश मित्तर, [1971] 1 एस. सी. सी. 396 को पैरा 32 में निम्नानुसार देखा गया है:

" अनुच्छेद 217 (3) के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रपति न्यायिक कार्य करते हैं। हमारे संविधान की योजना के तहत गंभीर महत्व का कार्य।

वह अपने मंत्रियों की सलाह पर काम नहीं कर सकते। इसके बावजूद

राष्ट्रपति के आदेश की अंतिमता घोषित करते हुए न्यायालय ने

आदेश को दरकिनार करने के लिए उपयुक्त मामलों में अधिकार क्षेत्र, यदि ऐसा प्रतीत होता है

कि यह संपार्श्विक विचारों या नियमों पर पारित किया गया था

प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया गया, या कि राष्ट्रपति का निर्णय

कार्यपालिका द्वारा दी गई सलाह या प्रतिनिधित्व द्वारा रंगीन किया गया था या यह बिना किसी सबूत के आधारित था।

366. अनुच्छेद 311 व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन आदि से संबंधित है।

संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत। अनुच्छेद 311 (2) का दूसरा परंतुक राष्ट्रपति या राज्यपाल को, जैसा भी मामला हो, आम तौर पर आयोजित की जाने वाली जांच को समाप्त करने का अधिकार देता है।

इस बात से संतोष है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है। अनुच्छेद 311 (3) इस तरह के निर्णय को निम्नलिखित तरीके से अंतिम रूप देता है:

" यदि, उपरोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है क्या ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यवहार्य है जो है -

खंड (2) में निर्दिष्ट, प्राधिकरण का उस पर निर्णय

ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसे कम करने का अधिकार पद अंतिम होगा।

367. उपरोक्त प्रावधान में "अंतिमता" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाते हुए,

भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। तुलसीराम पटेल, [1985] 3 एस. सी. सी. 398, पैरा 138 में, निम्नलिखित रूप में देखा गया:

अनुशासनात्मक को अनुच्छेद 311 के खंड (3) द्वारा दी गई अंतिमता

प्राधिकरण का निर्णय कि यह उचित रूप से व्यवहार्य नहीं था

जाँच अदालत पर बाध्यकारी नहीं है। अदालत भी करेगी रिट याचिका में किए गए दुर्भावनापूर्ण आरोप, यदि कोई हो, की जांच करें।

कारणों की प्रासंगिकता की जांच करते हुए, अदालत विचार करेगी वह स्थिति जिसने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुसार इसे बनाया

इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राजा राम पाल बनाम के लिए यह उचित रूप से व्यवहार्य नहीं था।

जाँच करें। यदि अदालत को लगता है कि कारण अप्रासंगिक हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपनी संतुष्टि दर्ज करना खंड (बी) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग होगा।

368. अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार है - राज्यपाल में निहित जिसका निर्णय, अनुच्छेद 192 (1) के अनुसार, "

अंतिम हो "। 369. दलबदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में विस्तृत प्रावधान करने के लिए 1 मार्च 1985 से संविधान (52 वां संशोधन) अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी।

अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 102 (2) का संदर्भ जो संसद की "सदस्यता के लिए अयोग्यता" से संबंधित है। पैराग्राफ 6 (1), अन्य बातों के अलावा, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पक्ष में दलबदल के आधार पर अयोग्यता के सवाल पर निर्णय लेने का अधिकार निहित करता है।

सभा, जैसा भी मामला हो। यह प्रावधान घोषित करता है कि

कहा गया अधिकार "अंतिम होगा"। दिलचस्प बात यह है कि पैरा 6 (2) में कहा गया है कि दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय से संबंधित सभी कार्यवाहियों को अनुच्छेद 122 के अर्थ के भीतर संसद में कार्यवाहियां माना जाएगा।

370. दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 में न्यायालयों की अधिकारिता का एक स्पष्ट प्रतिबंध है। यह नीचे लिखा है:

" न्यायालयों की अधिकारिता का बार। इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में किसी भी अदालत को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

इस अनुसूची के तहत "।

371. यह इन प्रावधानों के संदर्भ में था कि संबंधित प्रश्न

न्यायालय की अधिकारिता पर संवैधानिक प्रतिबंध के सामने संवैधानिक शक्ति के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा के मानदंडों के लिए पहले उत्पन्न हुआ किहोतो होल्लोहन बनाम के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ।

Zachillhu, [1992] पूरक 2 SCC 651। इस मामले की जांच इस अदालत ने की थी

अन्य बातों के अलावा, अनुच्छेद 122 के तहत प्रतिरक्षा के संदर्भ में, दसवीं अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण में निहित अधिकार क्षेत्र की विशिष्टता और "अंतिमता" की अवधारणा, इसके अलावा एक स्पष्ट बार जो इसे एक गैर-न्यायसंगत क्षेत्र बनाता है। "अंतिमता" शब्द का निर्माण और अन्य बातों के साथ-साथ, [2007] 1 एस. सी. आर. का उल्लेख करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

506

ज्योति प्रकाश मित्तर के मामले में अनुच्छेद 217 (3) में और तुलसीराम पटेल के मामले में अनुच्छेद 311 (3) में समान अंतिमता खंड की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दसवीं अनुसूची में अध्यक्ष या अध्यक्ष की निर्धारक अधिकारिता एक न्यायिक शक्ति थी और यह दावा करना अनुचित था कि यह गैर-न्यायसंगत विधायी क्षेत्र के भीतर था। न्यायालय ने एक्सप्रेस न्यूजपेपर (पी) लिमिटेड बनाम के मामले को संदर्भित किया। भारत संघ, ए. आई. आर. (1958) एस. सी. 578 और ऑस्ट्रेलियाई बूट ट्रेड एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाम में न्यायिक शक्ति को विधायी शक्ति से अलग करने के बारे में व्याख्या का हवाला दिया।

व्हायब्रो एंड कंपनी, [1910] 10 सी. एल. आर. 266 इसाक्स, जे. द्वारा निम्नानुसार:

" यदि विवाद पक्षों के सापेक्ष अधिकारों के बारे में है जैसा कि वे आराम करते हैं

अतीत या वर्तमान परिस्थितियों में, पुरस्कार एक की प्रकृति में है

निर्णय, जो एक साधारण की डिक्री हो सकती है

सामान्य न्यायिक शक्ति के तहत कार्य करने वाला न्यायिक न्यायाधिकरण। वहाँ

मामले में लागू कानून का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर

विवाद यह है कि भविष्य में आपसी अधिकार क्या होंगे और

दूसरे शब्दों में पार्टियों की जिम्मेदारियां, यदि कोई वर्तमान अधिकार नहीं हैं

दावा किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, लेकिन भविष्य में आचरण का नियम होना चाहिए
निर्धारित, इस प्रकार प्रतिबंधों के साथ नए अधिकार और दायित्वों का निर्माण

गैर-अनुरूपता के लिए-फिर दृढ़ संकल्प जो इस प्रकार निर्धारित करता है,

आप अनिवार्य रूप से एक विधायी चरित्र के हैं, और केवल इसके द्वारा सीमित हैं कानून जो इसे अधिकृत करता है। यदि, फिर से, न तो वर्तमान अधिकार हैं

दावा किया गया, न ही भविष्य में निर्धारित आचरण का नियम, लेकिन केवल एक तथ्य भर्ती के
व्यावहारिक प्रभाव के लिए आवश्यक पता लगाया गया

अधिकार, कार्यवाही, हालांकि एक मध्यस्थता कहा जाता है, बल्कि में है

किसी मूल्यांकन या मंत्रिस्तरीय अधिनियम की प्रकृति।

(जोर दिया गया)

372. किहोतो होलोहन में निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियां

विस्तार से उद्धृत करने की आवश्यकता है:

" 96. पैराग्राफ 6 (2) की काल्पनिक कथा वास्तव में इसे पहले स्थान पर रखती है।

यथास्थिति, अनुच्छेद 122 या 212 का खंड। शब्द हैं।

" संसद में कार्यवाही "या" किसी राज्य के विधानमंडल में कार्यवाही "

पैराग्राफ 6 (2) में "राज्य" की अपनी संबंधित अभिव्यक्ति है

अनुच्छेद 122 (1) और 212 (1) क्रमशः। यह प्रतिरक्षा को आकर्षित करता है।

केवल प्रक्रियाओं की अनियमितताओं से।

99. जहाँ एक एल. आई. है-एक पक्ष द्वारा पुष्टि और इनकार

दूसरे द्वारा-और विवाद में अनिवार्य रूप से एक निर्णय शामिल है

इसके पक्षकारों और प्राधिकरण के अधिकार और दायित्व

इसे तय करने के लिए कहा जाता है, न्यायिक शक्ति का प्रयोग होता है।

उस प्राधिकरण को ट्रिरब्यूनल कहा जाता है, अगर उसके पास सभी अधिकार नहीं हैं।

एक अदालत के जाल। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम। पीएन.

शर्मा, [1965] 2 एस. सी. आर. 366, इस न्यायालय ने कहा: (एससीआर पीपी। 386-87)

" ..... हालांकि, मुख्य और बुनियादी परीक्षा यह है कि क्या निर्णय लेने की शक्ति जिसे एक विशेष प्राधिकरण प्रयोग करने के लिए सशक्त है, उसे एक क़ानून द्वारा प्रदान किया गया है और इसे राज्य की अंतर्निहित शक्ति के एक हिस्से के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करना। इस परीक्षण को लागू करते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य सरकार की शक्ति

नियम 6 (5) और नियम 6 (6) के तहत प्रयोग राज्य की न्यायिक शक्ति का एक हिस्सा है। वहाँ, उस अर्थ में, एक लिस है; वहाँ पुष्टि है

एक पक्ष द्वारा और दूसरे द्वारा इनकार, और विवाद

अनिवार्य रूप से इसमें पक्षों के अधिकार और दायित्व शामिल हैं। जिस आदेश को राज्य सरकार अंतत: पारित करती है, उसे उसका निर्णय बताया जाता है और इसे अंतिम और बाध्यकारी बनाया जाता है।

101. 12 नवंबर को जारी किए गए कार्यकारी निष्कर्षों में,

1991 हमने खंड (जी) और (एच) में संकेत दिया है कि न्यायिक समीक्षा

क्षेत्र में इंगित तरीके से सीमित है। यदि न्यायाधीश

प्राधिकरण एक न्यायाधिकरण है, जैसा कि वास्तव में हमने इसे माना है, तो फिर क्यों,

क्या इसका दायरा इतना सीमित होना चाहिए? पैराग्राफ में अंतिम खंड 6
न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से बाहर नहीं करता है

संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227। लेकिन ऐसा होता है।

अधिकारिता के दायरे को सीमित करने का प्रभाव। अदालतों द्वारा लागू किया जाने वाला सिद्धांत यह है कि एक अंतिमता खंड के बावजूद यह खुला है।

अदालत को यह जांचने के लिए कि क्या प्राधिकरण की कार्रवाई के तहत

चुनौती उक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों से परे है। इस तरह की कार्रवाई अल्ट्रा वायर्स हो सकती है क्योंकि यह इसमें है।

कानून के एक अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन

प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति है। यह भी अल्ट्रा होगा।

प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का अधिकार देता है यदि इसे दुर्भावना से दूषित किया जाता है

बाहरी और पर आधारित शक्ति का रंगीन अभ्यास है या है

अप्रासंगिक विचार। अपन प्रमाणपत्रक प्रयोग करैत काल

अधिकार क्षेत्र में, अदालतों ने परीक्षण लागू किया है कि क्या विवादित [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्रवाई करने वाले प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है

कार्रवाई या यह ऐसी अधिकारिता के बाहर आता है। निष्कासन खंड ऐसी कार्रवाई करने वाले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाली कार्रवाइयों के संबंध में न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है, लेकिन इसमें की गई त्रुटि के आधार पर ऐसी कार्रवाई को चुनौती देने से रोकता है।

प्राधिकरण में निहित अधिकारिता का प्रयोग क्योंकि ऐसी कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के बिना कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। अ.

इसलिए, किसी निर्धारण को अंतिमता से जोड़ने वाला निष्कासन खंड

कुछ हद तक प्रमाणपत्र को हटा दें और यह हटाने में प्रभावी होगा

न्यायालय की निम्नतर न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति यदि निम्नतर न्यायाधिकरण ने इसके बिना कार्य नहीं किया है

अधिकारिता और केवल कानून की एक त्रुटि की है जो इसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है और यदि इसका निर्णय कुछ लोगों के लिए शून्य नहीं है

प्राकृतिक न्याय के शासन के उल्लंघन जैसे कारण। [देखिए: प्रशासनिक

लॉ, एच. डब्ल्यू. आर. वेड, (छठा संस्करण), पृ. 724-26 ; एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम। विदेशी

क्षतिपूर्ति आयोग, [1969] 1 सभी ई. आर. 208; एस. ई. एशिया फायर

ईंटें वी। गैर-धातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण

कर्मचारी संघ, [1980] 2 ऑल ईआर 689 (पीसी)]।

109. ऊपर उल्लिखित निर्णयों और प्रकृति के आलोक में

अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा, और 226 और द्वारा पारित आदेश के संबंध में संविधान की धारा 227

पैराग्राफ 6 के तहत अध्यक्ष/अध्यक्ष इन तक ही सीमित रहेंगे -

केवल अधिकारिता संबंधी त्रुटियाँ अर्थात। , संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन, दुर्भावना, नियमों का पालन न करने पर आधारित दुर्बलताएँ

प्राकृतिक न्याय और विकृति।

III. नतीजतन, हम विवाद (ई) और (एफ) पर पकड़ रखते हैं:

कि दसवीं अनुसूची एक के लिए प्रावधान नहीं करती है

अयोग्यता के लिए अतिरिक्त अनुदान (एस. आई. सी. आधार) और विवादित अयोग्यताओं का निर्णय, एक बनाने की मांग

गैर-न्यायसंगत संवैधानिक क्षेत्र। हल करने की शक्ति

अध्यक्ष या सभापति में निहित ऐसे विवाद न्यायिक होते हैं।

शक्ति।

दसवीं अनुसूची का वह अनुच्छेद 6 (1), इस हद तक कि

वक्ताओं/राजा राम पाल बनाम के निर्णय को अंतिमता प्रदान करना चाहता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 509

अध्यक्ष वैध हैं। लेकिन वैधानिक अंतिमता की अवधारणा
पैराग्राफ 6 (1) में सन्निहित है या से विचलित नहीं होता है।

संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा को निरस्त करना।
संविधान के उल्लंघन पर आधारित दुर्बलताओं के रूप में

संवैधानिक आदेश, दुर्भावनापूर्ण, गैर-अनुपालन

प्राकृतिक न्याय और विकृति के नियमों का संबंध है।

कि दसवें के पैराग्राफ 6 (2) में माना जाने वाला प्रावधान

अनुसूचिका अनुच्छेदों के अनुरूप प्रतिरक्षा को आकर्षित करती है

122 (1) और संविधान का 212 (1) जैसा कि समझा गया है और

की वैधता की रक्षा के लिए केशव सिंह मामले में समझाया गया

प्रक्रिया की केवल अनियमितताओं से कार्यवाही। द.

दीन। प्रावधान, शब्दों को ध्यान में रखते हुए 'माना जाएगा

संसद में कार्यवाही हो 'या' विधायिका में कार्यवाही '

'का राज्य' तदनुसार कल्पना के दायरे को सीमित करता है।

वक्ता/अध्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

न्यायाधिकरण के रूप में दसवीं अनुसूची अधिनियम के तहत कार्यों का निर्वहन
दसवीं अनुसूची के तहत अधिकारों और दायित्वों का निर्णय लेना।

और उस क्षमता में उनके निर्णय न्यायिक के लिए उत्तरदायी हैं

समीक्षा "।

(जोर दिया

गया)

373. उपरोक्त प्रस्तुतियों के जवाब में, विद्वान वकील

भारत संघ का तर्क होगा कि संसद के सदनों के कार्यों में

अनुच्छेद 105 के तहत उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक समीक्षा के उन्हीं मापदंडों के लिए जो अन्य प्राधिकरणों पर लागू होते हैं। वह.

प्रस्तुत करेंगे कि किहोतो होलोहन के मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि

दसवीं अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण एक न्यायाधिकरण था और

अयोग्यता की कार्यवाही इसके समक्ष कार्यवाही नहीं है

सदन और इस प्रकार दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के तहत निर्णय नहीं है सदन का कोई निर्णय और न ही यह सदन के अनुमोदन के अधीन है और

बल्कि सदन से स्वतंत्र रूप से काम करता है। वह प्रस्तुत करेगा कि सहित अपनी कार्यवाही को विनियमित करने में सदन का निर्णय

विशेषाधिकार हनन के लिए किसी सदस्य के निष्कासन के मामले की बराबरी नहीं की जा सकती है।

दसवीं अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण के निर्णय के लिए और

ऐसी कार्यवाहियों में सदन को अर्ध-न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

तरीके से। उसी सांस में, वह स्वीकार करेंगे कि सदन अधिनियम [2007] आई. एस. सी. आर. करता है।

प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप ऐसे मामलों में भी।

374. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, वह सिद्धांत जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए

मामलों की उपरोक्त श्रृंखला में यह है कि अंतिमता के अस्तित्व के बावजूद। खंड, इस न्यायालय ने जब भी और जहां भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के प्रश्न का निर्धारण करते हुए भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 217 (3) के तहत, या भारत के राष्ट्रपति (या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो) अनुच्छेद 311 (3) के तहत किसी सिविल सेवक को बर्खास्त करने या हटाने से पहले सामान्य रूप से अनिवार्य जांच को समाप्त करने का निर्णय लेते समय, या उस मामले के लिए अध्यक्ष (या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसी अधिकारिता के साथ सौंपे गए अधिकारियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर भी, जिस तरह से उन्होंने उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, वह पूरी तरह से न्यायिक जांच से परे नहीं है। दसवीं अनुसूची के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले अध्यक्ष के मामले में, उनके समक्ष कार्यवाही को दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (2) द्वारा अनुच्छेद 122 के अर्थ के भीतर संसद में कार्यवाही घोषित किया जाता है। फिर भी, उक्त अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया गया था

गैर-न्यायसंगत के रूप में। इस दृष्टिकोण से, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि संसदीय कार्यवाही के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा उपलब्ध है। अनुच्छेद 105 (3) से संबंधित। यह एक अलग मामला है कि ऐसी कार्यवाही की न्यायिक जांच को कौन से मापदंडों, यदि कोई हों, को विनियमित या नियंत्रित करना चाहिए।

375. यूपी विधानसभा के मामले में, इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से सुलझा लिया गया था

इस न्यायालय द्वारा, और यह पृष्ठ 455-456 पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" Art.212 (1) एक नागरिक के लिए प्रश्न में कॉल करना संभव बनाता है।

उपयुक्त न्यायालय में किसी भी कार्यवाही की वैधता

विधायी कक्ष के भीतर यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही

केवल प्रक्रिया की अनियमितता से नहीं, बल्कि अवैधता से पीड़ित हैं।

यदि विवादित प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, तो यह

कानून की अदालत में जांच के लिए खुला रहें, हालांकि ऐसी जांच

यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत से अधिक नहीं है तो निषिद्ध है

यह कि प्रक्रिया अनियमित थी "।

(जोर दिया गया)

376. उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियों के संदर्भ में मान्यता देते हुए

अभियुक्त राजा राम पाल बनाम के आरोप पर न्यायालय में जांच की अनुमति।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 511 विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर ने कहा कि प्रक्रिया अवैध या असंवैधानिक थी

जनरल ने प्रस्तुत किया कि इन टिप्पणियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और अभिव्यक्ति "अवैधता" का अर्थ अनिवार्य रूप से "असंवैधानिकता" होना चाहिए, अर्थात अनिवार्य संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन।

377. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तेज किरण जैन बनाम का उल्लेख किया है। एन. संजीव रेड्डी, [1970] 2 एससीसी 272]। यह संसद में प्रतिवादी द्वारा दिए गए मानहानिकारक बयान के लिए हर्जाने का दावा करने वाले मुकदमे से उत्पन्न हुआ मामला था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 105 (2) में वर्णित न्यायिक निवारण से प्रतिरक्षा को देखते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया था। इस अदालत में यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद के तहत छूट दी गई है

105 (2) यह "प्रासंगिक संसद कार्य" तक ही सीमित था और किसी ऐसी चीज तक सीमित नहीं था जो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो। इस तर्क को हिदायतुल्ला ने खारिज कर दिया था।

सी. जे. पैरा 8 में टिप्पणियों के माध्यम से जो नीचे दिए गए हैं:

इसका अर्थ है संसद की बैठक के दौरान और संसद के कार्य के दौरान। हम केवल भाषणों से चिंतित हैं।
लोकसभा। एक बार जब यह साबित हो गया कि संसद की बैठक चल रही थी और उसका कार्य चल रहा था, तो उस कार्य के दौरान कही गई कोई भी बात किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से मुक्त थी।

प्रतिरक्षा न केवल पूर्ण होती है बल्कि वैसी ही होती है जैसी होनी चाहिए। यह है कि

सरकार की संसदीय प्रणाली का सार यह है कि जन प्रतिनिधियों को कानूनी परिणामों के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। वे जो कहते हैं वह केवल संसद के नियमों के अनुशासन, सदस्यों की अच्छी समझ और अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही के नियंत्रण के अधीन है। अदालतों ने

इस मामले में कोई बात नहीं करनी चाहिए और वास्तव में कोई बात नहीं होनी चाहिए। " >

378. एल. डी. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इंदिरा नेहरू गांधी बनाम मामले में इस अदालत की कुछ टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है। राज नारायण

[1975] पूरक। एस. सी. सी. 1, संविधान की असंवैधानिकता के संबंध में तर्कों पर अनुच्छेद 122 के अनुप्रयोग के संदर्भ में (30 वां)

संशोधन) अधिनियम 1975। जे. बेग ने पारस 506 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में अपने फैसले के दौरान

[2007] 1 एस सी आर।

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 506. संविधान का अनुच्छेद 122 इस न्यायालय को इससे रोकता है

कार्यवाहियों की अनियमितता से संबंधित किसी भी प्रश्न में जाना संसद "।

XXXX

XXXX

XXXX

संसद के सदस्य, जिन्हें निवारक के तहत हिरासत में लिया गया था निरोध कानून, प्रस्तावित सूचना प्राप्त करने के हकदार थे

अधिनियम और उनतीसवां संशोधन, ताकि प्रस्तुत किया जा सके

" संसद में ", कानून में इन परिवर्तनों का विरोध करना। मुझे डर लगता है,

जो प्रत्येक न्यायालय को औचित्य की जांच करने से रोकता है "संसद में" कार्यवाही। यदि सदस्यों के कोई विशेषाधिकार

संसद शामिल थी, यह उनके लिए सवाल करने के लिए खुला था

"संसद में" उठाया गया। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है

जो हमें प्रत्येक को किसी भी सूचना के लिए प्रदान करने के लिए इंगित किया गया है

संविधान के अनुच्छेद 122 के अंतर्गत आता है। वह सब जो यह न्यायालय कर सकता है उचित मामलों में, यह देखना है कि क्या प्रक्रिया

विधान के बराबर या संवैधानिक संशोधन के मामले में, जो संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित है, चला गया था

किसी भी तरह से। हालाँकि, इसके प्रमाण के रूप में, यह स्वीकार करेगा,

निर्णायक साक्षय, अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र कि एक विधेयक पारित किया गया है

विधिवत पारित किया गया। (देखू: बिहार राज्य बनाम। कामेश्वर, आकाशवाणी [1952] एससी 252, 266 : 1952 एससीआर 889) "

(जोर दिया गया)

9. उसी मामले में मामले में फैसले के प्रभाव का अर्थ

लिट शर्मा (द्वितीय), जे. बेग को पैरा 508 में नीचे देखा गया है:

" 508. एक बार फिर इस अदालत ने शर्मा मामले में फैसला सुनाया है। वी. श्री कृष्ण, आकाशवाणी (1960) एससी 1186,1189: (1961) 1 एस. सी. आर. 96) कि द्वारा जारी एक नोटिस

इस आधार पर प्रश्न किया गया कि संबंधित प्रक्रिया के नियम विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही नहीं देखी गई है।

सभी राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 513

ये प्रक्रिया के आंतरिक मामले हैं जिनके सदन

संसद स्वयं इसका नियमन करती है।

380. एल. डी. का प्रस्तुतिकरण। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि अदालत ने आंतरिक मामलों की न्यायिक जांच के खिलाफ अवरोध को मान्यता दी है

प्रक्रिया जिसमें संसद के सदन उचित रूप से दावा कर सकते हैं

आत्म-नियमन की अनन्य शक्ति।

381. हमारे सुविचारित विचार में, इंदिरा नेहरू गांधी के मामले में अदालत के समक्ष प्रश्न अनिवार्य रूप से न्यायपालिका की वैधता से संबंधित था।

संसद का सत्र जिसने संवैधानिक संशोधन उपाय पारित किया था। न्यायालय की चिंता में अधिनियम की वैधता शामिल नहीं थी विधायी निकाय। जहाँ तक पंडित शर्मा के मामले में धारणा पर आधारित विचारों का संबंध है, यह पहले ही देखा जा चुका है कि यह समय से पहले था।

ताकि न्यायालय इस बात पर विचार कर सके कि क्या किसी अवैधता ने विधान सभा की प्रक्रिया को दूषित किया है।

382. अनुच्छेद 122 (1) में निहित निषेध का प्रावधान नहीं है।

अवैधता के मामलों में प्रतिरक्षा। इस संदर्भ में, श्रीमती के मामले का भी उल्लेख किया जा सकता है। एस. रामास्वामी बनाम भारत संघ, [1992] पूरक। 1 एससीआर 108। यह मामला मुख्य रूप से न्यायाधीश (जांच) अधिनियम 1968 के साथ पठित अनुच्छेद 124 (4) से संबंधित था। व्यवहार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, नियमों के प्रबल प्रभाव के साथ

अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियमों पर अनुच्छेद 124 (5) के तहत किए गए, इस अदालत ने पृष्ठ 187 पर निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" हम पहले ही भारत में संवैधानिक योजना और अनुच्छेद 124 (5) के तहत अधिनियमित कानून के साथ पठित अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5), अर्थात् न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के सही महत्व का संकेत दे चुके हैं।

संबंधित न्यायाधीश को रिपोर्ट में 'दोषी' पाए जाने के खिलाफ कारण दिखाने के लिए एक अवसर के प्रावधान पर विचार करें, इससे पहले कि संसद उसे हटाने के प्रस्ताव के साथ विचार के लिए ले। केशव सिंह के निर्णय के साथ-साथ न्यायिक उप-समिति में की गई घोषणा को भी पढ़ना होगा।

जवाबदेही कि अनुच्छेद 124 (5) के तहत बनाया गया कानून अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियमों पर हावी होगा और संसद के दोनों सदनों पर बाध्यकारी होगा। इस तरह के कानून का उल्लंघन होगा।

अवैधता और न्यायिक जांच से मुक्त नहीं हो सकता है

अनुच्छेद 122 (1) '। [2007] 1 एस. सी. आर. द्वारा अनुमेय चुनौती का दायरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

514

राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के आदेश से संबंधित न्यायाधीश बनाने के बाद उपलब्ध न्यायिक समीक्षा में अनुच्छेद 124 (4) के तहत

राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश इन पर निर्धारित किया जाएगा।

विचार.>> '

(जोर दिया गया)

383. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील उपरोक्त में उल्लेख करेंगे।

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 122 या अन्य अधिनियमों में उसके अनुरूप प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाने के कई निर्णयों के संदर्भ में।

384. इस प्रकार अनुच्छेद 122 (1) को दोहरे परीक्षण पर विचार करने के लिए पाया जाना चाहिए

की चार दीवारों के भीतर किसी भी कार्यवाही के लिए वैधता और संवैधानिकता संसद। यह तथ्य कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मामला सदन की चार दीवारों से परे शक्ति के प्रयोग से संबंधित है, इस दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करता है।

जिसने स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की जो विशेष रूप से कार्य करता है विधायी निकाय की आंतरिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा की सीमा के साथ। इस दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 122 (1) सदन की आंतरिक कार्यवाही के अनन्य संज्ञान के अंग्रेजी सिद्धांत को हटा देता है, जिससे सदन की कार्यवाही अप्रासंगिक हो जाती है।

मामला कानून जो उस अधिकार क्षेत्र में न्यायालयों से उत्पन्न हुआ। अनुच्छेद 122 में किसी सीमा को पढ़ने का कोई भी प्रयास ताकि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जा सके -

असंवैधानिकता के मामले में संसद की प्रक्रिया की जांच, अवैधता के विपरीत, संवैधानिक पाठ के साथ हिंसा करने के बराबर होगी। "एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" के सिद्धांत को लागू करते हुए (जो कुछ भी शामिल नहीं किया गया है उसे निहितार्थ से बाहर रखा गया है), यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि "प्रक्रिया की अनियमितता" की कसौटी पर परीक्षण के खिलाफ निषेध अवैधता या असंवैधानिकता के निष्कर्षों पर वर्जित न्यायिक समीक्षा नहीं करता है।

न्यायिक समीक्षा के लिए मानदंड पुनः: संसदीय विशेषाधिकारों का प्रयोग

385. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि

एक ओर संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायपालिका में निहित अधिकार क्षेत्र और दूसरी ओर विधायिका को सौंपे गए कार्यों के लिए, दोनों अंगों को तर्कसंगत, सामंजस्यपूर्ण और अपने-अपने क्षेत्रों में समझ की भावना से काम करना चाहिए, क्योंकि अकेले लोकतांत्रिक राज्य के तीन घटकों के इस तरह के सामंजस्यपूर्ण काम करने से लोकतांत्रिक जीवन शैली के शांतिपूर्ण विकास, विकास और स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

सम्मानित वक्ता। लोक सभा [सभरवाल। सी. जे.] 515 देश में। हम इन दलीलों से पूरी तरह सहमत हैं।

386. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा है कि संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए

संविधान और अपने कार्य की महिमा और भव्यता के तहत, यह लोगों की आस्था का अंतिम भंडार होने के नाते, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद हमेशा अपने कार्यों का पालन करेगी और अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

उचित तरीके से विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अभ्यास के तरीके की तर्कसंगतता न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। उनका निवेदन है

कि यदि संसद अपनी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग इस तरह से करती है जो संविधान का उल्लंघन या विध्वंसक या पूरी तरह से घृणित है, तो न्यायिक जांच का एक सीमित क्षेत्र उपलब्ध होगा, जो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है।

यह न्यायिक समीक्षा के उस क्षेत्र से अलग होगा जो उस समय उपलब्ध होता है जब किसी क़ानून के तहत शक्ति का प्रशासनिक प्रयोग विचार के लिए आता है। उनका तर्क है कि इस तरह की सीमित न्यायिक समीक्षा एक उद्देश्य के साथ शक्तियों के प्रयोग से अलग है और न्यायिक जांच से भी अलग है।

दुर्भावना की जमीन। यह उनका तर्क है कि भारत में न्यायिक न्यायालयों के पास विशेषाधिकार के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, लेकिन एक बार विशेषाधिकार मौजूद होने के बाद, उस विशेषाधिकार का प्रयोग और उस विशेषाधिकार के प्रयोग का तरीका बिना किसी हस्तक्षेप के संसद के अधिकार क्षेत्र पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि संसद की दीवारों के भीतर जो कुछ भी होता है वह जांच के लिए उपलब्ध नहीं है और यहां तक कि जब संसद अपनी दीवारों के बाहर के मामलों से निपटती है, तो एक स्वीकृत विशेषाधिकार द्वारा समर्थित मामले में, वहाँ

यह बहुत कम जांच होगी और बहुत सीमित और प्रतिबंधित न्यायिक समीक्षा होगी।

387. हम प्रस्तुतिकरण में सार पाते हैं कि यह हमेशा अपेक्षित है,

बल्कि यह अनुमान का विषय होना चाहिए कि संसद हमेशा अपने कार्यों का पालन करेगी और अपनी शक्तियों का उचित तरीके से प्रयोग करेगी। लेकिन,

साथ ही एक सामान्य नियम के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि विधायिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह न तो पत्र है और न ही हमारे संविधान की भावना है। हम स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

कार्यवाही सीमित और प्रतिबंधित है। वास्तव में यह संवैधानिक प्रावधानों में स्पष्ट निर्देश द्वारा किया गया है, जिसमें शामिल है अनुच्छेद 122 (1)। लेकिन हमारी जांच, जैसा

कि पहले कहा गया था, केवल विशेषाधिकार पाए जाने पर नहीं रुक सकती है, खासकर जब अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा हो।

प्रावधानों का आरोप लगाया गया है।

388. यह विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है

कि न्यायिक समीक्षा अदालतों की कार्रवाई की वैधता की जांच करने की क्षमता है। वैधता का परीक्षण केवल एक मानक के संदर्भ में किया जा सकता है। उनका तर्क है कि

जहां न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक, जो कि मानक मानक हैं, उपलब्ध नहीं हैं, न्यायिक समीक्षा को निहित रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संसद अदालतों से कमतर निकाय नहीं है। एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसमें वैधानिक अधिकार क्षेत्र निहित किया गया है, निश्चित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में तथ्य की त्रुटियों या कानून की त्रुटियों का पता लगाने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है, लेकिन संसद को अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

389. हम प्रस्तुतियों को काफी हद तक सही पाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं।

सही है। न्यायिक समीक्षा के मानकों का न होना इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं है कि न्यायिक जांच को हटा दिया गया है। यदि ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा के लिए मानक अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो अब ऐसा करने का समय है। संसद वास्तव में एक समन्वित निकाय है और इसके विचार सम्मान के योग्य हैं, जबकि इसके कार्य न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी हैं। जबकि इसके कार्य,

विशेष रूप से यहाँ शामिल प्रकृति का परीक्षण उसी तरह से नहीं किया जाना चाहिए जैसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण किया जाएगा, इस दलील का कोई आधार नहीं है कि एक विधायी निकाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

क्षेत्राधिकार त्रुटि।

390. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आगे तर्क देंगे कि

शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग को अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वास्तव में इसके चरित्र को बनाए रखने के लिए घटक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि संसद के अधिकार की अवमानना पर वास्तव में न्यायिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा की सीमाएं अब इस मायने में चौड़ी हो गई हैं कि अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता कारण हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के सिद्धांतों का संसद के निर्णय को तय करने में कोई आधार नहीं है।

कार्रवाई।

391. जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि संसद के अधिकार की अवमानना हो सकती है

उसके पहले के अलावा कहीं भी मुकदमा चलाया गया और दंडित नहीं किया गया, अवमानना या विशेषाधिकार की शक्ति के प्रयोग की चेतावनी देने वाले की न्यायिक समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि उक्त अधिकार क्षेत्र को न्यायपालिका द्वारा हड़पा जा रहा है। जैसा कि देखा गया है,

अनुच्छेद 122 (1) के संदर्भ में, प्रक्रिया की केवल अनियमितता संसद की कार्यवाही या उसके प्रभाव के लिए चुनौती का आधार नहीं हो सकती है, और जबकि "तर्कहीनता" के तत्व के रूप में एक ही दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, लेकिन हमारी संवैधानिक योजना में, अवैधता या असंवैधानिकता संसद की कार्यवाही या उसके प्रभाव के लिए चुनौती का आधार नहीं होगी।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 517 संसदीय कार्यवाही।

392. यह विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निवेदन है कि विचाराधीन कार्यवाही ऐसी कार्यवाही थी जो इसके हकदार थे

अनुच्छेद 105 (2) के तहत संरक्षण। दूसरे शब्दों में, कार्यवाही के संबंध में, यदि किसी सदस्य को छूट दी जाती है, तो संसद को भी छूट दी जाती है। संसद की कार्रवाइयों पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब उन्हें कानून में परिवर्तित किया जाता है।

393. हम इस तर्क को अनुच्छेद 105 (2) के संदर्भ से परे पढ़ने पर आधारित पाते हैं। उक्त खंड द्वारा किससे प्रतिरक्षित घोषित किया गया है

"किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए दायित्व" विधायी निकाय या उसके सदस्यों का कोई भी या प्रत्येक कार्य नहीं है, बल्कि केवल संसद में "सदस्यों द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट" के संबंध में मामला है।

उसकी समिति "। यदि अनुच्छेद 105 (2) को इतने व्यापक रूप से समझा जाता है, तो यह विधायी अधिनियमों को भी न्यायिक दृष्टि से बचाएगा, जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगा।

394. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आग्रह करेंगे कि संसद को एक ऐसे निकाय के रूप में देखना जो अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के संबंध में त्रुटि करने में सक्षम है, एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी होगी कि संसद अनुचित तरीके से कार्य कर सकती है। ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारतीय संसद कभी भी किसी को 'बदसूरत चेहरे' के लिए दंडित नहीं करेगी, या ऐसा सिद्धांत लागू नहीं करेगी जो संविधान के लिए घृणित हो।

395. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह पाए जाने पर कि शक्तियों की प्रचुरता उनके पास है लिखित संविधान के तहत संसद द्वारा विधायी के अधीन है

मौलिक अधिकारों की क्षमता और प्रतिबंध; सामान्य प्रस्ताव कि संसदीय मामलों में मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

विशेषाधिकार अस्वीकार्य होने के कारण; यहां तक कि संसदीय विशेषाधिकार के प्रयोग के मामले में विधायिका का कोई सदस्य भी अनुच्छेद 20 और 21 के संरक्षण का हकदार है; और अनुच्छेद 122 (1) संसद की चार दीवारों के भीतर किसी भी कार्यवाही के लिए वैधता और संवैधानिकता के दोहरे परीक्षण पर विचार करते हुए, केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता के खिलाफ, जिससे सदन की आंतरिक कार्यवाही के अनन्य संज्ञान के अंग्रेजी सिद्धांत को विस्थापित किया जाता है, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रचारित न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंधों को बरकरार रखने के योग्य नहीं हैं।

396. हमारा विचार है कि शक्ति के प्रयोग का तरीका या

संसद द्वारा विशेषाधिकार केवल इस हद तक न्यायिक जांच से मुक्त है अनुच्छेद 122 (1) में इंगित किया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार कर देगा यदि उसके समक्ष लाई गई शिकायत "प्रक्रिया की अनियमितता" के आरोपों तक ही सीमित है। लेकिन यदि घोर अवैधता या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन दिखाया जाता है, तो न्यायिक समीक्षा को अनुच्छेद 122 या उस मामले के लिए अनुच्छेद 105 द्वारा किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। यदि कोई 7 वीं लोकसभा द्वारा निष्कासन के प्रस्ताव को रद्द करते समय जो आरोप लगाया गया था उसे इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार करता है कि यह "संसदीय विशेषाधिकार के कानून के सर्व-स्वीकृत सिद्धांतों और संविधान में निहित सभी को आश्वासन दिए गए बुनियादी सुरक्षा उपायों के साथ असंगत और उल्लंघनकारी था", तो यह विशेषाधिकार के प्रयोग के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगी। हम इस मुद्दे में नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक उदाहरण के रूप में घटना का हवाला दे रहे हैं।

397. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि इस न्यायालय के पास जाँच करने का अधिकार क्षेत्र है

यह पता लगाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कि क्या यह किसी अवैधता से दूषित है या

असंवैधानिकता, अब हमें ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा में सावधानी बरतने की आवश्यकता की जांच करनी चाहिए जो संसद जैसे प्रतिष्ठित निकाय की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित हैं।

398. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि

सामान्य रूप से मौलिक अधिकारों और विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और 21 की विस्तारित समझ में मनमानेपन पर नियंत्रण शामिल है। वे बचन सिंह बनाम के मामले पर भरोसा करते हैं। पंजाब राज्य, [1982] 3 एससीसी 24।

399. बचन सिंह के मामले में, इस अदालत ने, अन्य बातों के साथ, यह अभिनिर्धारित किया कि

" अनुच्छेद 14 मुख्य रूप से मनमानेपन के खिलाफ एक गारंटी लागू करता है और राज्य की कार्रवाई को रोकता है, चाहे वह विधायी हो या कार्यपालिका, जो मनमानेपन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है और यह कि "अनुच्छेद 14 मुख्य रूप से इसके खिलाफ एक गारंटी थी। राज्य की कार्रवाई में मनमानी "। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

" 17. तीसरा मौलिक अधिकार जो मनमानेपन के खिलाफ है

राज्य की कार्रवाई में वह है जो अनुच्छेद 21 में सन्निहित है। .....

अनुच्छेद 21 न केवल इसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है

कार्यकारी कार्रवाई लेकिन कानून और किसी भी कानून के खिलाफ भी जो

किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अमान्य होगा।

जब तक कि यह इस तरह के अभाव के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है जो कि राजा राम पाल v है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल। सी. जे.] 519

उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण। तर्कसंगतता की अवधारणा, यह थी

आयोजित, संविधान के पूरे ताने-बाने के माध्यम से चलता है। ..... कानून का हर पहलू जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करता है या

इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परीक्षा लेनी होगी

न्यायसंगतता, निष्पक्षता और न्यायपूर्णता ताकि इससे बाहर रहे

अनुच्छेद 21 का निषेध।

(जोर दिया गया)

400. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि की वैधता के बाद से

संसद के सदनों द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का परीक्षण अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 की कसौटी पर किया जाना है।

तर्कसंगतता, गैर-मनमानेपन, गैर-विकृति, निष्पक्षता के उपरोक्त परीक्षण

और विधानमंडल की कार्रवाई के संबंध में भी न्याय लागू होता है।

401. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं

कि विधायिका द्वारा विशेषाधिकारों के दावे से जुड़े मामलों में अनुच्छेद 21 के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के पूर्ण प्रभाव की मामलों में जांच नहीं की गई थी

पंडित शर्मा या यूपी विधानसभा का मामला। वह आगे कहता है कि अनुच्छेद 21 की समझ का विस्तार, इसके अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए

अनुच्छेद 14 और 19 के साथ विधायिका के विशेषाधिकारों से संबंधित उपरोक्त मामलों के बाद के विकास से संबंधित है और जब तक कि

संसद द्वारा शक्ति के प्रयोग की जांच करना संभव नहीं होगा

या तो "निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित" की कसौटी या सिद्धांत का उपयोग करें

प्रशासनिक कार्रवाई में तर्कसंगतता।

402. प्रस्तुतिकरण आगे यह है कि एकमात्र सिद्धांत जो वहन कर सकता है

न्यायिक समीक्षा इस बात की जांच करने के लिए है कि क्या संविधान का शासन जो पूर्व में था

मान लीजिए कि शक्तियों के पृथक्करण की अंतर्निहित नींव नहीं है

न्यायालयों में निहित न्यायिक शक्ति में उल्लंघन और एक स्पष्ट घुसपैठ

न्याय नहीं हुआ है। थोड़े अलग तरीके से कहें तो

ज्ञात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सीमित न्यायिक समीक्षा में शामिल होंगे

इस बात की जाँच कि क्या संसद ने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं किया है वास्तव में एक क़ानून द्वारा कवर किए गए मामले हैं और जिनका निर्णय होगा

किसी कानून द्वारा प्रदत्त न्यायिक शक्ति का प्रयोग या

संविधान।

403. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, चर्चा [2007] 1 एस. सी. आर.

520

पंडित शर्मा (1) के मामले में अनुच्छेद 21 के संदर्भ में एक प्रतिदावे पर आगे बढ़ा और इसलिए, अनुच्छेद 105 (3) या अनुच्छेद 194 (3) के उत्तरार्ध भाग की अनुच्छेद 21 में निहित प्रतिबंधों के लिए अनुकूलता पर पूर्ण चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी।

404. उपरोक्त संदर्भ में, वह जतिश चंद्र के मामले का उल्लेख करेंगे।

घोष बनाम। हरि साधन मुखर्जी, [1961] 3 एस. सी. आर. 486। उस मामले में, विधानसभा के सदस्य डॉ. घोष ने एक पत्रिका में कुछ प्रश्न प्रकाशित किए थे जिन्हें उन्होंने विधानसभा में रखा था, लेकिन जिन्हें अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया था। इन प्रश्नों ने प्रतिवादी के आचरण का अपमान किया जिसने उनके और अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। डॉ. घोष ने आपराधिक अभियोजन के लिए एक बाधा के रूप में अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा का अनुरोध किया। इस दावे को इस आधार पर नकार दिया गया था कि यह मामला स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 194 (1) और अनुच्छेद 194 (2) के दायरे से बाहर था जो लागू नहीं हो रहा था क्योंकि प्रकाशन विधायिका के अधिकार में नहीं था और न ही इसे विधायिका में कहा गया या वोट दिया गया कुछ कहा जा सकता था। अनुच्छेद 194 (3) के तहत प्रतिरक्षा के दावे को भी इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि सदन के एक सदस्य को प्रतिरक्षा प्राप्त थी।

कॉमन्स स्पष्ट रूप से संसद में दिए गए भाषणों तक ही सीमित है और इसका विस्तार बाहर की बहस के प्रकाशन तक नहीं है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" के प्रकाशन से जुड़ा कोई पूर्ण विशेषाधिकार नहीं है
हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्यवाही से उद्धरण और एक

सदस्य, जिसे अपने भाषण के संबंध में पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है
स्वयं सदन, इसके संबंध में केवल एक योग्य विशेषाधिकार का दावा कर सकता है यदि

वह इसे सार्वजनिक प्रेस में प्रकाशित करने का कारण बनता है।

405. एल. डी. भारत संघ के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कीं।

यह कहते हुए कि विधायिका के अधिनियमों की न्यायिक जांच के किसी भी अभ्यास में, हमेशा शक्ति के वैध प्रयोग के पक्ष में एक धारणा उठाई जाएगी और इसके लिए किसी भी उद्देश्य या दुर्भावना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस संदर्भ में, वह के. नागराज बनाम के मामलों में इस अदालत की टिप्पणियों पर भरोसा करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य, [1985] 1 एस. सी. सी. 523 और टी. वेंकट रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य, [1985] 3 एस. सी. सी. 198

}

406. नागराज के मामले में, इस अदालत ने पैरा 36 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 36. श्री ए. टी. संपत द्वारा प्रस्तुत दुर्भावनापूर्ण तर्क,

और कुछ अन्य वकीलों द्वारा पारित किए जाने में अपनाया गया, ए. एम. पी. ए. एल. बनाम के बिना है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 521

कोई भी आधार। दुर्भावना स्थापित करने का बोझ एक भारी बोझ है निर्वहन के लिए। अस्पष्ट और आकस्मिक आरोप यह सुझाव देते हैं कि ए

किसी अन्य उद्देश्य से किया गया कोई कार्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उचित अभिवचन और पर्याप्त प्रमाण के बिना, जो दोनों हैं

इन रिट याचिकाओं में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित। इसके अलावा,

अध्यादेश-बनाने की शक्ति एक विधायी शक्ति होने के नाते, का तर्क

दुर्भावनापूर्ण धारणा गलत है। विधायिका, एक निकाय के रूप में, नहीं हो सकता है किसी बाहरी उद्देश्य के लिए कानून पारित करने का आरोप। इसका

कानून पारित करने के कारण वे हैं जो उद्देश्यों में बताए गए हैं।

उद्देश्य कानून के पारित होने को दुर्भावनापूर्ण नहीं बना सकता है। यह कोष "हस्तांतरित द्वेष" का विधान के क्षेत्र में अज्ञात है।

(जोर दिया गया)

07. टी. वेंकट रेड्डी के मामले में, पैरा में प्रासंगिक टिप्पणियाँ

मैं इस प्रकार:

" 14 ..... सवाल यह है कि क्या किसी अध्यादेश की वैधता हो सकती है

उन आधारों पर परीक्षण किया जाएगा जो उन आधारों के समान हैं जिन पर एक कार्यकारी या

न्यायिक कार्रवाई का परीक्षण किया जाता है। हमारे अधीन विधायी कार्रवाई

संविधान केवल द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है संविधान और किसी और के लिए नहीं। विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी विधि,

जो पारित करने के लिए सक्षम नहीं है, जो उल्लंघनकारी है संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान

प्रावधान अप्रभावी है।

जबकि अदालतें कर सकती हैं

किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित करें जब वह संवैधानिक उल्लंघन करता है

सीमाएँ, वे औचित्य की जांच करने से वर्जित हैं

विधायी शक्ति का प्रयोग। यह माना जाना चाहिए कि

विधायी विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका मकसद कानून पारित करने में विधायिका अदालतों की जांच से परे है।

न ही अदालतें इस बात की जांच कर सकती हैं कि क्या विधानमंडल ने इसे लागू किया था।

विधायी अधिनियम की समीचीनता और आवश्यकता इसके लिए है विधायी प्राधिकरण का निर्धारण और इसके लिए नहीं हैं

अदालतों द्वारा निर्णय। या तो इसके तहत पारित एक अध्यादेश

अनुच्छेद 123 या संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत [2007] 1 एस. सी. आर. पर खड़ा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

522

एक ही पैर। इसे कार्यकारी कार्रवाई के रूप में नहीं माना जा सकता है या एक प्रशासनिक निर्णय।

(जोर दिया गया)

408. दुर्भावना के सवाल पर, पंडित शर्मा (1) के मामले में,

यह देखा गया कि विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए गए थे। इस न्यायालय ने कहा कि "विशेषाधिकार समिति में आम तौर पर सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पक्षों के सदस्य शामिल होते हैं और यह उम्मीद करना मुश्किल है कि समिति, एक निकाय के रूप में, ऐसा करेगी।

याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मामले में, यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 लागू होंगे, इस न्यायालय ने पैरा 125 में निम्नलिखित शब्दों में लापरवाही या दुर्भावना के कारण दूषित की जा रही विवादित कार्रवाई के सामने न्यायिक समीक्षा की अनुमति को मान्यता दी:

" यदि किसी मामले में, नागरिक द्वारा लगाया गया आरोप यह है कि उसने

कानून के अनुसार अपनी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए

मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण कारणों से, इस न्यायालय को इसकी जांच करनी होगी

उक्त विवाद की वैधता, और यह इस तरह से कोई जवाब नहीं होगा

एक मामला यह कहने के लिए कि नागरिक के खिलाफ जारी वारंट एक सामान्य है

वारंट और एक सामान्य वारंट को आगे की सभी न्यायिक जांच को रोकना चाहिए।

और जाँच "।

409. भारत संघ के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि वहाँ

दुरुपयोग को सुधारने की एक सीमांत शक्ति होगी और इसलिए, न्यायिक हस्तक्षेप के लिए, लेकिन यह आवश्यकता केवल सबसे अपमानजनक या बेतुकी स्थितियों में उत्पन्न होगी जहां विशेषाधिकार के प्रयोग की आड़ में शक्ति का दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने इस संदर्भ में फिर से हार्वे बनाम के मामले में कनाडा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया। न्यू ब्रंसविक, [1996] 2 एस. सी. आर. 876 विशेष रूप से पृष्ठ 159 पर टिप्पणियों के लिए निम्नानुसार:

" इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतों की इसमें कोई भूमिका नहीं है

बहस जो वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ व्यक्तिगत अधिकारों पर संघर्ष का आरोप लगाया जाता है

वैध चार्टर हितों को कुचलने से विशेषाधिकार की आड़ में,
अदालतों को किसी दावे की वैधता की जांच करनी चाहिए

संसदीय विशेषाधिकार।

(जोर दिया
गया)

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 523

410. जबकि हम पहले ही उल्लिखित मामले पर निर्भरता को खारिज कर चुके हैं

ऊपर विधायिका में निहित अनन्य संज्ञान की याचिका और विशेषाधिकार प्राप्त करने की सीमा तक न्यायिक समीक्षा के प्रतिबंध के समर्थन में, हम याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामले को संवैधानिक प्रावधानों और बहसों से समर्थन पाते हैं जो दर्शाते हैं कि यह है न्यायालय का कर्तव्य है कि वह शक्ति के प्रयोग की वैधता की जांच करे।

411. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को अपनी आत्मा के रूप में वर्णित किया है।

- सबसे महत्वपूर्ण लेख। कि

बहुत दिल से

संविधान

-

अनुच्छेद 32 द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है और यह कि संसद का कोई भी अधिनियम इसे निरस्त या हटा नहीं सकता है सिवाय अनुमेय के।

संवैधानिक योजना के मौलिक सिद्धांतों के क्षरण का निपटारा किया जाता है

भारतीय न्यायशास्त्र के प्रस्ताव।

412. राजस्थान राज्य के मामले में v. भारत संघ, [1977] 3 एससीसी

592 , तब तक संचार से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के दौरान

केंद्रीय गृह मंत्री ने नौ राज्यों से कहा कि वे अपने-अपने राज्यपालों को विधानसभाओं का पालन करने और लोगों से नए सिरे से जनादेश लेने की सलाह दें, इस अदालत ने पैरा 40 में कहा:

" इस न्यायालय ने अपने संवैधानिक कार्य को कभी नहीं छोड़ा है।

सभी कथित कृत्यों की संवैधानिकता का अंतिम न्यायाधीश

संविधान के अधिकार के तहत किया गया। मना नहीं किया है।
तथ्य या कानून के प्रश्नों को तब तक निर्धारित करना जब तक उसके पास है

स्वयं को ऐसा करने की शक्ति और न्याय का कारण पाया

अपने कार्यों से सिद्ध होने में सक्षम होना। लेकिन, ऐसा नहीं हो सकता।
यह मानते हुए कि संविधान को कहीं और अधिकार दिए गए हैं या

संविधान द्वारा अन्य विभागों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करना
राज्य जो उन्हें करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकता है। द.

संविधान के सभी संरक्षकों के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया
अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करने का कर्तव्य शामिल करें

जो कुछ है उसमें अतिक्रमण करके संवैधानिक रूप से सीमित शक्तियाँ

ठीक से अन्य संवैधानिक अंगों का क्षेत्र। के सवाल

केवल राजनीतिक ज्ञान या कार्यकारी नीति के अधीन नहीं किया जा सकता था

न्यायिक नियंत्रण। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यकारी नीति भी होनी चाहिए

संवैधानिक रूप से स्वीकृत उद्देश्यों के अधीन। इसका अपना है
क्षेत्र और सीमाएँ। लेकिन, जब तक यह उस [2007] 1 एस. सी. आर. के भीतर काम करता है।

क्षेत्र में, इसके संचालन न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हैं। यह है।

इसके तहत शक्तियों के मोटे तौर पर पृथक्करण के सिद्धांत का भी एक हिस्सा

संविधान की सर्वोच्चता बार-बार इसके द्वारा प्रतिपादित की गई

न्यायालय और जिसका न्यायालय निर्विवाद रूप से पालन करता है, तब भी जब उसका

किसी विशेष की सही व्याख्या पर विचार भिन्न होते हैं या बदलते हैं। संवैधानिक प्रावधान। 99 "

(जोर दिया गया)

413. हम उक्त संकल्प की पुष्टि करते हैं और तथ्यों में इसका कोई कारण नहीं पाते हैं

और वर्तमान परिस्थितियों में इस न्यायालय को एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि संवैधानिकता के अंतिम न्यायाधीश के रूप में अपने संवैधानिक कार्यों को छोड़ दिया जा सके।

संविधान के अधिकार के तहत किए जाने वाले सभी कृत्यों में से, हालांकि एक ही समय में उस क्षेत्र में अतिक्रमण करने से बचना जो उचित रूप से संसद का अधिकार क्षेत्र है।

414. ज्ञात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करता है कि के मामले में

उत्तर प्रदेश विधानसभा, अदालत ने अनुच्छेद 208 और 212 पर भरोसा रखा था, जो इस बात पर विचार करता है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन विधायिका द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसे नियम भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि यदि अनुच्छेद 118 (जो अनुच्छेद 208 से मेल खाता है) के तहत बनाए गए नियम संविधान के भाग III के अनुरूप हैं तो शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का प्रयोग एक निष्पक्ष अभ्यास होना तय है और संसद को इस तरह के इरादे के लिए सुरक्षित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

415. जबकि यह सच है कि प्रक्रिया के नियमों को कोई चुनौती नहीं है

लोकसभा में कार्य संचालन और दोनों सदनों द्वारा बनाए गए राज्य परिषद में कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम।

संसद द्वारा अनुच्छेद 118 (1) के तहत सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हमारी राय है कि केवल नियमों की उपलब्धता कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका विधिवत पालन किया गया है। हम किस बात से चिंतित हैं, सीमाओं को देखते हुए अनुच्छेद 122 (1) में निर्धारित, "प्रक्रिया की अनियमितता" नहीं है, बल्कि अवैधता या असंवैधानिकता है।

416. केन्द्र को प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ में

सरकार-कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (बी) द्वारा सरकार की स्थिति में कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देना।

एक राय बनाना कि परिस्थितियाँ मौजूद हैं, अन्य बातों के साथ, यह सुझाव देते हुए कि राजा राम पाल बनाम।

कंपनी का व्यवसाय धोखाधड़ी करने के इरादे से किया जा रहा है लेनदारों, बेरियम केमिकल्स लिमिटेड के मामले में यह न्यायालय v. कंपनी लॉ बोर्ड, ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 295 ने अभिनिर्धारित किया कि कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश "सख्ती से सीमित" होगी। हालांकि कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी यदि यह दिखाया जा सके कि कोई राय नहीं बनाई गई थी, यह देखा गया कि:

" ..... राय न बनाने के बीच एक अंतर है और

आधारों पर एक राय बनाना, जिसमें, यदि कोई अदालत जा सकती है

उस प्रश्न को बिल्कुल भी अनुपयुक्त या अपर्याप्त माना जा सकता है या अप्रासंगिक "।

417. यह आगे देखा गया कि -

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि राय का गठन व्यक्तिपरक है लेकिन अस्तित्व है।

अनुमान के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों के रूप में साइन क्वा गैर के लिए कार्रवाई प्रदर्शन योग्य होनी चाहिए।

(जोर दिया गया)

418. निर्णय के पैरा 60 में यह निम्नानुसार देखा गया था:

यद्यपि एक कानून के तहत शक्ति के प्रयोग में पारित एक आदेश औचित्य या पर्याप्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, यह

दुर्भावनापूर्ण बेईमानी के आधार पर रद्द किया जा सकता है या

भ्रष्ट उद्देश्य। भले ही इसे अच्छे विश्वास और सर्वश्रेष्ठ के साथ पारित किया जाए

उस विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का इरादा जो प्रदान करता है

शक्ति, क्योंकि प्राधिकरण को इसके अनुसार कार्य करना है और उस कानून की सीमा के भीतर, इसके आदेश को भी चुनौती दी जा सकती है।

यदि यह उन सीमाओं से परे है या बाहरी आधारों पर पारित किया गया है

विधान या यदि इसे पारित करने के लिए कोई आधार नहीं है या यदि आधार ऐसे हैं कि कोई भी यथोचित रूप से नहीं पहुंच सकता है

कानून के तहत आवश्यक राय या संतुष्टि।

(जोर दिया गया)

419. रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में v. एस. डी. अग्रवाल, [1969] 1 एस. सी. सी

अदालत ने बेरियम केमिकल्स के मामले में निर्धारित सिद्धांत का पालन किया और अभिनिर्धारित किया कि आवश्यक शर्तों के अस्तित्व को चुनौती दिए जाने की स्थिति में:

..... अदालतों को यह जांचने का अधिकार है कि क्या वे परिस्थितियाँ

जब आदेश दिया गया था तब मौजूद थे। दूसरे शब्दों में,

विचाराधीन परिस्थितियों का अस्तित्व न्यायिक के लिए खुला है

समीक्षा भले ही सरकार द्वारा बनाई गई राय नहीं है

न्यायालयों द्वारा समीक्षा के लिए उत्तरदायी "।

(जोर दिया गया)

420. यह मानते हुए कि सत्ता का वास्तविक प्रयोग होना चाहिए

प्राधिकरण, यह आगे देखा गया कि

" ..... अधिकार का प्रयोग ईमानदारी से किया जाना चाहिए न कि भ्रष्ट या भ्रष्ट लोगों के लिए।

अन्य उद्देश्य। प्राधिकरण को अपेक्षित राय बनानी चाहिए।

ईमानदारी से और पहले प्रासंगिक सामग्री पर अपना दिमाग लगाने की पेशकश करें

यह "।

XXXX

XXXX

XXXX

" इसे 'उचित रूप से कार्य करना चाहिए और मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से नहीं' और यह कि

अगर यह स्थापित किया गया था कि कोई सामग्री नहीं थी जिस पर

आवश्यक राय बनाई जा सकती है, न्यायालय वैध रूप से कर सकता है

' अनुमान लगाएँ कि प्राधिकरण ने संबंधित पर अपना दिमाग नहीं लगाया

तथ्य "।

(जोर दिया गया)

421. एस. आर. बोम्मई बनाम का मामला भारत संघ, [1994] 3 एस. सी. सी. 1

राष्ट्रपति द्वारा जारी अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य की विधानसभा को भंग करने का आदेश देते हुए, राज्य सरकार के कार्यों को स्वयं मानते हुए, इस संतुष्टि की घोषणा पर कि -

ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें उक्त राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था। इस मामले ने न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में सवाल खड़े कर दिए थे। राष्ट्रपति द्वारा ऐसी ओर से अभिलिखित। इस न्यायालय की संविधान पीठ (9 न्यायाधीशों) द्वारा बहुमत के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी घोषणा जारी करने के लिए अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग कम से कम इस हद तक न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि क्या घोषणा जारी करने की पूर्व शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं। इस तरह की परीक्षा के उद्देश्यों के लिए, अभ्यास में अनिवार्य रूप से राजा राम पाल v शामिल होगा।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 527

" इस बात की जांच कि क्या ऐसी संतुष्टि के लिए कोई सामग्री मौजूद थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह "कोई सामग्री" नहीं बल्कि सामग्री थी "जो इस तरह की घोषणा के लिए आवश्यक निष्कर्ष पर ले जाएगी और इसलिए," विचाराधीन सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो एक उचित व्यक्ति को प्रश्न में निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करे "। अदालत ने कहा कि हालांकि "सामग्री की पर्याप्तता या अन्यथा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ऐसी सामग्री से प्राप्त निष्कर्ष की वैधता निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है"। एस. आर. बोम्मई के मामले में निर्णय के पैरा 96 में दिखाई देने वाली निम्नलिखित टिप्पणियों को विस्तार से उद्धृत करने की आवश्यकता है:

" लोकतंत्र और संघवाद हमारी मूलभूत विशेषताएँ हैं।
संविधान और इसकी मूल संरचना का हिस्सा हैं। कोई भी व्याख्या

कि हम अनुच्छेद 356 पर रख सकते हैं, इसलिए इसे संरक्षित करने में मदद करनी चाहिए

और उनके कपड़े को नष्ट न करें। न्यायिक रूप से निहित शक्ति

राष्ट्रपति लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत मंत्रिपरिषद में वास्तविक

दो बुनियादी विशेषताओं को कम करने के लिए सभी अव्यक्त क्षमता है

संविधान की और इसलिए इसकी जांच करना आवश्यक है

ऐसी सामग्री जिसके आधार पर सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति

उसकी संतुष्टि को अधिक निकटता और सावधानी से बनाता है। यह हो सकता है

अदालतों द्वारा खुद को सीमित करते हुए किया जाना चाहिए
चर्चा के अनुसार न्यायिक समीक्षा के मानित मानदंड

ऊपर, अर्थात।, अवैधता, तर्कहीनता और दुर्भावना। इस तरह की जांच

सामग्री भी न्यायिक रूप से खोज योग्य के भीतर होगी और

प्रबंधनीय मानक "।

(जोर दिया
गया)

422. रामास्वामी, जे. एस. आर. के मामले में अपने अलग फैसले में।

बोम्मई को पैरा 255 में निम्नानुसार देखा गया है:

" न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। यह न्यायालय /
उच्च न्यायालयों का संवैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे इसका प्रयोग करें

विवेक पर प्रहरी के रूप में न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा नहीं है

निर्णय के गुणों से संबंधित, लेकिन तरीके के साथ

जो निर्णय लिया गया था "।

(जोर दिया
गया)

423. पैरा 256 में, जे. रामास्वामी ने स्पष्ट किया कि:

" न्यायिक पुनरीक्षण को न्याय्यता से अलग किया जाना चाहिए

अदालत। ये दोनों अवधारणाएँ समानार्थी नहीं हैं। की शक्ति

न्यायिक समीक्षा एक घटक शक्ति है और इसका त्याग नहीं किया जा सकता है
व्याख्या की न्यायिक प्रक्रिया। हालांकि, न्याय्यता

राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय शक्ति के प्रयोग का एक है

न्यायालय ने स्व-अधिरोपित न्यायिक प्रतिबंध से बचाव किया। यह एक कार्डिनल है

हमारे संविधान का सिद्धांत है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो, ऐसा नहीं कर सकता है

के तहत दी गई शक्ति का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा

संविधान। इसके कार्य शक्तियों की सीमा के भीतर हैं।

संविधान द्वारा दिया गया "।

(जोर दिया गया)

424. उसी समय, उन्होंने पैरा में अवलोकन करके सीमाओं को सीमित कर दिया।

निम्नानुसार:

अनुच्छेद 356 के तहत प्रयोग किया गया। आनुपातिकता का सिद्धांत नहीं हो सकता है
अनुच्छेद 356 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति तक विस्तारित किया जाए।

425. पैरा 215 में उन्होंने कहा कि:

. सिद्धांत है कि संतुष्टि एक द्वारा पहुँचा गया

अप्रासंगिक और प्रासंगिक आधारों पर आधारित प्रशासनिक अधिकारी
और जब कुछ अप्रासंगिक आधारों को ध्यान में रखा गया,

पूरा आदेश दूषित हो जाता है जिसके तहत कार्रवाई के लिए कोई आवेदन नहीं है

प्रशासनिक अभिकरण, उद्देश्य पर उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि का
हिरासत के मामलों, प्रशासनिक कार्रवाई या द्वारा जैसी सामग्री

अधीनस्थ विधान. "

(जोर दिया गया)

जीवन रेड्डी और अग्रवाल, जे. जे. , उनके अलग लेकिन सहमति में

मन में, माना गया कि:

..... सामग्री की सच्चाई या शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 529

न्यायालय द्वारा और न ही यह सामग्री की पर्याप्तता में जाएगा। यह होगा।

राष्ट्रपति की राय के स्थान पर अपनी राय भी नहीं रखेंगे। भले ही
कुछ सामग्री जिस पर कार्रवाई की जाती है, पाई जाती है

अप्रासंगिक, अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि

कार्रवाई को बनाए रखने वाली कुछ प्रासंगिक सामग्री। माला की जमीन

अन्य बातों के साथ-साथ उन स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है जहां घोषणा पाई जाती है।

सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला होना, या जिसे कभी-कभी कहा जाता है

बिजली के मामलों में धोखाधड़ी जहां इस शक्ति का उपयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है

तिरछा अंत। यह वास्तव में उक्त का केवल एक विस्तार है।

जमीन "।

(जोर दिया गया)

427. उन्होंने पैरा 375 में इस तरह के मामलों की आवश्यकता को भी मान्यता दी

आर. डी. का प्रभाव यह था कि जो निर्णयकर्ता के समक्ष जांच के दायरे में था, वह सर्वोच्च संवैधानिक में निहित शक्ति का प्रयोग था।

ओरीटी। वे निम्नानुसार थे:

" यह दोहराना आवश्यक है कि न्यायालय को सचेत रहना चाहिए जबकि
घोषणा की वैधता की जांच करना कि यह एक शक्ति है

राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी में निहित। द.

अदालत दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगी। अदालत करेगी,

जैसा कि यह होना चाहिए, थका हुआ चलना, इस तथ्य के लिए भत्ता देना कि

राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश हैं।

स्थिति की, कि अकेले उनके पास जानकारी है

और कभी-कभी प्रकृति में संवेदनशील सामग्री और यह कि संविधान
उन्होंने मामले में अपने फैसले पर भरोसा किया है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है।

कि राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं

मामले में अंतिम मध्यस्थ या उनकी राय निर्णायक है।

(जोर दिया गया)

428. जीवन रेड्डी और अग्रवाल, जे. जे. , जे. रामास्वामी के साथ सहमति व्यक्त की

पैरा 373 में निम्नानुसार लिखा है:

" जहाँ तक बेरियम केमिकल्स में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है

संबंधित है, यह व्यक्तिपरक संतुष्टि से संबंधित निर्णय है

एक कानून द्वारा बनाया गया प्राधिकरण। सिद्धांत तब विकसित हुए
वास्तव में इसे संवैधानिक [2007] 1 एस. सी. आर. के प्रयोग तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक

उच्चतम संवैधानिक द्वारा प्रयोग की जाने वाली उच्च संवैधानिक शक्ति

राष्ट्र के पदाधिकारी, इसे अपनाना उचित नहीं हो सकता है

वैधानिक या द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में लागू परीक्षण
प्रशासनिक अधिकारी और न ही किसी भी तरह से, पूरी तरह से।

(जोर दिया
गया)

429. एस. आर. बोम्मई के मामले के समान एक विवाद उत्पन्न हुआ।

रामेश्वर प्रसाद बनाम में इस न्यायालय के समक्ष। भारत संघ, [2006] 2 एस. सी. सी 1. उठाए गए प्रश्न एक बार फिर घोषणा जारी करने के लिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि की वैधता से संबंधित थे। एस. आर. बोम्मई के निर्णय की भावना का पालन करते हुए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के असाधारण चरित्र को उचित सम्मान देते हुए, जिसे प्रशासनिक कार्रवाई के बराबर नहीं माना जा सकता है और इसलिए जिसकी वैधता की जांच प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उपलब्ध आधारों को लागू करके नहीं की जा सकती है, इस न्यायालय ने कहा कि शक्ति निरपेक्ष नहीं है, बल्कि नियंत्रण और संतुलन और न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

संसदीय प्रावधानों के प्रयोग के संबंध में न्यायिक समीक्षा के मापदंड से संबंधित सिद्धांतों का सारांश

430. हम उन सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें यहाँ से निकाला जा सकता है -

ऊपर की चर्चा। वे इस प्रकार हैं:

संसद एक समन्वित निकाय है और इसके विचार इसके योग्य हैं।

ए।

मान तब भी जबकि इसके कार्य न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी हैं;

सरकार की संवैधानिक प्रणाली निरंकुशता का तिरस्कार करती है और यह

बी।

हमारे संविधान का मूल सिद्धांत होने के नाते कि कोई भी, चाहे वह कितना भी ऊँचा हो, संविधान के तहत दी गई शक्ति का एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा नहीं कर सकता है, केवल संवैधानिक समन्वय कर सकता है
दर्जा, या यहाँ तक कि एक उच्च संवैधानिक अधिकारियों की स्थिति, इस न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं बनाती है

कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा जो भाग लेती है-न्यायिक का चरित्र लेती है

या अर्ध-न्यायिक निर्णय;

शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग की अनिवार्यता और आवश्यकता

सी.

विधायिका द्वारा विधायी I PAL v के निर्धारण के लिए हैं।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 531

प्राधिकरण और अदालतों द्वारा निर्धारण के लिए नहीं;

अवमानना या विशेषाधिकार की शक्ति के प्रयोग के तरीके की न्यायिक समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि उक्त अधिकार क्षेत्र को हड़पा जा रहा है न्यायपालिका द्वारा;

संविधान के तहत विधायिका द्वारा किए गए कार्यों के महत्व और इसके कार्य की महिमा और भव्यता को ध्यान में रखते हुए, हमेशा एक प्रारंभिक धारणा होगी कि

शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि नियमित रूप से और उचित रूप से दिए गए हैं। प्रयोग किया गया, कानून या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया,

यह धारणा एक खंडन योग्य है;

तथ्य यह है कि संसद समन्वय का एक प्रतिष्ठित निकाय है

संवैधानिक स्थिति का मतलब यह नहीं है कि कोई नहीं हो सकता है

अपनी शक्ति के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक;

जबकि शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का क्षेत्र विधायिका असाधारण और असाधारण होने के कारण इसके कार्य, विशेष रूप से

उसके अभ्यास से संबंधित, पर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए

न्यायिक समीक्षा के पारंपरिक मानदंडों का परीक्षण उसी तरह किया जाएगा जैसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण किया जाता है और न्यायालय खुद को न्यायिक मानदंडों के स्वीकृत मानकों तक ही सीमित रखेगा।

समीक्षा और न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय के भीतर

मानकों, इस दलील का कोई आधार नहीं है कि एक विधायी निकाय को अधिकार क्षेत्र की त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है;

न्यायपालिका को इसकी वैधता की जांच करने से नहीं रोका गया है

मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली विधायिका की कार्रवाई

नागरिकों को प्रदान किया गया;

व्यापक तर्क कि विधायिकाओं द्वारा विशेषाधिकारों का प्रयोग

मौलिक अधिकारों की कसौटी के खिलाफ निर्णय नहीं लिया जा सकता है

या संवैधानिक प्रावधान सही नहीं हैं;

यदि कोई नागरिक, चाहे वह गैर-सदस्य हो या विधानमंडल का सदस्य, शिकायत करता है कि अनुच्छेद 20 या 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार थे उल्लङ्घन किया गया है, यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उक्त विवाद के गुणागुण की जांच करे, विशेष रूप से जब विवादित [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्रवाई में नागरिक परिणाम शामिल हैं;

अनन्य संज्ञान के प्रतिबंध के दावे का कोई आधार नहीं है या

के

अनुच्छेद में संसदीय कार्यवाही के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा

105 (3) संविधान का;

विधायिका द्वारा विशेषाधिकार के प्रवर्तन का तरीका

1 .

न्यायिक जांच में परिणाम, हालांकि प्रतिबंधों के अधीन

उदाहरण के लिए, अन्य संवैधानिक प्रावधानों में निहित

अनुच्छेद 122 या 212;

अनुच्छेद 122 (1) और अनुच्छेद 212 (1) व्यापक सिद्धांत को विस्थापित करते हैं

एम.

इंग्लैंड में विधायिका का सदन की आंतरिक कार्यवाही का विशेष संज्ञान
उस मामले में अदालतों से निकले कानून अप्रासंगिक हैं

अधिकारिता; क्योंकि इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शासन प्रणाली

अनुच्छेद 122 (1) और अनुच्छेद 212 (1) किसी भी कानून की वैधता को
प्रतिबंधित करते हैं।

एन.

विधायिका में कार्यवाही को अदालत में प्रश्न में बुलाए जाने से

केवल प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर;

सामग्री की सच्चाई या शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा

0 .

न्यायालय न तो सामग्री की पर्याप्तता में जाएगा या

विधायिका के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करें;

आम तौर पर, एक निकाय के रूप में विधायिका पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है

पी.

किसी बाहरी उद्देश्य के लिए कार्य करने या मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित होने के कारण, और न्यायालय दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगा, इस तथ्य के लिए छूट देता है कि विधायिका ऐसे मामलों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है, लेकिन यदि किसी दिए गए मामले में, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो न्यायालय उक्त तर्क की वैधता की जांच कर सकता है, आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर जिम्मेदारी
बहुत भारी होना

वे नियम जो विधायिका को अपने विनियमन के लिए बनाने होते हैं

क्यू।

प्रक्रिया और उसके व्यवसाय का संचालन निम्न के अधीन होना चाहिए - संविधान के प्रावधान; राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सभरवाल, सी. जे.)। 533

केवल प्रक्रिया और आचरण के नियमों की उपलब्धता

आर.

संविधान के तहत सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायिका द्वारा किया गया कार्य कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका विधिवत पालन किया गया है।

वे कार्यवाहियाँ जो मूल आधार के कारण दूषित हो सकती हैं

एस.

या सकल अवैधता या असंवैधानिकता से संरक्षित नहीं हैं

न्यायिक जांच;

भले ही कुछ सामग्री जिस पर कार्रवाई की जाती है, पाई जाती है।

टी.

अप्रासंगिक होने के लिए, अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री है;

एक निष्कासन खंड जो किसी निर्धारण को अंतिम रूप देता है

यू।

आम तौर पर निर्णय की समीक्षा करने की अदालत की शक्ति को हटा दिया जाता है, लेकिन अधिकार क्षेत्र की कमी या किसी कारण से अमान्य होने के आधार पर नहीं, जैसे कि घोर अवैधता, तर्कहीनता, निर्णय का उल्लंघन।

संवैधानिक जनादेश, दुर्भावनापूर्ण, प्राकृतिक न्याय और विकृति के नियमों का पालन न करना;

431. अब इसकी जांच की जा सकती है कि क्या मामलों में निष्कासन की शक्ति के प्रयोग का तरीका ऐसी किसी अवैधता से ग्रस्त है या नहीं। इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान करने के लिए असंवैधानिकता।

याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत मामलों की जांच

432. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संसद के प्रत्येक सदन की ओर से उन्हें सदस्यता से निष्कासित करने वाली विवादित कार्रवाई

दुर्भावना से पीड़ित है क्योंकि निर्णय पहले ही लिया जा चुका था

उन्हें भगा दें। इस संदर्भ में वे अन्य बातों के साथ-साथ 12 दिसंबर 2005 को सदन में लोकसभा अध्यक्ष की ओर से की गई घोषणा का उल्लेख करेंगे कि "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा"। तर्क यह है कि पूछताछ नकली थी और मामले को निष्पक्ष खेल और प्राकृतिक न्याय की सभी बुनियादी तोपों के खिलाफ पूर्व निर्धारित स्वभाव के साथ संपर्क किया गया था। 433. दूसरी ओर, श्री अंधारुजिना द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संसद के सदनों को किसी भी दुर्भावनापूर्ण या गुप्त उद्देश्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि विवादित निर्णय सदनों द्वारा लिए गए थे

समग्र रूप से, 534 की रक्षा के हित में अत्यंत अच्छे विश्वास के साथ

संसद की स्थिति और प्रतिष्ठा। विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी सदन के किसी भी सदस्य ने कदाचार के निष्कर्षों पर विवाद नहीं किया था और यह किसी के लिए भी सदन में कही गई या की गई किसी भी बात पर यह सुझाव देने के लिए खुला नहीं था कि कार्य या शब्द अनुचित उद्देश्यों से प्रेरित थे।

434. जैसा कि इस निर्णय के पूर्व भाग में पहले ही देखा जा चुका है, विधानमंडल

आम तौर पर किसी बाहरी उद्देश्य के लिए कार्य करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है या

मनमौजी या दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित होना। न्यायालय इस तरह के प्रतिष्ठित निकायों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगा क्योंकि इस तथ्य को हमेशा भत्ता दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में विधायिका सबसे अच्छी न्यायाधीश है।

435. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, निष्कर्ष इस प्रकार नहीं निकाले जा सकते हैं कि -

बयानों को पढ़कर संसद के सदनों को उद्देश्य का श्रेय दें

संदर्भ। 12 दिसंबर 2005 को सदन में दिए गए माननीय अध्यक्ष के भाषण का प्रासंगिक हिस्सा भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में निकाला गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह कहने से पहले कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, अध्यक्ष ने सदन के सदस्यों को इस अवसर पर खड़े होने और यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया था कि भविष्य में ऐसी घटना कभी न हो और सराहना की कि "यदि कोई दोषी है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए"। यह स्पष्ट है कि जब उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तो वे तुरंत यह निर्णय नहीं दे रहे थे कि

याचिकाकर्ता दोषी थे। वह केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था

प्रसारण में पेश किए गए तथ्यों की पुष्टि करने वाली जांच की स्थिति में उचित कार्रवाई का विषय। अपराध का पता बाद में चलेगा। तथ्य यह है कि उन्होंने एक जांच समिति का गठन किया था जिसमें विपक्ष के दलों के सदस्य भी शामिल थे, बल्कि यह दर्शाता है कि उस स्तर पर संकल्प सच्चाई का पता लगाना था।

436. इन परिस्थितियों में, हम आरोप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं

इस आधार पर दुर्भावनापूर्ण कि उन्हें निष्कासित करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था। अन्यथा भी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दोनों सदनों की संबंधित समितियों के भीतर असहमति अनिवार्य रूप से अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित थी। कुछ कम भी नहीं और कुछ ज्यादा भी नहीं। इसके अलावा, की रिपोर्ट

संसद के संबंधित सदनों द्वारा समितियों को अपनाए जाने के बाद, समिति के निर्णय को विधायी कक्ष में विलय कर दिया गया, जो कि सामूहिक निकाय होने के कारण, उद्देश्य का श्रेय देना मुश्किल है।

इसके लिए, विशेष रूप से, इस तथ्य के बावजूद कि विचाराधीन संकल्प राजा राम पाल v.

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 535

वे लगभग सर्वसम्मत थे क्योंकि किसी भी स्तर पर मत विभाजन की कोई मांग नहीं की गई थी।

437. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि परिस्थितियां संसद के सदनों द्वारा निष्कासन की शक्ति के प्रयोग की गारंटी नहीं देती हैं क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के पीछे के व्यक्ति लाभ और लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित थे। इस संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील बार-बार श्री अनिरुद्ध बहल के साक्षय का उल्लेख करेंगे, विशेष रूप से, जैसा कि लोकसभा की जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

जिसमें वह विचाराधीन कार्यक्रम के प्रसारण के लिए टेलीविजन चैनलों के साथ व्यवस्था के कारण कुछ वित्तीय लाभों को स्वीकार करेगा।

438. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं ताकि हमारे सामने की गई कार्रवाई में दोष ढूंढ सकें। हम यहाँ इस बात से चिंतित नहीं हैं कि किस तरह के लाभ, वित्तीय या अन्यथा, उन व्यक्तियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सामग्री को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन की कल्पना की थी या इंजीनियर किया था। यह संसद के सदनों के लिए भी चिंता का विषय नहीं था जब वे मामले की जांच करने लगे जिसके परिणामस्वरूप अंततः निष्कासन हुआ। एकमात्र प्रश्न जिसे जांच समितियों और विधायी कक्षों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता थी, वह सदन को बदनाम करने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के कदाचार के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमता था। इसलिए, हम उपरोक्त तर्क को अस्वीकार करते हैं जो हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं, अर्थात्, कि विधानमंडल द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग की समीचीनता और आवश्यकता बाद वाले द्वारा निर्धारित करने के लिए है न कि न्यायालयों द्वारा।

439. याचिकाकर्ताओं ने विवादित की वैधता पर सवाल उठाया है

इस आधार पर कार्रवाई कि तय की गई प्रक्रिया और तंत्र सदस्यता की समाप्ति को पारित कर दिया गया।

440. उपरोक्त संदर्भ में, सबसे पहले अनुच्छेद 103 और दसवीं अनुसूची में निर्धारित प्रक्रिया का संदर्भ दिया गया था। लेकिन फिर, हम पहले से ही है यह पाया गया कि दोनों में निर्धारित प्रक्रिया के उद्देश्य

संविधान के प्रावधान पूरी तरह से अलग हैं। जबकि अनुच्छेद 103 अनुच्छेद 102 में निर्धारित अयोग्यताओं से संबंधित है, दसवीं अनुसूची दलबदल के कारण अयोग्यता से संबंधित है। इन प्रावधानों का निष्कासन की शक्ति के प्रयोग के साथ कोई संबंध नहीं है।

अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद के सदनों को उपलब्ध विशेषाधिकार। यह

इसलिए, तर्क याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किसी भी तरह की कटौती नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

441. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों का मुख्य जोर

हालाँकि, तय की गई प्रक्रिया और तंत्र से बचने का संदर्भ था तथ्य यह है कि दोनों सदनों में से प्रत्येक के लिए प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में विशेषाधिकार समिति के तंत्र का उपयोग नहीं किया गया था, जिसके लिए प्रावधान मौजूद है। यह तर्क दिया गया है कि मामले बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के, विशेषाधिकार समितियों के अलावा अन्य जांच समितियों को लोकसभा के मामले में इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित समिति को भेजे गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुखर रूप से दी गई दलीलों के अनुसार, इसे पूरी प्रक्रिया को दूषित करने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी ने इस हद तक सुझाव दिया कि अपनाई गई प्रक्रिया तदर्थ प्रक्रिया थी और इसलिए, किसी के द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता था कि स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

442. हम उपरोक्त शिकायतों में कोई सार नहीं पाते हैं

याचिकाकर्ता। राज्यसभा के दो सदस्यों से संबंधित मामलों को नैतिकता समिति को भेजा गया था जो उक्त सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों द्वारा प्रदान किया गया एक तंत्र भी है। हालांकि यह सही है कि लोकसभा के सदस्यों से संबंधित मामलों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित समिति को भेजा गया था, लेकिन इस तथ्य पर कुछ भी नहीं होता है। यह देखा जा सकता है कि विचाराधीन परिस्थितियों में समिति की संरचना स्वयं यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह एक पक्षपातपूर्ण समिति नहीं थी। समिति के लिए संदर्भ की शर्तों के अनुसार उसे आरोपों की जांच करने की आवश्यकता थी।

443. जाँच समिति द्वारा लिए गए निष्कर्ष और

दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, जिन्होंने संबंधित समितियों की रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया है।

444. अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को इसके लिए नियम बनाने का अधिकार देता है -

अपनी प्रक्रिया को विनियमित करना। दोनों सदनों की प्रक्रिया के नियम समितियों के गठन की अनुमति देते हैं। उक्त सदन के सदस्यों के खिलाफ आरोपों की जांच के उद्देश्यों के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समिति के गठन के साथ कोई अवैधता जुड़ी नहीं है। इसलिए, तदर्थ प्रक्रिया का तर्क हमें आकर्षित नहीं करता है।

445. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ

दोनों सदनों की समितियाँ न तो उचित थीं और न ही निष्पक्ष। इसके अलावा, उनका तर्क है कि पूरी जांच अनुचित और अवैध थी क्योंकि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इस संदर्भ में, राजा राम पाल बनाम की शिकायतें।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सभरवाल, सी. जे.] 537

याचिकाकर्ता कई प्रकार के होते हैं। वे कहेंगे कि उन्हें अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था; उन्हें कानूनी सलाह के माध्यम से अपना बचाव करने या समझाने का अवसर देने से वंचित कर दिया गया था; सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुरोध, विशेष रूप से असंपादित। इस तरह के साक्षय की सत्यता का परीक्षण करने के लिए वीडियोग्राफी के संस्करणों को अस्वीकार कर दिया गया था और छेड़छाड़ या मॉर्फ किए गए वीडियो-क्लिपिंग को साक्षय में स्वीकार किया गया था, पूरी प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जल्दबाजी में किया गया था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि इन मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित और सीमित है। उचित अवसर न दिए जाने के संबंध में, हम उस बात को दोहराते हैं जो हाल ही में जगजीत सिंह बनाम में हुई थी। हरियाणा राज्य और अन्य। , [2004 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 287 ने निर्णय लिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं हैं, बल्कि लचीले हैं। उन्हें एक कठोर सांचे में नहीं डाला जा सकता है और एक जलडमरूमध्य में नहीं रखा जा सकता है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसके अनुपालन पर विचार किया जाना चाहिए।

446. हम उचित अवसर से इनकार करने के तर्क को पूरी तरह से खारिज करते हैं और यह भी कि कार्यवाही जल्दबाजी में पूरी की गई थी। लंबी कार्यवाही के मामले में "न्याय में देरी न्याय से इनकार है" का झंडा उठाना और यदि परिणाम जल्दी आते हैं तो "न्याय में जल्दबाजी न्याय दफन है" का तर्क देना लगभग फैशनेबल हो गया है। हम मामलों की जांच करने वाली समितियों द्वारा लिए गए समय से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई विशिष्ट समय निर्धारित नहीं है या

निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे मामलों को याचिकाकर्ताओं को दिए गए उचित अवसर के अनुदान के अधीन अधिकतम अभियान के साथ निपटाया जाना आवश्यक है।

447. जैसा कि भारत संघ की ओर से विद्वान वकील ने जांच की मुख्य रिपोर्ट के आधार पर अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं

लोकसभा की समिति, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो टेप के पूर्ण-फुटेज की आपूर्ति या ऐसे उद्देश्यों के लिए वकील के माध्यम से समय बढ़ाने या प्रतिनिधित्व के अनुरोध को जांच समिति का समर्थन नहीं मिला क्योंकि समिति ने लोकसभा के संबंधित सदस्यों को प्रासंगिक वीडियो-फुटेज देखने का अवसर देने की पेशकश की थी।

समिति के पास उपलब्ध है और उसमें विसंगतियों को इंगित करता है, यदि कोई हो,

उस पर। लेकिन, जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिसकी प्रति भारत संघ द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। स्थिति लगभग जगजीत सिंह के मामले जैसी ही थी।

448. हम यूनियन [2007] 1 एस. सी. आर. के विद्वान वकील की दलीलों से सहमत हैं।

भारत ने कहा कि संबंधित सदस्यों की ओर से इनकार किए जाने के बावजूद जांच समिति ने इन आपत्तियों को कोई विश्वास नहीं दिया कि वीडियो-क्लिपिंग के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ की गई थी। इन परिस्थितियों में समिति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह बैठक बुलाने के लिए आगे बढ़ेगी

उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालना।

449. लोकसभा की जांच समिति की रिपोर्ट और

राज्यसभा की नैतिकता समिति से संकेत मिलता है कि उक्त दोनों समितियों ने प्रत्येक सदस्य से स्पष्टीकरण मांगा था और उस पर उचित विचार किया था। विद्वानों की प्रस्तुतियाँ

भारत संघ के वकील ने कहा कि संबंधित समितियों की कार्यवाही सभी के लिए खुली थी, जिसमें वे याचिकाकर्ता भी शामिल थे जिन्होंने वास्तव में कार्यवाही में भाग लिया था, इसका खंडन नहीं किया जा सकता था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को यह तर्क देने की अनुमति नहीं है कि सबूत उनकी पीठ पीछे ले लिए गए थे। रिपोर्टों से आगे पता चलता है कि समितियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग के संपादित संस्करणों पर आगे न बढ़ने का ध्यान रखा था। उनमें से प्रत्येक ने जोर देकर विभिन्न स्टिंग ऑपरेशनों का कच्चा वीडियो-फुटेज प्राप्त किया और उसे देखने के बाद निष्कर्ष निकाला। जैसा कि भारत संघ के विद्वान वकील ने बताया, वीडियो रिकॉर्डिंग में निहित साक्षय इंगित करते हैं

राज्यसभा के दो सदस्यों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से दो मामलों में धन की मांग या स्वीकृति की पुष्टि हुई। डॉ. छत्रपाल सिंह लोढ़ा ने धन की प्राप्ति का श्रेय किसी संगठन से जुड़े एक अलग लेन-देन को दिया था जिसका वह नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस स्पष्टीकरण पर नैतिकता समिति द्वारा विश्वास नहीं किया गया था जिसने सर्वसम्मति से स्वीकार करने के कारण अनैतिक व्यवहार में उनकी भागीदारी पाई राज्यसभा में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए धन। दूसरी ओर, डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज ने नैतिकता समिति के समक्ष भी अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त करने और शर्म की भावना प्रदर्शित करने की हद तक चले गए।

450. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि साक्षय इस पर निर्भर करता है

संसद के दोनों सदनों द्वारा विश्वास को प्रेरित नहीं करता है और यह विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं हो सकता है। उनका तर्क है कि निष्कासन का निर्णय दूषित है क्योंकि यह आनुपातिकता, निष्पक्षता, वैधता, समानता, न्याय या अच्छे विवेक की सभी भावनाओं का उल्लंघन करता है, और यह कानून में भी बुरा है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ा है।

क्योंकि उनकी छवि और प्रतिष्ठा की नज़रों में गिरावट आई थी

मतदाता।

451. हमारा विचार है कि राजा राम पाल बनाम के विवादित संकल्प।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 539

आनुपातिकता के अनुरोध पर हमारे सामने लोकसभा और राज्यसभा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हम निर्णय पर अपील में नहीं बैठे हैं इस प्रकार के मामलों में सजा की सीमा के

संबंध में विधायी कक्ष। यह एक ऐसा मामला है जिसे विधायी निकाय के विशेषाधिकार और एकमात्र विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इससे भी ज्यादा

इसलिए क्योंकि यह बाद वाला है जो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में सबसे अच्छा न्यायाधीश है जिसका उद्देश्य आत्मरक्षा है। जब तक निष्कासन के आदेश अवैध या असंवैधानिक नहीं हैं, हम इन निष्कासनों के कारण याचिकाकर्ताओं के लिए परिणामों से चिंतित नहीं हैं।

452. इन कार्यवाही में, यह न्यायालय सामग्री की सच्चाई या शुद्धता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दे सकता है या याचिकाकर्ताओं को अनुमति नहीं दे सकता है सामग्री की पर्याप्तता में जाएं या विधायिका की राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करें। यह मानते हुए कि कुछ सामग्री जिस पर कार्रवाई की गई है, अप्रासंगिक पाई जाती है, यह न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री है। हम पाते हैं कि यह सामग्री वीडियो रिकॉर्डिंग के कच्चे फुटेज के रूप में उपलब्ध थी, सामग्री की प्रकृति जिसकी जांच रिपोर्ट में झलकती है और किस विषय पर याचिकाकर्ताओं ने तथ्य का कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

453. जाँच रिपोर्ट के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि सामान्य रूप से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और अनुच्छेद 14,20 या 21 में

विशेष रूप से। प्रत्येक याचिकाकर्ता को समझाने और बचाव करने का उचित अवसर दिया गया है, दोनों सदनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया संसद को किसी भी अवैधता, तर्कहीनता से पीड़ित नहीं माना जा सकता है।

असंवैधानिकता, प्राकृतिक न्याय या विकृति के नियमों का उल्लंघन। यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को उचित सौदा नहीं दिया गया था।

454. समापन से पहले, हम मामले में पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

455. उपरोक्त को देखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं की दलीलों में कोई सार नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के निष्कासन के निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं और स्थानांतरित मामले

संसद के संबंधित सदनों को योग्यता से रहित होने के कारण बर्खास्त कर दिया जाता है।

सी. के. ठाकर, जे. :

1. मुझे [2007] 1 एस. सी. आर. द्वारा तैयार किए गए विद्वतापूर्ण निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है।

मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश। याचिकाओं को खारिज करने के अंतिम आदेश से मैं सहमत हूं। हालाँकि, इन मामलों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, जो वास्तव में बहुत सार्वजनिक महत्व का है, जिसके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक के लिए दूरगामी परिणाम हैं, मैं इस पर विस्तार से विचार करने का इरादा रखता हूँ।

2. इन 11 याचिकाओं में (9 लोकसभा सदस्यों द्वारा और 2 सदस्यों द्वारा)

), याचिकाकर्ताओं ने संसद द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही, समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को चुनौती दी है।

संसद द्वारा गठित उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी ठहराते हुए और उन्हें संसद के सदस्यों के रूप में निष्कासित करने वाली अधिसूचनाएं।

3. मामले की 'दुर्भाग्यपूर्ण पृष्ठभूमि' से निपटा गया है

विद्वान मुख्य न्यायाधीश और मेरा इसे दोहराने का इरादा नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है

कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पैसे स्वीकार किए संसद में प्रश्न प्रस्तुत करना/मुद्दे उठाना। माननीय सदस्यों के आरोपों और आचरण की जांच के लिए समितियाँ नियुक्त की गईं। आरोप सही पाए गए और समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, सदस्यों को संसद द्वारा निष्कासित कर दिया गया। उन सदस्यों ने निष्कासन की विवादित कार्रवाई को चुनौती दी है।

4. न्यायालय को विद्वान वकील द्वारा कुशलता से सहायता प्रदान की गई थी

संसदीय विशेषाधिकारों के केंद्रीय प्रश्न, उन विशेषाधिकारों से निपटने के लिए सदन की शक्ति और ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे और दायरे पर पक्षकार।

5. शुरुआत में, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं

यह विवाद कि क्या संसद के पास किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति है और क्या ऐसी शक्ति और विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) के अंतर्गत आते हैं। मैं स्पष्ट

कर सकता हूं कि यह नहीं समझा जा सकता है कि मैंने पार्टियों द्वारा उठाए गए कई प्रश्नों पर एक या दूसरे तरीके से अंतिम राय व्यक्त की है और इस निर्णय में संसद की सदस्यता के निष्कासन के केंद्रीय मुद्दे से संबंधित या प्रासंगिकता के अलावा इस पर विचार किया है।

संसदीय विशेषाधिकार: मतलब

6. एक महत्वपूर्ण और साथ ही एक जटिल प्रश्न है: हम क्या करें?

क्या आप 'संसदीय विशेषाधिकारों' को समझते हैं?

7. " "कुछ भी नहीं", डाइसी ने कहा, "राजा राम पाल वी की सीमा की तुलना में परिभाषित करना कठिन है।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 541

संसद के किसी भी सदन के अधीन अनिश्चितकालीन शक्तियाँ या अधिकार

संसद के विशेषाधिकार या कानून और रीति-रिवाजों का प्रमुख।

उनके अर्थों में और सामग्री में भी। 9. ' 'शक्ति' का अर्थ है 'कुछ करने या किसी विशेष तरीके से कार्य करने की क्षमता'। यह कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उस उद्देश्य के लिए निर्देशित अपनी वसीयत; अपने या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों, देनदारियों या अन्य कानूनी संबंधों को बदलने का अधिकार प्रदान करता है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें प्रक्रियात्मक और मूल अधिकार शामिल हैं जिनका प्रयोग एक

व्यक्ति या प्राधिकरण।

10. ' 'विशेषाधिकार' एक विशेष अधिकार, लाभ या लाभ है जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है।

विशेष व्यक्ति। यह एक विशिष्ट लाभ या अनुग्रह है जो एक व्यक्ति को दूसरे के विरुद्ध कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है। शब्द में अंतर्निहित विचार है

एक सामान्य अधिकार से अलग और अलग कुछ जो सभी द्वारा प्राप्त किया जाता है व्यक्ति और संप्रभु द्वारा किसी प्रकार के विशेष अनुदान को संदर्भित करता है।

11. ' प्रतिरक्षा 'सामान्य दायित्व, कर्तव्य, बोझ या दंड से छूट या स्वतंत्रता है। कानून की अदालत या अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थिति से छूट, अभियोजन से स्वतंत्रता, सजा से

सुरक्षा, आदि कुछ व्यक्तियों या पदाधिकारियों को दी गई उन्मुक्ति हैं। 12. सर एर्स्किन मे, अपनी प्रसिद्ध कृति 'कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और संसद के उपयोग पर ग्रंथ' में, (23 वां संस्करण); पी। 75 राज्य;

" संसदीय विशेषाधिकार प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त विशिष्ट अधिकारों का योग है।

संसद का उच्च न्यायालय और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे, और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास से अधिक था। इस प्रकार विशेषाधिकार, हालांकि देश के कानून का हिस्सा है, कुछ हद तक सामान्य कानून से छूट है। गिरफ्तारी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कुछ अधिकार और उन्मुक्ति मुख्य रूप से प्रत्येक सदन के व्यक्तिगत सदस्यों के हैं और मौजूद हैं क्योंकि सदन अपने सदस्यों की सेवाओं के निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे अन्य अधिकार और

अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति और [2007] 1 एस. सी. आर. जैसी उन्मुक्ति।

अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने की शक्ति मुख्य रूप से प्रत्येक के पास है।

अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक सामूहिक निकाय के रूप में सदन और

अपने स्वयं के अधिकार और गरिमा की पुष्टि। बुनियादी तौर पर,

हालाँकि, यह केवल प्रभावी निर्वहन के साधन के रूप में है

सदन के सामूहिक कार्य जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं

सदस्यों द्वारा आनंद लिया गया "।

13. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, (चौथा संस्करण। ; रीइश्यू, वॉल्यूम। 34 ; पी। 553 ;

पैरा 1002); यह कहा गया है;

" अधिकारों और विशेषाधिकारों का दावा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और

सामूहिक रूप से, कुछ अधिकार और विशेषाधिकार जो आवश्यक हैं
प्रत्येक सदन, जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे,

और जो अन्य निकायों और व्यक्तियों के कब्जे से अधिक है।

1705 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय लिया कि किसी भी सदन के पास शक्ति
नहीं है।

किसी भी नए विशेषाधिकार का सृजन करने के लिए और जब यह सूचित किया गया
था

कॉमन्स, उस सदन ने सहमति व्यक्त की। प्रत्येक सदन इसके संरक्षक हैं।
विशेषाधिकार रखने वाले और किसी भी मामले के एकमात्र न्यायाधीश होने का दावा करने वाले

उत्पन्न हो सकता है जो किसी भी तरह से उन पर प्रभाव डालता है, और, यदि वह
समझता है

किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की सलाह दी जाती है जिसे वह दोषी मानता है

विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना "।

14. राज्य की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के प्रमुख मामले में

अपनी आंतरिक कार्यवाहियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के सदन के अधिकार को उसका
विशेषाधिकार माना जा सकता है, अवमानना के लिए किसी को दंडित करने के उसके अधिकार को
अधिक उचित रूप से उसकी शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि यह अधिकार कि
कोई भी सदस्य सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उत्तरदायी होना वास्तव में एक
प्रतिरक्षा हो सकती है।

15. 'संसदीय विशेषाधिकार-प्रथम रिपोर्ट' (लॉर्ड निकोलस रिपोर्ट) में,

यह देखा गया था;

" संसदीय विशेषाधिकार में अधिकार और उन्मुक्ति शामिल हैं-राजा राम
पाल बनाम।

जो संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और अधिकारियों के पास अपने संसदीय कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए है। इस संरक्षण के बिना सदस्य अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो जाएंगे और कार्यपालिका का सामना करने और नागरिकों की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में संसद का अधिकार उसी के अनुरूप होगा।

कम हो जाता है। "

निजता के लिए आरक्षण

16. इन विशेषाधिकारों के कारण को फिर से संक्षेप में समझाया गया है।

सर एर्स्किन मे द्वारा इस प्रकार;

" विशेषाधिकार का विशिष्ट चिह्न इसका सहायक चरित्र है।

संसद के विशेषाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो पूरी तरह से

अपनी शक्तियों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक '। वे अलग-अलग सदस्यों द्वारा आनंदित होते हैं, क्योंकि सदन अपने सदस्यों की सेवाओं के निर्बाध उपयोग के बिना अपने कार्यों का पालन नहीं कर सकता है; और प्रत्येक सदन द्वारा अपने सदस्यों और सदस्यों की सुरक्षा के लिए।

अपने अधिकार और गरिमा की पुष्टि "।

17. हालांकि, निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसदीय विशेषाधिकारों के माध्यम से कानून से ऊपर नहीं रखा जाता है; उन्हें केवल कुछ लाभ दिए जाते हैं।

और कानूनी प्रक्रिया से बुनियादी छूट ताकि सदन

स्वतंत्र रूप से, कुशलता से और निडरता से कार्य करें। यह हित में है

पूरा राष्ट्र।

संसद: सदस्यों को निष्कासित करने के लिए एक-दूसरे के अधिकार

18. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी बुनियादी और मौलिक प्रश्न

ये याचिकाएँ किसी सदस्य को निष्कासित करने की संसद की शक्ति हैं। अन्य

आनुषंगिक और सहायक प्रश्न मुख्य प्रश्न के आसपास केंद्रित होते हैं -

विधायिका के किसी सदन का सदस्यता से निष्कासन का अधिकार। अगर एकमात्र

शक्तियाँ, विशेषाधिकार प्रदान करने का उद्देश्य या सर्वोपरि विचार

और विधानमंडल के सदस्यों के लिए उन्मुक्ति उन्हें सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए है कि वे अपने कार्यों का पालन करें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और अपने कार्यों का निर्वहन करें

प्रभावी ढंग से, कुशलता से और बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना कर्तव्यों या प्राधिकरण, यह पचाना मुश्किल है कि इस तरह के दुरुपयोग या दुरुपयोग के मामले में

किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार, विधानमंडल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, माता पिता का शरीर।

[2007] 1 एस सी आर।

544

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. मैं सिद्धांत के साथ-साथ व्यवहार पर भी प्रश्न की जांच करना चाहता हूं।

यह उचित होगा यदि मैं भारत और अन्य देशों के संवैधानिक प्रावधानों, तथ्यात्मक विचारों और प्रासंगिक मामले कानून के आलोक में कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करूं।

अमेरिकी कानून

20. जहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, संविधान

स्वयं इस अधिकार को मान्यता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 5 विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसा अधिकार प्रदान करती है। उपखंड (2) इस प्रकार है;

" (2) प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के नियम निर्धारित कर सकता है, दंड दे सकता है।

इसके सदस्य अव्यवस्थित व्यवहार के लिए, और, की सहमति के साथ

दो-तिहाई, एक सदस्य को निष्कासित करें।

(जोर दिया गया)

21. संविधान पर प्रमुख लेखकों ने यह भी कहा है कि प्रत्येक सदन के पास उचित मामलों में किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति है।

22. कूली ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'ट्रीटीज ऑन द कॉन्स्टीटचूशनल' में कहा, सीमाएँ ', (1972 संस्करण, पृ. 133); कहते हैं:

प्रत्येक सदन के पास सदस्यों को दंडित करने की भी शक्ति है

अव्यवस्थित व्यवहार, और इसके अधिकार की अन्य अवमानना, और

किसी सदस्य को किसी भी कारण के लिए निष्कासित करना जो शरीर को प्रतीत होता है

यह अयोग्य बनाता है कि वह इसकी एक सीट पर कब्जा करना जारी रखता है। यह

शक्ति कभी-कभी संविधान द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन यह मौजूद है

चाहे वह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो या नहीं। यह आवश्यक और आकस्मिक है।

शक्ति, घर को अपने उच्च कार्यों को करने में सक्षम बनाने के लिए और है

राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक। यह सुरक्षा की शक्ति है।

एक संक्रामक बीमारी, या पागल, या शोर से प्रभावित हो सकता है, हिंसक और अव्यवस्थित, या अपवित्र, अश्लील उपयोग करने की आदत में,

और अपमानजनक भाषा। और संसदीय रीति-रिवाजों से स्वतंत्र रूप से

और उपयोग, हमारे विधायी सदनों के पास रक्षा करने की शक्ति है

स्वयं एक सदस्य की सजा और निष्कासन द्वारा और

न्यायालय निर्णय के न्याय की जांच नहीं कर सकते हैं, या इस पर गौर नहीं कर सकते हैं।

यह देखने के लिए कि क्या बचाव का अवसर था

सुसज्जित है या नहीं।"

(जोर दिया गया)

जे. ए. राम पाल वी. सम्मानीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 545. इस मुद्दे पर एक और प्रसिद्ध अधिकारी विलोबी हैं, जो "संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक कानून" (द्वितीय संस्करण) में हैं। ; पी। 256) ;

" निष्कासन के इस अधिकार को तेजी से अलग किया जाना है

सदस्यता स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार। बाद के मामले में, जैसे

देखा गया है, इसमें शामिल प्रश्न हैं, मुख्य रूप से, शायद

चुनावों की नियमितता और वैधता जिस पर ऐसे व्यक्तियों ने चुना या नियुक्त किया गया। पूर्व मामले में, अर्थात् निष्कासन का,

इन मामलों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा, कार्रवाई हो सकती है

व्यक्तिगत चरित्र या पक्षों के कार्यों पर आधारित

और, उसके अंतिम मामले के बारे में, जैसा कि वर्तमान में देखा जाएगा,

विवाद का मुख्य बिंदु यह रहा है कि क्या उनके कार्य

शिकायत केवल वही होनी चाहिए जो हुई हो।

चुनाव के बाद और की गरिमा पर असर पड़ता है कांग्रेस और उसके कार्यों का उचित प्रदर्शन।

XXXX

XXXX

XXXX

यह निर्धारित करने में कि कांग्रेस का सदस्य रहा है या नहीं

ऐसे कृत्यों के लिए दोषी है जो संबंधित सदन को उसके निष्कासन का वारंट देता है

आपराधिक विचारण न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, और इसलिए बाध्य नहीं है।

साक्षय के नियमों द्वारा, और निश्चितता के रूप में आवश्यकताएँ

अपराध जो आपराधिक चरित्र में प्रबल है, लेकिन केवल के रूप में

विचार-विमर्श और निर्णयों में भाग लेने के लिए अयोग्य

कांग्रेस।

(जोर दिया गया)

1. सदन द्वारा निष्कासन और शक्ति के प्रश्न से निपटना

टीएस, प्रिटचेट ने अपनी पुस्तक 'अमेरिकी संविधान' (थर्ड एडन, पी। 146);

एड;

" निष्कासन और कांग्रेसियों पर प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं

महाभियोग, संयुक्त राष्ट्र के 'सिविल अधिकारी' के रूप में नहीं माना जा रहा है

राज्यों। हालाँकि, संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक

सदन अपने सदस्यों को दो तिहाई वोट से निष्कासित कर सकता है, या उन्हें दंडित कर सकता है।

'अव्यवस्थित व्यवहार' के लिए। कांग्रेस एकमात्र न्यायाधीश है

निष्कासन के कारण। अपराध का संकेत देने योग्य होने की आवश्यकता नहीं है। में।

1797 सीनेट ने विलियम ब्लाउंट को उस आचरण के लिए निष्कासित कर दिया जो [2007] 1 एस. सी. आर. नहीं था।

सीनेट के सत्र के दौरान नहीं अपनी आधिकारिक क्षमता में प्रदर्शन किया

न ही सरकार के आसन पर। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया है
यह समझने में एक उक्ति में कि निष्कासन शक्ति 'तक फैली हुई है

सभी मामले जहां अपराध है जैसे कि सीनेट के फैसले में

एक सदस्य के विश्वास और कर्तव्य के साथ असंगत है।

(जोर दिया
गया)

25. 'अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस' में, (द्वितीय संस्करण, खंड। 77, पृ. 21); इसमें है

बताया गया है;

" कांग्रेस के किसी भी सदन को दंडित करने या निष्कासित करने की शक्ति

इसके सदस्यों को संविधान में मान्यता प्राप्त है जो

यह प्रावधान है कि प्रत्येक सदन अपने सदस्यों को अव्यवस्थित रूप से दंडित कर
सकता है व्यवहार,
और, दो-तिहाई की सहमति से, एक सदस्य को निष्कासित करें।

दुर्व्यवहार के लिए सजा एक उचित मामले में हो सकती है

कारावास और एक नियम का पालन करने में विफलता के लिए लगाया जा सकता है

आदेश का संरक्षण। सीनेट के मामले में, निष्कासन का अधिकार
उन सभी मामलों में लागू होता है जहां अपराध है जैसे कि निर्णय में

निकाय का सदस्य के विश्वास और कर्तव्य के साथ असंगत है

(चैपमैन रे, (1896) 166 यूएस 661: 41 एल एड 1154) "।

26. न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था

संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। चैपमैन, रे, 166 यू. एस. 661 (1891): 41
एल एड 2nd 1154, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सदी से भी अधिक समय पहले, एक सदस्य को

निष्कासित करने की सीनेट की शक्ति को मान्यता दी, जहां सदस्य का एक कार्य ऐसा था जैसे कि सीनेट के निर्णय में एक सदस्य के 'विश्वास और कर्तव्य' के साथ असंगत था। विलियम ब्लाउंट को संदर्भित किया गया था, जिन्हें जुलाई, 1797 में सीनेट से निष्कासित कर दिया गया था, 'एक उच्च दुराचार जो एक सीनेटर के रूप में उनके सार्वजनिक विश्वास और कर्तव्य के साथ पूरी तरह से असंगत था।' यह भी कहा गया था कि जुलाई 1861 में गृहयुद्ध के दौरान चौदह सीनेटरों और तीन प्रतिनिधियों को निष्कासित कर दिया गया था।

27. जूलियन बॉन्ड बनाम। जेम्स स्लोपी फ्लॉयड, 385 यू. एस. 116 (1966): 17 एल.

एड 2nd 235, विलियम बॉन्ड, एक नीग्रो, विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि को सदस्यता से बाहर रखा गया था क्योंकि उन्होंने संघीय सरकार की नीति पर हमला किया था। वियतनाम। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बॉन्ड को पहले संशोधन के तहत स्वतंत्र राय व्यक्त करने का अधिकार था और उनका बहिष्कार कानून में गलत था।

28. पॉवेल बनाम। मैककॉर्मैक, 395 यूएस 486 (1969): 23 एल एड 2nd 491, राजा राम पाल v.

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 547

आवेदक को घोषणात्मक निर्णय का हकदार माना गया था कि सदन के किसी सदस्य को बाहर करने की कार्रवाई गैरकानूनी थी। आवेदक के खिलाफ आरोप था कि उसने यात्रा के संबंध में सदन के अधिकारियों को धोखा दिया

खर्च किए और अपनी पत्नी को कुछ अवैध भुगतान किए। विल्क्स का उल्लेख करते हुए

और इंग्लैंड में कानून, अदालत ने कहा कि "निर्विवाद रूप से, कांग्रेस की अपनी संस्थागत अखंडता को बनाए रखने में रुचि है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग करके हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सकती है।

29. एच. स्नोडेन मार्शल बनाम। प्रतिनिधि सभा के सदस्य रॉबर्ट बी. गॉर्डन, 243 यू. एस. 521 (1917) ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला अटॉर्नी कई कदाचार और गैर-धोखाधड़ी के कृत्यों के साथ। प्रवर समिति ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की क्योंकि उन्होंने इसके विशेषाधिकारों, इसके सम्मान और इसकी गरिमा का उल्लंघन किया था।

30. मामले से निपटना और कीले बनाम का उल्लेख करना। कार्सन, [1842] 4 एमओओ पीसी 63: 13 ई. आर. 225, न्यायालय ने कहा कि जब कोई अधिनियम इस तरह का होता है

एक चरित्र के रूप में इसे निहित प्राधिकरण के तहत अवमानना के रूप में व्यवहार करने के लिए, कांग्रेस के पास इस विषय पर कार्य करने का अधिकार क्षेत्र है। जरूरी है। इसका परिणाम यह है कि वैध और निष्पक्ष विवेकाधिकार के उपयोग में यह निर्धारित करने की शक्ति कि अधिनियम की प्रकृति और चरित्र से कितनी दूर दमन की आवश्यकता है ताकि तत्काल पुनरावृत्ति को रोका जा सके, अर्थात, विधायी शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप या बाधा का निरंतर अस्तित्व। जब तक कि विवेकाधिकार की स्पष्ट और पूर्ण अवहेलना और संवैधानिक पहुंच के भीतर आने वाली मनमानी शक्ति का मात्र प्रयास न हो।

सीमाएँ, प्राधिकरण का प्रयोग न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं है।

31. मैं संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम में एक प्रमुख निर्णय का भी उल्लेख कर सकता हूं। डेनियल ब्रूस्टर, 408 यू. एस. 501: (1972) 33 एल एड 2nd 507। सीजे बर्गर ने कहा कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए कि संसद सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग होने की संभावना है।

" हमारे संविधान के लेखक अच्छी तरह से जानते थे

विशेषाधिकार की आवश्यकता और बहुत व्यापक सुरक्षा उपायों से होने वाले दुर्व्यवहार दोनों का इतिहास। दूसरों को बचाने के लिए

मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने विशेषाधिकार लिखा ताकि यह सदस्यों के व्यवहार को सहन करे और उसकी रक्षा करे जो अन्य नागरिकों द्वारा किए जाने पर बर्दाश्त और संरक्षित नहीं किया जाता है, लेकिन ढाल [2007] 1 एस. सी. आर. का विस्तार नहीं करती है।

विधायिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है उससे परे

प्रक्रिया "।

(जोर दिया गया)

32. उपरोक्त मामलों से यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में,

सदन के पास अपने सदस्यों द्वारा अनुशासन का पालन करने की शक्ति है और उचित मामलों में, ऐसी शक्ति निष्कासन तक फैली हुई है। यह भी स्पष्ट है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग वास्तव में सदन में और सदन के बाहर भी अव्यवस्थित व्यवहार के लिए किया गया है, जहां सदन का समाधान हो गया था कि सदस्य शारीरिक, मानसिक या नैतिक रूप से 'अयोग्य' था, भले ही ऐसा आचरण 'वैधानिक अपराध' नहीं हो सकता था या उसके द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में या सदन के सत्र के दौरान या सरकार के आसन पर नहीं किया गया था।

ऑस्ट्रेलियाई कानून

33. के अधीन संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान

सीनेट और सदन की घोषित शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ प्रतिनिधि और उनके सदस्य। यह इस प्रकार था;

" सीनेट और सीनेट की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति
प्रतिनिधि सभा, और सदस्यों और समितियों का

प्रत्येक सदन के, ऐसे होंगे जो संसद द्वारा घोषित किए जाते हैं, और

घोषित होने तक वे संसद के कॉमन्स हाउस के होंगे।

यूनाइटेड किंगडम के, और इसके सदस्यों और समितियों के,

राष्ट्रमंडल की स्थापना "।

(जोर दिया गया)

34. एनिड कैम्पबेल ने अपनी पुस्तक 'पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन ऑस्ट्रेलिया' में कहा है,

'निष्कासन' से निपटने के लिए, कहते हैं;

" सामान्य कानून में, हाउस ऑफ कॉमन्स को मान्यता प्राप्त है

किसी सदस्य को उसके लिए अनुपयुक्त दुराचार के लिए निष्कासित करने की शक्ति है
सदस्यता भले ही वह कदाचार अयोग्य न हो

संसदीय कार्यालय से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि
ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदनों ने कानून द्वारा निवेश किया

हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ और विशेषाधिकार समान हैं।
शक्ति, लेकिन अन्य सदनों के संबंध में स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है।

सामान्य कानून में, औपनिवेशिक विधानमंडलों के पास दंडात्मक अधिकार नहीं हैं

शक्तियाँ, हालांकि बार्टन वी में उक्ति है। प्रभाव के लिए टेलर
कि उनके पास उग्र या लगातार राज राम पाल 1 के लिए निष्कासित करने की शक्ति है।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 549

इस आधार पर दुराचार कि यह स्वयं के लिए आवश्यक हो सकता है

विधायिका का संरक्षण। जहाँ एक सदस्य को निष्कासित किया जाता है, उसकी सीट

इसके बाद खाली हो जाता है। हालाँकि, वह अयोग्य नहीं है।

फिर से चुने गए और संसद में लौट आए।

35. औपनिवेशिक विधानसभाओं की शक्तियों पर चर्चा करते हुए, विद्वान लेखक

यह बताता है कि हालांकि ऐसी विधानसभाओं के पास 'दंडात्मक' शक्तियां नहीं हैं, लेकिन यह अकल्पनीय है कि वे इसके व्यवस्थित संचालन के लिए नियम नहीं बना सकते हैं।

व्यवसाय। भले ही उनके पास उस प्रभाव के लिए विशिष्ट प्रावधान के अभाव में किसी सदस्य को निष्कासित करने का कोई अधिकार न हो, वे उचित मामलों में अव्यवस्थित सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं।

" एक औपनिवेशिक संसद की गरिमा जो इसके दायरे में कार्य करती है

सीमाएँ, शाही संसद से कम की आवश्यकता नहीं है कि

कोई भी न्यायाधिकरण जिसके लिए इसकी कार्यवाहियों की जांच की जानी चाहिए

समीक्षा के लिए प्रस्तुत करने से पहले संकोच करना चाहिए

इसके संबंध में कानून के प्रशासन की जांच करने का कार्य

आंतरिक मामले "।

(जोर दिया गया)

36. यह भी कहा जा सकता है कि ऑजर ने अपनी 'ऑस्ट्रेलियाई सीनेट' में अभ्यास ', (11 वीं संस्करण।; पी। 57) अवलोकन करता है;

" अनुभाग में अनुशंसा और परिणामी प्रावधान

8 1987 के अधिनियम का सीनेट में विरोध किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि

ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें यह किसी सदन के लिए वैध हो।

किसी सदस्य को निष्कासित करना, भले ही वह सदस्य अयोग्य न हो। यह नहीं है।

संभावित उदाहरणों के बारे में सोचना मुश्किल है। नवनिर्वाचित सदस्य

हो सकता है, शायद सदस्य के दल के साथ झगड़े के बाद, शुरू करें

सदन में अत्यधिक विघटनकारी व्यवहार, जैसे कि सदन है

सदस्य को लंबे समय तक निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया, शायद इसके लिए

सदस्य के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा। इसका मतलब है कि एक जगह में

सदन प्रभावी रूप से खाली होगा, लेकिन सदन होगा

इसे भरने में असमर्थ। अन्य परिस्थितियों को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है।

हालांकि, सदन ने खुद को निष्कासन के संरक्षण से इनकार कर दिया।

37. लम्ब एंड रयान ('राष्ट्रमंडल का संविधान ऑस्ट्रेलिया '; 1974 एडन।) कहा कि संघीय संसद के प्रत्येक सदन के पास है

अव्यवस्थित आचरण के लिए किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार। शक्ति है।

लगातार हस्तक्षेप करने वालों को दंडित करने या वापस लेने से इनकार करने के लिए प्रयोग किया जाता है

अपमानजनक टिप्पणी "। चरम मामलों में एक सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

38. 1920 में कलगुर्ली के संघीय सदस्य ह्यूग महोन को निष्कासित कर दिया गया था।

आयरलैंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 'उत्तेजक' सार्वजनिक भाषण देने के लिए प्रतिनिधि सभा से।

39. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त चयन की रिपोर्ट के अनुसार

संसदीय विशेषाधिकार समिति (1984), एक विशिष्ट अधिनियम अधिनियमित किया गया है, जिसे संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 21) के रूप में जाना जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 स्पष्ट रूप से किसी सदन को अपने किसी भी सदस्य को निष्कासित करने से रोकती है। इसमें लिखा है:

" सदन के पास किसी सदस्य को सदस्यता से निष्कासित करने की शक्ति नहीं होती है। एक घर "।

40. इसलिए, यह स्पष्ट है कि हाल ही में, किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति

सदन से एक विशिष्ट कानून द्वारा छीन लिया गया है।

कनाडाई कानून

41. कनाडा के संविधान के तहत कानूनी स्थिति अलग है

कुछ हद तक। कनाडा डोमिनियन के संविधान की धारा 18,1867 राज्यों;

" विशेषाधिकार, उन्मुक्ति और शक्तियाँ जो धारण की जानी चाहिए, प्राप्त की जानी चाहिए,

और सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग किया जाता है, और

उसके सदस्यों द्वारा क्रमशः वैसा ही होगा जैसा कि समय से है।

कनाडा की संसद के अधिनियम द्वारा परिभाषित समय तक, लेकिन ताकि कोई भी

ऐसे विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला कनाडा की संसद का अधिनियम,

उन्मुक्ति और शक्तियाँ कोई विशेषाधिकार, उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेंगी,

या ऐसे अधिनियम के पारित होने पर अभिनिर्धारित शक्तियों से अधिक शक्तियां,

संसद के कॉमन्स हाउस द्वारा आनंद लिया गया, और प्रयोग किया गया ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, और

इसके सदस्य "।

(जोर दिया गया)

42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के विपरीत, कनाडा में, विधानमंडल कर सकता है

ब्रिटिश संसद द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों को इसमें निवेश करते हुए एक कानून बनाकर अपने विशेषाधिकारों का विस्तार न करें। ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 49 के तहत और न ही ऑस्ट्रेलियाई संविधान के अनुच्छेद 105 (3) या अनुच्छेद 194 (3) के तहत ऐसी कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान।

43. संविधान में उपरोक्त प्रावधान के बावजूद, राजा राम पाल 1 का अधिकार।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे. जे. 551]

किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए सदन को कभी चुनौती नहीं दी गई है। सर जॉन जॉर्ज बोरिनॉट ने अपने काम 'कनाडा के डोमिनियन में संसदीय प्रक्रिया और अभ्यास' में कहा है (चौथा संस्करण, पृष्ठ 64);

" अपने स्वयं के निर्णय में पर्याप्त कारण के लिए किसी सदस्य को निलंबित या निष्कासित करने का एक विधायी निकाय का अधिकार निस्संदेह है। शरीर की गरिमा और उपयोगिता के संरक्षण के लिए ऐसी शक्ति नितांत आवश्यक है। फिर भी निष्कासन, हालांकि यह एक सदस्य की सीट खाली करता है, फिर से सेवा करने के लिए कोई अक्षमता पैदा नहीं करता है।

संसद "।

44. पक्षों के विद्वान वकील ने भी हमारा ध्यान आकर्षित किया

कनाडा से कुछ मामले। हम हाल के कुछ ही निर्णयों को देख सकते हैं।

45. विधानसभा के अध्यक्ष v. कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, [1993] 1 एससीआर 319, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने नोवा स्कोटिया सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल डिवीजन को एक आदेश के लिए एक आवेदन किया, जिसमें इसे "अपने स्वयं के कैमरों के साथ हाउस ऑफ असेंबली की कार्यवाही को फिल्माने" की अनुमति दी गई। यह आवेदन कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स पर आधारित था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। निगम ने दावा किया कि आधुनिक उपकरणों के साथ सार्वजनिक गैलरी से कार्यवाही का फिल्मांकन करना संभव था। हालाँकि, अध्यक्ष ने इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया कि निगम का प्रस्ताव "सदन की शिष्टाचार और व्यवस्थित कार्यवाही" में हस्तक्षेप करेगा। ट्रायल जज ने दावा मंजूर कर लिया जिसे अपील में बरकरार रखा गया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

46. उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या सदन मीडिया तक पहुंच से इनकार करके विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। लैमर, सी. जे. ने आवश्यकता के सिद्धांत के आलोक में विशेषाधिकार के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की। स्टॉकडेल बनाम का उल्लेख करते हुए। हंसार्ड, (1839) 9 एड एंड ई 1: 112 ई. आर. 1112 (क्यू. बी.) में उन्होंने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा

आवश्यकता पर आधारित। ' संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार और उस कार्यकाल में शामिल व्यक्तिगत विशेषाधिकार दिए गए थे क्योंकि वे अपने विधायी कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक माने जाते थे। 47. मैक लैचलिन, जे. (जैसा कि वे तब थीं) विद्वान मुख्य न्यायाधीश से सहमत थीं और उन्होंने कहा कि कनाडा की विधान सभाएं इस तरह का दावा कर सकती हैं -

अंतर्निहित विशेषाधिकार वे अधिकार जो [2007] 1 एस. सी. आर. के लिए उनकी क्षमता के लिए आवश्यक थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

552

विधायी निकायों के रूप में कार्य करता है। आवश्यकता इस प्रकार परीक्षा थी। कीले वी. का उल्लेख करते हुए। कार्सन, (1842), 4 एमओ 0 पीसी 63: 13 ईआर 225, यह देखा गया कि हालांकि प्रिवी काउंसिल ने माना कि एक औपनिवेशिक सभा के पास कोई शक्ति नहीं थी

यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह अवमानना के लिए प्रतिबद्ध, इसने इस बात पर विवाद नहीं किया कि ऐसी शक्तियां "जो ऐसे निकाय के अस्तित्व और उन कार्यों के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक हैं जिनका वह इरादा रखता है निष्पादन को न्यूफाउंडलैंड असेंबली की स्थापना के साथ सम्मानित किया गया था।

48. न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के दायरे और दायरे पर भी विचार किया

और संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग। सर एर्स्किन मे का उल्लेख करते हुए कि "लगभग साढ़े तीन शताब्दियों के बाद, क्षमता के बीच की सीमा विशेषाधिकार के मामलों में विधि न्यायालयों और दोनों सदनों की अधिकारिता अभी भी पूरी तरह से निर्धारित नहीं की गई है ", न्यायालय ने कहा कि मूल रूप से संसद के सदनों ने यह स्थिति ली थी कि वे अपने विशेषाधिकारों के अनन्य न्यायाधीश थे। उन्होंने संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में 'पूर्ण मध्यस्थ' होने का दावा किया और यह रुख अपनाया कि उनके निर्णय किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा समीक्षा योग्य नहीं थे। दूसरी ओर, न्यायालयों ने लेक्स संसद को देश के कानून का हिस्सा माना और इस तरह, अपने न्यायिक नियंत्रण के भीतर। न्यायपालिका विशेष रूप से तब शक्ति का प्रयोग करती है जब मुद्दे तीसरे पक्ष के अधिकारों से जुड़े होते हैं। अदालतों के अनुसार, उनकी भूमिका संसद के कानून की व्याख्या करना और उसे लागू करना था।

49. विशेषाधिकार के लिए 'आवश्यकता' की परीक्षा को 'क्षेत्राधिकार परीक्षा' के रूप में आयोजित करना,

विद्वान न्यायाधीश ने कहा; "आवश्यकता का परीक्षण एक दावा किए गए विशेषाधिकार की सामग्री का न्याय करने के लिए एक मानक के रूप में लागू नहीं किया जाता है, बल्कि इसके उद्देश्य के लिए किया जाता है

अनन्य या पूर्ण 'संसदीय' या 'विधायी' अधिकारिता के आवश्यक क्षेत्र का निर्धारण करना। यदि कोई पदार्थ इस आवश्यक क्षेत्र के अंतर्गत आता है

जिन मामलों के बिना सदन की गरिमा और दक्षता को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, अदालतें ऐसे विशेषाधिकार से संबंधित प्रश्नों की जांच नहीं करेंगी। इसके बजाय ऐसे सभी प्रश्न विधायी निकाय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आएंगे।

(जोर दिया गया)

50. सरकार की विभिन्न शाखाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए,

यह देखा गया था;

" हमारी लोकतांत्रिक सरकार की कई शाखाएँ हैं:

क्राउन, जैसा कि गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और उस कार्यालय के प्रांतीय समकक्ष; विधायी निकाय; राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 553

कार्यपालिका; और अदालतें। यह काम करने के लिए मौलिक है

समग्र रूप से सरकार कि ये सभी भाग अपनी उचित भूमिका निभाएँ।

कि प्रत्येक वैध क्षेत्र के लिए उचित सम्मान दिखाता है दूसरे की गतिविधि "।

51. फ्रेड हार्वे बनाम का भी संदर्भ दिया गया था। के लिए महान्यायवादी न्यू ब्रंसविक, [1996] 2 एससीआर 876। उस मामले में, प्रांतीय विधानमंडल के एक सदस्य को अवैध अभ्यास के लिए दोषी ठहराया गया था और प्रांतीय चुनाव कानून के अनुसार उन्हें विधानमंडल से निष्कासित कर दिया गया था। उसके खिलाफ आरोप साबित हुआ कि उसने एक 16 वर्षीय महिला को चुनाव में मतदान करने के लिए उकसाया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह मतदान करने के योग्य नहीं है। उन्हें कोई भी चुनाव लड़ने के लिए पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अपील न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया। पीड़ित सदस्य ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

52. अपील को खारिज करना और न्यायालय के आदेश को बरकरार रखना

अपील, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी की कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर हमला है जो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के केंद्र में थी और निंदा के योग्य विश्वास का उल्लंघन था।

53. संसदीय विशेषाधिकारों और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से निपटना,

मैक लैचलिन, जे. ने कहा:

" यदि लोकतंत्रों को जीवित रहना है, तो उन्हें इस पर जोर देना होगा

उन लोगों की सत्यनिष्ठा जो सार्वजनिक पद चाहते हैं और धारण करते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते।

विधायिका के भीतर भ्रष्ट प्रथाओं को बर्दाश्त करना। न ही वे कर सकते हैं। चुनावी धोखाधड़ी बर्दाश्त करें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो दो परिणाम उपयुक्त हैं -

परिणाम। सबसे पहले, विधायिका का कामकाज बाधित हो सकता है।

दूसरा, विधायिका और सरकार में जनता का विश्वास।

कमजोर हो सकता है। कोई भी लोकतंत्र इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।

जब ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो उनकी मौलिकता को कमजोर करता है

सत्यनिष्ठा, विधायिकाओं को कार्य करने की आवश्यकता है। उस कार्रवाई की सीमा हो सकती है

मामूली अनियमितताओं के लिए अनुशासन से निष्कासन और

अधिक गंभीर उल्लंघनों के लिए अयोग्यता। निष्कासन और

अयोग्यता जनता को आश्वस्त करती है कि जिन्होंने भ्रष्ट किया है

लिया गया या दुरुपयोग किया गया पद हटा दिया जाता है। विधायी प्रक्रिया है

शुद्ध और विधायिका, जो अब बहाल की गई है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती है

जैसा कि होना चाहिए। "

(जोर दिया गया)

54. हालाँकि, यह जोड़ा गया था कि यह कहना नहीं था कि अदालतों ने बहस में कोई भूमिका नहीं है जो उत्पन्न होती है जहां व्यक्तिगत अधिकारों पर संसदीय विशेषाधिकार के साथ टकराव का आरोप लगाया जाता है। ब्रिटिश प्रणाली के तहत संसदीय सर्वोच्चता, अदालतें यकीनन संसदीय विशेषाधिकार के प्रयोग की निगरानी में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। कनाडा में, इसे 1926 के चार्टर द्वारा बदल दिया गया है। विशेषाधिकार की आड़ में वैध चार्टर हितों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अदालतों को संसदीय विशेषाधिकार के दावे की वैधता की जांच करनी चाहिए। जैसा कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में स्पष्ट किया गया है, अदालतें सवाल कर सकती हैं कि क्या कोई दावा किया गया विशेषाधिकार मौजूद है। इस जाँच भूमिका का अर्थ है कि जहां यह आरोप लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को अवैध आधार पर निष्कासित या अयोग्य घोषित किया गया है, अदालतों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या यह अधिनियम संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में आता है। यदि अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि वह ऐसा करती है, तो आगे कोई समीक्षा झूठ नहीं है।

(जोर दिया गया)

55. यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश न्यायशास्त्र विशिष्टता रखता है संकल्प द्वारा घोषित विशेषाधिकारों और क़ानून द्वारा स्वचालित रूप से प्रभावित विशेषाधिकारों के बीच। प्रस्ताव द्वारा प्रतिपादित विशेषाधिकारों के संबंध में, ब्रिटिश न्यायालयों ने आवश्यकता का एक सिद्धांत विकसित किया है, जिससे वे यह जांच कर सकते हैं कि क्या प्रस्ताव द्वारा की गई कार्रवाई सदन के उचित कामकाज के लिए आवश्यक है। 'आवश्यकता जांच' यह नहीं पूछती है कि क्या इस मुद्दे पर विशेष कार्रवाई आवश्यक थी, और इसलिए इसमें ठोस न्यायिक समीक्षा शामिल नहीं है। बल्कि यह पूछता है कि क्या विधायी निकाय की गरिमा,

अखंडता और दक्षता को बनाए रखा जा सकता है यदि उसे उस प्रकार की कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी गई जो की की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए किसी सदस्य को विधानमंडल से निष्कासित करना या किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आधार पर पद मांगने से अयोग्य ठहराना।

56. एक सवाल उठाया गया कि क्या संसद इनमें से किसी को भी निष्कासित कर सकती है

उनके सदस्य। इस तरह के अधिकार को बनाए रखते हुए, न्यायालय ने कहा;

" किसी सदस्य को निष्कासित करने की संसद की शक्ति निस्संदेह है। यह

संसदों, या तो जब सदस्य एक सकारात्मक के लिए दोषी रहे हैं
अपराध, या के कानूनों और विनियमों के खिलाफ अपराध किया है

सदन, या धोखाधड़ी या अन्य अनुचित कृत्यों के दोषी रहे हैं,
जिसने साबित किया कि वे उस विश्वास का प्रयोग करने के लिए अयोग्य थे जो उनके

मतदाताओं ने उनमें विश्राम किया था, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था

विधायिका के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ना जारी रखें।

निष्कासन को दो आधारों पर उचित ठहराया जा सकता है: अनुशासन को लागू करने के लिए राजा राम पाल बनाम।

सदन के भीतर; और उन लोगों को हटाने के लिए जिनके व्यवहार ने किया है

वे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हैं।

XXXX

XXXX

XXXX

इन दो आधारों पर निष्कासन का अधिकार-अनुशासन और अयोग्य
व्यवहार-संसदीय विशेषाधिकार का मामला है और नहीं है

न्यायिक समीक्षा के अधीन "।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला;

" इस संरक्षण को अब कनाडा में और ब्रिटेन में भी स्वीकार किया जाता है।

संसदीय विशेषाधिकार का मूल सिद्धांत। बात यह नहीं है कि

विधायिका हमेशा सही होती है। बल्कि मुद्दा यह है कि विधायिका

कम से कम अदालतों की तरह अच्छी स्थिति में है, और अक्सर बेहतर स्थिति में है स्थिति, यह तय करने के लिए कि प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है। इनमें

परिस्थितियों, अदालतों में औचित्य के बारे में एक विवाद
विधायी निकाय का निर्णय, देरी और अनिश्चितताओं के साथ

इस तरह के विवाद अनिवार्य रूप से विधायी संचालन पर लागू होते हैं

व्यवसाय, अनुचित है "।

57. बहुत हाल ही में, हाउस ऑफ कॉमन्स v. सतनाम वैद, [2005] 1 एससीआर

667 , अध्यक्ष के पक्ष में आदेश के बावजूद उनके चालक को सेवा में बहाल नहीं किया गया था। उन्होंने कनाडाई मानवाधिकारों से शिकायत की।

चुनौती। संघीय अदालत ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। जब मामला उच्चतम न्यायालय में पहुँचा, तो विशेषाधिकारों की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विशेषाधिकार की श्रेणियों के भीतर, संसद इस अवसर और इसके अभ्यास के तरीके की एकमात्र न्यायाधीश थी और इस तरह की कवायद अदालतों द्वारा समीक्षा योग्य नहीं थी। हालाँकि, विशेषाधिकारों के अस्तित्व और दायरे की जाँच अदालतों द्वारा की जा सकती थी। 58. जे. बिन्नी ने कहा; "यह एक बुद्धिमान सिद्धांत है कि अदालतें और संसद सार्वजनिक मामलों के संचालन में एक-दूसरे की भूमिका का सम्मान करने का प्रयास करते हैं। संसद,

अपनी ओर से, [2007] 1 एस. सी. आर. के तहत अदालतों के समक्ष मामलों पर टिप्पणी करने से परहेज करता है।

उप न्यायिक नियम। अदालतें, अपनी ओर से, इस बात का ध्यान रखती हैं कि वे संसद के कामकाज में हस्तक्षेप न करें। इस कार्यवाही का कोई भी पक्ष सवाल नहीं उठाता है।

'राष्ट्र की महान जांच' के रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स का पूर्व-प्रतिष्ठित महत्व। न ही किसी भी पक्ष द्वारा इसकी आवश्यकता पर संदेह किया जाता है

कनाडाई मानवाधिकारों की जांच शक्तियों का आह्वान कर सकता है इस शिकायत के साथ आयोग कि अध्यक्ष द्वारा सदन के किसी अन्य सदस्य की पसंद ने कनाडाई मानवाधिकार अधिनियम द्वारा निषिद्ध किसी आधार पर भेदभाव किया, या सामान्य अदालतों से निर्णय लेने की मांग की कि अध्यक्ष की पसंद ने चार्टर के तहत सदस्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन किया है। ये वास्तव में सदन के आंतरिक मामले हैं जिन्हें अपनी प्रक्रियाओं द्वारा हल किया जाना चाहिए। सदन की दिशा में बाहरी लोगों द्वारा संभावित हस्तक्षेप के अलावा, इस तरह के बाहरी हस्तक्षेप से अनिवार्य रूप से देरी, व्यवधान, अनिश्चितताएं और लागतें पैदा होंगी जो देश के कामकाज को रोके रखेंगी और इस कारण से अस्वीकार्य होगा, भले ही अंत में, अध्यक्ष के फैसलों को पूरी तरह से उचित माना जाए।

59. संसद और संसद के बीच संघर्ष के समाधान पर जोर देना

अदालतों ने 'दूसरे की गतिविधि के वैध क्षेत्र' के संबंध में कहा;

" हमारी लोकतांत्रिक सरकार में शामिल हैं। कई शाखाएँ: द.

क्राउन, जैसा कि गवर्नर जनरल और प्रांतीय द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है उस कार्यालय के समकक्ष; विधायी निकाय; कार्यपालिका; और

अदालतें। यह सरकार के काम करने के लिए मौलिक है

बुनियादी बात यह है कि उनमें से कोई भी अपनी सीमा को पार नहीं करता है, कि प्रत्येक
गतिविधि के वैध क्षेत्र के लिए उचित सम्मान दिखाएँ

अन्य "।

अंग्रेजी कानून

60. अंग्रेजी संविधान न तो किसी एक कार्रवाई द्वारा स्थापित किया गया था।

न ही किसी विशेष दिन पर। यह उन लोगों की राजनीतिक संस्थाओं से विकसित हुआ है जो राजशाही का सम्मान करते थे लेकिन लोकतंत्र और संसदीय संस्था के लिए समान रूप से जोर देते थे। संसदीय विशेषाधिकारों की उत्पत्ति, इस प्रकार इंग्लैंड में संसद के इतिहास के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है; और विशेष रूप से, अंग्रेजी सम्राट और संसद के बीच की लड़ाई; राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 557

हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और संसद और न्यायालयों के बीच भी।

61. संसद का उदय तेरहवीं शताब्दी में हुआ। अंग्रेज़ी कानूनी इतिहास

इसकी जड़ें मैग्ना कार्टा में पाई जाती हैं। मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया था ' संवैधानिक मिथक 'क्योंकि यह एक दस्तावेज था जो सामंती अभिजात वर्ग (बैरन) की शिकायतों के कारण अस्तित्व में आया था (एन ल्योन:' यूनाइटेड किंगडम का संवैधानिक इतिहास, (2003); पृ. 39)। मैग्ना कार्टा ने घोषणा की कि राजा कानून से ऊपर नहीं है।

62. अपने रचनात्मक अर्थों में, इंग्लैंड में सदन संसद की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति की अपनी इमारत का निर्माण करने के लिए नहीं बैठा था। द.

इस प्रकार अंग्रेजी संसदीय संस्थान के विकास का ऐतिहासिक विकास हुआ है। यह क्राउन के पूर्ण विशेषाधिकारों और उनके बीच संघर्ष की कहानी है। शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति के लिए कॉमन्स का आग्रह; राजाओं के उच्च हाथों के कार्यों और लोकतांत्रिक साधनों और तरीकों के लोगों के दावे के बीच संघर्ष। संसदीय विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो सदनों को प्राप्त हैं।

संसद और सदस्यों के पास ऐसा अधिकार है जिससे वे अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

प्रभावी और कुशलता से कार्य करता है। इस प्रकार कुछ संसदीय विशेषाधिकार संसद से पहले ही थे। इसलिए, सर एर्स्किन मे द्वारा उन्हें क्राउन के विशेषाधिकारों, सामान्य न्यायालयों के अधिकार और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विशेष अधिकारों के खिलाफ सदन के 'मौलिक अधिकारों' के रूप में वर्णित किया गया है।

63. शुरू में, सदन ने केवल विशेषाधिकार का दावा किया। उन्होंने न तो क्राउन से उनकी मान्यता के लिए अनुरोध किया और न ही उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों से। इस मायने में संसदीय विशेषाधिकार कानून या अपने लिए कानून से बाहर हैं। उदाहरण के लिए, सदन अवैध रूप से हिरासत में लिए गए अपने सदस्य की रिहाई के लिए क्राउन या अदालत में नहीं जाएगा। यह एक रिट के लिए भी प्रार्थना नहीं करेगा

बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह केवल जेल में औपचारिक गदा के साथ सार्जेंट-एट-आर्म्स को आदेश देगा और सदस्य को अपने अधिकार पर रिहा कराएगा।

64. एज़ होल्ड्सवर्थ (ए हिस्ट्री ऑफ़ इंग्लिश लॉ ', दूसरा संस्करण; पृ. 92

93) , "यह सदन का विशेषाधिकार था जिसने इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने, संसदीय तरीके से राजा के साथ विवाद को जारी रखने और इस प्रकार संवैधानिक सिद्धांतों का निरंतर विकास सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों के बीच सबसे पहले विवाद थे।

जेम्स प्रथम और उनकी संसदों ने विशेषाधिकार के प्रश्नों और उस सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर ध्यान दिया

[2007] 1 एस सी आर।

558 यही सवाल इस अवधि के दौरान हमेशा संवैधानिक विवादों में सबसे आगे रहे। उन्होंने यह भी कहा कि संसद

दावा किया और अपने विशेषाधिकारों का उपयोग अपने लिए एक भागीदार की स्थिति जीतने के लिए किया

राज्य पर शासन करने के कार्य में राजा।

65. सर एडवर्ड कोक 'संसद के उच्च न्यायालय' के पक्ष में थे

इसका कानून था और इसका विचार था कि संसद में तय किए गए मामले सामान्य कानून का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि संसद के किसी भी कानून, रीति-रिवाज या विशेषाधिकार का न्याय करना किसी न्यायाधीश का काम नहीं है। संसद के कानूनों, रीति-रिवाजों, स्वतंत्रताओं

और विशेषाधिकारों को कलम से व्यक्त करने की तुलना में मिसालों और अनुभव से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

जैसा कि लॉर्ड टेनिसन ने कहा था;

" स्थिर सरकार की भूमि,

न्यायपूर्ण और पुरानी प्रसिद्धि की भूमि,

जहाँ स्वतंत्रता धीरे-धीरे व्यापक होती जाती है,

मिसाल से मिसाल तक "।

66. आइए हम विद्वान लेखकों, न्यायविदों और न्यायविदों के दृष्टिकोण पर विचार करें। इस पहलू पर शिक्षाविद।

67. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, (चौथा संस्करण।; पुनः जारी करना: खण्ड. 34 ; पी। 569 ; पैरा 1026); यह कहा गया है;

" हाउस ऑफ कॉमन्स की निष्कासन की शक्ति।

हालाँकि हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने अपना अधिकार सौंप दिया है

विवादित चुनावों में न्यायाधीश, यह निर्णय लेने का अपना अधिकार बरकरार रखता है

इसके किसी भी सदस्य की बैठने और मतदान करने की योग्यता पर संसद।

यदि सदन की राय में किसी सदस्य ने संचालन किया है

स्वयं को इस तरह से जो उसे सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य बनाता है संसद से, उसे निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन जब तक कि उसका कारण न हो

सदन द्वारा निष्कासन अपने आप में बैठने की अयोग्यता है।

और सदन में मतदान करें, वह फिर से चुनाव करने में सक्षम रहता है।

(जोर दिया गया)

68. कानून के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि दोनों

चीजें, अर्थात्, (i) निष्कासन; और (ii) अयोग्यता अलग हैं और राजा राम पाल "।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 559

विशिष्ट। एक सदस्य को विधानमंडल द्वारा निष्कासित किया जा सकता है यदि उसका आचरण उसे इस रूप में बने रहने के लिए 'अयोग्य' बनाता है। हालाँकि, यह वास्तव में अयोग्य नहीं है।

पुनः चुनाव के लिए। निष्कासित सदस्य को फिर से चुना जा सकता है और उसके पुनर्निर्वाचन के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है, जैसा कि 1769 में जॉन विल्क्स के मामले में हुआ था।

69. ओ. हुड फिलिप्स भी कहते हैं ('संवैधानिक और प्रशासनिक

लॉ ', चौथा संस्करण; पी। 180) कि सदन किसी ऐसे सदस्य को भी निष्कासित कर सकता है, जो यद्यपि किसी कानूनी अक्षमता के अधीन नहीं है, लेकिन उसकी राय में सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए अयोग्य है। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब न्यायालय अध्यक्ष को सूचित करता है कि किसी सदस्य को दुराचार के लिए दोषी ठहराया गया है। सदन ऐसा नहीं कर सकता।

निष्कासित सदस्य को फिर से निर्वाचित होने से रोकें, जैसा कि 1769 और 1794 के बीच जॉन विल्क्स के मामले में कई बार हुआ था, लेकिन यह अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

उसे बैठने दो।

70. वेड और फिलिप्स ने भी यही राय व्यक्त की। में।

' संवैधानिक कानून ', (7 वाँ संस्करण; पी। 793) ; यह कहा गया था;

" हाउस ऑफ कॉमन्स निश्चित रूप से नहीं बना सकता है

अयोग्यता कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन यह किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
जो खुद को इस तरह से सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराता है।

71. सर विलियम एनसन ने "द लॉ एंड कस्टम ऑफ द कांस्टीटचूशन" में लिखा है,

(पाँचवाँ संस्करण; खंड। आई; पीपी। 187-88) राज्य;

" अपने स्वयं के सदस्यों के मामले में, सदन एक मजबूत है

अपनी नाराजगी व्यक्त करने का तरीका। यह संकल्प द्वारा ए को निष्कासित कर सकता है सदस्य, और अध्यक्ष को एक नए रिट के लिए अपना वारंट जारी करने का आदेश दें

जिस सीट से सदस्य को निष्कासित किया गया है। लेकिन यह ऐसे सदस्य को घोषित करके उसके पुनर्निर्वाचन को रोका नहीं जा सकता।

उस संसद में बैठने में असमर्थ। ऐसा करने के प्रयास में,

में

विल्क्स के मामले में, सदन को अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि यह कर सकता है

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अयोग्यता पैदा न करें "।

72. ग्रिफ़िथ और राइल "संसद, कार्य, अभ्यास और

प्रक्रियाएं ", (1989), पी। 85 कहा गया;

" इन दोनों का सुलह बनाए रखने की आवश्यकता का दावा करता है

संसदीय विशेषाधिकार और उनका दुरुपयोग न करने की वांछनीयता

हाउस ऑफ कॉमन्स के इलाज का हॉल-मार्क रहा है

हाल के वर्षों में विशेषाधिकार के मुद्दे "।

73. सदन की दंडात्मक शक्तियों से निपटते हुए, विद्वान लेखक

कहने के लिए आगे बढ़े: (पीपी। 91-92) ;

" कानून तब तक अर्थहीन हैं जब तक कि उन्हें लागू करने की शक्ति न हो।

जो उन्हें तोड़ते हैं उन पर दंड लगाकर। सदन करता है

अदालतों पर निर्भर नहीं है, लेकिन इसका अपना दंडात्मक क्षेत्राधिकार है।

सबसे गंभीर और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है

प्रतिबद्धता।

उन सदस्यों के लिए दो अन्य दंड का आदेश दिया जा सकता है जो

सदन को अपमानित करता है, अर्थात् निष्कासन, या सदन से निलंबन
एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या सदन की सेवा के अंत तक

सत्र।

निष्कासन एक सदस्य के खिलाफ अंतिम मंजूरी है। यह है।

इसके विनियमन के लिए सदन की शक्ति का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन

अपनी कार्यवाही, यहाँ तक कि इसकी संरचना भी। ए का निष्कासन

सदस्य को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(जोर दिया
गया)

74. अंग्रेजों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति पर विचार

संसद पूर्ण नहीं होगी यदि कोई सर एर्स्किन मे द्वारा उनके प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कार्य 'कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और कानून के उपयोग पर ग्रंथ' में प्रासंगिक बयानों और कानून के प्रस्तावों का उल्लेख नहीं करता है।

संसद "। इस काम ने इस विषय पर एक क्लासिक का दर्जा ग्रहण कर लिया है और आमतौर पर इसे संसदीय अभ्यास की एक आधिकारिक व्याख्या माना जाता है।

75. हालाँकि, अदालत का ध्यान इस परिवर्तन की ओर आकर्षित किया गया था

एक को निष्कासित करने की संसद की शक्ति पर पुनरीक्षण लेखकों द्वारा दृष्टिकोण
सदस्य। इसलिए यह उचित होगा कि मैं 1983 और 2004 के दोनों संस्करणों का उल्लेख करूं।

76. सर चार्ल्स गॉर्डन द्वारा बीसवें संस्करण में (1983), अध्याय 9 में

(संसद के सदनों की दंडात्मक अधिकारिता), यह कहा गया था;

" सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया गया

सदन के खिलाफ की गई अवमानना के मामले में

सदस्यों द्वारा कॉमन्स, दो अन्य दंड उपलब्ध हैं, अर्थात्।

एजेए राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे. जे. 561]

सदन की सेवा से निलंबन और निष्कासन। कुछ में

समर्पण के अलावा निष्कासन के मामले भी लगाए गए हैं।

एक उप-विषय नीचे दिया गया था;

लेकिन इसके तरीकों के बीच इसका इलाज करना अधिक सुविधाजनक है
सदन के निपटान में दंड।

77. सर विलियम मैके (2004) के तेइसवें संस्करण में, अध्याय 9 शीर्षक (दोनों सदनों का दंडात्मक अधिकार क्षेत्र)। प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार पढ़ता है;

सदस्यों का संबोधन

सदन के खिलाफ की गई अवमानना के मामले में

सदस्यों द्वारा कॉमन्स, या जहां सदन मानता है कि

सदस्य के आचरण को कुछ अनुमोदन आकर्षित करना चाहिए (पीपी देखें। 132-33) ,

दो अन्य दंड पहले से ही उपलब्ध हैं।

उल्लेख किया गया: सदन की सेवा से निलंबन और निष्कासन,

कभी-कभी कमिटल के अलावा। उप-विषय 'निष्कासन' के तहत यह कहा गया था;

एलएसआईओएन

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अपने किसी एक सदस्य के निष्कासन को सदन की शक्ति का एक उदाहरण माना जा सकता है

अपने स्वयं के संविधान को विनियमित करता है, हालांकि इसे सुविधा के लिए, यहाँ सदन के निपटान में सजा के तरीकों में से एक के रूप में माना जाता है। सदस्यों को विभिन्न कारणों से निष्कासित कर दिया गया है।

78. उपरोक्त के आधार पर, अनुशासनकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद द्वारा एक स्वतंत्र रूप से निष्कासन की शक्ति को मई तक मान्यता नहीं दी गई है। यह अब एक भाग के रूप में बना हुआ हैअपने स्वयं के संविधान को विनियमित करने के लिए। चूंकि ऐसी कोई शक्ति [2007] 1 एस. सी. आर. नहीं रही है।

भारतीय संसद द्वारा अधिकृत, यह किसी भी सदस्य को निष्कासित नहीं कर सकता है।

79. मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं विद्वानों से सहमत होने में असमर्थ हूं।

वकील। पुनरीक्षण लेखक सदस्यों की सजा का उल्लेख करता है और बिना किसी अनिश्चितता के कहता है कि यदि सदन किसी सदस्य के आचरण (कदाचार) को आपत्तिजनक मानता है, तो उस पर उचित सजा दी जा सकती है। अन्य दंडों के अलावा, उसमें 'निष्कासन' का विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जैसा कि इस फैसले में बाद में देखा जाएगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संसद/राज्य विधानमंडल के पास यह अधिकार सुरक्षित रखा है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का उपरोक्त तर्क, मेरी राय में, मामले को आगे नहीं ले जाता है।

अव्यवहारिक मामले

80. हालाँकि विद्वान वकील द्वारा कई मामलों का हवाला दिया गया है

दोनों पक्ष अपनी दलीलों और दलीलों के समर्थन में, मैं उन मामलों का उल्लेख करूंगा जो संसद की सदस्यता के निष्कासन से संबंधित हैं।

81. संभवतः सबसे पहला मामला मिस्टर हॉल का था। 1580 में, श्री हॉल, ए

हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ने अपमानजनक पुस्तक प्रकाशित की सदन के सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी। एक शिकायत के आधार पर, मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया जिसने उसे दोषी पाया। उनके द्वारा माफी मांगने के बावजूद, उन्हें छह महीने के लिए टॉवर ऑफ लंदन के लिए प्रतिबद्ध किया गया था, उन पर जुर्माना लगाया गया था और उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया था।

82. 1707 में एक बाद के मामले में, श्री एस्क्विल, एक संसद सदस्य

उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें ईसाई धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। हालांकि उनके द्वारा सदन के खिलाफ या सदन के सदस्यों के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया था, श्री एस्क्विल को सदस्य के रूप में 'अयोग्य' होने के कारण निष्कासित कर दिया गया था।

83. इस प्रकार एस्क्विल ने स्थापित किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स निष्कासित कर सकता है।

सदन के बाहर भी अपने कार्यों के लिए एक सदस्य बशर्ते सदन उसे संसद सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य पाए।

84. 1819 में, श्री हॉबहाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने एक लिखा

निम्नलिखित टिप्पणी करने वाली पर्ची;

" कुछ भी नहीं बल्कि क्रूर बल, या दबाव देने वाला डर

इससे संसद में सुधार होगा।

85. होबहाउस के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई और वह था

कैद कर लिया।

86. 1838 में, हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य श्री ओ 'कोनेल ने संसद के सदन के बाहर कहा;

" हाउस ऑफ कॉमन्स की टॉरी समितियों में गलत गवाही

जिन्होंने न्याय के अनुसार शपथ ली लेकिन पार्टी को वोट दिया।

87. उन्हें फटकार लगाई गई। श्री संधम को इसी तरह 1930 में सदन के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए फटकार लगाई गई थी।

88. ब्रैडलो बनाम का विशेष संदर्भ दिया गया था। गोसेट, (1884) 12 क्यू. बी. डी. 275। उस मामले में, बी, बरो के विधिवत निर्वाचित सदस्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था

अध्यक्ष ने शपथ दिलाई और उन्हें सदन से बाहर रखा गया। बी ने कार्रवाई को चुनौती दी।

89. यह अभिनिर्धारित किया गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स और न्यायालय के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

लॉर्ड कॉलरिज, सी. जे. ने कहा; ..

संसद की दीवारों के भीतर क्या कहा या किया जाता है, इसकी अदालत में जांच नहीं की जा सकती है। अपने सदस्यों पर सदनों का अधिकार क्षेत्र, अपनी दीवारों के भीतर अनुशासन लागू करने का उनका अधिकार, पूर्ण और अनन्य है। प्रभु के शब्दों का प्रयोग करना

एलेनबरो ने कहा, "वे पूरी तरह से अवमानना और दक्षता में डूब जाएंगे।

इसके बिना "। (बर्डेट वी। एबॉट, 14 ईस्ट 148,152)।

90. इस तर्क से निपटना कि सदन ने अपनी कानूनी सीमा को पार कर लिया है

बी को शपथ लेने की अनुमति न देने की प्रक्रिया जो उसे लेने का अधिकार था, विद्वान

मुख्य न्यायाधीश ने कहा; "यदि अन्याय किया गया है, तो यह अन्याय है जिसके लिए अदालतें कोई उपाय नहीं करती हैं।" अदालत में नहीं बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों में अपील की जानी चाहिए।

91. जैसा कि स्टॉकडेल बनाम में उनके लॉर्डशिप द्वारा देखा गया है। हंसार्ड, (1839) 9 एड एंड ई 1: 112 ई. आर. 1112 (क्यू. बी.) में कहा गया है, "सदन को अपनी कार्यवाहियों के पाठ्यक्रम को विनियमित करने के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, और किसी भी मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

इसके नियमों के उल्लंघन या इसकी गरिमा के अपमान में वहां आचरण करना, खड़ा है

आवश्यकता के स्पष्ट आधार पर। "[2007] 1 एस. सी. आर.

564

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

92. स्टीफन, जे. बहुत अधिक विशिष्ट और जोरदार थे। उन्होंने कहा;

" कानूनी प्रश्न जो मामले का यह कथन प्रकट होता है

मुझे अपने निर्णय के लिए यह कहना है:

मान लीजिए कि

सदन

कॉमन्स अपने सदस्यों में से एक को ऐसा करने से मना करता है जो एक अधिनियम

संसद की अपेक्षा है कि वह ऐसा करे और उसे लागू करने के लिए

निषेध, अपने कार्यकारी अधिकारी को उसे बाहर करने का निर्देश देता है

यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक सदन, एक ऐसा आदेश है जो हम कर सकते हैं

शून्य घोषित करें और सदन के कार्यकारी अधिकारी को रोकें
कट ले जाने से? मेरी राय में, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। मुझे लगता है।

कि हाउस ऑफ कॉमन्स उसके नियंत्रण के अधीन नहीं है

कानून जिसका अपनी आंतरिक कार्यवाहियों से संबंध है, और यह कि
ऐसे वास्तविक बल का उपयोग जो प्रभावी होने के लिए आवश्यक हो

हमारे सामने इस तरह का संकल्प उचित है "।

93. यह आगे कहा गया था; "ऐसा प्रतीत होता है कि सदन

जहाँ तक अपनी दीवारों के भीतर अपनी कार्यवाही के विनियमन का संबंध है, कॉमन्स के पास क़ानून की व्याख्या करने की अनन्य शक्ति है और यह कि, भले ही वह व्याख्या गलत होनी चाहिए, इस न्यायालय के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है।

उनकी प्रभुता समाप्त हो गई;

" मेरी राय में सदन ऐसे अधिकारों के संबंध में खड़ा है।

और उन संकल्पों के लिए जो उनके अभ्यास को प्रभावित करते हैं, ठीक-ठीक हम इस न्यायालय के न्यायाधीशों का कानून के साथ वही संबंध है

जो उन अधिकारों को विनियमित करते हैं जिनके हम संरक्षक हैं, और

निर्णय जो उन्हें विशेष मामलों में लागू करते हैं; अर्थात, वे

सबसे गंभीर दायित्वों से बंधे हैं जो पुरुषों को बाध्य कर सकते हैं कानून द्वारा उनके आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए आचरण का कोई भी तरीका

जैसे वे समझते हैं। अगर वे इसे गलत समझते हैं, या (मैं इसके लिए माफी मांगता हूं)

अनुमान) जानबूझकर इसकी अवहेलना करते हैं, वे गलत या गलत लगते हैं

अन्यायपूर्ण न्यायाधीश; लेकिन दोनों मामलों में, मेरे फैसले में कोई अपील नहीं है

उनके निर्णय से। देश का कानून ऐसी कोई अपील नहीं करता है; नहीं

कभी भी संसद के किसी भी सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें न्यायालयों के पास राजा राम पाल बनाम है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 565

अपनी शक्तियों की सीमाओं को अपनी-अपनी शक्तियों से बाहर घोषित किया

मकान। यह उस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है जिस पर मैं पहुँचता हूँ।

94. स्टीफन, जे. की व्यापक टिप्पणियों से कोई सहमत नहीं हो सकता है।

विशेष रूप से लिखित संविधान और इस न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति के आलोक में जिसे हमारे संविधान की 'मूल विशेषता' माना गया है। लेकिन यह निश्चित रूप से अपने सदस्यों पर संसद की शक्तियों, विशेषाधिकारों और अधिकारों से निपटने के दौरान न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

95. मैं एक ऐसे मामले का भी उल्लेख कर सकता हूं जो बहुत प्रासंगिक है और उस समय के लिए संदर्भित था जब हमारा संविधान शुरू होने वाला था।

96. संसद के एक सदस्य, गैरी एलिंगम ने 3 अप्रैल, 1947 को (भारत की स्वतंत्रता के कुछ महीनों से पहले) सदन के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक शिकायत की गई थी। एलिंगहम को उनकी बात समझाने के लिए बुलाया गया था।

सदन द्वारा आचरण। एलिंगम ने सदस्यों के खिलाफ निराधार आरोपों के लिए खेद व्यक्त किया और बिना शर्त माफी मांगी और कहा;

" मैंने विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार किया है, और मेरे कार्य के लिए मेरे पश्चाताप से अधिक ईमानदार और दिल से महसूस किया जाने वाला कुछ नहीं हो सकता है।

इस गहरे खेदजनक मामले को सीधा रखने के लिए मानवीय रूप से जो कुछ भी संभव है वह करने के बाद, मैं इस सदन के समक्ष खुद को प्रस्तुत करने के लिए संतुष्ट हूं, इस विश्वास के साथ कि यह न्याय की अपनी पारंपरिक भावना के अनुसार कार्य करेगा और

उदारता "।

97. एलिंगहैम के भाषण के समापन के बाद एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था।

उसे सदन की घोर अवमानना का दोषी ठहराना और ऐसे अपराधी के खिलाफ अत्यधिक गंभीरता के साथ आगे बढ़ना। स्थगन के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था

अल्लिंघम को छह महीने के लिए सदन की सेवा से और उस अवधि के लिए वेतन से वंचित करना। लेकिन प्रस्ताव में संशोधन की मांग की गई थी

प्रभाव कि एलिंगम को सदन से निष्कासित कर दिया जाए और अंत में सदन द्वारा संशोधित प्रस्ताव पारित किया गया।

98. इस प्रकार एलिंगम ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि इस देश में ब्रिटिश साम्राज्य की पूर्व संध्या पर और भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत पर,

ब्रिटिश संसद द्वारा प्राप्त शक्तियाँ और विशेषाधिकार संसद से किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति थी।

99. अंत में, मैं श्री पीटर आर्थस [2007] 1 एस. सी. आर. के संविधान के बाद के एक मामले का उल्लेख कर सकता हूं।

डेविड बेकर (1954)। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। एक सक्षम कोर्ट ऑफ लॉ ने उन्हें जालसाजी का दोषी ठहराया और दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। दोषसिद्धि के तथ्य को न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से सदन के अध्यक्ष को सूचित किया गया था। बेकर ने सदन के अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में अपने आचरण के बारे में खेद व्यक्त किया जो सदन के सदस्य के रूप में उनकी स्थिति और स्थिति से जुड़ा नहीं था।

उन्होंने, अन्य बातों के साथ, कहा;

" मुझे समाप्त करना चाहिए, जैसे मैंने शुरू किया, सदन से विनती करते हुए कि वह मुझे स्वीकार करे।

इस ज्ञान से कि, मेरे दोस्तों और सहयोगियों के अलावा
कहीं और, मैंने अपने दोस्तों और सहयोगियों को भी शर्मिंदा किया था

हाउस ऑफ कॉमन्स। मैं केवल आपसे और आपके माध्यम से उनसे पूछ सकता हूं।

इन खेदों की इस अभिव्यक्ति को स्वीकार करने के लिए।

100. पूरा पत्र सदन को पढ़कर सुनाया गया। विचार करने के बाद,

निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया था;

" हल किया गया कि श्री पीटर आर्थस डेविड बेकर को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए।

यह घर "।

101. बेकर ने साबित किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास था और

किसी सदस्य को उसकी आपत्तिजनक गतिविधि के लिए न केवल सदन में सदस्य के रूप में, बल्कि सदन के बाहर भी निष्कासित करने की शक्ति बनी रही, यदि यह अन्यथा अनुचित पाया जाता है, या छवि को धूमिल करता है।

जनता की नजरों में सदन का गठन या उसे किसी प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य बने रहने के लिए 'अयोग्य' बनाना।

102. [यह मामला संविधान (चालीस) के रूप में भी प्रासंगिक है।

चौथा संशोधन) अधिनियम, 1978, जिसके द्वारा अनुच्छेद 105 (3) में संशोधन किया गया है, यह निर्धारित करता है कि जब भी संसद की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का सवाल उठेगा, तो यह पता लगाया जाएगा कि क्या ऐसी शक्ति, विशेषाधिकार या उन्मुक्ति संशोधन के दिन हाउस ऑफ कॉमन्स को उपलब्ध थी।

20 जून, 1979 को लागू हुआ]।

103. याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक के एक निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया

एडवर्ड केली बनाम में प्रिवी काउंसिल की समिति। विलियम कार्सन, (1842): 4 एमओओ पीसी 63: 13 ईआर 225। के जिला सर्जन और अस्पताल राजा राम पाल बनाम के प्रबंधक थे।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 567

जबकि सी न्यूफाउंडलैंड की विधानसभा के सदस्य थे। सी ने अस्पताल प्रबंधन के संबंध में के. के. द्वारा कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां कीं और प्रबंधन की आलोचना करने के लिए सी को धमकी दी और कहा; "आपका विशेषाधिकार आपकी रक्षा नहीं करेगा"। सी ने सदन में शिकायत की। विशेषाधिकार समिति ने के को सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी पाया और उसे लक्षय के लिए प्रतिबद्ध किया।

104. इसके बाद के ने प्रतिवादियों के खिलाफ अतिचार और झूठे कारावास की कार्रवाई की लेकिन असफल रहे। प्रिवी काउंसिल के समक्ष, एक

सवाल यह था कि क्या न्यूफाउंडलैंड की विधानसभा के पास विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्ध होने की शक्ति थी, एक विधायी निकाय के रूप में सदन के लिए घटना के रूप में। के के अनुसार, विधानसभा के पास ऐसी शक्ति नहीं थी। (ए) विजय प्राप्त उपनिवेशों और (बी) बसे हुए उपनिवेशों के बीच अंतर बताते हुए, यह आग्रह किया गया था कि पहले में, क्राउन की शक्ति सर्वोपरि थी, लेकिन बाद में, उपनिवेशवादी अपने साथ महान चार्टर ऑफ लिबर्टी ले गए। (मैग्ना कार्टा) कि "किसी भी व्यक्ति को उसके साथियों के वैध निर्णय या देश के कानून द्वारा कैद नहीं किया जाएगा।"

105. प्रिवी काउंसिल ने माना कि न्यूफाउंडलैंड एक बसाया हुआ था न कि एक विजय प्राप्त उपनिवेश और बसने वाले अपने साथ इसके इस तरह के हिस्से को ले गए थे।

सामान्य कानून और क़ानून जैसा कि प्रदान किया गया था और ब्रिटिश प्रजा के अधिकार और उन्मुक्ति भी। न्यायिक समिति ने माना कि क्राउन ने न्यूफाउंडलैंड की विधान सभा पर अपनी अवमानना करने की शक्ति का निवेश नहीं किया।

106. इसके बाद समिति ने इस प्रश्न पर इस प्रकार विचार किया:

" तब पूरा सवाल इस तक सीमित हो जाता है-क्या कानून द्वारा, अवमानना करने की शक्ति, की उपस्थिति में नहीं

विधानसभा, प्रत्येक स्थानीय विधानमंडल के लिए आकस्मिक है।

इस विषय पर क़ानून मौन होने के कारण, सामान्य कानून इसे नियंत्रित करने के लिए है; और सामान्य कानून क्या है, इस पर निर्भर करता है
सिद्धांत और पूर्ववर्ती।

उनके प्रभुओं को यह सोचने का कोई कारण नहीं दिखता है कि सामान्य कानून के सिद्धांत में, उन्हें इस तरह के अलावा कोई अन्य शक्तियां दी गई हैं।

जो ऐसे निकाय के अस्तित्व और उन कार्यों के उचित अभ्यास के लिए आवश्यक हैं जिन्हें वह निष्पादित करना चाहता है। ये शक्तियाँ इसकी स्थापना के कार्य, एक अधिनियम द्वारा प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों तरफ से यह क्राउन [2007] 1 एस. सी. आर. के लिए सक्षम था।

प्रदर्शन करने के लिए। यह वह सिद्धांत है जो सभी कानूनी घटनाओं को नियंत्रित करता है।

" क्वांडो लेक्स अलिकुइड एक्सेप्ट, एक्सेप्टेरे विडेटर एंड इलूड, साइन

अपनयबाक लेल, अपन विधायी कार्यसभक स्वतन्त्र प्रयोगकँ सुरक्षित करबाक लेल,
वे सामान्य कानून के सिद्धांत द्वारा कार्य करने में उचित हैं। लेकिन

अवमानना के रूप में पिछले कदाचार के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति

अपने अधिकार का, और ऐसी अवमानना के तथ्य पर निर्णय लेते हुए, और एक न्यायिक निकाय के रूप में सजा का उपाय, गैर-जिम्मेदाराना

पक्षकार अभियुक्त, चाहे वास्तविक तथ्य कुछ भी हों, बहुत

अलग चरित्र, और किसी भी तरह से अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है

स्थानीय विधानमंडल द्वारा अपने कार्यों का प्रयोग, चाहे वह प्रतिनिधि हो

या नहीं। इन सभी कार्यों को इसके बिना अच्छी तरह से किया जा सकता है।

असाधारण शक्ति, और सामान्य न्यायाधिकरणों की सहायता से

अवमाननापूर्ण अपमान और बाधाओं की जांच करें और उन्हें दंडित करें।

ये शक्तियाँ निश्चित रूप से कॉर्पोरेट या अन्य में मौजूद नहीं हैं।

निकाय, एकत्र, अधिकार के साथ, के लिए उप-कानून बनाने के लिए विशेष व्यापारों की सरकार, या व्यक्तियों की संयुक्त संख्या।

औपनिवेशिक विधानमंडल के कार्य एक उच्च चरित्र के होते हैं,

और यह अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं में लगा हुआ है; लेकिन फिर भी कोई नहीं है

इसका कारण यह है कि इसके पास विचाराधीन शक्ति क्यों होनी चाहिए।

हालाँकि, यह कहा जाता है कि यह शक्ति सदन की है।

इंग्लैंड में कॉमन्स और यह, यह तर्क दिया जाता है, एक अधिकार प्रदान करता है यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि यह सामान्य कानून द्वारा एक कानूनी घटना के रूप में संबंधित है,

अनुरूप कार्यों के साथ एक सभा के लिए। लेकिन कारण यह है कि

हाउस ऑफ कॉमन्स के पास यह शक्ति है, इसलिए नहीं कि यह एक

विधायी कार्यों के साथ प्रतिनिधि निकाय, लेकिन के आधार पर

प्राचीन उपयोग और प्रिस्क्रिप्शन; लेक्स और कॉन्सूटचूड संसद, जो देश के सामान्य कानून का एक हिस्सा है, और

जिसके लिए संसद का उच्च न्यायालय, अपने विभाजन से पहले, और तब से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन्स में कई निवेश किए गए हैं।

विशिष्ट विशेषाधिकार, अवमानना के लिए दंडित करने का एक होना। और,

इसके अलावा, सादृश्य से यह तर्क बहुत अधिक साबित होगा, क्योंकि

यह धारणा के पक्ष में समान रूप से उपलब्ध होगा

कानून किसी को भी कुछ भी देता है, सभी आकस्मिक चीजें भी मौन रूप से दी जाती हैं।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 569

द्वीप की परिषद, द्वारा प्रयोग की गई प्रतिबद्धता की शक्ति

हाउस ऑफ लॉर्ड्स, साथ ही महाभियोग के अधिकार के समर्थन में

विधानसभा द्वारा एक दावा जिसके लिए कोई रंग नहीं है

फाउंडेशन।

न ही शक्ति को विधायिका के लिए आकस्मिक कहा जा सकता है।

अंग्रेजी अभिलेख न्यायालयों के अनुरूप सभा जो

इसे अपने पास रखें। यह सभा कोई अभिलेख न्यायालय नहीं है और न ही इसकी कोई अदालत है।

न्यायिक कार्य जो भी हों; और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये सभी

ऐसे निकाय जिनके पास निर्णय लेने और दंडित करने की शक्ति है

संक्षेप में, उनके अधिकार की अवमानना, न्यायिक है
कार्य करता है, और इसे उन लोगों के लिए घटना के रूप में प्रयोग करता है जो उनके पास हैं,

केवल हाउस ऑफ कॉमन्स को छोड़कर, जिसका अधिकार, इस में
सम्मान, प्राचीन उपयोग पर आधारित है।

इसलिए, उनके प्रभुओं की राय है कि सिद्धांत

सामान्य कानून की, कि आवश्यक चीजें, घटना के रूप में पारित होती हैं,

उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिवाद की गई शक्ति को न दें

किसी अधीनस्थ को अनुदान देने की घटना और उसमें शामिल

विधायिका "।

(जोर दिया गया)

1

107. परिषद ने उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में मंजूरी नहीं दी

ब्युमोंट बनाम में पहले निर्धारित कानून। बैरेट, (1836) 1 एमओओ पीसी 80, (जिसमें इस तरह के अधिकार को बरकरार रखा गया था और यह फैसला सुनाया गया था कि जमैका की विधान सभा के पास विधानसभा की अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति थी) और इसे खारिज कर दिया।

108. यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिष्ठित न्यायविदों और प्रतिष्ठित न्यायाधीशों

केली में प्रश्न पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि न्यूफाउंडलैंड की विधानसभा के पास किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए करने की कोई शक्ति नहीं थी जिसका प्रयोग ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। केली में अनुपात भारतीय संसद पर समान बल के साथ लागू होता है और यह माना जाना चाहिए कि हमारी स्थिति संसद न्यूसाउथलैंड से अलग नहीं है और इसके पास ब्रिटिश संसद द्वारा दावा और प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्ति भी नहीं है।

109. मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हूं।

मेरे निर्णय में, केली का कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यह निर्णय तथ्यात्मक, राजनीतिक और कानूनी पृष्ठभूमि के आलोक में लिया गया था जो पूरी तरह से गलत था।

अलग-अलग। एक से अधिक कारणों से, केली में अनुपात को हाथ में मामले में सेवा में नहीं दबाया जा सकता है। सबसे पहले, 1950 के बाद भारत को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है

570

एक 'औपनिवेशिक देश' के रूप में और न ही इसकी विधायिका औपनिवेशिक या अधीनस्थ के रूप में। दूसरा, यह स्पष्ट रूप से या निहित रूप से क्राउन से शक्तियां, विशेषाधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं था। तीसरा, 26 जनवरी, 1950 के बाद यह लिखित संविधान है जिसने उन्हें शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान की है।

अधिनियमित, वे ऐसे होंगे जो 26 जनवरी, 1950 को ब्रिटिश संसद द्वारा प्रयोग किए गए थे। 105 (3) , 194 (3)] . पाँचवाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरी राय में यह तथ्य नहीं है कि न्यूज़ाउथलैंड की सभा को कोई अधिकार नहीं था अवमानना के लिए व्यक्ति लेकिन क्या ब्रिटिश संसद के पास 26 जनवरी, 1950 को ऐसी शक्ति थी या नहीं। छठा, केली विधानसभा के सदस्य नहीं थे और इस तरह उस मामले में फैसले का इस अदालत के समक्ष उठाए गए मुद्दे पर कोई सीधा असर नहीं है। अंत में, केली एक व्यक्ति को जेल में डालने का मामला था और तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रिवी काउंसिल

मुझमें

उस मामले का फैसला किया जो यहाँ अनुपस्थित है। इन सभी कारणों से, माना जाता है कि केली पर निर्भरता याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं है।

110. वास्तव में, थॉमस विलियम डॉयल बनाम में एक बाद के मामले में। जॉर्ज

चार्ल्स फाल्कनर, (1866) एल. आर. 1 पी. सी. 328, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति और अन्य कदम उठाने की शक्ति के बीच अंतर को नोट किया गया था

प्रिवी काउंसिल। इसने अभिनिर्धारित किया कि डोमिनिका की विधान सभा के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति नहीं थी क्योंकि लेक्स एट कॉन्सूटचूड पार्लियामेंट के सादृश्य से औपनिवेशिक सभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो यूनाइटेड किंगडम में संसद के सदनों में संसद के उच्च न्यायालय के रूप में या न्यायालय में अभिलेख न्यायालय के रूप में निहित था। औपनिवेशिक सभा का कोई न्यायिक कार्य नहीं था।

111. न्यायिक समिति, हालांकि, केली का उल्लेख करने के बाद और

अन्य मामले, राज्य के लिए आगे बढ़े;

" यदि तब, विधानसभा द्वारा ग्रहण की गई शक्ति

कॉमन्स, या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्तियाँ, क्या कोई अन्य हैं
कानूनी आधार जिस पर इसे रखा जा सकता है। यह नहीं है, दोनों के रूप में

पक्ष स्वीकार करते हैं, स्पष्ट रूप से स्वीकृत किए गए हैं। के लिए विद्वान सलाहकार

अपीलकर्ताओं ने सामान्य कानून के सिद्धांतों का आह्वान किया, और यह

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि सामान्य कानून राजा राम पाल बनाम के अभ्यास को मंजूरी देता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 571

विशेषाधिकार जिसके द्वारा विधानसभा का निर्माण किया गया है, सामान्य कानून के सिद्धांत, जो सिद्धांत में सन्निहित हैं,

" क्वांडो लेक्स अलिकुइड एक्सेप्ट, एक्सेप्टेरे विडेटर एंड इलूड, साइन

इस प्रकार बनाए गए शरीर पर लागू होता है। द.

इसलिए, प्रश्न इस तक सीमित है: क्या दंड देने की शक्ति है और उसकी उपस्थिति में की गई अवमानना के लिए प्रतिबद्ध

सभा के रूप में एक निकाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक

डोमिनिका, और कार्यों का उचित अभ्यास जो यह है

निष्पादित करने का इरादा? ए के बीच अंतर करना आवश्यक है

अपनी बैठक के दौरान एक विधायी निकाय की उचित कार्रवाई, जो अंतिम है आत्म-संरक्षण के लिए शक्ति आवश्यक है। यदि एक औपनिवेशिक सदस्य

विधानसभा सदन में अव्यवस्थित आचरण का दोषी है

बैठने के दौरान, उसे हटाया जा सकता है, या कुछ समय के लिए बाहर रखा जा सकता है, या यहाँ तक कि

निष्कासित; लेकिन ऐसी शक्तियों के बीच एक बड़ा अंतर है और

अपराध के लिए दंडात्मक सजा देने की न्यायिक शक्ति।

आत्म-सुरक्षा के लिए हटाने का अधिकार एक बात है,
सजा देना दूसरी बात है। पूर्व है, उनके प्रभुता में '

निर्णय, वह सब जो कानूनी उक्ति द्वारा समर्थित है जो किया गया है

उद्धृत, लेकिन बाद वाला इसका वैध परिणाम नहीं है। के लिए

सवाल, इसलिए, जिस पर यह मामला निर्भर करता है, उनके प्रभुता
नकारात्मक में जवाब देना चाहिए।

(जोर दिया
गया)

(ब्रूम के कानूनी अधिकतम, 10 वीं संस्करण भी देखें; p.314)

112. इस संबंध में, उपरोक्त अवलोकन सही प्रस्ताव रखते हैं।

कानून से।

113. फेरसँ, बार्टन वी. मे। टेलर, (1886) 11 एसी 197, प्रिवी काउंसिल,

डॉयल के अनुमोदन ने गलती करने वाले सदस्यों के खिलाफ विधानसभा की ओर से की जाने वाली रक्षात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई के बीच एक व्यावहारिक रेखा खींची और कहा; "बार-बार अपराधों के मामले में बैठने के बाद बैठने (और, यह समर्पण या माफी तक हो सकता है), और गंभीर या लगातार कदाचार के लिए निष्कासित करने की शक्तियां, एक ऐसे सदस्य के चरम मामले को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त प्रतीत होती हैं जिसका आचरण आदतन अवरोधक या अव्यवस्थित है।"

114. कानून का एक दिलचस्प मुद्दा, जो इससे पहले उठाया गया है

[2007] 1 एस. सी. आर. में न्यू साउथ वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अदालत का गठन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

572 आर्मस्ट्रांग बनाम। बड, (1969) 71 एसआर 386 (एनएसडब्ल्यू)। संविधान अधिनियम, 1902 की धारा 19 में कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों में विधान परिषद में एक

सीट अपने आप खाली हो जाएगी। ए विधान परिषद के सदस्य थे जिनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमेबाजी के दौरान उन्होंने सबूत दिए। न्यायालय द्वारा साक्षय पर विश्वास नहीं किया गया था और निर्णय में, विचारण न्यायाधीश द्वारा कुछ कठोरताएं पारित की गई थीं। विधान परिषद ने टिप्पणियों और प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया और ए को परिषद से निष्कासित कर दिया और उनकी सीट खाली घोषित कर दी। ए ने यह घोषणा करने की मांग की कि प्रस्ताव अधिकार से बाहर है।

115. ए द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चूंकि उनका मामला किसी के द्वारा कवर नहीं किया गया था

धारा 19 में उल्लिखित संभावनाओं में से, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। इसने पाया कि मामला अधिनियम की धारा 19 के किसी भी खंड (ए) से (एफ) में नहीं आता है, लेकिन कहा कि उक्त धारा सीट की छुट्टी के लिए एक 'पूर्ण संहिता' का गठन नहीं करती है।

हेरॉन, सी. जे. ने कहा:

" क्योंकि वहाँ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सर्वोपरि सामान्य कानून मौजूद है।

ऐसे सिद्धांत जो संसदीय शक्ति को बढ़ाते हैं। इस पर आवेदन करने के लिए इस मामले में पहली या प्राथमिक अनिवार्यताओं को इस प्रकार कहा जा सकता है: में

व्यक्त अनुदान की अनुपस्थिति में विधान परिषद के पास ऐसा होता है -

विशेषाधिकार ऐसा है जो परिषद के अस्तित्व के लिए आवश्यक है या अपने कार्यों के उचित और व्यवस्थित अभ्यास के लिए।

उनके प्रभु ने आगे कहा:

" यह मामला मुझे एक निर्णय का समर्थन करता प्रतीत होता है जो विशेष रूप से

परिस्थितियों में एक सदस्य के दुराचार का एक क्षेत्र है

संसद ने सदन के बाहर समर्पण किया और संक्षिप्त में इसका खुलासा किया गया

ऐसी कार्यवाहियाँ जो विशेष परिस्थितियों में एक आधार बन सकती हैं -

द्वारा निष्कर्ष के आधार पर निष्कासन की शक्ति का प्रयोग

सदन कि ऐसा अपने अस्तित्व या व्यवस्थित के लिए आवश्यक है
अपने महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का प्रयोग करना।

17

(जोर दिया
गया)

116. वालेस, पी. विद्वान मुख्य न्यायाधीश से सहमत हुए और कहा:

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 573

" ..... मेरी राय है कि विधान परिषद के पास है

किसी सदस्य को निष्कासित करने की निहित शक्ति यदि यह निर्णय देता है कि वह

किसी सदस्य के अयोग्य आचरण का दोषी। इस शक्ति की प्रकृति

यह है कि यह केवल रक्षात्मक है-संरक्षित करने और सुरक्षा करने की शक्ति।

परिषद की गरिमा और सम्मान और आचरण की शक्ति और

अपने कर्तव्यों का पालन करें। शक्ति बाहर संचालन करने के लिए फैली हुई है
परिषद बशर्ते कि शक्ति का प्रयोग केवल और वास्तव में हो

उक्त रक्षात्मक उद्देश्यों से प्रेरित। तरीका और
शक्ति के प्रयोग का अवसर निर्णय के लिए है

वकील "।

(जोर दिया
गया)

117. सुगरमैन, जे. ने सहमत राय में सिद्धांत तैयार किया

निम्नलिखित निर्देशात्मक अवलोकन करके प्रभावी तरीके से आवश्यकता;

" यह आवश्यकता न केवल स्वीकार की गई शक्ति को मजबूर करती है

चैंबर के भीतर अव्यवस्थित आचरण से उत्पन्न निष्कासन, लेकिन

कक्ष के बाहर के आचरण से उत्पन्न निष्कासन भी, जिसमें

परिषद की राय, एक व्यक्ति को सेवा के लिए अयोग्य बनाती है और

इसलिए जिसकी परिषद की निरंतर सदस्यता होगी

परिषद को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और अपनी रक्षा करने से अक्षम करें।

उल्लिखित अर्थ में गरिमा। कि उचित निर्वहन
परिषद द्वारा विधायी कार्य एक व्यवस्थित संचालन की मांग करता है

इसका व्यवसाय निस्संदेह है। कि यह ईमानदारी और ईमानदारी की मांग करता है

एक अनियंत्रित व्यक्ति की तुलना में आत्म-संरक्षण के मामले के रूप में अनिवार्य सदस्य "।

(जोर दिया गया)

118. श्री अंधारुजिना, वरिष्ठ अधिवक्ता भारत संघ की ओर से पेश हो रहे हैं

पिछली साढ़े तीन शताब्दियों में हाउस ऑफ कॉमन्स से सदस्यों के निष्कासन के विवरण इस न्यायालय के समक्ष रखे गए। विवरण इस प्रकार हैं: तिथि

सदस्य और

कारण।

निर्वाचन क्षेत्र

रिश्वत स्वीकार की (500 पाउंड से)

22 न.

जॉन एशबर्नहैम

वे व्यापारी जो आयात करना चाहते थे

नवंबर

(ससेक्स)

फ्रेंच वाइन)।

1667 [2007] 1 एस सी आर।

574

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21 सेंट अप्रैल

माननीय। हेनरी ब्रॉन्कर ने डचूक के आदेशों का आविष्कार किया

1668

(नए रोमनी)

नौकायन के लिए यॉर्क, जो

इंग्लैंड को पूंजीकरण करने से रोका

लोस्टॉफ्ट पर अपनी नौसैनिक जीत

1665 .

थॉमस वानक्लिन

1 सेंट

विशेषाधिकार का भ्रष्ट दुरुपयोग

सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ

संसद

फरवरी

(वेस्टबरी)

1678

' मामूली नौकर '।

एक के रूप में टाइटस ओट्स की

निंदा

25 मार्च एडवर्ड सैकविल

' झूठ बोलना 'और अविश्वास में

(ईस्ट ग्रिन्स्टेड)

1679

' पॉपिश प्लॉट '।

सर रॉबर्ट कैन, बीटी।

कथन कि प्रयास

28 टी.

अक्टूबर

(ब्रिस्टल)

ड्यूक ऑफ यॉर्क को बाहर करें

उत्तराधिकार एक 'प्रेस्बिटेरियन' था

1680

प्लॉट '।

सर फ्रांसिस विथेन्स

29 टी.

तिरस्कार करते हुए एक याचिका

प्रस्तुत की

अक्टूबर

संसद का सम्मन जो

(वेस्टमिंस्टर)

1680

डचूक ऑफ यॉर्क को बाहर कर देंगे

उत्तराधिकार से।

सर रॉबर्ट पेटन

14 टी.

डचूक के साथ संबंध

यॉर्क और में कथित संलिप्तता

दिसंबर

(मिडिलसेक्स)

' भोजन-टब प्लॉट '(करने का

प्रयास)

1680

बहिष्करणवादियों को एक साजिश में

फंसाना

राजा को मार डालो और एक

स्थापित करो
राष्ट्रमंडल)।

सर रॉबर्ट सॉयर

सर के अभियोजन का नेतृत्व करना

20 टी.

(कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय)

थॉमस आर्मस्ट्रांग पर राजद्रोह का

आरोप

जनवरी

1690

राई हाउस प्लॉट जबकि

महान्यायवादी। आर्मस्ट्रांग थे

दोषी ठहराया गया, मौत की सजा

सुनाई गई और

अंतत: फांसी दे दी गई, लेकिन

उसका

दोषसिद्धि पर बाद में फैसला

सुनाया गया कि
न्याय की विफलता।

राम पाल वी. माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 575

भ्रष्टाचार (सदन के अध्यक्ष)

एच सर जॉन ट्रेवर

(यामौथ, आइल ऑफ

कॉमन्स)। 1, 000 गिनी का भुगतान किया

वाइट)

लंदन निगम से

अनाथ विधेयक के पारित होने पर।

एच जॉन हंगरफोर्ड

से 20 गिनी का भुगतान किया

निगम के रूप में उनके आचरण के लिए

(स्कारबोरो)

समिति के अध्यक्ष

अनाथों पर पूरा घर

बिल।

चार्ल्स डनकॉम्ब

जनता को £10,000 का भुगतान करने के लिए

बाध्य

(डाउनटन)

राजकोष बिलों पर 5 प्रतिशत की छूट

और विक्रेता को राजी किया (जॉन दा

कोस्टा) उन्हें समर्थन देने के लिए जैसे कि

उन्हें भुगतान किया गया था

उत्पाद शुल्क। यह उसे अनुमति दी

उन्हें अंकित मूल्य पर भुगतान करें और

छूट को अपने पास रखें।

जॉन नाइट

अपने भाई विलियम को राजी किया और

(वेमाउथ और

रेजिनाल्ड मैरियट, एक कोषागार

मेलकोम्ब रेजिस)

आधिकारिक, £7,000 का झूठा समर्थन करने के

लिए

राजकोष बिलों के जैसे कि वे

कर भुगतान के निपटान के लिए भुगतान किया गया

था

(इसका मतलब था कि बिल,

10 प्रतिशत छूट पर वितरित,

उनके अंकित मूल्य में वृद्धि हुई)।
मैरियट को लेने के लिए मनाने की कोशिश की

पूरा दोष।
मुद्रांक शुल्क आयुक्त; यह

जेम्स इसाकसन

(बानबरी)

पद के तहत एक अयोग्यता थी

1694 का लॉटरी अधिनियम।

हेनरी कोर्निश

डाक टिकट कार्यालय में आयुक्त

(शाफ्ट्सबरी)

और चर्मपत्र; यह कार्यालय एक था
लॉटरी के तहत अयोग्यता

1694 का अधिनियम।

576

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] 1 एस. सी. आर

14 थ.

सैमुअल एटकिंसन

अनुज्ञप्ति के लिए आयुक्त

फरवरी

(हार्विच)

फेरीवाले और पैडलर; यह कार्यालय

1699

के तहत एक अयोग्यता थी

1694 का लॉटरी अधिनियम।

14 थ.

राजकोष के संचलन के लिए न्यासी

सर हेनरी फर्नेस

फरवरी

बिल; प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य

करना और

(ब्रैम्बर)

1699

सदस्यता के प्रबंधक

नई ईस्ट इंडिया कंपनी।

ये थे कार्यालय

लॉटरी के तहत अयोग्यताएँ

1694 का अधिनियम।

रिचर्ड वोलस्टन

20 थ.

प्राप्तकर्ता-करों का सामान्य

फरवरी

(व्हिचर्च)

हर्टफोर्डशायर; यह कार्यालय एक

था

1699

लॉटरी के तहत अयोग्यता

1694 का अधिनियम।

राजकोष के संचलन के लिए न्यासी

19 थ.

सर हेनरी फर्नेस

(सैंडविच)

फरवरी

बिल; यह कार्यालय एक था

1701

1694 का अधिनियम।

राजकोष के संचलन के लिए न्यासी

22 न.

गिल्बर्ट हीथकोट

(लंदन शहर)

फरवरी

बिल; यह कार्यालय एक था

लॉटरी के तहत अयोग्यता

1701

1694 का अधिनियम।

आर टी। माननीय। अर्ल ऑफ

1 सेंट

पेमास्टर के रूप में-जनरल ऑफ द

फरवरी

रानेलाग (वेस्ट लू)

| सेना, 904,138 पाउंड का

विनियोजित

1703

सार्वजनिक कोष; गंभीर था

उनके खातों में विसंगतियाँ,

जिसे केवल बनाया गया था

मार्च 1692।

18 थ.

जॉन असगिल (ब्रैम्बर) तीन लेनदारों का ऋणी है।

(उनमें से कर्नल जॉन राइस)

दिसंबर

1707

जिसने तर्क दिया कि बाइबल

सिद्ध व्यक्ति का अनुवाद RAM PAL v किया जा सकता है।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 577

पृथ्वी पर जीवन से लेकर अनन्त जीवन तक

गुजरने के बिना स्वर्ग

मृत्यु। सदन ने इसे माना

निंदनीय। वही सदस्य

आयरिश से भी निष्कासित कर दिया गया था
11 अक्टूबर 1703 को संसद।

थॉमस रिज (पूल) को आपूर्ति करने के लिए अनुबंधित किया गया है

8, 217 टन बीयर के साथ बेड़ा,

उनसे केवल 4,482 टन की आपूर्ति की गई
शराब की भट्ठी और भुगतान किया गया मुआवजा

गैर के लिए रियायती दर
बीयर की आपूर्ति की गई, जिससे धोखाधड़ी हुई

सार्वजनिक कोष।

रॉबर्ट वालपोल

युद्ध में सचिव रहते हुए भ्रष्टाचार।

(किंग्स लिन)

चारा अनुबंधों पर उन्होंने बातचीत की

रॉबर्ट को निर्धारित भुगतान

मान, वालपोल का एक संबंध,

लेकिन वालपोल ने उनके लिए हस्ताक्षर किए और
इसलिए पैसा मिला।

आर टी। माननीय। एडम डी

जबकि डच्यूक के सचिव

कार्डोनल

मार्लबोरो, उन्होंने एक

(साउथेम्प्टन)

सर सोलोमन डी मदीना से, एक
सेना की रोटी ठेकेदार।

एच सर रिचर्ड स्टील

राजद्रोही मानहानि। प्रकाशित किया गया

(स्टॉकब्रिज)

द गार्जियन में लेख और एक

संकट नामक पर्चा

सरकार को उजागर करना

डंकिर्क का विध्वंस;

विध्वंस के तहत आवश्यक था

यूट्रेक्ट की संधि।

थॉमस फोर्स्टर

1715 जैकोबाइट में भागीदारी

(नॉर्थम्बरलैंड)

विद्रोह (वह इंग्लैंड में सभी दावेदारों की सेनाओं का

सेनापति था)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

578

[2007] 1 एस. सी. आर

23 आरडी मार्च लुईस प्राइस

सदन में उपस्थित होने से इनकार कर

दिया

1716

(कार्डिगनशायर)

वफादारी की शपथ लेने के बाद

जैकोबाइट विद्रोह।

जॉन कार्नेगी

1715 जैकोबाइट में भागीदारी

22 जून का महीना

1716

(फॉरफारशायर)

विद्रोह।

जैकब सॉब्रिज

दक्षिण सागर के निदेशक

23 आरडी

जनवरी

(क्रिकलेड)

कंपनी।

1721

28 थ.

सर रॉबर्ट चैप्लिन, बीटी। दक्षिण सागर के निदेशक

(ग्रेट ग्रिम्सबी)

जनवरी

कंपनी।

1721

28 थ.

फ्रांसिस आइल्स (उपकरण) दक्षिण सागर के निदेशक

जनवरी

कंपनी।

1721

30 थ.

दक्षिण सागर के निदेशक

सर थियोडोर जानसेन,
बीटी। (यार्मौथ, आइल ऑफ

जनवरी

कंपनी।

वाइट)

1721

आर टी। माननीय। जॉन ऐस्लेबी ने समझौते पर बातचीत की

8 मार्च

(रिपन)

1721

राष्ट्रीय ऋण के बीच

दक्षिण सागर कंपनी और

सरकार, कुलाधिपति के रूप में

राजकोष; £20,000 प्राप्त किया

साउथ सी कंपनी स्टॉक;

उसके हिस्से का सबूत नष्ट कर दिया

सौदेबाजी।

बैंकर ऑफ द साउथ सी कंपनी

10 मार्च सर जॉर्ज कैस्वाल

अपनी कंपनी के लिए £50,000

प्राप्त किया

1721

(लियोमिन्स्टर)

साउथ सी कंपनी में स्टॉक

जबकि दक्षिण सागर विधेयक अभी

भी था

संसद के सामने, और उसके बिना

इसके लिए भुगतान करें।

8 मई का

सदस्य को प्रभावित करने का

प्रयास

थॉमस वर्नोन

(व्हिचर्च)

दक्षिण सागर पर समिति

1721

जॉन ऐस्लेबी के पक्ष में बुलबुला

उसके जीजा।

राम पाल वी. सम्मानीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 579

में आयोजित लॉटरी में विस्काउंट बैरिंगटन की भागीदारी (

बर्विक-ऑन-ट्वीड) हनोवर, लेकिन संगठित

लंदन। सदन ने इसकी घोषणा की

अवैध है।

फ्रांसिस एल्डे (स्टैफोर्ड)। समझौता करने का भ्रष्ट प्रयास

उनके खिलाफ चुनाव याचिका,

जॉन वार्ड (वेमाउथ)

के खिलाफ धोखाधड़ी में शामिल

और मेलकोम्ब रेजिस)

दिवंगत डचूक की संपत्ति

वार्ड के फिटकरी के काम से फिटकरी,

लेकिन कौन सा वार्ड रखा और बेचा गया

दूसरों को फिर से।

एच जॉन बिर्च (वीओबली)। धोखाधड़ी वाली बिक्री

डर्वेंटवाटर एस्टेट (एस्केटेड टू

के अर्ल द्वारा मुकुट

डर्वेंटवाटर, हाई का दोषी ठहराया गया

1715 के दौरान राजद्रोह

विद्रोह)।

एच. डेनिस बॉन्ड (पूल)

धोखाधड़ी वाली बिक्री

डर्वेंटवाटर एस्टेट (एस्केटेड टू

के अर्ल द्वारा मुकुट

डर्वेंटवाटर, हाई का दोषी ठहराया गया

1715 के दौरान राजद्रोह

विद्रोह)।

जॉर्ज रॉबिन्सन

निधियों का धोखाधड़ी से उपयोग

(ग्रेट मार्लो)

के लिए धर्मार्थ निगम

अटकलें लगाई जा रही हैं। 356, 000 पाउंड का

डायवर्ट किया गया

कोष (जिसमें से £200,000 में था)

निगम के शेयर) में

यॉर्क बिल्डिंग्स कंपनी को खरीदना

स्टॉक, की बिक्री से लाभ

जो उसे दिया गया था।

[2007] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

580

4 मई का

आर टी। माननीय। सर रॉबर्ट

झूठा कथन कि धर्मार्थ

1732

निगम की अधिकृत पूंजी

सटन (नॉटिंघमशायर)

थक गया था, इसकी अनुमति दे रहा
था
अधिक जारी करें (और इसलिए वित्त

अन्य की भ्रष्ट अटकलें
निदेशक)।

5 मई का

सर आर्चीबाल्ड ग्रांट, बीटी। निधियों का धोखाधड़ी से उपयोग

के लिए धर्मार्थ निगम

(एबरडीनशायर)

1732

अटकलें लगाई जा रही हैं। जॉर्ज के
लिए व्यवस्था की गई
रॉबिन्सन (ऊपर देखें) फरार होने के लिए।

20 थ.

भागने के बाद फ्रांस चले गए

जॉन विल्क्स

जनवरी

(आयल्सबरी)

मुद्दा सं. पर मानहानि का आरोप
लगाया गया।

1764

45 उत्तरी ब्रिटेन।

3 आरडी

जॉन विल्क्स

मानहानि के लिए पिछली सजा और

ईशनिंदा, और एक और राजद्रोही

(मिडिलसेक्स)

फरवरी

1769

एक पत्र के परिचय में मानहानि

डैनियल पोंटन (के अध्यक्ष)

लैम्बेथ में तिमाही सत्र)

सेंट जेम्स क्रॉनिकल।

अपने पिछले होने के बावजूद लौट

आए

(17 थ.

जॉन विल्क्स

फरवरी

(मिडिलसेक्स)

निष्कासन। सदन ने हल किया

कि वह "था, और है, अक्षम

1769

सेवा करने के लिए सदस्य चुना

जाना
वर्तमान संसद में "।)

क्रिस्टोफर एटकिंसन

4 थ.

झूठी गवाही देने के बाद दोषी

ठहराया गया

दिसंबर

(हेडन)

उन आरोपों की शपथ लेते हुए

1783

उसकी धोखाधड़ी असत्य थी। द.

उसके लेन-देन से संबंधित आरोप

में मुद्रित एक पत्र में थे

31 तारीख को सामान्य विज्ञापनदाता

जनवरी 1781।

2 मई का महीना

जॉन फेंटन काउथॉर्न को कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराया गया

(लिंकन)

1796

राजा राम पाल बनाम की

धोखाधड़ी और गबन।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 581

वेस्टमिंस्टर के कोष

मिडिलसेक्स मिलिशिया की रेजिमेंट;

अनुचित आचरण के लिए कैशियर किया गया

एक अधिकारी का चरित्र और एक

सज्जन।

आरडी मई

जोसेफ हंट

भागने के बाद लिस्बन चले गए

सार्वजनिक रूप से गबन पाया गया

10

(क्विनबरो)

कोषागार के रूप में निधियाँ

आयुध। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने

पद छोड़ दिया।
93, 296 पाउंड का घाटा।

बेंजामिन वाल्श

दोषी ठहराए गए (बाद में माफ कर दिए

गए)

मार्च

वकील को धोखा देने का प्रयास

. 2

(वूटन बैसेट)

जनरल सर थॉमस प्लमर। प्लमर

£ 22,000 किनसे खरीदना है
राजकोष के बिल, लेकिन वाल्श ने इसका इस्तेमाल किया

लॉटरी खेलने के लिए, और हार गया; वह

1809 में नापाक आचरण।

साजिश रचने का दोषी ठहराया गया

जुलाई

माननीय। एंड्रयू जेम्स

कोक्रेन (ग्रामपाउंड)

धोखाधड़ी (प्रसारित झूठी अफवाहें)

14

हार और मौत का

नेपोलियन बुओनापार्ट

शेयर की कीमतों में वृद्धि); फरार

सजा से पहले फ्रांस।

जुलाई

साजिश रचने का दोषी ठहराया गया

लॉर्ड कोक्रेन

4

(वेस्टमिंस्टर)

धोखाधड़ी (प्रसारित झूठी अफवाहें)

हार और मौत का

नेपोलियन बुओनापार्ट

शेयर की कीमतों में वृद्धि)।

582

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] 1 एस सी आर।

जेम्स सैडलर

16 टी.

गिरफ्तारी के बाद फरार

फरवरी

(टिपेररी)

धोखाधड़ी से धर्मांतरण। उनके पास

था

1857

से 250,000 पाउंड का स्टॉक

निकाला गया

टिपेररी ज्वाइंट-स्टॉक बैंक

उसके भाई का उपयोग।

चार्ल्स ब्रैडलॉफ

22 न.

सदन के आदेशों की अवमानना

फरवरी

(नॉर्थम्पटन)

उसे छोड़कर कॉमन्स के

संसदीय संपदा।

1882

12 मई का

एडमंड होप वर्नी। एक लड़की को खरीदने के लिए दोषी ठहराया गया

1891

(बकिंघम)

मौड बास्केट) एक अनैतिक के लिए

उद्देश्य।

26 टी.

एडवर्ड सैमुअल वेस्ली

संयुक्त राज्य अमेरिका में भाग गए

फरवरी

डी कोबेन (बेलफास्ट, पूर्व)

उसके लिए एक वारंट के बाद

अमेरिका का

1892

कमीशन के आरोप में गिरफ्तारी

घोर अभद्रता के कृत्य थे

जारी किया गया। 21 मार्च 1893

को उन्होंने

दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई

गई

बारह महीने की कैद के साथ

कड़ी मेहनत।

2 मार्च

जॉर्ज वुडियट

धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया

1892

हेस्टिंग्स

रूपांतरण। न्यासी के रूप में

(वॉरसेस्टरशायर, पूर्वी)

जॉन की वसीयत के तहत संपत्ति

ब्राउन, खुद के लिए उपयुक्त

संपत्ति से £20,000 से अधिक।

होरेशियो विलियम

धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया

1 सेंट अगस्त

1922

बॉटमली (हैकनी,

रूपांतरण। आमंत्रित योगदान

दक्षिण)

विक्ट्री बॉन्ड क्लब के लिए जो

निवेश किया जाना चाहिए

सरकारी स्टॉक, लेकिन थे

वास्तव में अपने स्वयं के उपयोग में

बदल दिया।

सदन की अवमानना

30 टी.

गैरी अलिघन

कॉमन्स: विशेषाधिकार हनन

अक्टूबर

(कब्रिस्तान)

'वर्ल्ड प्रेस' में लेख पर

1947 राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 583

भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली खबरें और

सदस्यों के बीच शराबीपन;

समिति से झूठ बोलना

आरोपों की जांच करना।

जाली बोलने का दोषी ठहराया गया

16 टी.

पीटर आर्थर डेविड

दस्तावेज़। जाली हस्ताक्षर

बेकर (नॉरफ़ॉक, दक्षिण)

दिसंबर

गारंटी के लिए आशय पत्र

1954

£100,000 से अधिक का ऋण

उनकी कंपनियों द्वारा।

भारतीय कानून: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

119. इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद से संबंधित मौजूदा कानून

भारत में विशेषाधिकार अनिवार्य रूप से अंग्रेजी मूल के हैं। लेकिन संसदीय विशेषाधिकारों की अवधारणा प्राचीन भारत के लिए अज्ञात नहीं थी। प्रीतितोश रॉय

उनकी कृति 'भारत में संसदीय विशेषाधिकार' (1991) में कहा गया है कि वैदिक काल में भी दो विधानसभाएँ थीं; सभा और समिति जो राजा के सभी कार्यों पर नजर रख रही थीं। सभा और समिति का संदर्भ सभी वेदों में पाया जाता है। बौद्ध भारत में, हम विकसित संसदीय प्रणाली पाते हैं। सदस्यों को विधानसभाओं के निर्देशों की अवज्ञा करने की अनुमति नहीं थी। अपराधी विधानसभाओं के प्रति जवाबदेह थे और एक अवसर प्रदान करने के बाद गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती थी। इस प्रकार इसमें आज के संसदीय विशेषाधिकार की 'प्राथमिक विशेषताएं' हैं।

120. 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से 'व्यापारी' के रूप में भारत आई।

ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामलों में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप किया।

ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, 1773 (जिसे 'विनियमन अधिनियम, 1773' के रूप में जाना जाता है) पारित करके, जिसके बाद 1784 का अधिनियम आया। जड़ें।

1833 के विभिन्न चार्टर अधिनियमों में आधुनिक संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1853 , 1854 , 1861 , 1892 , 1909 , आदि।

121. 1915-50 के दौरान, उल्लेखनीय वृद्धि और विकास हुआ

भारत में संसदीय विशेषाधिकार। पहली बार, भारत सरकार अधिनियम, 1919 (धारा 67) द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता का सीमित अधिकार प्रदान किया गया था। विधायी सदस्य छूट अधिनियम, 1925 द्वारा सदस्यों को दो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए थे; (i) छूट।

जूरी सेवा से; और (ii) गिरफ्तारी से स्वतंत्रता।

122. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने विशेषाधिकारों का विस्तार किया।

प्रदान की गई और प्रतिरक्षा प्रदान की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने भारतीय अधिराज्य को संप्रभु विधायी शक्ति प्रदान की। संवैधानिक प्रावधान

123. भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।

भाग 5 में संघ से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान हैं। जबकि अध्याय I और IV कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित हैं; अध्याय II और III संसद से संबंधित हैं। अनुच्छेद 79 से 88 में संविधान, रचना,

दोनों सदनों की अवधि आदि और सदस्यों की योग्यता, अनुच्छेद 89 से 98 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव और उनके वेतन और भत्तों के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 101 सीटों की छुट्टी से संबंधित है और अनुच्छेद 102 उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जिनमें एक व्यक्ति

संसद सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। अनुच्छेद 103 ऐसे निर्णयों को अंतिम रूप देता है।

तीन लेख प्रासंगिक हैं और उन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है;

" 101. सीटों की छुट्टी। - (1) कोई भी व्यक्ति दोनों का सदस्य नहीं होगा।

संसद के सदन और प्रावधान संसद द्वारा किए जाएंगे -

एक व्यक्ति द्वारा छुट्टी के लिए कानून जिसे दोनों का सदस्य चुना जाता है

एक या दूसरे सदन में उनकी सीट के घर।

(2) कोई भी व्यक्ति संसद और सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा।

किसी राज्य के विधानमंडल का, और यदि कोई व्यक्ति सदस्य चुना जाता है संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के सदन दोनों का,

तब ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो नियमों में निर्दिष्ट की जाए।

राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई, संसद में उस व्यक्ति की सीट

खाली हो जाता है, जब तक कि उसने पहले अपनी सीट से इस्तीफा नहीं दिया हो

राज्य का विधानमंडल।

(3) यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो

(क) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है अनुच्छेद 102 का खंड (1) या खंड (2), या

(ख) अपने हाथ के नीचे उन्हें संबोधित करते हुए लिख कर अपनी सीट से इस्तीफा दे देता है

अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, और उनका इस्तीफा जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल.

v.

माननीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 585

अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है, जैसा भी मामला हो,

-उसके बाद उसकी सीट खाली हो जाएगी:

बशर्ते कि उप में निर्दिष्ट किसी इस्तीफे के मामले में

खंड (ख), यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और उसके बाद

अध्यक्ष या अध्यक्ष, ऐसी जांच करना जो वह उचित समझते हैं,

जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि इस तरह का इस्तीफा नहीं है स्वैच्छिक या वास्तविक, वह इस तरह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा।

(4) यदि साठ दिनों की अवधि के लिए किसी भी सदन का सदस्य

सदन की अनुमति के बिना संसद सभी से अनुपस्थित है। उसकी बैठकों में, सदन अपनी सीट खाली घोषित कर सकता है:

बशर्ते कि साठ दिनों की उक्त अवधि की गणना में नहीं जिस अवधि के दौरान सदन का गठन होता है, उसका हिसाब रखा जाएगा।

102. सदस्यता के लिए अयोग्यता। — (1) एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। (क) यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है, तो उसके द्वारा घोषित कार्यालय के अलावा

संसद कानून द्वारा अपने धारक को अयोग्य नहीं ठहराएगी;

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और सक्षम व्यक्ति द्वारा घोषित किया गया है।

अदालत;

(ग) यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से

किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी भी स्वीकृति के तहत है; (ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति नहीं करेगा

भारत सरकार की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के तहत लाभ का पद धारण करने वाला माना जाए

या तो संघ के लिए या ऐसे राज्य के लिए। (2) एक व्यक्ति को दोनों में से किसी एक का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

संसद का सदन यदि वह दसवें के तहत अयोग्य है

अनुसूची.

103. सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय। (1) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी भी सदन का कोई सदस्य है

संसद की किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गई है

अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लिखित प्रश्न निर्दिष्ट किया जाएगा।

राष्ट्रपति के निर्णय और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और कार्य करेगा।

ऐसी राय के अनुसार "।

4. अनुच्छेद 105 में राज्य की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का प्रावधान है। -संसद के। यह विवाद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है।

वर्तमान कार्यवाहियों में, और विस्तार से उद्धृत किया जा सकता है;

" 105. संसद के सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि

इसके सदस्य और समितियाँ। (1) प्रावधानों के अधीन इस संविधान और विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के लिए

संसद की प्रक्रिया में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

संसद।

(2) संसद का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में कोई न्यायालय

संसद या उसकी किसी समिति में, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा

प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी संसद के किसी भी सदन की किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही।

(3) अन्य मामलों में, प्रत्येक की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

कानून द्वारा संसद, और, इस प्रकार परिभाषित होने तक, उसी की होगी। सदन और उसके सदस्यों और समितियों के तुरंत पहले

संविधान की धारा 15 (चालीसवां राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 587

संशोधन) अधिनियम, 1978।

(4) खंड (1), (2) और (3) के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे।

जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर अधिकार है

किसी सदन की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने के लिए

संसद या उसकी कोई समिति जो उनके संबंध में लागू होती है -

संसद के सदस्य "।

(जोर दिया गया)

125. अनुच्छेद 107-22 में विधायी प्रक्रिया के प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 118 संसद के दोनों सदनों को इसके लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है - व्यवसाय की प्रक्रिया और संचालन को विनियमित करना। अनुच्छेद 121 किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है।

अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का। अनुच्छेद 122 अदालतों को किसी भी मामले की वैधता की जांच या उस पर सवाल उठाने से रोकता है। प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर संसद में कार्यवाही। वह इस प्रकार है:

" 122. न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे। - (1)

संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न।

संसद में कार्य संचालन या व्यवस्था बनाए रखने के लिए - द्वारा अभ्यास के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन

उन शक्तियों से।

(जोर दिया गया)

संसद द्वारा सदस्यों का निष्कासन

126. कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें भारतीय संसद ने अभ्यास किया है।

इसके सदस्यों के निष्कासन की शक्ति। 127. संसद के समक्ष विचार के लिए पहला मामला लोकसभा के सदस्य श्री एच. जी. मुद्गल का था। उन्होंने बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछ भौतिक तथ्यों को दबा दिया।

जाँच समिति ने पाया कि आरोप साबित हुए और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि माननीय सदस्य का आचरण [2007] 1 एस. सी. आर. का अपमानजनक था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सदन का यह उस मानक से असंगत है जो संसद है

इसने अपने सदस्यों से अपेक्षा की।

128. सदन को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित

हरलाल नेहरू ने सर एर्कस्किन मे के काम का उल्लेख किया, अनुच्छेद 105 (3)

ब्रिटिश सदन में संविधान और व्यवहार।

लेकिन पं. नेहरू ने, मेरी राय में, सही जोड़ा;

इसके लिए, एक संप्रभु संसद के रूप में इस सदन को स्वाभाविक रूप से होना चाहिए अपनी समस्याओं से निपटने का अधिकार जो वह चाहे और मैं नहीं कर सकता

कल्पना कीजिए कि कोई इस तथ्य पर संदेह कर रहा है।

(जोर दिया गया)

ऐसे मामलों में सदन के दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने कहा;

" वास्तव में, मुझे नहीं लगता कि यह आम तौर पर इस सदन के लिए संभव है।

सदन ऐसा करने का हकदार है लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं किया जाता है: न ही ऐसा है। माना जाता है, उचित प्रक्रिया "।

फिर उन्होंने कहा;

" सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान मामले में ऐसा होना चाहिए।

यह मामला एक ऐसा मामला भी नहीं है जिसे मामूली मामला कहा जा सके। जहाँ लोगों की इसके बारे में दो राय हो सकती हैं, जहाँ किसी की हो सकती है

अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो यह उतना ही बुरा है जितना हो सकता है। अगर हम भी विचार करें एक सीमांत मामले के रूप में या एक के रूप में जहां शायद एक निश्चित मामला

लापरवाही की मात्रा दिखाई जा सकती है, मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा विभिन्न दृष्टिकोण, विशेष रूप से क्योंकि, यह है

सदन के समक्ष अपनी तरह का पहला मामला आ रहा है, यदि सदन ऐसा करता है

जोरदार शब्द, तब जनता के मन में बहुत अच्छी तरह से संदेह पैदा हो सकता है
इस बारे में कि क्या सदन ऐसे मामलों के बारे में बहुत निश्चित है या नहीं।

इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि यह हमारे लिए एक कर्तव्य बन गया है और एक राजा राम पाल v।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 589

स्पष्ट, सटीक और निश्चित होने का दायित्व। तथ्य स्पष्ट हैं और

सटीक और निर्णय भी स्पष्ट और सटीक होना चाहिए और
असंदिग्ध। और मैं प्रस्तुत करता हूँ कि सदन का निर्णय होना चाहिए,

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार करने के बाद, यह तय करने के लिए कि

सदस्य को सदन से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

129. इसके बाद श्री मुद्गल को निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया जो था

सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया और श्री मुद्गल को निष्कासित कर दिया गया।

130. इसी तरह, संसद ने श्री सुब्रमण्यम स्वामी (राज्यसभा) और श्रीमती इंदिरा गांधी (लोकसभा) के खिलाफ निष्कासन की शक्ति का प्रयोग किया।

सभा)। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से निष्कासन के मामले में भी शक्ति का प्रयोग किया गया था।

131. कौल और शाखदर ने अपनी पुस्तक 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ

संसद ', (पाँचवाँ संस्करण, पृ. 262) ने कहा:

" सदस्यों को दंड: इसके अपने सदस्यों के मामले में, सदन के लिए दो अन्य दंड भी उपलब्ध हैं जिनके द्वारा वह कर सकता है
चेतावनी देने की तुलना में अधिक दृढ़ता से अपनी नाराजगी व्यक्त करें या

फटकार, अर्थात्, सदन की सेवा से निलंबन और
निष्कासन "।

सदस्यों और न्यायालयों का निष्कासन

132. भारतीय न्यायपालिका के समक्ष भी उनके खिलाफ ठोस मामले आए हैं।

विधानमंडल द्वारा पारित निष्कासन के आदेश। आइए हम इस मुद्दे पर अग्रणी निर्णयों पर विचार करें। 133. जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, शायद यह इस प्रकार का पहला मामला है और इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है। कुछ मामले, जो पहले विचार के लिए सामने आए थे, सीधे निष्कासन से संबंधित नहीं थे

विधानमंडल की सदस्यता। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, हालांकि कुछ में

मामलों में, संसद ने अपने सदस्यों को निष्कासित करने की कार्रवाई की थी, पीड़ित व्यक्तियों ने इस न्यायालय * का दरवाजा नहीं खटखटाया था।

* [कौल और शाखदर ने मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों का उल्लेख करने के बाद कहा; "इसलिए, दो परस्पर विरोधी निर्णय हैं और स्थिति अनिश्चित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के अभाव में, कोई भी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून नहीं है। एक निश्चित और बाध्यकारी चरित्र का कानून केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। संसद का अभ्यास और प्रक्रिया ', (5 वीं संस्करण); पी. 268]।

[2007] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

590

134. पहला मामला जो संविधान द्वारा तय किया गया

इस न्यायालय की पीठ एम. एस. एम. शर्मा बनाम थी। श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य।,

[1959] पूरक 1 एससीआर 806: आकाशवाणी (1959) एससी 395 (संक्षिप्त में 'सर्चलाइट')। याचिकाकर्ता, जो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'सर्चलाइट' के संपादक थे, ने विधानसभा की असंपादित कार्यवाही प्रकाशित की। विधान सभा ने सदन के विशेषाधिकार का

उल्लंघन करने के लिए एक नोटिस जारी किया और कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कार्यवाही को चुनौती देते हुए कहा कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटी।

135. मुख्य न्यायाधीश दास ने संविधान के अनुच्छेद 194 (3) (जो अनुच्छेद 105 (3) के समान है) पर विचार करते हुए और अंग्रेजी अधिकारियों का उल्लेख करते हुए कहा (बहुमत के लिए);

अतः पूर्वगामी चर्चा का परिणाम यह है कि हमारे संविधान के प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सदन के भीतर होने वाली बहसों या कार्यवाही की एक सच्ची और विश्वसनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने की शक्ति या विशेषाधिकार था। सदन के पास प्रासंगिक समय पर ऐसी बहसों या कार्यवाही के गलत या विकृत संस्करण के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने की शक्ति या विशेषाधिकार था। अंतिम भाग

कला की। 194 (3) इन सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को राज्यों के विधानमंडल के सदन को अनुच्छेद के रूप में प्रदान करता है। 105 (3) करता है

संसद के सदनों में।

136. अनुच्छेद 194 (3) के निर्माण पर, उनके प्रभु ने कहा:

" हमारा संविधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि जब तक संसद या राज्य विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने वाला कानून नहीं बनाता है।

जैसा कि हमारे संविधान के प्रारंभ की तारीख पर और फिर भी उन्हें उन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं से वंचित करना, यह पता लगाने के बाद कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास वे प्रासंगिक समय पर थे, संविधान की व्याख्या करने के लिए नहीं बल्कि इसे फिर से बनाना होगा। न ही

क्या हम इस विचार से सहमत हैं कि हमारे सदनों को ये शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति सौंपना सही नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह, राजा राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 591

प्रचार के लाभ की सराहना करते हैं और शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे,

23

सकल मामलों को छोड़कर विशेषाधिकार और उन्मुक्ति।

(जोर दिया गया)

137. अनुच्छेद 194 (3) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या और सामंजस्य स्थापित करना और

19 (1) (क) न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसदीय कार्यवाहियों के संबंध में अनुच्छेद 19 (1) (क) का कोई अनुप्रयोग नहीं था।

138. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्चलाइट का निष्कासन से कोई लेना-देना नहीं था

यद्यपि यह अनुच्छेद 194 (3) के निर्माण के संबंध में प्रासंगिक था।

139. इस न्यायालय का एक अन्य प्रमुख मामला था शक्तियाँ, विशेषाधिकार और

राज्य विधानमंडलों की उन्मुक्ति, संविधान का अनुच्छेद 143, पुनः (' केशव सिंह 'संक्षेप में), (1965) 1 एससीआर 413: एयर 1965 एससी 745। हालांकि केशव सिंह विधानमंडल के किसी सदस्य के निष्कासन का मामला नहीं था, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत 'सलाहकार राय' का प्रयोग करते हुए, सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने विधानमंडल की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति सहित विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया।

140. उस मामले में, के, जो सदन के सदस्य नहीं थे, ने प्रकाशित किया

एक पर्चा। उनके खिलाफ सदन की अवमानना और एक पर्चा प्रकाशित करने के लिए विशेषाधिकार हनन के लिए कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। के ने एस को अपने वकील के रूप में नियुक्त करके बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका दायर की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के दो न्यायाधीशों की एक खंड पीठ ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। विधानसभा ने हिरासत में लेने का प्रस्ताव पारित किया

के, एस और उच्च न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीश भी। दोनों न्यायाधीशों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। न्यायिक पक्ष की एक पूर्ण अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और न्यायाधीशों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के खिलाफ रोक लगा दी। असामान्य और असाधारण में

परिस्थितियों में, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस न्यायालय का संदर्भ दिया।

141. राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित प्रश्नों में से एक

न्यायालय की शक्ति के विरुद्ध संसदीय विशेषाधिकार। वह इस प्रकार है:

" (4) क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, यह

उत्तर उच्च न्यायालय [2007] 1 एस. सी. आर. की पूर्ण पीठ के लिए सक्षम था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदेश उक्त दोनों की याचिकाओं पर विचार करेगा और उनसे निपटेगा

माननीय न्यायाधीश और श्री बी. सोलोमन, अधिवक्ता, और अंतरिम पारित करने के लिए

उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष को रोकने का आदेश उक्त याचिकाओं के लिए प्रदेश और अन्य उत्तरदाता

उक्त विधान के उपरोक्त निर्देश को लागू करना

सभा "।

2. अनुच्छेद 194 (3) के दायरे और दायरे पर विचार करने से पहले और

विधानमंडल का गठन और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति

अनुच्छेद 226 के तहत, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने एक स्वर्णिम सलाह दी

" इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि कला की सामग्री। 194 (3)

अंतत: अदालतों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और नहीं

द्वारा

विधायिकाओं, हम उस कार्य की भव्यता और भव्यता से बेखबर नहीं हैं जो संविधान के तहत विधानसभाओं को सौंपा गया है। मोटे तौर पर कहें तो आज हमारे देश के सभी विधायी कक्ष एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसे संविधान द्वारा

हमारे देश के सामने रखा गया है और जो स्वाभाविक रूप से विधायी कक्षों को आज इतिहास के निर्माण में एक उच्च स्थान देता है। उच्च न्यायालयों को भी कानून के शासन के विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि कानून के शासन का सफल संचालन लोकतांत्रिक जीवन शैली की मूल नींव है। इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि इन दो संबंधित संस्थानों, विधानमंडलों और न्यायपालिका की स्थिति, गरिमा और महत्व मुख्य रूप से संविधान द्वारा उनके प्रभार को सौंपे गए संबंधित कारणों की स्थिति, गरिमा और महत्व से प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्रतिष्ठित निकायों के साथ-साथ कार्यपालिका, जो एक लोकतांत्रिक राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, को इस तरह के कार्यों के लिए न तो विरोधी और न ही शत्रुता की भावना से काम करना चाहिए, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में तर्कसंगत, सामंजस्यपूर्ण और समझ की भावना से काम करना चाहिए।

लोकतांत्रिक के तीन घटकों का सामंजस्यपूर्ण कार्य

केवल राज्य ही इस देश में लोकतांत्रिक जीवन शैली के शांतिपूर्ण विकास, विकास और स्थिरीकरण में मदद करेगा।

लेकिन जब, वर्तमान मामले की तरह, दोनों के बीच विवाद पैदा होता है।

सदन और उच्च न्यायालय, हमें जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. बनाम समस्या से निपटना चाहिए।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 593

वस्तुनिष्ठ और अवैयक्तिक रूप से। गर्मी आयात करने का कोई अवसर नहीं है। बहस या चर्चा में और उपयोग के लिए कोई औचित्य नहीं

सशक्त भाषा। वर्तमान में हमारे सामने पेश की गई समस्या

संदर्भ के प्रासंगिक प्रावधानों को समझने में से एक है

संविधान और हालांकि इसके विचार कुछ कठिन प्रस्तुत कर सकते हैं

पहलुओं पर, हमें यथासंभव सर्वोत्तम उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान जैसे विवाद से निपटने में जो संबंधित है

अधिकार क्षेत्र, दो अगस्त की गरिमा और स्वतंत्रता

एक राज्य में निकायों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी वस्तुनिष्ठता

दृष्टिकोण स्वयं संयोग से परीक्षण पर हो सकता है। अतः यह एक

इस निष्कर्ष पर कि श्री सीतलवाड़ द्वारा हमारे सामने रखा गया दृष्टिकोण क्योंकि उच्च न्यायालय गलत है, हम निर्णय देने में संकोच नहीं करेंगे

उस दृष्टिकोण के खिलाफ हमारा फैसला। दूसरी ओर, अगर हम अंततः

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि श्री सीरवई द्वारा किया गया दावा

सदन को कायम नहीं रखा जा सकता, हम अपना उच्चारण करने से नहीं चूकेंगे

तदनुसार निर्णय लें। इस महत्व की समस्याओं से निपटने में

और महत्व, यह आवश्यक है कि हम निर्वहन के लिए आगे बढ़ें

भय या अनुग्रह, स्नेह या दुर्भावना के बिना हमारा कर्तव्य

पूर्ण चेतना कि इसे बनाए रखना हमारा गंभीर दायित्व है

संविधान और कानून। ”

(जोर दिया गया)

फिर अनुच्छेद 194 (3) का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने कहा:

" यह हमें खंड (3) पर ले जाता है। इस खंड का पहला भाग

राज्यों के विधानमंडलों को उनके लिए निर्धारित कानून बनाने का अधिकार देता है शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति; बाद वाला भाग प्रदान करता है कि जब तक

ऐसे कानून बनाए जाते हैं, विचाराधीन विधानमंडलों को लाभ होगा

समान शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति जो

संविधान के प्रारंभ में कॉमन्स का आनंद लिया गया। द.

संविधान-निर्माताओं ने सोचा होगा कि विधायिकाएँ

अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों के संबंध में कानून बनाने के लिए कुछ समय निकालें।

उन्हें आवश्यक शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्रदान करें। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिन पर सी. एल. द्वारा विचार किया जाता है। (3) , आनुषंगिक शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिएँ हैं जो प्रत्येक विधानमंडल के पास होनी चाहिए ताकि वह प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके, और जो उद्देश्य की व्याख्या करता है

खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग का।

इस खंड के लिए आवश्यक है कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

जिनका सदन द्वारा दावा किया जाता है, उन्हें अस्तित्व में दिखाया जाना चाहिए

संविधान के प्रारंभ में, अर्थात 26 जनवरी, 150 को। यह सर्वविदित है कि बड़ी संख्या में विशेषाधिकारों और शक्तियों में से जिन पर हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपने कार्यकाल के दौरान दावा किया था।

मान्यता के लिए कड़वा संघर्ष, कुछ को समय के साथ छोड़ दिया गया था, और कुछ वस्तुतः अस्वीकृति से समाप्त हो गए थे; और इसलिए, हर मामले में जहां एक शक्ति का दावा किया जाता है, यह पूछताछ करना आवश्यक है कि क्या यह प्रासंगिक समय पर एक मौजूदा शक्ति थी। यह भी प्रतीत होना चाहिए कि उक्त शक्ति का दावा केवल सदन द्वारा नहीं किया गया था

कॉमन्स, लेकिन अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। यह स्पष्ट रूप से तर्क देना व्यर्थ होगा कि यदि कोई विशेष शक्ति जिसका सदन द्वारा दावा किया जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था, लेकिन अंग्रेजी अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो भी इसे खंड (3) के उत्तरार्ध के तहत केवल इस आधार पर बरकरार रखा जाएगा कि यह वास्तव में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा किया गया था। दूसरे शब्दों में, इस खंड द्वारा निर्धारित जांच वह शक्ति है जो सदन में दिखाई गई या साबित हुई है कि वह बनी हुई है।

प्रासंगिक समय पर कॉमन्स?

यह याद किया जाएगा कि कला। 194 (3) इसमें दो भाग होते हैं। द.

पहला भाग विधायिका को समय-समय पर कानून द्वारा परिभाषित करने का अधिकार देता है।

अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का समय निर्धारित करें, जबकि दूसरे भाग में यह प्रावधान है कि जब तक विधायिका अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को

परिभाषित करने का विकल्प नहीं चुनती है, तब तक इसकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और इसके सदस्यों और समितियों की होंगी। श्री सीरवई का तर्क है कि कला का अंतिम भाग। 194 (3) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि सभी शक्तियां जो प्रासंगिक समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स में निहित हैं, वे सदन में निहित हैं। हालाँकि, इस व्यापक दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ शक्तियाँ हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं कर सकती हैं।

सदन द्वारा दावा किया जाए। अभिगम की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार लें जिसका उपयोग हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा एक निकाय के रूप में किया जाता है और जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. v.

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 595

अपने अध्यक्ष के माध्यम से "हर समय याचिका दायर करने का अधिकार रखने के लिए,

सलाह दें, या अपने चुने हुए लोगों के माध्यम से अपने संप्रभु के साथ विरोध करें

प्रतिनिधि और उस पर एक अनुकूल निर्माण रखा है कॉमन्स द्वारा शब्दों को उचित रूप से मौलिक माना जाता था

विशेषाधिकार "। यह इंगित करना शायद ही आवश्यक है कि सदन

इस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। इसी तरह, प्राप्तकर्ता के कार्यों को पारित करने और महाभियोग के विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है घर को। हाउस ऑफ कॉमन्स भी विशेषाधिकार का दावा करता है

अपने स्वयं के संविधान का सम्मान करें। इस विशेषाधिकार को तीन तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पहला रिक्तियों को भरने के लिए नए रिटों के क्रम से।

संसद के दौरान कॉमन्स; दूसरा, परीक्षण द्वारा

विवादित चुनावों का, और तीसरा, निर्धारित करके संदेह के मामलों में इसके सदस्यों की योग्यताएँ। यह विशेषाधिकार

एक बार फिर, सदन द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह यह कहना सही नहीं होगा कि एक शक्तियाँ और विशेषाधिकार जो

प्रासंगिक समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार में थे सदन द्वारा दावा किया जाए "।

13. राज्य के दो प्रतिष्ठित अंगों के बीच संघर्ष और इंग्लैंड में उनके द्वारा अपनाए गए समाधान का उल्लेख करते हुए, विद्वान प्रमुख ने कहा

उन्होंने कहा:

" सदनों और न्यायालयों के बीच यह सामान्य आधार रहा है कि विशेषाधिकार "ज्ञात कानूनों और रीति-रिवाजों" पर निर्भर करता है।

संसद ", और किसी भी सदन के अप्रत्यक्ष भाषण पर नहीं। विवाद में सवाल यह था कि क्या संसद का कानून एक "विशेष" कानून था या अपने व्यापक और विस्तारित अर्थों में सामान्य कानून का हिस्सा था, और पहले मामले में क्या यह एक श्रेष्ठ कानून था जो

सामान्य कानून। इस सवाल से एक और बात निकलती है

न्यायालयों और संसद के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और वह यह था कि क्या विशेषाधिकार के मामले का निर्णय केवल उस सदन द्वारा किया जाना चाहिए जो उससे संबंधित है, भले ही इसमें तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल हों, या क्या इसका निर्णय कुछ मामलों में अदालतों में किया जा सकता है, और, यदि हां, तो किस प्रकार के मामलों में। दृष्टिकोण के बिंदु

संसद और अदालतों द्वारा अपनाया गया प्रतीत होता है अपरिवर्तनीय। अदालतों ने अपने लिए निर्णय लेने के अधिकार का दावा किया

जब लाई गई कार्यवाहियों में ऐसा करना आवश्यक हो गया उनके समक्ष, के अस्तित्व या विस्तार के संबंध में प्रश्न

ये विशेषाधिकार, जबकि दोनों सदनों ने अनन्य होने का दावा किया [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने विशेषाधिकारों के न्यायाधीश। अंततः, दोनों दृष्टिकोण व्यवहार में सुलझा लिए गए और धीरे-धीरे दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान विकसित किया गया। यह समाधान जो अदालतों द्वारा चिह्नित किया गया है, वह संसदीय अधिकार क्षेत्र के पक्ष में कुछ बड़े अपवादों के साथ, उनके समक्ष मुकदमेबाजी में उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के

सिद्धांत रूप में उनके अधिकार पर जोर देना है। इनमें से दो अपनी आंतरिक कार्यवाही पर प्रत्येक सदन की अनन्य अधिकारिता हैं, और किसी भी सदन का अवमानना करने और दंडित करने का अधिकार है। मई जोड़ती है कि जबकि यह नहीं हो सकता है

दावा किया कि किसी भी सदन ने औपचारिक रूप से इस धारणा को स्वीकार कर लिया है अदालतों द्वारा अधिकार क्षेत्र में, एक सदी से अधिक समय तक किसी भी संघर्ष की अनुपस्थिति मौन स्वीकृति के एक निश्चित उपाय का संकेत दे सकती है। दूसरे शब्दों में, विशेषाधिकार के अस्तित्व और विस्तार के बारे में प्रश्न को आम तौर पर अदालतों में न्यायसंगत माना जाता है जहां यह अदालतों के समक्ष लाए गए किसी भी विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो जाता है।

अवमानना के लिए सजा के संबंध में, परंपरा द्वारा देने और लेने की एक समान प्रक्रिया चल रही है और धीरे-धीरे व्यवहार में समझौते का एक बड़ा क्षेत्र विकसित किया गया है। सैद्धांतिक रूप से, हाउस ऑफ कॉमन्स का दावा है कि इस पर निर्णय लेने का उसका स्वीकृत अधिकार है।

विशेषाधिकार के उल्लंघन का तात्पर्य सिद्धांत रूप में विशेषाधिकारों के अस्तित्व और विस्तार को स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है। इसने कभी भी इस दावे को स्पष्ट रूप से नहीं छोड़ा है। दूसरी ओर, अदालतें संसद के विशेषाधिकारों को देश के कानून का हिस्सा मानती हैं, जिसका वे न्यायिक नोटिस लेने के लिए बाध्य हैं। वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेना और कानून की अपनी व्याख्या के अनुसार निर्णय लेना अपना कर्तव्य मानते हैं। स्वाभाविक रूप से, इस द्वैतवाद के परिणामस्वरूप अदालतों के निर्णय नहीं होते हैं

विशेषाधिकार के मामलों में सदन द्वारा बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया गया, न ही अदालतों द्वारा सदन का निर्णय; और जैसा कि मई बताते हैं, सैद्धांतिक स्तर पर, पुराना द्वैतवाद अनसुलझा है। में।

अभ्यास, हालांकि, "अधिकार क्षेत्र के सवाल पर गतिरोध की तुलना में विशेषाधिकार की प्रकृति और सिद्धांतों पर बहुत अधिक सहमति है जो किसी को उम्मीद करने के लिए प्रेरित करेगी" और मे इनका वर्णन करती हैं।

निम्नलिखित शब्दों में सामान्य निष्कर्ष:

(1) ऐसा प्रतीत होता है कि ए. राम पाल बनाम सम्माननीय वक्ता के उद्देश्य से, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 597

न्याय की अदालतें जिनका संसद के अविभाजित उच्च न्यायालय द्वारा आनंद लिया जाता था। राजा और दोनों सदनों से मिलकर बनी संसद की सर्वोच्चता विधायी सर्वोच्चता है। जिसका विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार से कोई लेना-देना नहीं है

या तो सदन अकेले काम कर रहा है।

(2) दोनों सदनों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि चूंकि कोई भी सदन अपने आप कानून में जोड़ नहीं सकता है, इसलिए कोई भी सदन अपनी घोषणा से एक नया विशेषाधिकार पैदा नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि
विशेषाधिकार उद्देश्यपूर्ण है और इसकी सीमा का पता लगाया जा सकता है, और इसे मजबूत करता है

यह सिद्धांत कि यह अदालतों द्वारा जाना जाता है।

दूसरी ओर, अदालतें स्वीकार करती हैं

(3) कि अपनी आंतरिक कार्यवाही पर प्रत्येक सदन का नियंत्रण पूर्ण है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है अदालतें।

(4) कि किसी भी सदन द्वारा अवमानना के लिए एक प्रतिबद्धता में है

अपने अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर अभ्यास, क्योंकि तथ्य

कथित अवमानना का गठन करने के लिए समर्पण के वारंट पर कहा जाना आवश्यक नहीं है।

4. अंग्रेज प्रतिभा को श्रद्धांजलि देते हुए, विद्वान मुख्य न्यायाधीश आगे बढ़े

रेव:

" यह खोज के लिए उल्लेखनीय अंग्रेजी प्रतिभा को एक श्रद्धांजलि है।

समस्याओं के व्यावहारिक तदर्थ समाधान जो प्रतीत होते हैं

देने और देने की पारंपरिक विधि को अपनाकर अपरिवर्तनीय

ले लो। इस प्रक्रिया का परिणाम मई के शब्दों में हुआ है,

कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने सौ वर्षों से इनकार नहीं किया है न्यायालयों के निर्णय के लिए अपने विशेषाधिकार प्रस्तुत करने के लिए, और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि इसने अधिकार क्षेत्र को व्यावहारिक मान्यता दी है

अपने विशेषाधिकारों के अस्तित्व और विस्तार पर अदालतें। दूसरी ओर, अदालतों के पास हमेशा, कम से कम अंतिम उपाय में,

अपने किसी भी सदन के आवेदन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया मान्यता प्राप्त विशेषाधिकार। जो मोटे तौर पर कहा गया है, वह है [2007] 1 एस. सी. आर. की स्थिति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

598

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दावा की गई शक्तियाँ और विशेषाधिकार "।

145. अनुच्छेद 212 का उचित परिप्रेक्षय और चित्रण में निर्माण करना।

'अनियमितता' और 'अवैधता' के बीच अंतर, अदालत ने कहा:

" कला. 212 (1) एक प्रावधान करता है जो प्रासंगिक है। यह नीचे रखता है

कि किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता

प्रक्रिया की अनियमितता। कला. 212 (2) रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है
विधानमंडल के अधिकारी और सदस्य जिनमें शक्तियाँ हैं

प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संविधान द्वारा या उसके तहत निहित या व्यवसाय का संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए,

विधानमंडल किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने से

उन शक्तियों के उसके द्वारा प्रयोग का सम्मान। कला. 212 (1) लगता है

एक नागरिक के लिए उपयुक्त में प्रश्न में कॉल करना संभव बनाना

कानून की अदालत विधायी के अंदर किसी भी कार्यवाही की वैधता

कक्ष यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही से प्रभावित नहीं है

केवल प्रक्रिया की अनियमितता, लेकिन एक अवैधता से। अगर असंतुष्ट

प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, यह खुला रहेगा

कानून की अदालत में जांच की जाती है, हालांकि इस तरह की जांच निषिद्ध है यदि

प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत इससे अधिक नहीं है कि
प्रक्रिया अनियमित थी। यह फिर से एक और संकेत है जो

के दायरे और विस्तार को समझने में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है

कला द्वारा सदन को प्रदत्त शक्तियाँ। 194 (3) . ”

146. केशव सिंह के मामले में इस न्यायालय की सलाहकारी राय इस प्रकार चरम पर है।

महत्व। यद्यपि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निष्कासन के प्रश्न से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने ब्रिटिश संसद द्वारा प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को ध्यान में रखते हुए संसद/राज्य विधानमंडल की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं से संबंधित संविधान के प्रासंगिक और भौतिक प्रावधानों की व्याख्या की।

147. आइए अब हम इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों पर विचार करें जो

सीधे मुद्दे पर हैं।

148. राज नारायण बनाम। आत्माराम गोविंद और अन्र। , ए. आई. आर. (1954) सभी 319, याचिकाकर्ता जो के विधान सभा के एक निर्वाचित प्रतिनिधि थे

उत्तर प्रदेश भूख हड़ताल पर बैठे तीन शिक्षकों को पुलिस द्वारा जबरन हटाने के संबंध में एक प्रस्ताव लाना चाहता था। अनुमति राजा राम पाल बनाम नहीं थी।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 599

अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने सदन की कार्यवाही को 'बाधित' करना जारी रखा और 'न्यूनतम बल' का उपयोग करके उन्हें सदन से हटा दिया गया। विशेषाधिकार समिति ने याचिकाकर्ता के आचरण पर विचार किया और उसे निलंबित करने का संकल्प लिया। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रस्ताव को चुनौती दी।

149. डिवीजन बेंच का गठन करने वाले दोनों न्यायाधीशों ने अलग-अलग कारण दर्ज करके याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। सप्रू, जे. ने स्वीकार किया कि

किसी सदस्य का संक्षिप्त अवधि के लिए भी सदन से हटना सदस्य के साथ-साथ उसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी एक गंभीर मामला था, लेकिन किसी सदस्य के अव्यवस्थित व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती थी। मुखर्जी, जे. ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया। उनके लॉर्डशिप ने आगे कहा कि 'सदन अपने विशेषाधिकारों का एकमात्र न्यायाधीश है'।

150. यशवंत राव मेघवाले बनाम। मध्य प्रदेश विधानमंडल

सभा और अन्य। , आकाशवाणी (1967) के सांसद 95, याचिकाकर्ता ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली, मंच पर कूद पड़े और उपाध्यक्ष पर हमला कर दिया। ए.

याचिकाकर्ता के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया गया और पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कार्रवाई को चुनौती दी।

151. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स को अपने स्वयं के संविधान और रिक्तियों को भरने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार है। और यह उस शक्ति के कारण था कि यह एक सदस्य को निष्कासित कर सकता था। चूँकि एम. पी. की विधान सभा को ऐसा कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह किसी सदस्य को निष्कासित नहीं कर सकती थी।

152. हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। इसने कहा कि हालांकि भारतीय विधानमंडल को अपनी संरचना के लिए प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं है

न ही सदन में रिक्तियों को भरने के लिए, न ही चुनाव विवादों पर विचार करने के लिए, फिर भी इसके पास उचित कार्य, सुरक्षा के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति है।

और आत्म-संरक्षण। न्यायालय ने नोट किया कि जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, यहां तक कि औपनिवेशिक विधानमंडलों के पास भी ऐसी शक्ति है।

153. मेरी राय में, ऐसा अभिनिर्धारित करके, खंड पीठ ने कानून की कोई त्रुटि नहीं की है और न ही टिप्पणियां तय की गई कानूनी स्थिति से असंगत हैं।

154. मुझे उच्च न्यायालय [2007] 1 एस. सी. आर. की पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

600 हरद्वारी लाल बनाम में पंजाब और हरियाणा का। भारत निर्वाचन आयोग, आई. एल. आर. (1977) 2 पी. एंड एच. 269 (एफ. बी.)। उच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या राज्य विधानमंडल के पास अपने सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति है। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया। जबकि बहुमत ने इस तरह के अधिकार को नकार दिया, अल्पसंख्यकों ने अन्यथा शासन किया और इसे बरकरार रखा। याचिकाकर्ताओं ने संधावलिया, जे. (बहुमत का विचार) द्वारा दर्ज किए गए कारणों और निष्कर्षों पर बहुत अधिक भरोसा किया। द.

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने नरूला, सी. जे. (अल्पसंख्यक दृष्टिकोण) की टिप्पणियों और विचारों को दृढ़ता से स्वीकार किया। इसलिए, यह उचित होगा कि मैं दोनों दृष्टिकोण-बिंदुओं पर ध्यान दूं।

155. विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने सबसे पहले दायरे पर विचार किया और

संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (3) की प्रयोज्यता [अनुच्छेद 105 के खंड (3) के समान] और यह अभिनिर्धारित किया कि क्या कोई विशेष विशेषाधिकार असाधारण श्रेणी में आता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कि जैसे ही विधानमंडल द्वारा किसी विशेष विशेषाधिकार का दावा किया जाता है और विवादित या विवादित होता है, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसा विशेषाधिकार 26 जनवरी, 1950 को हाउस ऑफ कॉमन्स को उपलब्ध था, और फिर यह तय करने के लिए कि उक्त विशेषाधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। यदि यह संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, तो इसका दावा विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 194 (3) के तहत किया जा सकता है।

156. अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि "जब भी यह पाया जाता है कि

कॉमन्स को एक विशेष विशेषाधिकार, शक्ति या प्रतिरक्षा प्राप्त थी

प्रासंगिक समय, यह अनुच्छेद 194 के खंड (3) में कलम और स्याही के साथ लिखा गया माना जाना चाहिए, और यह केवल तब होता है जब कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या चीजों की प्रकृति में विशेष विशेषाधिकार या शक्ति को वास्तव में व्यक्त किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है कि न्यायालय मामले की जांच करेगा और उसे सूची से हटाए बिना यह मानता है कि शक्ति या विशेषाधिकार होने के बावजूद इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, या तो ऐसा करना मानवीय रूप से असंभव है या क्योंकि कॉमन्स के

विशेषाधिकार का विस्तार अनुच्छेद 194 के खंड (3) में कलम और स्याही के कुछ स्पष्ट या विशेष प्रावधान का उल्लंघन करेगा।

संविधान "।

157. विधानमंडल के अधिकार के बारे में मुख्य प्रश्न के संबंध में

एक सदस्य को निष्कासित करते हुए, यह स्वीकार किया गया कि भारतीय विधानमंडल को अपनी संरचना के लिए प्रावधान करने का कोई विशेषाधिकार नहीं था, लेकिन कदाचार के लिए सजा के साधन के रूप में एक सदस्य को निष्कासित करने के सदन के अधिकार से इनकार करने का कोई आधार नहीं है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 601

और अपने आप को गठित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार के साथ उसके पास हमारे संविधान के लागू होने के समय कदाचार या विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना के लिए सजा के रूप में अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति थी और उसका प्रयोग किया।

158. दूसरी ओर, बहुमत ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। संधावलिया, जे., संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में कानून के ऐतिहासिक विकास पर विचार करते हुए,

यह देखा गया:

" इंग्लैंड में एक अलिखित संविधान के संदर्भ में, हाउस ऑफ कॉमन्स ने निस्संदेह दावा किया है और इसका आनंद लिया है

बहुत शुरुआती समय से अपने स्वयं के संविधान को प्रदान करने और विनियमित करने का विशेषाधिकार। इस विशेषाधिकार का अर्थ और प्रभाव में सदन की संरचना को नियंत्रित करने और इसकी सदस्यता की पहचान निर्धारित करने की सभी शक्तियां शामिल हैं।

159. हालाँकि, दुर्भाग्य से, ऐसा मानने के बाद, बहुमत ने इसके बाद एक गलत दृष्टिकोण अपनाया। यद्यपि केशव सिंह के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि

इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अपने संविधान के संबंध में प्राप्त विशेषाधिकार को तीन तरीकों से व्यक्त किया गया था; अर्थात्:

") में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए नए रिटों के आदेश द्वारा

संसद के दौरान कॉमन्स;

((ख) विवादास्पद चुनावों के मुकदमे द्वारा; और
((ग) के मामलों में अपने सदस्यों के प्रश्नों का निर्धारण करके

संदेह;> 3

-उच्च न्यायालय (बहुमत) ने एक और श्रेणी जोड़ी (एक का निष्कासन)

सदस्य) ने कहा कि निष्कासन की शक्ति एक और उदाहरण था (चौथा

(क) सदन को अपनी संरचना निर्धारित करने की शक्ति।

160. प्राचीन अंग्रेजी उदाहरणों को 'न केवल व्यर्थ बल्कि खतरनाक' बताते हुए, अधिकांश ने निष्कर्ष निकाला;

" सदन में निष्कासन की असंबद्ध शक्ति

कॉमन्स अपने प्राचीन और विशिष्ट विशेषाधिकारों से उत्पन्न होता है

अपनी खुद की संरचना का निर्धारण करना जो बदले में लंबी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के लिए उत्पन्न होता है

[2007] 1 एस सी आर।

602

ऐतिहासिक कारणों और अलिखित संविधान के कारण

(जोर दिया गया)

इंग्लैंड "।

161. इस संबंध में, उपरोक्त पर आने में बहुमत सही नहीं था।

निष्कर्ष और मैं कानूनी स्थिति को पढ़ने में असमर्थ हूं जैसा कि परिकल्पित है

संधवालिया, जे।

162. के. अनबाझगन और ओआरएस में। वी. सचिव, तमिलनाडु विधानमंडल

विधानसभा, मद्रास और अन्य।, ए. आई. आर. (1988) मई 275, तमिलनाडु विधान सभा के कुछ सदस्यों को विधान सभा के सदस्यों के आचरण को अयोग्य मानते हुए संविधान को जलाने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

163. यशवंत राव में उठाए गए विवाद के समान एक विवाद उठाया गया था।

कि चूँकि तमिलनाडु विधान सभा को अपने संविधान या संरचना के लिए प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उसे किसी सदस्य को निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि किसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार सदन की संरचना के लिए प्रावधान करने के अधिकार से बहता है।

164. न्यायालय ने कहा कि केशव सिंह मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय विधानमंडलों को अपने स्वयं के संविधान का प्रावधान करने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन यह उचित रूप से विवाद पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा

यह देखते हुए कि सवाल यह था कि क्या हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली निष्कासन की शक्ति को 'पूरी तरह से और विशेष रूप से अपने संविधान के संबंध में विशेषाधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाना था'। फिर अंग्रेजी अधिकारियों और इस मुद्दे पर विभिन्न अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए; न्यायालय ने माना कि ऐसी शक्ति विधानमंडल के पास थी और उचित रूप से उपलब्ध थी।

मामले।

165. मेरे विचार में, किसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार अलग है।

और सदन के उचित गठन या संरचना के लिए प्रावधान करने के अधिकार से स्वतंत्र और ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार के अभाव में भी, निष्कासन का अधिकार एक विधानमंडल (यहां तक कि एक औपनिवेशिक विधानमंडल) के पास है, जिसका उचित मामलों में प्रयोग किया जा सकता है।

166. चर्चा से इस दृष्टिकोण को लेने में भी मेरा समर्थन है

संविधान सभा ने अंतिम निर्णय लिया था।

167. जब शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति से संबंधित प्रावधान

संविधान द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों पर विचार किया गया था

आर. राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 603

माननीय सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए। एक. इस तरह के प्रावधानों को शामिल करके संपूर्ण बनाने के पक्ष में था

संविधान में। हालाँकि, दूसरा दृष्टिकोण कुछ को शामिल करना था।

संविधान में अधिकारों को व्यक्त करना और शेष को अपनाना जैसा कि था

इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में सक्षम।

168. प्रासंगिक चर्चा व्यक्त किए गए विभिन्न विचारों पर प्रकाश डालती है।

ई विधानसभा के सदस्य। 19 मई, 1949 को जब यह मामला विचार के लिए आया, तो श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा:

" श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास: सामान्य): साहब,

अनुच्छेद के संबंध में, दो आपत्तियां उठाई गई हैं, एक भावना पर आधारित है और दूसरी दूसरे राज्य में एक सदन के विशेषाधिकारों का संदर्भ देने की सलाह पर, जिसके साथ यहां औसत नागरिक या संसद के सदस्य हैं।

हो सकता है कि वह परिचित न हो। सबसे पहले, जहाँ तक

भावना के सवाल का सवाल है, मैं इसे कुछ हद तक साझा कर सकता हूं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसकी सराहना करना भी आवश्यक है। यह सामान्य ज्ञान है कि सबसे व्यापक विशेषाधिकार हैं इंग्लैंड में संसद के सदस्यों द्वारा प्रयोग किया गया। यदि विशेषाधिकार हैं

भारत में विधानमंडल के मौजूदा विशेषाधिकारों तक सीमित
वर्तमान में गठित, परिणाम यह होगा कि किसी व्यक्ति को सदन की अवमानना के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। कलकत्ता में वास्तविक प्रश्न उठा कि क्या किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है।

इस देश में प्रांतीय विधायिका या अन्य विधानसभाएँ। यह माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है

जो प्रांतीय या यहाँ तक कि केंद्रीय की अवमानना का दोषी है

विधायिका, जबकि इंग्लैंड में संसद को अवमानना के लिए दंडित करने का अंतर्निहित अधिकार है। यह सवाल उपनिवेशों और उपनिवेशों में उठा और यह माना गया है कि व्यापक आधार पर

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल अधिनियम के साथ-साथ में शब्दांकन

कनाडाई अधिनियम दोनों स्थानों पर संसद के पास समान शक्तियाँ हैं

इंग्लैंड में संसद द्वारा प्राप्त शक्तियों के लिए और इसलिए

अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है। क्या आप इनकार करेंगे?

अपने आप में वह शक्ति? यही सवाल है।

मैं दूसरी आपत्ति से निपटूंगा। अगर आपके पास समय है और

यदि आपके पास सभी विशेषाधिकारों को तैयार करने का अवसर है
शानदार रूप, यह अच्छा और अच्छा होगा। मेरा मानना है कि एक समिति [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधायी पक्ष पर अध्यक्ष द्वारा गठित बहुत पाया गया

सभी विशेषाधिकारों को तैयार करना मुश्किल है, जब तक कि वे इंग्लैंड में संसदीय संस्थान के पूरे कामकाज में विस्तार से नहीं जाते और उस उद्देश्य के लिए विधायिका के समक्ष समय पर्याप्त नहीं था।

और तदनुसार समिति इस मामले के संबंध में अध्यक्ष को कोई प्रभावी सलाह देने में सक्षम नहीं थी। मैं सुधार के अधीन बोलता हूं क्योंकि मैं एक स्तर पर मौजूद था और बाद के स्तर पर मौजूद नहीं था। इन परिस्थितियों में मेरा कहना है कि निश्चित रूप से बुनियादी ढांचे की खुदाई का

सवाल है। हमारे पास अंग्रेजी भाषा है। हमारा संविधान अभी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी है। केवल इंग्लैंड में विशेषाधिकारों के संदर्भ पर ही आपत्ति क्यों?

दूसरी बात यह है कि इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है

संसद तैयार करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करने से

विशेषाधिकार। लेख इसके लिए व्यापक गुंजाइश छोड़ता है। अन्य मामलों में, सदनों के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं और इस तरह परिभाषित होने तक, ऐसी होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। लेख में बस इतना ही कहा गया है। यह किसी भी तरह से आपके विवेक को बाधित नहीं करता है। आप विशेषाधिकारों का विस्तार कर सकते हैं, आप विशेषाधिकारों में कटौती कर सकते हैं, आपके पास एक अलग तरह के विशेषाधिकार हो सकते हैं। आप अपनी यात्रा स्वयं शुरू कर सकते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन की संसद के संदर्भ के बिना। भारत की भावी संसद के विवेक को बाधित करने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में, के सदन के विशेषाधिकार

इस सदन में कॉमन्स लागू किए जाते हैं। इसके बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आने की जगह, यह इंग्लैंड में संसद के सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के संदर्भ को उन विशेषाधिकारों के अधीन करता है जो हो सकते हैं -

इस संसद द्वारा अपने स्वयं के अधिनियमों द्वारा प्रदत्त। इसलिए वर्ग (3) के शब्दों में कोई अवसंरचना नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कनाडा में इस प्रथा का पालन किया गया है।

लाभ के साथ अन्य प्रभुत्वों में और इसने बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता और हर मामले में सदन की सर्वशक्तिमानता भी हासिल की है। इसलिए जब हम अंग्रेजी भाषा उधार ले रहे हैं और जब हम संवैधानिक अभिव्यक्तियों का उपयोग कर रहे हैं जो इंग्लैंड के लिए सामान्य हैं, तो हमें इस हद तक भयावह होने से संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।

आप कह रहे हैं कि यह वही होगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को मिलता है। यह उससे बहुत दूर है। आज यूनाइटेड किंगडम की संसद ग्रेट ब्रिटेन, डोमिनियन और अन्य पर

नियंत्रण कर रही है। यह कहना कि आप ग्रेट ब्रिटेन की तरह अच्छे हैं, हीनता का संकेत नहीं है, बल्कि आपके अपने आत्म-सम्मान और आपकी संसद की सर्वशक्तिमानता का भी दावा है। इसलिए, महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ब्रिटिश संसद के संदर्भ में की गई आपत्ति में कोई बल नहीं है।

इन परिस्थितियों में, इस लेख को दासता या गुलामी या ब्रिटेन के अधीनता की भावना में तैयार किया गया है, इसे इस प्रकार बनाया गया है -

आत्मनिर्णय की भावना और यह दावा कि हमारा देश और हमारी संसद ग्रेट ब्रिटेन की संसद जितनी महान है।

169. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब अनुच्छेद 85 (वर्तमान अनुच्छेद 105) के मसौदे पर विचार किया गया था, तो सदन के समक्ष अलग-अलग दृष्टिकोण थे। यह भी पता था कि

विभिन्न संविधानों, विशेष रूप से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान।

170. इसी तरह, जब अनुच्छेद 169 (वर्तमान अनुच्छेद 194) का मसौदा 3 जून, 1949 को सदन के समक्ष फिर से आया, तो इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई।171. मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के भाषण में सदन के साथ विचार किए गए विचारों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा:

" उदाहरण के लिए, संसद के विशेषाधिकार जनता के खिलाफ संसद के अधिकारों तक फैले हुए हैं। दूसरा, वे भी विस्तार करते हैं

व्यक्तिगत सदस्यों के विरुद्ध अधिकार। उदाहरण के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ति और विशेषाधिकारों के तहत संसद किसी भी नागरिक को संसद की अवमानना के लिए दोषी ठहराने के लिए खुली है और जब ऐसा होता है।

विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है। फिर से, यह संसद के लिए खुला है

संसद के किसी भी व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करना

उनके द्वारा ऐसा कुछ भी किया गया है जो संसद को बदनाम करता है। ये बहुत गंभीर मामले हैं - उदा. , जेल में डालना।
संसद के अनुसार एक नागरिक की कमी का अधिकार

स्वयं की अवमानना को परिभाषित करना आसान बात नहीं है। न ही यह आसान है बता दें कि व्यक्तिगत सदस्यों के कौन से कार्य और कार्य हैं जो [2007] 1 एस. सी. आर. लाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद की बदनामी।

(जोर दिया गया)

उन्होंने आगे कहा:

" मुझे आगे बढ़ने दो। जैसा कि मैंने कहा, यह परिभाषित करना आसान नहीं है कि क्या हैं।

ऐसे कार्य और कार्य जो संसद को अपमान में डालते हैं। इसके लिए काफी चर्चा और परीक्षण की आवश्यकता होगी। यही एक कारण है कि हमने इन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं की गणना करने के बारे में नहीं सोचा।

लेकिन मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है और मुझे यकीन है।

मसौदा समिति के दिमाग में यह भी कि संसद को कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए, जब वह संसद इतनी अधिक बदनामी का सामना करेगी, अनुचित आलोचना के लिए कि इस देश में संसदीय संस्थान को पूरी तरह से अवमानना के लिए नीचे लाया जा सकता है और सभी सम्मान खो सकते हैं जो संसदीय संस्थान हैं

उन नागरिकों से होना चाहिए जिनके लाभ के लिए वे काम करते हैं।

मैंने एक कठिनाई का उल्लेख किया है कि यह क्यों संभव नहीं हुआ है।

वर्गीकरण करना। अब मुझे कुछ अन्य कठिनाइयों का उल्लेख करना चाहिए जो हमने महसूस की हैं।

मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो अधिनियम

स्वयं संसद के विशेषाधिकारों की गणना करनी चाहिए, हमें तीन पाठ्यक्रमों का पालन करना होगा। एक है उन्हें संविधान में अपनाना, अर्थात् संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को विस्तार से निर्धारित करना। मैं बहुत सावधानी से मई के ऊपर गया हूँ

संसद के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। ताकि यदि आप संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की एक पूरी संहिता लागू करें इस विषय पर मई का जो कहना है, उसके आधार पर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमें प्रतिरक्षा और विशेषाधिकारों से संबंधित बीस या पच्चीस पृष्ठों को जोड़ना होगा।

संसद से। मुझे नहीं पता कि इस सदन के सदस्य जे. ए. राम पाल बनाम।

माननीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 607

चाहूँगा कि संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का इतना बड़ा स्पष्ट विवरण बीस या पच्चीस से अधिक हो।

पृष्ठ। मुझे लगता है कि यह एक कारण है कि हमने उस पाठ्यक्रम को क्यों नहीं अपनाया। दूसरा मार्ग यह कहना है, जैसा कि संविधान में कई स्थानों पर कहा गया है, कि संसद किसी विशेष मामले के संबंध में प्रावधान कर सकती है और जब तक संसद वह प्रावधान नहीं करती, तब तक मौजूदा स्थिति बनी रहेगी। यह दूसरा कोर्स है जिसे हम

अपनाया जा सकता था। हम कह सकते थे कि संसद

सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं को परिभाषित करना और स्वयं निकाय, और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक संविधान के अस्तित्व में आने की तारीख को मौजूद विशेषाधिकार संचालित होते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लिए, जैसा कि माननीय सदस्य करेंगे।

जानते हैं, 1935 के अधिनियम ने संसद और उसके सदस्यों को कोई विशेषाधिकार और कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की। इसके लिए जो कुछ भी प्रदान किया गया था वह एक था प्रावधान है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी और कोई सदस्य नहीं होगा

संसद के भीतर बहस में कही गई किसी भी बात के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, परिणामस्वरूप वह मार्ग खुला नहीं था, क्योंकि मौजूदा संसद या विधान सभा को कोई विशेषाधिकार नहीं है और न ही

प्रतिरक्षा। इसलिए हम उस मार्ग का सहारा नहीं ले सके। हमारे लिए तीसरा मार्ग खुला था जिसका हमने पालन किया है, अर्थात्, संसद के विशेषाधिकार होंगे -

हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेषाधिकार। मुझे ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ पर भावनात्मक आपत्ति के अलावा मैं यह नहीं देख सकता कि इस तर्क में कोई सार है प्रारूपण द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम के विरुद्ध उन्नत किया गया

समिति। इसलिए मेरा सुझाव है कि लेख ने ऐसा करने का एकमात्र संभावित तरीका अपनाया है और हमारे लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस लेख को अपनाया जाए

जिस तरह से हमने इसका मसौदा तैयार किया है।

72. इसके बाद सदन ने संबंधित प्रावधान को मंजूरी देने का फैसला किया

राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार और उन्मुक्ति।

3. उपरोक्त चर्चा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि

किसी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की शक्ति और विशेषाधिकारों मेंउसके द्वारा की गई किसी भी चीज़ के लिए सदस्य 'जो 608 मई

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2007] आई एस. सी. आर.

संसद या विधान सभा को 'अपमान' में लाएं। मेरी राय में,

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के संस्थापकों को व्यक्तिगत कुकर्मों से निपटने की जानकारी नहीं थी या उनका इरादा कभी नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत विधानमंडल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

174. 'भारत के संवैधानिक कानून' पर एक प्राधिकरण, (एच. एम. सीरवई)

पितिली ने इस सिद्धांत को एक वाक्य में रखा है:

" अतः यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश सदन के विशेषाधिकार

भारतीय विधानमंडलों को सामान्य पद प्रदान नहीं किए गए थे।

अनुपस्थिति की मानसिकता "।

(जोर दिया गया)

(भारत का संवैधानिक कानून; तीसरा संस्करण।; खण्ड. II; पैरा 20-36)

निष्कासन और न्यायिक समीक्षा का आदेश

175. वेस्टमिंस्टर में संसद और न्यायालयों के बीच संबंधों का इतिहास भी संघर्ष और विवाद से चिह्नित है।

176. सर एर्स्किन मे ठीक ही टिप्पणी करते हैं; "लगभग साढ़े तीन शताब्दियों के बाद, विशेषाधिकार के मामलों में विधि न्यायालयों की क्षमता और दोनों सदनों के अधिकार क्षेत्र के बीच की सीमा अभी भी पूरी तरह से निर्धारित नहीं की गई है।"

177. विद्वान लेखक के अनुसार, संसद और न्यायालयों के बीच शुरुआती संघर्ष लेक्स के बीच संबंधों के बारे में थे।

संसद और इंग्लैंड का सामान्य कानून। दोनों सदनों ने तर्क दिया कि पूर्व के तहत, वे अकेले अपने विशेषाधिकारों की सीमा और अनुप्रयोग के न्यायाधीश थे, जो किसी भी अदालत द्वारा जांचे नहीं जा सकते थे या किसी के अधीन नहीं थे।

अपील करें। दूसरी ओर, अदालतों ने लेक्स संसद की न्यायिक अज्ञानता को स्वीकार किया। हालांकि, कुछ समय बाद, उन्होंने इसे मान्यता दी, लेकिन इंग्लैंड के कानून के एक हिस्से के रूप में और इसलिए, पूरी तरह से न्यायिक सूचना के भीतर।

178. उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, संघर्ष, बड़े पैमाने पर

हद तक, हल किया गया था। दोनों दावों में से, (i) क्या कोई विशेषाधिकार मौजूद था; और (ii) क्या इसका उल्लंघन किया गया था, संसद ने पहला राजा राम पाल v प्राप्त किया।

अदालतों में। बदले में, अदालतों ने सदन के दूसरे अधिकार को मान्यता दी।

179. इस सवाल पर भी एन्सोन ('द लॉ एंड

संविधान की प्रथा ', पाँचवाँ संस्करण; खंड। आई; पीपी। 190-99) . विद्वान लेखक ने सदनों और न्यायालयों के बीच संघर्ष के कारणों पर विचार किया। वह. यह उल्लेख किया कि सदन ने जोर देकर कहा था कि वह इस हद तक का एकमात्र न्यायाधीश है

अपने विशेषाधिकारों के बारे में और न्यायालय को इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। दूसरी ओर, न्यायालयों ने यह रुख अपनाया कि जब विशेषाधिकार उन अधिकारों के साथ संघर्ष करता है जिन्हें बनाए रखने का प्रभारी उनके पास होता है, तो वे इस बात पर विचार करेंगे कि क्या कथित विशेषाधिकार प्रामाणिक है, और क्या यह उनके समक्ष मामले को नियंत्रित करता है। 180. फिर तीन प्रमुख मामलों का उल्लेख करते हुए, (i) एशबी बनाम। व्हाइट, (1704) 14 सेंट ट्र 695; (ii) स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड, (1839) 9 एड एंड ई 1: 112 ई. आर. 1112; और (iii) ब्रैडलॉफ बनाम। गोसेट (1884) 12 क्यू. बी. डी. 271: 53 एलजेक्यूबी 200-लेखक ने निष्कर्ष निकाला:

" कुल मिलाकर, अब यह स्पष्ट रूप से तय प्रतीत होता है कि अदालतें इस तथ्य से निजी अधिकारों को बनाए रखने से विचलित नहीं होंगी।

कि संसदीय विशेषाधिकार के प्रश्न शामिल हैं

रखरखाव; और यह कि, सदन द्वारा अपनी कार्यवाही के आंतरिक विनियमन के संबंध में, कानून के न्यायालय संकोच नहीं करेंगे

कथित विशेषाधिकार की जाँच करें, जैसा कि वे प्रथा में करेंगे, और

इसके विस्तार और उपयोग को निर्धारित करें।

181. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, (चौथा संस्करण, रीइश्यू, वॉल्यूम। 34 ; पीपी। 553-54 ; पैरा 1004-05), यह कहा गया है:

" 1004. न्यायालयों की स्थिति। संसद के प्रत्येक सदन ने पारंपरिक रूप से अपने विशेषाधिकार और उस विशेषाधिकार की सीमा के लिए एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश होने का दावा किया है। कानून की अदालतें दोनों सदनों के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक विशेषाधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। 1939 में सभी विशेषाधिकारों की आवश्यकता थी

कॉमन्स के विश्वास के ऊर्जावान निर्वहन के लिए स्वीकार किया गया था

अदालत द्वारा बिना किसी बड़बड़ाहट या संदेह के; और 150 से अधिक वर्षों के बाद, प्रिवी काउंसिल ने पुष्टि की कि अदालतें किसी भी तरह की अनुमति नहीं देंगी।

दीवारों के भीतर जो कहा या किया जाता है उसे चुनौती दी जानी चाहिए

संसद अपने विधायी कार्यों के निष्पादन और संरक्षण में
अपने स्थापित विशेषाधिकारों से। दूसरी ओर, अदालतों का मानना है कि यह उन्हें तय करना है कि क्या कोई संसदीय दावा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

सी आर।

किसी विशेष मामले में विशेषाधिकार उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ क्या है दावा किया गया संसदीय कार्यों के निर्वहन के लिए या एक या अन्य सदनों के आंतरिक कार्यों के लिए आवश्यक है, इस मामले में संसदीय

क्षेत्राधिकार अनन्य है, या क्या यह उस क्षेत्र से बाहर आता है, विशेष रूप से यदि तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल हैं, जहां अदालतें अपने स्वयं के निर्णय बनाने की उम्मीद करेंगी।

दोनों सदनों और न्यायालयों के क्षेत्र, मध्य से हैं उन्नीसवीं शताब्दी ने पहले के वर्षों के प्रत्यक्ष संघर्षों को रोका।

यद्यपि सदनों ने विशेषाधिकार के मामलों पर निर्णय लेने के लिए कानून की अदालतों के दावे को कभी भी सीधे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वे यह स्वीकार करते प्रतीत होते हैं कि न तो सदन अपने आप में सर्वोच्चता का दावा करने का हकदार है जो अविभाजित उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया था।

संसद।

उनके हिस्से के लिए कानून की अदालतें स्वीकार करती हैं कि नियंत्रण

प्रत्येक सदन की अपनी कार्यवाहियों पर निरपेक्ष है और नहीं

न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधीन; और अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी

किसी भी सदन द्वारा किसी कानून की व्याख्या जहाँ तक

सदन की कार्यवाहियों का संबंध है। न ही अदालतें उन कारणों की जांच करेंगी जिनके लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। अवमानना का दोषी और किसी भी सदन द्वारा किया गया, जब आदेश या वारंट जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के कारणों को नहीं बताता है; क्योंकि ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि आदेश या वारंट विधिवत जारी किया गया है जब तक कि इसके विपरीत दिखाई न दे।

उसका चेहरा "।

1 ए. होल्ड्सवर्थ, 'ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ' में (खंड। आई; पीपी। 393-94)

देखा गया:

" इस विषय को नियंत्रित करने वाले दो सिद्धांत या सिद्धांत हैं।

पहला हमें बताता है कि "संसद का विशेषाधिकार देश के कानून का हिस्सा है"; दूसरा कि "प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का न्यायाधीश है"। अब पहली नज़र में यह लग सकता है कि ये सिद्धांत विरोधाभासी हैं। यदि संसद का विशेषाधिकार राजा राम पाल बनाम के कानून का हिस्सा है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 611

कानून के किसी भी अन्य भाग की तरह अदालतों द्वारा इसके अर्थ और विस्तार की व्याख्या की जानी चाहिए और इसलिए कोई भी सदन इसे जोड़ नहीं सकता है।
अपने स्वयं के संकल्प द्वारा अपने विशेषाधिकारों के लिए, इस तरह के संकल्प द्वारा कानून के किसी भी अन्य भाग में इससे अधिक कुछ जोड़ा जा सकता है। दूसरी ओर, यदि यह सच है कि प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का एकमात्र न्यायाधीश है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रत्येक सदन इस बारे में एकमात्र न्यायाधीश था कि उसे कोई विशेषाधिकार मिला था या नहीं, और इसलिए अपने स्वयं के संकल्प से इसके विशेषाधिकारों में वृद्धि हो सकती है। इस स्पष्ट विरोधाभास का समाधान तब किया जाता है जब इन दो सिद्धांतों के उचित अनुप्रयोग पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले

अधिकतम एशबी वी जैसे मामलों पर लागू होता है। सफेद; [1704 [14 सेंट ट्र 695 और स्टॉकडेल बनाम। हंसार्ड; [1839] 9 एड एंड ई 1: 112 ई. आर. 1112 जिसमें मुद्दा सदन द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकार का अस्तित्व था। यह कानून का विषय है जिसका निर्णय अदालतों को इस विषय पर सदन के प्रस्ताव पर कोई ध्यान दिए बिना करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत मिडिलसेक्स के शेरिफ जैसे मामलों पर लागू होता है; [1840] 11 एड एंड ई 273:

113 ई. आर. 419 और ब्रैडलॉफ बनाम। गोसेट; [1884] 12 क्यू. बी. डी. 271: 53 LJQB 200, जिसमें अस्तित्व पर नहीं, बल्कि एक निस्संदेह विशेषाधिकार के उपयोगकर्ता के तरीके पर सवाल उठाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी क्योंकि प्रत्येक सदन इस सवाल का एकमात्र न्यायाधीश है कि क्या,

यह अपने किसी भी विशेषाधिकार का कब या कैसे उपयोग करेगा।

182. हमारे पास एक लिखित संविधान है जो इस न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। शक्ति के प्रयोग में और

संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, इस न्यायालय को 'विवेक पर प्रहरी' की भूमिका निभानी है और यह इस न्यायालय का गंभीर कर्तव्य है कि वह संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की उत्साहपूर्वक और सतर्कता से रक्षा करे। 183. यह कहा जा सकता है कि शुरू में प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस न्यायालय के पास किसी भी कार्रवाई के खिलाफ शिकायत पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं है

संसद द्वारा ली गई और ऐसी किसी भी शिकायत पर न्यायालय द्वारा कभी भी विचार नहीं किया जा सकता है। महान्यायवादी की ओर से पेश श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने हालांकि बाद के चरण में इस तरह की शिकायत पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया (और मैं ठीक कह सकता हूं), लेकिन कहा कि न्यायालय को हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग एक समन्वय द्वारा किया गया है।

राज्य का वह अंग जिसके पास सदन की चार दीवारों के भीतर अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने की अधिकारिता है। जब तक, इसलिए, यह न्यायालय आश्वस्त नहीं है कि सदन की कार्रवाई असंवैधानिक या पूरी तरह से गैरकानूनी है, यह [2007] 1 एस. सी. आर.

संसद के समक्ष साक्ष्य और सामग्री की पुनः सराहना करके अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न करें और सदन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के लिए अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करें।

184. मेरी राय में, समर्पण अच्छी तरह से आधारित है। यह न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता।

इस तथ्य से अनजान या अनजान रहें कि विधानमंडल तीन में से एक है राज्य के अंग और उसी संविधान के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके तहत यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य है कि एक अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विचार को नजरअंदाज किए बिना विधानमंडल द्वारा शक्ति का कोई दुरुपयोग या दुरुपयोग न हो कि न्यायालय अन्य संवैधानिक पदाधिकारी पर एक श्रेष्ठ अंग या अपीलीय मंच नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय को अत्यधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

185. सर जॉन डोनाल्डसन ने इस सिद्धांत को संक्षेप में कहा है,

आर. वी. में एम. आर. महामहिम का कोषागार, पूर्व पक्ष स्मेडली, 1985 क्यू. बी. 657,666 इस प्रकार:

" यह. अदालतों को सर्वोपरि के प्रति हमेशा संवेदनशील होना चाहिए।

संसद के प्रांत में अतिक्रमण से बचने की आवश्यकता है या,

जहाँ तक इससे बचा जा सकता है, यहाँ तक कि ऐसा करते हुए भी प्रतीत होता है। "

(जोर दिया गया)

भारतीय संसद की कोई दोहरी क्षमता नहीं है

186. यह भी आग्रह किया गया कि भारतीय संसद तीन में से एक है

और सरल, लेकिन संसद का उच्च न्यायालय भी '। चूँकि भारतीय संसद 'अभिलेख न्यायालय' नहीं है, इसलिए उसके पास न्यायालय की अवमानना के लिए सजा देने या देने की कोई शक्ति, अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है और न ही यह तर्क दिया जा सकता है कि इस तरह की कार्रवाई न्यायिक जांच से परे है।

187. इस संबंध में, मैं केवल यह देख सकता हूं कि सर्चलाइट में भी

जैसा कि केशव सिंह में देखा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद/राज्य विधानमंडल के पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, जिसे अन्य मामलों में भी

दोहराया गया है, उदाहरण के लिए, कर्नाटक राज्य बनाम। भारत संघ, [1977] 4 एस. सी. सी. 608, और पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम।

राज्य, राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 613

[1998] 4 एससीसी 626। लेकिन यह माना गया है कि संसद/राज्य विधानमंडल का ऐसा निर्णय 'अंतिम और निर्णायक' नहीं है। इस न्यायालय ने पहले के सभी मामलों में यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को राज्य-प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता या अन्यथा निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है और यह शक्ति न्यायपालिका से नहीं ली जा सकती है। यही भेद है। ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद के बीच। चूँकि ब्रिटिश संसद संसद का उच्च न्यायालय भी है, इसलिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई या निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह, मेरी राय में, है

इस सिद्धांत के आधार पर कि दो समानांतर न्यायालय नहीं हो सकते हैं, अर्थात क्राउन का न्यायालय और एक ही अधिकार क्षेत्र के संबंध में न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाला संसद का न्यायालय ('संसद का उच्च न्यायालय') भी। भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य है जिसका एक लिखित संविधान है जो सर्वोच्च है और राज्य का कोई भी अंग (विधानमंडल, कार्यपालिका या न्यायपालिका) दूसरे पर संप्रभुता या सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकता है। उक्त संविधान के तहत, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) को प्रदान की गई है। उक्त शक्ति को संविधान की मूल विशेषताओं में से एक माना जाता है और इस प्रकार, इसे संविधान द्वारा छीन नहीं लिया जा सकता है।

संसद, यहां तक कि संविधान में संशोधन द्वारा भी। [वीडे सम्बामूर्ति वी. उत्तर प्रदेश राज्य, [1987] 1 एस. सी. सी. 362: आकाशवाणी (1987) एससी 663; केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य, [1973] 4 एस. सी. सी 225: आकाशवाणी (1973) एससी 1461; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण, [1975] एस. सी. सी. आई. ए. आई. आर. (1975) एस. सी. 2299; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, [1980] 3 एस. सी. सी. 625: ए. आई. आर. (1980) एस. सी. 1789; एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ, [1987] 1 एस. सी. सी. 124: [1987] 1 एससीसी 124: [1987] 1 एस. सी. आर. 435, किहोटो होलोहोन बनाम। ज़चिल्हू, [1992] पूरक 2 एस. सी. सी. 651: आकाशवाणी (1993) एससी 412]।

188. इसलिए, कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद/राज्य विधानमंडल की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से 'पूर्ण प्रतिरक्षा' का दावा नहीं कर सकती है। वास्तव में, यह तर्क केशव सिंह में सामने रखा गया था जो था

इस न्यायालय द्वारा नकार दिया गया। यह राय दी गई थी कि एक पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, शक्तियाँ अदालतें निरपेक्ष, असीमित या निरंकुश होती हैं। संविधान जिसने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की,

एक ही कलम और स्याही के साथ बशर्ते कि संसद में कार्यवाही की वैधता पर 'अनियमितता' के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

प्रक्रिया। इसलिए यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उक्त [2007] एस. सी. आर. को प्रभावी बनाए।

प्रावधान और सीमा को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करें।

189. इसके अलावा, तत्काल मामलों में, न्यायालय से जवाब देने के लिए कहा जाता है

एक सीमित प्रश्न कि क्या संसद किसी सदस्य को निष्कासित कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही इस निर्णय के पहले भाग में चर्चा की है, सीमित विशेषाधिकार वाले औपनिवेशिक विधानमंडल के पास भी किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति होती है यदि उसका आचरण विधानमंडल के सदस्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा है, तो मेरी राय में, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संसद, जिसके पास निस्संदेह औपनिवेशिक विधानमंडल की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां हैं, ऐसी कार्रवाई कर सकती है और यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संसद के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है।

किसी सदस्य को निष्कासित करें। इसलिए, मैं याचिकाकर्ताओं के तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ हूं। विसंगति और बहिष्करण

190. याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया कि संबंधित कानून

संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की अनुसूची X के साथ पठित अनुच्छेद 101 से 104 (और 190-93) में अयोग्यता और सीटों की छुट्टी निर्धारित की गई है। वे प्रावधान 'पूर्ण और पूर्ण' हैं। दूसरे शब्दों में, वे सदस्यता की अयोग्यता और क्षेत्र को कवर करने वाली सीटों की छुट्टी के रूप में 'पूर्ण संहिता' की प्रकृति में हैं।

उसकी संपूर्णता। उपरोक्त प्रावधानों में निष्कासन की कोई शक्ति मौजूद नहीं है या संसद सहित किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के लिए उपलब्ध नहीं है। अत: संसद की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

191. मैं विवाद को बरकरार रखने में असमर्थ हूं। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रत्येक विधायी निकाय-औपनिवेशिक या सर्वोच्च-के पास अपनी कार्यवाही को विनियमित करने, आत्मरक्षा, आत्म-संरक्षण और अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। यह संविधान या संरचना प्रदान करने की शक्ति से पूरी तरह से अलग और अलग है जो निस्संदेह भारतीय संसद के पास नहीं है। लेकिन प्रत्येक विधायी निकाय को अपनी कार्यवाही को विनियमित करने और अपने सदस्यों द्वारा अनुशासन का पालन करने की शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है और उसे निष्कासित भी कर सकता है, यदि परिस्थितियाँ इस तरह की कार्रवाई के लिए वारंट या कॉल करें। इसका अयोग्यता और/या सीट की छुट्टी से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, निष्कासन का सवाल तब उठता है जब कोई सदस्य अयोग्य नहीं होता है, उसकी सीट खाली नहीं होती है और लेकिन इस तरह के निष्कासन के लिए, वह संसद के सदस्य के रूप में कार्य करने का हकदार है।

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 615

संसद के पास कोई कार्ड ब्लैंच शक्ति नहीं है

192. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हर शक्ति का अपना अधिकार है

संसद को प्रदत्त सीमाएँ और शक्तियाँ इस नियम का अपवाद नहीं हैं। इसलिए, उसे कोई कार्रवाई करने या अपनी इच्छानुसार कोई आदेश देने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यह कहा गया था कि इस न्यायालय ने कई मामलों में इस सिद्धांत को यह कहते हुए स्वीकार किया है कि पूर्ण शक्ति 'केवल चंद्रमा में' संभव है। वी. गुजरात राज्य और अन्र। , [1975] 1 एससीआर

173: [1974] 1 एससीसी 717: आकाशवाणी (1974) एससी 1389]। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बड़े मुद्दे पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हूं। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है और मैं मानता हूं

कि संसद, राज्य के अन्य अंगों की तरह, संविधान के प्रावधानों के अधीन है और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। लेकिन मैं हूँ।

यह मानने में असमर्थ कि किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति प्रकृति में एक कार्टे ब्लैंच है और संसद के पास किसी भी सदस्य को निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे विचार से संसद गलती करने वाले सदस्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है।

दंड या दंड और निष्कासन उनमें से एक है। लेकिन मैं कर सकता हूँ, यह जोड़ने के लिए जल्दी करें कि हमारे संविधान के तहत, हर प्राधिकरण की हर कार्रवाई

कानून के अधीन है क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संसद कोई अपवाद नहीं है -

यह 'सार्वभौमिक' नियम। इसलिए, यह एक पीड़ित पक्ष के लिए संपर्क करने के लिए खुला है यह न्यायालय संसद की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत करता है और यदि न्यायालय न्यायिक समीक्षा के सीमित मापदंडों के भीतर संतुष्ट है कि कार्रवाई अनुचित, गैरकानूनी या असंवैधानिक है, तो वह कार्रवाई को रद्द कर सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि संसद के पास किसी सदस्य को निष्कासित करने की कोई शक्ति नहीं है, बल्कि कार्रवाई की गई है

कानून के अनुरूप नहीं पाया गया।

प्रक्रियात्मक अनियमितता ध्यान दें: प्रभाव

193. तब यह तर्क दिया गया कि लोक द्वारा की गई विवादित कार्रवाई

लोकसभा और राज्यसभा अवैध और असंवैधानिक हैं। यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 122 के खंड (1) द्वारा दी गई प्रतिरक्षा ('संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करने के लिए न्यायालय') को स्पष्ट रूप से 'प्रक्रिया की अनियमितता' तक सीमित कर दिया गया है न कि मूल अवैधता या असंवैधानिकता तक। यदि की गई कार्रवाई या पारित आदेश प्रत्यक्ष रूप से अवैध, गैरकानूनी या असंवैधानिक है, तो संसद अनुच्छेद 122 के तहत शरण नहीं ले सकती है और इसकी न्यायिक जांच को रोक सकती है। न ही तदर्थ

संविधान द्वारा समितियों पर विचार किया गया है और न ही ऐसी समितियों को संसद सदस्यों के आचरण या कदाचार की जांच करने की शक्ति है। इसलिए, सभी कार्यवाही का कोई कानूनी आधार नहीं है। वे [2007] 1 एस. सी. आर. के बिना थे।

अधिकारिता या वैध आधार और पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

194. इस संबंध में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया था -

संविधान सभा में अनुच्छेद 101 (वर्तमान अनुच्छेद 122) के मसौदे पर चर्चा की गई। श्री कामत ने अनुच्छेद 101 के खंड (1) में संशोधन का सुझाव देते हुए कहा कि "किसी भी अदालत में" शब्दों को "बुलाए गए" शब्दों के बाद डाला जाए।

सवाल "।

195. न्यायालयों के संशोधन और अधिकार क्षेत्र से निपटने के लिए डॉ. बी. आर.

अम्बेडकर ने कहा (सीएडी: Vol.VIII; पीपी। 199-201) :

" श्री कामत के संशोधन के संबंध में, मुझे नहीं लगता

यह आवश्यक है, क्योंकि संसद की कार्यवाही कहाँ हो सकती है

अदालत को छोड़कर कानूनी तरीके से पूछताछ की गई? इसलिए,

केवल वह स्थान जहाँ संसद की कार्यवाही पर सवाल उठाया जा सकता है कानूनी तरीके से और कानूनी मंजूरी प्राप्त करना न्यायालय है।

(जोर दिया गया)

196. पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम का भी उल्लेख किया गया था। श्री।

कृष्ण सिन्हा और अन्य। (पंडित शर्मा द्वितीय); (1961) 1 एससीआर 96: ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1186, जिसमें इस न्यायालय के आठ माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि "किसी राज्य के विधानमंडल के भीतर की कार्यवाही की वैधता पर इस आरोप पर सवाल

नहीं उठाया जा सकता है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया था"।

197. केशव सिंह के मामले में भी इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रस्ताव को दोहराया।

कानून और कहा गया;

" कला. 212 (1) एक प्रावधान करता है जो प्रासंगिक है। यह नीचे रखता है

कि किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता

किसी भी कथित आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा
प्रक्रिया की अनियमितता। कला. 212 (2) रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है

विधानमंडल के अधिकारी और सदस्य जिनमें शक्तियाँ निहित हैं

प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संविधान द्वारा या उसके तहत या

विधायिका में कार्य का संचालन, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए

के संबंध में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने से

उसके द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करें। कला. 212 (1) ऐसा लगता है कि एक नागरिक के लिए उपयुक्त अदालत में प्रश्न पूछना संभव है राजा राम पाल 1।

सम्मानित वक्ता। लोक सभा (सी. के. ठाकर)। जे.] 617

विधायी के भीतर किसी भी कार्यवाही की वैधता

कक्ष यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही से प्रभावित नहीं है
केवल प्रक्रिया की अनियमितता, लेकिन एक अवैधता से। अगर

विवादित प्रक्रिया अवैध और असंवैधानिक है, यह होगा
कानून की अदालत में जांच के लिए खुला है, हालांकि इस तरह की जांच है

निषिद्ध है यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत से अधिक नहीं है

यह कि प्रक्रिया अनियमित थी "।

(जोर दिया गया)

[किहोतो होल्लोहन बनाम को भी देखें। ज़चिल्लू और ओआरएस। , [1992] पूरक 2 एस. सी. सी. 651,711] .

198. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने, मेरी राय में, वृहत न्यायपीठ में दिए गए कानून के उपरोक्त कथन पर विवाद करना उचित नहीं है।

इस न्यायालय के निर्णय। हालाँकि, उन्होंने कहा कि संसद द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों की जाँच करती थी। सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया गया था और उनके समक्ष रखी गई प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद, उन्हें दोषी ठहराते हुए निर्णय लिया गया था। उक्त कार्रवाई को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का तथ्य-स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है और इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती है।

199. मेरे विचार में, उत्तरदाताओं का निवेदन स्वीकार करने योग्य है।

सदन के कुछ सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, संसद ने एक 'जांच समिति' का गठन करके आरोपों की शुद्धता या अन्यथा की जांच करने का निर्णय लिया। सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया और अभिलेख पर साक्षय और सामग्री पर विचार करते हुए, संसद द्वारा नियुक्त समिति ने मामले का फैसला किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला अपवादात्मक भाग द्वारा कवर किया गया है

अनुच्छेद 122 का खंड (1)। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह न्यायालय 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जो अपनी प्रकृति से गंभीर दुर्बलताओं तक सीमित है।

कानून या पेटेंट अवैधताओं का। इसलिए, यह प्राधिकरण के समक्ष पर्याप्त सामग्री में प्रवेश नहीं कर सकता है और न ही अपनी राय/निष्कर्ष/को प्रतिस्थापित कर सकता है।

इसलिए, भले ही प्रक्रिया को अपनाने या समिति द्वारा साक्षय की सराहना करने या समिति द्वारा निर्णय को मंजूरी देने में कोई अनियमितता हो। संसद, यह पूरी तरह से अनुच्छेद 122 (1) के 'सुरक्षात्मक छत्र' के तहत आती है।

संविधान और यह न्यायालय उक्त प्रावधान द्वारा दिए गए संवैधानिक संरक्षण को देखते हुए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

200. न ही संसद द्वारा नियुक्त समिति को कहा जा सकता है

एक 'न्यायालय' सख्त अर्थ में, न ही यह साक्षय के तकनीकी नियमों से बाध्य है या प्रक्रिया। यह 'तथ्य-खोज' जांच की प्रकृति में अधिक है। चूंकि संसद की गरिमा, गरिमा और विश्वसनीयता दांव पर थी, इसलिए समिति ने

नियुक्त किया गया जो प्रक्रियात्मक बाधाओं से बाधित हुए बिना इस प्रतिष्ठित निकाय में सार्वजनिक विश्वास, विश्वास और सम्मान को बहाल करने की दृष्टि से कार्य करने के लिए आवश्यक था।

201. इस संबंध में मुद्गल का उल्लेख करना लाभदायक है। उस मामले में

इसके अलावा, एक संसद सदस्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति को कुछ निर्देश जारी किए गए थे। अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश संख्या 2 प्रासंगिक था और इस प्रकार पढ़ा गया:

" एक सदस्य के आचरण पर समिति जो

शब्द का सख्त अर्थ। इसलिए यह तकनीकी नियमों से बंधा नहीं है। इसे अपनी प्रक्रिया को ढालना होगा ताकि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

चिंतित हैं। इसलिए, मेरी राय है कि आम तौर पर प्रश्न अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है

इसका मतलब है कि मामले में पेश होने वाले वकील को प्रतिबंधित किया गया है

सभापति की अनुमति से। मुझे लगता है कि यह मिलना चाहिए वर्तमान मामले की आवश्यकताएँ।

(जोर दिया गया)

प्राकृतिक न्याय का संरक्षण

202. यह भी आग्रह किया गया कि समिति ने पर्याप्त राशि नहीं दी है याचिकाकर्ताओं को उनका बचाव करने का अवसर और प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि सार का है और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में की गई कोई भी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

संदर्भ राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 619

इस संबंध में मेनका गांधी बनाम को बनाया गया था। भारत संघ, [1978] 1 एस. सी. सी. 248: ए. आई. आर. (1978) एस. सी. 597; किहोतो होलोहन और अन्य निर्णय।
203. जहाँ तक कानून के सिद्धांत का संबंध है, यह अच्छी तरह से तय है और इसे विवादित नहीं किया जा सकता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, मेरी राय में, तथ्यों में

मामले में, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उल्लंघन या गैर है

समिति द्वारा प्राकृतिक न्याय का पालन। रिपोर्टों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त अवसर दिया गया था और उसके बाद कार्रवाई की गई थी। सदस्यों को नोटिस जारी किए गए, उन्हें सीडी प्रदान की गई, गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए, बचाव पक्ष के बयान पर विचार किया गया और निष्कर्षों और निष्कर्षों पर पहुंचा गया।

204. जहाँ तक लोकसभा द्वारा गठित समिति का संबंध है, उसने कहा:

" IV. निष्कर्ष और निष्कर्ष

32. समिति ने 12 दिसंबर, 2005 को 'आज तक' टीवी चैनल पर प्रसारित प्रासंगिक वीडियो फुटेज वाली वी. सी. डी. देखी, जिसके प्रतिलेखों को लिखित माना गया।

उक्त दस सदस्यों में से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान और उनके मौखिक साक्षय और श्री अनिरुद्ध बहल के मौखिक साक्षय,

कुमार बादल और कोबरापोस्ट की सुश्री सुशासिनी राज। कॉम कौन

ऑपरेशन दुर्योधन का संचालन किया।

33. समिति ने नोट किया कि संबंधित प्रतिनिधियों के

पोर्टल कोबरापोस्ट। श्री अनिरुद्ध बहल, सुश्री.

कई बिचौलियों के माध्यम से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों के रूप में, जिनमें से कुछ संबंधित सदस्यों के निजी सचिवों/व्यक्तिगत सहायकों के रूप में भी काम कर रहे थे। उन्होंने सदस्यों से लोकसभा में सवाल उठाने का अनुरोध किया और उन्हें उस पर विचार करने के लिए धन की पेशकश की। सदस्यों द्वारा सीधे और अपने निजी सचिवों के माध्यम से भी धन स्वीकार किया जाता था। उन्होंने पदच्युत कर दिया।
शपथ पर कि टीवी चैनल आज तक पर दिखाए गए पैसे के दृश्यों में कोई गलत प्रस्तुति नहीं थी। उन्होंने समिति को विचाराधीन दृश्य से पहले और बाद की स्थिति को कवर करने वाले कच्चे फुटेज भी दिए हैं। जबकि आज तक की कतरनें चली गई हैं

वीडियो सफाई और ध्वनि वृद्धि के माध्यम से, संबंधित [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टेपों के असंपादित कच्चे फुटेज के विस्तारित संस्करण हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कुछ भी गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा श्री अनिरुद्ध बहल ने "घटना की लंबाई चाहे जो भी हो, धन स्वीकृति के मूल टेप" भी प्रस्तुत किए। वहाँ 20-25 टेप हैं और कुल फुटेज पैसे से संबंधित है।

स्वीकृति। प्रत्येक टेप एक पूर्ण टेप है जो पूरी घटना को दर्शाता है। अपने साक्षय के क्रम में सुश्री सुहासिनी राज ने दिया है

सांसदों को सीधे और बिचौलियों के माध्यम से दिए गए धन का विवरण।

34. इस साक्षय के विपरीत सभी कथित लोगों के बयान हैं।

दस सदस्य। समिति ने नोट किया कि सभी सदस्यों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उनकी गवाही में आम तनाव यह है कि कतरनों को रूपांतरित किया जाता है, संदर्भ से बाहर और 'कट एंड पेस्ट' का परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि कुछ मिनटों की कतरनें

पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती हैं और उन्हें झूठ को साबित करने के लिए पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दृश्यों सहित पूर्ण टेप की आवश्यकता होती है। उन्होंने दावा किया कि पूरी कवायद का उद्देश्य उन्हें फंसाना और संसद की प्रतिष्ठा को कम करना था।

35. समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया है

उक्त सदस्यों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की पूरी फुटेज, सभी ऑडियो टेप और समय बढ़ाने के उनके अनुरोध और उनके वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के लिए किए गए अनुरोध।

इस संदर्भ में समिति इसे अभिलेख पर लाना चाहेगी।

कि समिति के समक्ष गवाही देते समय सभी दस सदस्यों से पूछा गया कि क्या वे प्रासंगिक वीडियो फुटेज देखना चाहेंगे ताकि वे उसमें विसंगतियों को इंगित कर सकें। सभी सदस्यों ने संबंधित वीडियो फुटेज देखने से इनकार कर दिया। इसलिए समिति को लगता है कि सदस्यों द्वारा असंपादित और पूरे वीडियो फुटेज के लिए किए गए अनुरोध से केवल मामले पर विचार करने में देरी होगी और कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

36. समिति ने इस पर गहन विचार किया

कोबरापोस्ट के प्रतिनिधियों के साक्षय और बयान। कॉम और सदस्यों का मानना है कि जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. आई. के खिलाफ सबूत।

1. सम्मानीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 621

कोबरापोस्ट। कॉम प्रतिनिधियों ने शपथ पर अपना बयान दिया और किसी भी गलत या गलत काम करने के परिणामों के बारे में पता होगा

गलत कथन। उन्होंने असंपादित प्रतियों की भी आपूर्ति की है।

मूल वीडियो स्थितियों में जहां पैसा हाथ बदल गया। उक्त वीडियो के प्रतिलेख भी प्रदान किए गए हैं। कोबरापोस्ट था। कॉम

वहाँ मूल असंपादित वीडियो टेपों की आपूर्ति करने में अनिच्छुक था

के बारे में कुछ प्रतिकूल अनुमान के लिए गुंजाइश हो सकती है

आज तक द्वारा प्रसारित "धन अनुक्रमों" की प्रामाणिकता। लेकिन

ऐसा नहीं है।

37. समिति का यह भी विचार है कि याचिका में कहा गया है

उक्त दस सदस्यों द्वारा कि वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ की गई है /

रूपांतरित/संपादित करने की कोई योग्यता नहीं है। यदि सदस्यों ने प्रासंगिक फुटेज देखने के लिए समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता और टेप में अंतर्वेष्टित भागों को इंगित किया होता, तो पूरे टेप की जांच के लिए उनकी याचिका को और समय देने का औचित्य होता। कोबरापोस्ट के असंपादित कच्चे फुटेज को देखा। कॉम कुछ सदस्यों के संबंध में, समिति के पास वीडियो फुटेज की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई वैध कारण नहीं है।

38. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए

मामला, समिति की राय है कि के आरोप

उक्त दस सदस्यों द्वारा धन स्वीकार करने की स्थापना की गई है। समिति ने आगे कहा कि निष्कर्ष से बचना मुश्किल है

कि पैसे स्वीकार करने का काम से सीधा संबंध था

संसद।

39. समिति महसूस करती है कि उक्त सदस्यों का ऐसा आचरण संसद सदस्यों के लिए अशोभनीय और अनैतिक भी था। अतः समिति का विचार है कि उनके आचरण की आवश्यकता है -

सख्त कार्रवाई।

40. समिति का मानना है कि बिचौलियों, दलालों और निजी होने का नाटक करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए

सदस्यों के सचिव क्योंकि वे मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं

सदस्यों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना।

41. समिति ने ध्यान दिया कि अपने सदस्यों द्वारा किए गए कदाचार या अवमानना के मामले में, सदन इन [2007] 1 एस. सी. आर. को लागू कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सदन की सेवा से निलंबन, कारावास, और सदन से निष्कासन "।

ई समिति, मेरे अनुसार, उचित रूप से निम्नलिखित बनाती है:

शर्तें:

" V. अवलोकन

42. समिति को लगता है कि एक लोकतांत्रिक संस्थान की विश्वसनीयता

संसद की तरह और इसके सदस्यों की त्रुटिहीन अखंडता अनिवार्य है।

किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए। सर्वोच्च बनाए रखने के लिए

संसदीय जीवन में परंपराएँ, संसद के सदस्यों की अपेक्षा की जाती है

आचरण के एक निश्चित मानक का पालन करना, दोनों सदन के अंदर के रूप में बाहर भी। यह सर्वविदित है कि सदस्यों का आचरण

नियमों के विपरीत या गरिमा के लिए अपमानजनक नहीं होना चाहिए।

सदन का या किसी भी तरह से मानकों के साथ असंगत जो

संसद को अपने सदस्यों से अपेक्षा करने का अधिकार है।

43. समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि ईमानदारी सुनिश्चित की जाए

और सार्वजनिक जीवन में मानक विश्वसनीयता रखने के लिए अनिवार्य हैं।

अपने आंतरिक महत्व के अलावा जनता के साथ। क्षय हो रहा है।

अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों में लोगों का विश्वास हो सकता है

केवल त्वरित कार्रवाई के माध्यम से बहाल किया गया। उनके खिलाफ निरंतर लड़ाई देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार आवश्यक है।

शुरुआत उच्च सार्वजनिक पदों के धारकों के साथ करनी होगी। व्यवस्था नैतिकता पर आधारित है और होनी भी चाहिए। जब

समिति का कहना है कि वे भी इसके बारे में जानते हैं और इसे रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं

कि बड़ी संख्या में नेता अपना जीवन स्वयं में बिताते हैं

जनता की सेवा करना।

44. समिति निम्नलिखित पर ध्यान देना उचित समझती है -

ग्यारहवें लोक के विशेषाधिकार समिति द्वारा की गई टिप्पणियाँ

सभा ने 'सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मानक, विशेषाधिकार' पर अपनी रिपोर्ट में कहा,

सदस्यों के लिए सुविधाएं और संबंधित मामले:

" सदन के पटल पर घटकों की चिंताओं को व्यक्त करना

अनुचित तरीकों से सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास संसदीय आचरण विशेषाधिकार का हनन है। इस प्रकार, एक राजा राम पाल वी को पेशकश।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा [सी. के. ठाकर, जे.] 623

सदस्य, या पदोन्नति के संबंध में कोई शुल्क या पुरस्कार या किसी विधेयक, संकल्प, विषय या प्रस्तुत की गई चीज़ों का विरोध या

सदन या उसकी किसी समिति को प्रस्तुत करने का इरादा,

धन का प्रस्ताव, चाहे वह किसी ऐसे संघ को भुगतान के लिए हो जिसे सदस्य किसी दान से संबंधित है, जो लेने वाले सदस्य पर सशर्त है।

किसी मामले को उठाना या उसे सफल निष्कर्ष पर लाना आपत्तिजनक है।

किसी सदस्य को प्रेरित करने के लिए धन या अन्य लाभ का प्रस्ताव

मंत्री के साथ किसी मुद्दे को उठाना भी उल्लंघन हो सकता है।

कोड का। इसी तरह, प्रलोभन और संतुष्टि की स्वीकृति

या उसकी किसी समिति में विशेषाधिकार और अवमानना शामिल है। कार्यवाही।

विशेषाधिकार निहितार्थ के अलावा, समिति सीमित है

यह देखने के लिए कि ऐसे प्रयास और कार्य मूल रूप से अनैतिक हैं

प्रकृति "।

45. अतः समिति इस बात से बहुत व्यथित है कि

सदन में प्रश्न, क्योंकि यह ऐसी कार्रवाइयों से है कि
एक संस्था और हमारे देश के एक स्तंभ के रूप में संसद की विश्वसनीयता

लोकतंत्र नष्ट हो गया है "।

(जोर दिया
गया)

205. समिति ने तदनुसार सिफारिश की (4:1 के बहुमत से)

लोकसभा की सदस्यता से सभी दस सदस्यों का निष्कासन।

206. इस सिफारिश को सदन ने स्वीकार कर लिया और

परिणामस्वरूप 23 दिसंबर, 2005 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 23 दिसंबर, 2005 की दोपहर से सभी सदस्यों को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

207. जहाँ तक राज्यसभा का संबंध है, नैतिकता समिति

एक समान खोज दर्ज की और देखा कि यह आश्वस्त था कि सदस्य ने राज्यसभा में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए धन स्वीकार किया था और बचाव में उनके द्वारा उठाई गई दलीलें उचित नहीं थीं।

समिति ने सही कहा:

" संसदीय कार्यप्रणाली ही हमारे लोकतंत्र का आधार है

इसलिए कुछ भी जो संसद की संस्था को अंदर लाता है।
बदनामी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह जनता को नुकसान पहुंचाती है

संस्थान की विश्वसनीयता में विश्वास और इस तरह कमजोर होना
हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की भव्य इमारत "।

समिति ने तब कहा:

" समिति ने सभी दुर्भाग्यपूर्ण लोगों पर अपना दिमाग लगाया है

घटना, संबंधित सदस्य को पूरा अवसर दिया

अपने बचाव में प्रस्तुतियाँ और गवाहों से भी बारीकी से पूछताछ की है

कोबरापोस्ट से। कॉम और आज तक। समिति ने यह भी देखा है

वीडियो टेप करता है और ऑडियो प्रतिलेखों को एक से अधिक बार सुनता है।

सभी कारकों को ध्यान में रखने के बाद, भारी और

साक्षय प्राप्त करना कि सदस्य ने वास्तव में पैरा का उल्लंघन किया है

5 राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता और

पूरे मामले पर गहराई से विचार करने के बाद समिति ने

इस तरह से कार्य किया जिसने गरिमा को गंभीर रूप से बाधित किया है
सदन और संसदीय लोकतंत्र की पूरी संस्था को लाया

बदनाम करने के लिए। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि डॉ.
छत्रपाल सिंह लोढ़ा को सदस्यता से निष्कासित किया जाए

उनके आचरण के रूप में सदन सदन की गरिमा के लिए अपमानजनक है और
द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के साथ असंगत

घर "।

208. इस प्रकार समिति ने डॉ. लोढ़ा को निष्कासित करने की सिफारिश की। एक.

समिति के सदस्य ने सुझाव दिया (यह स्पष्ट करते हुए कि यह असहमति नहीं थी) '),
संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस न्यायालय की राय लेने के लिए।

209. सदन ने इस सिफारिश पर सहमति व्यक्त की और डॉ.

लोधा। 23 दिसंबर, 2005 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सूचित किया गया था कि डॉ. लोढ़ा 23 दिसंबर, 2005 की दोपहर से राज्यसभा के सदस्य नहीं रह गए थे।

मुद्दा: एक दूसरे से पहले-न्यायाधीश

210. याचिकाकर्ताओं की शिकायतों में से एक यह है कि इस मुद्दे पर

राजा राम पाल वाई. द होनबल स्पीकर, लोक सभा [सी. के. ठाकर] द्वारा एक समिति नियुक्त किए जाने से पहले ही उनका पूर्व निर्णय लिया जा चुका था।

जे.] 625

संसद। उक्त शिकायत के समर्थन में, वकील ने अदालत का ध्यान लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के एक बयान की ओर आकर्षित किया।

12 दिसंबर, 2005:

" किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा "।

211. एक प्रयास किया गया था कि माननीय अध्यक्ष, इससे पहले भी

समिति के गठन ने घोषणा की थी कि याचिकाकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए, समिति की नियुक्ति, आरोपों पर विचार और निष्कर्षों को दर्ज करना, माननीय अध्यक्ष द्वारा लिए गए अस्थायी निर्णय को 'अनुमोदित' करने के लिए एक खाली औपचारिकता की प्रकृति में था और उस कारण से भी, इस कार्रवाई में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

212. मेरी राय में, विवाद का कोई बल नहीं है। याचिकाकर्ता नहीं हैं

माननीय अध्यक्ष के लिए उचित। उन्होंने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के भाषण से एक वाक्य निकाला है और एक धारणा बनाने की कोशिश की है जैसे कि मामले पर पहले ही दिन फैसला हो चुका हो। ऐसा नहीं था। पूरा भाषण जिसमें उपरोक्त वाक्य दिखाई देता है, रिपोर्ट का हिस्सा है

समिति और रिकॉर्ड में है। वह इस प्रकार है:

" माननीय। सदस्यों, कुछ बहुत गंभीर घटनाएँ मेरे सामने आई हैं।

कई अन्य सम्मानियों की तरह ही ध्यान दें। सदस्य। इसकी जांच की जाएगी।

सभी महत्व के साथ यह योग्य है। मैंने पहले ही बात कर ली है और

सभी माननीय के साथ चर्चा की। विभिन्न दलों के नेता, जिनमें

माननीय। विपक्ष के नेता और सभी इस बात पर सहमत हैं कि मामला

यदि सही साबित हो जाए तो यह बहुत गंभीर है। मैं जरूर पूछूंगा कि

होन। सदस्य यह समझाने के लिए कि क्या हुआ है। इस बीच, मैं हूँ

उन सभी से व्यक्तिगत अनुरोध करते हुए 'कृपया उपस्थित न हों
जब तक मामले पर गौर नहीं किया जाता और निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक सदन का सत्र

लिया जाता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन के सभी वर्ग

इसके बारे में गहराई से चिंतित महसूस करें। मुझे पता है कि हमें ऊपर उठना
चाहिए

अवसर और हमें यह देखना चाहिए कि ऐसी घटना न हो

भविष्य में कभी भी और अगर कोई दोषी है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।

किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे।

जिस तरह से व्यवहार करता है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद "।

(जोर दिया
गया)

213. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माननीय अध्यक्ष ने जो कहा था वह था

कि "यदि कोई दोषी है, तो उसे दंडित किया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा "।

दूसरे शब्दों में, माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिष्ठित निकाय के सदस्यों को आश्वासन दिया गया था कि किसी व्यक्तिगत सदस्य की स्थिति या स्थिति पर विचार किए बिना उचित कार्रवाई की

जाएगी और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान, मेरे विचार में, एक जिम्मेदार बयान है, जो सबसे बड़े निकाय के माननीय अध्यक्ष से अपेक्षित है।

लोकतंत्र। इसलिए, मुझे उपरोक्त कथन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि समिति के गठन से पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय ले लिया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था।

पूछताछ के लिए नकदी: एक-दूसरे की नैतिक गलती

214. यह भी आग्रह किया गया कि इसके अंकित मूल्य को लेते हुए, आरोप

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यह था कि उन्होंने संसद में प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए धन स्वीकार किया था। सदन की चार दीवारों के भीतर कुछ भी नहीं किया गया था। अधिक से अधिक, इसलिए, यह एक 'नैतिक गलत' था, लेकिन 'कानूनी गलत' की शरारत के दायरे में नहीं आ सकता है ताकि सदन को कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार मिल सके। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 'नैतिक दायित्वों' को न तो 'संवैधानिक दायित्वों' में परिवर्तित किया जा सकता है और न ही इसका पालन न करने से संविधान की योजना का उल्लंघन होगा। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, भले ही यह माना जाए कि आरोप पूरी तरह से निराधार थे।

215. मैं विवाद को बरकरार रखने में असमर्थ हूं। यह सच है कि भारतीय

संसद 'न्यायालय' नहीं है। यह किसी पर या किसी भी मामले पर सीधे मुकदमा नहीं चला सकता है, जैसा कि न्याय की अदालत कर सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके ऐसे मामलों को उठा सकती है।

216. 'भ्रष्टाचार या अनुचितता' से निपटने के लिए, सर एर्स्किन मे ने कहा:

" किसी भी सदन के सदस्य द्वारा रिश्वत की स्वीकृति
सदस्य के रूप में उसके आचरण में, या किसी भी शुल्क में उसे प्रभावित करना,

किसी भी सदन या समिति को प्रस्तुत करने का इरादा है
अवमानना। कोई भी व्यक्ति जिसने इस तरह के भ्रष्ट की पेशकश की है

विचार भी अवमानना में है। इस चरित्र का एक लेनदेन

संबंधित सदन की गरिमा का घोर अपमान है और

सदन के प्रति अपने कर्तव्यों का मुक्त निर्वहन और (सदन के मामले में)
कॉमन्स) मतदाताओं के लिए "।

217. हिलेयर बर्नेट, ('संवैधानिक और प्रशासनिक कानून', चौथा संस्करण। ; पीपी। 571-72) "प्रश्नों के लिए नकद" को भी संदर्भित करता है, जो 1993 में शुरू हुआ था। यह आरोप लगाया गया था कि संसद के दो सदस्यों, टिम स्मिथ और नील हैमिल्टन को संसदीय प्रश्नों को प्रस्तुत करने के बदले में भुगतान/उपहार प्राप्त हुए थे। अंततः दोनों ने इस्तीफा दे दिया।

218. सार्वजनिक जीवन में संदिग्ध भ्रष्टाचार-अश्लीलता-के तेजी से बढ़ते और तीव्र होते माहौल के कारण प्रधानमंत्री ने एक

सार्वजनिक जीवन में आचरण के मानकों की न्यायिक जांच।

219. लेखक ने यह भी कहा; "प्रश्नों के लिए नकद भी प्रेस से संबंधित मुद्दों को उठाता है"।

220. समिति ने संसद के अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच की और सजा की सिफारिश की। इसने प्रेस की भूमिका की भी आलोचना की, लेकिन अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

221. सोलोमन आयोग और नोलन समिति ने भी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वत की समस्या पर विचार किया और ऐसे मामलों के मुकदमे के रूप में कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक सिफारिश सहित कुछ सुझाव और सिफारिशें कीं।

222. मैं यह कह सकता हूं कि मैं ऐसे कृत्यों के आपराधिक मुकदमे पर एक या दूसरे तरीके से कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं और न ही पी. वी. नरसिम्हा राव में निर्धारित कानून की शुद्धता या अन्यथा। हालाँकि, मेरे लिए इसमें कोई संदेह नहीं है और यह सर्वसम्मत है कि ऐसे मामलों में संसद के पास निर्णय लेने की शक्ति है। जहाँ तक विशेषाधिकारों का संबंध है, मामला उठाया जाए और यह कानून के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है। यदि यह महसूस होता है कि 'पूछताछ के लिए नकद' का मामला बनाया गया था और यह सदन की ईमानदारी, अखंडता और गरिमा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, तो यह सदन के लिए खुला है कि वह लोकतांत्रिक राजनीति के स्तंभों में से एक में विश्वास की बहाली सुनिश्चित करने का प्रयास करे।

223. फ्रेड हार्वे में मैक लैचलिन, जे. (जैसा कि वह तब थी) द्वारा जो कहा गया है, मैं उससे सहमत हूं, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है:

" यदि लोकतंत्रों को जीवित रहना है, तो उन्हें अखंडता पर जोर देना होगा

उन लोगों में से जो सार्वजनिक पद चाहते हैं और धारण करते हैं। वे विधायिका के भीतर भ्रष्ट प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। न ही वे बर्दाश्त कर सकते हैं।

चुनावी धोखाधड़ी। यदि वे ऐसा करते हैं, तो इसके दो परिणाम सामने आ सकते हैं।

सबसे पहले, [2007] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

628

विधायिका का कार्य बाधित हो सकता है। दूसरा, सार्वजनिक

विधायिका और सरकार में विश्वास कम हो सकता है।

कोई भी लोकतंत्र इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।

(जोर दिया गया)

संपत्ति का दस्तावेज

224. यह तर्क दिया गया था कि संसद सदस्य का निष्कासन एक

कठोर कदम और भले ही सदन के पास ऐसी शक्ति हो, यह नहीं हो सकता है

हल्के से बहाल किया गया। यह आनुपातिकता के सुस्थापित सिद्धांत के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस तरह के कदम से सदस्य को उसकी व्यक्तिगत क्षमता से अधिक नुकसान होगा। यह था, इसलिए, प्रस्तुत किया गया कि किसी सदस्य के दुर्व्यवहार के लिए शक्ति का उचित प्रयोग उसे शेष दिन के लिए, या अधिक से अधिक, सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करना है। यदि कुछ सदस्यों द्वारा कोई मूर्खता की गई है, तो उन्हें सजा दी जा सकती है, लेकिन यह ऐसे कार्य के अनुरूप होना चाहिए जो गंभीर, बहुत कठोर या अनुचित रूप से अत्यधिक न हो, जिससे सदन में प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र को वंचित किया जा सके।

225. अब, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी सदस्य का निष्कासन एक गंभीर बात है

माप और सामान्य रूप से, इसे नहीं लिया जाना चाहिए। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए सुझाव के अनुसार पालि्रयामेंट एक उदार दृष्टिकोण अपना सकता था। लेकिन इसे कानून के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि चूंकि इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप सदन में अपना प्रतिनिधित्व रखने वाले निर्वाचन क्षेत्र से वंचित हो जाता है, इसलिए किसी सदस्य को कभी भी निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यदि निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को एकमात्र विचार माना जाता है, तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप सदन में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न हो। इस तरह की व्याख्या सांविधिक प्रावधानों (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) के साथ-साथ संवैधानिक योजना (अनुच्छेद 84,102,190,191,192, दसवीं अनुसूची, आदि) को गैर-व्यवहार्य, निरर्थक और अनुचित बना देगी। यदि कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाता है या किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसे जाना होगा। और कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक कि नया सदस्य नहीं चुना जाता है, सदन में निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यह अपरिहार्य है और

मदद नहीं की जा सकती।

226. एक पहलू और भी है। एक बार यह स्वीकार किया जाता है कि एक कार्रवाई

किसी सदस्य का निलंबन लिया जा सकता है (और इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था), राजा राम पाल बनाम।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा (सी. के. ठाकर, जे.) 629

मैं यह समझने में विफल हूं कि सिद्धांत रूप में निष्कासन की कार्रवाई असंभव या अवैध क्यों है। किसी दिए गए मामले में, ऐसी कार्रवाई वैध हो सकती है या नहीं भी हो सकती है या इसके लिए कहा जा सकता है, लेकिन सिद्धांत रूप में, यह मानना संभव नहीं है कि जबकि पहला अनुमत है, दूसरा नहीं है। यदि इसे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए संदर्भित किया जाता है, तो जैसा कि राज नारायण में देखा गया है, किसी सदस्य का संक्षिप्त अवधि के लिए भी सदन से हटना सदस्य और उसके निर्वाचन क्षेत्र दोनों के लिए एक गंभीर मामला है। उनकी अनुपस्थिति के दौरान महत्वपूर्ण बहस और वोट हो सकते हैं, भले ही अवधि संक्षिप्त हो और वह अपने दृष्टिकोण या समूह या निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम न हो। हालाँकि, यह एक विशिष्ट संसदीय अपराध, अर्थात् अव्यवस्थित व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की प्रकृति में है। इसके अलावा, यदि सदन को किसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार है, तो

निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होना केवल एक परिणाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि निर्वाचन क्षेत्र जाता है

एक निर्वाचित सदस्य की गरिमा के साथ असंगत और एक निर्वाचित सदस्य से अपेक्षित आचरण के अपमानजनक कार्य के परिणामस्वरूप विधानसभा में प्रतिनिधित्व न होने पर, केवल मतदाताओं को ही एक ऐसे सदस्य को चुनने का दोष लेना होगा जो ऐसे आचरण में लिप्त है जो एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए अनुचित है।

संसद द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना

227. अंत में, यह पुरजोर आग्रह किया गया कि संसद/राज्य विधानमंडल को किसी सदस्य को सदन से निष्कासित करने की इतनी कठोर शक्ति नहीं दी जानी चाहिए।

घर। जैसा कि मेंटलैंड ने कहा है, यह संसद के लिए खुला है कि वह किसी सदस्य को 'बदसूरत चेहरे' के आधार पर निष्कासित करे। ऐसे मामले में भी कोई भी अदालत उन्हें राहत नहीं दे सकती है। जमीनी वास्तविकताओं और सार्वजनिक जीवन में गिरते मानकों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की पूर्ण शक्ति का ठीक से उपयोग करने की तुलना में अधिक दुरुपयोग किया जाएगा।
228. मैं निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी, जहाँ संसद संप्रभु और सर्वोच्च है और सब कुछ कर सकती है लेकिन

महिला एक पुरुष और एक पुरुष एक महिला ', संसद के किसी भी सदस्य को कभी भी' बदसूरत चेहरे 'के आधार पर निष्कासित नहीं किया गया है। और इस चरम तर्क को साबित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक भी घटना नहीं रखी गई है। यहाँ तक कि स्वयं मैटलैंड ने भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा है। इसके विपरीत, उन्होंने

यह स्वीकार किया कि आम तौर पर, निष्कासन की शक्ति का प्रयोग अवैधता या गंभीर प्रकृति के कदाचार के लिए किया जा सकता है।

229. एक बार फिर, यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल संभावना

या सत्ता के दुरुपयोग की संभावना प्रावधान को अधिकार से बाहर या 630 नहीं बनाती है।

[2007] 1 एस. सी. आर:

कानून में बुरा। शक्ति के अस्तित्व (या उपलब्धता) और उसके प्रयोग के बीच अंतर है। शक्ति की वैधता या अन्यथा का निर्णय शक्ति की प्रकृति, उसकी सीमा, जिस निकाय या प्राधिकरण को यह प्रदान किया गया है, जिन परिस्थितियों के तहत इसका प्रयोग किया जा सकता है और अन्य सभी विचारों पर विचार करके किया जाना चाहिए जो इसके लिए प्रासंगिक हैं।

ऐसी शक्ति का प्रयोग। कानून के किसी प्रावधान पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है।

230. राजस्थान राज्य में v. भारत संघ, [1977] 3 एस. सी. सी. 592,658:

ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 1361 में एक समान विवाद पर विचार करते हुए, जे. भगवती ने कहा:

" यह याद रखना चाहिए कि केवल इसलिए कि सत्ता कुछ समय के लिए हो सकती है। दुरुपयोग किया जाना, शक्ति के अस्तित्व को नकारने का कोई आधार नहीं है। द.

मनुष्य का ज्ञान अभी तक सरकार की कल्पना करने में सक्षम नहीं हुआ है।

अपनी सभी वैध आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ और

उसी समय शरारत करने में असमर्थ "।

(जोर दिया गया)

[अजीत कुमार नाग बनाम को भी देखें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, [2005] 7 एससीसी

764] .

231. मुझे याद दिलाया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने पहले लगभग दो बार क्या कहा था

प्रोविडेंस बैंक बनाम में शतक। अल्फेंस बिलिंग्स, 29 यू. एस. 504 [1830]: 7 लॉ एड 939:

संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्देश्य प्रत्येक के लिए सुधार प्रस्तुत करना नहीं था शक्ति का दुरुपयोग जो राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है।

प्रतिनिधि निकाय की रुचि, ज्ञान और न्याय, और

इसके घटकों के साथ इसके संबंध एकमात्र सुरक्षा प्रदान करते हैं जहाँ

अन्यायपूर्ण और अत्यधिक कराधान के खिलाफ कोई स्पष्ट अनुबंध नहीं है, साथ ही आम तौर पर मूर्खतापूर्ण कानून के खिलाफ "।

(जोर दिया गया)

समापन अनुस्मारक

232. मैंने पहले ही माना है कि लिए गए निर्णय, किए गए आदेश, निष्कर्ष

संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अभिलिखित या किए गए निष्कर्ष राजा राम पाल बनाम हैं।

न्यायिक समीक्षा के अधीन, यद्यपि सीमित आधारों और मापदंडों पर। यदि, इसलिए, संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा शक्ति का घोर दुरुपयोग किया जाता है, तो यह न्यायालय आदेश को रद्द करके या अनुचित कार्रवाई को दरकिनार करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में संकोच नहीं करेगा।

233. मुझे याद दिलाया जाता है कि न्यायमूर्ति सरकार ने केशव सिंह में क्या कहा था:

" मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो महसूस करते हैं कि एक विधान सभा पर अवमानना करने की पूर्ण शक्ति के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता है। विधानमंडलों ने संविधान के अनुसार

स्पष्ट रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीजों को सौंपा गया है। संविधान के लागू होने के चौदह वर्षों के दौरान, विधानमंडलों ने इस विचार को सही ठहराने के लिए कुछ नहीं किया है कि वे सत्ता पर भरोसा करने के लायक नहीं हैं। हालांकि मैं कला की ओर इशारा करूंगा। 211 यह लागू करने योग्य नहीं है, विधानमंडलों ने संयम की सराहनीय भावना दिखाई है और इन सभी वर्षों में एक बार भी न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की है। हमें अपने लोगों में विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि विधानमंडल संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों

का दुरुपयोग करेंगे या यह सुरक्षा केवल न्यायिक सुधार में निहित है। इस तरह के सही घर्षण पैदा कर सकते हैं और अच्छे से अधिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। एक आधुनिक राज्य में देश की भलाई के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि समानांतर शक्तियों का अस्तित्व देश में हो।

विभिन्न प्राधिकरण। यह अपरिहार्य नहीं है कि ऐसी शक्तियों का टकराव होगा। यह विचार रखना पराजयवाद होगा कि हमारे देश में इन शक्तियों को सुचारू रूप से काम करने के लिए पुरुष उपलब्ध नहीं होंगे।

टकराव पैदा किए बिना लोगों के सर्वोत्तम हित। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हुआ है वह फिर कभी नहीं होगा और हमारा संविधान देश के विभिन्न अंगों द्वारा काम करेगा।

सौहार्दपूर्ण ढंग से, बुद्धिमानी से, साहसपूर्वक और उस भावना से कहें जिसमें

संविधान निर्माता उनसे कार्य करने की अपेक्षा करते थे।

234. उपरोक्त टिप्पणियों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अपनी ओर से, मैं कह सकता हूं कि मैं एक आशावादी हूं जिसे दोनों में विश्वास और विश्वास है।

ये प्रतिष्ठित इकाइयाँ, अर्थात् विधानमंडल और न्यायपालिका। कुल मिलाकर, इस देश में संवैधानिक कार्यकर्ताओं ने सराहनीय प्रदर्शन किया है कार्य करते हुए, अपनी शक्तियों का प्रभावी ढंग से, कुशलता से और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और आने वाले वर्षों में इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है

साथ ही वे उनसे अपेक्षित जिम्मेदार तरीके से कार्य करना जारी रखेंगे। मुझे समान रूप से विश्वास है कि न केवल राज्य के सभी घटक (2007) 1 एस. सी. आर. रखेंगे।

स्वयं अपने अधिकार के क्षेत्र के भीतर और अतिक्रमण नहीं करेंगे,

अन्य अंगों के प्रांत में अतिक्रमण या अतिक्रमण करना, लेकिन संविधान के संस्थापकों और इस महान देश के लोगों द्वारा एक-दूसरे के प्रति पारस्परिक सम्मान, सम्मान और गरिमा के द्वारा उनमें व्यक्त किए गए विश्वास, विश्वास और विश्वास को संरक्षित करने, संरक्षित करने और

बनाए रखने के लिए भी कार्य करेगा। कुल मिलाकर, स्थिति संतोषजनक है और मुझे भविष्य के लिए निराश होने का कोई कारण नहीं दिखता है।

235. उपरोक्त टिप्पणियों और पवित्र आशा के साथ, मैं रिट को खारिज करता हूं

हालाँकि, याचिका के साथ-साथ सभी हस्तांतरित मामले भी, लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

रवींद्रन, जे।:

" वे तीन महान संस्थान-संसद, प्रेस (मीडिया)

और न्यायाधीश न्याय और स्वतंत्रता के रक्षक हैं, और वे

संविधान की भावना को मूर्त रूप दें "।

- लॉर्ड डेनिंग

मुझे संपूर्ण और विद्वतापूर्ण पढ़ने का सौभाग्य मिला है।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश का निर्णय और विद्वान भाई जे. ठक्कर का उज्ज्वल सहमति वाला निर्णय, लोकसभा के दस सदस्यों और राज्यसभा के एक सदस्य के निष्कासन को बरकरार रखते हुए। मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूँ।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

2. 12.12.2005 पर, एक टीवी समाचार चैनल-आज तक ने कुछ वीडियो दिखाया

कुछ व्यक्तियों के फुटेज, जो कथित तौर पर संसद के सदस्य हैं, सदन में सवाल उठाने या मुद्दे उठाने के लिए पैसे स्वीकार कर रहे हैं। शीर्षक 'ऑपरेशन दुर्योधन' ("प्रश्नों के लिए नकद")। उसी दिन जब सदन की बैठक हुई, माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया:

" माननीय। सदस्यों, कुछ बहुत गंभीर घटनाएँ मेरे सामने आई हैं।

ध्यान दें और कई अन्य माननीय। सदस्य। इसकी जांच की जाएगी।

सभी महत्व के साथ यह योग्य है। मैंने पहले ही बात कर ली है और

सभी माननीय के साथ चर्चा की। विभिन्न दलों के नेता, जिनमें

माननीय। विपक्ष के नेता और सभी इस बात पर सहमत हैं कि मामला

यदि सही साबित हो जाए तो यह बहुत गंभीर है। मैं निश्चित रूप से जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. वी. से पूछूंगा।

माननीय वक्ता, लोक सभा [रवींद्रन, जे.] 633

माननीय। सदस्य यह समझाने के लिए कि क्या हुआ है। इस बीच, मैं उन सभी से एक व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बैठक में शामिल न हों। जब तक मामले पर गौर नहीं किया जाता और निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक सदन का सत्र चलता रहता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन के सभी वर्ग इसके बारे में गहराई से चिंतित हैं। मुझे पता है कि हमें उठना चाहिए

इस अवसर पर और हमें यह देखना चाहिए कि ऐसी घटना न हो

भविष्य में कभी भी ऐसा होता है और यदि कोई दोषी है, तो उसे होना चाहिए

दंडित किया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम निश्चित रूप से जवाब देंगे

यह इस तरह से है जो हमारे साथ व्यवहार करता है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद "।

उसी दिन शाम करीब 6 बजे, माननीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर एक और टिप्पणी की, जिसमें पांच सांसदों की एक जांच समिति के गठन की घोषणा की गई। उस कथन का प्रासंगिक भाग है -

नीचे एड:

" मैंने निर्णय लिया है, जिस पर माननीय ने सहमति व्यक्त की है। नेताओं,

कि सभी संबंधित सदस्यों को अपना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा

14 दिसंबर, 2005 को सुबह 10.30 से पहले टीवी चैनल आज तक पर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में व्यक्तिगत बयान/स्पष्टीकरण। द्वारा दिए गए कथन/स्पष्टीकरण

उन सदस्यों को जांच समिति के समक्ष रखा जाएगा।

निम्नलिखित का अस्तित्व माननीय। सदस्यगण

1 . श्री पवन कुमार बंसल (अध्यक्ष)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा

2

3 . मो. सलीम 4 . प्रो. राम गोपाल यादव

5 . थिरु सी. कुप्पुसामी

समिति से अनुरोध है कि वह 21 तारीख को शाम 4 बजे तक अपनी रिपोर्ट दे। दिसंबर, 2005। समिति अपनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए अधिकृत है। रिपोर्ट को इसके लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

विचार करें "।

लोकसभा सचिवालय ने 12.12.2005 दिनांकित संचार भेजा

सदस्य अनुचित आचरण [2007] 1 एस. सी. आर. के संबंध में अपनी टिप्पणियों की मांग कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

634

वीडियो में दिखाया गया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि जब तक मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वे सदन की बैठक में शामिल न हों। सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की और अपनी ओर से किसी भी गलत काम से इनकार किया। अध्यक्ष ने समाचार चैनल से 'अनुचित आचरण' दिखाने वाले वीडियो फुटेज वाले वी. सी. डी. प्राप्त किए। दस सदस्यों को प्रतियां प्रदान की गईं। वहाँ से। जाँच समिति ने पोर्टल "कोबरापोस्ट" के श्री अनिरुद्ध बहल, सुश्री सुहासिनी राज और श्री कुमार बादल की शपथ पर जाँच की। कॉम "जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था। समिति ने प्रासंगिक वीडियो फुटेज वाले सभी वीसीडी के साथ-साथ असंपादित कच्चे वीडियो फुटेज को भी देखा और प्रतिलेखों का अवलोकन किया। दस सदस्यों ने आरोप लगाया कि वीडियो टेप में छेड़छाड़/हेरफेर किया गया था, लेकिन, हालांकि, समिति की उपस्थिति में वीडियो क्लिपिंग को देखने से इनकार कर दिया और उन हिस्सों को इंगित किया जो उनके अनुसार छेड़छाड़/हेरफेर किए गए थे। उन्हें स्टिंग ऑपरेटरों से पूछताछ करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, न ही उनके द्वारा अनुरोध किए गए पूरे असंपादित वीडियो फुटेज और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां दी गईं।

5. उक्त सामग्री पर विचार करने के बाद, समिति ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया

अध्यक्ष को दिनांकित 22.12.2005 रिपोर्ट। इसे उसी दिन सदन में पेश किया गया था। उक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष शामिल थे:

" (क) पोर्टल "कोबरापोस्ट" के प्रतिनिधि। कॉम "अर्थात्

श्री अनिरुद्ध बहल, सुश्री सुहासिनी राजंद और श्री कुमार

बादल ने प्रतिनिधियों के रूप में सदस्यों से संपर्क किया

कई बिचौलियों के माध्यम से काल्पनिक कंपनी, कुछ

जिनमें से निजी सचिव/व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम कर रहे थे

संबंधित सदस्यों की चींटियाँ। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया

लोकसभा में सवाल उठाने के लिए और उन्हें पैसे की पेशकश करने के लिए

उनके सचिवों/सहायकों के माध्यम से। धन की स्वीकृति
दस सदस्यों द्वारा इस प्रकार स्थापित किया गया था।

(ख) दस सदस्यों द्वारा प्रस्तुत याचिका कि वीडियो फुटेज

रूपांतरित/हेरफेर किए जाने का कोई गुण नहीं है। उनका आचरण था
संसद के सदस्यों का अशोभनीय, अनैतिक और आहूत

सख्त कार्रवाई के लिए।

(ग) बिचौलियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

दलाल और निजी सचिवों के रूप में छद्म वेश धारण करने वाले व्यक्ति

सदस्य चूंकि वे मुख्य रूप से शामिल करने के लिए जिम्मेदार हैं
संसद के सदस्य ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं।

समिति का विचार था कि सदस्यों द्वारा कदाचार या सदस्यों द्वारा सदन की अवमानना के मामले में, सदन निम्नलिखित में से कोई भी दंड लगा सकता है: (i) चेतावनी; (ii) फटकार; (iii) सदन

से वापस लेना; (iv) सदन से निलंबन; (v) कारावास; और (vi) सदन से निष्कासन। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि

23.12.2005 पर, सदन के नेता ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया मकानः

" कि इस सदन ने रिपोर्ट पर ध्यान दिया है

12 दिसंबर, 2005 को गठित समिति कुछ सदस्यों की ओर से अनुचित आचरण के आरोपों की जांच करने के लिए समिति के इस निष्कर्ष को स्वीकार करती है कि दस सदस्यों का आचरण लोकसभा के सदस्य श्री नरेंद्र कुमार कुशवाह, श्री अन्नासाहब एम. के. पाटिल, श्री मनोज कुमार, श्री वाई. जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चंदेल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल चंद्र कोल, श्री राजाराम पाल और श्री चंद्र प्रताप सिंह संसद के सदस्यों के लिए अनैतिक और अशोभनीय थे और लोकसभा के सदस्यों के रूप में उनका बने रहना असमर्थनीय है और वे संकल्प लेते हैं कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए एक सदस्य (प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा) द्वारा पेश प्रस्ताव में संशोधन को खारिज कर दिया गया था। बहस के बाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप

उसी दिन, लोकसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सूचित किया गया था कि 'लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप'

23 दिसंबर, 2005 को दस सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित करते हुए, दस सदस्यों का लोकसभा का सदस्य बनना 23 दिसंबर, 2005 (दोपहर) से समाप्त हो गया।

7. डॉ. छत्रपाल सिंह लोढ़ा, सदस्य से संबंधित तथ्य भी ऐसे ही हैं।

राज्यसभा से। 12.12.2005 पर, राज्यसभा के सभापति ने सदन में एक बयान दिया कि टीवी चैनल पर दिखाई गई घटनाओं से सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को झटका लगा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है

[2007] आई एस. सी. आर.

सदन की ओर से, और यह कि वह इस प्रकरण को अपनी रिपोर्ट के लिए नैतिकता समिति को भेज रहे थे। उसी दिन, नैतिकता समिति ने एक बैठक की और लिया यह विचार कि सदस्य ने प्रथम दृष्टया आचार संहिता के भाग 5 का उल्लंघन किया था, जिसमें कहा गया था:

" सदस्यों को कभी भी किसी भी शुल्क, पारिश्रमिक या भुगतान की अपेक्षा या स्वीकार नहीं करना चाहिए।

सदन के पटल पर उनके द्वारा दिए गए या नहीं दिए गए मत के लिए लाभ

सदन, एक विधेयक पेश करने के लिए, एक प्रस्ताव पेश करने या विरोध करने के लिए

एक संकल्प को आगे बढ़ाने, एक प्रश्न रखने या उससे दूर रहने से प्रश्न पूछना या सदन के विचार-विमर्श में भाग लेना।

या एक संसदीय समिति "।

इसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंतिम निर्णय तक निलंबन की सिफारिश की गई और डॉ. लोढ़ा को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया। उक्त रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। दिनांकित 13.12.2005 पत्र द्वारा। डॉ. लोढ़ा को दोपहर 1 बजे तक 15.12.2005 पर अपनी टिप्पणी देनी थी। इसके बाद समिति ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया था कि सदस्य ने आचार संहिता के भाग 5 का उल्लंघन किया था और इस तरह से काम किया था जिससे गंभीर रूप से नुकसान हुआ था।

सदन की गरिमा को कम किया और संसदीय लोकतंत्र की पूरी संस्था को बदनाम किया। समिति ने डॉ. लोढ़ा की सिफारिश की

सदन की सदस्यता से निष्कासित। 23.12.2005 पर, नैतिकता समिति के अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि इसकी अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए। बहस के बाद, सदन ने ध्वनि मत से रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर सहमति व्यक्त की। इसके परिणामस्वरूप, राज्यसभा के महासचिव ने एक अधिसूचना जारी की दिनांक 23.12.2005 यह घोषणा करते हुए कि डॉ. लोढ़ा उस तारीख से राज्यसभा के सदस्य नहीं रह गए थे।

मुद्दा:

8. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सदस्यता की समाप्ति हो सकती है

संसद के किसी भी सदन का केवल अनुच्छेद 101 और 102 में प्रदान किए गए तरीके से; और निष्कासन के माध्यम से सदस्यता की समाप्ति संसद के संवैधानिक ढांचे से परे है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आधार पर संसद का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, केवल ऐसे भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराए जाने पर जैसा कि नीचे विचार किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 को अनुच्छेद 102 के खंड (1) (ई) के साथ पढ़ा जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 101 और 102 के तहत सदस्यता की समाप्ति के आधारों में कोई वृद्धि नहीं हो सकती है, जब तक कि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 102 (1) (ई) के तहत विचार किया गया है, या एक राजा राम पाल 1 द्वारा किया गया है।

माननीय वक्ता, लोक सभा [रवींद्रन, जे.] 637

स्वयं संविधान में संशोधन। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसदीय विशेषाधिकार के एक हिस्से के रूप में निष्कासन की शक्ति को पढ़ना अस्वीकार्य है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद के पास निष्कासन (सदस्यता की स्थायी समाप्ति) की कोई शक्ति नहीं है। दूसरी ओर, भारत संघ और महान्यायवादी का कहना है कि संसद के पास ऐसी शक्ति है। दावा दो आधारों पर आधारित है। पहला यह है कि रिक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 101 संपूर्ण नहीं है। दूसरा यह है कि किसी सदस्य को निष्कासित करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 105 (3) के तहत संसद को प्रदान की गई शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का एक हिस्सा है, और यह अनुच्छेद के तहत विचारित 'अयोग्यताओं' से अलग और अलग है।

102 .

9. जब घटना हुई, तो माननीय की प्रतिक्रिया। अध्यक्ष और

संसद ने उन लोगों के खिलाफ त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई करते हुए, जिन्हें मतदाताओं द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के साथ विश्वासघात के रूप में देखा गया था, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखने और संसद को उन तत्वों से शुद्ध करने के लिए अपनी चिंता दिखाई जो महान संस्था को बदनाम कर सकते हैं। लेकिन, कार्रवाई चाहे कितनी भी प्रामाणिक या सराहनीय क्यों न हो, जब इसे चुनौती दी जाती है

असंवैधानिक, संविधान के दुभाषिया और संरक्षक के रूप में इस न्यायालय के पास कार्रवाई की वैधता पर निर्णय देने का नाजुक कार्य है, न कि कर्तव्य। जांच करने से इनकार करने या दूर रहने का कोई सवाल ही नहीं है।

मुद्दा केवल इसलिए है क्योंकि कार्रवाई को संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में लाने की मांग की गई है। संसदीय शक्ति और विशेषाधिकार की सीमा, और क्या चुनौती दी गई कार्रवाई ऐसी शक्ति और विशेषाधिकार के प्रयोग में है,

ऐसे मामले भी हैं जो इस न्यायालय के निर्धारण के लिए आते हैं। इस संदर्भ में, मैं उपयोगी रूप से राजस्थान राज्य बनाम में भगवती, जे. (जैसा कि उनका प्रभुत्त्व तब था) के शब्दों का उल्लेख कर सकता हूं। भारत संघ, आकाशवाणी (1977) एस. सी. 1361:

" लेकिन केवल इसलिए कि एक प्रश्न का एक राजनीतिक रंग होता है, जो अपने आप में कोई आधार नहीं है कि न्यायालय को संविधान के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने से क्यों सिकुड़ना चाहिए यदि वह संवैधानिक निर्धारण का मुद्दा उठाता है, तो न्यायालय निराशा में हाथ नहीं मोड़ सकता है और "न्यायिक हाथों को बंद" घोषित नहीं कर सकता है। जब तक कोई सवाल उठता है कि क्या संविधान के तहत किसी प्राधिकरण ने अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर काम किया है या उसे पार किया है, यह निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।

वास्तव में ऐसा करना उसका संवैधानिक दायित्व होगा। .... यह न्यायालय संविधान और इसके लिए अंतिम दुभाषिया है

न्यायालय को यह निर्धारित करने का नाजुक कार्य सौंपा गया है कि सरकार की प्रत्येक शाखा को क्या शक्ति प्रदान की गई है, क्या यह सीमित है, और [2007] आई. एस. सी. आर.

यदि हां, तो सीमाएँ क्या हैं और क्या उस शाखा की कोई कार्रवाई है?

इस तरह की सीमाओं का उल्लंघन करता है। यह इस न्यायालय का काम है कि वह संविधान को कायम रखे

संवैधानिक मूल्यों को लागू करना और संवैधानिक सीमाओं को लागू करना। कि

यह कानून के शासन का सार है। ”
जहाँ सत्ता का स्पष्ट रूप से अनधिकृत प्रयोग किया जाता है

संविधान में, हस्तक्षेप करना न्यायालय का कर्तव्य है। ऐसा न होने दें।

यह भूल जाना चाहिए कि इस न्यायालय के लिए उतना ही जितना कि अन्य शाखाओं के लिए

सरकार, संरक्षण और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है
लोकतांत्रिक मूल्य। न्यायालय का कार्य उन मूल्यों की पहचान करना है

संवैधानिक योजना और उन मामलों में उन्हें जीवन में काम करने के लिए जो

अदालत तक पहुँचें। न्यायालय इससे बच नहीं सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए।

जिम्मेदारी "।

[जोर दिया गया]

10. हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि याचिकाकर्ता दोषी हैं या नहीं।

प्रश्न पूछने या संसद में मुद्दे उठाने के लिए पैसे लिए हों। सवाल यह है कि चाहे वे दोषी हों या नहीं, संसद के पास उन्हें निष्कासित करने की शक्ति है, जिससे उनकी सदस्यता स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। उठाए गए तर्कों पर, इसलिए जो प्रश्न विचार के लिए उठते हैं, वे हैं -

" (1) . क्या अनुच्छेद 101 और 102 के संबंध में संपूर्ण हैं

सदन द्वारा निष्कासन, एक मोड के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है सदस्यता की समाप्ति की अनुमति नहीं है।

((ii) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो

क्या संसद के पास अपने सदस्यों को निष्कासित करने की शक्ति है (जिसके परिणामस्वरूप सदस्यता की स्थायी समाप्ति) एक भाग के रूप में

अनुच्छेद 105 (3) के तहत इसकी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति।

प्रासंगिक सिद्धांत:

11. मैं सबसे पहले इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख कर सकता हूं:

पहले प्रश्न के संदर्भ में संवैधानिक व्याख्या।

ब्रिटिश संसद के विपरीत, भारतीय संसद नरम नहीं है।

आई.

1 राजा राम पाल बनाम। सम्मानीय वक्ता, लोक सभा [रवींद्रन, जे.] 639

इग्न। यह संविधान है जो सर्वोच्च और संप्रभु है

और संसद को सीमाओं के भीतर काम करना होगा।

संविधान द्वारा लागू:

12. ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश संसद के बीच एक स्पष्ट अंतर है

भारतीय संसद। ब्रिटिश संसद संप्रभु है। विशिष्टताओं में से एक

ऐसी संप्रभुता किसी भी कानून को बनाने या हटाने का अधिकार है जो कोई अदालत या अदालत नहीं है। शरीर या व्यक्ति अलग रख सकते हैं या ओवरराइड कर सकते हैं। दूसरी ओर, भारतीय

संसद संविधान और इसकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रावधानों की रचना है।

दायित्व संविधान द्वारा निर्दिष्ट और सीमित हैं। एक विधायिका

लिखित संविधान द्वारा बनाए गए संविधान को अपनी शक्ति के दायरे में कार्य करना चाहिए

संविधान द्वारा परिभाषित और द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन संविधान। संविधान के विपरीत संसद का कोई कार्य या कार्रवाई

राष्ट्रीय सीमाएँ शून्य होंगी।

13. री आर्ट में। 143 , भारत का संविधान और दिल्ली कानून अधिनियम, आकाशवाणी

(1951) एस. सी. 332, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" भारतीय और ब्रिटिश के बीच एक बुनियादी अंतर है

इस संबंध में संसद। इसकी कोई संवैधानिक सीमा नहीं है।

ब्रिटिश संसद को अपनी शक्तियाँ सौंपने से रोकें जहाँ वह

होगा, लेकिन भारतीय संसद विधायी निकाय के रूप में बंधी हुई है

एक लिखित संविधान और इसके पास संप्रभु ई नहीं है

ब्रिटिश संसद की शक्तियाँ। शक्तियों की सीमाएँ

इसलिए भारत में प्रतिनिधिमंडल का पता लगाना होगा संविधान के प्रावधानों से निर्माण का मामला

स्वयं "। .....

11 - एम.

[जोर दिया गया]

1964 के यूपी विधानसभा मामले के विशेष संदर्भ संख्या 1 में, [1965] I एससीआर 413 ; सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" इंग्लैंड में, संसद संप्रभु है और डाइसी के शब्दों में, जी

संसदीय सोवियत के सिद्धांत की तीन विशिष्ट विशेषताएं

अधिमान्यता यह है कि संसद को किसी भी चीज़ को बनाने या हटाने का अधिकार है।

कानून जो भी हो, कि किसी भी व्यक्ति या निकाय को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है

इंग्लैंड को कानून को ओवरराइड या अलग करने का अधिकार है

संसद, और संसद का अधिकार या शक्ति [2007] 1 एस. सी. आर. तक फैली हुई है।

640

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रानी के प्रभुत्व का हर हिस्सा। दूसरी ओर,

निकायों के बीच कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण जो हैं एक-दूसरे के साथ समन्वय और स्वतंत्र रहें। सर्वोच्चता

संविधान का एक संघीय के अस्तित्व के लिए मौलिक है

संघीय इकाई के विधानमंडल को रोकने के लिए राज्य या सदस्य राज्यों के उन लोगों को नष्ट करने या बाधित करने से

उनकी व्यक्तित्व को एकता में मिला दें। कॉन्स्टी की यह सर्वोच्चता शिक्षा एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण द्वारा संरक्षित है।

वितरण की योजना के दुभाषिया के रूप में कार्य करने के लिए निकाय

शक्तियाँ।

" इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि यद्यपि हमारा विधान

शासन में पूर्ण शक्तियाँ होती हैं, वे पूर्व की सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं।

संविधान की सामग्री और प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा लिखित।

एक लिखित संविधान द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में, यह है संविधान जो सर्वोच्च और संप्रभु हो। इसलिए,

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संप्रभुता जिसका दावा किया जा सकता है

इंग्लैंड में संसद द्वारा, किसी भी विधानमंडल द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है

भारत में शाब्दिक पूर्ण अर्थों में। हम कोई कठिनाई महसूस नहीं करते हैं

अभिनिर्धारित करते हुए कि अनुच्छेद 194 (3) के निर्माण के बारे में निर्णय अंततः यह विशेष रूप से इस देश की न्यायपालिका के पास होना चाहिए। ”

:

" ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 212 (1) एक नागरिक के लिए हस्तक्षेप करना संभव बनाता है।
उपयुक्त न्यायालय में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न

विधायी कक्ष के अंदर अगर उसका मामला यह है कि उक्त
कार्यवाहियाँ केवल प्रक्रिया की अनियमितता से पीड़ित नहीं होती हैं, बल्कि

प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत होने पर इस तरह की जांच निषिद्ध है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि प्रक्रिया अनियमित थी।

[जोर दिया गया]

केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य, [1973] 4. एस. सी. सी. 225, यह देखा गया कि संविधान सर्वोच्च होने के कारण, सभी अंग, अपने दायित्वों के लिए ऋणी हैं।

उसका अस्तित्व। प्रत्येक अंग को जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. वी. के चार कोनों के भीतर कार्य करना होता है।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा (रवींद्रन, जे.) 641 राष्ट्रीय प्रावधान। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत

इंग्लैंड में भारत में प्रदान की गई सीमा को छोड़कर प्रबल नहीं है।

संविधान। न्यायपालिका को इसका अर्थ निकालने का कार्य सौंपा गया है

संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।

तत्काल, राजस्थान राज्य (ऊपर) में, इस न्यायालय ने दोहरायाः

" स्पष्ट शब्दों में जोर देना आवश्यक है, विशेष रूप से

हाल के इतिहास के संदर्भ में, कि संविधान सर्वोच्च लेख है,

देश का सर्वोच्च कानून, और कोई विभाग या शाखा नहीं है

इसके ऊपर या उससे परे सरकार की। सरकार का प्रत्येक अंग,

यह कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका, अपने व्युत्पन्न करता है संविधान से अधिकार और इसे सीमाओं के भीतर कार्य करना होगा

अपने अधिकार से "।

[जोर दिया गया]

न्यायिक जवाबदेही समिति v. भारत संघ, [1991] 4

99 , इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया:

" लेकिन जहाँ, इस देश में और इंग्लैंड के विपरीत, एक है

और संविधान के तहत अनुदान प्राप्तकर्ताओं के रूप में राज्य के अन्य अंग, संसदीय संप्रभुता की सामान्य घटनाएं प्राप्त नहीं होती हैं और

अवधारणा 'सीमित सरकार' में से एक है। न्यायिक समीक्षा है,

वास्तव में, एक घटना और फंडामेन की इस अवधारणा से प्रवाहित होती है

ताल और उच्च कानून की सीमाओं की कसौटी है

राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ जो शक्ति प्राप्त करती हैं और

संविधान के तहत प्राधिकरण और यह कि न्यायिक शाखा है

संविधान का दुभाषिया और इसलिए, की सीमाओं का

राज्य के विभिन्न अंगों का प्राधिकार। यह ध्यान देने योग्य है कि

यह "। " एक संघीय व्यवस्था में, न्यायपालिका का संरक्षक बन जाता है

संविधान। कानूनी के रूप में संविधान की व्याख्या

लिखत और उसका दायित्व न्यायालयों का कार्य है। "[2007] 1 एस. सी. आर.

II. जब कोई क़ानून, कुछ के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है

इससे बचने के लिए मामले, जो एक पूर्व कानून के संदर्भ द्वारा भी शामिल किए गए हैं

पूर्ववर्ती कानून में उपबंधित मामलों का पुनरुत्पादन,
तब जो इस तरह के संदर्भ द्वारा निगमित माना जाता है, वे हैं

केवल पहले के क़ानून के वे प्रावधान जो मामलों से संबंधित हैं

बाद के क़ानून में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, और जो कॉम हैं

बाद के क़ानून के स्पष्ट प्रावधानों के साथ संगत।

14. संदर्भ द्वारा निगमन का विधायी साधन सर्वविदित है।

जहां विधायिका, किसी अन्य क़ानून में किसी विशेष क़ानून के प्रावधानों को दोहराने के बजाय, पहले के क़ानून के संदर्भ में बाद के क़ानून में ऐसे प्रावधानों को शामिल करती है। यह एक विधायी उपकरण है जिसे सुविधा के लिए अपनाया गया है ताकि पहले के क़ानून के प्रावधानों को बाद में शाब्दिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने से बचा जा सके। [मैरी रॉय बनाम देखें। केरल राज्य, [1986] 2 एस. सी. सी 209]। लॉर्ड एशर एम. आर. ने प्रभाव बताया

क्लार्क बनाम में निगमन। ब्रैडलॉफ, (1881) (8) क्यू. बी. डी. 63] इस प्रकार:

" यदि कोई अनुवर्ती अधिनियम संदर्भ द्वारा कुछ को अपने में लाता है

एक पूर्व अधिनियम के खंड, उसका कानूनी प्रभाव, जैसा कि अक्सर किया गया है

अभिनिर्धारित, उन धाराओं को नए अधिनियम में लिखना है जैसे कि वे थे

वास्तव में इसमें कलम से लिखा जाता है, या उस पर मुद्रित किया जाता है।

15. उत्तर प्रदेश विधानसभा मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद पर विचार करते हुए

194 (3) , संविधान के अनुच्छेद 105 (3) की सामग्री के समान, इसके दायरे को इस प्रकार संदर्भित किया गया है:

" श्री सीरवई का तर्क है कि कला का अंतिम भाग। 194 (3)

स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सभी शक्तियाँ जो सदन में निहित हैं
प्रासंगिक समय पर कॉमन्स का, सदन में निहित। यह व्यापक

हालाँकि, दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि

अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से संप्रभु और एक अनुग्रह है
उनके शब्दों पर रखे गए सक्षम निर्माण को न्यायसंगत रूप से माना जाता था

कॉमन्स मौलिक विशेषाधिकार के रूप में "। यह इंगित करना शायद ही आवश्यक
है

कि सदन इस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसी तरह,

प्राप्तकर्ता के कार्यों को पारित करने का विशेषाधिकार और महाभियोग का
विशेषाधिकार राजा राम पाल v.

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा (रवींद्रन, जे.) 643

अपने स्वयं के संविधान के संबंध में विशेषाधिकार का दावा करता है। यह
विशेषाधिकार तीन
तरीकों से व्यक्त किया जाता है, पहले भरने के लिए नए रिट के क्रम से

संसद के दौरान कॉमन्स में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां;

दूसरा, विवादित चुनावों के परीक्षण द्वारा; और तीसरा, द्वारा

संदेह के मामलों में अपने सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना। यह
मान लीजिए, सदन द्वारा फिर से विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। वहाँ

इससे पहले, यह कहना सही नहीं होगा कि सभी शक्तियाँ और विशेषाधिकार
जो संबंधित में हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार में थे

सदन द्वारा समय का दावा किया जा सकता है।

16. छबीलदास मेहता बनाम। विधानसभा, गुजरात राज्य,

1970 गुज। एल. आर. 729, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने मुख्य न्यायाधीश भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" हमारे सामने समस्या यह है कि क्या इस विशेषाधिकार को पढ़ा जा सकता है।

अनुच्छेद 194 (3)। यह कहना इस समस्या का कोई जवाब नहीं है कि 'पढ़ें

अनुच्छेद 194 (3) में विशेषाधिकार और फिर इसे दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें।

प्रावधान '। यदि विशेषाधिकार योजना के साथ असंगत है

संविधान और इसके भौतिक प्रावधान, यह नहीं कर सकता और न ही होना चाहिए

अनुच्छेद 194 (3) में पढ़ा जाए। कॉन्स्टी का अनुमानित इरादा ऐसे मामले में शिक्षा-निर्माता यह होगा कि इस तरह का विशेषाधिकार होना चाहिए

विधानमंडल के सदन से संबंधित नहीं है।

[जोर दिया गया]

17. हरद्वारी लाल बनाम। भारत का चुनाव आयोग, (1977) 2

पुंज। & हर. 269 , विधायिका के किसी सदस्य के निष्कासन की वैधता पर विचार किया गया। एक विस्तृत चर्चा के बाद, बहुमत ने पाया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की अपने किसी भी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति, अपने स्वयं के संविधान को प्रदान करने और विनियमित करने के विशेषाधिकार से प्रवाहित होती है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निष्कासन की ऐसी शक्ति भारतीय संसद के पास उपलब्ध नहीं थी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लिखित संविधान संसद के गठन, चुनावों, सीटों की छुट्टी और सदस्यता के लिए अयोग्यता के लिए विस्तृत प्रावधान करता है। संधवालिया, जे. (जैसा कि वे तब कर रहे थे) ने पूर्ण पीठ के बहुमत के लिए बोलते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

" यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 194 (3) की भाषा को ध्यान में रखते हुए

[2007] 1 एस. सी. आर. के सदन द्वारा प्राप्त प्रत्येक संसदीय विशेषाधिकार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिना किसी अपवाद के कॉमन्स को ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि यह वास्तव में संविधान में ही कलम और स्याही से लिखा गया हो। उत्तरदाताओं के अनुसार, शुरुआत में हाउस ऑफ कॉम की हर शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा को बिना किसी शर्त के पढ़ना चाहिए।

खंड (3) के भीतर और इसके परिणामस्वरूप भारत में राज्य विधानमंडलों द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसा करने के बाद, किसी को संविधान के शेष प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और यदि कोई शक्ति, विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा सीधे किसी स्पष्ट या विशेष प्रावधान के साथ टकराव या उल्लंघन करती है। तब इसका क्षरण इस आधार पर किया जा सकता है कि सदन के लिए इसका प्रयोग करना संभव नहीं है। फिर भी यह हठधर्मिता से कहा गया था कि प्रत्यक्ष या अपरिवर्तनीय संघर्ष के मामले में भी, विशेषाधिकार को संविधान में पढ़ा जाना चाहिए और इसे आवश्यक रूप से हटा दिया जाना या उससे बाहर नहीं माना जाना चाहिए। संक्षेप में, विद्वान महाधिवक्ता ने कुछ समय के लिए संविधान के अनुच्छेद 194 (3) के निर्माण के लिए 'कलम और स्याही सिद्धांत' की स्वीकृति के लिए प्रचार किया।

(237) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ संसदीय विशेषाधिकार अपनी प्रकृति से हमारे रिपब्लिकन संविधान के लिए इतने स्वाभाविक रूप से विदेशी हैं कि उन्हें संभवतः कभी भी इसका हिस्सा नहीं माना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस स्थिति में निर्माण का एकमात्र उचित और सुसंगत सिद्धांत यह था कि सभी संसदीय प्रिवी

हाउस ऑफ कॉमन्स के कानून जो अपने सार में और अपनी आंतरिक प्रकृति से भारतीय संविधान के स्पष्ट रूप से विरोधाभासी थे, तो इन्हें अनिवार्य रूप से बहुत हद तक बाहर रखा जाना चाहिए। (238) मेरा मानना है कि प्रत्यर्थी की ओर से तर्क की भ्रांति को उजागर किया जाता है, जिस क्षण कोई इसे विशिष्ट करता है और हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ प्रसिद्ध और स्वीकृत विशेषाधिकारों को संदर्भित करता है। हमारे सामने यह स्वीकार किया गया था कि एक नहीं बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स की असंख्य संसदीय शक्तियां और विशेषाधिकार संप्रभु, यानी इंग्लैंड के राजा या रानी, के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए थे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उसमें उल्लिखित 'राजा' या 'रानी' शब्द को माना जाना चाहिए -

हमारे संविधान में भी कलम और स्याही से लिखा गया है जब इसकी प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत के लोगों के पास जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. 12 है।

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा (रवींद्रन, जे.) 645

स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में गठित किया

क्रेटिक गणराज्य। ? विशेष रूप से, कोई स्वीकार किए जाने पर विचार कर सकता है

संप्रभु तक पहुँच की स्वतंत्रता का संसदीय विशेषाधिकार जिसमें हर समय अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राजा के साथ याचिका दायर करने, परामर्श देने या विरोध करने का अधिकार शामिल है। यह स्वीकार किया जाता है

सभी हाथों को एक संसदीय विशेषाधिकार माना जाता था

हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा मौलिक और निस्संदेह आनंद लिया इसके द्वारा। क्या एक पल के लिए यह कल्पना की जा सकती है कि भारत का रिपब्लिकन संविधान अपने राज्य विधानमंडलों के लिए इस विशेषाधिकार को शामिल करेगा?

लेटर्स। कोई भी कैसे कल्पना कर सकता है कि में संस्थापक पिता

संविधान सभा ने भी ऐसा विशेषाधिकार लिखने का इरादा किया था हमारे संविधान में और इसे इसका अभिन्न अंग मानने के लिए? यदि हां, तो राज्य विधानमंडलों को किसके पास याचिका दायर करनी थी और वे किसके पास थीं। संस्थान की स्पष्ट अनुपस्थिति में भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सलाह दें या विरोध करें।

यहाँ राजतंत्र का शासन?

(239) इसी तरह एक नहीं बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स के दसियों संसदीय विशेषाधिकार हैं जो इसके साथ निकटता से जुड़े हुए हैं

इंग्लैंड में वंशानुगत हाउस ऑफ लॉर्ड्स। विशेष रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अदालत के रूप में निर्णय पारित करके सदन के अवमानकों को दंडित करने की शक्ति निस्संदेह थी। क्या कोई पढ़ सकता है या कल्पना भी कर सकता है?

हमारी राजनीति के भीतर एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब संविधान

स्वयं के आधार पर किसी भी शीर्षक के संदर्भ को भी अस्वीकार करता है केवल आनुवंशिकता और रक्त? इस प्रकृति के अन्य उदाहरण हो सकते हैं

शायद अनंत काल तक गुणा किया जा सकता है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के दो अन्य निस्संदेह विशेषाधिकारों का उल्लेख करना शायद पर्याप्त होगा। यह विवाद में नहीं है कि उक्त

सदन अपेक्षाकृत अप्रतिबंधित था। महाभियोग की शक्ति जिसके द्वारा इसने अभियोजक के रूप में कार्य किया जबकि

हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसके लिए अंतिम न्यायालय या न्यायनिर्णायक था।

महाभियोग का सामान्य संसदीय विशेषाधिकार (उन लोगों के अलावा जो संविधान के संदर्भ में प्रदान करता है) या सादृश्य द्वारा विशिष्ट ऐतिहासिक स्थिति में राज्यसभा जो इंग्लैंड में अंतिम न्यायालय के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है? फिर से हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग की इस सामान्य शक्ति से निकटता से संबंधित अधिनियमों या प्राप्तकर्ता को पारित करने का विशेषाधिकार था जो संदर्भ और प्रभाव में थे।

इसका अर्थ था महाभियोग के दौरान निर्णय पारित करने का अप्रतिबंधित अधिकार। क्या एक पल के लिए ऐसी शक्ति या विशेषाधिकार [2007] 1 एस. सी. आर. को पढ़ा जा सकता है?

646

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(240) मेरा मानना है कि पहले पढ़ना अनिवार्य रूप से स्वाभाविक है। संविधान में कुछ और अगली सांस में आगे बढ़ने के लिए

उसी को मिटाने के लिए। यह अभ्यास अपरिहार्य हो जाता है, अगर

उत्तरदाताओं की ओर से कहा गया है कि पहले राजा को पढ़ना है, रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या अटेंडर के अधिनियम

संविधान और उसके बाद उन्हें मैदान पर रद्द करने के लिए आगे बढ़ना

इस आधार पर कि चीजों की प्रकृति से वे इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं

एक रिपब्लिकन संविधान। कलम और स्याही सिद्धांत, इसलिए,

प्रभाव वास्तव में एक कलम, स्याही और भारत रबर सिद्धांत बन जाता है जिसके द्वारा

पहले संविधान के लिए पूरी तरह से अलग कुछ लिखते हैं। यह और अगले पल इसे रगड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यह अच्छी तरह से तय है कि

जब एक क़ानून में दूसरे के संदर्भ में कुछ शामिल होता है

केवल तभी प्रावधान जिसे शामिल माना जा सकता है जो है

मूल प्रावधान के साथ संगत। इसलिए मेरे मन में,

अनुच्छेद 194 (3) को समझने का सादा तरीका सामान्य है और

इसमें कुछ नहीं पढ़ने का फैसला किया जो स्पष्ट रूप से है

असंगत, अव्यवहारिक और तर्कहीन "।

[जोर दिया गया]

III. विदेशी न्यायालयों के निर्णय, हालांकि समझने के लिए उपयोगी हैं

विभिन्न संवैधानिक दर्शन और कानून में रुझान, साथ ही भारतीय क़ानूनों में अंतर्निहित सामान्य कानून सिद्धांत सीमित हैं।

या भारतीय संविधान के विशेष प्रावधानों की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं

संविधान, विदेशी संविधानों के प्रावधानों से भिन्न।

19. भारत का संविधान संविधानों से काफी अलग है -

अन्य देश। इसे इस देश की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में बनाया गया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने जाली समाधान बनाए और उन्हें शामिल किया। उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के साथ कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका से संबंधित व्यापक प्रावधान किए। संसद के संबंध में विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान करते समय, संविधान ने उन क्षेत्रों को भी निर्धारित किया जहां संसद द्वारा कानून द्वारा आगे के प्रावधान किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, इंग्लैंड का संविधान अलिखित और लचीला है। सरकारी शक्ति के प्रयोग के वितरण और विनियमन को लेखन तक सीमित नहीं किया गया है। आगे ब्रिटिश

संसद, एक समय में, न्याय का सर्वोच्च न्यायालय भी था और क्योंकि राजा राम पाली।

इसके सभी परिचर ट्रैपिंग के साथ, इसे रिकॉर्ड का एक उच्च न्यायालय माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक छोटा और कठोर संविधान है, जिसे अदालतों द्वारा काफी स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान स्वयं संविधान निर्माताओं द्वारा विस्तृत और पर्याप्त रूप से समझाया गया है। वास्तव में, 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों के साथ, यह दुनिया के संविधानों में सबसे लंबा है।

20. रे में। मोटर स्पिरिट और स्नेहक की सी. पी. और बरार बिक्री

कराधान अधिनियम, 1938 केंद्रीय प्रांत मामला ए. आई. आर. (1939) एफ. सी. 1, संघीय न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" क्योंकि अंतिम विश्लेषण में निर्णय संविधान के शब्दों पर निर्भर होना चाहिए जिसकी अदालत व्याख्या कर रही है और चूंकि कोई भी दो संविधान समान शब्दों में नहीं हैं, इसलिए यह मान लेना बेहद असुरक्षित है कि उनमें से एक पर निर्णय दूसरे के लिए योग्यता के बिना लागू किया जा सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब दोनों मामलों में उपयोग किए गए शब्द या अभिव्यक्तियाँ समान हों, क्योंकि कोई शब्द या वाक्यांश अपने संदर्भ से एक रंग ले सकता है और तदनुसार अलग-अलग इंद्रियों को धारण कर सकता है।

एम. पी. वी. सुंदरमियर एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1958) एस. सी. 468, इस न्यायालय ने आगाह किया:

" हमारे संविधान के धागे निस्संदेह अन्य संघीय संविधानों से लिए गए थे, लेकिन जब उन्हें संविधान के ताने-बाने में बुना गया था।

हमारा संविधान उनकी पहुंच और उनके रंग से गुज़रा है

परिवर्तन होता है। इसलिए, अमेरिकी निर्णय उतने ही मूल्यवान हैं जितना कि यह दर्शाते हुए कि इस प्रश्न को बहन संघीय संविधान में कैसे निपटाया जाता है, उन्हें व्याख्या में लागू करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए।

हमारे संविधान का "।

अतिबाड़ी टी कंपनी लिमिटेड बनाम में सावधानी के नोट को दोहराया गया था। असम राज्य, ए. आई. आर. (1961) एस. सी. 232 और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम। राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. (1962) एस. सी. 1406, U.P.Assembly मामला (ऊपर), और कई अन्य बाद के निर्णय।

भारतीय संविधान के प्रावधान:

21. भाग 5 के अध्याय I, II और IV कार्यपालिका, संसद और केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित हैं। अध्याय के प्रावधानों के लिए विस्तृत संदर्भ आवश्यक है। II संसद से संबंधित।

21.1) अनुच्छेद 79 संसद के संविधान से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि

संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्य परिषद और लोक सभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 80 में प्रावधान है कि राज्य परिषद की संरचना राष्ट्रपति द्वारा नामित बारह सदस्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से बनी होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि लोकसभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें संसद कानून द्वारा प्रदान करे। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि निर्धारित करता है। इसके प्रासंगिक भाग नीचे निकाले गए हैं:

" 83. संसद के सदनों की अवधि। - (1) राज्य परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन संसद द्वारा कानून द्वारा उस ओर किए गए प्रावधानों के अनुसार, उसके सदस्यों में से लगभग एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

(2) लोक सभा, जब तक कि जल्द ही भंग नहीं हो जाती है, अपने पहले कार्यकाल के लिए निर्धारित तिथि से [पाँच साल] तक जारी रहेगी।

बैठक और अब नहीं और [पाँच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में कार्य करेगी। :

अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सदनों का सत्रावसान और लोक सभा को भंग करने का प्रावधान है। 21.2) अनुच्छेद 84 पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए योग्यताओं की गणना करता है। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 102 के खंड (1) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा:

" क) यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का कोई पद रखता है।

या संसद द्वारा कानून द्वारा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने वाले कार्यालय के अलावा किसी भी राज्य की सरकार; राजा राम पाल v.

सम्मानीय वक्ता, लोक सभा [रवींद्रन, जे.] 649

यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक द्वारा घोषित किया गया है

ख)

सक्षम न्यायालय;

यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है;

(ग)

यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से

(घ)

किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी भी स्वीकृति के तहत है;

यदि वह पार्लिया द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है

ई)

मन में "।

अनुच्छेद 102 के खंड (2) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

21.3) अनुच्छेद 101 सीटों की छुट्टी से संबंधित है। इसका खंड (1) किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों का सदस्य होने पर रोक लगाता है और इसकी अपेक्षा करता है -

संसद किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे दोनों सदनों के सदस्य के रूप में चुना जाता है, एक या दूसरे सदन में अपनी सीट से अवकाश के लिए कानून द्वारा प्रावधान करेगी। खंड (2) किसी व्यक्ति को संसद और संसद दोनों का सदस्य होने से रोकता है।

किसी राज्य के विधानमंडल का सदन। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के सदन दोनों के सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती है, संसद में उस व्यक्ति की सीट तब तक खाली हो जाएगी जब तक कि उसने राज्य के विधानमंडल में अपनी सीट से पहले इस्तीफा नहीं दे दिया हो। खंड (3), जो प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

" (3) यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो

में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है

अ)

अनुच्छेद 102 का खंड (1) या खंड (2); या

(ख) यथास्थिति, सभापति या सभापति को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिख कर अपने पद से त्यागपत्र देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

होना,

उसके बाद उनकी सीट खाली हो जाएगी। "(2007)

खंड (4) में प्रावधान है कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है।

21.4) अनुच्छेद 103 अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित है।

सदस्यों का। इसे नीचे निकाला गया है:

" 103. सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रश्नों पर निर्णय:

(1) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी भी सदन का कोई सदस्य है

संसद की किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गई है
अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लिखित प्रश्न निर्दिष्ट किया जाएगा।

राष्ट्रपति के निर्णय और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और कार्य करेगा।

72

ऐसी राय के अनुसार।

राज्य विधानमंडलों के संबंध में संगत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 168,170,171,172,174,173,191,190 और 192 में पाए जाते हैं।

21.5) यह ध्यान देने योग्य है कि निष्कासन का एक तरीके के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है

संविधान के तहत संसद की सदस्यता की समाप्ति। न ही यह एक रिक्ति को जन्म देता है।

21.6) अनुच्छेद 105 सदनों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है।

संसद और उसके सदस्यों और समितियों की। खंड (1) से (3) जो प्रासंगिक हैं, नीचे दिए गए हैं:

" 105. संसद के सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि

इसके सदस्य और समितियाँ। - (1) प्रावधानों के अधीन

इस संविधान और विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के लिए संसद की प्रक्रिया में बोलने की स्वतंत्रता होगी।

संसद।

(2) संसद का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी न्यायालय द्वारा कही गई किसी भी बात या उसके द्वारा दिए गए किसी भी मत के संबंध में

संसद या उसकी कोई समिति, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा

आर. ए. जे. ए. आर. ए. एम. पी. ए. एल. द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी।

माननीय वक्ता, लोक सभा [रवींद्रन, जे.] 651

संसद के किसी भी सदन की रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही

िंग्स।

(3) अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद द्वारा समय-समय पर कानून द्वारा परिभाषित की जा सकें, और जब तक इस तरह परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक वे उसी की होंगी।

संविधान की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले सदन और उसके सदस्यों और समितियों का (44)

संशोधन) अधिनियम, 1978 "।

राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों के संबंध में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 194 है। "संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से तुरंत पहले सदन और उसके सदस्यों और समितियों के शब्द होंगे" अनुच्छेद 105 और 194 के खंड (3) में पहले के शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है "संविधान के प्रारंभ में यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके सदस्यों और समितियों के शब्द होंगे"। संशोधन के बाद भी स्थिति वही है जो संविधान के प्रारंभ में मौजूद थी।

21.7) संसद से संबंधित अध्याय 2 के अन्य प्रावधानों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 106 वेतन और भत्तों से संबंधित है -

सदस्य। अनुच्छेद 86 से 88 राष्ट्रपति, मंत्रियों और महान्यायवादी के सदनों को संबोधित करने के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 89 से 98 संसद के अधिकारियों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 99 पद की शपथ का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 107 से 111 विधायी से संबंधित हैं।

प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 में परिचय के बारे में प्रावधान हैं और

अनुमानों के संबंध में। अनुच्छेद 114 विनियोग बिलों से संबंधित है। अनुच्छेद 115 पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदानों से संबंधित है। अनुच्छेद 116 खाते पर वोट, क्रेडिट के वोट और असाधारण अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 117 इसमें वित्तीय बिलों के संबंध में विशेष प्रावधान हैं। अनुच्छेद 118 से 122 आम तौर पर संसद के सदनों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रक्रिया के नियमों को नियंत्रित करते हैं।

अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को विनियमन के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है,

संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और इसके कार्य के संचालन के अधीन। अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्य के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन से संबंधित है। अनुच्छेद 120 संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है (अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में)

न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित करना)। अनुच्छेद 122 अदालतों को संसद की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है और इसे नीचे निकाला गया है:

" 122. न्यायालय संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे। — (1) द. संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें शक्तियाँ निहित हों। प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए इस संविधान द्वारा या उसके तहत या

द्वारा अभ्यास के संबंध में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन उन शक्तियों में से "।

22. हमने यह प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया है कि जहां तक भारतीय संविधान का संबंध है, भाग 5 का अध्याय 2 संसद से संबंधित सभी मामलों के संबंध में एक पूर्ण संहिता है। इसने संसद के हर संभावित पहलू के लिए प्रावधान किया। इसमें संसद का गठन, संसद का गठन, सत्र, संसद का सत्रावसान और विघटन, संसद के अधिकारियों, संसद के सदनों की अवधि, सदस्यता के लिए योग्यता, सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए योग्यता, सीटों की रिक्तियां, अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय, संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, कार्य संचालन का तरीका, संसद द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं।

कानून के अधिनियमन, ऐसे व्यक्ति जो संसद को संबोधित कर सकते हैं, उपयोग की जाने वाली भाषा और संसद के अधिकारियों के संबंध में। पूरा मैदान

विधायिका के संबंध में पूरी तरह से निम्नलिखित तरीके से शामिल किया गया है:

राजा राम पाल बनाम। माननीय वक्ता, लोक सभा [रवींद्रन, जे.] 653

(संसद)

(राज्य विधानमंडल)

" विषय

लेख

लेख

का संविधान और संरचना

168 171 तक

79 82 तक

सदन और चुनाव/नामांकन

सदस्यों का

सदनों की अवधि और कार्यकाल

172

83

सदस्यों का कार्यालय

सत्र, सत्रावसान और विघटन

85

174

सदस्यता के लिए योग्यता

84

173

सदस्यता की समाप्ति

102 , 101 & 103

192 ,

190 & 192

(चुने जाने के लिए अयोग्यताएँ

के रूप में, और सदस्य होने के लिए, और

रिक्तियां) और निर्णय

अयोग्यता के सवाल

शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

105 , 122 & 106

194 ,

212 & 195

विधानमंडल के सदस्य और

समितियाँ, और वेतन और

भत्ते

शक्तियों पर प्रतिबंध

121

211

विधानमंडल के कार्यालय

89 98 तक

178 187 तक

प्रक्रिया और भाषा के नियम

118 , 119 & 120 | 208 ,

209 & 210

विधायी प्रक्रिया और आचरण

107 111 तक

196 201 तक

व्यवसाय का

112 117 तक

202 207 तक

99 & 100

188 & 189

175 177 तक

लोग जो संबोधित कर सकते हैं

86 88 तक

संसद

23. संविधान में [2007] 1 एस. सी. आर. को समाप्त करने के लिए स्पष्ट प्रावधान भी किए गए हैं।

654

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पद का कार्यकाल या संविधान में निर्दिष्ट प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी को हटाना। मैं उनका संक्षेप में उल्लेख करूँगा:

" (i) अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

दाँत। अनुच्छेद 61 के खंड (4) में प्रावधान है कि यदि संकल्प कम से कम दो-तिहाई के बहुमत से पारित किया जाता है

के खिलाफ आरोप की घोषणा करने वाले सदन के सदस्य

राष्ट्रपति को बनाए रखा गया है, इस तरह के प्रस्ताव में होगा

राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रभाव।

(i) अनुच्छेद 67 का खंड (ख) उपाध्यक्ष के पद की अवधि से संबंधित है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान

बहुमत से पारित राज्यों की परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा कार्यालय

परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों में से और

लोगों का घर।

(iii) अनुच्छेद 75 (2), अनुच्छेद 76 (4) और अनुच्छेद 156 (1) में निम्नलिखित का उल्लेख है -

मंत्री, महान्यायवादी और पद धारण करने वाले राज्यपाल

राष्ट्रपति की खुशी के दौरान।

((iv) अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश

राष्ट्रपति के आदेश को छोड़कर अपने पद से हटा दिया गया

महाभियोग के बाद पारित किया गया। अनुच्छेद 148 और 324 में यह प्रावधान है कि

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और प्रमुख

चुनाव आयुक्त को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा।

न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट।

(v) अनुच्छेद 317 के साथ पठित अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान है कि कैसे एक अध्यक्ष या

लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है।

कार्यालय से।

इसी तरह राज्यों के संदर्भ में पद की समाप्ति/समाप्ति या सभी संवैधानिक अधिकारियों को हटाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 156 (1) राज्यपाल से संबंधित है, अनुच्छेद 164 (1) मंत्रियों से संबंधित है, अनुच्छेद 165 (3) महाधिवक्ता से संबंधित है, अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, अनुच्छेद 183 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, अनुच्छेद 190 से 192 विधानमंडलों के सदस्यों से संबंधित है और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है।

24. 'अयोग्य' शब्द का अर्थ है 'अयोग्य बनाना' या प्रतिबंधित करना। इसका अर्थ अधिकारों, शक्तियों या विशेषाधिकारों से वंचित या वंचित होना भी है। यह शब्द ' 'निष्कासन' का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी 'निकाय' या 'संगठन' की सदस्यता या भागीदारी से वंचित करना या किसी व्यक्ति को जबरन बाहर निकालना या किसी भवन परिसर आदि को छोड़ने के लिए मजबूर करना। अयोग्यताओं की गणना व्यापक है और किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में बने रहने से रोकने के लिए सभी आधारों को निर्दिष्ट करती है। ब्रिटिश संसद ने अपनी शक्ति के एक हिस्से के रूप में निष्कासन की योजना बनाई

अपने संविधान को नियंत्रित करने के लिए, (और आत्म-सुरक्षा और आत्म-संरक्षण के अपने अधिकार के एक हिस्से के रूप में हो सकता है) उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए जो पद पर बने रहने के लिए अयोग्य थे।

सदस्य, अयोग्यता के लिए लिखित संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के अभाव में। ऐतिहासिक रूप से, इसलिए, इंग्लैंड में, 'निष्कासन' का उपयोग उन मामलों में किया गया है जहां सदस्य होने से स्थायी वैधानिक अयोग्यता होनी चाहिए। जहां अयोग्यता और रिक्ति के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, वहां 'निष्कासन' की किसी भी अंतर्निहित या निहित या अलिखित शक्ति का प्रयोग करने का कोई सवाल ही नहीं है।

25. किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह अनुच्छेद 102 में उल्लिखित अयोग्यता का सामना न करे। अनुच्छेद 102 6 प्रकार की अयोग्यताओं को संदर्भित करता है:

" (i) यदि वह अनुच्छेद 102 (1) (ए) के अनुसार लाभ का कोई पद धारण करता है;
(ii) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और इस तरह घोषित है, तो अनुच्छेद के अनुसार

102 (1) ((ख)

((iv) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, तो अनुच्छेद 191 (1) (डी) के अनुसार;
(v) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

(vi) यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद के अनुसार

102 (2) . "

संसद द्वारा प्रतिनिधि सभा में भी अयोग्यता निर्धारित की गई है।

अनुच्छेद 102 (1) (ई) के तहत विचार के अनुसार लोक अधिनियम, 1951 का प्रेषण। उक्त अधिनियम के तहत अयोग्यता के आधार हैं:

" ((i) यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है। अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित;

((ii) यदि वह किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है। अधिनियम की धारा 8-ए के अनुसार अधिनियम की धारा 99; अधिनियम की धारा 9 के अनुसार; ((iv) यदि उसका उपयुक्त सरकार के साथ कोई स्थायी अनुबंध है। किसी कार्य के लिए या उसके निष्पादन के लिए माल की आपूर्ति के लिए,
अधिनियम की धारा 9-ए;

(v) यदि वह किसी कंपनी का प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है। या निगम, जिसमें उपयुक्त सरकार का हिस्सा है, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार;
(vi) यदि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अयोग्य घोषित किया गया है निर्वाचन आयोग, अधिनियम की धारा 10-ए के अनुसार। संविधान इस प्रकार अयोग्यता के कुछ आधारों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करता है। (अनुच्छेद 102 के खंड (1) और (2) का उपखंड (क) से (घ)। इसने संसद को कानून बनाकर अयोग्यता जोड़ने की भी अनुमति दी है। गुजर रहा है।

एक सदन द्वारा प्रस्ताव, निश्चित रूप से, कानून बनाना नहीं है।

26. संसद सदस्यों के मामले में संविधान ने 'सदस्य के रूप में चुने जाने' और 'सदस्य होने' दोनों के लिए जानबूझकर अयोग्यता शब्द का उपयोग किया गया। इसका मतलब है कि जब कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में उल्लिखित रूप से अयोग्य हो जाता है, तो वह इसके लिए अयोग्य हो जाता है। सदन के सदस्य के रूप में बने रहें।

27. अनुच्छेद 101 विशेष रूप से उन परिस्थितियों का प्रावधान करता है जिनमें एक सीट संसद का सदस्य खाली हो जाता है

" ((क) जब कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो।

((ख) जब कोई व्यक्ति संसद सदस्य के रूप में चुना जाता है और राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी, और इस्तीफा नहीं देता है निर्दिष्ट समय के भीतर राज्य के विधानमंडल में उनकी सीट; राजा राम पाल बनाम।

(ग) जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 के खंड (1) या खंड (2) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है;

(घ) जब वह अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है।

(ई) जब कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए सभी बैठकों से अनुपस्थित है और सदन घोषणा करता है उनकी सीट खाली है।

28. अनुच्छेद 101 के विश्लेषण से पता चलता है कि संविधान निर्माता विशेष रूप से तीन प्रकार की रिक्तियों के लिए प्रदान किया गया:

" (i) संविधान में ही विशेष रूप से बताए गए कारणों से रिक्तियों की घटना (अनुच्छेद 101 के खंड (2) और(3) के अनुसार)।

((ii) द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली रिक्तियों की घटना संसद (अनुच्छेद 101 के खंड (1) के अनुसार)।

(iii) सदन द्वारा एक घोषणा पर रिक्ति की घटना (वीडियोअनुच्छेद 101 का खंड (4) "। यदि संविधान निर्माता चाहते थे कि रिक्तता के कारण

' सदन द्वारा किसी निर्णय या घोषणा पर निष्कासन, उन्होंने निश्चित रूप से इसके लिए प्रावधान किया होगा, क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 101 के खंड (4) के तहत सदन द्वारा घोषणा पर उत्पन्न अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर रिक्ति का प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं ने विचार या प्रावधान नहीं किया किसी रिक्ति को जन्म देने के लिए, अनुच्छेद 101 में उल्लिखित कारणों के अलावा किसी भी कारण के लिए। इस प्रकार संसद सदस्य द्वारा आयोजित एक सीट अनुच्छेद 101 में बताए गए पदों के अलावा किसी भी तरह से खाली नहीं होती है।

29. एक तर्क यह तर्क देने के लिए आगे बढ़ाया गया कि अनुच्छेद 101 को उन परिस्थितियों के रूप में संपूर्ण नहीं माना जा सकता है जिनमें रिक्ति होती है।

संसद में एक सीट के संबंध में, यह था कि इसमें किसी सदस्य की मृत्यु से सीट खाली करने का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 101 एक 'व्यक्ति' द्वारा सीट की छुट्टी को संदर्भित करता है जो सदन का सदस्य है, यानी एक व्यक्ति जो जीवित है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो जाहिर है कि वह सदन का सदस्य नहीं होता है। यह.

यह तर्क देना बेतुका होगा कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद भी इस सीट पर बना रहेगा। मृत्यु के स्पष्ट प्रभाव को बताए जाने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए रिक्ति के आधार के रूप में मृत्यु का उल्लेख न करने से [2007] 1 एस. सी. आर. नहीं बनता है। अनुच्छेद 101 कम विस्तृत है।

30. अनुच्छेद 102 और 101 एक साथ उन सभी परिस्थितियों को शामिल करते हैं जिनमें - सदस्यता समाप्त हो जाती है और सीट खाली हो जाती है। संविधान किसी सांसद की सदस्यता को अनुच्छेद 101 और 102 में विशेष रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा किसी भी तरह से समाप्त करने पर विचार या प्रावधान नहीं करता है। इसलिए अनुच्छेद 101 और 102 की सदस्यता को 'निष्कासन' या अन्यथा समाप्त नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष -

31. संविधान निर्माताओं ने विस्तृत और विशिष्ट प्रावधान किए हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति सदस्य बनता है, उसके बारे में राय संसद (निर्वाचित/मनोनीत), वह अवधि जिसके लिए वह सदस्य के रूप में बना रहता है और जिस तरह से वह सदस्य नहीं रह जाता है और उसकी सीट खाली हो जाती है। इसलिए न तो चुनाव या नामांकन का प्रश्न, न ही कार्यकाल, न ही संविधान में व्यक्त प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली सदन की सदस्यता की समाप्ति/समाप्ति, अनुच्छेद 105 (3) में उल्लिखित सदन की 'अन्य शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति' के अंतर्गत आ सकती है।

32. हम ऊपर यह भी देख चुके हैं कि संविधान स्पष्ट करता है चुनाव/नियुक्ति और हटाने/सेवा की समाप्ति के लिए प्रावधान कार्यपालक (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति), न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) और अन्य सभी संवैधानिक पदाधिकारी (अटॉर्नी) सामान्य, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि)। इसलिए, यह अकल्पनीय है कि संविधान निर्माताओं ने सदस्यता की समाप्ति या परिणामी रिक्ति के तरीकों में से एक के रूप में 'निष्कासन' का प्रावधान करना छोड़ दिया होगा, अगर वे ऐसी शक्ति सौंपना चाहते हैं।

संसद तक।

33. संविधान में व्यक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कि कब एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है (और

इस प्रकार सदस्य होना समाप्त हो जाता है) और जब कोई परिणामी रिक्ति उत्पन्न होती है, तो अनुच्छेद 105 में निर्दिष्ट आकस्मिक शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का सहारा लेकर

निष्कासन और परिणामी रिक्ति के माध्यम से सदस्यता की समाप्ति की एक नई श्रेणी को पढ़ने की अनुमति नहीं है।

34. अनुच्छेद 105 का खंड (3) 'अन्य मामलों में' शब्दों के साथ शुरू होता है। खंड (3) में 'शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति' का प्रावधान राजा राम पाल v. संसद में अनुच्छेद 105 के खंड (1) में बोलने की स्वतंत्रता के मुख्य विशेषाधिकार और अनुच्छेद 105 के खंड (2) में अदालती कार्यवाही के खिलाफ मुख्य प्रतिरक्षा का उल्लेख करने के बाद। इसलिए, खंड (3) का उद्देश्य 'गैर-मुख्य' या 'आनुषंगिक' या विविध शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तिओं का प्रावधान करना है जो उल्लेख करने के लिए कई हैं। खंड (3) से दो बातें स्पष्ट हैं। इसका उद्देश्य नामांकन/चुनाव, पद की अवधि, योग्यता, अयोग्यता/समाप्ति से संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना नहीं है, जिनके लिए अनुच्छेद 80,81,83,84,101 और 102 में पहले से ही स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। ऐसा भी नहीं है।

भाषण की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रदान करना या अनुच्छेद 105 के खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट अदालती कार्यवाही से महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करना। इस न्यायालय ने यू. पी. विधानसभा (ऊपर) में इस पहलू का उल्लेख किया:

" इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति जिन पर खंड (3) द्वारा विचार किया गया है, वे आनुषंगिक शक्तियां हैं। कानून और उन्मुक्ति जो प्रत्येक विधानमंडल के पास होनी चाहिएदेश दें कि यह प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सकता है, और यह बताता है खंड (3) के उत्तरार्द्ध भाग का उद्देश्य। [जोर दिया गया] कल्पना के किसी भी विस्तार से, किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति को एक 'आकस्मिक' मामला नहीं माना जा सकता है। यदि ऐसी शक्ति दी जानी होती तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता।

35. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में उचित कार्रवाई

संसद सदस्य को कानून के अनुसार सदस्य पर मुकदमा चलाना होता है (अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि P.V.Narasimha राव बनाम में निर्णय लिया गया है। राज्य, [1998] 4 एस. सी. सी. 626 प्रतिरक्षा को मान्यता देता है

सदस्य जो केवल रिश्वत लेने वाला है जहाँ एक के संबंध में 'रिश्वत' ली जाती है

' संसद में उनके द्वारा दिया गया वोट और अन्यथा नहीं)। ऐसे मामले तेजी से हो सकते हैं। ट्रैक किया। इस तरह की आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने पर सदस्य को निलंबित किया जा सकता है।

अस्थायी रूप से, यदि आवश्यक हो, ताकि उसे भाग लेने से रोका जा सके

सदनों के विचार-विमर्श। मुकदमा चलाए जाने पर, यदि सदस्य दोषी ठहराया जाता है, तो वह

अनुच्छेद के तहत सदस्य के रूप में बने रहने या बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है

102 (1) (ई)। यदि वह बरी हो जाता है, तो वह सदस्य के रूप में बने रहने का हकदार है। हालांकि

यह बोझिल लग सकता है, जाहिरा तौर पर संविधान का यही इरादा है।

36. इसलिए, मेरा विचार है कि संसद में निष्कासन की कोई शक्ति नहीं है, जो अनुच्छेद 105 (3) में अंतर्निहित या पता लगाने योग्य है। सदन द्वारा निष्कासन तभी संभव होगा जब अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 101 में उपयुक्त संशोधन किया जाए या अनुच्छेद 102 (1) (ई) के तहत कोई कानून बनाया जाए जो सदन को किसी सदस्य को अयोग्य या पद पर बने रहने के अयोग्य पाए जाने पर निष्कासित करने में सक्षम बनाता है। सदस्य। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर हां में दिया जाता है। इसलिए दूसरा प्रश्न विचार के लिए नहीं बचा है।

37. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि दोनों सदनों की कार्रवाई संसद द्वारा याचिकाकर्ताओं को निष्कासित करना संविधान के अनुच्छेद 101 से 103 का उल्लंघन है और इसलिए अमान्य है। इसलिए याचिकाकर्ता संसद के सदस्य बने रहते हैं (उनकी सदस्यता की समाप्ति के लिए किसी भी कार्रवाई के अधीन)। तदनुसार याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

आदेश

बहुमत की राय को ध्यान में रखते हुए, सभी याचिकाएं और स्थानांतरित मामले

बर्खास्त कर दिए जाते हैं।

जीएन.

लिखित याचिकाएँ और स्थानांतरित मामले खारिज कर दिए गए।